योदश माला, खंड 19, अंक 27

बुधवार, 29 अगस्त, 2001
7 भाद्रपद, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

LIBRARY
No 52
Date 17/6/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 27, बुधवार, 29 अगस्त, 2001/7 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 522 और 524 से 526	2–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 521, 523 और 527 से 540	33–54
अतारांकित प्रश्न संख्या 5411 से 5621	55–389
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	390–393
राज्य सभा से संदेश.	394, 547
लोक लेखा समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	395
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	395
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां से उन्नीसवां प्रतिवेदन	395–396
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारतीय रेल हेतु व्यपगत न होने वाली एक विशेष रेल सुरक्षा निधि की स्थापना	
श्री नीतीश कुमार	396–398
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	398
देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के कारण हुई कथित मौतों के बारे में.	399–413
संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में.	424–428
नियम 377 के अधीन मामले.	439–445
(एक) मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी नोट प्रेस का यथाशीघ्र विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री थावर चन्द गेहलोत	439

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	440
(तीन)	विजिंजम और पोन्नानी मत्स्य पत्तनों के विकास हेतु केरल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	440
(चार)	महिलाओं को एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	441
(पांच)	कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काली नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री अखिलेश यादव	441
(छह)	तमिलनाडु में होसुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी. वेत्रिसेलवन	442
(सात)	तमिलनाडु मैग्नेसाईट लिमिटेड को बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के डेड बर्न्ट मैग्नेसाईट पर सीमा शुल्क और अधिभार को बजट पूर्व के 25 प्रतिशत के स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी.एम. सेल्वागनपति	442
(आठ)	तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में चर्मशालाओं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.टी. षणमुगम	443
(नौ)	बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	443
(दस)	कोलकाता, रांची और दिल्ली के बीच विमान सेवा प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम टहल चौधरी	444
(ग्यारह)	बिहार में और अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	445
मोटर यान (संशोधन) विधेयक.		445–478
विचार करने के लिए प्रस्ताव		445
	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	445, 471
	श्री रमेश चेन्नितला	446
	श्री कीर्ति झा आजाद	449
	श्री सुनील खां	453
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	456

विषय	कॉलम
श्री धर्मराज सिंह पटेल	458
श्री राम नाईक	460
श्री एस. मुरूगेसन	463
श्री आदि शंकर	464
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	466
श्री सुरेश रामराव जाधव	467
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	468
श्री अधीर चौधरी	475
खंड 2, 3 और 1	478
पारित करने के लिए प्रस्ताव	478
नियम 193 के अधीन चर्चा	
नई दूरसंचार नीति, 1999	479–544, 545, 547, 549–564
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	479
श्री महेश्वर सिंह	498
श्री रूपचन्द पाल	503
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	509
श्री रामजीलाल सुमन	513
डा. बलिराम	516
श्री मणिशंकर अय्यर	518
डा. वी. सरोजा	528
श्री सुरेश रामराव जाधव	532
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	533
श्री बिक्रम केशरी देव	536
श्री प्रबोध पण्डा	538
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	539
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	540
श्री श्रीनिवास पाटील	543
श्री तपन सिकदर	545
श्री राम विलास पासवान	549
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा का कार्य	544–545

लोक सभा

बुधवार, 29 अगस्त, 2001/7 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हरिद्वार में छः लोग मारे गये और 100 लोग घायल हो गये। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गंभीर एवं चिंतनीय विषय पर आकर्षित कर रहा हूं। आज देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। भीलवाड़ा जनपद के तथा मंडे कस्बे में मस्जिद और कुरान को जला देना और उसके बाद जहाजपुर में मजार को तोड़ देना इस बात की पुष्टि करता है। अफसोस इस बात का है कि वहां पर मुसलमान अगर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो उनको रोका जाता है तथा धमकाया जाता है और साम्प्रदायिक शक्तियां, जो इसमें संलग्न हैं, उनके द्वारा उनको रोका जाता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इस मामले को जीरो ऑवर में उठाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए आज हम इस बात को आपके सामने कहना चाहते हैं कि समस्त राजस्थान के अन्दर चिन्ताजनक हालत है। अफसोस इस बात का है कि इस मौके पर प्रधान मंत्री जी का बयान आ जाता है, कि हम मंदिर मार्च तक बनाएंगे। आप मंदिर का निर्माण करेंगे तो फिर आप मस्जिद का क्या करोगे? मुझसे लोगों ने भीलवाड़ा में पूछा कि प्रधानमंत्री जी मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं परन्तु मस्जिद के संबंध में क्या कर रहे हैं? इन्होंने लखनऊ में केवल मंदिर की बात कही। इस तरह से भावनाओं को भड़काकर राजस्थान के अन्दर अशांति की स्थिति उत्पन्न की। आपके बयान का प्रभाव सीधे वहां की जनता पर नहीं पड़ता है? आज राजस्थान में जुल्म हो रहा है। अफसोस है कि वहां की सरकार भी साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मैं अपने कांग्रेस मित्रों से कहूंगा कि आप मौके पर जाइये, आपकी सरकार वहां साम्प्रदायिक शक्तियों का विरोध नहीं कर पा रही है। मैं मौके पर गया था। जहां कांग्रेस की सरकार है परन्तु कांग्रेस की सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है और अफसोस है कि कांग्रेस के सभासद ही सांप्रदायिक शक्तियों के साथ दंगे में शामिल हो गये। यह बात राजस्थान के संसद सदस्य जानते होंगे। कांग्रेस की सरकार वहां साम्प्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में नाकामयाब है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की अन्य कार्रवाई स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाये। मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 521-श्री रतन लाल कटारिया - अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 522

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हरिद्वार में छः लोग मारे गये और 100 लोग घायल हैं। हरिद्वार के लोग उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

प्रश्न 522 - श्री टी.एम. सेल्वागनपति।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

***522. श्री +टी.एम. सेल्वागनपति :**
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए नवगठित शक्ति प्राप्त कार्यदल को सहायता देने के लिए हाल में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बैठक बुलायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए अपनी कार्ययोजना के बारे में प्रस्ताव/सुझाव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ई.ए.जी.) गठित किया गया था। पहली बैठक जिसे "अधिकार प्राप्त कार्य समूह का पहला कार्य सत्र" कहा गया, दिनांक 18 जून, 2001 को हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल—आठ राज्यों को उनके निम्न सामाजिक-जनांकिकीय सूचकों और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर पहली बैठक में कवर किया गया। इस बैठक के ब्यौरे और निष्कर्ष अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जिन राज्यों ने उपर्युक्त बैठक में भाग लिया, उन्होंने राज्य विशिष्ट प्रस्तुतियां (प्रिजेन्टेशन) दी। उनसे आगे उनकी कार्ययोजना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का अनुरोध किया गया ताकि उनकी सहायता के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक तंत्र तैयार करने में समर्थ हो सके। राज्य सरकारें अपनी कार्ययोजनाएं तैयार कर रही हैं, केन्द्र सरकार ने साथ ही साथ निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं जिनका सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन एप्रोच के प्रति अनुक्रिया में प्राप्त हुई वार्षिक राज्य और जिला कार्य योजनाओं में विशेष उल्लेख है:-

1. मातृ स्वास्थ्य

* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे की प्रसव सेवा को बढ़ावा देना
* अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों की संविदात्मक नियुक्ति
* स्टाफ नर्सों और प्रयोगशाला तकनीशियनों की संविदात्मक नियुक्ति
* प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों के लिए दीन-हीन परिवारों को रैफरल परिवहन उपलब्ध करवाना
* पारंपरिक जन्म परिचरों (दाइयों) का प्रशिक्षण
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-जिला अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व संबंधी परामर्श की व्यवस्था करना
* प्रथम रैफरल यूनिटों में आपातकालीन प्रसूति मामले देखने के लिए प्राइवेट संज्ञाहरण विज्ञानियों की व्यवस्था करना
* बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए एकीकृत वित्तीय सहायता देना ताकि वे मातृ स्वास्थ्य परिचर्या की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कार्यकलापों का पैकेज तैयार कर सकें
* स्त्री रोग विज्ञानियों और बाल रोग चिकित्सकों जैसे विशेषज्ञों की सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविर
* सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नर्स-धात्रियों के संवर्ग का विकास
* एनस्थिसिया देने के लिए डाक्टरों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
* पराचिकित्सा स्टाफ का सेवाकालीन प्रशिक्षण।

2. बाल स्वास्थ्य

* रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यकलाप
* जिला नवजात परिचर्या शुरू करना
* गृह आधारित नवजात परिचर्या
* दूरदराज और अपेक्षाकृत कमजोर जिलों और शहरी मलिन बस्तियों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी विस्तार सेवाएं
* सीमावर्ती जिलों (बार्डर डिस्ट्रीक कलस्टर) के लिए कार्यनीति
* बाल रुग्णता हेतु एकीकृत उपचार प्रबंधन
* डी.पी.टी. वैक्सीन की प्रारंभिक खुराकों के साथ-साथ शिशुओं को हैपेटाइटिस-बी वैक्सीन देने की शुरूआत

* समुदाय आधारित दाइयों (मिडवाइफों) के एक संवर्ग का विकास
* किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकों की स्थापना
* 2002 तक पोलियो का उन्मूलन

3. गर्भ निरोधन

* गर्भनिरोधकों के और अधिक विकल्प
* आपाती गर्भनिरोधकों का विकास
* गर्भनिरोधकों का समुदाय आधारित सामाजिक विपणन
* गुणवत्ता वाली परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करना

4. प्रचार और समर्थन

* सूचना शिक्षा और संचार के लिए संशोधित कार्यनीति
* राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन में सभी स्टेक-होल्डरों द्वारा कारगर भागीदारी के लिए मीडिया द्वारा समर्थन

5. गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

* सार्वजनिक-प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाना
* स्वैच्छिक, गैर-सरकारी और निगमित क्षेत्र की भागीदारी

6. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करना

* उप-केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के माध्यम से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करना
* प्रसव किटें और अनिवार्य औषधें उपलब्ध करना
* किराया और आकस्मिक व्यय के मानकों में संशोधन करना

7. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एकीकरण

* सात आयुर्वेदिक और पांच यूनानी औषधों को 9 राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़), राजस्थान, उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल), कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तथा चार शहरों नामत: दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ और हैदराबाद के उपकेन्द्रों, आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों को प्रदान की जा रही औषधों की सूची में शामिल किया गया है। ये औषधें उपकेन्द्रों को औषध किटों के भाग के रूप में पहले सप्लाई की जा रही एलोपैथिक औषधों के अतिरिक्त हैं।
* वनस्पति वन शुरू करने को प्रोत्साहन देना।
* भारतीय चिकित्सा पद्धति के उपचारों की जानकारी और उनकी उपलब्धता में सुधार लाना।
* भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबद्ध अनुसंधान स्कीमें हाथ में लेना।

8. स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराना

स्वास्थ्य मेलों का उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए एक ही जगह से एकीकृत सेवा प्रदानगी के साथ गुणवत्तायुक्त सेवाओं की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है। लोगों को उनके समक्ष भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी) के रूप में उपलब्ध अनेक विकल्पों की जानकारी हो जाती है। लोग निवारक, उन्नायक, रोगहर और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या के बीच तथा प्राथमिक, द्वितीयक-तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच संबंधों (लिंकेजिज) को समझना शुरू करते हैं। वे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचित स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की भूमिका के प्रति सुग्राही हो जाते हैं। मेले से पूर्व के जनांकिकीय और जानपादिक रोग विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण एक दिए गए शहर और इसके ग्रामीण भीतरी प्रदेश के बारे में काफी विस्तृत आंकड़े प्रदान करते हैं।

9. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों के रूप में छोटे मेले

दूरस्थ क्षेत्रों, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मौजूदा सेवाओं का अल्प उपयोग हो रहा है, में रह रहे लोगों को स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों जैसे विशेषज्ञों की सेवाएं सुलभ करने के लिए 17 राज्यों को कवर करते हुए जनवरी, 2001 से 102 जिलों में 1020 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर आयोजित करने की एक योजना शुरू की गई है।

अनुबंध

डा. सी.पी. ठाकुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 18.6.2001 को हुए शक्ति प्राप्त कार्यदल के प्रथम कार्य सत्र के दौरान पता लगाए गए कार्य मुद्दे

(क) राज्यों के लिए कार्य मुद्दे

शक्ति-प्राप्त कार्य दल ने सेवा प्रदाय में सुधार करने के लिए भाग लेने वाले राज्यों की कार्य योजना तैयार करने में उनके साथ कार्य करने का संकल्प लिया। इस बात पर सहमति हुई कि योजनाएं निम्नलिखित के आधार पर तैयार की जाएंगी:

(1) राज्य प्रस्तुतिकरणों ने प्रदर्शित किया कि उपयोगकर्ता के एकत्र किये गये प्रभार रखने और उनको सुविधा केन्द्र

का सुधार करने के लिए उपयोग करने इत्यादि - इत्यादि के लिए अस्पतालों की अनुमति देते हुए अर्द्ध-चिकित्सीय कार्यकर्त्ताओं का बहु-कार्य-कौशल, भवनों का बहु-उपयोग, संभार तंत्र प्रबंधन में सुधार करने जैसे संसाधनों का बेहतर उपयोग करके सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हालांकि अतिरिक्त संसाधन आवश्यक हो सकते हैं, समाभिरूपता संबंधी मुद्दों पर अवश्य ही प्रथम प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिया जाना चाहिए। अत: मानव संसाधन प्रबंध, संभार तंत्र प्रबंध, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायियों को मुख्य धारा में लाने, राज्य और जिला स्तरों पर शीर्ष सोसाइटियों का एकीकरण/प्रचालनात्मक स्तरों तक निधियों के नियमित रूप से विमुक्त करने, सजातीय विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त नियोजन/प्रशिक्षण अस्पतालों और पंचायती राज संस्थाओं को जिलों और जिलों के भीतर अधिक स्वायत्तता जैसे मूल क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्थित मुद्दों को हल करने के प्रस्ताव इस योजना के अभिन्न भाग होने चाहिए।

(2) एक राज्य के भीतर बढ़ते हुए निवेशों (जो शक्ति प्राप्त कार्य दल द्वारा प्रदान किये जा सकते हैं) का उद्देश्य अन्तर राज्य जनांकिकी विभाजन को पार करना है। इस संबंध में एक मूल उद्देश्य वास्तविक भौतिक सुधार के साथ जनशक्ति की सर्वांगी पुरसंरचना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी राज्य में पिछड़े जिलों में दूर तथा उप-मंडलीय अस्पताल आवश्यक प्रासविक सेवाओं की चौबीसों घंटे की उपलब्धता सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी सेवाएं प्रदान करें।

(3) नये राज्य - छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल अपनी योजना और मानीटरिंग बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के अपने योजना प्रस्तावों में शामिल कर सकते हैं।

(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्य मुद्दे :-

(1) ग्रामीण संयोजी योजना, पेय-जल आपूर्ति योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम और ग्रामीण विकास विभाग की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध बहुत बड़े अनुपात में निधियों को पिछड़े जिलों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग के लिए प्रस्ताव राज्य योजना का अभिन्न अंग होंगे।

(2) शक्ति प्राप्त कार्यदल वाले जिलों में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करना संभव होना चाहिए।

(ग) परिवार कल्याण विभाग के लिए कार्य मुद्दे :

(1) परिवार कल्याण विभाग सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन दृष्टिकोण फार्मों और, उनको छोटा और सरल बनाने के दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा। नये प्रशिक्षण, जहां राज्य ऐसी आवश्यकता को बताएं, के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) परिवार कल्याण विभाग प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम की तुलना में चिकित्सीय गर्भ-समापन के प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या दोनों के प्रावधान असंगत हो सकते हैं।

(3) परिवार कल्याण विभाग भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सहयोग से लेप्रोस्कोपिक लिगेसन में निर्धारित मानकों की भी समीक्षा करेगा ताकि एम.बी.बी.एस. डाक्टर ऐसे आपरेशन कर सके।

(4) शक्ति सम्पन्न कार्य दल विफल बंध्यकरण से उठे दावे से सरकारी क्षेत्र के डाक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके लिए समुचित क्षतिपूर्ति बीमा स्कीम तैयार करने हेतु राज्यों की सहायता करेगा।

(5) परिवार कल्याण विभाग के संपर्क अधिकारी (और राज्य में सक्रिय दाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों) राज्य योजनाओं को तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यदि आवश्यक हो तो शक्ति संपन्न कार्यदल योजना तैयार करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त तकनीकी सहायता की व्यवस्था करें।

(6) शक्ति संपन्न कार्य दल प्रणालीगत परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देगा। इस संबंध में शक्ति संपन्न कार्य दल निम्नलिखित द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहेगा (क) केन्द्र में समुचित नीति विकास (ख) राज्यों को तकनीकी सहायता की व्यवस्था, और (ग) निकटस्थ मॉनीटरिंग एवं दायित्व। शक्ति सम्पन्न कार्य दल देश के अन्दर अनुभवों के आदान-प्रदान के जरिए शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।

(7) शक्ति संपन्न कार्य दल वाले राज्यों को चरणबद्ध ढंग से बेहतर गर्भ-निरोधकों को शुरू करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाएगा और शक्ति संपन्न कार्य दल आवश्यकता पड़ने पर इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे।

(8) शक्ति संपन्न कार्य दल के इन 8 राज्यों में अगले 3 वर्षों के लिए कण्डोमों की शत-प्रतिशत आवश्यकता पूरी कर ली जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकारें कम से कम बर्बादी और लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार कण्डोमों की अधिक से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(9) प्रत्येक शक्तिसंपन्न कार्य दल वर्ष 2001-02 में 5 स्वास्थ्य मेले आयोजित करे जिनके लिए निधियां परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

(10) जरूरतमंदों को औषधों के तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आपूर्ति की विभिन्न गतिविधियों हेतु कम्प्यूटर के जरिए सुदृढ़ संभारतंत्र प्रबंधन प्रणाली के रख-रखाव के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड इन 8 राज्यों में संभारतंत्र हेतु सहायता प्रदान करेगा।

(11) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा प्रत्येक को सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के लिए 45 लाख रु. की राशि इस शर्त पर जारी की गई कि कुल धनराशि की 30% धनराशि लोक प्रचार संबंधी कार्यकलापों और 70% धनराशि का उपयोग बंध्यकरण प्रयोजनों के लिए किया जाए ताकि शक्तिसंपन्न कार्यदल की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने हम लोगो को दिए गए उत्तर में अपना जवाब विस्तार से दिया है जिसके अनुसार जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग के अधीन एक शक्ति प्राप्त कार्य दल (ई.ए.जी.) गठित किया गया था। इस दल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल जैसे आठ राज्यों को शामिल किया गया है। यही वें राज्य हैं जिनको पहली बैठक में ही शामिल किया गया था।

आज राष्ट्र के सम्मुख सबसे प्रमुख मुद्दा जनसंख्या के दबाव का है। इसी वर्ष में हम एक अरब तक पहुंच गए हैं। भारत के जनगणना के अनुसार, हम चीन को पार कर जाएंगे और जनसंख्या में हमारा पहला स्थान हो जाएगा। यह आज की स्थिति है।

मंत्री ने जो कार्य योजना का ब्यौरा दिया है, वह पहले भी था। लेकिन प्रश्न तो कार्यान्वयन का है। आपके कार्य योजना का कार्यान्वयन पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया है, यही समस्या है।

सरकार 91वां संविधान संशोधन लाई भी जिसमें हमने परिसीमन निलंबित कर दिया था। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय वर्ष 1950 में ही शुरू किए गए थे। इन 50 वर्षों में हमने कुछ हासिल नहीं किया। पुनः यह कार्य योजना कागज पर ही रहेगी और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न भी पूछना चाहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, ऐसे भी राज्य हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्रियता के साथ अपनाया है और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को कड़ाई से क्रियान्वित कर रहे है।

लेकिन उनको दंडित किया जा रहा है। सिर्फ उन चार राज्यों की जनसंख्या ही देश की कुल आबादी का 44 प्रतिशत है। ये बीमारू राज्य हैं—बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों ने वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कोई सहायता, प्राथमिकता और प्रोत्साहन देंगे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया है।

डा. सी.पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने सही ही कहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में आरंभ किया गया था। यह सत्य है कि हम इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम आरंभ करने वाले देशों में से एक थे। यह भी सत्य है कि देश की जनसंख्या की वृद्धि में मुख्य रूप से आठ राज्यों का योगदान है। इस आंकड़े के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जनसंख्या आयोग का गठन किया है। यह एमपावर्ड एक्शन ग्रुप (ई.ए.जी.) उसी जनसंख्या आयोग की उपज है। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर इस ग्रुप ने इन आठ राज्यों की पहचान की है। जैसा कि माननीय सांसद ने कहा है, योजनाएं तैयार हैं। लेकिन इस वर्ष हम क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी क्रियान्वयन के बारे में कहा था। हम उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुरू कर चुके हैं। मुझे आशा है कि जनसंख्या को स्थिर करने के कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से शुरू किया जाएगा। क्रियान्वयन के अतिरिक्त हम इन सभी आठ राज्यों में इस कार्यक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही उन जिलों पर भी कड़ी नजर रखी गई है जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तम राज्यों में सही काम नहीं कर रहे हैं। हम उन जिलों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, माननीय संसद सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन राज्यों को कोई विशेष सहायता देने जा रही है जो जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जवाब सही नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपका प्रश्न नहीं है। मंत्री जी, उन्होंने पूछा है कि क्या स्टेट को कोई इंसेटिव दे रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. सी.पी. ठाकुर : हमने उनके लिए एक काम किया है कि वे अपनी आवंटित राशि को अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकते हैं अर्थात् वे एक योजना से दूसरी योजना में धन स्थानान्तरित कर सकते हैं। हम उन्हें यह सुविधा दे रहे हैं। जहां तक विशेष सहायता और अन्य उपायों का संबंध है, हम इन पर विचार करेंगे।

श्री टी.एम. सेल्वागमपति : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

महोदय, जनसंख्या के दबाव के दुष्प्रभावों को समझते हुए तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने कई उपायों की घोषणा की। ई.ए.जी. ने इसके लिए महत्वपूर्ण बातों में से एक महिला साक्षरता का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया। महिला साक्षरता इसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाली लड़की देर से विवाह करती है जिससे बच्चे भी देर से होते हैं। ई.ए.जी. ने ऐसे उपाय नहीं सुझाए हैं। उन्होंने ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन देने हेतु भी कोई विचार नहीं किया है जो केवल एक बालिका या दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन के उपायों को अपनाते हैं। ऐसे भी परिवार हैं जो केवल दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन के उपायों को अपना रहे हैं।

इस रुझान को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. पुराची थेलैवी ने बहुत से उपायों की घोषणा की है। तमिलनाडु में यदि कोई अनुसूचित जाति की कोई बालिका विद्यालय जाती है तो उसे एक साइकिल मुफ्त में दी जाती है। यदि अनुसूचित जाति की कोई बालिका किसी सरकारी महाविद्यालय में जाती है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ऐसे मामले में जिनमें कोई परिवार केवल एक बालिका के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन के उपायों को अपनाता है तो उस बालिका के जन्मदिन पर उसे 20,000 रुपये की जमा राशि दी जाती है। वह जमा राशि उस बालिका के व्यस्क होने पर उसे दे दी जाएगी। ऐसे मामले जिनमें कोई परिवार दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन के उपायों को अपनाता है तो प्रत्येक बच्चे को 15,000 रुपये की जमाराशि दी जाएगी।

क्या मंत्री महोदय हमें कोई पैकेज देने पर विचार करेंगे? अन्यथा, हम वास्तव में पिछड़ते चले जाएंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दंडित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न है।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, प्रभावी कदम उठाने के लिए किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। उन्हें दिए गए लाभों में से एक है लोक सभा की सीटों को 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित रखना। जनसंख्या आयोग ने भी इसका सुझाव दिया था। हमने यह कर दिया है। राज्यों को यह लाभ दिया जा चुका है। आपने कहा कि शिक्षा की उपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं है। वह भी वहां है। निर्वाचन आयोग, जनसंख्या आयोग और ई.ए.जी. के कार्यों में से एक है। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना। जनसंख्या विस्फोट केवल स्वास्थ्य विभाग की असफलता का परिणाम नहीं है। यह विभाग आर्थिक गतिविधियों और शिक्षा विभाग के साथ मिल कर काम कर रहा है। अत: हम प्राथमिक शिक्षा के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी कुछ प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है परंतु आपके कथनानुसार जितने प्रोत्साहन तमिलनाडु ने दिए हैं उतने नहीं। आन्ध्र प्रदेश ने बेहतर प्रोत्साहन दिए हैं। हमारा प्रस्ताव था कि सुविधाएं देकर, शिक्षा देकर और लोगों तक पहुंच बनाकर हम जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अत: जनसंख्या आयोग का यही उद्देश्य है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव पाटील : मंत्री महोदय ने बड़ा लम्बा जवाब दिया है लेकिन अब भी यह जवाब अधूरा है। राज्य सरकारों ने क्या सुझाव दिया और क्या मांगें रखी हैं, इसका जिक्र इस उत्तर में नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि पोपुलेशन स्टेरीलाइजेशन के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा सुझाव आया है कि संविधान में संशोधन किया जाये कि जो व्यक्ति राष्ट्र हित में परिवार नियोजन नहीं अपनाता है, उसका मताधिकार रद्द किया

जाये? यदि कोई ऐसा सुझाव आया है या नहीं आया है तो इसके बारे में केन्द्र सरकार का क्या रुख है?

[अनुवाद]

डा. सी.पी. ठाकुर : जनसंख्या आयोग की बैठक में सभी राजनैतिक दलों के नेता उपस्थित थे और वे सभी इस बात पर सहमत थे कि इसके लिए कोई जोर-जबरदस्ती वाले उपाय नहीं अपनाए जाने चाहिएं। अत: इसी आधार पर हम सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और निगरानी और क्रियान्वयन में सुधार कर रहे हैं। लेकिन आयोग की रिपोर्ट में जोर-जबरदस्ती वाले उपाय शामिल नहीं थे और इस पर सभी नेता सहमत थे।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कोई रजिस्ट्रीकरण कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है? इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जनसंख्या की जब गणना होती है और जब जनगणना करने के लिए कर्मचारी द्वार पर जाता है तो बता दिया जाता है कि केवल 4 या 5 लोग ही रहते हैं जबकि चाहे 13 लोग वहां रह रहे हों और इस तरह से जनसंख्या का सही रिपोर्ट न आने की वजह से मार्केट में भी असंतुलन बना रहता है क्योंकि उसी हिसाब से सरकार बजट बनाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है जिससे उसका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय खोला जाये या जनसंख्या की गणना के लिए अलग से कोई योजना बनाई जाये?

डा. सी.पी. ठाकुर : उसका प्रस्ताव है और रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में बातचीत चल रही है। हम लोग ब्लॉक लैवल पर हर गांव में इसे चालू करेंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं को उठानी पड़ती है। प्रजनन प्रौद्योगिकी में परिवार नियोजन के सुरक्षित और व्यवहारिक उपायों को भी शामिल करना चाहिए। अक्सर, तीसरी दुनिया के देशों में खतरनाक उपकरण खपाए जाते हैं जिन्हें महिलाओं में प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भारत में इन खतरनाक उपकरणों को खपाए जाने के बारे में जानना चाहूंगी और साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या पुरुषों के लिए एक गर्भनिरोधक गोली विकसित की गई है। मैंने इससे संबंधित रिपोर्टें समाचार-पत्रों में पढ़ी हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर : वास्तव में हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पुरुषों की भी परिवार नियोजन के क्षेत्र में और अधिक भागीदारी होनी चाहिए और भारत में पुरुषों के लिए भी गर्भनिरोधक विकसित किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अन्य के सहयोग से इसे विकसित कर रहा है। हम शीघ्र ही इसका विपणन भी आरंभ कर देंगे।

श्री सुरेश कुरुप : इस तथ्य के बावजूद कि परिवार नियोजन व परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष भारी धनराशि निर्धारित की जा रही है। परिवार कल्याण के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर कार्यनिष्पादन का स्वर बहुत कम है। लेकिन आशा की एक किरण शेष है। दो राज्यों, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने निम्न सामाजिक सूचकांक और निम्न साक्षरता दर के बावजूद परिवार नियोजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इससे गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा सरकारों की राजनैतिक इच्छाशक्ति का पता लगता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है। केरल का उदाहरण अलग तरह का है क्योंकि केरल का सामाजिक सूचकांक ऊंचा था और वहां महिला साक्षरता दर भी बहुत अधिक थी। किन्तु तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कम साक्षरता दर के बावजूद उन्होंने इस क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त की है। अत: क्या सरकार अखिल भारतीय आधार पर इन दो राज्यों के उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर : हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस संबंध में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की हमेशा प्रशंसा कर रहे हैं। और केरल हमारे लिए मॉडल (आदर्श) है। वास्तव में शासन बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न उठाने के लिए श्री सेल्वागनपति को बधाई देनी चाहिए। अब समग्र विकास जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा हुआ है। दशकों में इस क्षेत्र में कुछ योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहन दिए गए और कुछ दण्डात्मक उपायों के साथ हतोत्साहों की घोषणा की गई। हम दण्डात्मक उपायों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकमात्र विकल्प हतोत्साह और प्रोत्साहनों के बीच है। इसे राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति तो पहले से ही है लेकिन इसके राजनीतिक हतोत्साहन हैं। यदि किसी के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है। यह हतोत्साह है। इससे जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा। इसी प्रकार, सरकार हतोत्साहनों की घोषणा करने के लिए एक कार्यक्रम क्यों न बनाए? इसे व्यक्तियों और पात्र दम्पतियों के मामले में ही लागू न किया जाए बल्कि यह हतोत्साह पंचायतों

नगरपालिकाओं और विभिन्न राज्यों में भी लागू होने चाहिएं, जहां जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ये हतोत्साह सभी संस्थानों के लिए भी हो सकते हैं। क्या सरकार ऐसी कोई योजना ला रही है अथवा नहीं?

डा. सी.पी. ठाकुर : जनसंख्या आयोग की बैठक पुन: होने जा रही है। बैठक में सभी मुख्य मंत्री सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि और बहुत से अनेक व्यक्ति होंगे। अत: यह मामला उस बैठक में पुन: उठाया जाएगा।

श्री बीरसिंह महतो : गांव में अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर : उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है और उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

श्रीमती प्रभा राव : महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से दो मामलों पर सूचना प्राप्त करना चाहती हूं। एक तो यह है कि एलोपैथी में परिवार नियोजन के लिए ''ट्युबेक्टॉजी'' और ''बेसेक्टॉपी'' के उपाय होते थे। मुझे दस वर्ष पहले की उनकी प्रतिशतता की जानकारी है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसमें कोई सुधार हुआ है क्योंकि पहले तीन प्रतिशत पुरुष ऑपरेशन कराते थे जबकि 97 प्रतिशत महिलाएं ऑपरेशन कराती थीं जबकि यह आपरेशन महिलाओं के लिए बड़ा आपरेशन है और पुरुषों के लिए छोटा। यदि माननीय मंत्री जी के पास इस समय यह जानकारी नहीं है तो वह मुझे यह जानकारी बाद में दे सकते हैं।

अन्य प्रश्न यह है कि कम आयु में विवाह के कारण जनसंख्या में ज्यामितीय रूप से बढ़ोत्तरी हो रही थी। तेरह वर्ष की लड़की होती थी, छब्बीस वर्ष की मां होती थी और उनतालीस वर्ष की दादी होती थी और इसी तरह उनके बच्चे हुआ करते थे। एक ही परिवार में महिलाओं की तीन पीढ़ियों को एक साथ बच्चे हुआ करते थे। इसे ही ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि कहा जाता है। क्या यह स्थिति अभी भी है अथवा बदल गई है?

डा. सी.पी. ठाकुर : पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि में निश्चित रूप से कमी आई है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि आपरेशन कराने वाले पुरुषों की प्रतिशतता में अभी भी वृद्धि नहीं हुई है। हम इसमें वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। नई तकनीक बहुत सुरक्षित है। स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से और विभिन्न आई.यू.सी. योजनाओं के माध्यम से हम पुरुषों को अधिक से अधिक आपरेशन कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं, जो व्यावहारिक हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर गरीब लोगों के बच्चे अधिक क्यों पैदा होते जा रहे हैं। गरीब लोगों के अधिक बच्चों के पैदा होने का कारण है कि गांव से लेकर शहर तक इनके लिए रहने का उचित एवं पर्याप्त स्थान नहीं है। पूरे परिवार के रहने हेतु मात्र एक कमरा या झुग्गी झोपड़ी होता है। मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, यह एक व्यावहारिक बात है। बेटा तथा बेटे की पत्नी उसी कमरे में कोई चादर या साड़ी डाल कर थोड़ी सी आड़ करते हैं और एक परिवार एक छोटे से झोपड़े या कमरे में ही रहने हेतु विवश है। उनके पास न तो टेलीविजन है और न रेडियो और न ही मनोरंजन का अन्य कोई साधन है। अगर आप जनसंख्या रोकना चाहते हैं तो गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों के रहने हेतु उचित मकान की व्यवस्था सरकार को करनी होगी ...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): लालू जी के कितने बच्चे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अकेले लालू जी को छोड़िए। वह तो कहीं न कहीं एक अपवाद हैं। आमतौर पर जो गरीब लोग हैं, निरक्षर हैं, उन लोगों के ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आपका जो साक्षरता अभियान चल रहा है, उसमें पता नहीं कितना रुपया खर्च हुआ है। आप उस पर पूरी तरह निगरानी रखते हुए क्या सबको साक्षर बनाएंगे? ...*(व्यवधान)* आप अगर इन सबके लिये मकान अलग-अलग नहीं बनाएंगे और इनकी गरीबी दूर नहीं करेंगे तथा इनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक साक्षरता के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए जो खर्च किये जा रहे हैं वह व्यर्थ हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग ये क्या कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, ये कानून गरीबों पर ही लागू करना चाहते हैं। उनके लिए यह कानून है। यह निरक्षर लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, सम्पन्न लोगों के लिए यह कानून नहीं है।...*(व्यवधान)* तीसरी बात है, जो सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नयी टैक्नोलॉजी आई है, जिसके द्वारा डाक्टर ब्लड टैस्ट करके प्रमाणित कर देता है कि लड़का पैदा होगा अथवा लड़की। अगर लड़का है तो उसे बचा लेते हैं और लड़की हो तो मां का गर्भपात करा देते हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रीय अपराध और क्या हो सकता है। ऐसा क्यों है, इस पर आप क्या कर रहे हैं?

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, माननीय सदस्य ने तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। पहला मनोरंजन के लिए कहा है। एक बार न्यूयार्क

जैसी जगह में बिजली ऑफ हो गई और उसके नौ महीने के बाद पापुलेशन गुम हो गई, क्योंकि जितने लोग टेलीविजन देख रहे थे, इसके बंद होने से पापुलेशन गुम हो गई ...*(व्यवधान)* यह प्रूफ फेक्ट है। जहां तक मनोरंजन का सवाल है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। लोग घर-घर टेलीविजन देखें, उसका भी इंतजाम होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या आप मुफ्त दिलाएंगे? ...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : हां, हम मुफ्त दिलाएंगे। दूसरा माननीय सदस्य ने रहने के स्थान के बारे में कहा। मैंने जैसे पहले कहा है कि पापुलेशन का कंट्रोल एक विभाग का काम नहीं है, हम लोग कोआर्डीनेट कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम लोग घर बनाने का काम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी क्या करेंगे, उन्होंने तो शादी ही नहीं की। ...*(व्यवधान)* आप हम से बात करें। ...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : दूसरा जो अशिक्षा का सवाल है तो हम लोग इस विषय में प्राइमरी एजूकेशन डिपार्टमेंट से कोआर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें आई हैं और हम बहुत सक्रियता से उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट कम हो जाए और सब लड़के-लड़कियां स्कूल जाएं। तीसरा प्रश्न बहुत बड़ा है और वह है फीमेल भ्रूण हत्या का। खुशी की बात है कि पंजाब के अकाल तख्त ने इसमें सहयोग दिया। हमने रिलीजियश लीडर्स की मीटिंग कराई, डाक्टर्स की मीटिंग कराई और देश के डायरेक्टर जनरल्स की भी मीटिंग कराई कि इस तरह की चीजों को रोकिये। उसमें थोड़ा सा एम.टी.पी. और इसमें ओवरलेप हो गया है और उसके लिए भी नया बिल लेकर हाउस में हाजिर होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि राज्यों और केन्द्र को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। उदाहरणार्थ, दो-तीन केस भी हम लोगों ने गुप्त रूप से कराए हैं जहां हमने लोगों को भेजा कि उन्हें बच्ची होने वाली है और उन्हें अबोर्शन कराना है। ऐसे दो-तीन मामले हैं जहां पर केस शुरू हुआ है। इस पर हम बहुत जोर से काम शुरू किये हुए हैं।

[हिन्दी]

रक्षा बलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

***524. श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों में भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र सेनाओं में नियुक्तियां और चयन पूर्णत: योग्यता के आधार पर किए जाते हैं तथा जाति, समुदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग के आधार पर किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो सूचना सदन के पटल पर रखी है उसके "ग" भाग में कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं में नियुक्तियां और चयन पूर्णत: योग्यता के आधार पर किए जाते हैं तथा जाति, समुदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग के आधार पर किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जहां तक सिपाहियों की भर्ती और अधिकारियों के चयन का सवाल है वहां तक तो मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में उदाहरणत: माली, चौकीदार, चपरासी और क्लेरिकल स्टाफ की जो भर्ती है उसमें क्या आरक्षण का प्रावधान है? अगर नहीं है तो क्या इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया है वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में नहीं पूछा गया है, वह आर्मी के बारे में पूछा गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछना चाहा है वह अपने आप में इससे संबंधित नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय में जो आरक्षण लागू होता है वह आर्मी, नेवी और एयर-फोर्स को छोड़कर लागू होता है। आर्मी के अंदर आरक्षण का प्रश्न नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के समय और इससे पूर्व भी हिमाचल के वीर सिपाहियों ने अनेकों बलिदान दिए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आग्रह सरकार के पास भेजा है कि वहां के सिपाहियों के महान बलिदानों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल रैजीमेंट की स्थापना पर ध्यान रखना चाहिए। अगर इस प्रकार का

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस प्रस्ताव पर क्या विचार हुआ है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि इस पर अलग नोटिस की जरूरत है। यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका जवाब दे दूं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या मुझे ज्ञान है कि कारगिल या अन्य युद्धों में हिमाचल के जो सिपाही हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है। अध्यक्ष जी, मुझे पूरी तरह से इस बात का ज्ञान है और सरकार किसी भी प्रदेश के योगदान की अनदेखी नहीं करती। जहां तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सुझाव है कि हिमाचल रैजिमैंट खड़ी की जाए, ऐसा मुझे एक पत्र उनका प्राप्त हुआ है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की है। उनको बात समझाई गई है। इसमें देखते हैं कि क्या किया जा सकता है?

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है लेकिन आपकी इजाजत इसलिए चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी आज सदन में उपस्थित हैं। पहला प्रश्न आरक्षण पर था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ही पूरक प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : यह प्रश्न आज समूचे देश के सामने है। यह बहुत अच्छी बात है कि हरिजनों और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई। देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उसका आदर किया और गरीब तबके के लोगों को आरक्षण दिया। इस देश में सवर्ण वर्ग के भी गरीब लोग रहते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आजादी के बाद से निरन्तर आज तक वे सवर्ण वर्ग के जरूर हैं लेकिन वे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और आज भी गरीब हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की कोई व्यवस्था करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? इससे सामाजिक समरसता में भविष्य में कोई गड़बड़ी न आए, कोई मन-मुटाव पैदा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था की जाए कि सवर्ण वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को समाज में स्थान मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : यह डिफेंस रिजर्वेशन का सवाल है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न अपने आप में फौज में आरक्षण से कहां जुड़ा है, इस बारे में आप निर्णय कर लीजिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मेरा सीधा सा प्रश्न है। प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मेन क्वश्चन से जुड़ा नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, अभी आरक्षण का आधार या कसौटी आर्थिक नहीं है। सामाजिक भेदभाव के कारण जो वंचित है, दलित है, वह दूसरे लोगों के बराबर, थोड़े समय में समकक्ष आ जाए, इस दृष्टि से आरक्षण की नीति बनी है। इस तरह की मांग जरूर हो रही है कि आरक्षण का आधार निर्धनता होना चाहिए। जो भी निर्धन हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वह आरक्षण का अधिकारी होना चाहिए लेकिन यह नीति अभी सरकार ने स्वीकार नहीं की है।

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय ने संविधान में दिए गए आरक्षण के अनुसार सेवा भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था जिस तरह से भी की है, मैं यह कहना चाहूंगी कि सन 1997 में आरक्षण जिस तरह से प्रभावित हुआ और आरक्षण को जिस तरह से संरक्षण नहीं मिला, उसके लिए पिछले पचास साल से जिस पार्टी ने सबसे अधिक समय शासन किया, उसे जाता है क्योंकि केवल मात्र वोट के लिए आरक्षण की दुहाई दी। रक्षा बलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा करने पर सरकार विचार कर रही है तो इसे कब तक करेगी? अनुसूचित जनजाति के लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं राजा-महाराजाओं के काल में भी उनको सुरक्षा दी और पूरी ताकत दी। महाराणा प्रताप की सेना में भील भी थे जो अनुसूचित जनजाति के थे। क्या रक्षा बलों में इसकी व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं। फौज में चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एअरफोर्स हो, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो क्राइटीरिया है, उसी हिसाब से करते हैं। माननीय सदस्य का यह कहना कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को फौज में

स्थान नहीं है, यह बात अपने आप में तथ्यों से परे है। शायद माननीय सदस्य परिचित होंगी कि महार रेजिमेंट और सिक्ख लाइट इनफैंटरी पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति के लिये है। जहां तक अनुसूचित जनजाति का सवाल है, मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में नागा रेजिमेंट खड़ी हुई हैं जो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के लिये है। शायद माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि उसी तरह से कारगिल युद्ध के बाद लद्दाख स्काउट खड़ी हुई जो अनुसूचित जनजाति के लिये है परन्तु केवल इसी कारण से उनका रिक्रूटमेंट किया गया हो, ऐसा नहीं है। पुराने समय से महार रेजिमेंट और सिक्ख लाइट इनफैंटरी चली आ रही हैं, वे पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति के लिये है और आगे भी रहेगी।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि

***525. डा.+ एस. वेणुगोपाल :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च की गयी कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर हुये व्यय से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 2000-01 के दौरान प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	व्यय (करोड़ रुपये)
1.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	1114.39
2.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)	2005.21
3.	रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.)	1855.43
4.	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	2185.75
5.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	730.83
	कुल	7891.61

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रम भी हैं जो गरीबों को तरफ सीधे लक्षित हैं। कुछ कार्यक्रमों से ग्रामीण आधारित संरचना का सृजन हुआ है, जो गरीबों को लाभ पहुंचाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क्र.सं.	कार्यक्रम/मंत्रालय का नाम	बजट आवंटन 2000-01 (रुपये करोड़ में)
1.	भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण पेय जल विभाग	3000.00
2.	खाद्य सब्सिडी	12042.00
3.	मिट्टी के तेल पर सब्सिडी	7360.00
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (परिव्यय का मात्र 70%)	3428.50
5.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता क्षेत्रक	1350.00
6.	समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)	1115.00
7.	मध्याह्न भोजन	1090.00
8.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	969.00
9.	कृषि के माध्यम से जलसंभर विकास	55.50
10.	जनजातीय विकास	810.00
11.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (शहरी गरीबी)	168.00
	कुल	31388.00

(ख) से (ङ) सम्पूर्ण देश के संबंध में 1993-94 में अनुमानित गरीबी अनुपात 35.97 प्रतिशत था जो 1999-2000 में घटकर 26.10 प्रतिशत रह गया। ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में तदनुरूपी आंकड़े 1993-94 में 37.27 प्रतिशत और 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत हैं। गरीबी उन्मूलन की कार्यनीति में रोज़गार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास को तीव्र करना, लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए न्यूनतम बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के रूप में राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल है। गरीबी-रोधी कार्यक्रम विकास प्रयासों को सहायता प्रदान करते हैं और गरीबों को अभावग्रस्तता, रोजगार और आय में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव और सामाजिक असुरक्षा से बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोज़गार और मजदूरी रोज़गार, दोनों, के सृजन के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए गरीबी-रोधी कार्यक्रम गरीबों पर उनकी प्रभावोत्पादकता और प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 1999-2000 में पुन: डिज़ाइन किए गए हैं और उनकी पुन: संरचना की गई है। कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), स्वयं-सेवी और प्रयोक्ता दलों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है।

डा. एस. वेणुगोपाल : महोदय, मेरा प्रश्न सभा पटल पर रखे गये विवरण पर आधारित है। ज्यादातर योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं। मैं विशेषकर माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन कोष के आवंटन का क्या आधार है। क्या यह प्रगति पर आधारित है? क्या कार्यनिष्पादन और राज्य की प्रगति के आधार पर और कोष आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या कोष जारी करने के लिये वित्त आयोग को कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

हाल में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बहुत से उपाय किये हैं। परिणामस्वरूप गरीबी में काफी कमी आयी है। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को जारी की जाने वाली अनुमानित धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति और दिशा-निर्देश के अनुसार धनराशि समान रूप से जारी की जाती है। सरकार गरीबी स्तर या जनसंख्या को लेकर चिंतित नहीं है। सभी राज्यों को बराबर कोष मिल रहे हैं। मैं इस बारे में जवाब चाहता हूं कि क्या सरकार उन राज्यों को अधिक प्रोत्साहन देगी जो प्रगतिशील कदम उठायेंगे या जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय करेंगे या निरक्षरता हटाने संबंधी उपाय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा पूरक प्रश्न भी पूछना है।

डा. एस. वेणुगोपाल : क्या कार्यनिष्पादन या प्रगतिशील राज्यों को अधिक धनराशि जारी करने के लिये वित्त आयोग को कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है?

श्री अरुण शौरी : जैसा कि माननीय सदस्य को निश्चित ही पता है कि वित्त आयोग सांविधिक और संवैधानिक निकाय है और अपने मानदण्ड खुद तय करते हैं। पिछले कई वर्षों से कार्यनिष्पादन को अधिक महत्व देना पड़ा है। मुझे लगता है कि आवंटन का $12^1/_2$ प्रतिशत इससे संबंधित है। जैसाकि आप जानते हैं कि सिफारिश के आधार पर माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय प्रोत्साहन कोष भी गठित किया है, इसकी घोषणा उन्होंने बजट में की थी और जहां तक मुझे याद है कुल आवंटन करीब 10,000 करोड़ रुपये है। जो राज्य अपनी स्थिति सुधारने के लिये कुछ वित्तीय मानदण्ड पूरा करने में सफल होते हैं, उन्हें और धनराशि दी जायेगी।

जैसा कि आप जानते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम में राज्य विशेष के कार्यनिष्पादन के आधार पर आवंटन किये जाते हैं। लेकिन जहां तक गाडगिल फार्मूला और अन्य फार्मूला का सवाल है, यह केवल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जा सकता है। यह मामला लंबे समय से एन.डी.सी. के विचाराधीन है। लेकिन इन मामलों में जैसा होता है, इस मामले में एकमत होना संभव नहीं है।

हममें से कई लोगों को लगता है कि विशेष कार्यक्रमों हेतु कार्यनिष्पादन के आधार पर आवंटन होना चाहिये। लेकिन एक अन्तर है कि प्रश्न गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष रूप से बने कार्यक्रमों से संबंधित है। अत: उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानदण्ड विभिन्न राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वितरित होगा। जहां तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संबंध है, आवंटन गरीबी में सुधार की बजाय गरीबी के वर्तमान स्तर से अधिक निर्धारित होता है।

डा. एस. वेणुगोपाल : कई योजनाओं जैसे एस.जी.एस.वाई., जी.जे.एस.वाई., ई.ए.एस., आई.ए.वाई. और करीब 11 अन्य कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये। माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल ठीक ही कहा है केन्द्र सरकार का कार्य निष्पादन वाले राज्यों को अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या ऐसे कार्य निष्पादन वाले राज्यों को अधिक धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है? आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इस विशेष पहलू के बारे में लिखा है।

श्री अरुण शौरी : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का संबंध निष्पादन से उतना नहीं है जितना कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यों को हस्तांतरित करने से है। यह मामला विचाराधीन भी है।

1999 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्र प्रायोजित कुछ उन योजनाओं की पहचान करने के लिए, जिनको राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इन मामलों पर चर्चाएं जारी हैं। यह 1 सितम्बर 2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में रखे जाने वाली कार्यसूची की मदों में शामिल है।

श्री ए.सी. जोस : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया जवाब पूरी तरह भ्रम पैदा करने वाला है। गरीबी और रोजगार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आपके पास रोजगार नहीं है आप गरीबी का निवारण नहीं कर सकते हैं। आप रोजगार दिए बिना परिवारों को कैसे धन दे सकते हैं? आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों में रोजगार सृजन में प्रतिदिन कमी आ रही है। अभी, विशेषकर प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद कि केन्द्र सरकार के रोजगार में भी दस प्रतिशत तक की कमी की जाएगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की रोजगार वृद्धि घटकर 0.8 प्रतिशत हो गई है। इसका मतलब है रोजगार में पूरी तरह कमी आ रही है। इस सरकार के पास रोजगार सृजन की कोई दिशा नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करने के लिए क्या सरकार कृषि, भूमि, सिंचाई परियोजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ओर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि कृषि क्षेत्र में और रोजगार सृजित किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री अरुण शौरी : यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मैं चाहता हूं कि हम किसी एक सरकार के रूप में न सोचें, ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं। कई योजनाएं, वास्तव में सभी योजनाएं, जिनको सूचीबद्ध किया गया है, रोजगार में वृद्धि करने हेतु निर्देशित हैं। यदि आप स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को देखें.....

श्री ए.सी. जोस : आंकड़ों के अनुसार, रोजगार सृजन में कमी आ रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप भी मंत्री को भ्रमित कर रहे हैं।

श्री अरुण शौरी : महोदय, वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण चक्र की बात कर रहे हैं। उनके निष्कर्ष मेरे से अलग हैं। मैं उस विभाग का प्रभारी हूं जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की सेवाएं प्रदान करता है। मैं इस पर वार्ता कर सकता हूं। परन्तु मैं जिस बिन्दु पर सुझाव दे रहा था, वह था आपसे सहमत होना कि वास्तविक उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तरवर्ती सरकारों की रणनीति उन विशिष्ट कार्यक्रमों के समग्र विकास को पूरा करना है, जो कि उन क्षेत्रों और खण्डों के लिए लक्षित हैं जिन्हें सामान्य विकास का लाभ नहीं मिल रहा है और इन विशिष्ट योजनाओं को सारणी 1 में 1 से 5 तक और दूसरी सारणी में संख्या 11 में सूचीबद्ध किया गया है। ये सभी दो बातों की ओर लक्षित हैं - प्रथम, रोजगार सृजन, उदाहरण के लिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के द्वारा और दूसरे, स्वरोजगार सृजन के द्वारा, ताकि लोग विकास प्रक्रिया में वास्तविक रूप से भाग ले सकें।

दूसरा स्मरणीय तथ्य यह है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने रोजगार सर्वेक्षण किया है। इसके आंकड़े आपके निष्कर्षों से अलग हैं। परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण है, जोकि गरीबी अनुमानों से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें चक्र से उत्पन्न होता है। परिणाम राष्ट्रीय उपलब्धि को दर्शाते हैं। मैं इसे इस सरकार के पक्ष में दिखाना नहीं चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि है कि गरीबी के आंकड़ों में 37 से 26 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। हमें इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के द्वारा मानव विकास सूचकांक में हमारी स्थिति सुधारी गई है। हम बस इस सरकार या उस सरकार को नीचा दिखाने के लिए इसे दरकिनार क्यों कर देते हैं। ये एक सांझा उपलब्धि है।

तीसरे, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि दसवीं योजनावधि में, कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना है। एक आवश्यक बिन्दु, जिसकी पहचान आपने की है, वह सिंचाई पर निवेश ही है। इस कारण से, हमें पिछले 15 वर्षों में कृषि परिव्यय के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना होगा जिसमें हमारा कृषि के प्रति रुझान सिंचाई कार्यों से परिसंपत्ति के सृजन के बजाय राजसहायता अभिमुखी रहा है। मैं आपसे सहमत हूं। *...(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, क्या मंत्री विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्त उपायों की पहचान कर सकते हैं जिसका उपयोग गरीबी निवारण कार्यक्रम में किया जा रहा है?

दूसरे, जब देश में भुखमरी से इतनी मौतें हो रही हैं, सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है? क्या वह सभा में कोई विशिष्ट रिपोर्ट रखने जा रही है?

श्री अरुण शौरी : कृपया यह न समझिए कि मैं इस सरकार के लिए श्रेय ले रहा हूं, क्योंकि इससे वाद-विवाद होता है। परन्तु यह एक तथ्य है कि भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है जबकि इतना अधिक खाद्यान्न राज्यों को वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कुछ हिस्सों में नहीं पहुंच रहा है। श्री चौधरी अभी-अभी उल्लेख कर रहे थे कि उड़ीसा में भुखमरी से हुई मौतों की रिपोर्ट दूरदर्शन पर भी दी गई है।

श्री अधीर चौधरी : यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। परन्तु आप उन्हें बाधित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उन्हें बाधित नहीं कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर कैसे बोल सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : महोदय, 'राष्ट्रीय शर्म' और इस जैसे शब्द काफी प्रभावशाली हैं। हां, देश में कहीं भी, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा या किसी अन्य स्थान में हो भूख से हुई एक भी मौत स्वाभाविक रूप से गहरी चिंता का विषय है। यह शर्म की बात है।

परन्तु मैं उस मुद्दे पर वापस आता हूं जिसके संबंध में जनसंख्या के प्रश्न पर श्री सेल्वागनपति बात कर रहे थे। उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्नों की कमी नहीं है। धन की कमी भी नहीं है।

मूल उत्तर में दी गई सारणी में आप देखेंगे कि प्रतिवर्ष गरीबी निवारण के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह छोटी रकम नहीं है। कठिनाई सिर्फ यह है जिसकी ओर श्री सेल्वागनपति ने ध्यान आकृष्ट किया है–कार्यान्वयन। हम सभी को, केन्द्र, राज्य सरकारें और सदस्यों को त्वरित और बेहतर कार्यान्वयन के लिए एकजुट होना होगा। यही वास्तविक समस्या है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो गर्भवती महिलाएं रूरल एरियाज में रहती हैं और कुपोषण की वजह से मर जाती हैं उन्हें तथा उनके बच्चों को बचाने के लिए सरकार की कोई योजना है, क्योंकि गरीबी की वजह से निरक्षरता, बीमारी, कुपोषण और अपराध बढ़ जाते हैं और सरकार उन्हें सुविधाएं देने की जो घोषणा करती है वे सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं जिसके कारण साक्षरता, गरीबी और परिवार नियोजन में कोई तालमेल नहीं हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जनसंख्या इसकी बहुत बड़ी जड़ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार साक्षरता, गरीबी और परिवार नियोजन में कोई तालमेल करना चाहती है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : मैं माननीय सदस्य से दोनों बिन्दुओं पर सहमत हूं – पहला, कि साक्षरता प्रयासों सहित सभी प्रयास समन्वित हों, और दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। इन्हीं से गरीबी बढ़ती है।

[हिन्दी]

पहला पार्ट यह था कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोई स्पेशल फूड प्रोग्राम किया जा रहा है या नहीं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त, 2001 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी प्रोग्राम का ऐलान किया है। जैसे अन्नपूर्णा स्कीम थी, जो ओल्ड एज पेंशनर्स और स्कीमों में कवर नहीं होते थे, उनके लिए 10 किलोग्राम फूड ग्रेन्स फ्री देने की स्कीम शुरू की गई। उसी तरह से प्रिगनेंट, विमेन के लिए भी ऐसी स्कीम चलाई जाएगी। उन्होंने 15 अगस्त को इसी स्कीम की घोषणा की है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। हमारे पास यह सूचना है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। यदि इन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया गया है, तो इन्हें क्यों नहीं प्राप्त किया गया है? सरकार यह देखने के लिए क्या करने वाली है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए?

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, पीछे बैठने वाले सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौवीं योजना में एक अनुमान लगाया गया था। यह लक्ष्य नहीं था,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बल्कि अनुमान था कि यदि साढ़े छह प्रतिशत की दर से विकास होता है, जैसा कि सोचा गया था, और यदि इसका क्षेत्रवार बंटवारा वैसे होता जैसा कि सोचा गया था, तब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों संबंधी आंकड़े 29 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत तक आ जाते। वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा किए गए अनुमान में आंकड़ों को 18 प्रतिशत के बजाय 26 प्रतिशत पर रखा गया था। उस सीमा तक श्री शिवराज पाटील जी द्वारा व्यक्त चिंता पूरी तरह से ठीक है।

इसके दो-तीन कारण हैं। एक धीमा विकास है जिसके कई कारण हैं और जिसकी चर्चा हम पहले भी सभा में कर चुके हैं। दूसरी क्षेत्रीय विषमता है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों और शेष भारत के बीच आ रही है। इन क्षेत्रों के बीच की विषमता, जो कि सातवीं और आठवीं योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में 1 : 3 हुआ करती थी, अब 1 : 7 पहुंच गई है। इसलिए, प्रमुख कारणों में से एक पर दसवीं योजना में ध्यान दिया जाएगा कि गरीबी निवारण के अलावा इस क्षेत्रीय विषमता में कमी लाने हेतु इन क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 526 ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का मामला है। इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं बचा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं?

श्री अरुण शौरी : जी हां, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

मिग-21 फ्लाइंग कोफिन्स

*526. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में ''मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट नाऊ नोन ऐज 'फ्लाइंग कोफिन्स' '' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिग-21 लड़ाकू विमानों की हवा में मारक क्षमता पर गंभीर शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ग) क्या लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी, हां। सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है। सरकार सुरक्षा संबंधी मुद्दों को इस तरह सनसनीखेज बनाने के प्रति सहमत नहीं है। मिग-21 पूरी तरह से उड़ान-योग्य है। इन विमानों से वे सभी कार्य लगातार लिए जा रहे हैं जिनकी योजना पहली बार उनको शामिल किए जाने के दौरान बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, रख-रखाव संबंधी जांच कार्य किए जाते हैं और मरम्मत संबंधी प्रक्रियाएं नियमित रूप से अपनाई जाती हैं ताकि सभी विमानों की पूरी उड़ान-योग्यता सुनिश्चित की जा सके।

2. मिग रूपांतर हमारे लड़ाकू विमान बेड़े में बड़ी मात्रा में होने के कारण इनके उड़ान घंटे आवश्यक रूप से सबसे अधिक बैठते हैं। हवाई दुर्घटनाओं के कारणों की लगातार जांच करके समीक्षा की जाती है और उनमें कमी लाने के लिए सुसंगत रूप से उपाय किए जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(क) प्रत्येक दुर्घटना की जांच एक स्वतंत्र जांच अदालत करती है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं ताकि कारण निर्धारित किया जा सके।

(ख) जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर निवारक उपाय करके उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।

(ग) मानव चूक (विमान चालक दल / तकनीकी कार्मिक) के कारण काफी प्रतिशत संख्या में हवाई दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशिक्षण की गुणता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की सतत् समीक्षा करके कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. और मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि तकनीकी खराबियों को ठीक किया जा सके जो दुर्घटनाएं होने का दूसरा बड़ा कारण है।

(ङ) दुर्घटनाएं रोकने के लिए व्यापक संदर्शी और वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त करने की दृष्टि से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन सहित अनेक स्वतंत्र एजेंसियां दुर्घटना जांच के कुछ मामलों की जांच करने में शामिल हैं।

(च) पक्षी टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उपाय कार्यान्वित किए गए / किए जा रहे हैं जोकि दुर्घटनाएं होने का अन्य बड़ा कारण है।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, 1998-2001 के बीच हमारे 54 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। हमने विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया है। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि विमान दुर्घटनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की गोपनीय रिपोर्ट क्या थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या सिफारिशें की थीं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस बात का मन बना लिया है कि उसे क्या करना है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नि:संदेह जितना संभव हो, मैं जानकारी देना चाहूंगा। लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं के बारे में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का गठन 1997 में किया गया था। रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

दरअसल, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1997 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की विभिन्न सिफारिशों में से - जिनका उल्लेख में कुछ समय बाद करूंगा - समिति के विचार-विमर्श का भूल तत्व यह है कि किसी एक या दूसरे प्रकार के विमानों पर व्यय करना समस्या का हल नहीं है; कि लड़ाकू विमानों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ-साथ इन विमानों को पूर्णतया सुरक्षित ढंग से उड़ान योग्य बनाने के लिए बहुत से संबंधित कार्यकलापों पर भी व्यय करना होगा।

अत:, इस प्रस्ताव का मूल भाव यह था कि जब भी इस प्रकार की खरीद की जाती है तो न केवल विमान के रूप में शस्त्र प्रणाली की खरीद पर ही ध्यान दिया जाए, बल्कि हमें उसके प्रयोग के समग्र वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। दुखद बात यह है कि अब तक इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। समिति ने कुल मिला कर लगभग 84 सिफारिशें की थीं। इन 84 सिफारिशों में से 45 सिफारिशों को लागू किया जा चुका है; 24 सिफारिशों को लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है; और 10 सिफारिशों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे लागू किए जाने योग्य नहीं है। अब पांच ऐसी सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती श्यामा सिंह : एयर मार्शल टिपनिस ने भी आगाह किया है कि देश में एडवांस्ड जेट ट्रेनर के उपलब्ध होने के बावजूद दुर्घटनाओं को केवल कम किया जा सकता है लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय हमें इसके विषय में जानकारी दे सकते हैं?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यहां की जाने वाली किसी चर्चा या पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में वायुसेनाध्यक्ष या उनके पद का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वायुसेनाध्यक्ष केवल वायुसेनाध्यक्ष ही नहीं हैं। मैं भी इस बात को कह चुका हूं और यह बात समय-समय पर कही जाती रही है, और मैं माननीय मंत्री जी की बात को ठीक करना चाहूंगा कि एडवांस्ड जैट ट्रेनर की खरीद के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और अभी इसकी खरीद नहीं की गई है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि एडवांस्ड जैट ट्रेनर की खरीद मात्र वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाओं के समाधान के लिए रामबाण सिद्ध होगी।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा, उन्होंने श्रीमान अब्दुल कलाम कमेटी की रिपोर्ट के विषय में सदन को जानकारी दी है। इसके पहले भी राठौड़ कमेटी और लॉ फॉण्टेन कमेटी बनी, ऐसी तीन कमेटियों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। बड़े दुख के साथ मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि 1991 से 1997 तक 147 एयरक्राफ्ट्स इसमें डैमेज हुए हैं, 704 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई है और 63 यंग और ब्रेव पायलट्स को हमारे देश ने खोया है। हमारे दोनों सदनों के एम.पीज. के डैलीगेशन ने पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की थी और प्रधानमंत्री जी से भेंट करके उन्होंने इस मैटर पर तीन-तीन बार कमेटी एपाइंट करने के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने, मैं आज के रक्षा मंत्री जी पर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन पिछले रक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा और लोक सभा में पांच बार उत्तर दिया है और इस पर कोई एक्शन नहीं किया, इस वजह से हमारे यंग और ब्रेव पायलट्स मारे जा रहे हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने बार-बार देश के सामने इस विषय को लाया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और मिग-21 और दूसरे हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें खासकर इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से क्वालिटी ट्रेनिंग मिलनी

चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इसी कारण हम लोग इसमें फेल होते जा रहे हैं। सारे संसार में चार नम्बर पर हमारी एयरफोर्स आती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो पायलट्स की डैथ होती है, उनको आप क्या मुआवजा देते हैं? उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम बनाने की आपकी क्या योजना है और दोनों सदनों की एक कमेटी बनाकर इस पर प्रधानमंत्री जी कोई उचित निर्णय लेने जा रहे हैं क्या?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। मैं तो एक ही सुझाव दे सकता हूं कि माननीय सदस्य क्या कहें, क्या नहीं कहें, वह अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार कहेंगे पर इस प्रकार के आंकड़े देना और इस प्रकार का एक ब्लेंकेट कंडेमनेशन करना कहां तक उचित है, विचार लें। रहा सवाल सदन की समिति का, तो सदन की दो समितियां हैं, एक स्टेंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस और दूसरी कन्सलटेटिव कमेटी है। कन्सलटेटिव कमेटी में अभी हाल में पिछले शुक्रवार को इस विषय पर चर्चा हुई है। जहां कहीं भी एक्सीडेंट होता है, जिस किसी की हानि होती है, जान-माल की कोई हानि होती है, तो निश्चित रूप से इंशोरेंस कवर होता है। इंशोरेंस के नियमानुसार उनको इंशोरेंस का पैसा मिलता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन

*521. **श्री रतनलाल कटारिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार की आरक्षण-नीति, उन कार्यकारी के अनुदेशों के माध्यम से स्पष्ट की गई है जो कि इन्दिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कानून के प्रभाव से युक्त हैं। चूंकि आरक्षण का कोई भी अधिनियम नहीं है, अत: सरकार की आरक्षण की नीति को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ान सुरक्षा पर सम्मेलन

*523. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना का उड़ान सुरक्षा संबंधी वार्षिक सम्मेलन 26 जून, 2001 को बंगलौर में आयोजित किया गया था;

(ख) क्या सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के विमानों विशेषकर 'मिग' श्रेणी के विमानों, की बार-बार हो रही हवाई दुर्घटनाओं पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या पायलटों के प्रशिक्षण और विमानों के उचित रखरखाव पर बल दिया गया और इन पहलुओं पर सुधार के लिए कदम सुझाव गए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का उड़ान सुरक्षा संबंधी सम्मेलन 25 जून, 2001 को बैंगलूर में आयोजित किया गया था। ऐसे उड़ान सुरक्षा संबंधी सम्मेलन हर छह महीने में भारतीय वायुसेना की सात कमानों में से प्रत्येक में आयोजित किए जाते हैं। वायुसेना मुख्यालय में आयोजित कमांडरों के सम्मेलन में जोकि वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं, उड़ान सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

2. बेंगलूर में आयोजित सम्मेलन में, मिग विमानों सहित विभिन्न प्रकार के विमानों की दुर्घटनाओं संबंधी विषयों पर विशेषत: प्रशिक्षण कमान द्वारा तैनात विमानों से संबंधित दुर्घटनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। इसमें उड़ान-सुरक्षा संबंधी मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा की गई थी, जिसमें पायलटों तथा चालक-दल का प्रशिक्षण और विमान के रख-रखाव की त्रुटि रहित सुरक्षा प्रणाली (फेल-सेफ सेस्टम) भी शामिल है। यह बात सुनिश्चित

किए जाने पर बार-बार विशेष बल दिया गया कि उड़ान सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। विभिन्न प्रकार के विमानों की दुर्घटना दरों की भी पुनरीक्षा की गई थी तथा आगे इनमें और कमी लाने की दृष्टि से ऐसी दुर्घटनाओं के तीन प्रमुख कारणों यथा मानवीय चूक (विमान चालक दल अथवा तकनीकी कार्मिकों द्वारा), तकनीकी खामियों एवं विमान क्षेत्र के आस-पास पक्षियों के टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में रोकथाम के उपायों का विश्लेषण किया गया था।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की उपलब्धियां

***527. श्री सुबोध मोहितेः** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शुरू किये गये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की राज्यवार उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के लिये विपणन और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं; और

(ग) सरकार का खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर किस तरीके से सृजित करने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) तत्कालीन प्रधानमंत्री के तहत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का प्रवर्तन किया गया था। यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत के.वी.आई.सी. ने जीवनक्षम ग्रामोद्योग परियोजनाओं हेतु मार्जिन मनी योजना प्रारंभ की थी, जो 1.4.1995 से प्रभाव में है। देश में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत राज्यवार संस्वीकृत परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

यह मार्जिन मनी योजना, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में प्रदान करती है। 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजना के लिए मार्जिन मनी दर 10 लाख रु. का 25% जमा शेष परियोजना लागत का 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व कर्मचारी/महिलाएं/अल्पसंख्यक/विकलांग/अन्य पिछले वर्ग के लाभार्थियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार और सिक्किम राज्य के सभी लाभार्थियों को, जहां विशेष रियायत प्रदान की जा रही है, 10 लाख रु. तक कि परियोजना लागत के 30% की दर से मार्जिन मनी अनुदान दिया गया है।

भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास और संवर्धन हेतु 14.5.2001 को खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में, पांच वर्षों के लिए एक छूट नीति, छूट का विकल्प और बाजार विकास सहायता, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास, कोर क्षेत्रों पर संकेन्द्रण और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का प्रावधान शामिल है।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3552
2.	अरुणाचल प्रदेश	96
3.	असम	81
4.	बिहार	262
5.	गोवा	609
6.	गुजरात	184
7.	हरियाणा	818
8.	हिमाचल प्रदेश	206
9.	जम्मू-कश्मीर	2481
10.	कर्नाटक	6229
11.	केरल	2540
12.	मध्य प्रदेश	7607
13.	महाराष्ट्र	8194
14.	मणिपुर	156
15.	मेघालय	1938

1	2	3
16.	मिजोरम	419
17.	नागालैंड	310
18.	उड़ीसा	578
19.	पंजाब	3019
20.	राजस्थान	13789
21.	सिक्किम	15
22.	तमिलनाडु	1298
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	2221
25.	वेस्ट बंगाल	8090
26.	अंडमान और निकोबार	87
27.	दिल्ली	134
28.	चण्डीगढ़	20
29.	दादरा और नागर हवेली	1
30.	पांडिचेरी	827
31.	लक्षद्वीप	0
32.	दमन और दीव	0
	कुल	65762

लैप्टोस्पाइरोसिस

*528. **श्री के. मुरलीधरन:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक लैप्टोस्पाइरोसिस (रैट फीवर) से राज्यवार कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या के अध्ययन के लिए कोई चिकित्सा/अनुसंधान दल तैनात किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग के उन्मूलन के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से लैप्टोस्पाइरोसिस संबंधी आई.सी.एम.आर. केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (छ) लेप्टोस्पाइरा रुग्णता अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित भारत के अनेक राज्यों में स्थानिकमारी है। इन राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के कारण हुई मौतों की संख्या		
	1999	2000	2001
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25	62	अनुपलब्ध
गुजरात	32	16	अनुपलब्ध
केरल	93	45	26 (11.7.2001 तक)
महाराष्ट्र	-	59	28 (27.7.2001 तक)
तमिलनाडु	10	1	अनुपलब्ध
कर्नाटक	1	1	अनुपलब्ध

यह रोग अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी घटित हुआ होगा लेकिन इन क्षेत्रों के रोगियों अथवा प्रकोपों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली जैसी सरकारी संस्थाओं ने 1997 में गुजरात और कर्नाटक में और 2000 में महाराष्ट्र, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में तथा 2001 में केरल में लेप्टोपाइरा रुग्णता के प्रकोपों की जांच करने के लिए चिकित्सा/अनुसंधान दल भेजे हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी संस्थाओं के जरिए राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है।

प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे संदेही रोगियों से सीरम के नमूने एकत्र किए गए थे। तीन जांचों एलिसा, लेप्टो-डिपस्टिक और माइक्रोस्कोपिक एग्लुटीनेशन जांच (एम.ए.टी.) का इस्तेमाल किया गया। निदान की पुष्टि के लिए मानदण्ड एक पॉजिटिव एम.ए.टी.

परिणाम था। इन परिणामों के आधार पर लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के निदान की पुष्टि की गई।

चिकित्सीय/अनुसंधान दलों द्वारा निम्नलिखित उपाय सुझाव गए हैं और उन्हें रोग के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित किया गया है:

प्रभावित राज्यों में फिजीशियनों को सुग्राही बनाया गया है।

राज्य सरकारों को, जहां कहीं अपेक्षित हो, नैदानिक सहायता प्रदान की जा रही है।

देश के किसी भी भाग में लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के प्रकोपों को नियंत्रित करने के लिए जांच संबंधी सहायता, जहां कहीं इसके लिए मांग की जाती है/इसकी अपेक्षा होती है, प्रदान की जा रही है।

इस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक प्रकाशन निकाला गया है और सभी राज्यों को परिचालित किया गया है जिसमें निवारक उपायों, उपचार और जागरूकता पैदा करने के लिए उपायों का विशेष उल्लेख है।

राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम, जो देश के 80 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, भी महामारियों का पता लगाने में उपयोगी है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान जब अधिकांश प्रकोप होते हैं, औषधों के पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के साथ इस समस्या के शीघ्र निदान और उपचार के बारे में सभी डाक्टरों को सुग्राही बनाया जाता है।

लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के खतरे को कम करने के लिए अनेक राज्यों द्वारा कृन्तक-रोधी कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

सितम्बर, 2000 में जब केरल में लेप्टोस्पाइरा रुग्णता का प्रकोप हुआ था, केरल सरकार ने भारत सरकार से एक महामारी विज्ञानी अध्ययन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पोर्ट ब्लेयर एक से एक विशेषज्ञ दल भेजने का अनुरोध किया था। तद्नुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय लेप्टोस्पाइरा रुग्णता रेफेरेंस केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर एकक ने केरल में लेप्टोस्पाइरा रुग्णता के प्रकोप की जांच करने के लिए केरल राज्य का दौरा किया और प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय तथा सावधानी उपाय सुझाए।

श्रीलंका में हिंसा

***529. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीलंका में हिंसा की ताजा घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि पर चिंता जताई है और प्रायद्वीपीय देशों में सभी संबंधित पक्षों से पुन: अपील की है कि वे राजनैतिक समझौते के लिये बातचीत शुरू करने हेतु कदम उठाएं; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस संबध में क्या प्रयास किए गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने श्रीलंका की एकता, क्षेत्रीय अखण्डता और सम्प्रभुता की रूपरेखा के भीतर इस तरीके से श्रीलंका के जातीय संघर्ष का शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान का इस प्रकार बार-बार आह्वान किया है जिससे श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाएं पूरी होती हों।

आयुध डिपुओं में सुरक्षा

***530. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी आयुध डिपुओं के लिए इस समय क्या सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं;

(ख) क्या वर्तमान सुरक्षा उपाय चोरी तथा समाज विरोधी तत्वों और आतंकवादियों को हथियारों और गोली-बारूद की अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में आगे क्या उपाय किए जाएंगे?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सभी आयुध डिपुओं को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

2. इस व्यवस्था में कटिदार तार की बाड़ चहारदीवारी, सर्च लाइटें, साउंड कम्यूनिकेशन सिस्टम्स, रखवाली करने वाले कुत्ते, अलार्म सिस्टम्स, आदि शामिल हैं।

3. डिपो-कर्मचारियों का चरित्र-सत्यापन करवाने के अलावा, चहारदीवारियों की नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है और सिविल एवं सैन्य आसूचना एजेंसियों के साथ बराबर संपर्क रखा जाता है।

4. सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक चलती रहने वाली कार्रवाई है, जो बदलती हुई परिस्थितियों, प्रौद्योगिकीय विकास और सुरक्षा-आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा सेमिनार

*531 **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान देश के विभिन्न भागों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सेमिनार और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये अधिक शुल्क लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे पाठ्यक्रमों से कितने लोग लाभान्वित हुए ; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाने और ज्यादा लोगों को उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। देश में 12 लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कवर किए गए विषयों में वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट, ई-कॉमर्स, नेटवर्किंग, ऑफिस ऑटोमेशन, कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य लघु उद्योगों को सेवा प्रदान कर रहे व्यक्तियों अथवा इस क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की कुशलता को विकसित करना है।

(ग) और (घ) संगोष्ठी-पाठ्यक्रमों हेतु प्रभारित शुल्क पाठ्यक्रम की अवधि, फैकल्टी की विशेषज्ञता, आवश्यक आधारभूत संरचना, पाठ्य सामग्री आदि के अनुसार भिन्न है। परन्तु इसे सदैव ही उचित दर पर रखा जाता है।

(ङ) लघु उद्योग सेवा संस्थान में वर्ष 1999-2000 में पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए गए थे। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 3652 और 4368 है।

(च) यह पाठ्यक्रम लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं और सूचना प्रौद्योगिकी में उभरती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए हैं और इन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए और अधिक क्षेत्र स्तरीय संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

औद्योगिकीकरण संबधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

*532. **श्री चिंतामन वनगा: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिकीकरण संबधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कितने ग्रामीण शिल्पकारों और बेरोजगार युवकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। संभवत: यह सन्दर्भ वित्त मंत्री द्वारा 1999-2000 के लिए अपने बजट भाषण के दौरान घोषित 'ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम' के संबंध में है। ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण औद्योगिक कलस्टर स्थापित किए जाने हैं।

(ग) इस योजना द्वारा प्रति कलॅस्टर लगभग 50 परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण पर रोक

***533. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'पैनेल टू स्टाप सेक्स टेस्ट चेन सेन्टर्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु पैनल की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) जी हां। राज्य सरकारों और राज्य/जिला/उप जिला स्तरों पर समुचित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की मानीटरिंग में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की सहायता करने के लिए सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

जिला योजना समितियां

***534. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विकास प्रक्रिया में संबंधित राज्यों के प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिला योजना समितियों की अध्यक्षता अक्सर या तो समाहर्ता द्वारा की जाती है अथवा जिला परिषद प्रमुख द्वारा;

(ग) क्या सरकार का विचार जिला योजना समितियों में लोक सभा संसद सदस्य को शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां।

इस देश में योजना युग के प्रारंभ से ही विकेन्द्रीकृत आयोजना के पक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय आयोजना प्रक्रिया को राष्ट्रीय/राज्य/जिला एवं समुदाय स्तर की योजनाओं में विभाजित करने की आवश्यकता की बहुत पहले से ही मान्यता रही है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचि में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में उनके कार्यान्वयन का दायित्व पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार, राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे विकेन्द्रीकृत आयोजना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला योजना समितियां (डीपीसी) गठित करें। जिला योजना समितियों से यह आशा की जाती है कि वे जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करें और सम्पूर्ण जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया है। कुछ राज्यों में जिला योजना समितियों के प्रधान जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जबकि कुछ राज्यों में इनके प्रमुख, जिले के प्रभारी मंत्री, अथवा, राज्य सरकार के अधिकारी हैं। जिला योजना समितियों के गठन की स्थिति एवं उनके अध्यक्षों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य विधान सभाओं को जिला योजना समितियां गठित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अत:, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समितियों के गठन के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

विवरण

जिला योजना समितियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला योजना समितियों (डी.पी.सी.)के गठन की स्थिति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	गठन नहीं किया गया।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठन नहीं किया गया।
3.	असम	गठन नहीं किया गया।

1	2	3
4.	बिहार	गठन नहीं किया गया।
5.	छत्तीसगढ़	गठन नहीं किया गया।
6.	गोवा	गठन नहीं किया गया।
7.	गुजरात	गठन नहीं किया गया।
8.	हरियाणा	केवल 3 जिलों में, शेष विचाराधीन हैं।
9.	हिमाचल प्रदेश	अभी तक नहीं परन्तु यह विचाराधीन है।
10.	झारखंड	गठन नहीं किया गया।
11.	जम्मू व कश्मीर	लागू नहीं।
12.	कर्नाटक	जी, हां। जिला योजना अध्यक्ष डी पी सी के अध्यक्ष हैं।
13.	केरल	जी, हां। जिला योजना अध्यक्ष डी पी सी के अध्यक्ष हैं।
14.	मध्य प्रदेश	जी, हां। जिला प्रभारी मंत्री डीपीसी के अध्यक्ष हैं।
15.	महाराष्ट्र	गठन नहीं किया गया।
16.	मणिपुर	जी, हां। 4 जिलों में से 2 में। जिला योजना के अध्यक्ष डीपीसी के अध्यक्ष हैं।
17.	मेघालय	लागू नहीं।
18.	मिजोरम	लागू नहीं।
19.	नागालैण्ड	लागू नहीं।
20.	उड़ीसा	जी, हां। जिला प्रभारी मंत्री डीपीसी के अध्यक्ष हैं
21.	पंजाब	अभी तक नहीं परन्तु इसके गठन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
22.	राजस्थान	जी, हां। जिला योजना अध्यक्ष डी पी सी के अध्यक्ष हैं।
23.	सिक्किम	जी, हां। जिला योजना अध्यक्ष डी पी सी के अध्यक्ष हैं।
24.	तमिलनाडु	जी, हां। अभी प्रचालन में आना बाकी है। अध्यक्ष, जिला योजना इसके अध्यक्ष होंगे।
25.	त्रिपुरा	जी, हां। केबिनेट स्तर के मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
26.	उत्तर प्रदेश	जी, हां। मंत्री अध्यक्ष हैं।
27.	उत्तरांचल	गठन नहीं किया गया।
28.	पश्चिम बंगाल	जी, हां। 17 जिलों में। अध्यक्ष, जिला योजना डीपीसी के अध्यक्ष हैं।
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	जी, हां। जिला योजना अध्यक्ष डी पी सी के अध्यक्ष हैं।

1	2	3
30.	चण्डीगढ़	लोकहित में नहीं है क्योकि इसकी 90% जनसंख्या नगरपालिका द्वारा कवर की जाती है।
31.	दादरा व नगर हवेली	जी, हां। जिला समाहर्ता डीपीसी के अध्यक्ष हैं।
32.	दमन व दीव	गठन नहीं किया गया।
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	राज्य पी आर अधिनियम निलंबनाधीन हैं।
34.	लक्षद्वीप	जी, हां। सीडीसी, डीपीसी के अध्यक्ष हैं।
35.	पांडिचेरी	चुनाव नहीं हुए।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

एड्स का उन्मूलन

*535. **कर्नल (सेवानिवृत) सोनाराम चौधरी:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा हाल में कराये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या 3.86 लाख है;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण में महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर और नागालैण्ड में उनकी जनसंख्या के एक प्रतिशत से अधिक लोगों में इस रोग का प्रसार दिखाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने एच.आई.वी./एड्स के अधिक मामलों वाले राज्यों से इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ संयुक्त युद्ध के लिये धार्मिक समूहों के साथ मिलकर अभियान चलाने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में एच.आई.वी. घटनाओं की प्रगति को मानीटर करने के उद्देश्य से नामोद्दिष्ट प्रहरी स्थलों में एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी के वार्षिक दौर आयोजित करता है। एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी का पिछला दौर 232 प्रहरी स्थलों में अगस्त-अक्तूबर, 2000 में आयोजित किया गया था। इस दौर के परिणामों तथा पूर्वनिश्चित अनुमानों के अनुसार 2000 में 3.86 मिलियन एच.आई.वी. संक्रमणों का अनुमान है।

एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी आंकड़ों से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में प्रसवपूर्व महिलाओं में 1 प्रतिशत से अधिक की एच.आई.वी. व्याप्तता का पता चलता है जो आम लोगों में एच.आई.वी. व्याप्तता के प्रतिपत्र के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन छह राज्यों के मुख्य मंत्रियों की 22 मई, 2001 को बैठक आयोजित करने की पहल की है, जहां पर आम लोगों में 1 प्रतिशत की एच.आई.वी/एड्स व्याप्त है। मुख्यमंत्रियों को अपने सम्बोधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि एड्स रोग एक गम्भीर चुनौती है और यह राज्यों के वर्तमान और भावी विकास को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से निवारण कार्यकलाप तेज करने और युवा लोगों की जागरूकता पर ध्यान देने को कहा है जो सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इनमें स्कूली बच्चों, आवारा बच्चों और अन्य युवा लोगों की उत्तरदायी जीवनशैली अपनाने में सहायता करने के कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक संगठनों को, जिनका समाज के बड़े वर्ग पर गहरा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य मंत्रियों को फिर से आश्वस्त किया कि केन्द्र एच.आई.वी./एड्स के विरूद्ध संयुक्त लड़ाई में हर सम्भव तरीके से उनका सहभागी बना रहेगा।

नौकरशाहों के लिए आचार संहिता

*536. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने देश में नौकरशाहों के लिए कोई आचार संहिता बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिविल और सैन्य अधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन

***537. श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना और सिविल अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की विध्वंसात्मक गतिविधियों और आंतकवाद के बढ़ते हुए संकट का मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिविल और सैन्य अधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन मेरठ उप क्षेत्र के मुख्यालय में आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो परस्पर सहायता और जन सामान्य तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी चर्चा का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) देश भर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु ऐसी एजेंसियों के गठन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) कानून और व्यवस्था, राज्य का विषय होने के कारण, मूलत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, 'सशस्त्र सेनाओं द्वारा सिविलि प्राधिकारियों को सहायता संबंधी अनुदेश-1970' के अनुरूप सिविल प्राधिकारियों की मांग पर उन्हें पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक उक्त विदेशी गुप्तचर संस्था की गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दे का संबंध है, ऐसी गतिविधियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सुरक्षा एजेंसियों को लेकर सु-समन्वित तथा बहु-आयामी उपाय अपनाए गए हैं।

मेरठ सब-एरिया मुख्यालय में 3 मई, 2001 को सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऐसे सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस सम्मेलन में संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए संबद्ध सिविल तथा सैन्य प्राधिकारियों के बीच सहयोग, प्राकृतिक आपदाओं में सेना द्वारा सहायता, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण तथा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को राहत, आदि सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

''एमरजेंसी कंट्रासेप्शन''

***538. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एमरजेंसी कंट्रासेप्शन'' पर राष्ट्रीय सहमति संबंधी गोष्ठी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं,

(ग) ''एमरजेंसी कंट्रासेप्शन'' गोलियों के कब तक बाजार में उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन गोलियों को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी हां। ''आपाती गर्भनिरोधन (एमरजेंसी कंट्रासेप्शन) के लिए राष्ट्रीय सहमति संबंधी रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

(ख) इस सहमति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. आपाती गर्भनिरोधक गोलियां यथाशीघ्र 2 गोली के पैक में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रत्येक गोली में 0.75 मि.ग्रा. लेवोनोर्जेस्ट्रेल है''

2. मौजूदा परिवार नियोजन बाजार (आउटलैट्स)के साथ-साथ नुस्खे के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कवर करने के लिए यह उत्पाद उपलब्ध कराया जाना जाहिए।

3. दूरदर्शन, रेडियो, समाचार-पत्रों के साथ-साथ ''टेलिफोन हॉटलाइन'' के माध्यम से जनप्रचार जन-जागरूकता अभियानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

4. स्त्री रोग विज्ञानियों, सामान्य चिकित्सा व्यवसायियों, चिकित्सा अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों, सहायक नर्सधात्रियों इत्यादि समेत सभी परिवार नियोजन प्रदायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

5. तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन सेवा प्रदायकों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

6. एक राष्ट्रीय मानीटरिंग कक्ष बनाया जाना चाहिए।

(ग) निर्माताओं और विपणन के लिए अनुमोदन के पश्चात ही आपाती गर्भनिरोधक गोलियां उपलब्ध कराई जायेंगी जिस पर अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में आपाती गर्भनिरोधक गोलियों की शुरूआत के तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित कर दिया गया है। इस दल में इसके सदस्यों में स्त्री रोग विज्ञानी, जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, गर्भनिरोधक गोलियों के निर्माता, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण विशेषज्ञ और महिला सक्रिय कार्यकर्ता हैं।

सफाई कर्मचारी आयोग

***539. डा. संजय पासवान: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये गठित सफाई कर्मचारी आयोग सरकार की उपेक्षा और असहयोग के कारण अपने कर्त्तव्यों का वहन करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आयोग को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त आयोग के कार्यों की समीक्षा करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का फरवरी, 2001 में पुनर्गठन किया गया है। सरकार द्वारा आयोग को अपने कार्यों को करने के लिए अपेक्षित संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा आयोग के कार्यों और अधिकारों का उल्लेख उक्त अधिनियम के अध्याय-3 में है। की-गई-कार्रवाई ज्ञापन के साथ आयोग की वार्षिक रिपोर्टें सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी होती हैं तथा तदनुसार, आयोग की प्रथम दो रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही रख दी गई हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

***540. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने गत पांच वर्षों के दौरान सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की वर्तमान पद्धति को संशोधित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग, अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रमों का स्तर कायम रखा जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, एक नियमित और सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समय-समय पर अद्यतन और संशोधित करता रहता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, पिछले पांच वर्ष के दौरान, सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में 50 विषयों के पाठ्यक्रम संशोधित किए गए तथा उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की योजना में समाविष्ट किया गया। इन विषयों की सूची संलग्न विवरण में है।

सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा योजना की समीक्षा करने की दृष्टि से, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, 2000 में प्रोफेसर वाई.के. अलग की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। उपर्युक्त समिति के विचारार्थ मुद्दों में, मोटे तौर पर, सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा योजना तथा उस

योजना के अनुसार कार्य-संचालन किये जाने की, पहले के अनुभव तथा वर्तमान आवश्यकताओं के मद्देनज़र जाँच-पड़ताल करना और उपर्युक्त योजना, प्रणालियों तथा क्रियाविधियों में ऐसे बदलावों/नवीन प्रक्रियाओं की सिफारिश करना शामिल है जो विभिन्न सेवाओं में/पदों पर नियुक्ति हेतु सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति चुने जाने की दृष्टि से अपेक्षित हों और जो योजना के भाग बनते हों। उपर्युक्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण

पाठ्यक्रमों का संशोधन

विषय

1. लेखा-शास्त्र
2. कृषि
3. मानव विज्ञान
4. अरबी
5. असमी
6. बंगाली
7. वनस्पति-विज्ञान
8. रसायन विज्ञान
9. चीनी
10. सिविल इंजीनियरी
11. अर्थशास्त्र
12. विद्युत इंजीनियरी
13. अंग्रेजी
14. फ्रैन्च
15. सामान्य अध्ययन
16. भूगोल
17. भू-विज्ञान
18. जर्मन
19. गुजराती
20. हिन्दी
21. इतिहास
22. कन्नड़
23. कश्मीरी
24. कोंकणी
25. विधि
26. मलयालम
27. प्रबन्धन
28. मणिपुरी
29. मराठी
30. गणित
31. आयुर्विज्ञान
32. नेपाली
33. उड़िया
34. पाली
35. फ़ारसी
36. दर्शनशास्त्र
37. भौतिक विज्ञान
38. राजनीति-शास्त्र
39. मनोविज्ञान
40. लोक-प्रशासन
41. पंजाबी
42. रूसी
43. संस्कृत
44. सिंधी
45. समाजशास्त्र
46. सांख्यिकी
47. तमिल
48. तेलुगू
49. उर्दू
50. प्राणि-विज्ञान

संसद सदस्यों से पत्र

5411. श्री रामजी मांझी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार जो सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य सामान बेचता है और जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवहार बड़े पैमाने पर है, के कार्यों से संबंधित प्रधानमंत्री और कार्मिक राज्य मंत्री को लिखे गए पत्रों का उत्तर महीनों तक नहीं दिया जाता है जिससे पत्र लिखने का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जहां तक सरकारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों इत्यादि द्वारा खरीददारी का संबंध है केन्द्रीय भण्डार के प्रशासन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आज की स्थिति के अनुसार अनेक पत्र लंबित हैं और प्रधान मंत्री और कार्मिक राज्य मंत्री द्वारा इन पत्रों की प्राप्ति की तारीखें क्या हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन सभी पत्रों का जवाब कब तक दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) संसद-सदस्यों से प्राप्त पत्रों तथा प्रधानमंत्री-कार्यालय और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से मिले संदर्भों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है तथा उन्हें यथाशीघ्र उत्तर भेजा जाना सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इस विभाग को संसद-सदस्यों से, ऐसे बहुत से पत्र मिले थे, जिनमें केन्द्रीय भण्डार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ आदि के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए थे। इन पत्रों में से बहुत से पत्र उन मुद्दों के बारे में थे जो इस विभाग द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, जुलाई 1981 में जारी किए गए कार्यालय विज्ञान में दी गई ढीलों-रियायतों के कारण उठे। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को पूर्णत: वापस ले लिए जाने सहित, उसकी समीक्षा/उसमें संशोधन किए जाने के बारे में, भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी मत प्रकट किए गए हैं।

इस मसले के व्यापक प्रभाव से युक्त और नीति से जुड़े होने के कारण, इसकी वित्त मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य-मंत्रालय के परामर्श से जांच-पड़ताल की जा रही है। इस मसले के बारे में अंतिम निर्णय लेते समय, इसके बारे में संसद सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए मत ध्यान में रखे जाएंगे। इस स्थिति के मद्देनज़र, संसद से मिले पत्रों में से कुछ पत्रों के उत्तर भेजे जाने में विलम्ब हो गया है। यह आशा है कि लंबित चल रहे ऐसे सभी पत्रों के उत्तर जल्दी ही भेज दिए जाएंगे।

केन्द्रीय भण्डार का शासन सुधारने और इसके रोज़मर्रा के कामकाज में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से, उपर्युक्त भण्डार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं और जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं:-

(1) "प्रत्येक भण्डार द्वारा सामान, कोडों के अनुसार बेचा जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मुख्यालय में प्रत्येक भण्डार के बिक्री-सारांश को मॉनीटर करने के प्रयोजन से, एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर-कार्यक्रम लगाया गया है।"

(2) केन्द्रीय भंडार ने आपूर्तिकर्त्ताओं से कीमत की गारंटी के बारे में, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षतिपूर्ति की एक प्रक्रिया शुरू की है कि उपभोक्ता को सामान सर्वोत्तम मूल्य पर मिल सके।

(3) उपभोक्ताओं से प्रतिपुष्टिपरक जानकारी अविलम्ब हासिल करने की दृष्टि से पहले से ही कीमत के भुगतानशुदा सुझाव-पोस्टकार्ड सभी भण्डारों में रख दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों/सुझावों पर कार्रवाई की जाती है। गंभीर शिकायतों के मामले में, अपराध की गंभीरता के आधार पर कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं तथा आपूर्तिकर्त्ता निलंबित अथवा वि-पंजीकृत किए गए हैं।

(4) जहां कहीं संभव हो पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं में प्रतिस्पर्धा लाने की दृष्टि से, उनसे, सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(5) आपूर्तिकर्त्ताओं से किराने के सामान की आपूर्ति/उसकी गुणवत्ता, प्रयोगशाला में उसके परीक्षण के अधीन रहती है और समिति द्वारा निर्धारित कुछ मानदण्डों के आधार पर उसका दरजा तय किया जाता है जो कि पी.एफ.ए. द्वारा निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा ज्यादा कड़े होते हैं।

इस तरह तय किया गया दरजा, बाद की अवधि के संबंध में, उपर्युक्त आपूर्तिकर्त्ताओं की निविदाओं पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है। जो निर्धारित दरजे से कमतर दरजे के सामान वाले पाए जाते हैं, उन आपूर्तिकर्त्ताओं को चेतावनी जारी की जाती है।

तस्करी सिंडीकेट

5412. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के राजनयिकों ने मई, 2000 में भारत में पर्यटक वीजा पर आने वाले उज्बेक राष्ट्रिकों द्वारा चलाए जा रहे तस्करी सिंडीकेट के बारे में जानकारी देते हुए उनके मंत्रालय को कई पत्र भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के राजनयिकों ने सरकार से उनकी गतिविधियों पर नजर और नियंत्रण रखने की भी सलाह दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पत्रों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुला): (क) जी हां।

(ख) ताशकंद स्थित भारत के राजदूतावास ने उजबेकिस्तान तथा अन्य सीआईएस देशों से भारत आने वाले यात्रियों द्वारा वीजा का दुरूपयोग करने तथा सोने एवं नशीले पदार्थों की तस्करी तथा वेश्यावृत्ति जैसी अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(ग) जी हां।

(घ) राजदूतावास ने सभी संबंधित अभिकरणों को बतायी गई अवांछनीय गतिविधियों के विरुद्ध अवगत कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

(ङ) दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने वाले सी आई एस के संदिग्ध यात्रियों की पूरी जांच करने के लिए विस्तृत निर्देश सीमा शुल्क तथा आप्रवासन प्राधिकारियों, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित अभिकरणों को 20.7.2001 को जारी कर दिए हैं।

केन्द्रीय परियोजनाओं की निगरानी

5413. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के परियोजना प्रबंध प्रभाग को 20 करोड़ और इससे अधिक रुपए की लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की निगरानी का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की निगरानी में कितनी परियोजनाएं हैं;

(ग) क्या रेलवे को छोड़कर प्रत्येक मंत्रालय के कार्यकरण की स्थाई समिति के निरीक्षण के बावजूद इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि इनकी मूल लागत की तुलना में 15.5 प्रतिशत तक बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के गहन मूल्यांकन हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 31 मार्च, 2001 तक, 20 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक लागत वाली 466 परियोजनाएं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर थीं। मूल अनुमोदित लागत के संबंध में इन परियोजनाओं की लागत 1,23,359.7 करोड़ रु. से बढ़कर 1,67,745 करोड़ रुपए हो गई है जिसके परिणामस्वरूप 36% की लागत वृद्धि हुई है। अद्यतन अनुमोदित लागत के संबंध में, ये 1,43,345 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,67,745 करोड़ रुपए हो गई है, जो 24,400 करोड़ रुपए, अर्थात, 17% की वृद्धि दर्शाती है। मूल एवं अद्यतन अनुमोदित लागत के संदर्भ में राज्य-वार लागत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) परियोजनाओं के गहन प्रबोधन के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) सरकार द्वारा परियोजनाओं को मासिक तथा साथ ही त्रैमासिक प्रबोधन;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन समीक्षा तथा विलम्ब को कम करने के लिए राज्य सरकारों (भूमि अधिग्रहण तथा आधारी संरचना सुविधाओं जैसे जल, विद्युत के प्रावधान, परियोजना कार्यस्थलों पर कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि के लिए (परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक मंत्रालय में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन;

(4) अंतरमंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतरमंत्रालयी समन्वय;

(5) संशोधित लागत अनुसूची सहित कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अद्यतन लागत पर आधारित उपयुक्त निधियां वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराना;

(6) प्रभारी मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा; तथा

(7) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही निश्चित करने हेतु, 50 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली परियोजनाओं जिनमें समय एवं लागत वृद्धि की सूचना मिली है, के लिए रेलवे के अतिरिक्त 25 मंत्रालय/विभागों में स्थायी समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष संबंद्ध मंत्रालयों के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव होते हैं तथा इसमें योजना आयोग, व्यय विभाग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होते हैं। योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1998 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित इन स्थायी समितियों को समय एवं लागत वृद्धि का ब्यौरा जानने तथा संबंधित उत्तरदायी क्षेत्रों को अभिज्ञात करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने का अधिदेश है। स्थायी समितियों की रिपोर्टें समय एवं लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों का हिस्सा होती हैं जो संशोधित लागत अनुमानों सहित सार्वजनिक निवेश बोर्ड तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के विचारार्थ एक नोट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

विवरण

(31.3.2001 तक का स्तर)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु. में)		अव. प्रत्या.	लागत में वृद्धि के प्रति. के संदर्भ में		मार्च 2001 तक का संचयी व्यय
			मूल	अद्यतन अनुमोदित		मूल लागत	अद्यतन अनुमोदित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	परमाणु ऊर्जा	24	4370.0	7344.0	9913.15	126.8	35.0	2086.06
2.	नागर विमानन	9	948.5	352.6	422.98	21.4	20.0	210.33
3.	कोयला	54	10835.0	11679.5	11840.98	9.3	1.4	6683.05
4.	वित्त	1	118.3	348.8	301.82	155.2	-13.5	268.19
5.	उर्वरक	6	681.0	691.5	821.38	20.6	18.8	183.71
6.	सूचना एवं प्रसारण	4	168.4	215.8	215.81	28.2	0.0	78.31
7.	खानें	4	3807.5	3807.5	3807.46	0.0	0.0	1732.15
8.	इस्पात	7	1460.0	1576.4	1608.78	10.2	2.1	1167.80
9.	पेट्रोलियम	45	31640.4	31625.3	31482.79	-0.5	-0.5	4035.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	ऊर्जा	31	30445.5	42095.9	48870.31	60.5	16.1	19027.02
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	159.9	710.9	780.86	388.2	9.8	104.83
12.	रेलवे	193	26443.8	29269.8	38446.34	45.5	31.4	11891.17
13.	भूतल परिबहन	68	6659.7	7354.1	9528.74	43.1	29.6	5242.46
14.	दूरसंचार	8	1004.0	1004.0	1003.95	0.0	0.0	706.61
15.	शहरी विकास	9	5217.9	5269.9	8699.77	66.7	65.1	1028.86
	कुल	466	123359.7	143345.7	167745.12	36.0	17.0	54446.13

स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम

5414. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से भी सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी अनुमति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) 800 करोड़ रुपए की विश्व बैंक सहायता मांगने हेतु एक एकीकृत स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण सेवा विकास परियोजना कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुई है। यह विचाराधीन है।

डी.आर.डी.ओ. परियोजना

5415. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 180 परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें से केवल 99 परियोजनाएं ही सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ग) लागत वृद्धि से बचने के लिए शेष परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) पिछले दशक के दौरान अलग-अलग समय में तीनों सेनाओं के लिए 180 परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं और इन परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि भिन्न-भिन्न थी। शेष चल रही परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) समस्याओं का पता लगाने और उनके समाधान के लिए परियोजनाओं की आवधिक रूप में कई चरणों में समीक्षाएं की जाती हैं अन्यथा इसके कारण समय और लागत में वृद्धि हो सकती है।

मिग-21 का उन्नयन

5416. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी रूप से उन्नत मिग-21 93 विमान हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की नासिक इकाई में बनकर तैयार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विमान की विशेष और नई विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) उन्नत बनाए गए विमान के आदि प्ररूप के विकास का कार्य पूरा किया जा चुका है, परंतु ऐसे विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट में अभी बनकर तैयार होने हैं। उन्नत बनाए गए विमानों में उन्नत वैमानिकी और उन्नत वेपन डिलीवरी सिस्टम होंगे।

धूम्रपान करने वालों के लिए विशेष क्लीनिक

5417. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार देश में मंत्रालय के सहयोग से 10 स्थानों पर विशेष केन्द्र स्थापित करने का है जो धूम्रपान करने वालों की आदत को छुड़ाने में मदद करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर अनुमानत: कितना व्यय किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न अस्पतालों में प्रायोगिक आधार पर तम्बाकू अवसान क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है जो धूम्रपान करने वालों को उनकी आदत छुड़ाने में सहायता करने के लिए परामर्श और फार्मोकोथिरेपी दोनों प्रदान करेंगे। ये क्लीनिक निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं:-

* मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली।
* टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई।
* स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।
* किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ।
* वैद्य अस्पताल, गोवा।
* जे.एन. कैंसर अस्पताल, भोपाल।
* इंदिरा गांधी हृदय रोग विज्ञान संस्थान, पटना।
* ए.एच. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक।
* भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर।
* एच.एम. पटेल सेंटर फॉर मेडिकल केयर एंड एजूकेशन, कारमसद, गुजरात।

एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति क्लीनिक लगभग 10-11 लाख रुपए का अनुमानित व्यय होगा।

कुष्ठ रोग

5418. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-इंग्लैंड अध्ययन से पता चला है कि कुष्ठ रोग वंशानुगत रूप से फैल सकता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) यू.के. से प्रकाशित होने वाली नेचर (जेनेटिक्स) नामक पत्रिका की जिल्द (वाल्यूम) 27, 2001 पृष्ठ 439-441 में छपी एक अध्ययन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुख्यतया आंध्र प्रदेश में वाईजाग और तमिलनाडु में कुम्भकोणम के 224 परिवारों में मानक जीनोम के 10पी13 पर एक जेनेटिक संद्धता देखी गई जिनमें कुष्ठ के पॉसिबेसिलरी प्रकार के रोग से प्रभावित 245 सगोत्र भाई-बहिन शामिल हैं। यह पहले से ही विदित है कि निकट सम्पर्क में रहने वाले लोगों में संक्रमण होने का अधिक जोखिम रहता है। अध्ययन के इस परिणाम में यह भेद नहीं किया गया है कि ऐसा निकट सम्पर्क के कारण है अथवा जेनेटिक अतिसंवेदनशीलता द्वारा।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में मुफ्त बहुऔषध उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के सभी जिलों को शामिल किया जा रहा है। कुष्ठ रोगियों का जल्दी पता लगाने और उनको बहुऔषध उपचार देने के लिए राज्यों में गहन रोगी पहचान अभियान भी शुरू किए गए हैं। एक बार रोगी को बहुऔषध उपचार देने के बाद घनिष्ठ सम्पर्क से संक्रमण होने का खतरा नगण्य हो जाता है। शक्तिशाली बहुऔषध उपचार विधान उपचार के शीघ्र बाद रोगियों में संक्रमण के भार को काफी हद तक कम कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह सूचित किया गया है कि रिफेम्पीसीन की एकल खुराक ही 99.9% जीवाणुओं (बेसिली) को नष्ट कर देती है।

चिकित्सा संबंधी कदाचार

5419. श्री सुबोध राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 2001 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''एवोइडिंग मेडिकल मालप्रेक्टिस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि चिकित्सक दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में उपचार करने से इंकार न करें और आचार संहिता का अनुपालन करें; और

(घ) आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनता की शिकायतों पर चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित चिकित्सा आचार संहिता के अनुसार एक चिकित्सक को किसी भी आपाती स्थिति में सहायता के लिए अनुरोध करने पर अथवा जब कभी संतुलित (टेम्परेट) जनमत सेवा की अपेक्षा करता है, अनुक्रिया करनी चाहिए। आचार संहिता के उल्लघंन के लिए डाक्टरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदें सक्षम हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास चिकित्सा आचार संहिता के उल्लघंन के लिए डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है परन्तु यह चिकित्सा आचार संहिता को सख्ती से अपनाने के लिए डाक्टरों पर लगातार दबाव डाल रही है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की समीक्षा

5420. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् को पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1987 पर संयुक्त संसदीय समिति ने दिनांक 28 जुलाई, 1989 की अपनी रिपोर्ट में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का दायरा बढ़ाने सहित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में अनेक संशोधनों की सिफारिश की है। सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है क्योंकि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हुए विभिन्न नए विकासों और इसी दौरान भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित विषयों पर दिए गए निर्णयों के मद्देनजर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संस्तुत प्रारूप संशोधन विधेयक में व्यापक संशोधनों पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, चिकित्सा संस्थाओं और विभिन्न संबंधित विभागों के परामर्श से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

5421. श्री सुरेश चंदेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई/जारी की गई/उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने आबंटन में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के संवितरण की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विमुक्त की जाती है और मांगें इस कार्यक्रम के अधीन सहायता के पैटर्न के अनुसार पूरी की जाती हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	482.93	322.86	644.11
अरुणाचल प्रदेश	186.61	303.27	293.79
असम	2170.42	2267.01	2657.87
बिहार	403.05	481.35	87.20
गोवा	7.72	10.93	0.97
गुजरात	611.11	489.04	211.23
हरियाणा	260.39	259.03	78.34
हिमाचल प्रदेश	51.47	46.11	89.06
जम्मू व कश्मीर	72.57	52.73	84.29
कर्नाटक	264.47	662.66	233.38
केरल	102.73	117.72	75.93
मध्य प्रदेश	454.49	893.40	711.54
महाराष्ट्र	260.26	282.97	286.74
मणिपुर	377.34	403.05	235.70
मेघालय	231.55	306.70	303.58
मिजोरम	172.53	309.56	235.26
नगालैण्ड	183.34	240.83	278.91
उड़ीसा	385.14	329.67	547.63
पंजाब	290.67	288.96	148.32
राजस्थान	1994.15	1146.16	286.86
सिक्किम	8.47	11.65	0.12
तमिलनाडु	240.72	392.31	133,91
त्रिपुरा	356.97	375.89	480.94

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	1121.92	622.18	544.11
पश्चिम बंगाल	330.90	296.36	454.47
दिल्ली	37.21	75.40	100.46
पांडिचेरी	6.15	10.32	13.55
अंडमान व निकोबार	155.68	116.46	231.76
चंडीगढ़	44.30	47.25	44.79
दादरा व नगर हवेली	24.90	25.94	18.12
दमण व दीव	10.08	16.42	9.90
लक्षद्वीप	5.24	5.81	5.57
योग	11305.48	11210.00	9518.41
काला आजार	1000.00	1000.00	1000.00
ई ए सी	3517.39	6064.95	7389.73
स्था./प्रचार अनुसंधान	571.10	541.35	1271.41
महायोग	16393.97	18816.30	19179.55

[अनुवाद]

पासपोर्ट शुल्क

5422. श्री टी. गोविन्दन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय के मुताबिक पासपोर्ट जारी करने के लिए 1500 रुपये से 3000 रुपये तक भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आवेदकों को सामान्य दर पर निर्धारित अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ठमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) कुछ पासपोर्ट आवेदकों द्वारा बारी से पहले पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध आवेदनों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1.1.2000 से तत्काल योजना क्रियान्वित की गई है। तत्काल योजना केवल वास्तव में शीघ्रता के मामले पर ही लागू होती है जहां या तो पुलिस जांच अपेक्षित न हो अथवा जहां पूर्व पुलिस जांच के भारत सरकार के उप सचिव स्तर अथवा इसके ऊपर के स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी जांच प्रमाण-पत्र के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत 1500 रुपए के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान होने पर आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और 1000/-रुपए का भुगतान करने पर आवेदन प्राप्त होने से 11 से 35 दिन के भीतर पासपोर्ट जारी होगा।

(ग) से (ङ) सरकार का यह प्रयत्न है कि सामान्य पासपोर्ट शुल्क का भुगतान करने पर 5-6 सप्ताह में पासपोर्ट जारी किए जाएं बशर्ते कि अनापत्तिपूर्ण पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और पासपोर्ट आवेदन-पत्र प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो तथा बिना बारी की सेवा प्रदान न की गई हो।

इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी

5423. श्री राम नगीना मिश्र: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में किन-किन राज्यों में इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी पद्धति पर प्रतिबंध है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली राज्य में इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी पद्धति के संबंध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार से कहा था;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने इस मामले में दिशानिर्देशों के लिए सरकार से संपर्क किया है;

(घ) क्या सरकार देश में चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धति के रूप में इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सरकार द्वारा इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं दी गई है इसलिए देश के उन राज्यों के नामों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं जिनमें इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी पर प्रतिबंध है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी 4015/96 और 8468/97 में दिनांक 18.11.98 के अपने आदेश में केन्द्र/राज्य सरकारों को इलैक्ट्रोपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न मुद्दों पर विधान बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों की स्थायी समिति जिसका गठन सरकार द्वारा इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के दावों की जांच करने और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधान बनाने की व्यवहार्यता की भी जांच करने हेतु किया गया था, ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विस्तृत जांच के पश्चात् समिति की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

गरीबी उपशमन संबंधी कृतक बल

5424. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन हेतु कोई कृतक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल ने योजना आयोग को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासिनक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन हेतु कोई कृतक बल गठित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुर्दा खराब होना

5425. श्री जे. एस. बराड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेरीटोनियल डायलिसीस (पी.डी.) से गुर्दा खराब होने वाले रोगियों को जीवन-यापन में आसानी होती है;

(ख) भारत में स्थित उन सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली प्रयोग में लाई गई है और इसके इस्तेमाल के लिए कितना शुल्क वसूल किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लाभान्वितों से लिए जाने वाले शुल्क का उन्हें पुनर्भुगतान किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। पेरीटोनियल डायलिसीस वृक्कपात वाले रोगियों के उपचार की एक स्थापित विधि है। पेरीटोनियल डायलिसीस का एक प्रकार कन्टिन्यूअस एम्बूलेटरी पेरीटोनियल डायलिसीस है जिसमें रोगी बिना किसी उपकरण की मदद से घर पर डायलिसीस कर सकता है।

(ख) और (ग) पेरीटोनियल डायलिसीस दिल्ली में राम मनोहर लेहिया अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बत्रा अस्पताल, अपोलो अस्पताल, मूलचंद खैराती राम अस्पताल, आनन्द अस्पताल, कैलाश मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर, जी एम मोदी अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, जयपुर गोल्डन अस्पताल, धर्मशिला कैंसर अस्पताल आदि जैसे अनेक सरकारी तथा निजी अस्पतालों में किया जाता है। दिल्ली से बाहर भी यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, संजय गांधी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लोर और अपोलो अस्पताल, चेन्नई आदि अनेक अस्पतालों में किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में ऐसा उपचार नि:शुल्क उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में लिया गया उपचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित दरों, जो कि दवाइयों और विविध वस्तुओं (संड्रीस) सहित 1000/- रुपए है, के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं

5426. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. लाभान्वितों की आपात स्थिति में केन्द्रीय सरकार योजना का कार्ड, पहचान-पत्र दिखाने पर किसी भी निकटवर्ती केन्द्रीय सरकार योजना के औषधालयों में उपचार कराने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सेवारत चिकित्सकों/कर्मचारियों की कमी के लिए उपभोक्ता निवारण प्रकोष्ठ और दिल्ली चिकित्सा परिषद् को अपनी शिकायतें भेज सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं: और

(च) उन निकायों/संस्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को आपात स्थिति में उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्रस्तुत करने पर नजदीक के किसी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति है।

(ख) भारत सरकार ने सेवारत कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों के दौरे, अवकाश पर रहने अथवा किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/मान्यताप्राप्त अस्पताल के दायरे से बाहर आकस्मिक आपात स्थिति में अथवा गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के मामले में उनके द्वारा किसी प्राधिकृत चिकित्सक से और मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकने के संबंध में पहले ही अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) 1995 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 219 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 9 फरवरी, 1996 के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की शिकायतों पर उपभोक्ता विवाद निपटान कक्ष द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता नहीं है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दी गई सेवाएं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषा के अनुसार 'सेवा' के अन्तर्गत नहीं आती। इसी प्रकार दिल्ली की आयुर्विज्ञान परिषद् भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित एक निकाय है।

(च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में लाभार्थियों की शिकायतों/परिवादों को निपटाने के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निपटान तंत्र है जिसमें पहला तंत्र औषधालय स्तर पर और दूसरा तंत्र नगर स्तर पर है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालयों से अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाला तीसरा तंत्र है और इसमें प्रशासनिक सुधार और जनशिकायत विभाग तथा जे सी एम के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

केन्द्रीय भण्डार की खरीद नीति

5427. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार में नई खरीद नीति सिर्फ आई.एस.आई. मार्का वाली वस्तुओं को ही खरीदने की सिफारिश करती है;

(ख) यदि हां, तो लेखन सामग्री विभाग में आई.एस.आई. मार्का वाले वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और क्या आई.एस.आई. मार्का वाली वस्तुएं खरीदने के बजाए गैर-आई.एस.आई. मार्का वाली वस्तुएं ही खरीदी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो केवल आई.एस.आई. मार्का वाली ही वस्तुएं खरीदने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्रय और निविदा नीति से संबंधित नियम, विनियमन और कानून क्या हैं;

(ङ) क्या इन्हें सार्वजनिक किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। क्रय-नीति में यह उल्लेख है कि जहां तक संभव हो, एग्मार्क, आई.एस.आई. मार्क वाले, अनुमोदित गुणवत्ता के उत्पाद खरीदे जाएं।

(ख) लेखन-सामग्री-विभाग में बेची जा रहीं, आई.एस.आई. मार्क वाली तेजी से जल्दी ही बिक जाने वाली वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण में है। जहां कहीं उपभोक्ता किसी उत्पाद के आई.एस.आई. मार्क का होने या नहीं होने पर ध्यान दिए बिना किसी ब्रैंड विशेष के नाम के उत्पाद की मांग करते हैं वहां उनकी आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से उन्हें उस ब्रैंड विशेष के नाम का उत्पाद खरीद कर दिया जा रहा है।

(ग) (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, कोई टिप्पणी नहीं।

(घ) निविदा आमंत्रित करते समय आई.एस.आई. विनिर्देश के संबंध में एक खण्ड निम्नानुसार समादिष्ट किया जाता है:

> "यदि निविदा फॉर्म में उल्लिखित वस्तुएं बाजार में, आई.एस.आई. मार्क सहित सुलभ हो तो निविदादाता अधिमानत: यह उद्धृत करे कि उसका उत्पाद आई.एस.आई. मार्क वाला है। बाजार में आई.एस.आई. मार्क से युक्त उत्पाद सुलभ नहीं होने अथवा उसके संबंध में आई.एस.आई. विनिर्देश निर्धारित नहीं किए हुए होने की स्थिति में, निविदादाता उस उत्पाद का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करे।"

(ङ) निविदा-दस्तावेज बिक्री हेतु सुलभ रहता है तथा यदि इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता निविदा-प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हों तो वे उसे खरीद सकते हैं।

(च) (ङ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, कोई टिप्पणी नहीं।

विवरण

आई.एस.आई. मार्क वाली उन वस्तुओं की सूची जो लेखन-सामग्री के काउंटरों से बेची जा रही हैं

क्र.सं.	वस्तु	ब्रैंड
1.	फिनाइल	त्रिशूल 5 लीटर टाइगर 5 लीटर किलर 5 लीटर बेंगाल 5 लीटर
2.	नेपथलीन बॉल	टाइगर त्रिशूल
3.	लिक्वड साबुन	होमाकोल टाइगर स्नोवॉइट
4.	कपड़े धोने का साबुन	क्रांति
5.	क्लीनिंग पाउडर	सुपर दमक मंजुला
6.	घरेलू कीटनाशक	फिनिट
7.	अग्नि-शामक	कैस्केड
8.	स्टेपल पिन	टोयो
9.	बिजली के स्विच	कॉन्स,एंकर
10.	गीज़र	क्राउन

नौ-सूत्री कार्य योजना

5428. श्री एम. के. सुब्बा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में संघर्ष विराम का दायरा बढ़ाने संबंधी समझौता के कारण असम, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हाल के प्रदर्शन को देखते हुए इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु नौ-सूत्री कार्य योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमारियों के आपरेशन पश्चात् पालन किए जाने वाले मानदंड

5429. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित विभिन्न अस्पतालों में तंत्रिका शल्य चिकित्सा, हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा प्लीओनटेटम आदि के उपचार हेतु आपरेशन पश्चात् पालन किए जाने वाले मानंदड में संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोगों की अनुवर्ती चिकित्सा जीवनभर चलती है और हर समय इसे पुनर्नवीनीकरण कराना बहुत जटिल होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा हेतु इस उपबंध को हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उच्चस्तरीय समिति

5430. श्री पी. डी एलानगोवन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की निगरानी और निर्देश हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आकार और कुल उत्पादन एवं निर्यात में इसके योगदान के संबंध में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें उद्योग, शैक्षणिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास संगठनों के सदस्य शामिल हैं: जिसका उद्देश्य उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान करना तथा विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए उपाय/नीतियां/कार्रवाइयों का सुझाव देना, मानव संसधान विकास और सम्पदा सृजन, आर्थिक विक ास की गति तेज करने एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सहायता देना जिससे भारत को महाशक्ति बनाया जा सके विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। समिति सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे कि ई-शासन, ई-वाणिज्य, सुदूर अधिगम, अंकीय लाइब्रेरी आदि के तीव्र विकास तथा प्रसार के लिए भी उपाय सुझाएगी।

(ग) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व पर राज्यवार महत्व नहीं दिया गया है। उद्योग के वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा नैस्कॉम सीआईआई, मैट, ईएससी तथा एसोचैम जैसे विभिन्न औद्योगिक संगठनों/संघों के अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है।

(घ) सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	सदस्य

3.	श्री एफ.सी. कोहली, उपाध्यक्ष, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	-	सदस्य
4.	श्री एन. आर. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्फोसिस टेक. लि.	-	सदस्य
5.	श्री अज़ीम प्रेमजी, अध्यक्ष, विप्रो कार्पोरेशन	-	सदस्य
6.	श्री सुभाष चन्द्र, अध्यक्ष, एसेल ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	-	सदस्य
7.	श्री बी. रामलिंग राजू, अध्यक्ष, सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि.	-	सदस्य
8.	श्री आर.एस. पवार, अध्यक्ष, एनआईआईटी लि.	-	सदस्य
9.	श्री राजीव चन्दशेखर, मुख्य प्रबंध निदेशक, बीपीएल, दूरसंचार व्यवसाय ग्रुप	-	सदस्य
10.	प्रो. अशोक मिश्रा, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	-	सदस्य
11.	श्री फिरोज वेन्द्रेवाला, अध्यक्ष, नैसकॉम	-	सदस्य
12.	श्री सतीश कौड़ा, अध्यक्ष, सैमटेल इण्डिया लि.	-	सदस्य
13.	श्री चिरायु आर. अमीन, अध्यक्ष, फिक्की	-	सदस्य
14.	श्री संजीव गोयंका, अध्यक्ष, सीआईआई	-	सदस्य
15.	श्री सुनील भारती मित्तल, अध्यक्ष, भातीय टेलीकॉम	-	सदस्य
16.	श्री विवेक सिंघल, अध्यक्ष, ईएससी	-	सदस्य
17.	श्री विनय एल. देशपांडे, अध्यक्ष, एमएआईटी	-	सदस्य
18.	श्री रघु मोदी, अध्यक्ष, एसोचैम	-	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव (आईपी कक्ष), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	संयोजक

[हिन्दी]

विदेश में भवनों का निर्माण/खरीद

5431. श्री ए. नरेन्द्र: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मिशन/दूतावासों द्वारा विदेश में देश-वार कुल कितने भवन किराए पर लिए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर देश-वार कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने अपने मिशनों/दूतावासों के लिए भवनों का निर्माण या खरीद के संबंध में निवेदन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुला): (क) और (ख) किराए पर लिए गए भवनों की कुल संख्या तथा वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान उन पर किया गया कुल खर्च को दर्शाने वाला देशवार एक विवरण संलग्न है। इस सूचना को संक्षिप्त में नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

	1998-1999	1999-2000	2000-2001
किराये पर लिए भवनों की कुल संख्या	1900	1967	1944
उन पर किया गया कुल खर्च (करोड़ रुपए)	130.53	139.66	142.16

(ग) भारत सरकार ने इथोपिया, कजाकस्तान, रूस, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम और युगोस्लाविया में भूखण्ड का अनुरोध किया है। सरकार ने राजदूतावास भवन के निर्माण के लिए बंगलादेश, बोत्स्वाना, ब्राजील, चीन, मारीशस, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पोलैण्ड, कतर, रूस, तंजानिया, त्रिनीडाड तथा टोबोगो एवं उजबेकिस्तान में भूखण्ड अर्जित कर लिए हैं। जहां तक निर्मित

सम्पतियों की खरीद का संबंध है, तेहरान (ईरान) और दमिश्क (सीरिया) में क्रमश: राजदूत के आवास और चांसरी परिसर के लिए सम्पतियां तय कर ली गई हैं। न्यूयार्क में स्थायी प्रतिनिधि के आवास, शिकागो में प्रधान कौंसल का आवास और वाशिंगटन में सांस्कृतिक केन्द्र की खरीद के लिए प्रस्ताव इस समय प्रारम्भिक जांच की अवस्था में हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	मिशन/केन्द्र का नाम	पट्टे पर ली गई सम्पत्तियों की कुल संख्या			दिया गया कुल किराया		
			1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आईवरी कोस्ट	आबिदजान	8	8	8	6698888	3705460	4712635
2.	संयुक्त अरब अमीरात	आबु धाबी	26	26	29	20434375	21764653	23063166
3.		दुबई	31	31	31	15879000	15927000	17744000
4.	घाना	अकरा	11	11	10	2747192	4318696	4106883
5.	इथोपिया	अदिस अबाबा	11	11	11	3051864	3386075	4745227
6.	अल्जीरिया	अल्जीयर्स	9	3	10	11665664	10982696	8605333
7.	कजाकस्तान	अल्माती	13	13	14	19250633	6853117	8893786
8.	जोर्डन	अम्मान	7	7	7	1274099	1746797	1870452
9.	तुर्की	अंकरा	9	8	9	3045000	2234620	3571601
10.		इस्तोबुल	8	8	8	7889005	7272320	7098084
11.	मेडागास्कर	अन्तानानारिवो	6	6	6	1963831	1812453	1840133
12.	तुर्कमेनिस्तान	असगाबात	10	13	13	4746622	10454827	9068907
13.	यूनान	एथेन्स	6	6	5	2517626	2259397	1662616
14.	इराक	बगदाद	9	9	10	1113957	1104471	1219278
15.	बहरीन	बहरीन	20	20	20	14101371	13310964	14449094
16.	अजरबेजान	बाकू	0	6	6	106761	13913673	8893188
17.	थाईलैंड	बैंकाक	23	23	24	9446488	9969904	9539969
18.		चियांगमाई	4	4	4	1223802	1366153	1401824
19.	लेबनान	बेरूत	15	15	15	6158328	5992139	7559068
20.	युगोस्लाविया	बलग्रेड	9	9	8	8271491	7350796	8075399
21.	चीन	बीजिंग	37	38	39	19672327	25729091	26844600
22.		हांगकांग	8	8	9	16070904	15845455	18987293

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.		संघाई	10	10	10	22057193	21906334	21894047
24.	जर्मनी	बर्लिन	11	33	36	11942764	29424255	41263715
25.		बोन	37	35	9	33098295	20521548	3660209
26.		फ्रैंकफर्ट	9	8	8	7208000	4900000	4138000
27.		हेमबर्ग	5	5	5	6813701	6550081	5130358
28.	स्वीटजरलैंड	बर्न	6	6	6	7220191	7515919	7315038
29.		सीजीआई जिनेवा	–	–	–	–	–	–
30.		पी एम आई जिनेवा	32	33	35	60082210	54958187	59386546
31.	किर्गिजस्तान	विश्केक	13	13	15	6854464	3667731	4322685
32.	कोलम्बिया	बगोटा	9	9	9	7113501	7587459	8189504
33.	ब्राजील	ब्रासिलिया	10	12	12	11895610	14696330	11671347
34.		साओपालो	6	5	5	8047410	8166775	8975067
35.	स्लोवाक गणराज्य	ब्रातिस्लावा	9	9	9	8686700	10095700	9329300
36.	ब्रूनी	ब्रूनी	11	12	12	13435953	13908477	13935905
37.	बेलजियम	ब्रूसेलस	13	13	14	9333743	9614314	10239202
38.	रोमानिया	बुखारेस्ट	10	10	10	9016753	9505586	10429806
39.	हंगरी	बुडापेस्ट	7	7	6	5766657	5203063	4343184
40.	अर्जेंटिना	ब्यूनस अयर्स	10	10	11	11858000	13501000	14691000
41.	मिस्र	काहिरा	34	34	33	7149092	7548968	9415230
42.		पोर्ट सेड	5	5	0	982429	934690	0
43.	आस्ट्रेलिया	केनबरा	0	0	0	0	0	0
44.		सिडनी	13	13	13	10885467	11941586	11746479
45.	वेनेजुएला	कराकस	6	7	8	3659678	4624825	6657772
46.	श्रीलंका	कोलम्बो	38	39	38	6923207	6105918	7173059
47.		केन्डी	9	9	9	759797	1395342	1420480
48.	डेनमार्क	कोपेनहेगन	6	6	6	2643582	2502613	2353012
49.	सेनेगल	डकर	7	7	7	2322845	2366218	2162994

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	सीरिया	दमिश्क	16	16	16	6854512	6573049	6231356
51.	तंजानिया	दारूसलम	13	14	13	9880819	11232613	10436117
52.		जंजीबार	4	4	4	1568323	1550340	1647099
53.	बंगलादेश	ढाका	80	81	81	27667000	15516000	15117000
54.		चिटगांव	14	14	14	1666489	1838846	2014002
55.		राजशाही	7	7	7	404974	399301	742676
56.	कतर	दोहा	22	22	17	14510704	14615059	11139453
57.	आयरलैंड	डबलिन	6	6	6	3754984	3416921	3263407
58.	ताजिकस्तान	दुशान्बे	11	11	17	4951595	4727756	7288301
59.	बोत्स्वाना	गबोरोन	11	11	10	5925098	5861915	5431532
60.	फीलीस्तीन	गाजा	5	5	5	4712574	4085215	5285016
61.	गयाना	जार्जटाउन	9	9	9	5424019	5421319	5430940
62.	नीदरलैंड	हेग	9	9	9	7005580	7093327	7111441
63.	वियतनाम	हनोई	18	18	18	15279756	15466271	13178929
64.		होचिमिन्ह सिटी	5	5	5	4293104	5679508	5901750
65.	जिम्बाव्वे	हरारे	7	7	7	503063	594904	738176
66.	क्यूबा	हवाना	8	8	8	5246731	6254620	7666798
67.	फिनलैंड	हेलसिंकी	7	7	7	6538878	6395276	5506694
68.	पाकिस्तान .	इस्लामाबाद	60	64	70	12198424	20700244	16745556
69.	इन्डोनेशिया	जकार्ता	7	10	7	4356000	4974000	4416000
70.		मैदान	2	2	2	85136	0	18828
71.	सऊदी अरब	रियाद	0	0	0	0	0	0
72.		जद्दाह	40	40	39	30288741	26496587	33553050
73.	उगांडा	कम्पाला	8	8	8	3917909	2877015	5292838
74.	नेपाल	काठमांडू	35	34	34	4387812	3608620	3611632
75.	सूडान	खारतूम	4	4	4	3438944	3604870	3393121
76.	उक्रेन	कीव	14	13	13	17431208	18651666	16723666

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	जमैका	किंगस्टन	8	8	8	4974661	6014144	6242435
78.	मलेशिया	कुआलालमपुर	3	3	3	1640907	1757044	1815623
79.	कुवैत	कुवैत	22	22	21	15844831	12373355	11531247
80.	नाइजीरिया	लागोस	1	1	1	1128600	1110015	1110015
81.	पेरू	लीमा	4	4	4	1730413	1886571	2067919
82.	पर्तगाल	लिस्बन	7	6	7	4168107	3487588	3596600
83.	यू.के.	लन्दन	12	12	12	15870118	30872400	32479753
84.		बर्मिंघम	13	14	14	13013919	12159910	10776000
85.		एडिनबरा	9	9	8	8350905	8045788	6202529
86.	अंगोला	लूआण्डा	8	8	8	5776004	5454802	5336932
87.	जाम्बिया	लूसाका	3	3	4	563115	519083	759339
88.	स्पेन	मेड्रिड	12	13	11	7013306	6479491	7093556
89.	सेशेल	माहे	4	4	4	2552707	2749401	2330193
90.	मालदीव	माले	18	18	19	11255682	12595649	13188780
91.	माल्टा	माल्टा	3	3	3	1477778	1586110	1430000
92.	फिलिपीन्स	मनीला	11	11	11	5692495	6667687	6206125
93.	मोजाम्बिक	मापूतो	8	9	9	3555094	3804277	4176416
94.	मैक्सिको	मैक्सिको सिटी	5	5	5	2876540	3143734	3601833
95.	बेलारूस	मिंस्क	8	8	8	5649349	5660960	5483811
96.	रूस	मास्को	94	105	105	66188440	66358367	75666110
97.		सेंट पीटर्सबर्ग	3	3	3	8538651	8337822	447795
98.		व्लाडिवोस्टक	8	8	8	7793261	5153227	5817188
99.	ओमान	मस्कत	27	27	27	15003331	16825721	22456246
100.	कीनिया	नैरोबी	1	1	1	906726	1641514	1832085
101.		मोम्बासा	7	7	4	1188000	1190000	772600
102.	साइप्रस	निकोसिया	6	6	6	1708027	1610258	1383971
103.	नार्वे	ओस्लो	4	5	5	2929844	3287769	3588494

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.	कनाडा	ओटावा	6	8	7	2569695	3828258	4190339
105.		टोरन्टो	15	16	16	15744144	17736766	21127293
106.		वैंकूवर	16	17	17	10648089	11776665	14073095
107.	बुरकीना फासो	ओयूगाडोयूगोयू	3	3	3	703258	1075400	2319000
108.	पनामा	पनामा	8	7	8	7318241	7676809	7170774
109.	सूरीनाम	पारामारिबो	8	8	8	2288944	2493117	2793802
110.	फ्रांस	पेरिस	9	10	8	8571736	10684821	8047848
111.	कम्बोडिया	नाममेन्ह	9	9	9	6786695	6238934	7271310
112.	मारीशस	पोर्ट लुई	17	17	17	9666266	8751722	9585940
113.	पपुआ न्यू गिनी	पोर्ट मोर्सबे	7	6	6	10752973	5498830	3618836
114.	त्रिनीडाड तथा टोबेगो	पोर्ट आफ स्पेन	4	5	5	1302290	1834361	2537786
115.	चेक गणराज्य	प्राग्वे	13	14	14	1665620	17727767	19466451
116.	द. अफ्रीका	प्रिटोरिया	12	12	11	5441588	6708338	6560160
117.		केप टाउन	4	4	4	3700000	4400000	3752000
118.		डर्बन	15	15	14	16663000	11562000	10026701
119.		जोहन्सबर्ग	11	11	11	9380547	10249113	9384931
120.	डी.पी.आर. कोरिया	प्योंगयांग	5	5	5	1180002	1231288	1287362
121.	मोरक्को	रबात	8	8	8	2166234	2144876	2086990
122.	इटली	रोम	24	25	26	26428495	25312389	26274198
123.		मिलान	5	5	5	5858250	6087487	6084064
124.	यमन	साना	10	10	10	5481791	5706628	5970832
125.	चिली	सान्तियागो	4	4	4	1493945	1452415	1494135
126.	कोरिया गणराज्य	सिओल	14	9	9	14693424	12385423	13983777
127.	सिंगापुर	सिंगापुर	11	12	11	20050630	20534171	23338886
128.	बुलगारिया	सोफिया	9	9	9	6079977	8095351	6498848
129.	स्वीडन	स्टाकहोम	14	14	14	14041005	14554288	12788823

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130.	रियूनियम आईलैंड	सेंट डेनिस	4	4	4	3379021	3273568	2967727
131.	फिजी	सूवा	5	8	10	178757	5581477	8910998
132.	उजबेकिस्तान	ताशकंद	15	15	15	10924252	10076717	8046661
133.	ईरान	तेहरान	34	34	32	12523131	12280040	14294166
134.		शिराज	4	4	4	623581	587430	746646
135.		जाहिदान	4	4	4	780529	503501	1066978
136.	इजरायल	तेल अबीव	21	21	21	27914995	26712195	27100095
137.	भूटान	थिम्पु	0	1	1	0	21600	35100
138.		फुंटसोलिंग	6	6	6	195230	216800	232700
139.	जापान	टोक्यो	10	11	11	19029256	22215653	25360006
140.		ओसाका-कोबे	6	6	6	15098624	16717823	18226248
141.	लिबीया	त्रिपोली	13	14	15	7039382	14760769	7397719
142.	ट्यूनिशिया	ट्यूनिस	7	6	5	1431856	1299573	1130980
143.	मंगोलिया	उलान बातर	6	6	6	2706960	3265502	4007132
144.	आस्ट्रिया	वीयना	14	14	14	9843805	10476660	11959589
145.	लाओ पी डी आर	वीयनताने	3	3	3	2737981	2858839	3314289
146.	पोलैंड	वारसा	12	12	12	12958136	14751466	18848327
147.	यू एस ए	वाशिंगटन	42	42	43	19730173	22832000	27662181
148.		शिकागो	13	13	13	22382686	23588454	24899984
149.		ह्यूस्टन	11	11	11	14391022	15254249	16487287
150.		सी जी आई न्यूयार्क	8	9	11	4040489	8516317	9889313
151.		पी एम आई न्यूयार्क	15	15	15	19524822	22268358	23808424
152.		सान फ्रांसिस्को	10	10	10	7578746	11385962	10737605
153.	न्यूजीलैंड	वेलिंगटन	8	8	8	4788000	5172000	4755000
154.	नामीबिया	विंडहोक	3	2	2	664954	601500	490282

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.	म्यांमा	यांगोन	16	17	17	2966181	3672080	3797304
156.	अर्मेनिया	येरेवान	4	6	6	1170438	8546085	5302292
157.	क्रोएशिया	जगरेब	8	9	9	7472026	7589650	7300622
		योग	1900	1967	1944	1805291677	1396635550	1421550848
		योग (पूर्ण करना)			(करोड़ रुपए)	130.53	139.66	142.16

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त सूचना में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों/कार्मिकों के लिए पट्टे पर ली गई कार्यालय तथा रिहायशी प्रयोजनों की सभी सम्पत्तियां शामिल हैं।

2. सी.जी.आई. जिनेवा पी.एम.आई. जिनेवा का एक भाग है, इसलिए सम्पत्तियों और व्यय को मिला दिया गया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी षड्यंत्र

5432. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हिमनद पर कोयला राख विखेरा है जैसा कि दिनांक 30 मई, 2001 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार ने हिमनद के कृत्रिम रूप से गलन संबंधी पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बारे में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। इन खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

कुछ देशों ने वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए इस प्रकृति के प्रयोग किये हैं। ज्ञान की वर्तमान स्थिति इस बात का संकेत देती है कि इस प्रकार के प्रयोगों का गलन प्रक्रिया पर कोई महत्वपूर्ण व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है चूंकि इस प्रकार की प्रक्रियाएं घटकों की एक जटिल श्रृंखला द्वारा प्रभावित होती है।

सरकार सतर्क है, और यदि आवश्यक होता है, तो कोई उपयुक्त प्रतिक्रिया बनाने के लिए सक्षम है।

[अनुवाद]

अफगानी शरणार्थी

5433 श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अफगानी शरणार्थी भारत में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारत इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो कब से और यह कितनी है;

(ङ) क्या सरकार भारत में और अफगानी शरणार्थी रखने के लिए तैयार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध के कारण, इस समय पर्याप्त संख्या में अफगान राष्ट्रिक भारत में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार भारत में 12083 पंजीकृत अफगान राष्ट्रिक रह रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी परम्परागत मैत्री नीति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मूल के उन लोगों सहित, सभी अफगान राष्ट्रिकों, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट के साथ आए थे, बेरोकटोक प्रवास की अनुमति दी जा रही है, उन्हें छमाही आधार पर वीजा की समयावधि बढ़ाई जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) 28 मई, 2001 को संपन्न एक प्रेस सम्मेलन में, विदेश मंत्री ने कहा था कि वे सभी लोग जो तालिबान के विचार का समर्थन नहीं करते हैं और जो अफगानिस्तान छोड़ते हैं तथा भारत से अस्थायी शरण मांगते हैं उन्हें शरण दी जाएगी।

[हिन्दी]

समुद्री सीमा का अतिक्रमण

5434. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अरब सागर में भारत की समुद्री सीमा का अतिक्रमण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अरब सागर में भारत-पाकिस्तान की समुद्री सीमाओं का औपचारिक रूप से रेखांकन नहीं किया गया हैं। कुछ अवसरों पर भारत और पाकिस्तान दोनों ओर के मछेरे-एक-दूसरे के समुद्री क्षेत्रों का अतिक्रमण कर देते हैं।

अरब सागर में भारतीय नौ-सेना ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखती है और जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि सर क्रीक में भू-सीमा का रेखांकन अरब सागर में भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा का रेखांकन कार्य आरंभ होने से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। सरकार ने पाकिस्तान को प्रस्ताव किया है कि सर क्रीक में भू-सीमा कार्य को औपचारिक रूप दिए जाने तक भारत-पाकिस्तान सीमा के रेखांकन कार्य को समुद्री क्षेत्र से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से आरंभ करके भू-क्षेत्र तक ले जाने पर विचार किया जा सकता है।

शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अन्तर्गत, जो कि भारत-पाकिस्तान संबंधों की आधार-शिलाएं हैं, सरकार सीधे द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सभी बकाया मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध है।

भारत-इराक संबंध

5435. श्री पी.आर. खुंटे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे प्रधान मंत्री ने इराक के पुनर्निर्माण में भारत की रुचि प्रदर्शित करते हुए इराक के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पत्र के बाद द्विपक्षीय संबंध में किस हद तक सुधार हुआ है और इस संबंध में कूटनीतिक स्तर पर की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) विदेश राज्य मंत्री 22-25 सितम्बर, 2000 की अपनी इराक यात्रा के दौरान इराक के राष्ट्रपति के लिए अपने प्रधान मंत्री का पत्र साथ ले गए थे और उनके साथ उच्चस्तरीय व्यावसायिक शिष्टमंडल भी गया था।

(ग) इस यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भारत-इराक संयुक्त आयोग की 25-26 नवम्बर, 2000 के बीच बैठक सम्पन्न होने के साथ-साथ इराक के उपराष्ट्रपति श्री ताहा यसीन रमाधन की 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2000 तक की यात्रा भी सम्पन्न हुई। इराक के उप राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निम्नलिखित दो करार सम्पन्न हुए;

(1) आर्थिक, तकनीकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध करार।

(2) दक्षिणी इराक में अन्वेषण ब्लाक नं. 8 में अन्वेषण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग-विदेश लिमि. और इराकी तेल अन्वेषण कम्पनी के बीच करार।

भारत और इराक के बीच आर्थिक पारस्परिक क्रिया को भारत-इराक संयुक्त आयोग की रूपरेखा के भीतर सुदृढ़ बनाया गया है। इसी संदर्भ में, इराक के परिवहन और संचार मंत्री ने

हमारे संचार मंत्री के आमंत्रण पर 4 से 9 जुलाई, 2001 तक भारत की यात्रा की। सिद्धान्त रूप में संचार और रेलवे के क्षेत्रों में संयुक्त कार्य दल की स्थापना का निर्णय ले लिया गया है।

संगीत उद्योग के प्रमुख व्यवसायी की हत्या के आरोपी का प्रत्यावर्तन

5436. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगीत उद्योग के प्रमुख व्यवसायी गुलशन कुमार की हत्या का प्रमुख अभियुक्त ब्रिटेन में रह रहा है और उसने अब वहीं रहने का निर्णय कर लिया है एवं ब्रिटेन सरकार से शरण मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके प्रत्यावर्तन के लिए ब्रिटेन सरकार के साथ कोई वार्ता की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री नदीम अख्तर सैफी जुलाई, 1997 से 14 मार्च, 2001 तक यू.के. में थे क्योंकि उनके प्रत्यर्पण से सम्बद्ध भारत का अनुरोध यू.के. की सरकार के पास विचाराधीन था। लन्दन में सम्बन्धित डिवीजनल कोर्ट ने प्रत्यर्पण अनुरोध दिसम्बर, 2000 में अस्वीकार कर दिया था। इस निर्णय की अपील की अनुमति के लिए भारत के अनुरोध को हाउस आफ लार्डस ने मार्च, 2001 में अस्वीकार कर लिया था। तब से भारत सरकार को न तो उनकी गतिविधियों की जानकारी है और न ही उनके द्वारा यू.के. प्राधिकरण से शरण लेने के लिए किए गए अनुरोध की।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण

5437. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और गैर-सरकारी विभागों/संगठनों की सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देने हेतु संसद में विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.एल.टी. छात्रों को दाखिला

5438. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के एम.एल.टी. में प्रशिक्षु प्रशिक्षण में दाखिले के लिए दिए गए विज्ञापन संख्या डी.ए.वी.पी. 7551 (3) 2001 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वी क्षेत्र (बिहार, उड़ीसा और बंगाल) के छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या बिहार के उन छात्रों को, जिनके पास व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों में डिप्लोमा और शैक्षिक योग्यता है, उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों और चंडीगढ़ में भी दाखिला देने से मना किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के सी.बी.एस.ई. से उत्तीर्ण हुए 10 + 2 व्यावसायिक एम.एल.टी. के उम्मीदवारों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के पात्र उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाता है और उसके बाद यदि सीटें खाली रहेंगी तो पूर्वी क्षेत्र - बिहार, उड़ीसा और बंगाल के इंटरमीडिएट में व्यावसायिक एम.एल.टी. वाले वर्तमान उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को लिया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि "स्वास्थ्य" भारत के संविधान के अधीन राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5439. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत होने वाले कामों में साइन बोर्डों पर योजना का नाम व संसद सदस्य का नाम नहीं लिखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान निर्देशों में यह प्रावधान है कि स्थानीय लोगों को यह अवगत कराने के उद्देश्य से कि अमुक कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से कराया गया है, सांसद के नाम के साथ ''सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्य'' लिखा हुआ साईन बोर्ड कार्यस्थलों पर प्रमुख एवं स्थायी रूप से लगाया जाएगा। जब भी इस प्रावधान के अनुपालन न किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित जिला प्राधिकारियों को उपचारी कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय समय-समय पर जिला प्राधिकारियों को, दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान का दृढ़ता से पालन करने का परामर्श देता है।

[अनुवाद]

जी.एस.एल.वी. स्ट्रैप-ऑन अटेचमेंट सिस्टम

5440. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र ने जनवरी, 1996 में एक जी.एस.एल.वी. स्ट्रैप-ऑन अटैचमेंट सिस्टम के एक सैट का आदेश दिया था जिसकी दिसम्बर, 1995 में छोड़े जाने वाले जी.एस.एल.वी. में आवश्यकता थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र को यह सिस्टम कब, कहां से और किस मूल्य पर मिला व एक बाहरी एजेंसी को आदेश देने के स्थान पर अपनी घरेलू क्षमताओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) ने जनवरी, 1996 में जी.एस.एल.वी. की स्ट्रैप-ऑन आसंग प्रणाली के एक सैट के लिए क्रयादेश दिया था, जोकि प्रथम जी.एस.एल.वी., जिसे 1997-98 के दौरान प्रमोचन के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, में उपयोग के लिए जरूरी था। अंततः जी.एस.एल.वी. को अप्रैल 2001 में प्रमोचित किया गया।

(ग) केरल सरकार के एक उपक्रम, मैसर्स केल्टेक को 13.7 लाख रुपये की लागत का एक क्रयादेश किया गया था। 600 से अधिक मदों से युक्त प्रणाली की आपूर्ति जुलाई, 1997 में शुरू हुई और नवम्बर 1998 में इसे पूरा किया गया। आंतरिक सुविधाओं में कार्यभार और जी.एस.एल.वी. राकेटों के लिए आवश्यक स्ट्रैप-ऑन आसंग प्रणालियों की बड़ी संख्या को भी ध्यान में रखते हुए किसी बाहरी एजेंसी को क्रयादेश देने का निर्णय किया गया।

ई-जानकारी (ई-इक्सपोजर)

5441. श्री भीम दाहाल :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैसा कि 26 जुलाई, 2001 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित हुआ है कि 'सिरकैम' नामक वायरस ने उनके मंत्रालय के कम्प्यूटरों को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या प्रतिरक्षात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जुलाई 2001 में, इस मंत्रालय के कुछ कम्प्यूटर सिरकैम वायरस से संक्रमित हुए थे। नवीनतम वायरस-रोधी साफ्टवेयर पैकेजों की सहायता से कम्प्यूटरों से वायरस हटाने के तात्कालिक उपाय किए गए थे। इस मंत्रालय के कुछ कम्प्यूटरों पर इस सिरकैम के परिणामस्वरूप किसी प्रकार कोई हानि अभी प्रकाश में नहीं आई है।

(ग) वायरस हमलों में वृद्धि को रोकने संबंधी क्रिया-विधियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। एन.आई.सी. के क्षेत्र के तहत विदेश मंत्रालय मेल सर्वर में वायरस स्केनर के नवीनतम रूप लगाए गए हैं। सभी आने वाली मेल को, उन्हें यूजर के लिए जारी करने से पूर्व वायरस संबंधी जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के कम्प्यूटर ई-मेल/इन्टरनेट प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं जिन्हें वायरस से आक्रमणों को रोकने के लिए नवीनतम रूपों के साथ भी लगाया गया है।

उपग्रह संचार नीति

5442. श्री जगन्नाथ मलिक :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकार की उपग्रह संचार नीति की परिकल्पना भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान अमरीकी प्रतिबंध भारत में किसी भी संगठन को अमरीका निर्मित उपग्रहों और अन्य ऐसे उपग्रहों जिनमें अमरीकी पुर्जे लगे हुए हैं की बिक्री से रोकते हैं;

(घ) क्या किसी अमरीकी कंपनी ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को अपनी विदेश में पंजीकृत अमरीका-निर्मित उपग्रहों को अनुषंगी इकाई को भारत में स्थापित करने हेतु निवेश करने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निरोधात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। सरकार की उपग्रह संचार नीति में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी सहित भारत में उपग्रह संचार क्रियाकलापों के क्रमबद्ध विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें गैर-सरकारी निजी क्षेत्र के सेवा प्रदान करने वालों को इन्सैट क्षमता को लीज़ पर देने की भी अनुमति है। इसके साथ ही, निजी भारतीय कम्पनियों को भारतीय उपग्रह प्रणालियों की स्थापना और प्रचालन की भी अनुमति है। विदेशी उपग्रहों को केवल उसी स्थिति में अनुमति प्रदान की जायेगी, जबकि भारतीय उपग्रह प्रणालियों में समतुल्य क्षमता और सामर्थ्य विद्यमान न हो।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पैनामसैट इण्डिया इंका. ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को अपनी सेवाओं के विपणन के लिए भारत में अनुशंगी इकाई की स्थापना के लिए आवेदन किया है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राकेश मोहन समिति

5443. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ढांचागत विकास की वृद्धि दर कितनी है;

(ख) राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रक में वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं:-

(प्रतिशत में)

क्षेत्रक	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
विद्युत उत्पादन	6.6	7.2	3.9
क. न्यूक्लियर सहित थर्मल	5.7	9.4	6.3

1	2	3	4
ख. हाइड्रो	11.0	-2.5	-7.8
मुख्य उद्योग			
कोयला	-2.0	3.1	3.3
इस्पात	1.3	14.9	7.0
कच्चा तेल	-3.4	-2.4	1.6
रिफाइनरी थ्रूपुट	5.2	25.3	20.4
सीमेन्ट	5.7	14.3	-0.5
रेलवे			
क. रेलवे राजस्व माल यातायात से आय	-2.0	8.4	3.7
बंदरगाह			
प्रमुख बंदरगाहों पर हैंडल किया गया कारगो	0.0	8.0	3.3
दूरसंचार			
क. निवल स्वीचिंग क्षमता	36.1	40.2	6.4
ख. निवल टेली. कनेक्शन	16.4	29.7	20.5

(ख) और (ग) राकेश मोहन समिति (अवसंरचना परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण संबंधी विशेषज्ञ दल) की कुछ प्रमुख विशेषताएं और इस पर की गई कार्रवाई/लिए गए निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राकेश मोहन समिति (अवसंरचना परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण संबंधी विशेषज्ञ दल) की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई/लिया गया निर्णय

सिफारिश	की-गई-कार्रवाई/लिया गया निर्णय
1	2
विनियामक ढांचा कार्य	
क. अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश हेतु एफ.आई.आई. के मार्ग-निर्देशों में दिए गए मौजूदा प्रतिबंध हटाए जाएं; अथवा निवेश सीमाओं के बिना एफ.आई.आई. मार्ग-निर्देशों के समान ही अलग से मार्गनिर्देश जारी किए जाएं। सेबी अथवा किसी घरेलू संस्था में पंजीकृत घरेलू परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी द्वारा स्थापित किसी भी ऑफशोर फण्ड को इसी तरह के मार्गनिर्देशों एवं कर व्यवस्था से प्रशासित होना चाहिए।	केन्द्रीय बजट (1996-97) में एफ.आई.आई. को असूचीबद्ध कम्पनियों में उसी तरह से निवेश करने की अनुमति दी गई है जिस तरह से उन्हें सूचीबद्ध कम्पनियों में निवेश की अनुमति थी। सेबी ने भी इस आशय के मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इससे एफ.आई.आई. के लिए आधारिक संरचना में निवेश करना संभव हो जाता है। विनिर्दिष्ट आय (मुख्यत: यूनिटों, प्रतिभूतियों से हुई आय) के संबंध में एफ.आई.आई. एवं ऑफशोर फण्ड के लिए विशेष कर व्यवस्था मौजूद है। आयकर अधिनियम की धारा 10 (23जी) से भी अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी निवेश के लिए आकर्षक नये मार्ग खुल गए हैं।

1	2
ख. सेबी की भांति प्रत्येक अवसंरचना क्षेत्रक के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय स्थापित किया जाए। विनियामक एजेन्सी का वित्त पोषण प्रायोजक/प्रचालक द्वारा प्रदान किए गए शुल्क से किया जा सकता है। सरकारी वित्त पोषण को जहां तक संभव हो टाला जाना चाहिए।	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख बंदरगाहों के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकरण (टेम्प) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) की स्थापना की गई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने संकेत किया है कि सिफारिश स्वीकार की जा सकती है। हालांकि अभी तक स्थापित किए गए विनियामक निकाय सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर हैं। चूंकि शुल्क अनिवार्य रूप से दी गई सेवाओं के समानुपातिक होते हैं, इस बात की संभावना नहीं है कि केवल शुल्क ही किसी एजेन्सी को आत्मनिर्भर बना पायें। वास्तव में, ये अक्सर एजेन्सियों के राजस्व व्यय को भी कवर नहीं करते। विनियामक एजेंसियों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे संसाधनों को बढ़ाने के लिए छिपी हुई संभावनाओं का पता लगायें जिससे वित्तपोषण को कम-से-कम रखा जा सके। एक बार विनियामक एजेंसियां अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर लेती है और स्वतंत्र रूप से अपने संसाधनों को बढ़ाने की स्थिति में आ जाती है, तो वित्तीय स्वायत्तता पर विचार किया जा सकता है। उस समय तक सरकार का वित्तपोषण जारी रहने की संभावना है।
ग. परियोजना फार्मेटों जैसे कि बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ओन-आपरेट (बी.ओ.ओ.) और फिलीपीन्स के समान सभी क्षेत्रकों में समान शासी परियोजनाओं के लिए ओवर आर्किंग विधान का अधिनियम किया जाए।	भूतल परिवहन मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं के लिए माडल (बीओटी) रियायत अनुबंध और पत्तन परियोजनाओं के लिए माडल बीओटी लाइसेन्स अनुबंध तैयार किया है।
दूरसंचार	
क. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भूमंडलीय उपस्थित चाहते हैं।	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भूमंडलीय उपस्थिति की मांग के लिए दूरसंचार सेवा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के निर्यातोन्मुखी संकाय स्थापित किया जा सकता है।
ख. सभी दूरसंचार लाइसेंस फीस अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण और इक्विटी उपलब्ध कराने के लिए अब संरचना निधि में स्थानांतरित करना। दूरसंचार इस निधि के एक भाग के उपयोग करने का पहला विकल्प ले सकता है।	सिफारिश अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए लाइसेन्स फीस प्राप्तियों में से निधि के सृजन हेतु है। अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी लि. सरकार और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आरंभिक राशि से स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग लाइसेन्स फीस के कुछ भाग से निधि को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसका उपयोग लाभकारी परियोजनाओं जैसे ग्रामीण टेलीफोन आदि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के रूप में किया जाना है।
सड़कें	
क. राष्ट्रीय बचत योजना के पैटर्न पर राजमार्ग अवसंरचना बचत स्कीम स्थापित करना।	सरकारी बचत बैंक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय बचत स्कीम के अन्तर्गत एकत्र की गई 75% निधियां राज्यों को

1	2
	दे दी जाती हैं और शेष 25% केन्द्र द्वारा रखी जाती हैं। राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए एक राजमार्ग अवसंरचना बचत स्कीम के विकास के लिए प्रारंभ में अनेक मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है। ये हैं:- निष्पादन के लिए एजेंसी, निधियों के संग्रह का लागत, राज्यों और केन्द्र आदि के बीच अवक्रमण पद्धति। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यों द्वारा किसी भी प्रतियोगी बचत स्कीम का कड़ाई से प्रतिरोध किया जाएगा। राज्यों से राजमार्ग विकास के लिए उनको आवंटित की गई निधियों के कुछ हिस्से को नियत करने के लिए कहना एक विकल्प हो सकता है।
ख. मोटर वाहन तथा यातायात ईंधन पर करों के राजस्व का यदि पूरा नहीं तो पर्याप्त हिस्सा सड़क विकास के लिए नियत किया जाना चाहिए।	1998-99 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोल पर 1 रुपये का कर लागू किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 790 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसका प्रयोग सड़क विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के कोपर्स में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 1999-2000 में, हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर एक रुपये का. कर इसी कार्य के लिए है।
औद्योगिक पार्क	
क. औद्योगिक पार्कों को अवसंरचना परियोजनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। विद्युत, दूरसंचार तथा सड़कों के लिए उपलब्ध टैक्स/टैरिफ राहत सहित कुछ प्रोत्साहन भी उन्हें दिया जाना चाहिए।	औद्योगिक पार्कों को केन्द्रीय बजट (1996-97) में अवसंरचना के समकक्ष रखा गया है तथा अब प्रोत्साहनों को उसी श्रेणी में रखा गया है।
ख. औद्योगिक पार्कों को वित्तीय संस्थानों से निधियों के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए।	औद्योगिक पार्कों को वित्तीय संस्थानों से निधियों के लिए पात्र बना दिया गया है।
बन्दरगाह	
क. बन्दरगाह प्राधिकरणों को प्राइमरी मार्केट से ऋण व इक्विटी द्वारा तथा वित्तीय संस्थानों से संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।	मुख्य बंदरगाह न्यासों में कारपोरेट ढांचा नहीं है, अत: इक्विटी के रूप में प्राइमरी मार्केट से वे संसाधन नहीं बढ़ा सकते हैं। मुख्य बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66 के अंतर्गत मुख्य बंदरगाहों को ऋण लेने की अनुमति है (केन्द्र सरकार के अनुमोदन से)।
ख. परिसम्पत्तियों के शीघ्र सृजन और प्रचालन को सुकर बनाने के लिए 500 मिलियन रुपये तक के पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रमुख बंदरगाह न्यास बोर्डों को अधिकार दिया जाना चाहिए।	नई परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 50 करोड़ रुपये तक तथा पुरानी सम्पत्तियों को बदलने के लिए 100 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत व्यय करने के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय ने प्रमुख बन्दरगाह न्यास बोर्डों को अधिकार दिया है। ऐसा व्यय स्वीकार्य है बशर्ते कि पोर्ट प्राधिकरण भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं और (2) व्यय केवल आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है।

1	2
ग. निजी भागीदारी वाले बंदरगाहों को निगम करों से छूट को जारी रखा जाना चाहिए।	न्यास होने के कारण प्रमुख बन्दरगाह न्यास निगम कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। बन्दरगाह परियोजनाओं सहित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कर की छूट आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत उपलब्ध है। उत्तरवर्ती पांच वर्षों के दौरान, सुविधा प्रचालन बनाने के उपरांत 15 वर्षों की अवधि के दौरान यह धारा पांच वर्ष की पूरी छूट और देय निगम कर में 30% की छूट देती है।
विद्युत	
क. सरकार के प्रचालन नियंत्रण से परे एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग।	दिनांक 25 जुलाई, 1998 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया है।
ख. केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर विनियामक एजेन्सियों को स्वायत्तता।	अब तक 15 राज्यों (उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) ने या तो राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) का गठन कर लिया है अथवा अधिसूचित कर दिया है। नौ राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों अर्थात् उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने शुल्क सूची (टैरिफ) आदेश जारी कर दिए हैं।
ग. ठोस व्यवहार्य निगमित यूनिट के रूप में राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करना जिससे कि वे उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्य आदि को एक व्यवहार्य मात्रा में अलग से कर सकें।	उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंध में राज्य विद्युत उपयोगिताओं को ढील दी गई है/निगमित किया गया है। दूसरे राज्य उत्पादन, पारेषण, वितरण को अलग-अलग पहचान दे रहे हैं/लाभ केन्द्र बना रहे हैं।

दवाइयों पर प्रतिबंध

5444. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश और विदेश में किन-किन दवाइयों पर प्रतिबंध लगा है;

(ख) क्या उक्त दवाइयां देश में खुलेआम उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में चिकित्सकीय कार्यों के लिए कुछ प्रतिबंधित दवाइयां भी लिखी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26-क के अधीन प्रतिबंधित औषधों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसी कोई एकरूप नीति नहीं है जिसका औषधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप में अनुपालन किया जाता हो। प्रत्येक देश विशिष्ट फार्मूलेशनों पर देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनके इस्तेमाल और लाभ/जोखिम अनुपात पर विचार करने के बाद प्रतिबंध लगाता है।

(ख) और (ग) सरकार उपर्युक्त औषधों के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। उक्त अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित औषधों का विपणन/उन्हें बेचना एक अपराध है जो कारावास के साथ दंडनीय है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समय-समय पर यथासंशोधित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 578 (ङ) दिनांक 23.7.83 के द्वारा विनिर्माण और बिक्री के लिए प्रतिबंधित औषधों की अद्यतन सूची

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशनार्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना)

नई दिल्ली, दिनांक 23.7.83

सा.का.नि. 578(ङ) - जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट औषधों के प्रयोग मनुष्य के लिए खतरनाक होने की संभावना है अथवा उक्त औषधों के लिए किए गए दावे, किए जाने वाले दावे चिकित्सीय मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं अथवा उनमें ऐसे घटक हैं और उनकी ऐसी मात्रा है जिनका कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक और उपयुक्त है।

अब इसलिए केन्द्रीय सरकार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औषधों के विनिर्माण और बिक्री पर रोग लगाती है, नामत:-

तालिका

1. अमीडोपाइरिन
2. दाहक रोधी और प्रशासकों वाले विटामिनों के नियत खुराक मिश्रण
3. दर्दनाशकों और पीड़ाहरकों में एंट्रोपिन के नियम खुराक मिश्रण
4. टानिकों में स्ट्रेचलिन और केफीन के नियम खुराक मिश्रण
5. टेस्टोस्टेरोन और विटामिनों वाले योहिम्बाइन और स्ट्रेचनिन के नियम खुराक मिश्रण
6. स्ट्रेचनिन अर्सेनिक और द्योहिम्बाइन वाले आयरन के नियत खुराक मिश्रण
7. अन्य औषधों के साथ सोडियम ब्रोमाइट/क्लोरालहाइड्रेट के नियम खुराक मिश्रण
8. फेनासिटिन
9. एंटीडायरियल्स वाले एंटी हिस्टामिनिक्स का नियम खुराक मिश्रण
10. सल्फोनामाइड्स वाले पेनिसिलीन के नियम खुराक मिश्रण
11. दर्दनाशकों वाले विटामिन के नियम खुराक मिश्रण

B 12. विटामिन-सी के साथ किसी अन्य टेट्रासाइक्लिन के नियत खुराक मिश्रण

E 13. बाह्य प्रयोग के लिए मिश्रणों हेतु छोड़कर किसी अन्य वर्ग की औषधों के हाइड्रोक्सीक्यूयनोलाइन के नियत खुराक मिश्रण

ccc 14. आंतरिक प्रयोग के लिए किसी अन्य औषध के साथ कोर्टिकास्टराइडस के नियत खुराक मिश्रण

ccc 15. आंतरिक प्रयोग के लिए किसी अन्य औषध के साथ क्लोराम्फिनिकोल के नियत खुराक मिश्रण

xxx 16. माइग्रेन, सिरदर्द के उपचार के लिए इर्गोटाइमाइन, केफेइन, एनेलजेसिक, एंटी हिस्टामाइन्स को छोड़कर क्रूड इर्गाट मिश्रणों के नियत खुराक मिश्रण

17. पाइरिडोक्साइन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी-6) वाले आइसेनियाजाइड के मिश्रणों को छोड़कर क्षयरोधी औषधों वाले विटामिनों के नियत खुराक मिश्रण
18. पेनिसिलीन स्किन/आई आइंटमेंट
19. टेट्रासाइक्लिन लिम्विड ओरल प्रीप्रेशन
20. नियालमिड
21. प्रेक्टोलोल
22. मेथापाइरिलेन, इसके लवण

c 23. मेथाकुआलोन

& 24. आक्सीटेट्रासाइक्लिन मिक्विड ओरल प्रीप्रेशन

& 25. डेमेक्लोसाइक्लाइन लिक्विड ओरल प्रीप्रेशन

T 26. अन्य औषधों के साथ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के मिश्रण

Cc 27. 50 मि.ग्रा. (इथिनाइल इस्ट्रडाइल के समकक्ष) से अधिक घटक वाले एस्ट्रोजन गोली में ओस्ट्रेजन और प्रोजेस्टिन (मुख सेव्य गर्भनिरोधक को छोड़कर) तथा 3 मि.ग्रा. (नार्थे स्टेरोन एसिटेट के बराबर) से अधिक प्रोजेस्टिन घटक तथा सिंथेटिक ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन वाले इंजेक्टेबिल प्रीप्रेशनों के सभी नियत खुराक मिश्रण

* 28. एनेलजेसिक-एंटीपाइरेटिक वाले से डेंटिल/हिप्नोटिक्स/एनेक्सियोलिटिक के नियत खुराक मिश्रण

29. नीचे दी गई दैनिक संस्तुत खुराक के अनुसार रिफेम्पिसिन और आई.एन.एच. के साथ पाइराजिनामाइड के मिश्रण को छोड़कर अन्य क्षयरोधी औषधें वाले पाइराजिनामाइड के नियत खुराक मिश्रण–

औषध	न्यूनतम	अधिकतम
रिफेम्पसिन	450 मि.ग्रा.	600 मि.ग्रा.
आई.एन.एच.	300 मि.ग्रा.	400 मि.ग्रा.
पाइराजिनामाइड	1000 मि.ग्रा.	1500 मि.ग्रा.

* 30. भारत के औषध नियंत्रक द्वारा स्वीकृत मिश्रणों को छोड़कर एंटासिडों वाले हिस्टामिन एच-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नियत खुराक मिश्रण

* 31. इंडियन फार्मेकोपिया में दिए गए मिश्रणों को छोड़कर 20 प्रतिशत प्रूपफ से अधिक प्रतिशतता वाले अलकोहल युक्त एसेंसिएल आयल के नियत खुराक मिश्रणों के पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन

* 32. 0.5 प्रतिशत से अधिक क्लोरोफार्म वाले सभी फार्मेस्यूटिकल प्रीप्रेशन, डब्लु/डब्लु अथवा वी/वी जो भी उपयुक्त हो।

** 33. निम्नलिखित को छोड़कर आई.एन.एच. के साथ इथमव्यूटाक के नियत खुराक मिश्रण

आई.एन.एच.	इथमब्यूटूल
200 मिग्रा	600 मिग्रा
300 मिग्रा	800 मिग्रा

** 34. एक से अधिक एटीहिस्टामिन वाले नियत खुराक मिश्रण

B** 35. पाइपरझिजिन/सेंटोनिन को छोड़कर केथबिटिक/परगेटिव वाले किसी एंटीहेलमिटिक के नियत खुराक मिश्रण

** 36. सेंट्रली एक्टिंग एंटी टुसिव और/या एंटीहिस्टामिन के साथ सलबुटामॉल का अन्य कोई ब्रॉकोडिएलेटर के नियत खुराक मिश्रण

** 37. इंजाइम प्रीप्रेशन में लक्सेटिव और/या एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स के नियत खुराक मिश्रण

G** 38. एस्प्रिन/परासिटामॉल के साथ मेटोक्लोप्रामाइड के नियत खुराक मिश्रण

** 39. एक्सपेक्टोरेंट्स में एक्टिविटी जैसे उच्च एट्रोपिन वाले नियत खुराक मिश्रण अथवा सेंट्रली एक्टिंग एंटीटयूसिव एंटी हिस्टामिन

** 40. सेंट्रली एक्टिंग एंटीटयूसिव और/या एंटीहिस्टामिन वाले अस्थमा से जुड़े खांसी रोकने के दावा करने वाले मिश्रण

** 41. लिम्विड ओरल टॉनिक प्रीप्रेशन जिनमें ग्लाइसिरोफोसफेट और/या अन्य फासफेट और/या सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट और ऐसे मिश्रण हो जिनमें 20 प्रतिशत प्रूफ से अधिक अल्कोहल हो।

** 42. नियम खुराक मिश्रण जिनमें प्रेक्टिस और/या काओलिन ऐसी औषधि के साथ हो जो जी.आई. ट्रेक्ट से सुव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित रूप से जुड़ी औषधों के साथ प्रेक्टिस और/या काओलिन के मिश्रण

*** 43. कलोरल हाइड्रेट औषध के रूप में

B 44. डोवर्स पाउडर आई.पी.

B 45. डोवर्स पाउडर टेबलट आई.पी.

A 46. एंटीडाइरियल फार्मूलेशन काओलिन मुक्त पेक्टिन या अट्टसवुलगिट अथवा एक्टीवेटेड चारकोल

A 47. एंटीडाइरियन फार्मूलेशन फथालिल सल्फथियाजोल अथवा सल्फागुनानिडिन या सुक्विनाइल/सल्पाथियाजोन वाले

A 48. एंटीडाइरियल फार्मूलेशन निफोमाइसिन अथवा स्ट्रेप्टोमाइसिन या डिहाड्रोस्टेप्टोमाइसिन जिनमें उनके सेल्स अथवा इस्टर्स भी शामिल हैं

A 49. लिक्विड ओरल एंटीडायरियल्स या किसी अन्य खुराक रूप में बालचिकित्सा के लिए कडफेनोक्सीलेट या लोपरामाइड इन एट्रोपिन या बेलाडोना उनके सेल्स या ईस्टर सहित अथवा मेटाबोलिटीज हायोस्वामिन या उनके सत्व या उनके अल्वालाइड्स

A 50. होलोजेनेटेड हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन वाले बाल चिकित्सा के लिए लिक्विड ओरल एंटीडायरियल्स किसी अन्य खुराक रूप में

A 51. इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ एंटीडायरियल्स के नियत खुराक मिश्रण

A 52. पेटेंट और प्रोप्राइटरी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुरूप को छोड़कर

D 53. किसी अन्य औषध के साथ आक्सफेनब्यूटाजोन या फेनाइलब्यूटाजोन के नियत खुराक मिश्रण

HD 54. एनलजिन के साथ किसी अन्य औषध के नियत खुराक मिश्रण

D 55. एंटी स्पास्मोडिक्स और/या नान स्टेरॉइडस एंटी इनफ्लेमेटरी औषधों (एन.एस.ए.आई.डी.एस.) को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ डेक्ट्रोप्रोपोक्सीफेन के नियत खुराक मिश्रण

D 56. किसी औषध के नियत खुराक मिश्रण जिसके मानक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषध के साथ निर्धारित किए गए हैं।

F 57. महिला नसबंदी या गर्भनिरोधन के लिए किसी खुराक के रूप में मेपाक्राइन हाइड्रोक्लोराइड (क्यूनाक्राइन और इसके लवण)

F 58. फेन फ्लाप्राइन और डेक्सेफेनफ्लुरामाइन

I 59. डाइजापाम और डिफेनहाड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड के नियत खुराक मिश्रण।

सा.का.नि. 578(ङ) दिनांक 23.7.83 की मूल अधिसूचना

c सा.का.नि. 4(ङ) दिनांक 31.1.84

& सा.का.नि. 322(ङ) दिनांक 3.5.84

T सा.का.नि. 863(ङ) दिनांक 22.11.85

Cc सा.का.नि. 743(ङ) दिनांक 10.8.89

Ccc सा.का.नि. 1057(ङ) दिनांक 3.11.89

* सा.का.नि. 999(ङ) दिनांक 26.12.90

** सा.का.नि. 69(ङ) दिनांक 11.2.91

Xxx सा.का.नि. 304(ङ) दिनांक 7.6.91

@ सा.का.नि. 444(ङ) दिनांक 30.4.92

B सा.का.नि. 111(ङ) दिनांक 22.2.94

A सा.का.नि. 731(ङ) दिनांक 30.9.94

B सा.का.नि. 848(ङ) दिनांक 7.12.94

C सा.का.नि. 57(ङ) दिनांक 7.2.95

D सा.का.नि. 633(ङ) दिनांक 13.3.95

E सा.का.नि. 793(ङ) दिनांक 13.3.95

सा.का.नि. 93(ङ) दिनांक 25.5.97

F सा.का.नि. 499(ङ) दिनांक 14.8.98

G सा.का.नि. 394(ङ) दिनांक 19.5.99

H सा.का.नि. 405(ङ) दिनांक 3.6.99

I सा.का.नि. 169(ङ) दिनांक 12.3.2001

अन्य अधिसूचनाओं के अंतर्गत उत्पादन, बिक्री एवं वितरण हेतु प्रतिबंधित औषध

औषध मिश्रण	प्रभाव में आने की तिथि	अधिसूचना
1	2	3
1. टूथपेस्ट/टूथ पाउडर के रूप में लाइसेंस प्राप्त प्रसाधन सामग्री	तत्काल प्रभाव से	जीएसआर 444(ई) दिनांक 30.4.92
2. स्ट्रेप्टोमाइसीन एवं पेनीसिलीन की नियत खुराक मिश्रण वाले पेरेंटेरल मिश्रण	जनवरी 1, 98	जीएसआर 93(ई)
3. मानव उपयोग हेतु विटामिन बी-1, विटामिन बी-6 एवं विटामिन बी-12 का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 98	जीएसआर 702(ई) दिनांक 14.10.99
4. किसी भी रूप में प्रकृतिक या सिन्थेटिक हिमालोबिन का नियत खुराक मिश्रण	सितम्बर 1, 2000	जीएसआर 814(ई) दिनांक 16.12.99
5. किसी अन्य इंजाइम के साथ एमाइलेज प्रोटेज एवं लाइपेज वाले पेनक्रिएसन या पेनक्रेटिपेज का नियत खुराक मिश्रण	सितम्बर 1, 2000	जीएसआर 815(ई) दिनांक 16.12.99

1	2	3
6. नाइट्रेफूरेन्टॉन एवं ट्रिमेथाप्रिम का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
7. किसी दमा रोधी औषधों के साथ फेनोबारबिटॉन का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
8. हाथोसकिन और/या हायोस्क्यामाइन के साथ फेनोबारबिटॉन का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
9. इर्गोटिमाइन और/या बोलाडोना के साथ फेनोबारबिटॉन का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
10. प्रोपेनथलइन ब्रोमाइड सहित किसी कोलीनरजिक एजेन्ट के साथ हेलोपेरीडॉल का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
11. मेट्रोनिडाजॉल सप्ति किसी एमोनिक रोधी के साथ नालीडिक्सिक एसिड का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
12. फ्राजोलिडॉन के साथ लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर 170(ई) दिनांक 12.3.2001
13. लाइसिन या पेप्टोन के साथ साइप्रोहेप्टाइडाइन का नियत खुराक मिश्रण	जनवरी 1, 2002	जीएसआर(ई) दिनांक 12.3.2001

वार्षिक संपत्ति विवरणी

5445. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों को अपनी चल और अचल दोनों संपत्तियों का वार्षिक संपत्ति विवरण देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर/वर्ग के बाद अधिकारियों को ऐसा विवरण देना पड़ता है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के क्या मानदंड हैं कि संबंधित अधिकारी ने वर्ष के दौरान अर्जित की गई अपनी सारी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है; और

(घ) सरकार को शिकायत करने के अलावा ऐसे और कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे उन अधिकारियों का पता लगाया व गिरफ्तार किया जा सके जिन्होंने अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति एकत्रित की है परन्तु अपनी विवरणी में उसका उल्लेख नहीं किया?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा, निर्धारित प्राधिकारी को पहले से बताए बिना कोई भी अचल संपत्ति न अर्जित की जानी अपेक्षित है और न ही बेची जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, समूह 'क' अथवा समूह 'ख' के किसी भी पद पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, अपने स्वामित्व वाली या अपने द्वारा अर्जित अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी चल संपत्ति के बारे में कोई भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित नहीं है।

फिर भी, समूह 'क' अथवा समूह 'ख' के प्रत्येक अधिकारी द्वारा 15000/- रुपए से अधिक की और समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा 10,000 रु. से अधिक की चल सम्पत्ति के लेन-देन के संबंध में, ऐसे लेन-देन की तारीख से एक माह के भीतर अपने कार्यालय को सूचित किया जाना अपेक्षित होता है। आचरण-नियमावली के अनुसार, उसके नियमों में यथा निर्धारित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य ठहराया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी संपत्ति की विवरणी/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर अथवा गलत जानकारी या अधूरी जानकारी देने पर स्वयं को अनुशासनिक कार्रवाई का भागी बनाता है।

(घ) संदिग्ध मामलों में निर्धारित प्राधिकारी, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की सत्यता की जांच-पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र है।

विदेशी कार्यालय संस्थापनाएं

5446. श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री जी.जे. जावीया :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 जुलाई, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष विदेशी कार्यालय संस्थापनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय मितव्ययता की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों के सभी व्ययों की जांच लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। मंत्रालय विश्व के विभिन्न भागों में विदेश नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्यालय, विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों की मानव-शक्ति आवश्यकताओं की नियमित आधार पर समीक्षा करता है। व्यय कम करने के उद्देश्य से पिछले दशक के दौरान ग्यारह मिशनों को बंद कर दिया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान विदेश स्थित मिशनों में विभिन्न श्रेणियों में 175 पद समाप्त कर दिये गये हैं।

किराये के आवास पर होने वाले व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय संपत्तियों की खरीद/निर्माण की नीति का सक्रिय रूप से पालन कर रहा है। मंत्रालय के वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने व्यय में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किये हैं यथा, गैर-योजना/वेतन भिन्न व्यय में 10 प्रतिशत की कमी, विदेश स्थित अधिकारियों के स्थानीय दौरों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में 25 प्रतिशत की कमी और नई गाड़ियों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध।

आयुध सेवाओं के मास्टर जनरल का कार्यकरण

5447. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 के अपने प्रतिवेदन सं. 7क (रक्षा सेवाएं) के पृष्ठ 11 में आयुध सेवाएं शाखा के मास्टर जनरल के असंगत कार्यों एवं कार्यकरण के तथ्यों को उभारा है जिसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया की प्रवंचन्य करते हुए 180.72 करोड़ रुपए के कलपुर्जों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) निर्धारित प्रक्रियाओं से विस्थापक के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार के सामने आए आर्थिक नुकसान वाले मामलों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऑपरेशन विजय को दृष्टिगत रखते हुए, सेना मुख्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर एक उपस्कर की महत्वपूर्ण मदों के 153.63 करोड़ रुपए के मूल्य के हिस्से-पुर्जे खरीदे गए थे। यह अधिप्राप्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् की गई थी। इसके अलावा, सेना मुख्यालय द्वारा किए गए एक उपस्कर के 'लाइफ टाइम बाई स्टडी' के आधार पर सरकार द्वारा 27.09 करोड़ रुपए के हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए मंजूरी

दी गई थी। इन हिस्से-पुर्जों की खरीद हेतु संविदाकरण कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

5448. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कचरा उठाने, चर्म शोधन और सफाई कार्यों में लगे बच्चों को शिक्षा देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सफाई कार्य से वंशानुगत रूप से जुड़े संमार्जकों, चमड़ा उतारने वालों, चमड़ा रंगने वालों तथा स्वीपरों के बच्चे शामिल हैं। यह योजना पात्र बच्चों को निम्नलिखित दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है:-

होस्टलर्स :

कक्षा 3-8	200/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 9-10	250/- रु. प्रतिमाह

दिवा छात्र :

कक्षा 1-5	25/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 6-8	40/- रु. प्रतिमाह
कक्षा 9-10	50/- रु. प्रतिमाह

होस्टल में रहने वाले तथा सभी दिवा छात्रों को 500 रु. का वार्षिक तदर्थ अनुदान भी स्वीकार्य है।

इसके अतिरिक्त, विकलांग छात्रों को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना से लगभग 4.50 लाख छात्रों को लाभ होने की आशा है।

समाज कल्याण कार्य

5449. श्री अबुल हसनत खां : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज कल्याण के कार्यों में लगी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को एक मंच उपलब्ध कराए जाने हेतु मई, 2001 के मध्य में नई दिल्ली में पांचवें सामाजिक विकास मेले, 2001 का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में विशेषरूप से गरीबी उपशमन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) पांचवां सामाजिक विकास मेला 2001 भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 15 से 21 मई, 2001 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें, अन्यों के साथ-साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी भाग लिया था। मंत्रालय ने अपने निगमों, राष्ट्रीय संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कमजोर तथा दरकिनार जैसे अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वयोवृद्धों, निराश्रित बच्चों आदि के कल्याण के लिए अभिप्रेत योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा सेवाओं के बारे में सूचना का प्रदर्शन किया। मेले के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं से संबंधित सूचना का भी प्रचार-प्रसार किया गया।

परिवर्तित पेंशन की अवधि

5450. श्री अनंत गुढे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से परिवर्तित पेंशन की अवधि पन्द्रह वर्ष से घटा कर बारह वर्ष करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। सरकार से पेंशन का संराशीकृत भाग 12 वर्ष बाद बहाल करने का अनुरोध करते हुए विभिन्न संगठनों ने इस बारे में अभिवेदन किया है।

(ग) और (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने पेंशन का संराशीकृत भाग, मौजूदा 15 वर्ष के बाद के स्थान पर 12 वर्ष के बाद बहाल किए जाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की जांच-पड़ताल की गई और पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की विभिन्न सिफारिशों के वित्तीय प्रभावों पर विचार करके सरकार ने पेंशन का संराशीकृत भाग 12 वर्ष के बाद बहाल किए जाने की उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार नहीं करना तय किया।

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान

5451. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत के प्रमुख कैंसर केंद्र, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ऑनकॉलाजी को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में स्वीकृति देने पर विचार करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम के अधीन किसी संगठन को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए कोई स्कीम नहीं है। किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी, बंगलौर को पहले ही क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता दे दी गई है। कर्नाटक राज्य में केवल यही क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र है और यह मंत्रालय से हर वर्ष 75.00 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने वर्ष 1999-2000 के दौरान किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बंगलौर को ब्रेकी-थिरेपी मशीन खरीदने के लिए 1.00 करोड़ रुपए की रकम भी विमुक्त की थी।

नई औषधों हेतु अनुसंधान और विकास धनराशि

5452. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच नई औषधों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास संबंधित धनराशि के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विवाद को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। देश में फार्मास्युटिकल उद्योग की अनुसंधान और विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने और स्वदेशी अनुसंधान और विकास शुरू करने हेतु भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अपेक्षित सहायता की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा डा. आर.ए. माशेल्कर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित की गई फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास समिति ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ देश में फार्मास्युटिकल उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि की स्थापना करने की सिफारिश की है। इस मुद्दे पर अन्तर-मंत्रालयीन परामर्श किया जा रहा है।

झूठे ई-मेल संदेश

5453. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-मेल के माध्यम से झूठी सूचना देने और लोगों में आतंक फैलाने की कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) इंटरनेट का प्रसार कम होने तथा मुख्य रूप से शहरों तक सीमित होने के कारण एक माध्यम के रूप में ई-मेल से जनता को उत्तेजित करना चिन्ताजनक स्तर पर नहीं पहुंचा है; अत: इस अवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विचार नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रोजगार

5454. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत युवकों को रोजगार देने हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्य-वार कितने युवकों को ऋण दिया गया है;

(ग) इस योजना के तहत लाभानुभोगी को सामान्यतया कितनी धनराशि दी जाती है और ऋण के लौटाने हेतु समय-सीमा क्या है; और

(घ) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद ऋण राशि को संवितरण करने में बैंकों द्वारा औसत कितना समय लगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत राज्य-वार उन युवाओं की संख्या, जिन्हें ऋण प्रदान किए गए तत्संबंधी विवरण संलग्न हैं।

(ग) स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संयुक्त ऋण के संबंध में यह प्रावधान है कि बिजनेस सेक्टर के लिए 1.00 लाख रु. तक की राशि प्रति लाभार्थी, सेवा तथा उद्योग सेक्टर के लिए 2.00 लाख रु. तक की राशि प्रति लाभार्थी और साझेदारी परियोजना के लिए 10.00 लाख रु. तक की राशि प्रति लाभार्थी प्रदान की जाए। ऋण राशि की अदायगी के लिए अनुसूची 3 से 7 वर्ष के बीच होगी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयनकर्ता बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे 25,000 तक की क्रेडिट सीमा के आवेदन-पत्रों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर करें तथा वे आवेदन जोकि 25000 रु. से ऊपर की राशि के हों उनका निपटान 8 से 9 सप्ताहों के भीतर करें।

विवरण

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या

(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामले		
		1998-99 (संख्या)	1999-2000 (संख्या)	2000-01 (संख्या)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	7888	7192	8106
2.	हिमाचल प्रदेश	2340	2300	2269
3.	जम्मू और कश्मीर	1473	1275	957

1	2	3	4	5
4.	पंजाब	9733	9573	9483
5.	राजस्थान	14005	15210	15041
6.	चंडीगढ़	105	67	61
7.	दिल्ली	691	860	958
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
8.	असम	10267	9175	3673
9.	मणिपुर	828	963	370
10.	मेघालय	368	544	415
11.	नागालैंड	165	79	27
12.	त्रिपुरा	974	1056	391
13.	अरुणाचल प्रदेश	205	413	407
14.	मिजोरम	163	244	251
15.	सिक्किम	87	58	50
पूर्वी क्षेत्र				
16.	बिहार	10852	10745	10491
17.	उड़ीसा	8684	8353	8902
18.	पश्चिम बंगाल	3780	3608	2600
19.	अंडमान एवं निकोबार	94	129	138
केन्द्रीय क्षेत्र				
20.	मध्य प्रदेश	31169	29593	27905
21.	उत्तर प्रदेश	44682	44152	44143
पश्चिमी क्षेत्र				
22.	गुजरात	11437	10723	8905
23.	महाराष्ट्र	37106	35210	29177
24.	दमन एवं दीव	25	17	22
25.	गोवा	369	481	283
26.	दादरा एवं नागर हवेली	37	36	22

1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
27.	आंध्र प्रदेश	24218	16688	13651
28.	कर्नाटक	17351	18228	12424
29.	केरल	16031	16816	12963
30.	तमिलनाडु	15723	18945	13902
31.	लक्षद्वीप	33	33	15
32.	पांडिचेरी	453	381	292
	अखिल भारत	271336	258147	228294

[अनुवाद]

सांस्कृतिक केन्द्र

5455. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों में कुछ और सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार लगभग 65 देशों में सांस्कृतिक केन्द्रों/सांस्कृतिक स्कंधों को खोलने और मौजूदा सांस्कृतिक स्कंधों को सुदृढ़ करने से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें भारतीय मिशनों से प्राप्त हुए प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में निर्णय इन देशों में कार्यात्मक जरूरतों के मूल्यांकन और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु उद्योग

5456. श्री रामेश्वर डूडी : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में इस समय क्षेत्र-वार कुल कितने लघु उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान के विभिन्न शहरों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की वर्तमान इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु नए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जुलाई 2001 के अंत तक राजस्थान के उत्तरपूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या क्रमश: 1,02,665, 25,980, 24,739 और 70,311 है।

(ख) और (ग) जी, हां। हालांकि राज्यों में लघु उद्योगों का विकास संबंधित राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, केन्द्र सरकार राजस्थान सहित सभी राज्यों को इन उद्योगों का विकास करने के उनके प्रयास में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एकीकृत आधारिक संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु परामर्श सुविधाएं एवं सेवा सुविधाएं, उद्यमिता विकास इत्यादि का कार्यान्वयन करके सहायता कर रही है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान में जोधपुर, नागौर, टोंक और उदयपुर में चार एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्रों को खोलने की संस्वीकृति दी है। केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा भी की है जिसमें बढ़ी हुई राजकोषीय और क्रेडिट समर्थन, बेहतर आधारित संरचना और विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं। यह प्रोत्साहन योजनाएं

2001-2002 में भी जारी रहेंगी। राजस्थान सरकार भी राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिनमें विपणन सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी इत्यादि शामिल हैं। राज्य के प्लान बजट में जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों को सहायता देने हेतु 12.44% निधियां उद्दिष्ट हैं। तथापि, राज्य के शहरों/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

[अनुवाद]

स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु दिशानिर्देश

5457. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंकों की कोई न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो स्नातकोत्तर अध्ययन में प्रवेश हेतु विद्यमान निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ग) विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए एक संदर्भ (रेफरेंस) पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2000 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मौजूदा 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

5458. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2001-2002 के दौरान योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न योजनाओं, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रमों, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रदत्त अलग-अलग परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विभिन्न स्कीमों, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं ग्रामीण सड़क कार्यक्रमों, सिंचाई आदि हेतु प्रदत्त अलग-अलग परिव्ययों के ब्यौरे सहित वार्षिक योजना 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान योजना आयोग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II पर हैं। जहां तक वार्षिक योजना 2001-02 के आबंटनों का संबंध है, इन्हें वार्षिक योजना 2001-02 के लिए उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री स्तरीय चर्चाओं के क्रम में, अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का उद्देश्य राज्यों के विभिन्न समाजार्थिक क्षेत्रकों, अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्राम विद्युतीकरण, पोषाहार, ग्रामीण आवास, ग्राम सड़कें, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सड़कों और पुलों, गंदी बस्ती विकास, पर्वतीय क्षेत्र विकास, सीमा क्षेत्र विकास, सिंचाई, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण खेती आदि का त्वरित विकास करना है। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.), सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) आदि शामिल हैं।

विवरण-I

वार्षिक योजना के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (1999-2000)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	अरुणाचल प्रदेश	असम	हिमाचल प्रदेश	ज. व क.	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	सिक्किम	त्रिपुरा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल केन्द्रीय सहायता	574.17	1616.11	809.71	2631.98	506.08	421.77	384.67	394.76	329.92	656.12
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	447.34	1088.46	538.18	1066.28	325.38	270.33	315.39	313.47	202.70	414.50
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं लिए केन्द्रीय सहायता	10.00	166.77	48.14	25.00	38.00	30.00	10.00	0.00	40.00	15.00
3.	अन्य केन्द्रीय सहायता	116.83	360.88	223.39	1540.70	142.70	121.44	59.28	81.29	87.22	226.62
	जिसका										
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	7.50	25.00	35.00	50.00	37.86	10.00	0.00	0.00	20.00	60.00
	बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	71.57	188.53	109.4	180.15	68.64	63.62	47.3	67.19	49.76	59.62
	गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	1.10	3.12	1.10	7.25	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	स्थानांतरण खेती	2.00	0.25	0.00	0.00	5.00	1.20	2.75	3.00	0.00	0.80
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	13.00	7.20	4.00	33.52	4.00	4.52	8.00	4.00	5.50	12.17
	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय उप-योजना	0.00	24.49	5.15	7.78	6.10	-	0.00	0.00	0.86	8.33
	सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	69.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एक बारकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	21.66	61.39	0.00	25.00	20.00	41.00	0.00	6.00	10.00	84.00

संलग्न-I (जारी)

वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (1999-2000)

मद	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महार
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कुल केन्द्रीय सहायता	3210.50	2390.27	90.11	1433.77	1022.31	1612.41	873.80	2184.32	1501.88	2031.11
सामान्य केन्द्रीय सहायता	842.83	1420.17	62.18	420.58	208.37	477.42	508.15	918.35	744.78	523.41

1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	1848.71	236.14	0.00	503.18	694.87	802.14	166.56	650.00	345.82	1061.21
अन्य केन्द्रीय सहायता	518.96	733.96	27.93	510.01	119.07	332.85	199.09	615.97	411.28	446.49
जिसका										
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	265.00	200.00	20.00	275.00	70.00	175.00	30.00	200.00	150.00	135.00
बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	196.34	419.04	3.63	113.54	26.96	114.43	110.57	265.34	152.19	190.31
गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	35.75	26.68	1.10	20.13	5.65	21.74	10.25	20.88	58.31	6.78
स्थानांतरण खेती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	7.00	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	15.51	13.08	0.00	20.97	0.00
जनजातीय उप-योजना	21.87	51.24	0.00	31.47	0.00	6.17	2.19	99.75	29.81	52.40
सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	25.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
एक बारकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	30.00	0.00	60.00	16.46	0.00	33.00	0.00	0.00	37.00

संलग्न-I (जारी)

वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (1999-2000)

(करोड़ रुपये)

मद	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (10) विशेष श्रेणी राज्य	कुल (15) गैर विशेष श्रेणी राज्य	कुल (25)
1	22	23	24	25	26	27	28	29
कुल केन्द्रीय सहायता	742.73	1648.12	1574.80	6175.76	3315.58	8325.29	29807.47	38132.76
सामान्य केन्द्रीय सहायता	239.43	584.25	670.14	1984.76	986.79	4982.03	10591.61	15573.64
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	241.29	554.88	654.13	2800.00	1918.90	382.91	12477.83	12860.74

1	22	23	24	25	26	27	28	29
अन्य केन्द्रीय सहायता	262.01	508.99	250.53	1391.00	409.89	2960.35	6738.03	9698.38
जिसका								
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	200.00	170.00	50.00	300.00	60.00	245.36	2300.00	2545.36
बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	40.37	153.05	137.88	575.81	234.30	905.95	2733.76	3639.71
गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	9.94	14.79	27.11	44.12	37.68	19.17	340.91	360.08
स्थानांतरण खेती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	9.70	91.93	0.00	12.00	38.05	96.21	168.55	264.76
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	22.01	240.86	22.23	50.90	285.10	336.00
पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	63.70	63.70
जनजातीय उप-योजना	0.00	29.22	2.59	1.21	17.63	52.71	345.55	398.26
सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00
विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	369.00	242.00	611.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	30.00	880.00
एक बारकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	269.05	228.46	497.51

विवरण-II

*वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (2000-2001)**

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	अरुणाचल प्रदेश	असम	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	मणिपुर	मेघालय
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल केन्द्रीय सहायता		609.50	1686.56	810.89	1963.26	565.86	393.59
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	447.34	1088.46	538.18	1066.28	325.38	270.33
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	10.00	172.31	46.77	69.00	59.16	10.00
3.	अन्य केन्द्रीय सहायता	152.16	425.79	225.94	827.98	181.32	113.26
जिसका							
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	68.17	179.57	70.61	171.58	48.56	40.59

1	2	3	4	5	6	7	8
	बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	35.00	75.00	60.00	80.00	40.00	35.00
	गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	30.00	40.00	44.00	50.00	35.00	6.00
	स्थानांतरण खेती	1.10	3.12	1.10	7.25	1.10	1.10
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1.20	1.00	0.00	0.00	2.50	1.60
	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	13.00	7.20	4.00	34.85	4.00	4.52
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1.69	9.00	6.23	7.10	3.03	0.98
	विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	एक बारकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2.00	60.00	40.00	77.20	47.13	23.47

*पुनर्गठन होने से पूर्व

विवरण-II (जारी)

*वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (2000-2001)**

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	मिजोरम	नागालैण्ड	सिक्किम	त्रिपुरा	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	गोवा	गुजरात
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
कुल केन्द्रीय सहायता		401.26	424.59	263.81	633.70	3661.06	2369.04	127.92	1462.40
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	315.39	313.47	202.70	414.50	842.83	1457.55	62.18	422.39
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	10.00	5.25	5.00	15.00	2095.02	88.86	0.00	467.50
3.	अन्य केन्द्रीय सहायता	75.87	105.87	56.11	204.20	723.21	822.63	65.74	572.51
जिसका									
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	40.41	41.13	28.11	50.83	142.06	287.25	0.78	64.79
	बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	20.00	20.00	20.00	25.00	190.00	260.00	5.00	18.41
	गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	2.00	5.00	1.00	30.00	265.00	200.00	50.00	350.00

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
	स्थानांतरण खेती	1.10	1.10	1.10	1.10	35.75	26.68	1.10	20.13
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3.60	3.60	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8.00	4.00	5.50	12.47	0.00	7.00	0.00	9.87
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
	सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.76	1.04	0.40	1.12	79.40	41.70	5.66	79.31
	विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एक बारकी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	30.00	0.00	82.18	11.00	0.00	0.00	30.00

*पुनर्गठन होने से पूर्व

संलग्न-II (जारी)

*वार्षिक योजना के दौरान राज्यों को आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता (2000-2001)**

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	हरियाणा	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब
1	2	18	19	20	21	22	23	24
कुल	केन्द्रीय सहायता	655.52	1753.36	882.98	2134.01	1946.79	1915.09	871.21
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	208.37	479.61	508.15	938.41	744.79	538.91	239.43
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	339.54	747.37	177.17	502.48	645.00	887.13	268.96
3.	अन्य केन्द्रीय सहायता	107.61	526.38	197.66	693.12	557.00	489.05	362.82
जिसका								
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	16.78	75.13	69.08	113.77	99.13	98.55	40.40
	बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	20.00	95.00	3.00	300.00	125.79	175.00	3.00
	गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	10.00	250.00	30.00	200.00	150.00	150.00	200.00
	स्थानांतरण खेती	5.65	21.74	10.25	20.88	39.04	6.78	9.94
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

1	2	18	19	20	21	22	23	24
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय उप-योजना	0.00	16.51	13.08	0.00	20.97	0.00	0.00
	सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	42.18	65.00	37.25	53.47	122.07	18.37	61.28
	विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	13.00	14.00	35.00	5.00	0.00	40.35	38.50

संलग्नक-II (जारी)

क्र.सं.	मद	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (10) विशेष श्रेणी राज्य	कुल (15) गैर-विशेष श्रेणी राज्य	कुल (25)
1	2	25	26	27	28	29	30	31
कुल केन्द्रीय सहायता		1460.53	1644.18	5891.10	2780.19	7753.02	29555.38	37308.40
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	584.25	670.14	2085.93	986.79	4982.03	10769.73	15751.76
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	419.93	654.13	2055.46	1333.65	402.49	10682.20	11084.69
3.	अन्य केन्द्रीय सहायता	456.35	319.91	1749.71	459.75	2368.50	8103.45	10471.95
जिसका								
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	96.40	104.79	348.91	167.82	739.56	1725.64	2465.20
	बुनियादी न्यूनतम सेवाएं	130.00	46.69	358.76	110.55	410.00	1841.20	2251.20
	गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	104.00	20.00	350.00	40.00	243.00	2369.00	2612.00
	स्थानांतरण खेती	14.79	27.11	44.12	37.68	19.17	321.64	340.81
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	29.17	0.00	12.00	38.05	97.54	105.79	203.33
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	0.00	22.01	240.86	22.23	50.90	285.10	336.00
	जनजातीय उप-योजना	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	63.70	63.70
	सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	61.99	88.37	110.06	43.42	31.35	899.53	930.88

1	2	25	26	27	28	29	30	31
	विशेष योजना सहायता	0.00	0.00	230.00	0.00	300.00	230.00	530.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	20.00	0.00	55.00	0.00	361.98	261.85	623.83

*पुनर्गठन होने से पूर्व

संयुक्त राष्ट्र चार्टरों और अभिसमयों पर हस्ताक्षर किया जाना

5459. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के उन अभिसमयों, चार्टरों अथवा दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं अथवा जिनका पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूपेण समर्थन नहीं किया है;

(ख) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पर कब तक हस्ताक्षर होने अथवा इनका पृष्ठांकन किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हां। बड़ी संख्या में ऐसी बहुपक्षीय संधियां हैं जिनके न्यासी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा के भीतर सम्पन्न संधियों में मानवीय पारस्परिक प्रभावों का प्रतिबिम्ब रहता है।

इन संधियों/करारों की विषय वस्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं उनसे अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग

5460. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या प्रधान मंत्री 18.4.2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 4609 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1999 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था और चयनित 411 अभ्यर्थियों में से 127 अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्गों के थे और 43 अभ्यर्थियों का चयन खुली योग्यताक्रम सूची में किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि योग्यताक्रम सूची में चयनित 43 अभ्यर्थियों में से 6 छात्र ही सामान्य योग्यताक्रम सूची में लिए गए और शेष अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के कितने चयनित अभ्यर्थियों को अभी सिविल सेवा का आवंटन किया जाना है और चुने गए इन अभ्यर्थियों को सेवा के आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अभ्यर्थियों को सेवा का आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा (सी.एस.ई.), 1999 के आधार पर, विभिन्न सेवाओं/पदों में भरे जाने वाली, 234 अनारक्षित, 97 अन्य पिछड़े वर्गों, 53 अनुसूचित जातियों तथा 27 अनुसूचित जनजातियों की कुल 411 रिक्तियां थीं। सिविल सेवा-परीक्षा-नियमों के नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार, संघ-लोक-सेवा-आयोग ने विभिन्न सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़े वर्गों, की श्रेणी के 127 उम्मीदवारों, अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 63 उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के 30 उम्मीदवारों के नामों की सूची की सिफारिश की है। उपर्युक्त सूची में, आरक्षित श्रेणी के कुल 43 उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के 30

(127-97), अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 10 (65-53) और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के 3 (30-27) शामिल थे जो सूची में संस्तुत, सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार के ऊपर आए हैं और जो सामान्य योग्यता सूची में क्रमशः अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को देय रियायतों/ढीलों में से किसी भी रियायत-ढील का लाभ उठाए बगैर अर्ह रहे हैं।

2. उम्मीदवारों को किसी सेवा में उनके योग्यता-क्रम, उनके द्वारा प्रकट की गई पसंद तथा संगत श्रेणियों में सुलभ रिक्तियों के आधार पर, आबंटित किया जाता है। संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा तैयार सामान्य योग्यता सूची में शामिल, आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार किसी सेवा में/पद पर आरक्षण का लाभ उठाए बिना, अपनी उच्चतर पसंद से आबंटित किया जा सकता है और उसे किसी आरक्षित रिक्ति पर समायोजित नहीं किया जाता। यदि किसी उम्मीदवार ने आरक्षण का लाभ उठाने का दावा किया हो तो उसे तब ऐसे आरक्षण का लाभ उठाने दिया जाता है तथा किसी सेवा में / पद पर आरक्षित रिक्ति पर समायोजित कर दिया जाता है जबकि उसे उसकी अपेक्षाकृत अधिक पसंद के मुताबिक, किसी सेवा में/पद पर, आरक्षित श्रेणी के योग्यता क्रम में उसके क्रम के आधार पर ही आबंटित किया गया हो। यह रितेश आर.शाह (जे.टी. 1996 (2) एस.सी. 495); एम. नीति चन्द्र (1999 6 एस.सी.सी. 36) और डॉ. अनिल कुमार (1998 9 एस.सी.सी. 405) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप है।

3. सामान्य योग्यता सूची में संस्तुत, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के 30, अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 10 और अनुसूचित जनजातियों के 3 अर्थात् कुल 43 उम्मीदवारों में से, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के 6 तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी का 1 अर्थात् कुल 7 उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ उठाए बगैर अपनी अपेक्षाकृत अधिक पसंद के अनुसार किसी सेवा में/पद पर आबंटित किए जा सके तथा ऐसी स्थिति में किसी आरक्षित अर्थात् अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की किसी रिक्ति पर, समायोजित नहीं किए गए। अनारक्षित रिक्ति पर, आरक्षित श्रेणी का अन्य कोई भी उम्मीदवार समायोजित नहीं किया जा सका, जिससे आरक्षित श्रेणी की सूची में, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के 24, अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 10 और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के 2 अर्थात् कुल 36 उम्मीदवार बढ़ गए।

4. सिविल सेवा परीक्षा नियमों के नियम 18 में यह प्रावधान है कि पहले की किसी परीक्षा के आधार पर जिस उम्मीदवार ने किसी सेवा में आवंटित किया जाना स्वीकार कर लिया हो वह उन सेवाओं में / पदों पर आबंटित किए जाने का पात्र होगा जो उस परीक्षा के संबंध में भरे गए उसके आवेदन पत्र में उसकी पसंद के क्रम में उच्चतर थीं / थे, जिसके आधार पर उसे पिछली बार आबंटित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, कुछ उम्मीदवारों, ने अपनी डॉक्टरी परीक्षा नहीं करवाई, तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अतः अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के 14, अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 8 तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के 3 उम्मीदवार, किसी भी सेवा में आबंटित किए जाने के हकदार नहीं थे। इस तरह, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के केवल 10 और अनुसूचित जातियों की श्रेणी के 2 उम्मीदवार, रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी सेवा को आबंटित नहीं किए जा सके।

यूनानी औषधालय

5461. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों/यूनिटों में आने वाले रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन औषधालयों में प्रतिदिन औसतन कितने रोगी आए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा घटिया दवाईयों की खरीद एक मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी पद्धति में दवाईयों के मानक में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार के पास दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पद्धति की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालय/एककों में रोगियों की औसत दैनिक उपस्थिति में मामूली कमी देखी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालय/एककों में पिछले तीन वर्षों में रोगियों की औसत दैनिक उपस्थिति नीचे दी गई है:-

	1998	1999	2000
(1) सरोजनी नगर औषधालय	68 प्रतिदिन	64 प्रतिदिन	52 प्रतिदिन
(2) साउथ एवेन्यू एकक	29 प्रतिदिन	30 प्रतिदिन	24 प्रतिदिन
(3) दरियागंज एकक	50 प्रतिदिन	46 प्रतिदिन	46 प्रतिदिन
(4) नारायणा एकक	36 प्रतिदिन	33 प्रतिदिन	27 प्रतिदिन

(ग) दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपु उपलब्ध सूचीबद्ध दवाइयों का प्रापण इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.एम.पी.सी.एल.) से करते हैं, जो एक सरकारी उपक्रम है। शेष मदों की खरीद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पंजीकृत फर्मों से वार्षिक दर संविदा करके की जाती है। आपूर्ति की गई दवाइयों की जांच समिति करती है जिसमें अनुभवी यूनानी कार्यचिकित्सक होते हैं, जो अपनी निगरानी में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों की खरीद सुनिश्चित करते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक औषधालय और 3 एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन पहले ही कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत और यूनानी औषधालयों/एककों को खोले जाने संबंधी अनुरोधों पर लाभार्थियों की मांगों के आधार पर और औचित्य तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

सीमावर्ती जिला

5462. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के पाटन जिले को सीमावर्ती जिला घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में अवसंरचना में सुधार लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान केवल सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सीमित प्रयोजन के लिए ही की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता केवल उन्हीं राज्यों को ही जारी की जाती है जिनके ब्लॉक अन्तर्राष्ट्रीय भू-सीमा से लगे हैं। तथापि, गुजरात सरकार को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती हैं, कच्छ जिले के केवल छह: ब्लाक नामत: भुज, लखपत, माण्डवी, अबदासा, भचाऊ, रापर और बनासकांठा जिले के दो ब्लाक वाव और संतलपुर इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं क्योंकि केवल यही सीमा ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा से लगे हुए हैं। पाटन जिले में कोई भी ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा से लगा हुआ नहीं है। अत: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत पाटन जिले के ब्लाकों को निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल विदेश सचिवों की बैठक

5463. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के विदेश सचिवों की हाल ही में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है; और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत-नेपाल विदेश सचिव स्तर की बातचीत दिल्ली में 30 और 31 जनवरी, 2001 को हुई थी।

2. दोनों पक्षों ने जुलाई/अगस्त, 2000 में नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुई सहमति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और लम्बित मुद्दों पर तेजी से कार्य करने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में यह बात दोहराई गई कि दोनों देशों के बीच वार्ता और परस्पर कार्यवाही के लिए मौजूद संस्थागत तंत्र व्यवस्था का विचाराधीन मुद्दों पर तेजी से प्रगति करने के लिए पूरा उपयोग किया जाएगा।

3. दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय व्यापारिक, आर्थिक सहयोग और निवेश संबंधों का विस्तार करने तथा उनमें विविधता लाने की अपनी दृढ़ता को दोहराया। यह सहमति हुई थी कि मौजूदा करारों के क्रियान्वयन में प्रचालन संबंधी कठिनाइयों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें तेजी से तथा रचनात्मक तरीके से हल किया जाएगा। दोनों पक्ष अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए।

4. दोनों पक्षों ने मिलकर कार्य करने और आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए भी अपनी कटिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एक दूसरे की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल क्रियाकलापों के लिए अपने-अपने क्षेत्रों का उपयोग न होने देने की अपनी वचनबद्धता दोहराई।

5. दोनों पक्षों ने दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संबंधी संधि से जुड़े मसलों पर विचारों का उपयोग आदान प्रदान किया। उन्हें स्पष्ट और मुक्त रूप में संधि के विविध पहलुओं पर चर्चा की और दोनों पक्षों की अवधारणाओं, चिंताओं और हितों तथा अपने पड़ोसी और घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चाओं को जारी रखने पर सहमत हुए।

6. द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई जिनमें सीमांकन, मोटर वाहन आवागमन और जल संसाधन शामिल हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा

5464. प्रो. दुखा भगत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है और किसी अन्य भारतीय भाषा में आयोजित नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों के लिए आयोजित की जाने वाली इस प्रमुख परीक्षा को कम-से-कम हिंदी में भी आयोजित करने पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी में परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में छपे होते हैं। इन परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहु विकल्प) के होते हैं तथा इनके उत्तर देने की प्रक्रिया में किसी भाषा माध्यम का इस्तेमाल नहीं होता है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न रक्षा अकादमियों में भर्ती के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा का संचालन पूरी तरह से उस परीक्षा संबंधी सूचना के आधार पर किया जाता है, जिसे रक्षा मंत्रालय के परामर्श के अंतिम रूप दिया जाता है। हिंदी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अपनाए जाने संबंधी प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त डॉ. सतीश चन्द्र समिति ने विचार किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फिजियोथैरेपिस्ट और व्यावसायिक थैरेपिस्ट

5465. श्री रामानन्द सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फिजियोथैरेपिस्टों और व्यावसायिक थैरेपिस्टों की एक अलग परिषद् गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अलग परिषद् का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा सहित विभिन्न परा-चिकित्सा विषयों को विनियमित करने

के उद्देश्य से सरकार के समक्ष विनियामक ढांचा स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन

5466. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन देश में अस्पतालों के निर्माण में सहायता प्रदान करके अपनी जिम्मेवारी निभाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्पोरेशन को क्या-क्या जिम्मेवारियां दी गई हैं;

(ग) क्या इस कार्पोरेशन ने 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान की थी; और

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और कार्पोरेशन ने उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में कितनी आय अर्जित की?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (भारत) लिमिटेड ने देश में अस्पतालों के निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं के डिजाइन तैयार करने और उनके प्रबंधन के लिए सहायता की है। इन वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं के नामों और हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (भारत) लिमिटेड द्वारा अर्जित की गई आय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष		परियोजना का नाम
1		2
1998-1999	(1)	भोपाल मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट हास्पिटल, भोपाल
	(2)	इंडियन आयल कारपोरेशन हास्पिटल, मथुरा
	(3)	इंस्टीट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली
	(4)	इंस्टीट्यूट आफ सायटोलाजी एंड प्रीवेंशन आनकोलोजी, नोएडा
	(5)	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायलोजिकल्स, नोएडा
	(6)	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर
	(7)	नर्सिस रेजीडेंशियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली
	(8)	लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट आफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एलाईड डिजिजीज, नई दिल्ली
	(9)	नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसिज, शिलांग
	(10)	सेन्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली
1999-2000	(1)	भोपाल मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट हास्पिटल, भोपाल
	(2)	इंडियन आयल कारपोरेशन हास्पिटल, मथुरा
	(3)	इंस्टीट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली
	(4)	इंस्टीट्यूट आफ सायटोलाजी एंड प्रीवेंशन आनकोलोजी, नौएडा
	(5)	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायलोजिकल्स, नोएडा
	(6)	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर
	(7)	नर्सिस रेजीडेंशियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली
	(8)	लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट आफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एलाईड डिजिजीज, नई दिल्ली
	(9)	नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसिज, शिलांग
	(10)	सेन्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली
2000-2001	(1)	भोपाल मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट हास्पिटल, भोपाल
	(2)	इंस्टीट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली

1	2
	(3) इंस्टीट्यूट आफ सायटोलाजी एंड प्रीवेंशन आनकोलोजी, नौएडा
	(4) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायलोजिकल्स, नौएडा
	(5) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर
	(6) नर्सिंस रेजीडेंशियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली
	(7) लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट आफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एलाईड डिजिजीज, नई दिल्ली
	(8) नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसिज, शिलांग
	(9) सेन्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली
	(10) कोआपरेटिव एकेडमी आफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कोचीन
	(11) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर

इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कारपोरेशन द्वारा अर्जित की गई आय इस प्रकार है:-

वर्ष	अर्जित की गई आय
1998-1999	5,07,97,726.70 रुपये
1999-2000	8,20,96,533.00 रुपये
2000-2001	10,13,62,965.00 रुपये

[अनुवाद]

कर्नाटक की स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

5467. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक ने कर्नाटक को ऋण देने के लिए जिन स्वास्थ्य परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान अब तक कितनी राशि जारी की गई है या जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग कर्नाटक के अध्यापन अस्पतालों के उन्नयन हेतु भी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की चल रही परियोजनाओं के अधीन कर्नाटक में शिक्षण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता नहीं दी जाती है।

हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना

5468. डा. अशोक पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 220 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर कितनी राशि के व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले एक प्रोटोटाइप प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 2000-01 के स्थिर मूल्य स्तर पर 1175 करोड़ रुपए है। वित्तीय संस्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना के आठ वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है। इस संयंत्र के स्थल के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

ब्लड बैंकों की स्थापना

5469. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी शहरों के अस्पतालों में ब्लड बैंकों की स्थापना करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी अस्पतालों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि सरकार उन जिलों में कम से कम एक रक्त बैंक स्थापित कर रही है जहां कोई सरकारी रक्त बैंक नहीं हैं, ताकि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी रक्त बैंक हो।

पिछड़ी जातियों हेतु समीक्षा समिति

5470. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवा में पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में किसी समीक्षा समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अभी तक सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है: और

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

'विक्रांत' में फिल्मांकन

5471. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हॉलीवुड के फिल्म निर्माता ने 'विक्रांत' में फिल्म 'पर्ल हार्बर' का फिल्मांकन करने के लिए भारतीय नौसेना से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी राशि अर्जित होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मधुमक्खी पालन

5472. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग और इस प्रकार की अन्य एजेंसियों ने 1999, 2000 और 2001 के दौरान 31 जुलाई तक मधुमक्खी पालन पर कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों, विशेषत: उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मधुमक्खी पालन उद्योग के संरक्षण के बारे में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान मधुमक्खी पालन पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	के.वी.आई.सी. के बजटीय स्रोत
1999-2000	58.00
2000-2001	8.00
2001-2002 (31 जुलाई 2001 तक)	4.00

इसके अलावा, कृषि तथा सहकारिता विभाग, 2000-01 तक "फसल पैदावार में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन विकास" पर

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अन्तर्गत खर्च की गई कुल निधि निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी कुल निधि (लाख रु. में)
1999-2000	181.764
2000-2001	50.00
2001-2002	250.00 (आबंटन)

(ख) जी, हां।

(ग) ऐपीस मैलीफेरा मधुमक्खी कॉलोनी जो कि जन्मजात भारतीय नहीं है, को अपनाने के लिए अध्ययन किए गए थे। के.वी.आई.सी. ने इन राज्यों में ऐपीस मैलीफेरा तथा ऐपीस सिराना मधुमक्खी कॉलोनियों के विकास हेतु संस्थानों का चयन किया था। सैक ब्रूड डिजीस को रोकने के लिए मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया था। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर डिजीज फ्री स्टॉक का मल्टीप्लिकेशन तथा डिस्ट्रिब्यूशन तथा डिजीज फ्री मधुमक्खी कॉलोनियों के शीघ्र मल्टीप्लिकेशन का कार्य भी किया गया था।

अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुपात

5473. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री सुबोध राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अस्सी के दशक, नब्बे के दशक और आज की तारीख में कर्मचारियों, सचिवों और अधिकारियों के बीच क्या अनुपात है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सचिवों और अधिकारियों को दिए गए वेतन और सुविधाओं पर कुल कितना व्यय किया?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

मिलिटरी नर्सिंग सेवा

5474. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलिटरी नर्सिंग सेवा एम.एन.एस. के सदस्य कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस सरकारी आदेश का ब्यौरा क्या है जिसमें उन्हें यह पदनाम दिया गया है;

(ग) क्या उक्त सरकारी आदेश को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एम.एन.एस. के कार्मिक लैफ्टिनेन्ट, कैप्टन, मैजर आदि जैसे सेना के कमीशन प्राप्त रैंक पदचिन्ह वाली वर्दी पहनते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इनको कमीशन प्राप्त अधिकारियों, सामान्य संवर्ग के सेनाधिकारियों आदि को दिए जा रहे मूल वेतन, रैंक वेतन, अन्य संगत भत्ते और अनुलाभ नहीं दिए जा रहे हैं; और

(छ) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) मिलिटरी नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को (भारतीय) मिलिटरी नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 (1943 का अध्यादेश XXX) के प्राधिकार के अधीन कमीशन प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) मिलिटरी नर्सिंग सेवा एक सहायक बल है। मिलिटरी नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के वेतन और भत्ते भारतीय नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943 द्वारा शासित होते हैं। अत: उन्हें कमीशन प्राप्त अधिकारियों, सामान्य संवर्ग सेना अधिकारियों आदि के बराबर वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। इस समय, मिलिटरी नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते दिए गए हैं।

[हिन्दी]

युवाओं को लघु उद्योगों हेतु प्रशिक्षण

5475. **श्री वाई.जी. महाजन :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को देश में, विशेषत: मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण दिए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की राज्य-वार और स्थान-वार मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इस योजना से अब तक कितने बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के बेरोजगार युवाओं को स्व-नियोजित इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 1993-94 से 2000-2001 के दौरान 17.97 लाख बेरोजगार युवाओं के बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	मानदंड	
1	2	
1.	आयु	1. सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 18 से 35 वर्ष। 2. उत्तर पूर्व राज्यों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 18 से 40 वर्ष। 3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष।
2.	शैक्षिक योग्यता	आठवीं पास। सरकारी मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित संस्थाओं से किसी भी ट्रेड में कम से कम 6 महीने प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।
3.	पारिवारिक आय	न तो लाभार्थी न ही उसके/उसकी (पति/पत्नी) आय और न ही लाभार्थी के माता पिता की प्रतिवर्ष रु. 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.	निवास	इस इलाके में न्यूनतम तीन वर्ष का स्थायी निवास हो (इसमें विवाहित महिलाओं को छूट है, विवाहित महिलाओं के मामले में निवास मानदंड उसके पति या ससुराल के लोगों पर लागू होंगे)।
5.	चूककर्ता	किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान सहकारी बैंक का बाकीदार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राजसहायता से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना में पहले से सहायता प्राप्त व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
6.	कार्यकलाप	फसल उगाना, उर्वरक की खरीद इत्यादि जैसे प्रत्यक्ष कृषि प्रचालनों को छोड़कर कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों सहित आर्थिक रूप से व्यवहार्य सभी कार्यकलाप।
7.	परियोजना लागत	व्यवसाय क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये। कार्यकलाप के लिए संयुक्त ऋण दो लाख रु.। यदि दो या अधिक पात्र व्यक्ति एक साथ भागीदारी में कार्य करते हैं तो 10 लाख रुपये तक की परियोजना शामिल हो सकती है। सहायता व्यक्तिगत सीमा तक स्वीकार्य होगी।
8.	सब्सिडी एवं मार्जिन मनी	1. सब्सिडी परियोजना लागत का 15 प्रतिशत प्रति लाभार्थी जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए प्रति लाभार्थी होगी। बैंकों को उद्यमी से परिवर्ती रूप से परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत

1	2
	तक मार्जिन मनी के रूप में लेने की अनुमति होगी ताकि सब्सिडी तथा मार्जिन मनी का योग परियोजना लागत का 20 प्रतिशत के बराबर किया जा सके।
	2. उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर पर सब्सिडी दी जाएगी बशर्ते कि अधिकतम सीमा 15000 रु. तक हो। उद्यमी का मार्जिन मनी योगदान परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से लेकर 12.5% तक भिन्न हो सकता है ताकि राजसहायता एवं मार्जिन मनी का जोड़ परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर हो सके।
9. समपार्श्विक	औद्योगिक क्षेत्र में 2.00 लाख रु. तक की परियोजना लागत (प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा) की इकाईयों हेतु कोई समपार्श्विक नहीं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, भागीदारी परियोजनाओं के लिए, समपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने हेतु छूट सीमा 5.00 लाख रु. तक प्रति उधार लेखा होगी। सेवा और व्यापार क्षेत्र की इकाईयों हेतु 1.00 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए कोई समपार्श्विक नहीं होगा। भागीदार परियोजनाओं के मामले में समपार्श्विक से छूट भी, परियोजना में भागीदार, प्रति व्यक्ति 1.00 लाख रु. की राशि तक सीमित होगी।
10. ब्याज दर और पुनर्भुगतान	ब्याज सामान्य दर से लिया जाएगा। वापसी अदायगी की अनुसूची तथा निर्धारित प्रारंभिक ऋण शोध विलम्ब काल के पश्चात् तीन से सात वर्ष के बीच में होगी।
11. आरक्षण	महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

1	2
	के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए विचार करने के लिए सक्षम होंगी।
12. प्रशिक्षण	प्रत्येक उद्यमी जिसको ऋण स्वीकृत किया जाएगा उसे निम्नलिखित प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाएगा:-
	1. उद्योग क्षेत्र के लिए- अवधि 15-20 कार्य दिवस वृतिका 300 रु. प्रशिक्षण व्यय रु. 700 प्रति लाभार्थी
	2. सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए अवधि 7-10 कार्य दिवस वृतिका 150 रु. प्रशिक्षण व्यय रु. 350 प्रति लाभार्थी
13. कार्यान्वयन एजेंसी	योजना के कार्यान्वयन हेतु बैंकों सहित मुख्यत: जिला उद्योग केन्द्र और उद्योग निदेशालय उत्तरदायी है।

[अनुवाद]

कॉयर और कॉयर उत्पादों की क्षति

5476. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उड़ीसा में आई बाढ़ से राज्य में कॉयर उत्पाद को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) क्या राज्य के तटीय क्षेत्रों में लघु इकाइयां बाढ़ और वर्षा के कारण प्रभावित हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रभावित लघु उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 13 प्राइमरी कॉयर सहकारी सोसाइटियों और 18 प्राइवेट कॉयर औद्योगिक इकाइयों को नुकसान हुआ है।

(ग) एक तकनीकीय टीम नुकसान का मूल्यांकन कर रही है, ताकि जहां कहीं आवश्यक हो सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए धनराशि के उपयोग संबंधी समिति

5477. श्री रामजीवन सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए दी जाने वाली राशि के उपयोग के संबंध में कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की संरचना और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, जुलाई, 2000 में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की जांच करने के लिए ''राज्यपालों की एक समिति'' गठित करने का निर्णय लिया गया था।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं

5478. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य तथा मानवाधिकार विशेषज्ञों ने देश में स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के विनियमन के लिए राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड और राज्य जन स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जन स्वास्थ्य पद्धतियों को विनियमित करने और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड और प्रत्येक राज्य में एक राज्य जन स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहभागिता से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर आयोजित किए गए एक क्षेत्रीय परामर्श की सिफारिशों के एक भाग के रूप में निहित था। तथापि इस समय ऐसा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

5479. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि के 2 करोड़ रुपए को समाहर्ता के नियंत्रण में रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम.पी.एल.ए.डी.एस. के कार्यान्वयन को तीव्रता प्रदान करने के लिए प्रत्येक छः माह के बाद समाहर्ता से उपयोगिता प्रमाणपत्र या व्यय विवरण मांगे जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) जी, नहीं। 50 लाख रुपये से कम अव्ययित अधिशेष दर्शाने वाला व्यय-विवरण प्राप्त होने पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निधियां संबंधित सांसद के केन्द्रक अधिकारी को अवमोचित कर दी जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के आशय से कि निधियों के अभाव में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्य प्रभावित न हों, जिलाध्यक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे सांसदों की, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों की उनकी पूर्ण पात्रता की सीमा तक कार्यों को, निधियां के वास्तविक अवमोचन की प्रतीक्षा किए बिना संस्वीकृति दें। उन्हें यह सुझाव भी दिया जा चुका है कि वे प्रतिमाह मंत्रालय को व्यय रिपोर्ट भेजें ताकि मंत्रालय संबंधित सांसद की पात्रता के अनुसार निधियां अवमोचित कर सकें।

कोड रैड वाइरस

5480. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'कोड रेड' नामक एक नया कम्प्यूटर वाइरस कम्प्यूटरों को प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह वाइरस भारतीय कम्प्यूटरों में भी प्रवेश कर चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल के रूप में गठित सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा केन्द्र ने इस वाइरस के प्रभाव का विश्लेषण किया था और अपने सभी ग्राहकों को इस वाइरस के व्यापक रूप से फैलने से काफी पहले ही, आवश्यक चेतावनियां भेज दी थीं।

(ग) से (ङ) सरकारी प्रतिष्ठानों में इस वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक नैदानिक उपाय पहले ही प्रतिष्ठापित कर दिए गए थे। प्रयोक्ता समुदाय को भी इसके दुष्प्रभावों का उपशमन करने के लिए आवश्यक अनुदेशों/परामर्शों की जानकारी दे दी गई थी।

दवाओं की उपलब्धता

5481. डा. वी. सरोजा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चेन्नई स्थित औषधालयों को दवाओं की नियमित आपूर्ति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश ने लगभग 8 महीने तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई को औषधों की आपूर्ति नहीं की क्योंकि उनका उत्पादन प्रभावित हो गया था।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए मांगें (इंडेंट) पहले ही इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड को भेज दी गई हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को औषधों की नियमित आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई को औषधों की आपूर्ति करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

5482. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषतौर से मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त

रिपोर्टों के अनुसार, अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में (31.10.2000 तक छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों सहित) 81,795 व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार सहित पूरे देश में 8.11 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किए गए हैं।

(ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए मध्य प्रदेश के लिए 47,398 लोगों के मूल लक्ष्य सहित, देश के लिए 6.60 लाख का कुल लक्ष्य रखा गया था।

होम्योपैथिक औषधालयों में स्थानीय खरीद व्यवस्था

5483. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में स्थानीय खरीद प्रणाली शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को होम्योपैथिक औषधों की आपूर्ति करने हेतु स्थानीय कैमिस्ट नियुक्त करने के लिए एक प्रयास पहले किया गया था लेकिन कैमिस्टों से कोई अनुक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, लाभार्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए अनुपलब्ध/सूचीबद्ध औषधों जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक परामर्शदाता/फिजीशियन द्वारा लिखी जाती हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना होम्पोपैथिक स्टोर के पास उपलब्ध पेशगी रकम से स्थानीय खरीद करके प्रदान की जाती हैं।

दिल्ली से बाहर के कुछ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहरों में अनुपलब्ध होम्योपैथी औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकृत एलोपैथिक स्थानीय कैमिस्ट से प्राप्त की जाती हैं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

ऑपरेशन सद्भावना

5484. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन सद्भावना' के कारण तुर्तुक, कारगिल, द्रास के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों और 'अप्रभावित' लेह कस्बे में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए सरकार ने पर्याप्त राशि आबंटित की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) आपरेशन सद्भावना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान लेह तथा कारगिल जिलों में 12 नए स्कूलों, 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, 3 मुर्गी पालन केन्द्रों, 2 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों, 1 छात्रावास तथा 5 चिकित्सा सहायता केन्द्रों का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2 स्कूलों का जीर्णोद्धार तथा 3 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। आपरेशन सद्भावना स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाता है तथा प्रयोक्ताओं को बेहतर तरीके से संतुष्ट करने के लिए विशेष परियोजनाओं पर निर्णय लेते समय स्थानीय लोगों की जरूरतों तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है।

स्वास्थ्य को मूल अधिकार बनाया जाना

5485. श्री अनन्त नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य को मूल अधिकार बनाए जाने के लिए सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य को मूल अधिकार बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विधान बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। महिला और बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मातृ रक्ताल्पता के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर एक कार्यशाला 26 से 27 अप्रैल, 2000 तक आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को संविधान में स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश की गई है। आयोग ने कार्यशाला की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को अपना लिया है।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य सभी अधिकारों के सबसे अधिक मौलिक तत्व जीने का अधिकार का एक संघटक है। यद्यपि भारत के संविधान में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है फिर भी राज्य द्वारा सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की बाध्यता अच्छे शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1978 में ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' की 'अल्मा आटा घोषणा' पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य है जिसमें खासकर गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं को पहुंचाने का उल्लेख है।

जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने 137271 उपकेन्द्रों, 22975 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2935 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, (30.6.99 की स्थिति के अनुसार) जो देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धन और रोजगार स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं, वाले ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं की कवरेज तथा उसकी गुणवत्ता को इष्टतम बनाने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में बड़ी कमियों को दूर करने के लिए सरकार कुष्ठ, क्षय, मलेरिया, एड्स, दृष्टिहीनता रोग नियंत्रण के विभिन्न कार्यक्रमों और प्रजनक व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए समर्थन देने हेतु विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेन्सियों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों का आवर्धन करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

विश्व बैंक की सहायता से 7 चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं अर्थात् प्रथम पंक्ति के रेफरल केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर ऊपर जिला स्वास्थ्य अस्पतालों तक) का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना को चरणबद्ध ढंग से अन्य राज्यों में लागू करने का भी प्रस्ताव है।

भारत स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत खर्च करता है जिसमें से लगभग 0.7 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से होता है और शेष निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह अनेक एशियाई देशों से अधिक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए रखे गए कुल योजना परिव्यय के 4.01 प्रतिशत परिव्यय से भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखे गए 3.24 प्रतिशत परिव्यय की तुलना में वृद्धि का पता चलता है।

देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता पर आश्रित है। धन के अभाव के चलते इस अवस्था में स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने पर विचार करना संभव नहीं है।

आधारभूत ढांचा सुविधाओं का अभाव

5486. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री अनन्त नायक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में गश्त करने वाले सेना कर्मियों को उपलब्ध कराई गई आधारभूत ढांचा सुविधाओं की अपर्याप्तता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें दी गई आधारभूत ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और उन्हें आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) सेना कार्मिकों को उपलब्ध कराई गई आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं। इसके बावजूद इस संबंध में और सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है।

सामुदायिक इंटरनेट प्रणाली

5487. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सामुदायिक इंटरनेट प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा उपयुक्त प्रणाली को राज्यवार किन-किन स्थानों में स्थापित किया गया है;

(ग) इस प्रणाली पर कितनी लागत आई है और इसकी उपयोगिता क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को प्रत्येक राज्य में कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां मूलसंरचनात्मक तथा संचार संबंधी सुविधाओं की कमी है, समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए दो वर्षों में सभी पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी.आई.सी.) स्थापित करके सम्पर्क उपलब्ध कराने की एक योजना लगभग 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित की गई है।

उपर्युक्त राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्थानों पर 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करके 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगस्त, 2000 में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इन सामुदायिक सूचना केन्द्रों से प्राप्त केन्द्रों से प्राप्त अनुभव के आधार पर इन राज्यों के शेष 457 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

केन्द्रीय भंडार के उपनियमों का उल्लंघन

5488. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार के निदेशक मंडल के कुछ चुने गए निदेशकों ने केन्द्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर केन्द्रीय भंडार के उपनियमों के घोर उल्लंघन के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार को एम.एस.सी.ए. के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने के बाद केन्द्रीय भंडार द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए उपनियमों को अभी तक मंजूरी/अनुमोदन नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन उपनियमों को कब तक मंजूरी/अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार के निदेशक-बोर्ड में चुने गए एक निदेशक ने निदेशकों के चुने जाने से जुड़े प्रक्रियात्मक मुद्दे उठाते हुए निदेशकों के चक्रानुक्रम से संबंधित रिक्तियों के बारे में केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां के पास एक याचिका दायर की है। केन्द्रीय पंजीयक ने उपर्युक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 30.8.2001 को की जानी निश्चित की है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भंडार के बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त समिति अर्थात् केन्द्रीय भंडार के सभी उप नियम केन्द्रीय पंजीयक द्वारा पंजीकृत कर दिए गए हैं।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग

5489. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान का पिछड़ा वर्ग समुदाय आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनडुब्बी बचाव पोत

5490. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की एक विशेष पनडुब्बी बचाव पोत खरीदने की योजना है क्योंकि भारतीय 18 पनडुब्बियों में से केवल चार के ढांचे में ही बचाव करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो नौसेना को पनडुब्बी बचाव पोत कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) सभी भारतीय नौसेना पनडुब्बियों में ऐसी क्षमता है कि उनके कर्मीदल एस्केप स्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए, लगभग 120 मीटर की गहराई से उनमें से बच निकल सकते हैं। सम्बद्ध अवसंरचना सहित डीप सब्मरजेंस रेस्क्यू वेसल्स को शामिल किए जाने का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

कल्याणकारी परियोजनाओं को स्वीकृति

5491. श्री उत्तमराव पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कल्याणकारी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र से जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लंबित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार विशेष रूप से महाराष्ट्र से जांच रिपोर्ट के प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बित पड़ी कल्याणकारी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता योजना के मानकों के अनुसार मांगी जाती हैं।

(घ) आवेदन-पत्र के निपटान में लगने वाला समय पूर्ण दस्तावेजों, पदनामित अधिकारियों की सिफारिशों के प्राप्त होने और क्षेत्र में परियोजना के लिए निर्धारित जरूरत पर निर्भर करता है।

विवरण

राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट की प्राप्ति न होने के कारण लम्बित कल्याण परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	परियोजनाओं का नाम
1	2	3
1.	अस्मिता महिला सुधार मंडल, भारत डे केयर सेंटर, महकर-443001, बुलदाना, महाराष्ट्र	दिवा देखभाल केन्द्र
2.	जाचकीभाई ट्रस्ट, कमला वाई अजमेरा, विद्यानगरी, देवपुर धुले, महाराष्ट्र	एक दिवा देखभोल केन्द्र
3.	मुक्त द्वार उन्नति मंडल, जलगांव जिला, महाराष्ट्र	एक दिवा देखभाल केन्द्र
4.	सेंटर फार हैल्थ ओरिएंटेशन रिसर्च एंड डवलपमेंट, 32/2 गणेश कालोनी, प्रतापनगर, नागपुर-440022	एक मोबाइल मेडिकेयर यूनिट
5.	जन क्रान्ति शिक्षा प्रचारक मंडल, बाराहाली, तालुक मुखहेड, जिला नान्देड़, महाराष्ट्र	एक वृद्धाश्रण
6.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, ईस्ट प्लाजा, इन्द्रा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली (जिला उसमानाबाद, सतारा, बीड़, शोलापुर और बुद्धआना में परियोजना)	पांच दिवा देखभाल केन्द्र
7.	संत रविदास समाज सेवा मंडल एटी पोस्ट कीवाला ताल्लुक लोहा, जिला नान्देड़	गैर-आवासीय स्कूल

1	2	3
8.	पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी बार्ड नं. 1, ओल्ड सिटी, डाक्टर अम्बेडकर नगर, मल्कापुर रोड, जिला बुल्दाना	आवासीय स्कूल
9.	बालाजी शिक्षण संस्थान नालजियार, ताल्लुक, जिला उद्धगीर	छात्रावास
10.	श्रीजगदम्बा विद्या प्रसारक मंडल, आनन्द नगर, पूर्णा ताल्लुक पूर्णा, जिला परभनी	आवासीय स्कूल
11.	अखिल भारतीय महास्वर्गीय समाज प्रभोदान कम्प्यूटर संस्थान, 16-प्रकाश अपार्टमेंट कटेमानविली, कल्याण, पूर्वी जिला थाणे	कम्प्यूटर
12.	सावित्रीवाई फूले मगास्वर्गीय शिक्षण संस्थान, नॉन रैजिडेंस 80 पोस्ट, नांचल गांव, जिला वर्धा	गैर-आवासीय स्कूल
13.	बालाजी युवा मंडल नवांदी ताल्लुक उद्धगीर, रैजीडेंस स्कूल जिला लातूर, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल

[अनुवाद]

योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए धन

5492. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का पर्याप्त रूप में प्रचार-प्रसार नहीं कर रही है;

(ख) क्या ज्यादातर अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदाय सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों से अवगत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रचुर रूप से प्रचार-प्रसार करने का है और प्रचार-प्रसार के लिए अधिक धन आबंटित करने का है ताकि इन लोगों को इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त हो सकें?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न प्रकार की मीडिया जैसे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया आदि के माध्यम से अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार कर रहा है। मंत्रालय द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों संबंधी बनायी गई वीडियो फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केन्द्रों पर भी दिखायी जा रही हैं। फिल्मों की वी.एच.एस. कैसेटें बनायी गई हैं और क्षेत्र प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों और क्षेत्र प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्र प्रचार इकाईयों को इनकी आपूर्ति की गई है। मंत्रालय की फिल्में दूरदर्शन और आई.जी.एन.ओ.यू. द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे चैनल-ज्ञान दर्शन पर भी दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा, एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ''संवरती जाएं जीवन की राहें' का निर्माण करके आकाशवाणी के 30 विविध भारती, 73 स्थानीय केन्द्रों और पूर्वोत्तर के 15 प्राइमरी चैनल/केन्द्रों पर हिन्दी और 19 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार भी करता है। मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं का सार-संग्रह भी मुद्रित कर दिया गया है और सभी संसद सदस्यों को भेज दिया गया है जिससे कि वे योजनाओं के बारे में अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सूचित और शिक्षित कर सकें। मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अद्यतन सूचना मंत्रालय की वेबसाइट: *डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. डॉट सोशल जस्टिस डॉट निक डॉट इन* पर भी दर्शायी जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से जनजातीय कल्याण की योजनाओं सहित योजनाओं के प्रचार पर व्यय की गई निधियां निम्नलिखित हैं:

1998-99	1999-2000	2000-01 (रुपये करोड़ में)
2.99	3.42	3.95

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रचार के लिए निधियों का आबंटन बढ़ाकर 4.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार एक सतत् प्रयास है और इसे विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से सतत् आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

केरल में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

5493. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कन्नूर अथवा कासरगोड में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। नए पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना किसी क्षेत्र विशेष में मौजूदा कार्यालयों की स्थिति और आवेदन-पत्रों की संख्या जैसे कुछ मानदण्डों पर आधारित होता है।

मंत्रालय ने जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार किए जाने के लिए पासपोर्ट सेवाओं के विकेन्द्रीकरण का कार्य आरंभ किया है। यह कार्य पहले से ही 23 स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार जहां नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना है, उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 आवेदन-पत्र आने चाहिए। कन्नूर और कासरागौड जिलों से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या क्रमश: 28,900 और 14,000 है। इससे इन जिलों में से किसी में भी पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं बनता।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के जरिये उपचार

5494. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के माध्यम से उपचार की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों/व्यक्तियों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली/नयी दिल्ली क्षेत्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय में कितने सरकारी कर्मचारी/व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में अपने लाभार्थियों के चिकित्सीय उपचार पर खर्च किये गये धन का औषधालयवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नयी दिल्ली क्षेत्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों में पत्रकार भी अपना उपचार करा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं को प्राप्त करने की औपचारिकताओं की अनुमति देने वाले नियम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के जरिए उपचार के लिए पात्र कर्मचारियों/व्यक्तियों की श्रेणियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य।
2. संसद सदस्य और पूर्व संसद सदस्य।
3. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवारत और सेवानिवृत्त)।
4. केन्द्रीय सरकारी पेन्शनर।
5. स्वतंत्रता सेनानी।
6. दिल्ली में कुछ अर्ध-सरकारी स्वायत निकायों के कर्मचारी।
7. मान्यताप्राप्त पत्रकार (औषधालय स्तर तक)।
8. पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन एलोपैथिक दवाइयों की स्थानीय खरीद का औषधालयवार खर्च विवरण-II में दिया गया है।

चूंकि चिकित्सा सामग्री-भंडार संगठन के जरिए एलोपैथिक औषधों और अन्य एजेन्सियों के जरिए आयुर्वेदिक/यूनानी/सिद्ध/होम्योपैथिक पद्धतियों की औषधों की बल्क खरीद के औषधालयवार लेखे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन नहीं रखे जाते। इसलिए इन दवाइयों पर हुआ कुल समेकित व्यय विवरण-III पर दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकार प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा उन्हें जारी किए गए मान्यता कार्ड के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्राप्त करने के हकदार हैं जिससे वे जी.पी. कार्ड स्कीम के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मिलने वाली सुविधाओं के बराबर चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र बन जाएंगे।

विवरण-I

30.6.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधालयवार कार्ड और लाभार्थी

औषधालयों के नाम	कार्ड		लाभार्थी		कुल कार्ड	कुल लाभार्थी
	सेवारत	पेंशनर्स	सेवारत	पेंशनर्स		
1	2	3	4	5	6	7
अशोक विहार	3805	1879	15253	3685	5684	18938
दिल्ली कैंट	5540	292	27885	560	5832	28445
देव नगर	2690	522	14988	1159	3212	16147
हरीनगर	4884	1079	23769	2126	5963	25895
इन्द्रपुरी	3983	360	17202	847	4343	18049
जनकपुरी-1	13165	3587	50870	7627	16752	58497
जनकपुरी-2	3536	1973	14294	3407	5509	17701
करोल बाग	1103	259	3946	314	1362	4260
नारायणा	2136	738	12113	2216	2874	14329
न्यू राजेन्द्र नगर	1686	1188	7035	2833	2874	9868
नांगल राया	7067	1789	33461	5228	8856	38689
पटेल नगर-1	1947	419	8209	1310	2366	9519
पटेल नगर-2	2692	513	16286	1005	3205	17273
पूसा रोड	1046	511	4136	1285	1557	5421
पालम कालोनी	9755	1108	49518	2565	10863	52083
पीतम पुरा	6161	1250	27485	2761	7411	30246

1	2	3	4	5	6	7
राजौरी गार्डन	3877	1558	16256	3151	5435	19407
रोहिणी	3687	1488	16554	3293	5175	19847
पश्चिम विहार	5336	1654	19237	5170	6990	24407
शकूर बस्ती	4711	1198	25797	2665	5909	28462
सुंदर विहार	2696	1151	12468	3484	3847	15952
तिलक नगर	4099	1287	18163	3361	5386	21324
त्रि नगर	1146	267	5452	545	1413	5997
चांदनी चौक	1278	242	5553	515	1520	6068
दरियागंज	3135	441	11530	1352	3576	12882
किंग्सवे कैम्प	16381	1085	87849	2182	17466	90031
पुल बंगस	1419	275	6768	600	1694	7368
राजपुर रोड	3286	82	18097	162	3368	18259
सब्जी मंडी	2535	394	10343	1269	2929	11612
तिमारपुर	4893	296	23315	782	5189	24097
दिलशाद गार्डन	2507	458	9850	969	2965	10819
जी.के.जी.	6998	816	28410	3152	7814	31562
लक्ष्मी नगर	7680	1136	38700	4545	8786	43245
मयूर विहार	12990	1200	61165	3600	14190	64765
शाहदरा	9824	1366	42446	4036	11190	46482
यमुना विहार	19767	266	51263	1799	11029	53062
विवेक विहार	3801	1417	16013	2823	5218	18836
गाजियाबाद	6178	928	37757	2077	7106	39834
गुड़गांव	5175	836	25538	2436	6011	27974
गोल मार्केट	5034	318	26456	640	5352	27096
नोयडा	3598	2190	25760	7450	5788	33210
चित्रगुप्त रोड	4674	255	20880	765	4929	21645
लोदी रोड	4309	220	16883	470	4529	17353

1	2	3	4	5	6	7
अलीगंज	4149	709	20901	2102	4858	23003
काली बाड़ी	4277	390	21264	1094	4667	22358
चाणक्यपुरी	2164	242	8150	580	2469	8793
फरीदाबाद	3532	961	16646	2413	4493	19059
पहाड़गंज	2275	412	13770	1335	2687	15105
पंडारा रोड	2528	299	10423	442	2827	10865
नार्थ एवेन्यू	2640	791	8908	2298	3431	11206
प्रगति विहार	2630	56	10836	107	2686	10943
प्रेसीडेंट इस्टेट	1964	95	9643	239	2059	9882
मिंटो रोड	4692	200	22972	454	4892	23426
डा. जाकिर हुसैन मार्ग	1641	212	1046	430	1853	10476
टेलीग्राफ लेन	1303	117	9285	252	1420	9537
कांस्टीट्यूशन हाऊस	2374	80	8742	173	2454	9815
साऊथ एवेन्यू	2863	239	15640	834	3102	16474
एण्ड्रूज गंज	3040	720	14797	2352	3760	17149
पुष्प विहार	11445	163	56195	389	11608	56584
हौज खास	3284	860	18816	1760	4144	20522
जंगपुरा	1407	577	6203	1474	1984	7677
कालकाजी-1	2295	2230	9180	4460	4525	13640
कालकाजी-2	2672	1283	15662	2886	3955	18548
कस्तूरबा नं. 1	3199	131	16948	282	3330	17230
कस्तूरबा नं. 2	2802	147	13992	390	2949	14382
किदवई नगर	5111	385	28299	810	5496	29109
लाजपत नगर	1533	810	6474	1707	2334	8181
लक्ष्मीबाई नगर	3120	445	10877	1033	3565	11910
मालवीय नगर	1674	683	7161	1371	2357	8532
एम.बी. रोड	7819	442	34490	866	8261	35356

1	2	3	4	5	6	7
मोती बाग	3392	822	15343	3032	4214	18375
मुनिरका	2940	388	15118	591	3334	15709
नानक पुरा	3144	726	12497	1760	3870	14257
नौरोजी नगर	2639	435	10853	1275	3074	12128
नेताजी नगर	3940	319	16844	724	4259	17568
आर.के. पुरम-1	4795	839	24216	2480	5634	26696
आर.के. पुरम-2	3810	243	20833	538	4053	21371
आर.के. पुरम-3	3884	425	25137	962	4309	26099
आर.के. पुरम-4	3912	518	17109	1091	4430	18200
आर.के. पुरम-5	4031	656	20793	1976	4687	22771
आर.के. पुरम-6	4143	576	12630	1227	4719	13587
सादिक नगर	3613	872	14267	2403	4485	16670
सरोजिनी नगर-1	2603	246	10268	505	3843	10773
सरोजिनी नगर-2	1589	221	6944	579	1810	7523
सरोजनी नगर मार्केट	2235	158	7632	354	2374	7986
श्रीनिवासपुरी	7091	806	35303	1616	7897	36919

विवरण-II

स्थानीय खरीद पर औषधालयवार व्यय

क्र.सं.	औषधालय का नाम	1.4.2000 से 31.3.2001 1.4.2000 से 31.3.2001 तक
1	2	3
1.	जंगपुरा	1823169
2.	पुष्प विहार	5507524
3.	एम.बी. रोड	8,231,144
4.	मुनिरका	3529302
5.	लक्ष्मीबाई नगर	6136133
6.	सादिक नगर	4156486
7.	हौजखास	10021584
8.	श्रीनिवासपुरी	10406924
9.	नानकपुरा	4643163
10.	लाजपत नगर	5015088
11.	किदवई नगर	4992353
12.	मोती बाग	5362976
13.	नेताजी नगर	5152286
14.	नौरोजी नगर	4411471
15.	कालकाजी-1	9845691

1	2	3
16.	कालकाजी-2	4013926
17.	सरोजनी नगर-1	3539322
18.	सरोजनी नगर-2	2899858
19.	एण्ड्रूज गंज	5293381
20.	सरोजनी नगर	3495829
21.	मालवीय नगर	9305151
22.	आर.के. पुरम-1	7538081
23.	आर.के. पुरम-2	6531584
24.	आर.के. पुरम-3	7164753
25.	आर.के. पुरम-4	12326264
26.	आर.के. पुरम-5	3905881
27.	आर.के. पुरम-6	5655530
28.	कस्तूरबा नगर-1	4374473
29.	कस्तूरबा नगर-2	2414588
30.	सब्जी मंडी	4697136
31.	पुल बंगश	2328799
32.	जी.के.जी.	6040124
33.	मयूर विहार	9316034
34.	लक्ष्मी नगर	9471447
35.	दिलशाद गार्डेन	4202783
36.	चांदनी चौक	1568841
37.	दरियागंज	4524633
38.	विवेक विहार	9156608
39.	तिमारपुर	5031424
40.	शाहदरा	5973740
41.	राजपुर रोड	2275584
42.	यमुना विहार	8439517
43.	किंग्सवे कैंप	10612999
44.	न्यू राजेन्द्र नगर	5915698
45.	जनकपुरी-1	16111281
46.	जनकपुरी-2	10969298
47.	पीतम पुरा	8299908
48.	रोहिणी	5773342
49.	पालन कालोनी	5722189
50.	दिल्ली कैंट	4496407
51.	करोल बाग	2367531
52.	शकूर बस्ती	6642093
53.	तिलक नगर	7420921
54.	नारायणा	3101158
55.	पश्चिम विहार	9871201
56.	सुंदर विहार	5318272
57.	देव नगर	4699179
58.	हरी नगर	8941861
59.	इन्द्रपुरी	3430110
60.	पूसा रोड	2781866
61.	ईस्ट पटेल नगर	7747658
62.	वेस्ट पटेल नगर	4465750
63.	राजौरी गार्डन	9816272
64.	अशोक विहार	8334287
65.	नांगलराय	8033963
66.	त्रिनगर	5324893

1	2	3
67.	मिंटो रोड	6341274
68.	लोदी रोड-1	3681532
69.	लोदी रोड-2	3489118
70.	चाणक्यपुरी	2960929
71.	नोएडा	11430192
72.	प्रेसीडेंट इस्टेट	3228655
73.	गाजियाबाद	7463122
74.	साउथ एवेन्यू	4607889
75.	नार्थ एवेन्यू	9047215
76.	प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल आर.के. पुरम	1825800
77.	गोल मार्केट-1	9225508
78.	काली बाड़ी	5892872
79.	गुड़गांव	5227860
80.	टेलीग्राफ लेन	2830973
81.	कान्स्टीट्यूशन हाऊस	4704110
82.	प्रगति विहार	1658012
83.	पंडारा रोड	4765786
84.	फरीदाबाद	3451619
85.	पहाड़गंज	4533712
86.	चित्रगुप्त रोड	6119288
87.	पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी	2662826
88.	डा. जाकिर हुसैन मार्ग	6191936
89.	एफ.ए.जी. सुप्रीम कोर्ट	3348
90.	वी.बी. हाऊस	66673
91.	एम.एस.डी.	392652
92.	तिमारपुर अस्पताल	312491
93.	एफ.ए.पी.-पी.एच.ए., एस.जे.एच. के.एन.-1	596782
94.	एफ.ए.पी.-निर्माण भवन	1157
95.	प्रयोगशाला बिल-विभिन्न औषधालय	268150
	योग	51,99,00,203.10

हस्ता०/-
लेखा अधिकारी
के.स.स्वा.यो. (मुख्यालय)

विवरण-III

1.	स्थानीय खरीद द्वारा एलोपैथिक औषधें	51,99,00,203.00 रुपये (औषधालयवार सूची संलग्न)
2.	एलोपैथिक दवाइयां खरीदने हेतु चिकित्सा-सामग्री भंडार डिपो को अन्तरिम धन	7,60,59,353.00 रुपये
3.	आयुर्वेदिक दवाइयों पर किया गया खर्च	2,54,06,883.00 रुपये
4.	होमियोपैथी दवाइयों पर किया गया खर्च	55,71,332.00 रुपये
5.	यूनानी दवाइयों पर किया गया खर्च	38,09,714.00 रुपये
6.	सिद्ध दवाइयों पर किया गया खर्च	2,25,288.00 रुपये
7.	जीवन रक्षक	4,03,66,216.00 रुपये
	कुल	67,13,38,979.00 रुपये

[हिन्दी]

पीलिया रोग से ग्रस्त बच्चे

5495. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चे अपने जन्म के 48 घंटों के भीतर पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के पीलिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके जन्मकाल के दौरान कितने प्रतिशत बच्चे पीलिया रोग से ग्रस्त हुए; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि उम्र के 24 से 72 घंटों के बीच प्रकट होने वाले पीलिया की सर्वाधिक साधारण किस्म प्राकृत (फिजियोलोजिकल) पीलिया है। लगभग 60-70% स्वस्थ रूप से पैदा हुए बच्चों में प्राकृत पीलिया होता है। इस प्रकार का पीलिया साधारणतया जीवन के 14 दिनों से पहले खत्म हो जाता है और इसके लिए किसी विशेष प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। समय से पहले पैदा होने वाले (प्री-टर्म) बच्चों में प्राकृत पीलिया की अधिकता कुछ समय बाद में देखी जाती है और इसको खत्म होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।

उम्र के 24 घंटों के भीतर प्रकट होने वाला पीलिया हमेशा विकृति-जन्य होता है। लगभग पांच प्रतिशत बच्चों को विकृति-जन्य पीलिया होता है। जन्म के 24 घंटों के भीतर होने वाले पीलिया के कारण आइडाथोपैथिक, कालपूर्व प्रसव, ए.बी.ओ. असंगति, आर.एच. आइसोइम्यूनाइजेशन, जी 6 पी.डी. अल्पता, पूतिजीवरक्तता, अन्तर्गर्भाशय विकार, हाइपोथाइराइडिजम्, चयापचयी विकार होते हैं। पीलिया के कारणों की पहचान करने के लिए जांचें करने की आवश्यकता है और उपचारी कार्रवाई की जाती है।

प्राकृत पीलिया यकृत की यकृति अपरिपक्वता (बिलीरूबिन की ग्रहण मात्रा, इसके संयुग्मन, उत्सर्जन से संबंधित), नवजात लाल रक्त कोशिकाओं से घटती जीवन प्रत्याशा के साथ सापेक्ष बहुलोहितकोशिकारक्तता और बिलीरूबिन के अतिशयित एंट्रोहैपटिक परिसंचरण के कारण होता है। कालपूर्व प्रसव, जन्म श्वासावरोधन, अम्लरक्तता, अल्पतप्तता, अल्पग्लूकोजरक्तता, औषधों, बहुलोहितकोशिकारक्तता, अवटुमानता, संक्रमणों और मध्यम रक्तसंलायी अवस्थाओं के कारण प्राकृत पीलिया बिगड़ जाता है और चिरकालिक हो जाता है।

प्राकृत पीलिया को किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है और यह अपने आप खत्म हो जाता है। तथापि बच्चे की पीलिया की गंभीरता के लिए ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जानी चाहिए। पीलिया के केवल गंभीर हो जाने या चिरस्थायी हो जाने पर ही जांचे किए जाने की आवश्यकता होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जन्म के समय पीलिया से पीड़ित बच्चों की प्रतिशतता का डेटा नहीं रखा गया है।

भारत सरकार के प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अनिवार्य नवजात परिचर्या को सुदृढ़ किया गया है। इस कार्यक्रम में विकृति जन्य पीलिया की पहचान करने और उनको उचित सुविधा के लिए रैफर करने के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

5496. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को अन्य एजेंसियों के साथ विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का कब तक विलय कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का अन्य संगठनों/संस्थानों में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कैंसर अनुसंधान संबंधी समझौता

5497. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के साथ कैंसर रोग संबंधी अनुसंधान के संबंध में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अनुसंधान कार्य का पर्यवेक्षण करने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुसंधान कार्य के वित्त पोषण अनुसंधान के प्रशासन की प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

5498. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 25.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5714 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मरीजों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या इकॉस्प्रिन के बदले डैलिस्प्रिन/एकोस्प्रिन स्वीकार करने के लिए मरीजों को अभी तक विवश किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रश्न

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में स्थानीय खरीद प्रणाली के अंतर्गत औषधियों के निर्गम की अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने हेतु मानदंड संशोधित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा लिखी गयी औषधियों को उनके बेहतर संघटकों और अधिक प्रभावी होने के बावजूद हृदय और अस्थमा रोगियों को अन्य ब्रांडों की औषधियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। औषधियों की खरीद विशेषकर औषधालय संख्या 63 में अपेक्षाकृत कम साख वाली कंपनियों से की जाती है जबकि प्रतिष्ठित और गैर-प्रतिष्ठित कंपनियों के मूल्य समान होते हैं जिसके कारण रोगियों को बहुत कठिनाई और असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने रोगियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्थानीय खरीद प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कोई औषध अपने जेनेरिक/किसी अन्य ब्रांड नाम के साथ औषधालय में उपलब्ध होती है तो यह रोगी को सप्लाई की जाती है। यदि लिखी गई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से प्राप्त किया जाता है और उसकी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 63 सहित सभी औषधालयों में लाभार्थियों को आपूर्ति की जाती है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि लक्ष्य

5499. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि लक्ष्य को हासिल नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं योजना में अधूरी रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) नौवीं योजना ने पूर्व योजनाओं की तुलना में कितनी सीमा तक अधिक वृद्धि दर हासिल की है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) नवीनतम उपलब्ध अनुमान दर्शाता है कि नौवीं योजना (1997-98 से 2000-2001 तक) के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1993-94 के मूल्यों पर मापित कारक लागत पर) नौवीं योजना (1997-98 से 2001-2002 तक) के पांच वर्षों के लिए निर्धारित प्रतिवर्ष 6.5% के लक्ष्य की तुलना में प्रतिवर्ष 5.72% रही है।

(ख) इस गिरावट के पीछे, कृषि में निरन्तर धीमी वृद्धि, सार्वजनिक निवेश में गिरावट और अपर्याप्त कार्यान्वयन को मुख्य कारणों के रूप में माना गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना अभी पूरी होने वाली है।

(ङ) पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और प्राप्त की गयी वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:-

तालिका 2-1 : पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि निष्पादन

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

		लक्ष्य	वास्तविक
1.	पहली योजना (1951-56)	2.1	3.61
2.	दूसरी योजना (1956-61)	4.5	4.27
3.	तीसरी योजना (1961-66)	5.6	2.84
4.	चौथी योजना (1969-74)	5.7	3.30
5.	पांचवीं योजना (1974-79)	4.4	4.80
6.	छठी योजना (1980-85)	5.2	5.66
7.	सातवीं योजना (1985-90)	5.0	6.01
8.	आठवीं योजना (1992-97)	5.6	6.78

टिप्पणियां : (1) प्रथम तीन योजनाओं के वृद्धि लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना में यह राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद (एन.डी.पी.) के संदर्भ में था। इसके बाद, सभी योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का प्रयोग किया गया है।

(2) आठवीं योजना का वास्तविक, वर्ष 1996-97 के लिए त्वरित अनुमान पर आधारित है।

भारतीय दूतावासों/मिशनों में अधिकारियों की नियुक्ति

5500. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में स्थित प्रत्येक भारतीय दूतावास और मिशन में वर्तमान कर्मचारीवृंद का संवर्गवार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कर्मचारीगण ढांचे की मंत्रालय द्वारा कार्यभार और अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार मानीटरिंग की जाती है। अत: विदेश स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। तथापि, कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में विदेश स्थित केन्द्रों की कुल कर्मचारी संख्या कुल संस्वीकृत पदों के भीतर रहती है जिसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

30.6.2001 की स्थिति के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कार्मिकों की संवर्ग संख्या

क्र.सं.	संवर्ग/पद	मिशनों/केन्द्रों में पदों की संख्या
1	2	3
(क) भा.वि.से. (क)		
1.	भा.वि.से. ग्रेड I (सचिव)	22
2.	भा.वि.से. ग्रेड II (अपर सचिव)	27
3.	भा.वि.से. ग्रेड III (संयुक्त सचिव)	109
4.	भा.वि.से. ग्रेड IV (निदेशक)	98
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वरिष्ठ वेतनमान उप/अवर सचिव	134
6.	भा.वि.से. कनिष्ठ वेतनमान (अवर सचिव/प्रशिक्षु)	39

1	2	3
(ख) भा.वि.से. (ख)		
7.	भा.वि.से. ग्रेड I (ख) अवर सचिव	98
8.	भा.वि.से. (ख) ग्रेड II/III अनुभाग अधिकारी	174
9.	भा.वि.से. (ख) ग्रेड IV (सहायक)	404
10.	भा.वि.से. (ख) के ग्रेड V/VI (यूडीसी/एलडीसी)	193
11.	साईफर संवर्ग का ग्रेड II (साईफर सहायक)	141
12.	निजी सचिव	198
13.	वैयक्तिक सहायक	193
14.	आशुलिपिक	77
(ग) अन्य श्रेणियां		
15.	समूह ''घ'' कर्मचारी (चपरासी इत्यादि)	51
16.	सौफर्स	62
17.	सिक्योरिटी गार्ड	291

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5501. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधि के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संसद सदस्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को लंबित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह शिकायतें मुख्य रूप से निम्न से संबंधित हैं:

(1) सांसदों की अनुशंसा के बिना कार्यों का किया जाना।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों का अनियमित उपयोग।

महाराष्ट्र के सांसदों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों का कार्यान्वयन न किए जाने/कार्यान्वयन विलंब से किए जाने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर, मामले को जांच एवं उपचारी कार्रवाई हेतु अविलंब संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रक प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाता है। राज्य सरकारों के समय-समय पर दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन करने तथा सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है। जिलाध्यक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे सांसदों द्वारा उनकी अपनी पात्रता की सीमा तक अनुशंसित कार्यों को, निधियों के वास्तविक अवमोचन की प्रतीक्षा किए बिना स्वीकृत करें तथा शीघ्रातिशीघ्र व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मंत्रालय तत्काल निधियां अवमोचित कर सके। जिलाध्यक्षों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे कार्य की प्रकृति के मद्देनजर उनके कार्यान्वयन के लिए एक समय-सीमा बनाएं तथा उसका सख्ती से अनुपालन करें।

भारतीय बंदियों की रिहाई

5502. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ भारतीय बंदियों को रिहा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने पाकिस्तानी जेलों में उन पर किए गए अत्याचारों को बयान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान ने इस वर्ष जनवरी से अपनी हिरासत में कैद 8 असैनिक बंदियों और 159 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है।

(ग) से (ङ) सरकार को हाल ही में इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ-साथ भारत में उनके उच्चायोग के माध्यम से भी उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

सहायक ग्रेड के लिए स्व-स्थाने पदोन्नति

5503. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अग्रलिखित चार ग्रेड हैं- चयन ग्रेड, ग्रेड-1, अनुभाग अधिकारी, और सहायक;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायक ग्रेड केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सबसे निचला व अनुभाग अधिकारी के पद के लिए फीडर ग्रेड है और इसकी संस्वीकृत पद-संख्या में, 50 प्रतिशत से अधिक सहायकों ने पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा-अवधि पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या 1998-99 में अवर सचिव व अनुभाग अधिकारी के ग्रेडों में प्रगतिरोध को दूर करने के क्रम में, जिन अधिकारियों ने 12 वर्ष की अर्ह सेवा-अवधि पूरी कर ली थी, उन्हें वैयक्तिक स्तरोन्नति योजना के तहत अवर सचिव व उप-सचिव के ग्रेड में तीसरी तथा चौथा स्व-स्थाने पदोन्नति प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उन सहायकों, जिन्होंने 12 वर्ष की अर्ह सेवा-अवधि पूरी कर ली है, को अनुभाग अधिकारियों को दी जा रही पदोन्नति की ही भांति स्व-स्थाने पदोन्नति कब तक प्रदान की जायेगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) सहायक ग्रेड, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का निम्नतम ग्रेड है और यह अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में पदोन्नति की दृष्टि से पोषक (फीडर) ग्रेड है। सहायक-ग्रेड, विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों के यहां विकेन्द्रीकृत है और निर्णायक तारीख को 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी किए हुए सभी सहायक, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के पात्र होते हैं।

(ग) और (घ) अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों का स्व-स्थाने आधार पर उच्चतर ग्रेड में वैयक्तिक उन्नयन, सीधी भर्ती के और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के बीच बहुत अरसे तक चली लम्बी मुकदमेबाजी के कारण, प्रवर सूचियों को अन्तिम रूप दिए जाने में हुई असाधारण देर के कारण किया गया था। जहां तक सहायकों का संबंध है, अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किए जाने के पात्र सहायकों की प्रवर सूचियां नियमित अन्तराल पर जारी की जा रही हैं।

[अनुवाद]

रोगियों को व्यय प्रतिपूर्ति

5504. डा. एस. वेणुगोपाल :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित व्यय प्रतिपूर्ति नियमों को संशोधित करने और कैंसर, हृदयाघात, डायलिसिस व दुर्घटना इत्यादि बीमारियों के मामले में, रोगियों को उनके निवास-स्थान से अस्पताल लाने-ले-जाने पर हुए वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को व्यय प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार और कौन से वैकल्पिक उपाय करने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वाजपेयी-मुशर्रफ बैठक

5505. श्री के. मुरलीधरन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर के तीसरे सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन तथा तत्पश्चात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन के दौरान, हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच किसी बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर यह बात दोहरायी है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के साथ शांति, मैत्री और सहयोगी संबंध स्थापित करने के भारत के प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ शिखर-सम्मेलन स्तरीय और अन्य द्विपक्षीय अन्योन्यक्रियाओं का कार्यक्रम विचाराधीन है।

खादी के परिधानों का निर्यात

5506. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी के परिधानों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) खादी के परिधानों के निर्यात को आगे और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग सीधे खादी परिधानों का निर्यात नहीं कर रहा है। निर्यात साधारणत: व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से किए जाते हैं। तथापि, व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से परिधानों सहित विभिन्न खादी मदों के निर्यात संवर्धन के लिए के.वी.आई.सी. ने निर्यातोन्मुख खादी उत्पादनों को खादी लागत चार्ट की परिधि से छूट दी हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 14.05.2001 को खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज की मुख्य बातों में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट एवं विपणन विकास सहायता का विकल्प, खादी कारीगरों के लिए बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादानों के सुधार पर बल दिया जाना, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन, ब्रांड बिल्डिंग, कलॅस्टर विकास के संवर्धन के उपाय करना, कोर क्षेत्रों पर बल दिया जाना और अतिरिक्त कार्य-शील पूंजी का प्रावधान करना शामिल है।

[अनुवाद]

उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए विधिक प्रकोष्ठ

5507. श्री रघुनाथ झा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का भारतीय मिशनों में विधिक प्रकोष्ठों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक ऐसे किसी विधिक सैल की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

सेवानिवृत्ति-आयु की समीक्षा

5508. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-आयु को पुन: 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष कर देने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राधिकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह सेवानिवृत्ति-आयु कम करने से कर्मचारियों को होने वाली संभावित हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या सूत्र प्रतिपादित किया गया है तथा उनके लिए यह किस हद तक समतुल्य होगा जबकि उनके अन्य सहकर्मी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं और इसमें किस सीमा तक समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) निदेशक-बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अधिवर्षिता की आयु, फिर से, 60 वर्ष से 58 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करने का प्राधिकार सरकार ने प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री को सौंप दिया है।

(ख) इस बारे में क्षति-पूर्ति, सामान्यत:, नियुक्ति की शर्तों तथा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सेवा-नियमों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। यह संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निदेशक-बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन हेतु, सेवा-निवृत्त की आयु फिर से पहले वाली अर्थात् 58 वर्ष करने की सिफारिश करते समय उपर्युक्त पहलू पर विचार करे।

भारतीय हर्बल-औषधि उद्योग में एकरूपता

5509. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय हर्बल-औषधि उद्योग में, जड़ी-बूटियों की बुवाई से लेकर उत्पादन तक, क्रमागत एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) अच्छी गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए औपधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है ताकि औपधों के मानकों और प्रभावकारिता में सुधार हो सके।

(2) सरकारी औषधालयों और अस्पतालों के लिए अनिवार्य औषधों की सूची के अनुसार औषधें प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करके भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों का उपयोग करने के लिए नीति स्तरीय सहायता दी जा रही है।

(3) राज्य फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं की उनके आधारभूत ढांचे के नवीकरण और उन्नयन के लिए सहायता की जा रही है जिसका अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाली औषधों के विनिर्माण पर लाभदायक प्रभाव होगा।

(4) भारतीय चिकित्सा पद्धति उद्योग के लिए बेहतर विनिर्माण पद्धति अधिसूचित की गई है।

(5) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों की जांच और उनके सत्यापन के लिए निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने का प्रस्ताव है।

(6) औपधीय पादपों के संरक्षण और उनके दीर्घकालीन उपयोग संबंधी भारत सरकार के कृत्यक बल (टास्क फोर्स) ने औषधीय पादप क्षेत्र के भावी विकास पर एक रिपोर्ट दी है।

(7) मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने पूरे भारत में खेती करने के लिए 45 औषधीय जड़ी-बूटियों की पहचान की गई है। जिसमें से 7 जड़ी-बूटियों की तुरन्त कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) 162 पादपों के संबंध में उनकी मांग का मूल्यांकन करने के लिए ''औषधीय पादपों की मांग का मूल्यांकन'' पर एक अध्ययन शुरू किया गया है।

पेंशन-देयता संबंधी दवे समिति

5510. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन-देयता संबंधी कार्यदल ने सिफारिश की है कि वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को भी वर्तमान वेतन आधारित पेंशन योजना से धीरे-धीरे हटाकर एक सीमित पेंशन प्रणाली में लाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण है;

(ग) सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) व्यय विभाग द्वारा गठित पेंशन देयता संबंधी कार्य दल ने जून, 2001 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में नए कर्मचारियों के लिए वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर पेंशन भुगतान की निधिबद्ध प्रणाली लाए जाने और वर्तमान कर्मचारियों को (आंशिक) निर्धारित अंशदान प्रणाली के लिए प्रेरित करने के लिए समुचित प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) पेंशन देयता संबंधी कार्यदल ने निर्धारित अंशदान प्रणाली की शुरूआत करने का सुझाव दिया है जो आंशिक अथवा पूर्णत: निधिबद्ध हो सकती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इस अंशदान की क्षतिपूर्ति करने के लिए कर्मचारियों के वेतन स्तरों में तदनुरूपी वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, कार्यदल ने सुझाव दिया है कि चूंकि सरकार में पेंशन आस्थगित वेतन घटक होता है, अत: कामगार को क्षतिपूर्ति के भार के महत्व का निर्णय वेतन और पेंशन के भार पर समूचे रूप में एक साथ विचार करके ही बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने आयु संबंधी रूपरेखा और वितरण के संबंध में वर्तमान कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित डाटा बेस को सुदृढ़ बनाने की भी सिफारिश की है जिससे कि बेहतर वित्तीय योजना तैयार की जा सके।

निर्धारित अंशदान पर आधारित पेंशन योजना शुरू करने के विचार को वित्त मंत्री के बजट भाषण में व्यक्त किया गया था। माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-02 के केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की है कि केन्द्र सरकार की पेंशन देयता के वहन नहीं किए जाने योग्य स्तर तक पहुंच जाने को ध्यान में रखते हुए, यह परिकल्पना की गई है कि 1 अक्तूबर, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार की सेवाओं में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित अंशदान पर आधारित नए पेंशन कार्यक्रम के माध्यम से पेंशन मिलेगी। उन्होंने वर्तमान पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और सरकार द्वारा आगे किए जाने वाले उपायों हेतु दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन करने का भी प्रस्ताव किया था। तदनुसार सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया है जो वर्तमान पेंशन योजना और वित्त-पोषण के तरीके, अंशदान की दर आदि जैसे संबद्ध मुद्दों सहित निर्धारित अंशदान पर आधारित लागू की जाने वाली योजना की भी जांच कर रहा है।

परमाणु विद्युत का उत्पादन

5511. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ताप विद्युत तथा जल-विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित विद्युत की तुलना में, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त विद्युत की प्रति यूनिट का उत्पादन लागत कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): वर्ष 2000-2001 के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी यूनिटों के मामले में उत्पादन की भारित औसत लागत 157 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है। इस उत्पादन लागत में लाभ का अंश, और डीकमीशनिंग, नवीकरण, आधुनिकीकरण और अनुसंधान तथा विकास से संबंधित 10 पैसे प्रति किलोवाट घंटे का शुल्क भी शामिल नहीं है। परमाणु विद्युत संयंत्रों से उत्पादित होने वाली बिजली की लागत कोयले की खानों के मुहानों से दूर स्थित कोयले से चलने वाले अन्य पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित होने वाली बिजली से सस्ती पड़ती है।

''प्रजनन-स्वास्थ्य संबंधी पण्य'' पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

5512. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कोच्चि में ''प्रजनन-स्वास्थ्य संबंधी पण्य का संकट'' (रिप्रोडक्टिव हेल्थ कमॉडिटी क्राइसिस) पर तीन दिवसीय अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की गई;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) स्वास्थ्य रक्षा में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोच्चि में 12 जून से 14 जून, 2001 तक हुआ था।

(ख) सम्मेलन का विषय आवश्यक स्वास्थ्य वस्तुओं की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करने में दक्षिणी देशों के बीच सहयोग की भूमिका था। आवश्यक स्वास्थ्य वस्तुओं के रूप में केवल उन्हीं वस्तुओं को परिभाषित किया गया है जो जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और निरापद, प्रभावकारी और उच्च गुणवत्ता की हैं।

(ग) सरकार इस घोषणा की एक हस्ताक्षरकर्ता है और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगी जो उपयुक्त समझी जाएगी।

(घ) सरकार संवर्धक, निवारक और रोगहर परिचर्या के सम्मिश्रण वाली एक सामुदायवादी, परिचर्या पद्धति के जरिए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे में सहायता कर रही हैं। इसने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, एच.आई.वी./एड्स जैसे संचारी रोगों, कुष्ठ, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया, काला आजार, आदि तथा कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे गैर-संचारी रोगों सहित ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तैयार किए हैं और इन्हें कार्यान्वित कर रही है। यह कुछ राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाएं प्रायोजित भी कर रही हैं जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य पद्धतियों में सुधार करके उन्हें द्वितीयक स्तरों का बनाना है। भारत सरकार राज्यों को उनके द्वारा जनता विशेषरूप से निर्धन लोगों को प्रदान की गई स्वास्थ्य परिचर्या की बेहतरी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, अनुसंधान, मानकों और नीति संबंधी सलाह भी प्रदान करती है।

भारत-बंगलादेश नौसैनिक-युद्धाभ्यास

5513. श्री जी.एस. बसवराज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 अप्रैल, 2001 को पाकिस्तान और बंगलादेश की नौसेनाओं द्वारा युद्धभ्यास किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि न तो बंगलादेश और न ही पाकिस्तान ने भारत को इस बारे मे कोई सूचना दी, जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत ने इस पर सख्त आपत्ति प्रकट की है और पाकिस्तान व बंगलादेश से इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर दोनो देशों की सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

के.बी.के. परियोजना के लिए धनराशि

5514. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक, के.बी.के. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) जिस समय से यह के.बी.के. परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, तब से तत्संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और 2000-2001 तक कितनी परिसंपत्तियां अर्जित की गई;

(ग) वर्ष 2001-2002 में उड़ीसा द्वारा मांगी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) के.बी.के. जिलों के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा संशोधित दीर्घकालिक कार्य योजना (1998-99 से 2006-07 तक) तैयार की गई है, जिसके लिए निधियां केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों से आएंगी। केन्द्रीय योजना एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों से निधियों के प्रवाह के अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए इन जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) आबंटित की जा रही है। 1998-99 में 46 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई, 1999-2000 में 57.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई जबकि 2000-2001 में 40.35 रुपये जारी किए गए।

(ख) निर्धारित लक्ष्य एवं संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना के लिए जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सृजित परिसम्पत्तियां विवरण-I में दी गई है।

(ग) राज्य सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत ऋण सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वर्ष 2000-01 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 100.00 करोड़ रुपये (100% अनुदान के रूप में) की राशि की मांग की है। स्कीम-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए है।

(घ) स्कीमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (केबीके), जिसका मुख्यालय कोरापुट में है के मुख्य प्रशासक के रूप में तैनात किया गया है;

(2) संशोधित दीर्घावधिक कार्ययोजना को आवधिक रूप से मॉनीटर करने तथा उसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय समिति और मुख्य सचिव के अधीन एक परियोजना स्तरीय समिति का गठन किया गया है; और

(3) कई संबंधित विभागों ने अपने स्वयं के मॉनीटरिंग मैकेनिज्म विकसित किए हैं जिससे वे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बना सकें। स्कीमों की प्रगति की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार और साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

1998-99 से 2000-01 तक के.बी.के. जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना

निर्धारित लक्ष्य एवं जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	1998-99		1999-2000		2000-2001	
			लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	वनीकरण (रोपित क्षेत्र)	हैक्ट.	1999-2000 के लिए प्राथमिक कार्य	15,675	32,285	31,452	30,200	30,200
2.	आपातकालीन आहार (कवर किए गए लाभार्थी)	संख्या	75,045	75,045	75,045	75,045	75,045	1,17,977
3.	बालिका छात्रावास का निर्माण	संख्या	200	–	200	157	–	133
4.	चल स्वास्थ्य यूनिटें चिकित्सा प्राप्त मरीज)	संख्या	–	2,28,552	–	9,75,815	–	11,26,088
5.	ग्रामीण जलापूर्ति (ट्यूब वैल्स)	संख्या	–	–	2,500	2,455	–	–
6.	जलसंभर विकास		–	एनआर	–	–	–	–
7.	सिंचाई, ब्याज, देयताएं		–	–	–	–	–	ब्याज हेतु किया गया भुगतान

एनआर - सूचित नहीं।

विवरण-II

के.बी.के. जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	आवश्यकता (रुपये करोड़ में)
1	2	3
क.	**अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**	
1.	जलसंभर विकास कार्यक्रम	8.21
2.	वनीकरण	17.00
3.	चल स्वास्थ्य यूनिटें	5.01
4.	आवासीय स्थलों का निर्माण	10.23
5.	ग्रामीण जलापूर्ति	16.07
6.	ग्रामीण सम्पर्कता (पुलिया एवं पुल का निर्माण)	13.00
7.	अनु. जनजाति व जाति विकास	10.40
8.	बीजू कृषक विकास योजना (एमआई)	5.00
9.	आपातकालीन भोजन व्यवस्था	14.08
10.	मालगोदामों का निर्माण	1.00
	उपयोग-केन्द्रीय सहायता	**100.00**
ख.	**एआईबीपी के अन्तर्गत ऋण सहायता**	**125.00**
	योग	**225.00**

[हिन्दी]

वित्तीय पैकेज का हिस्सा

5515. श्री रामेश्वर डूडी : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज में प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान का हिस्सा कितना है;

(ख) संस्तुत किये गये वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) संस्तुत किया गया पैकेज देश के लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए कितना लाभकारी साबित होने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) सरकार ने चूंकि किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा नहीं की है, संभवत: यहां लघु उद्योगों के लिए 30 अगस्त, 2000 को घोषित व्यापक नीति पैकेज की तरफ संकेत है। यह पैकेज लघु क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा और क्रेडिट तक सरल पहुंच, 25.00 लाख रु. तक के समपार्श्विक मुक्त ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजी आर्थिक सहायता तथा सुधरी हुई आधारभूत संरचना के माध्यम से घरेलू एवं विश्वव्यापी दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करेगा। पैकेज किसी राज्य के लिए विशिष्ट नहीं है और इसे पूरे देश में समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर का निर्यात

5516. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास संबंधी राष्ट्रीय कृतक बल ने वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या कृतक बल द्वारा पूर्वानुमानित निर्यात के लक्ष्य को अमेरिकी सरकार द्वारा भारत से उनके निर्यात को घटाने के हाल के निर्णय के कारण झटका लगा है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान साल दर साल आधार पर निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को कितना प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर, विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल, जिसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था, ने वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

(ख) नैसकॉम के अनुसार, सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समय (2000-01), यह उद्योग अनुमानत: 6.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है और वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने के लिए केवल 35% सीएजीआर अपेक्षित है। उद्योग का विकास इससे अधिक विकास दर से हो रहा है।

(ग) पिछले दो वर्षों के लक्ष्य एवं निर्यात के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

	लक्ष्य	निर्यात
1999-2000	14,600	17,300
2000-2001	23,100	28,350

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्क संगत बनाया गया है और 5% शुल्क से भुगतान पर किसी दोहरी सीमा के बिना इसे सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

3. एसटीपी तथा ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया है।

4. निर्यात उन्मुखी योजनाओं (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) के अंतर्गत इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई है। अब ये मूल्यह्रास पहले के लगभग 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में 90% तक की समग्र सीमा तक होंगे। कंप्यूटरों पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

5. निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों के लिए निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण और व्यापार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपए में होने वाले निर्यात में मूल्य संवर्द्धन मानदंडों को 100% से घटा कर 33% तक कर दिया गया है।

8. वर्ष 2001-02 के बजट में, सीमा शुल्क 35% की उच्च दर पर जारी रहेगा। सामान्य रूप से, सभी आयातों के मामले में 10% की दर से सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया है किंतु विशेष अपवादों को छोड़कर सभी आयातों पर 4% की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), लागू रहेगा। वर्ष 2000-2001 के बजट में कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया था तथा यह जारी रहेगा। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपंथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर भी सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत जारी रहेगा। वर्ष 2001-02 के बजट में, विश्व व्यापार संगठन (सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर 20-25% के वर्तमान सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए विशिष्ट कच्चे माले के लिए रियायती दर पर सीमा शुल्क जारी रहेगा।

9. वर्ष 2001-02 के बजट में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को तकसंगत बनाकर बहु दर के स्थान पर 16% का एकल दर कर दिया गया है तथा 16% की दर से विशिष्ट उत्पाद शुल्क (सीईडी) का एकल दर कर दिया गया है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

11. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के ऑनसाइट विकास को कर से छूट की पात्रता होगी।

12. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

13. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

14. बाह्य व्यावसायिक उधारियों (ईसीबी) पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई गई है।

15. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कंम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभाशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

16. उद्यम पूंजी वित्त को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

17. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित और असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार

लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा। जिस उद्यम पूंजी उपक्रम में उद्यम पूंजी निधि के प्रारम्भिक निवेश किए गए हैं, उसके शेयर यदि भारत में किसी पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में बाद सूचीबद्ध हो जाते हैं, तब भी उद्यम पूंजी निधि कर से छूट की पात्र होगी।

18. पोर्ट फोलियों निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

19. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आई.टी. सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10% के रियायती दर पर आयकर देय होगा।

20. धारा 80-1क (मूलसंरचनात्मक स्थिति) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त करावकाश अवधि से छूट इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आई.एस.पी.) तथा ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क प्रदानकर्ताओं को दी गई है।

21. एडीआर/जीडीआर के लिए द्वि-मार्गी प्रतिभोज्यता की अनुमति दी गई है। खंडीय पूंजी के शर्ताधीन स्थानीय शेयरों को अब एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकेगा।

22. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

23. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलूओं से संबंधित है। इससे इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

यू.पी.एस.सी.

5517. श्री थावरचंद गेहलोत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संघ-लोक-सेवा-आयोग की भर्ती-प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा उनमें से कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने संघ-लोक-सेवा-आयोग के सुचारू और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकरण हेतु अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, संघ-लोक-सेवा-आयोग की भर्ती-प्रक्रिया में, अनियमितताओं के बारे में कोई ठोस शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस बारे में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा कोई भी अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण विधेयक में संशोधन

5518. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधान सभा में खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक लाने के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मंजूरी कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विशेषकर नमूने लेने की प्रक्रिया और अपराधों की संज्ञेयता के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कुछ उपबन्धों में संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1999 राज्य विधान सभा में पेश करने से पहले भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से गृह मंत्रालय में जुलाई, 1999 में प्राप्त हुआ था। बाद में महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए उक्त विधेयक की एक प्रति इस मंत्रालय को भी भेजी गई। चूंकि इस विषय पर इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न समितियों और संगठनों की रिपोर्टों/सिफारिशों पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वयं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विभिन्न उपबंधों की संपूर्ण समीक्षा शुरू करने की प्रक्रिया में है, इसलिए तदनुसार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग

5519. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनगणना-2001 के आंकड़ों के आधार पर ''सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग'' शब्द को परिभाषित करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी क्या परिणाम प्राप्त हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। जनगणना 2001 में जाति के आधार पर गणना नहीं गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी प्रदर्शनी

5520. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे भारतीयों की रुचि के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल द्वारा जोहांसबर्ग में आयुर्वेद पर एक प्रदर्शनी और कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने वाले भारत के अधिकारियों और दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे भारतीय चिकित्सकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यशाला के क्या निष्कर्ष निकले और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए कितना लाभ प्राप्त हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने 18-21 जुलाई, 2001 तक जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ''मेड इन इंडिया शो'' में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल के सरकारी सदस्यों में विभाग के सचिव और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के निदेशक शामिल थे। इसके अलावा, अलग-अलग पद्धतियों का प्रतिनिधित्व कर रहे चार विषय-विशेषज्ञों ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की क्षमताओं के प्रचार में सहयोग करने हेतु इसमें भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका में रह रहा कोई भी भारतीय डाक्टर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य नहीं था।

(ग) मुख्य निष्कर्षों में शामिल थे:-

* भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की क्षमताओं के बारे में दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री के साथ विस्तृत विचार-विमर्श।
* मेडिसिन कन्ट्रोल काउन्सिल ऑफ साऊथ अफ्रीका को भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के विनिर्माण हेतु भारत में प्रचलित विनियामक और प्रवर्तन तंत्र के बारे में समझाने के लिए उनके साथ बैठक।
* जोहानिसबर्ग और डरबन में अलग-अलग श्रोताओं के बीच भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का प्रक्षेपण।
* भारत के शिक्षकों की सेवाएं लेकर आयुर्वेद पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु नेलसन मंडेला स्कूल ऑफ मेडिसिन, डरबन से सहयोग करने हेतु संभावनाओं का विस्तार करना।

राडार द्वारा पकड़ में नहीं आने वाले युद्धपोत

5521. डा. अशोक पटेल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रथम युद्धपोत का विकास करने का है जिसे राडार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने युद्धपोतों को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रथम युद्धपोत को परिचालन में कब तक लाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) आधुनिक युद्धपोतों में कतिपय गुप्त विशेषताएं होती हैं जो पोत के डिजाइन से जुड़ी होती हैं ताकि दुश्मन के पोतों, पनडुब्बियों और विमानों द्वारा उनका पता लगाए जाने की संभावना को कम किया जा सके। तथापि, पोत को रेडार द्वारा पता लगाने से पूरी तरह नहीं बचाया जा सकता। गुप्त विशेषताओं वाले चार भारतीय नौसेना पोत पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

पान मसाला से होने वाला कैंसर

5522. श्री विजय गोयल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नवीन अनुसंधानों से यह पता चला है कि पान मसाला से न केवल मुंह का कैंसर होता है बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी इससे कैंसर होता है और आगे चल कर इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ट्यूमर भी हो सकता है;

(ख) क्या पान मसाला विद्यालय जाने वाले बच्चों और युवा बालकों और बालिकाओं में भी लोकप्रिय हो रहा है;

(ग) क्या पान मसाला का सेवन करने वालों को इसके बुरे प्रभावों के बारे में कड़ी चेतावनी देते हुए इसके प्रयोग को खत्म किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस ब्रांड के घातक प्रभावों के बारे में अगली पीढ़ी के बीच जागरूकता लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार सुपारी, जो पान मसाला का एक मुख्य संघटक है, के सारांश द्वारा इन विट्रो जेनोटॉक्सिटी और जानवरों में कैंसर के प्रयोगात्मक अभिप्रेरण पर अध्ययन सूचित किए गए हैं।

(ख) ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में यह व्यवस्था है कि पान मसाला के प्रत्येक पैकेज और उससे संबंधित विज्ञापनों पर निम्नलिखित चेतावनी होगी अर्थात:-

> ''पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।''

(घ) और (ङ) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पान मसाला पर प्रतिबंध है। सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन उत्पादों के उपभोग को निरुत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से जनता को शिक्षित करें।

चांदीपुर परीक्षण रेंज का उन्नयन

5523. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना चांदीपुर परीक्षण रेंज के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य रूसी वैज्ञानिकों की सहायता से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितना कार्य हुआ है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से वित्तपोषित स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

5524. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन एजेन्सियों द्वारा कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है; और

(ग) ऐसी विदेशी एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन इकाई

5525. श्री रामदास आठवले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के किसी आदिवासी और ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में कोई रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त इकाई को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) बाई-मोड्यूलर प्रणोदक चार्जों हेतु एक आयुध निर्माणी, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में लगाए जाने की योजना है।

(ग) अनुमान है कि यह आयुध निर्माणी इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी मंजूरी मिलने की तारीख से चार वर्षों के अंदर स्थापित कर ली जाएगी। भूमि अर्जन संबंधी प्रारंभिक कार्य आरंभ हो चुका है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घटिया और अनुपयोग्य औषधियां

5526. डा. वी. सरोजा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में चेन्नई के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में मरीजों को प्रदान की गई घटिया और अनुपयोग्य (औषधियों की काल अवधि समाप्त हो गई) की किसी घटना के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पूरे देश में सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में सिर्फ मानक औषधियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के लाभार्थियों को कोई घटिया अथवा इस्तेमाल की तारीख समाप्त हुई औषधों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सभी सूचीबद्ध फार्मूलरी औषधें चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन से प्राप्त करती है जिनकी पूर्व जांच की गई होती है और जो मानक गुणवत्ता की होती है।

औषधियों का विपणन

5527. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल में कड़ी निगरानी औषधियों के विपणन की सिफारिश की है;

(ख) आई.सी.एम.आर. की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद औषधों के विपणन के लिए एक विनियामक प्राधिकरण नहीं है। औषध महानियंत्रक (भारत) के अनुरोध पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने विषविज्ञान समीक्षा पैनल से परामर्श करके औषधों का विपणन करने की राय देती है। तथापि, औषधों के विपणन के संबंध में अन्तिम निर्णय औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा लिया जाता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5528. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आपके मंत्रालय की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में 1998 की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कोई की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिए आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि योजनाओं पर खर्च की गई निधियों की संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) मंत्रालय ने मार्च 1997 की अंतिम अवधि की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1998 में प्राप्त) के निष्कर्ष पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट 26.4.2001 तथा 13.7.2001 को प्रस्तुत की थी। जिन संबद्ध जिलों/राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां की गई हैं, मंत्रालय उनसे उत्तर प्राप्त करने की कार्रवाई भी कर रहा है।

(ग) और (घ) मार्च, 1997 की अंतिम अवधि की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसके साथ ही संबद्ध सांसदों की अनुशंसा के बिना जिलाध्यक्षों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन पर निष्कर्ष भी शामिल है। सभी जिलाध्यक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे संबद्ध सांसदों द्वारा उनके पत्र शीर्ष पर तथा उनके हस्ताक्षर से ही भेजी गई लिखित अनुशंसा पर कार्यों को स्वीकृति प्रदान करें।

कर्मापा के रुकने पर आपत्ति

5529. **श्री आर.एल. भाटिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने कर्मापा लामा के भारत में रूकने पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना प्रशिक्षण स्कूल का उन्नयन करना

5530. **श्री अनन्त नायक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा में चिल्का में नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल का स्तर बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वस्तु सूची में बढ़ोत्तरी

5531. **श्री शीश राम सिंह रवि** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2000 (रक्षा सेवाएं) की अपनी रिपोर्ट सं. 7ए के पृष्ठ 126 पर बहुपयोगी-वाहनों, जनरल स्टोरों तथा वस्त्रों के संबंध में एक सुस्पष्ट तथ्य प्रकाशित किया है जिसमें वस्तु सूची होल्डिंग के बढ़ने तथा उन पर रखे जाने वाले नियंत्रण में कमी आने की बात प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर-सेवा संगठन के मानकीकरण निदेशालय द्वारा वस्तु सूची की लागत कम करने तथा उसका बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 7ए (रक्षा सेवाएं) में विभिन्न प्रकार के वाहनों, वस्त्र मदों, जेनरेटिंग और चार्जिंग सैटों में प्रचुरता दर्शायी है। इन्होंने सामान सूची के नियंत्रण और लागत को कम करने हेतु इनके मानकीकरण की सिफारिश की है।

(ग) मानकीकरण निदेशालय, एक सतत प्रक्रिया के रूप में, सेवाओं में विद्यमान समान सूची की सर्वनिष्ठता, मानकीकरण और विविधता में कमी से संबंधित मुद्दों को 1975 में भारत सरकार द्वारा जारी मानकीकरण निदेश के अनुसार निपटाता है।

आमची प्रणाली

5532. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को चिकित्सा की आमची पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मान्यता देने हेतु कुछ क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) शिक्षा एवं व्यवहार को नियमित करने तथा केन्द्रीय रजिस्टर रखने और उससे संबंधित मामलों की सूचना रखने के लिए संसद के अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अधोलिखित चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता दी गई है-

1. आयुर्वेद
2. सिद्ध
3. यूनानी
4. होम्योपैथी

(ख) से (घ) वाराणसी में केन्द्रीय उच्च तिब्बतन शिक्षा संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले तिब्बतन चिकित्सा कोर्स को मान्यता देने की संभाव्यता की जांच के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे की जांच के लिए तैनात एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम विषय वस्तु एवं आधारभूत ढांचे से तुलना करने पर तिब्बतन चिकित्सा कोर्स को मान्यता देना संभव नहीं है।

केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष की नियुक्ति

5533. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और पेंशन-मंत्रालय के अपर सचिव (पेंशन) सदैव केन्द्रीय भंडार के पदेन अध्यक्ष रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय भंडार पेंशन-विभाग का हिस्सा नहीं है लेकिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का हिस्सा है;

(ग) भंडार के अध्यक्ष की भारत-सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस संबंध में सरकार को लिखा है; और

(घ) क्या अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को अब से केन्द्रीय भंडार का पदेन अध्यक्ष नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय भंडार के पुराने और संशोधित उपनियमों के अनुसार, केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष, भारत-सरकार द्वारा नामित किए जाने अपेक्षित हैं। अतीत में, कार्मिक और पेंशन-मंत्रालय के अपर सचिव (पेंशन) के सिवाय, अन्य अधिकारी भी केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। पेंशन-विभाग, कार्मिक-मंत्रालय का एक अंग है।

(ग) भारत-सरकार को अपने किसी भी मंत्रालय/विभाग के किसी भी अधिकारी को केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का अधिकार है। सरकार को श्री रामजी मांझी, संसद-सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें केन्द्रीय भंडार के वर्तमान अध्यक्ष को बदले जाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन योजना

5534. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली पिछड़ी जनसंख्या की आबादी का प्रतिशत कितना है;

(ख) महाराष्ट्र में शेष आबादी के मुकाबले पिछड़े वर्गों का जीवन स्तर कैसा है;

(ग) राज्य की पिछड़ी आबादी की बेहतरी के लिए कौन सी गरीबी उपशमन योजनाएं लागू की जा रही हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सरकार के पास महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों का कोई प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है:-

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, तथा

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग।

दिनांक 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को अब तक क्रमश: 3060 अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को लाभ देते हुए 92.34 लाख रु. तथा 230 अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को लाभ देते हुए 4.60 लाख रु. निर्मुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव न प्राप्त होने से अन्य योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को अभी तक कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) स्थापित किया है जिसे स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। दिनांक 31.7.2001 तक की स्थिति के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने अभी तक निगम की योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र के राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अन्य पिछड़े वर्गों के 7387 व्यक्तियों को 3800.81 लाख रु. निर्मुक्त किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों सहित शहरी निर्धनों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के नाम से एक शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है।

सरकार देश में अन्य पिछड़े वर्गों सहित ग्रामीण निर्धनों के लिए निम्नलिखित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रही है:-

(1) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)

(2) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)

(3) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा

(4) इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान

5535. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या के.वी.आई.सी. ने राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान की स्थापना करने के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त होगी; और

(घ) इस संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्या भूमिका है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने आई.आई.टी. दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 8.35 करोड़ रु. की कुल लागत होगी। जिनमें से 7.00 करोड़ रु. की राशि अनुसंधान संस्थान के लिए जमना लाल बजाज केन्द्र

(जे.बी.सी.आर.आई.) वारधा जोकि के.वी.आई.सी. के अन्तर्गत कार्यरत एक महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास केन्द्र है, की बुनियादी संरचना के सृजन में तथा 1.35 करोड़ रु. की राशि आई.आई.टी. दिल्ली में उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लायी जाएगी। आई.आई.टी. की प्रस्तावित भूमिका सभी सम्बद्ध ग्रामीण तथा ग्राम स्तरीय प्रौद्योगिकी के संबंध में डाटाबेस का सृजन करना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में प्रशिक्षण और उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित करने तथा व्यवसायों इत्यादि के लिए सेवाएं प्रदान करने की होंगी।

सतर्कता अनुदेश

5536. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के सतर्कता संबंधी सभी अनुदेशों को जारी करने की परम्परा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में यदि तथ्यों को अभिलेखों से सत्यापित किए जाने योग्य पाया गया तो गुमनाम शिकायतों पर भी कार्यवाही की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने उक्त आदेशों का अतिक्रमण किया है और ऐसी गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्यवाही न करने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस विभाग द्वारा दिनांक 29, 1992 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, बेनामी/छद्मनामी शिकायतों की अनदेखी की जानी है और उन्हें केवल फाइल कर दिया जाना अपेक्षित है। फिर भी, उपर्युक्त अनुदेशों में यह प्रावधान है कि सत्यापित किए जा सकने वाले ब्योरे रखने वाली शिकायतों के विशिष्ट मामलों में विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक का निश्चित और स्पष्ट आदेश हासिल करके और निर्धारित प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए उन पर ध्यान दिया जाए।

दिनांक 29.6.1999 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी यह अनुदेश जारी किया कि बेनामी/छदमनामी शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए और उन्हें इस कारण सिर्फ फाइल कर दिया जाए कि इस प्रकार की शिकायतों से यह आवश्यक नहीं है कि भ्रष्टाचार के वास्तविक मामले सामने आएं। इसके विपरीत, इनका प्रयोग पदोन्नति आदि के समय, ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5537. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला योजना अधिकारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा सुझाये गए कार्यों की मात्रा का मुकाबला करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अलग प्रभाग बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो नया प्रभाग कब तक बनाये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत जिलाध्यक्षों को, सांसदों द्वारा यथा अनुशंसित कार्यों को दिशा निर्देशों का समग्र अनुपालन करते हुए, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कार्यों का कार्यान्वयन सरकार, पंचायती राज संस्थाओं अथवा गैर-सरकारी संगठनों जिन्हें कार्य के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए जिलाध्यक्ष द्वारा सक्षम माना जाए, से कराया जा सकता है।

(ग) से (ङ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रथक प्रभाग है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

कार्यों के लिए जिला स्तर पर पृथक प्रभाग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र का विकास

5538. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 17 बिलियन अमरीकी डालर की मदद से एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र विकसित होने जा रहा है और स्वास्थ्य रक्षा उद्योग में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पताल में बिस्तरों की भारी कमी है, प्रति व्यक्ति चिकित्सकों की उपलब्धता कम है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के बीच सहयोग को मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्वास्थ्य रक्षा सेवा पर और अधिक ध्यान देने तथा तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को गैर-सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए छोड़ने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने स्वास्थ्य परिचर्या पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है तथापि, 25 अप्रैल, 2001 को 18 स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोल मेज चर्चा के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या के अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई थी।

(ग) से (ङ) प्रति 10,000 जनसंख्या पर डाक्टरों और प्रति 10,000 जनसंख्या पर पलंगों की संख्या में साथ-साथ निरन्तर सुधार हुआ है। इस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में संशोधन का कार्य चल रहा है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में विभिन्न विषयों पर विचार किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर अधिकाधिक बल देना भी शामिल है।

एड्स उन्मूलन हेतु दक्षिण अफ्रीका की सहायता

5539. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) दक्षिण अफ्रीका ने एच.आई.वी., एड्स, क्षय रोग से लड़ने तथा पोषाहार कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र प्रदान करने और भारत की सहायता करने के लिए किस सीमा तक सहमति व्यक्त की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत के प्रतिनिधित्व का स्तर उठाना

5540. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न लातिनी अमरीकी देशों में भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने उनका स्तरोन्नयन करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। भारत के इस समय लातिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र में तेरह आवासी राजनयिक मिशन और एक प्रधान कोंसलावास हैं।

कोलम्बिया स्थित मिशन 1994 में पुन: खुला था और वहां एक राजदूत नियुक्त किया था। 1995 में, साओ पौलो (ब्राजील) में एक प्रधान कोंसलावास खोला गया। इस क्षेत्र में व्यापार संवर्धन को गति प्रदान करने के लिए, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने हाल ही में साओ पौलो (ब्राजील) में एक कार्यालय खोला है।

यौनकर्मियों के लिए योजना

5541. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समाज में यौन कर्मियों को अंगभूत होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यौनकर्मियों के लिए रोजगार और आय सृजन की कुछ योजनाओं को आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बाल वेश्यावृत्ति को खत्म करने और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों विशेषकर लड़कियों की स्थिति में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है। खासकर वेश्यावृत्ति पीड़ितों की अधिक सप्लाई वाले क्षेत्रों में और मुक्त कराए गए वेश्यावृत्ति पीड़ितों के पुनर्वास के लिए रोजगार तथा आय सृजक योजनाएं जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को समर्थन, महिलाओं के लिए रोजगार सह-आय सृजक यूनिटों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आदि कार्यान्वित की जा रही है। सरकार वेश्यावृत्ति पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित गृहों और अल्पकालीन ठहराव गृहों के विस्तृत नेटवर्क को भी सहायता उपलब्ध कराती है।

(ग) भारत सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी राज्य सलाहकार समितियां गठित की है तथा वे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के सलाहकार बोर्डों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अधिसूचित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1998 में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार तथा व्यावसायिक यौन शोषण का सामना करने के लिए कार्रवाई योजना भी तैयार की है तथा राज्यों से इस योजना को प्रचालित करने के लिए समुचित हस्तक्षेप तैयार करने का अनुरोध किया है।

अवैध व्यापार करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने तथा उन पर अधिकाधिक आपराधिक जिम्मेदारी डालने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण, अधिनियम, 1956 का संशोधन प्रक्रियाधीन है। अन्तरदेशीय व्यापार को रोकने के उद्देश्य से सार्क देशों ने वेश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार के अपराध का सामना करने तथा इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का हल निकालने के लिए प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक कन्वेन्सन का मसौदा तैयार किया है। मसौदा प्रोटोकाल पर सहमति की प्रतीक्षा है।

चीनी नेता का दौरा

5542. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री ली. चांगचुन ने हाल में नई दिल्ली का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उनकी इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-चीन संबंधों को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा?

विदेश मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) विदेश मंत्री के आमंत्रण पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री ली चंगचुन और गुआंग डांग प्रांत के पार्टी सचिव 12-18 मई, 2001 तक भारत की यात्रा पर आए। उनकी यह यात्रा भारत और चीन के बीच जारी उच्च स्तरीय आदान-प्रदान का एक भाग थी।

(ख) से (घ) श्री चंग चुन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की वे विदेश मंत्री तथा सूचना तकनीकी तथा संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रमोद महाजन से मिले। विदेश मंत्री ने श्री चंगचुन के साथ विस्तृत वार्ता की इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों नेता राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर विभिन्न स्तरों पर और अधिक क्रियाकलाप की उपयोगिता से सहमत थे। दोनों पक्ष इस बात से भी सहमत थे कि द्विपक्षीय व्यापार के विकास के ठोस अवसर विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

कृषि पर आधारित उद्योगों की संख्या

5543. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत कृषि आधारित उद्योगों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें कितने मजदूर लगे हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कृषि पर आधारित उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की लगातार गिर रही और दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में मजदूरों के उत्थान हेतु कोई प्रयास किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों की कोई सूची केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र जिसमें कृषि आधारित उद्योग भी शामिल हैं, में सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) सरकार को कृषि आधारित उद्योगों में लगे मजदूरों की कठिन परिस्थिति की जानकारी है। सरकार के.वी.आई.सी. के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों सहित खादी और ग्रामोद्योगों का संवर्धन करती है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं : 5 वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प और बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.), खादी कारीगरों को एश्योरेंस कवर, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लॉस्टर विकास, कोर क्षेत्रों पर संकेंद्रण, और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का प्रावधान।

विवरण

के.वी.आई. कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार संचित सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

(रोजगार लाख व्यक्तियों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.60	3.59	3.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.01	*	*
3.	असम	0.11	1.25	1.21
4.	बिहार	3.75	3.80	3.26
5.	गोवा	0.05	0.05	0.07
6.	गुजरात	1.07	1.01	0.96
7.	हरियाणा	0.92	0.91	0.90
8.	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.83	0.82
9.	जम्मू और कश्मीर	0.96	1.23	1.08
10.	कर्नाटक	2.33	2.42	2.12
11.	केरल	2.32	2.08	2.04
12.	मध्य प्रदेश	1.16	1.29	1.45
13.	महाराष्ट्र	4.00	4.65	5.04
14.	मणिपुर	0.42	0.42	0.54
15.	मेघालय	0.13	0.11	0.18

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	0.12	0.15	0.13
17.	नागालैंड	0.19	0.19	0.20
18.	उड़ीसा	2.10	1.98	1.71
19.	पंजाब	1.84	1.73	1.75
20.	राजस्थान	4.41	4.33	4.38
21.	सिक्किम	0.05	0.06	0.04
22.	तमिलनाडु	10.91	11.16	11.04
23.	त्रिपुरा	0.27	0.23	0.24
24.	उत्तर प्रदेश	10.21	10.51	12.00
25.	प. बंगाल	3.51	4.05	4.26
26.	अंडमान और निकोबार	*	*	*
27.	चंडीगढ़	0.04	0.03	0.11
28.	दादरा और नगर हवेली	*	*	–
29.	दमन और दीव	*	*	*
30.	दिल्ली	0.18	0.18	0.18
31.	लक्षद्वीप	*	*	*
32.	पांडिचेरी	0.05	0.05	0.05
	कुल	56.50	58.29	59.23

*500 से कम

[अनुवाद]

देशी तकनीक का विकास

5544. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबंधों को लगाए जाने के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने परमाणु विस्फोटों और परीक्षणों का पता लगाने वाली डिजिटल डाटा एक्वीजिशनल प्रणाली सहित देशी तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा प्रतिबंधों के बाद विकसित की गई देशी तकनीक का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) विदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी. का) का नाभिकीय कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि आत्मनिर्भरता के एक अंश के रूप में नाभिकीय प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण

करना कोई दशकों से परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की नीति रही है।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, तीन दशकों से भी अधिक समय से नाभिकीय विस्फोटों का पता लगाने के क्षेत्र में काम करता रहा है और भूकंपीय आंकड़ा अभिग्रहण संबंधी एक व्यापक प्रणाली को स्वदेशी तौर पर विकसित करके काम में लाया गया है।

(ग) ऊपर उल्लिखित अनुसार नाभिकीय प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण की वजह से, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में चीन का शामिल होना

5545. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल होने की अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीन के दक्षेस में प्रवेश को प्रायोजित करने अथवा उसका समर्थन करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान को वित्तीय सहायता

5546. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई को क्षेत्रगत कार्यकलापों को पूरा करने और प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु दी गई वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्थान को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान, चेन्नई को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के माध्यम से अनुदान मिलता है। इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान को वित्तीय सहायता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इसके विस्तार करने की कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान, चेन्नई की स्थापना 2 जुलाई, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय जालमा कुष्ठ संस्थान को मिलाकर की गई थी। राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्था को 1999-2000 से आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपए)

1999-2000	2000-2001
279.73	499.80

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

5547. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उद्देश्य और कार्यकरण क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ज्यादातर धन प्रशासनिक शीर्षों पर खर्च किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में इस संस्थान के व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संस्थान को और अधिक उत्तरदायी और क्षेत्रोन्मुखी संगठन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संस्थान की दिशा और कार्यकलापों में परिवर्तन लाने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संस्थान का उद्देश्य भारत सरकार के समाज रक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना और तकनीकी निवेश प्रदान करना और समाज रक्षा के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र में अपेक्षित जनशक्ति संसाधन को विकसित और प्रशिक्षित

करना है। इस संस्थान के कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्रों में सांख्यिकी का संग्रह, प्रलेखन, अनुसंधान तथा किशोर न्याय प्रशासन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, बच्चों का दत्तक ग्रहण, बच्चों के संरक्षण में शामिल प्रणालियां, नशीली दवा दुरूपयोग की रोकथाम तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल शामिल है। यह संस्थान उपर्युक्त क्षेत्रों में भागीदारों के साथ सहयोग से घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों दोनों को आयोजित करता है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान समाज रक्षा समस्याओं का पूर्वानुमान और निदान करने तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में निवारक, पुनर्वासात्मक तथा उपचारी नीतियों का विकास करने के उद्देश्य से समाज रक्षा के क्षेत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान इस संस्थान पर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपए लाख में)

शीर्ष	योजना	गैर-योजना
वेतन	5.25	34.00
मजदूरी	0.60	0.07
समयोपरि भत्ते	0.35	0.30
घरेलू यात्रा व्यय	2.30	0.06
प्रकाशन	3.20	0.13
कार्यालय व्यय	41.40	3.00
अन्य शुल्क	163.00	-
	216.10	37.56

''अन्य शुल्क'' शीर्ष के अंतर्गत हुआ व्यय एन.आई.एस.डी. के विभिन्न कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण आदि संबंधी व्यय हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि व्यय का प्रमुख हिस्सा संस्थान के विभिन्न कार्यकलापों पर किया जाता है, प्रशासनिक उपरिव्ययों पर नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार इस संस्थान को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों का और अधिक प्रभावी तरीके से निष्पादन करने तथा परिणामोन्मुखी तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने एवं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से भी पर्याप्त अधिकार, लचीलापन तथा स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

अवैध आप्रवासी

5548. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के मुद्दे को विदेश की सरकारों के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं जिनके साथ उपरोक्त अवधि के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था और यह मुद्दा किन तिथियों को उठाया गया है;

(ग) उक्त देशों से प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बंगलादेश से भारत में अवैध आप्रवासन की संख्या को देखते हुए इस मामले को नई दिल्ली में 26-27 अप्रैल, 2001 तक हुई भारत-बंगलादेश गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं, ढाका, में 21-25 अक्तूबर, 2000 तक सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं, 13-14 दिसम्बर, 2000 तक नई दिल्ली में भारत और बंगलादेश के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं तथा हाल ही में नई दिल्ली में 15-17 फरवरी, 2001 तक भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की बैठक एवं नई दिल्ली में 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2001 तक सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं के दौरान सहित राजनीतिक, राजनयिक तथा आधिकारिक स्तर पर लगातार उठाया जा रहा है। पड़ोसी मित्र देशों के रूप में दोनों देश बातचीत द्वारा सभी द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सकों और औषधियों की कमी

5549. डा. वी. सरोजा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सकों की कमी और औषधियों की अनुपलब्धता के कारण चेन्नई स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना के लाभार्थियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के कष्टों के शमन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई में डाक्टरों की कमी और औषधों की अनुपलब्धता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के कुछ डाक्टर अध्ययनावकाश पर है और कुछ डाक्टर फरार हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। विशेषज्ञ डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी टपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई में औषधों की कोई कमी नहीं है क्योंकि औषधालयों में अनुपलब्ध औषधों को अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से खरीदा जाता है और उनको केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को जारी किया जाता है। आपात स्थिति के मामले में अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से सीधे औषधें लेने के लिए लाभार्थियों को ''प्राधिकार पर्चियां'' जारी की जाती हैं।

विदेशी नागरिकों का उपचार

5550. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से गुर्दा प्रत्यारोपण कराने वाले नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) भारतीय अस्पतालों में गुर्दे को बेचे जाने से संबंधित सूचित किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार गुर्दे को बेचे जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई ठोस उपाय करने वाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विदेशियों के चिकित्सा उपचार के लिए अलग से कोई वीसा नहीं है। विदेशी व्यक्ति पर्यटक अथवा प्रवेश वीसा पर भारत में प्रवेश करते हैं। इसलिए चिकित्सा उपचार के लिए भारत आए विदेशियों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अधिकारियों को समुचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें किडनी सहित मानव अंगों की बिक्री भी शामिल है। भारतीय अस्पतालों में किडनी बेचने के मामलों, जो कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है, और दण्डनीय है, की संख्या से संबंधित सूचना संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे अपराध होते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है, के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। पिछले एक वर्ष में दिल्ली में किडनी बेचने के दो मामले ध्यान में आए हैं।

(घ) और (ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों के निष्कासन, भण्डारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने तथा मानव अंगों के व्यापार तथा उससे जुड़े मामलों अथवा उनसे प्रासंगिक मामलों को रोकने के लिए बनाया गया था? उक्त अधिनियम को बिहार तथा तीन नए राज्यों, नामत: उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

5551. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अगले कुछ ही दिनों में रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

5552. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने 1996 में देश में कतिपय चिकित्सा महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों का निरीक्षण किया था और मूलभूत सुविधाओं, जनशक्ति तथा उपकरणों की कतिपय कमियों का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए विदेशी वित्तपोषित एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वर्ष 1996 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने 8 मेडिकल कालेजों का आवधिक निरीक्षण किया, जिनमें से निम्नलिखित मेडिकल कालेजों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही एम.बी.बी.एस. डिग्री को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई-

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
2. गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद
3. मेडिकल कालेज, कलकत्ता
4. आर.जी. कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता
5. एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, कलकत्ता
6. कलकत्ता नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता
7. बी.एस. मेडिकल कालेज, वांकुरा

आठवें मेडिकल कालेज, अर्थात् राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर में पता लगी कई कमियों को देखते हुए उसको मान्यता जारी रखने की भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा सिफारिश नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त 1996 में निम्नलिखित 3 मेडिकल कालेजों से सीटें बढ़ाने के बारे में उनके आवेदनों के प्राप्त होने पर निरीक्षण किया गया था-

1. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा
2. एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगई
3. राजकीय मेडिकल कालेज, नादेड़

निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न कमियों को देखते हुए इन कालेजों के अनुरोधों को स्वीकृत नहीं किया गया।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों की उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य सरकारों से धन प्रदान करने वाले वाह्य अभिकरणों से वित्तीय सहायता के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

राज्य सरकारों से बाह्य वित्त पोषण के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	विषय	वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किस से प्राप्त हुआ	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	1. 4 मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों को उपकरणों से सज्जित करना	फिनलैण्ड सरकार	आवश्यक वित्त पोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित किया गया
		2. बंगलौर मेडिकल कालेज एवं संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार करना	जापानी सहायता अनुदान	-तदैव-

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश	1. (क) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में शीर्ष अभिघात केन्द्र और (ख) बर्न यूनिट की स्थापना	जापान अन्तराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण	विचाराधीन
		2. कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में स्टेरियोटेक्टिक न्यूरोसर्जरी यूनिट की स्थापना	जापानी ऋण राहत अनुदान	आवश्यक वित्त पोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित किया गया
3.	मिजोरम	आइजोल सिविल अस्पताल में सी.टी. स्कैन की संस्थापना और अस्पताल अपशिष्ट ट्रीटमेंट की स्थापना	जापानी ऋण राहत अनुदान	विचाराधीन
4.	तमिलनाडु	1. अतिविशिष्टता वाला कैंसर अस्पताल परियोजना, अर्गनार अन्ना मेमोरियल कैंसर अस्पताल, करापेट्टाई, कांचीपुरम	समुद्रपारीय विकास सहायता	राज्य सरकार से ब्यौरेवार प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
		2. 37 मेडिकल कालेजों और संलग्न अस्पतालों के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद	फिनलैण्ड सरकार	आवश्यक वित्त पोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित किया गया
		3. कैंसर संस्थान (डब्ल्यू.आई.ए.), चेन्नई के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद		विचाराधीन
5.	असम	3 मेडिकल कालेजों और 3 अस्पतालों के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद	फिनलैण्ड सरकार	विचाराधीन
6.	मणिपुर	200 पलंगों वाले राज्य स्तर के अस्पताल, 7 जिला अस्पतालों और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद	फिनलैण्ड सरकार	विचाराधीन
7.	केरल	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के लिए लिनियर एक्सिलरेटर की खरीद	जापानी ऋण राहत अनुदान	आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपए पहले ही आबंटित किए जा चुके थे।
8.	महाराष्ट्र	मेडिकल कालेजों और सिविल अस्पतालों के लिए चिकित्सीय उपकरणों की खरीद	जापानी ऋण सहायता अनुदान	विचाराधीन
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	तीन अस्पतालों जी.बी. पंत अस्पताल, जी.टी.बी. अस्पताल और लोकनायक अस्पताल के लिए अनुदानों हेतु प्रस्ताव	जापानी सहायता	विचाराधीन

फोटोकॉपीयर कागज की बिक्री/खरीद

5553. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भण्डार कई वर्षों से विभिन्न ब्रांडों के फोटोकॉपीयर कागज बेच रहा है और हाल ही में यह पता चला कि इनका खरीद और बिक्री दर खुले बाजार की दरों से बहुत अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने फोटोकॉपीयर कागज की कुछ किस्मों को बेचना बंद कर दिया और आपूर्तिकर्ताओं का नाम देते हुए लगभग 75 लाख रु. की राशि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ताओं को नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो गत 12 महीनों में केन्द्रीय भंडार द्वारा खरीदे गये/बेचे गए फोटोकॉपीयर कागजों का आकार, ब्रांड और खरीद मूल्य बताते हुए इनका माह-वार, ब्रांड-वार और दर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गयी और क्या कोई उत्तरदायित्व तय किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार ने फोटोकॉपीयर कागजों की खरीद के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन पर मिली प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और आपूर्तिकर्त्तावार इनकी ब्रांड कौन-कौन सी थी और कौन-कौन-सी दरों का चयन किया गया और खरीद नीति का उल्लंघन करके ब्रांड वाली वस्तुओं के लिए निविदा का आशय लेने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तरीकों को फैलाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय भण्डार, कई वर्षों से विभिन्न ब्रैंडों के फोटोकॉपियर पेपर बेचता आ रहा है। आपूर्तिकर्त्ताओं से यह वचन लेने के उपरांत सामान ले लिया जाता है कि वे किसी अन्य उपभोक्ता को केन्द्रीय भण्डार के संबंध में उद्धृत की गई दर से कम दर पर सामान की आपूर्ति नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई मामला केन्द्रीय भण्डार के ध्यान में आता है तो आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध इस खण्ड को अमल में लाए जाने की कार्रवाई की जाती है। यह पता चला था कि मेसर्स मोदी जिरॉक्स कॉर्पोरेशन ने फोटोकॉपियर पेपर केन्द्रीय भंडार के संबंध में उद्धृत की गई दर से कम दर पर बेचा है और तदनुसार दरों में अन्तर के कारण परिकलित 60,19,822/- रु. की धनराशि (न कि 75 लाख रु.) मेसर्स मोदी जिरॉक्स कार्पोरेशन को देय भुगतान में से वसूल कर ली गई है।

(ख) इस बारे में जानकारी संकलित की जा रही है।

(ग) (क) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, कोई टिप्पणी नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) चयन-प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

(च) जब कभी किसी कर्मचारी (कर्मचारियों) के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो, आवश्यक जांच-पड़ताल/अन्वेषण करने के पश्चात् उसके (उनके) विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय भण्डार में मुख्य सतर्कता अधिकारी का एक पद है। उपर्युक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, भ्रष्टाचार की शिकायतों और आरोपों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रेक्षापास्त्र रक्षा प्रणाली

5554. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने 14 जुलाई, 2001 को राष्ट्रीय प्रेक्षपास्त्र रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत इस परीक्षण अथवा प्रणाली से किसी तरह संबद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा रक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या भारत ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अमरीका ने 14 जुलाई 2001 को एक मिसाइल रोधी परीक्षण किया था। अमरीका में बान्देनवर्ग एअर फोर्स बेस से नकली हथियारों सहित एक अन्तरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और एक डिकाय छोड़ा गया। तभी मार्शलद्वीप में अमरीकी परीक्षण रेंज से एक जमीनी अवरोधक मिसाइल छोड़ी गई। सीधी मार करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए इस अवरोधक मिसाइल ने अपनी ओर आ रही मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया और नष्ट कर दिया।

(ग) से (छ) यह परीक्षण संयुक्त राज्य द्वारा नियोजित परीक्षण श्रृंखलाओं का एक भाग था जिसका प्रभाव मिसाइल प्रतिरक्षा प्रस्तावों के सिलसिले में चल रही परियोजनाओं पर पड़ेगा। जहां तक मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए अमरीकी योजनाओं के प्रभाव का संबंध है अमरीका और रूस सहित संबंधित देशों के बीच में विचार-विमर्श और बातचीत चल रही है। ऐसे परामर्शों के लिए

अमरीकी राष्ट्रपति का एक विशेष दूत भी इस वर्ष मई में भारत आया था। प्रस्तावित प्रणाली का सही ब्यौरा अभी बताया नहीं गया है।

[अनुवाद]

आई.सी.सी.आर. के कार्यालय और सांस्कृतिक केन्द्र

5555. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लातीनी अमेरिकी के कैरीबियन क्षेत्र में कई कार्यालय और सांस्कृतिक केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समय-समय पर उनकी गतिविधियों की कोई निगरानी की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) जार्जटाउन (गुयाना) पारामारिबो (सूरीनाम) तथा पोर्ट ऑफ स्पेन (ट्रिनिडाड और टोबेगो) में परिषद् के भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र हैं।

(ग) इन केन्द्रों की मुख्य गतिविधियां हैं: भारतीय भाषाओं, संगीत, नृत्य और योग; भारतीय इतिहास कला और संस्कृति पर व्याख्यान वार्तालाप पैनल चर्चा और संगोष्ठियां आयोजित करना; भारत की सांस्कृतिक मंडलियों का स्वागत सत्कार तथा परिषद की छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन।

(घ) और (ङ) इन केन्द्रों के कार्य-कलापों को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से परिषद निरंतर इन सांस्कृतिक केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा करती है। इस उद्देश्य से परिषद् ने केन्द्रों द्वारा प्रति माह अपनी गतिविधियों की जानकारी देने की प्रणाली बनायी है। परिषद् इन देशों में मिशन प्रमुखों के परामर्श से इन केन्द्रों के कार्यों की विशेष समीक्षा भी करती है।

आई.एन.एस. शारदा का बेचा जाना

5556. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपतटीय पेट्रोल पोत आई.एन.एस. शारदा को श्रीलंका को बेचने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय नौसेना के पास भारत की लम्बी तटीय सीमा पर गश्त लगाने के लिए पर्याप्त पोत हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समूह 20 के देशों की बैठक

5557. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के अंत में भारत द्वारा पहली बार समूह 20 के विकसित और विकासशील देशों की बैठक की मेजबानी करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता की कार्य सूची क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। भारत 17-18 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में होने वाली ग्रुप 20 (जी-20) वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा।

(ग) कार्य सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

5558. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में कुछ केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में शाम की पाली शुरू करने के लिए निदेश जारी करने का है ताकि लाभार्थी स्वास्थ्य सेवा का उचित उपयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) दिल्ली और महाराष्ट्र में कुछ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में शाम की पाली शुरू करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में शाम की पाली शुरू करने से नवम्बर, 1999 की कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में नियत किए गए मानदंडों के अनुसार नये पदों के सृजन करने की आवश्यकता होती है जिसका कार्यान्वयन न्यायाधीन हो गया है क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान बेंच, नई दिल्ली ने ओ.ए. सं. 1030/2001 में आदेश के तहत उक्त कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का कार्यान्वयन रोक दिया है। अत: सरकार के लिए इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में शाम की पाली शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं होगा।

विटामिन ''ए'' संबंधी अध्ययन

5559. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विटामिन ''ए'' अनुपूरण की दो खुराकों के प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में विटामिन ''ए'' संबंधी नीति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा पूर्व में किए गए गहन नैदानिक और क्षेत्र परीक्षणों से पता चलता है कि तेल में विटामिन ''ए'' की 2,00,000 आई.यू. के मिश्रणीय रूप का 1-5 वर्ष की आयु के बच्चों को मुख से सेवन कराया गया तो उससे न केवल केरेटोमलेशिया की रोकथाम हुई बल्कि बिटॉट स्पॉट्स की व्याप्तता में 75 प्रतिशत की कमी आई। हैदराबाद और सिकन्दराबाद की मलिन बस्तियों के 60,000 से अधिक बच्चों में किए गए एक बड़े पांच वर्षीय देशान्तरीय क्षेत्र परीक्षण से पता चलता है कि विटामिन ''ए'' की मुंह से ली गई छ: माही खुराकों के सेवन से कार्नियल जीरोप्थलमिया की घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। आठ राज्यों के उन्हीं गांवों में किए गए राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो के फिर से किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि स्कूल जाने की आयु से पूर्व आयु के बच्चों में बिटॉट स्पॉट्स की घटनाएं 1975-79 में 1.8 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 में 0.7 प्रतिशत हुई हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने स्कूल जाने की आयु से पूर्व आयु के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन ''ए'' के सेवन के लाभों और निरापदता पर सितम्बर, 2000 में विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था। इस परामर्श में अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकला कि देश में क्लिनिकल विटामिन ''ए'' की कमी के परिमाण में कमी आई है, लेकिन छुट-पुट क्षेत्रों में यह मौजूद है। यह संस्तुति की गई थी कि 9 माह से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को विटामिन ''ए'' की पांच खुराकों का सेवन जारी रहना चाहिए। यह भी संस्तुति की गई कि गर्भवती/स्तनपान कराने वाली ऐसी महिलाओं का इलाज विटामिन ''ए'' की समुचित खुराकों से किया जाना चाहिए जिन्हें रतौंधी हो। विटामिन ''ए'' की कमी को सतत रूप से समाप्त करने के लिए विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपभोग करने को लोगों, विशेषरूप से गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में जोरदार ढंग से बढ़ावा देना चाहिए। इस परामर्श में यह भी सिफारिश की गई कि विटामिन ''ए'' के सेवन को पल्स पोलियो टीकाकरण जैसे अभियानों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाए विटामिन ''ए'' कवरेज में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र

5560. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नई के क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र में सुधार के लिए कोई नए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र में चलाई गई परियोजनाओं और उक्त के लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का क्षय रोग अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र में चलाई गई परियोजनाएं तथा धन के आबंटन, संवितरण और उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अंतर्गत एक अनुसंधान केन्द्र है, को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई में चलाई गई परियोजनाओं तथा धन के आबंटन, संवितरण और उपयोग का ब्यौरा

वर्ष	परियोजना का नाम	धन आबंटन	धन संवितरण	धन का उपयोग
1998-99	औषध प्रतिरोध निगरानी	8,24,000/-	8,24,000/-	7,42,295/-
	नए रोगी परिचर्या एवं क्लीनिक अनुसंधान इमारत के निर्माण हेतु अनुदान	50,00,000/-	50,00,000/-	50,00,000/-
1999-2000	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नोडल प्रशिक्षक के रूप में सूक्ष्म जैव विज्ञानिकों का नौडल प्रशिक्षण	6,36,900/-	6,36,900/-	3,90,666/-
2000-2001	एच.आई.वी./टी.बी. के लिए नयाचार विकास कार्यशाला	3,60,000/-	3,60,000/-	2,82,120/-
	जिला क्षयरोग अधिकारी और राज्य क्षयरोग अधिकारी का मोडयूलर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए	3,30,500/-	3,30,500/-	2,71,268/-

आउटरीच कार्यक्रम

5561. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 और चालू वर्ष में देश में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों में कमी आयी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे आउटरीच कार्यक्रमों की गति को बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियों की निगरानी की है और आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है;

(ग) वर्ष 2000-2001 में संबंधित संस्थाओं द्वारा राज्य की राजधानियों के बाहर कितने कार्यक्रम आयोजित किये गये;

(घ) क्या ऐसी मांगों को पूरा करने में वित्त पोषण एक बड़ी बाधा है; और

(ङ) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों तक पहुंचने में मदद करने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद द्वारा 32 शिविरों का आयोजन किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त पुनर्वास केंद्रों, विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के माध्यम से सृजक कार्यकलापों के लिए आसान ऋण की स्वीकृति शामिल है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के हितों के संरक्षण तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

5562. डा. वी. सरोजा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को दिये जाने वाले अनुदान को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना नामक योजना नि:शक्त व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को समर्थ बनाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र संगठन नि:शक्त व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, आश्रयप्राप्त कार्यशालाओं, दिवा देखभाल केन्द्रों, उपचारात्मक तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले पुनर्वास केन्द्रों तथा स्थापन सेवाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए गृहों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

किसी वर्ष के दौरान एक गैर-सरकारी संगठन को अनुदान राशि में कटौती अथवा वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ अनेक घटकों जैसे-वर्तमान पाए गए लाभग्राहियों की संख्या, संगठन के बजट अनुमान तथा विभिन्न लागत मदों पर निरीक्षण एजेन्सी की सिफारिश, पिछले वर्षों के अनुदानों के उपयोग की सीमा, दस्तावेजी तथा अन्य अनौपचारिक आवश्यकताओं का अनुपालन, वास्तविक व्यय, योजना के अंतर्गत बजट की उपलब्धता तथा पैरामीटरों में परिवर्तनों, आदि पर निर्भर करती है।

इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के प्रति प्रयास को व्यय में वृद्धि तथा सहायता प्रदत्त गैर-सरकारी संगठनों से देखा जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के आरंभिक प्रावधानों के अंतर्गत कुल संवितरण लगभग 20 करोड़ रु. था जिसे लगभग 400 संगठनों को निर्मुक्त किया गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान लगभग 534 संगठनों के लिए व्यय में लगभग 62 करोड़ रु. की वृद्धि की गई है।

ट्यूब लाइट और बल्ब के आपूर्तिकर्त्ता

5563. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा प्रतियोगी मूल्य प्राप्त करने के लिए पहले से पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं;

(ख) क्या बिजली की ट्यूबलाइट और बल्ब के पहले से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं में से सीमित निविदाएं आमंत्रित की गयी जिन्हें दिनांक 22.6.2001 को दोपहर तीन बजे खोला जाना था;

(ग) क्या उक्त निविदा को निर्धारित समय और तिथि पर नहीं खोला गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में संबंधित विभाग ने क्या आदेश जारी किए और निविदा को न खोलने के कारणों को पहले से बताते हुए क्या आपूर्तिकर्त्ताओं को सूचित किया गया था, यदि नहीं तो क्यों;

(ङ) क्या नए आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए निविदा खोलने के कार्य में विलंब हुआ; और

(च) यदि हां, तो निविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) निविदा खोले जाने की तारीख 22.6.2001 नियत की गई थी। निविदाएं खोले जाने की तारीख से पहले केन्द्रीय भण्डार की जानकारी में यह आया कि आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय ने कुछ ही समय पहले एक निविदा को अन्तिम रूप दिया जिसमें दी गई दरें केन्द्रीय भण्डार के कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं की अनुमोदित दरों से कम थीं। अत: और अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की दृष्टि से, अपेक्षाकृत अधिक प्रतिष्ठित ब्रैंडों को प्रतिस्पर्धा में शामिल होने दिया जाना तय किया गया तथा तद्नुसार, निविदा खोले जाने की तारीख 9.7.2001 तक बढ़ा दी गई। आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदा खोले जाने के स्थगन और दिनांक 9.7.2001 को खोले जाने के बारे में सूचित कर दिया गया। उपर्युक्त स्थगन, नियमों के अनुसार अनुमत है।

(ङ) जी, नहीं। निविदा खोले जाने का स्थगन, उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में दिए गए कारणों से किया गया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को वजीफा

5564. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार प्रतिमाह प्रति बच्चे के लिए कितनी धनराशि दी तथा कितनी राशि व्यय की गई और शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकारें शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वजीफा दे रही है;

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से है और प्रति माह प्रति बालक कितना वजीफा मिलता है;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चिकित्सा परीक्षा की कठिन और महंगी प्रणाली के कारण शारीरिक रूप से विकलांग कई विद्यार्थियों को कुछ राज्यों में वजीफे से वंचित रखा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का है कि वे प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र के शुरू होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा अधिकारियों का एक दल भेजें ताकि वे छात्रों की जांच कर सकें और वजीफा की अर्हता के लिए प्रमाण पत्र जारी करें; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास कक्षा 1 से 8 तक के विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान करने संबंधी योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति/वजीफे की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रति माह 500 रुपए से लेकर 200 रुपए तक अलग-अलग है।

(ङ) से (छ) विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन और विकलांगता प्रमाण-पत्रों को जारी करने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से व्यवहार्य हैं।

मेन्टल हैल्थ एक्ट

5565. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए मेन्टल हैल्थ एक्ट में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति कर ली गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सभी पहलुओं के संबंध में निर्णय के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में, जो पहली अप्रैल, 1993 से लागू हुआ है, मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं।

भारतीय औषधियों का अध्ययन और संग्रहण

5566. श्री ए. ब्रह्ममैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश-व्यापी कार्यक्रम के माध्यम से सभी संभावित घरेलू औषधियों और जड़ी बूटी संबंधी उपचारों के संग्रहण के लिए किसी संगठन की संस्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय उपचार पद्धति की योजना किस सीमा तक बनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और सुविधाओं की उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा पूर्णरूपेण वित्त पोषित संगठन केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद पादपों के चिकित्सीय उपयोग से संबंधित आदिवासी एवं स्थानीय ज्ञान को लेखबद्ध कर रहे हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने 6000 लोक साहित्य दावे एकत्र किए और जिनमें से 2600 लेख साहित्य के बारे में सूचना प्रकाशित की गई है। केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 6500 लोक साहित्य दावे एकत्र किए हैं।

(ग) और (घ) अब तक 16 राज्यों से ऐसे दावे एकत्र किए गए हैं? यह एक चल रहा कार्यक्रम है, जिसमें लोक साहित्य के संबंध में जानकारी को लेखबद्ध करने की व्यवस्था है जिसे अब तक लेखबद्ध नहीं किया गया है।

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिये योजना

5567. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता की एसोसिएशन की सहायता करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लाभार्थ आय सृजक कार्यकलापों को आरम्भ करने के लिए माता-पिताओं के संघों को वित्तीय सहायता की योजना कार्यान्वित कर रहा है। ऐसे कार्यकलापों का संघ द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रबंधन किया जाएगा। ऋण हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम दस परिवारों के साथ माता-पिताओं के संघ को कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए तथा केन्द्र/राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी वित्तीय संस्था, बैंक आदि से लिए गए ऋणों के संबंध में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत, मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित नि:शक्त व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने हेतु माता-पिताओं के संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत माता-पिताओं के संघों के लिए निधियों का अलग से कोई आवंटन नहीं है।

केन्द्रीय भंडार में चयन

5568. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में विभिन स्रोतों से अधिकारियों का चयन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की संख्या कितनी है और उन्हें कहां-कहां से भर्ती किया गया;

(ग) केन्द्रीय भंडार के उपनियमों में इस प्रकार से भर्ती के संबंध के क्या प्रावधान हैं;

(घ) कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, किन-किन संस्थानों से यह प्रतिनियुक्ति पर हैं; कितने समय से हैं; कितने समय के लिए हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को कम करने के या बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ङ) स्थानीय रूप से भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेने और अन्य को कार्य मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) इस समय, निम्नानुसार, चार अधिकारी, केन्द्रीय भंडार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	स्रोत
1.	प्रबंध निदेशक	भारतीय प्रशासनिक सेवा, मध्य प्रदेश-संवर्ग
2.	उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा)	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक
3.	सहायक महाप्रबंधक (लेखन-सामग्री)	भारतीय सांख्यिकीय सेवा, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय
4.	लेखा अधिकारी-I	वित्त-मंत्रालय के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक

(ग) केन्द्रीय भंडार के उपनियमों के अनुसार, लेखा अधिकारी-I और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्रीय भंडार का निदेशक-बोर्ड, इन अधिकारियों की नियुक्ति करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी है।

(घ) संलग्न विवरण-I के अनुसार, केन्द्रीय भंडार में, चार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं।

(ङ) संलग्न विवरण-II में दर्शाए जा रहे ब्योरे के अनुसार, केन्द्रीय भंडार में छः अधिकारी स्थानीय रूप से भर्ती किए गए हैं।

(च) और (छ) जब आवश्यकता होती है तब केन्द्रीय भंडार, अधिकारियों को केन्द्र-सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेकर भर्ती करता है। चूंकि विभिन्न सेवाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए गए अधिकारी और स्थानीय रूप से भर्ती किए गए अधिकारी, समिति का काम-काज दक्षतापूर्वक और समुचित ढंग से चला रहे हैं, अतः इस समय, उन्हें कार्य-मुक्त किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	केन्द्रीय भंडार में पद का कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4
1.	डा. सुदर्शन सिंघल, भारतीय प्रशासनिक सेवा	प्रबंध निदेशक	19.7.1999
2.	श्री ए.के. सोबती, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-सेवा	उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा)	1.11.2000

1	2	3	4
3.	श्री डी.के. सिंह, भारतीय सांख्यिकीय सेवा	सहायक महाप्रबंधक (लेखन-सामग्री)	1.7.1997
4.	श्री दिलीप कुमार	लेखा अधिकारी-I	28.5.2001

टिप्पणी : एक अधिकारी, श्री डी.के. सिंह की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल, पांचवें वर्ष के संबंध में केन्द्रीय भंडार के निदेशक-बोर्ड द्वारा बढ़ाया गया है, क्योंकि वह अपना काम-काज उत्कृष्टतापूर्वक करते आ रहे हैं। अन्य सभी अधिकारियों ने अभी तक अपनी प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि ही पूरी नहीं की है।

विवरण-II

स्थानीय रूप से भर्ती किए गए अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	केन्द्रीय भंडार में पद का कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री आर.के. सिंह	उप महाप्रबंधक	30.9.1997
2.	श्री संजय गुप्ता	मुख्य लेखा अधिकारी	28.6.1996
3.	श्रीमती तंकमणि पिल्लै	लेखा अधिकारी-II	16.10.1992
4.	श्री नवनीत तायल	लेखा अधिकारी-III	21.6.1999
5.	श्री एस.ए. अलीशाह	संविदा के आधार पर नियुक्त	16.1.2001
6.	श्री एस.पी. शर्मा	-तदैव-	16.1.2001

टिप्पणी : इन अधिकारियों की नियुक्ति, केन्द्रीय भंडार के विभिन प्रभागों के काम-काज की देख-रेख करने के लिए की गई।

केन्द्रीय भंडार की खरीद-नीति

5569. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** 18.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रांड नाम वाली मदों के संबंध में निविदाएं आमंत्रित करने का केन्द्रीय भंडार की खरीद नीति में कोई प्रावधान नहीं है और गैर ब्रांड वाली वस्तुओं के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं;

(ख) क्या ब्रांड नाम वाली मदों के लिए हाल ही में निविदाएं जारी की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन ब्रांड नाम वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जहां निविदाएं आमंत्रित की गईं तथा इन निविदाओं के क्या परिणाम निकले और इन्हें आमंत्रित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्राधिकारी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निर्धारित करने हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) प्राधिकारियों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) गत एक वर्ष में केन्द्रीय भंडार में प्राधिकारियों की लापरवाही के विरुद्ध संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त किए गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। उपर्युक्त क्रय-नीति में यह उल्लेख है कि ब्रैंड वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय भण्डार, उत्पादकों से सम्पर्क करेगा लेकिन जहां एक

ही/एक तरह की वस्तुओं के कई प्रतियोगी ब्रैंड हों, वहां केन्द्रीय भण्डार, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और उपभोक्ता के हित की दृष्टि से सर्वोत्तम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से उत्पादकों तथा/अथवा प्राधिकृत वितरकों से निविदाएं आमंत्रित करता है। यह विचलन समय-समय पर संशोधित, उपर्युक्त क्रय नीति के अनुसार, अनुमत है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस बारे में ब्योरा संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) (घ) के उपर्युक्त के मददेनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय भंडार के काम-काज के संचालन के बारे में संसद-सदस्यों से कई पत्र मिले हैं तथा तथ्यों का पता लगाने के बाद, कई मामलों में उत्तर भी भेज दिए गए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान अधिकारियों के मनमाने रवैये के बारे में मिले पत्रों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

यू.पी.एस.

के.वी. मार्जिन और लिमिटेड टेन्डर के मद्दे स्वीकृत दरों को शामिल करते हुए विद्यमान अनुमोदित दरों को दर्शाने वाले यू.पी.एस. का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का वितरण	विगत दर की रेंज (रुपए)		टेंडर के मद्दे अनुमोदित दर (रुपए)
		से	तक	
1	2	3	4	5
1.	150 वी ए	1505	1635	1417
2.	250 वी ए	2028	2384	1995
3.	400 वी ए	2512	2997	2520
4.	500 वी ए	3446	3962	3517
5.	1000 वी ए	6812	7442	6562
6.	1500 वी ए	9195	10361	8925
7.	2000 वी ए	10899	14225	11287
8.	3000 वी ए	17423	18785	17850
9.	5000 वी ए	23159	29031	26250
वोल्टेज स्टेबलाइजर (सिंगल फेज) सर्वो कन्ट्रोल स्टेबलाइजर				
1.	1 के.वी.ए.	4799	5654	4725
2.	2 के.वी.ए.	5314	6260	5355
3.	3 के.वी.ए.	6250	7363	5880
4.	5 के.वी.ए.	7446	8773	7560
5.	7.5 के.वी.ए.	11563	13623	11130

1	2	3	4	5
6.	10 के.वी.ए.	16189	19073	14700
7.	15 के.वी.ए.	24522	–	21315
8.	25 के.वी.ए.	32096	–	32413
	लाइन इन्टरएक्टिव ऑफ लाइन यू.पी. सिस्टम			
	300 वी.ए.	6812	–	4704
	500 वी.ए.	8855	–	5460
	625 वी.ए.	9877	–	6615
	1 के.वी.ए.	12261	–	11340
	1.5 के.वी.ए.	–	–	16695
	2.0 के.वी.ए.	–	–	22575
	3.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया
	4.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया
	5.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया,
	शील्ड मैन्टीनेंस फ्री बैटरी			
1.	12 बोल्ट 7 ए.एच.	954	1132	735
		2044	2572	1732
	12 बोल्ट 16 ए.एच./	2725	3189	2362
	17 ए.एच.			
3.	12 बोल्ट 26 ए.एच.	4087	5343	3675
4.	12 बोल्ट 40 ए.एच.	6812	9261	5250
5.	12 बोल्ट 65 ए.एच.	10004	10898	7717
6.	12 बोल्ट 100 ए.एच.			
	यू.पी.एस. ऑन लाइन			
	बैटरी रहित			
	0.5 के.वी.ए.	16117	17029	16800
	1.0 के.वी.ए.	27454	32015	22579
	2.0 के.वी.ए.	39097	49097	33163

1	2	3	4	5
	3.0 के.वी.ए.	68117	72135	39513
	5.0 के.वी.ए. 10 से 10	95364	104630	66326
	7.5 के.वी.ए. 10 से 10	122611	138769	77616
	7.5 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	102900
	10.0 के.वी.ए. 10 से 10	149858	192122	98784
	10.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	139650
	10.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	159600
	15.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	183750
	15.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	215250
	20.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	247800
	20.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	294000
यू.पी.एस. ऑफ लाइन बैटरी रहित				
300 वी.ए.	15 मिनट	5858	–	4525
	30 मिनट	5858	–	4525
	60 मिनट	5858	–	4525
	120 मिनट	5858	–	4525
500 वी.ए.	15 मिनट	6429	8960	4525
	30 मिनट	6429	8960	4525
	60 मिनट	6429	8960	5670
	120 मिनट	6429	8960	6090
625 वी.ए.	15 मिनट	8670	8970	5680
	30 मिनट	8670	8970	5680
	60 मिनट	8670	8970	6930
	120 मिनट	8670	8970	7455
1 के.वी.ए.	15 मिनट	10543	12971	9471
	30 मिनट	10543	12971	9471
	60 मिनट	10543	12971	11970
	120 मिनट	10543	12971	119950

1	2	3	4	5
1.25 के.वी.ए.	15 मिनट	13230	15728	11655
	30 मिनट	13230	15728	11655
	60 मिनट	13230	15728	13125
	120 मिनट	13230	15728	13125
1.5 के.वी.ए.	15 मिनट	20897	21323	13891
	30 मिनट	20897	21323	13891
	60 मिनट	20897	21323	17220
	120 मिनट	20897	21323	18270
पिछली दरों की रेंज टेंडर के मद्दे अनुमोदित दर				
2 के.वी.ए.	15 मिनट	27232	27788	19950
	30 मिनट	–	–	19950
	60 मिनट	–	–	19950
	120 मिनट	–	–	19950
3 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	32550
	30 मिनट	–	–	32550
	60 मिनट	–	–	32550
	120 मिनट	–	–	32550
यू.पी.एस. आफ लाइन विगत दर की रेंज टेंडर के मद्दे बैटरी रहित अनुमोदित दर				
4 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	37800.00
	30 मिनट	–	–	37800.00
	60 मिनट	–	–	37800.00
	120 मिनट	–	–	37800.00
5 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	44000.00
	30 मिनट	–	–	44000.00
	60 मिनट	–	–	44000.00
	120 मिनट	–	–	44000.00

इनवरटर बैटरी रहित		टेंडर के मद्दे अनुमोदित दर
500 वी.ए.	30 मिनट	5504.00
	60 मिनट	5504.00
	120 मिनट	5504.00
625 वी.ए.	30 मिनट	7056.00
	60 मिनट	7056.00
	120 मिनट	7056.00
1 के.वी.ए.	30 मिनट	9878.00
	60 मिनट	9878.00
	120 मिनट	9878.00
1.25 के.वी.ए.	30 मिनट	11995.00
	60 मिनट	11995.00
	120 मिनट	11995.00
2 के.वी.ए.	30 मिनट	16934.00
	60 मिनट	16934.00
	120 मिनट	16934.00
3 के.वी.ए.	30 मिनट	33516.00
	60 मिनट	33516.00
	120 मिनट	33516.00
4 के.वी.ए.	30 मिनट	39028.00
	60 मिनट	39028.00
	120 मिनट	39028.00
5 के.वी.ए.	30 मिनट	51156.00
	60 मिनट	51156.00
	120 मिनट	51156.00

बल्ब और ट्यूबलाइट

पूर्व दरों और अब 9.7.2001 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला बल्ब व ट्यूबलाइट का तुलनात्मक विवरण

मद	फिलिप्स		ई.सी.ई.		विप्रो		क्रॉम्प्टन ग्रीव्स		ओसराम		कोना		मैसूर	
	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब
100 वाट बल्ब	9.84	9.84	8.35	7.34	7.79	7.79	-	7.89	-	7.89	-	-	8.70	7.78
60 वाट बल्ब	9.02	9.02	8.35	7.17	7.37	7.37	-	7.67	-	7.67	-	-	8.50	7.78
40 वाट बल्ब	9.02	9.02	7.88	7.17	7.37	7.37	-	7.67	-	7.67	-	-	8.50	8.00
ट्यूबलाइट 4''	42.39	42.39	36.87	32.75	35.50	35.50	-	36.84	-	36.84	-	-	40.00	35.08
ट्यूबलाइट 2''	40.65	40.65	36.87	32.75	34.73	34.40	-	36.84	-	-	-	36.84	38.70	35.90
फिटिंग 4''	-	161.50	-	159.12	144.05	144.05	-	-	-	-	149.04	162.50	168.25	154.00
फिटिंग 2''	-	148.75	-	-	144.05	144.05	-	-	-	-	-	158.91	114.40	154.00
चौक 40	140.25	140.25	106.46	106.46	117.25	117.25	-	-	-	-	91.80	111.74	-	105.00
चौक 20	137.95	131.75	106.46	106.46	70.35	70.35	-	-	-	-	-	111.74	-	105.00
स्टार्टर 40 वाट	8.50	8.50	5.56	5.56	8.04	8.04	-	-	-	-	6.30	5.84	6.00	5.30
स्टार्टर 20 वाट	-	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.84	-	10.50

पेन

विद्यमान दर और 23.7.01 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला पेनों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	मॉडल विवरण	विद्यमान दर	निविदा दर
1	2	3	4
	रीनोल्ड पेन		
1.	बाल पेन 040	4.33	4.23
2.	बाल पेन 045	5.32	5.09
3.	बाल पेन 045 डिजाइन	8.20	8.48
4.	बाल पेन 045 एक्वा	6.21	5.94
5.	डब्ल्यू.बी.एम.	17.17	17.17
6.	परमानेंट मारकर	12.82	12.56
7.	परमानेंट मार्कर (जम्बो)	17.17	17.21
8.	जोटर	14.86	14.42
9.	जोटर वॉल पेन रोलर—टैक	20.86	20.86

1	2	3	4
10.	जोटर-वॉल पेन रोलर टैंक पा.	33.38	33.38
11.	जोटर-वॉल पेन एरोलर	33.38	33.38
12.	हाइलाइटर	12.82	12.82
13.	स्कैच पेन (12 का सैट)	52.31	57.58
	सैलो		
1.	क्रिस्टल सैलो	4.45	3.25
2.	पाइटैक जेल	12.95	12.75
3.	ग्रिप्पर	5.96	5.00
	रोटोमैक		
1.	वाल पेन पाइन 07 टी.सी.	4.50	3.66
2.	मिरर	2.40	2.20
3.	स्पीड	13.00	11.90
4.	जोटर पेन फॉइटर	12.50	10.58
	एड जेल		
1.	पिंगल 300	21.28	21.25
2.	एल.एफ. 100	8.53	8.50
3.	पी.जी. 500	23.76	23.80
	लक्जर		
1.	पाइलट पेन वी-5 लक्सर (810)	30.04	30.04
2.	हाइटेक लक्सर 810 पाइंट	19.23	19.23
3.	वी 5 वीन्ड लक्सर 811	28.85	28.85
4.	डाइलाइटर 5 नं. सैट 886	57.70	57.70
5.	डी.एच.पी. मार्किट 968	62.39	62.39
6.	प्लास्टिक के कवर में पैक 12 रंग बिरंगे फाइबर टिप सैट 920 के स्कैच पेन	40.38	40.38
	कोरस		
1.	बॉल पेन स्क्रिप्ट फाइन कोरस (काला, नीला लाल रंग)	4.42 रुपए	4.53 रुपए

1	2	3	4
	फ्लेयर		
1.	वाल पेन हाफ स्टील	13.76	12.74
2.	फ्लैयर 210 हाइलाइटर	12.84	11.76
3.	जोटर रिफिल नीला काला लाल	6.42	5.39
	केजीका		
1.	बाल पेन होल्डर 906	3.39	3.39
2.	बाल पेन होल्डर 950 गोल्डन	9.70	9.70
3.	बाल पेन होल्डर 950	11.64	11.64
4.	बाल पेन होल्डर 930	5.88	5.88
5.	जोटर रिफिल	3.63	4.12

टिप्पणी : दरों को अंतिम रूप दिया जाना है।

फोटो कॉपियर पेपर

पहले की दर और 25.2.2001 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला फोटोकॉपियर का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	केन्द्रीय भंडार में स्वीकृत ब्रेंड	विद्यमान दर	ब्रेंड ऑफर	25.5.01 की निविदा के मद्दे प्राप्त दर
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स गेटवे स्पै. पेपर लि.	–	–	एस्क्वायर	44.99/ कि.
2.	मैसर्स गोयल सेल्स का.	एस्क्वायर	44.99/कि.	ईमेज	41.18/कि.
3.	मैसर्स पी.के. पेपर ई.	हाईब्राइट	49.43/कि.	हाईब्राइट	49.43/कि.
4.	मैसर्स एम.सी. पेपर प्रा.लि.	एक्जेक्ट	62.72/कि.	एक्जेक्ट	61.65/कि.
5.	मै. उषा फर्टिलाइजर	जे.के. ब्रेंड	47.70/कि.	जे.के. ब्रेंड	47.70/कि.
				इ.जी.	42.33/कि.
6.	मै. गेटवे पेपर प्रा. लि.	–	–	स्वस्तिक डायरेक्टर	44.50/कि.
7.	मै. राज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर	आन्ध्रा मि.	45.57/कि.	आन्ध्रा मि.	45.57/कि.
8.	मै. इंडिया पेपर कन्वरटर	–	–	रायल मेगनम	35.20/कि.

1	2	3	4	5	6
				सैन्चुरी	41.50/कि.
				आन्ध्रा	42.40/कि.
				बिल्ट पावर	43.30/कि.
				जे.के. ब्रेंड	46.00/कि.
9.	मै. प्रिय दर्शनी	इम्प्रेशन	55.05/कि.	इम्प्रेशन	44.21/कि.
10.	मै. स्वरूप पेपर एजे.	सेन्चुरी	44.02/कि.	सेन्चुरी	43.33/कि.
11.	मै. करम चन्द्र थापर	कॉपी पावर	44.13/कि.	कॉपी पावर	44.13/कि.
				इमेज कॉपीयर	38.32/कि.
				ग्लोबस मेगनम	53.15/कि.

केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार

5570. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार के चेयरमैन की ओर से नए आपूर्तिकर्त्ताओं और नई मदों की शुरूआत करने की मंजूरी दी जानी है;

(ख) यदि हां, तो उन नए आपूर्तिकर्त्ताओं और नई मदों के संबंध में ब्यौरा क्या है, जिन्हें 2001 के दौरान अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिली;

(ग) क्या 'क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़' कम्पनी को अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी, किन्तु महाप्रबंधक ने इसे मंजूर किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और महाप्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) 'क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़' को केन्द्रीय भंडार में किस तिथि को पंजीयन किया गया और पंजीकृत डीलरों से सीमित निविदा बुलाने की प्रक्रिया के अनुसार, उक्त कम्पनी से किस तिथि को निविदा-पत्र लिया गया;

(च) 'क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़' को पंजीकृत करने के क्या कारण हैं और क्या इस कम्पनी की दरें इसी मद के वर्तमान आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरों से कम थीं; और

(छ) क्या केन्द्रीय भंडार में अनुचित तरीका अपनाने तथा भ्रष्टाचार की प्रथा ने फिर सिर उठा लिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) वर्ष, 2001 के दौरान, नॉन आई.एस.आई. फायर एक्सटिन्विशर (मेसर्ज कैस्केड काउंटिल टैक प्रा.लि.), लाइन एंड यूनी बॉल पेन (मैसर्ज एल्म ट्रेड्स), तोशिबा फोटो कॉपियर मशीन (मैसर्ज एच.सी.एल. इनफॉसिस्टम लि.) आदि वस्तुएं, अध्यक्ष केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई।

(ग) जी, नहीं। प्रस्ताव, अध्यक्ष केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनुमोदित किया गया।

(घ) (ग) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्रॉम्पटन ग्रीव्स को निविदा-फॉर्म, उसके दिनांक 18.6.2001 के प्रस्ताव पर जुलाई 2, 2001 को भेजा गया और निविदा जुलाई 9, 2001 को खोली गई। उपर्युक्त फर्म ने अपना पंजीकरण-फार्म 20.8.2001 को प्रस्तुत किया है और अब उसे पंजीकृत कर दिया गया है। उपर्युक्त फर्म द्वारा अभी तक कोई आपूर्ति नहीं की गई है।

(च) केन्द्रीय भंडार की जानकारी में यह आया था कि कुछ ही समय पहले आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय ने एक दर-संविदा को अंतिम रूप दिया था, जिसमें कीमतें, केन्द्रीय भण्डार के कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों से अपेक्षाकृत कम थी। इस प्रकार आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय की दर संविदा मानने वाले और एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता, क्रॉम्पटन ग्रीव्स से भी दरें उद्धृत करने को कहा गया। तीन अन्य नए आपूर्तिकर्त्ताओं ने भी दरे उद्धृत की। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। पहले के आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धृत दरें और अब प्राप्त हुई नई दरें, संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही हैं।

(छ) (च) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

बल्बों और ट्यूब लाइटों की दरें दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

कम्पनी की दरें (रुपए में)

क्र.सं.	मद	फिलिप्स		ई.सी.ई.		विप्रो		क्रॉम्पटन ग्रीव्स	
		पहले की दरें	नई दरें	पहले की दरें	नई दरें	पहले की दरें	नई दरें	पहले की दरें	नई दरें
1.	100 वॉट का बल्ब	9.84	9.84	8.35	7.34	7.79	7.79	–	7.89
2.	60 वॉट का बल्ब	9.02	9.02	8.35	7.17	7.37	7.37	–	7.67
3.	40 वॉट का बल्ब	9.02	9.02	7.88	7.17	7.37	7.37	–	7.67
4.	ट्यूब लाइट 4 बल्ब	42.39	42.39	36.87	32.75	35.50	35.50	–	36.84
5.	ट्यूब लाइट 2 बल्ब	40.65	40.65	36.87	32.75	34.73	34.40	–	33.11

ट्यूबलाइटों और बल्बों के पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता

5571. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार ने 22 जून, 2001 को अपराह्न 3 बजे खोली जाने वाली निविदाओं के लिए ट्यूबलाइटों और बल्बों के वर्तमान पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से प्रतियोगी दरों की प्राप्ति हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदा उक्त तिथि और समय पर नहीं खोली गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निविदा किस तारीख को खोली गई और उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) निविदाओं को खोलने के लिए प्रक्रिया क्या है और क्या निविदाओं के खोले जाने पर विलंब किया जा सकता है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है;

(च) क्या निविदा खोलने में विलंब अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रस्ताव पर विचार करने में मदद करने और दुबारा से बोली में भाग लेने के लिए किया गया न कि आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के महीनों और वर्षों पूर्व की दर ठेकों पर ओसराम इंडिया (जर्मनी) के ट्यूबलाइटों और बल्बों की पूर्ति के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और क्या केन्द्रीय जांच-ब्यूरों का केन्द्रीय भंडार में व्याप्त घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहने का कोई प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आपूर्तिकर्त्ताओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की दृष्टि से अन्य प्रतिष्ठित ब्रैंडों को भी सीमित निविदा में शामिल किया जाने दिया गया और तद्नुसार निविदा खोले जाने की तारीख, जुलाई 9, 2001 तक बढ़ा दी गई। आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदा

खोले जाने की तारीख आस्थगित कर दिए जाने के बारे में मौखिक रूप से और लिखित में, दोनों ही तरह से सूचित कर दिया गया।

(घ) उपर्युक्त निविदा, जुलाई 9, 2001 को खोली गई। आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक आपूर्तिकर्त्ता ने निविदा आमंत्रित किए जाने पर अपने सामान की दरें घटा दीं। उसकी पहले की दरें और उसके द्वारा उद्धृत दरें नीचे दर्शाई जा रही है:

क्र.सं.	मदों का ब्योरा	पिछली अनुमोदित दरें	9.7.2001 की निविदा में उद्धृत दरें (रुपए में)
1.	100 वॉट का बल्ब	8.35 रुपए	7.34 रुपए
2.	60 वॉट का बल्ब	8.35 रुपए	7.34 रुपए
3.	40 वॉट का बल्ब	7.88 रुपए	7.17 रुपए
4.	ट्यूब लाइट	36.87 रुपए	32.75 रुपए

(ङ) जी, हां। केन्द्रीय भंडार की क्रय-नीति के अनुसार, ऐसा किया जाना अनुमत है।

(च) जी, हां। ओसराम ब्रैंड को भी इसी प्रकार शामिल किया गया था।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा पाठ्यक्रम

5572. श्री टी. गोविन्दन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर केरल के कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा विद्यार्थियों द्वारा पूरा किए गए चिकित्सा पाठ्यक्रमों को स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 क के अन्तर्गत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, तेलेगांव (पुणे) और एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसिज, पेरियार, कन्नूर को अनुमति दे दी है लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने इस संस्थाओं में कतिपय कमियों के कारण अभी तक इनको मान्यता नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अनुपालन रिपोर्ट की जांच के लिए 16 और 17 जुलाई, 2001 को इन दोनों संस्थाओं का निरीक्षण किया है। इन संस्थाओं की मान्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों की प्रतीक्षा की है।

जीवित प्राणियों के प्रति संवेदना

5573. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिस्थितिकी संरक्षण और जीवित प्राणियों के प्रति संवेदना के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 (छ) के द्वारा नीतियां/कार्यक्रम/परियोजनाएं बनाने को बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हत्या संविधान का उल्लंघन नहीं है और केन्द्र सरकार और ए.पी.ई.डी.ए. जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा राजसहायता/अनुदान भी दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सभी आर्थिक और सैन्य नीतियों में संवैधानिक प्रावधानों के पालन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि मंत्रालय (पशु पालन एवं डेयरी विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से परिस्थितिकी का संरक्षण करने और जीवित प्राणियों के प्रति संवेदना रखने के लिए अनुच्छेद 51 (छ) के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है;

भण्डार डिपो में अनियमितताएं

5574. श्री राम नगीना मिश्र: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के भण्डार-डिपुओं के कुछ प्रभारी अधिकारी पिछले सात-आठ वर्षों से अपनी वर्तमान जगह पर ही तैनात है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, डा. किशोरी लाल, प्रभारी अधिकारी, के.स.स्वा. योजना आयुर्वेदिक स्टोर डिपो, दिल्ली के डिपो में 16.2.95 को तैनात किया गया है।

(ग) और (घ) आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद में अनियमितताओं के बारे में डा. किशोरी लाल, प्रभारी अधिकारी, के.स.स्वा. योजना, आयुर्वेदिक स्टोर, डिपो, दिल्ली के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की जा रही है।

अल्फा साइपर मिथरिंग

5575. श्री मनोज सिन्हा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मलेरिया उन्मूलन हेतु वर्ष 1998 के अंत में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा विकसित अल्फा साइपर मिथरिंग के उपयोग की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी तरह के गुणवत्ता वाली अन्य उत्पादों के उपयोग की अनुमति देने का है जो तुलनात्मक रूप से सस्ते है; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत, केवल उन्हीं कीटनाशकों को प्रयोग किए जाने की अनुमति है जो केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से पंजीकृत हैं। अल्फा साइपर मिथ्रिन 5 प्रतिशत डब्ल्यू डी पी को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड में वर्ष 2000 में पंजीकृत किया गया था।

[अनुवाद]

रसायन प्रयोगशालाओं संबंधी विधान

5576. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रसायन प्रयोगशालाओं का पंजीकरण आवश्यक बनाने हेतु विधान अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) विधान को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.राजा): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उनका रासायनिक प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत भी इस बारे में विधान बनाने का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 150 ख के अन्तर्गत औषधों और प्रसाधन सामग्रियों तथा लाइसेंसियों की ओर से विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री पर परीक्षण करने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा संस्थाओं को अनुमोदन/पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

होम्योपैथिक औषधियों

5577. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होम्योपैथिक संबंधी उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोगों के लिए होम्योपैथिक औषधियों को गैर-होम्योपैथिक काउन्टरों में उपलब्ध करवाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व इस मामले पर चर्चा के लिए होम्योपैथिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी व्यक्तियों जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए 29 सितम्बर, 2000 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई। सुझावों इत्यादि की सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् सभी लाइसेंस-प्राप्त फार्मेसियों में बेची जाने वाली 49 औषधों को अनुमति देते हुए 28 मार्च, 2001 को एक अन्तिम अधिसूचना जारी की गई।

[हिन्दी]

बच्चों को अवैध रूप से रखा जाना

5578. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री बाबूभाई के. कटारा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात, दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर और देश के अन्य भागों के विभिन्न अनाथालयों में बच्चों को अवैध रूप से रखे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनवरी, 2000 से आज की तिथि तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ये अनाथालय सरकार से अनुदान और अन्य सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिए गए अनुदान और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनाथालयों में चल रही ऐसी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अनाथालयों में बच्चों को अवैध रूप से रखे जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मंत्रालय में अनाथालयों के लिए सहायता अनुदान की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के संवर्धन के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना है जिसमें शिशु गृहों को अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के संवर्धन के लिए अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में दिए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय दत्तकग्रहण एजेंसियों और गृहों के कुप्रबन्धन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए समय-समय पर परिपत्र जारी करता रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सभी आवासीय गृहों को लाइसेंस देना तथा राज्य दत्तकग्रहण इकाई का गठन करना।

(2) अनाथालयों तथा एजेंसियों का संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(3) अनाथालयों तथा अन्य दातव्य गृह अधिनियम, 1960 का प्रवर्तन।

(4) आन्ध्र प्रदेश में हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए दत्तक ग्रहण कार्यकलापों की मानीटरिंग।

संबंधित एजेंसियों तथा संगठनों को अपने कार्यकलापों को सुचारू बनाने तथा इस संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के संवर्धन के लिए शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि (रुपये में)		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	931,121.00	2,148,600.00	872,250.00
2	अरूणाचल प्रदेश	375,300.00	600.000.00	583,200.00
3	दिल्ली	198,181.00	1,064,400.00	177,314.00
4	गुजरात	132,300.00	353,700,00	-
5	हरियाणा	313,200.00	447,030.00	347,276.00
6	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	78,763.00
7	कर्नाटक	339,750.00	496,800.00	496,800.00

1	2	3	4	5
8	केरल	121,500.00	698,400.00	449,072.00
9	मध्य प्रदेश	297,900.00	600,000.00	600,000.00
10	महाराष्ट्र	4,316,636.00	5,711,645.00	7,628,700.00
11	मणिपुर	शून्य	99,000.00	456,300.00
12	मिजोरम	शून्य	49,500.00	496,800.00
13	उड़ीसा	1,877,250.00	2,129,100.00	4,077,600.00
14	राजस्थान	591,300.00	491,400.00	1,387.800.00
15	तमिलनाडु	1,244,938.00	716,850.00	583,200.00
16	त्रिपुरा	375,600.00	599,400.00	583,200.00
17	प. बंगाल	482,712.00	-	-
	कुल	12,597,688,00	16,205,825.00	18,818,275.00

सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

5579. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:**
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई संस्थाओं ने सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने वाले गैर-सरकारी कम्प्यूटर संस्थाओं के लिए आवश्यक कानून बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे संस्थानों के नियन्त्रण को अपने हाथ में लेने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। किन्तु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. संस्था, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, की एक स्वैच्छिक योजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र में संस्थानों को डी.ओ.ई.ए.सी.सी. पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए मान्यता दी जाती है। बशर्ते वे शिक्षक वर्ग एवं मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यथा निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हों।

अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल किया जाना

5580. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में राजस्थान के जाट सिख को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह निर्णय लिया गया;

(ग) क्या बिश्नोई को भी सिख जाटों की भांति जाट से अलग कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिश्नोई को भी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आयोग द्वारा लिये गये अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राजपत्र अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 27.10.1999 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में ''जाट'' (भरतपुर तथा धौलपुर जिलों में छोड़कर) को शामिल किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किसी जाति/समुदाय को शामिल करने के लिए धर्म संबंधी कोई बाधा नहीं है। किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि वे पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित मानदंडों को पूरा करते हों।

(ग) से (च) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में ''बिश्नोई'' जाति/समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया है तथा इसे शामिल करने के अनुरोधों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

भारतीय नर्सों की भर्ती

5581. श्री. विजय गोयल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार भारतीय नर्सों की भर्ती को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के निबंधन और शर्तें क्या होंगे और इस पर कब तक हस्ताक्षर हो जाएंगे;

(ग) क्या यू.के. के अस्पतालों में हमारी नर्सों के उत्पीड़न से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय किये गये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नई औषधि

5582. डा. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औषधि के उत्पादन हेतु अनुमति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसके लिए अनुमति प्रदान करने में सामान्यत: कितना समय लिया जाता है; और

(ख) वे कौन-कौन सी नई औषधियां हैं जिनके लिए इस वर्ष के दौरान अनुमति प्रदान की गई है और प्रत्येक मामले में कितना समय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) बाजार प्राधिकार देने के लिए एक नई औषध के आवेदन-पत्र का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। अपेक्षाएं औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 122ए से ई और उसकी अनुसूची 'वाई' के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं। तौर-तरीकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, औषध की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का प्रारम्भिक मूल्यांकन, पशु विषाक्तता, फार्माकोकिनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स शामिल हैं। यह मूल्यांकन औषध महानियंत्रक (भारत) का कार्यालय और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। नैदानिक परीक्षणों के लिए संलेखों (प्रोटोकाल्स) के अनुमोदन के साथ-साथ विभिन्न नैदानिक परीक्षणों द्वारा सृजित किए गए आंकड़ों तथा केन्द्रीय सरकार की प्रयोगशालाओं इत्यादि द्वारा नई औषध के परीक्षण के परिणाम की आगे जांच की जाती है।

नई औषध के आवेदन-पत्र का मूल्यांकन में लिया जाने वाला समय अणु (माल-इ-क्यूल)/औषध और आवेदन-पत्र की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। अन्वेषणात्मक नई औषध (एक औषध अणु जिसका विश्व में किसी भी स्थान पर मानवों पर परीक्षण नहीं किया गया हो) के अनुमोदन के लिए सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक समय किसी दूसरे स्थान पर पहले से ही अनुमोदित किसी औषध के प्रथम बार के अनुमोदन के लिए लगभग 1-3 वर्ष और पहले से ही अनुमोदित औषधों के लिए बाद में दिए गए आवेदन-पत्रों पर लगभग 2-3 महीने का समय लग सकता है। तथापि यह औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'वाई' के उपबन्ध के अनुसार सभी अपेक्षित आंकड़ों का समय पर प्रस्तुत करने की शर्त पर है।

(ख) इस वर्ष (पहली जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक) अनुमोदित नई औषधों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 की अवधि के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदित की गई नई औषधें

क्र.सं.	औषध का नाम	श्रेणी	आवेदन-प्राप्ति की तारीख	अनुमोदन की तारीख
1.	सिल्डेनेफिल सिट्रेट	मेन ऐरेक्टाइल डिसफंक्शन	2/6/1998	8/1/2001
2.**	ट्राइफ्लुसेल्केप्स 30 मिग्रा.	थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की निवारण	25/6/1996	17/1/2001
3.**	थिमोसिन अल्फा 1 इंजेक्शन	हेपाटाइटिस-बी रोधी	28/10/1994	17/1/2001
4.	विनोरेल्विन टारट्रेट इंजे.	कैंसर-रोधी	6/2/2000	17/1/2001
5.	क्लोपिडोग्रेल	एण्टी प्लेटलेट अग्रीगेशन इन्हीबिटर	5/7/2000	2/2/2001
6.*	इन्डीनेविर सल्फेट	एड्स रोधी	22/5/2000	1/2/2001
7.	ब्यूटेनाफाइन एचसीएल	एण्टी फंगल	1/8/2000	14/2/2001
8.	मिट्राजेपाइन	एण्टी डिप्रेशन	10/4/2000	14/2/2001
9.	डोनेप्राजल एचसीएल	अल्जीयमर्स डी के लिए	3/12/1998	20/3/2001
10.	मोसाप्राइड	प्रोकेनेटिक एजेंट	29/3/2000	13/3/2001
11.	ब्यूपरोपियन एसआर टेब. 150 मिग्रा.	धूम्रपान बन्द करना	12/7/2000	10/4/2001
12.	रिलोक्सीफेन	मेनोपासल ओस्टियोपोरोसिस	13/10/1999	4/5/2001
13.*	इफेविरेंज 50/100/200 मिग्रा.	एण्टी एच.आई.वी.	27/4/2000	6/6/2001
14.	मोक्सीफ्लोक्सेसिन	जीवाणु-रोधी	मार्च 1997	26/6/2001
15.	माइसोप्रोस्टोल	अल्सर-रोधी	3/4/1997	21/6/2001
16.*	नेल्फीनेविर	एच.आई.वी. रोधी	22/12/2000	29/6/2001

*कैंसर-रोधी/एड्स-रोधी अथवा इम्यूनोसप्रेसिव औषधें

**भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विशेषज्ञों को रेफर की गई औषधें

[हिन्दी]

कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी

5583. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों ने 30 जुलाई, 2001 को कश्मीर में एक मस्जिद पर कब्जा करके उससे भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की जिसमें कुछ सैनिक मारे गये और कुछ घायल हुए;

(ख) क्या भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को मार गिराया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) मारे गए सैनिकों को कितना मुआवजा दिया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) 30 जुलाई, 2001 को बारामूला जिले के गोइगाम गांव में तीन आतंकवादियों ने एक मस्जिद के निकटस्थ जियारत में शरण ली थी। इसकी परिणामी संक्रिया में मारे गए तीनों आतंकवादियों के बारे में बाद में पता चला कि इनके नाम गुलाम मुस्तफा खान, जहूर अहमद जरार और फारूख अहमद थे और बताया जाता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। सेना का कोई कार्मिक नहीं मारा गया था। तथापि, इस संक्रिया के दौरान एक सैन्य कार्मिक घायल हुआ था।

स्थानीय लोगों को इस बात के प्रति शिक्षित करने के सभी प्रयास किए गए हैं कि आतंकवादियों को धार्मिक स्थलों में शरण लेने से रोका जाए। इसके अतिरिक्त, इस तरह का दुरूपयोग रोकने के लिए भी संक्रियात्मक उपाय किए गए हैं।

अलग-अलग मामले के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति से निबटने के वास्ते स्थानीय कमांडर प्राधिकृत हैं।

[अनुवाद]

सांसदों के पत्र

5584. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांसदों ने एम.ओ.एस.(पी.पी.) को समान वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अधिक संख्या में आपूर्तिकर्त्ताओं का नामांकन करने के बारे में लिखा है व इसके कारण जानने चाहे हैं जबकि न तो उनके सामान की गुणवत्ता ही वर्तमान से श्रेष्ठ है और न ही बिक्री के आंकड़े ही ऐसे अतिरिक्त नामांकन करने की अनुमति देते हैं और क्या एम.ओ.एस.(पी.पी.) ने छह महीने से अधिक समय से इन पत्रों का उत्तर नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो पत्रों का उत्तर देने में इस असाधारण विलंब के क्या कारण हैं और केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या क्राम्पटन ग्रीव्स को उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पुन: नामांकित किया गया है जिनकी आपूर्ति पहले से ही तीन आपूर्तिकर्त्ता कर रहे हैं और क्राम्पटन ग्रीव्स की दरें वर्तमान दो आपूर्तिकर्त्ताओं की दरों से कहीं अधिक हैं;

(घ) क्या अध्यक्ष द्वारा फाइल को निपटाया नहीं गया है और फिर भी उन्हें नामांकित किया गया;

(ङ) क्या केवल पंजीकृत डीलरों के लिए ही तैयार की गई औपचारिकताओं को निविदा जारी किए जाने के बाद पूरा किया गया; और

(च) यदि हां, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का पक्ष लेने और अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं, जिनके आवेदन वर्षों से लंबित पड़े हैं, के प्रति दुर्भावना रखने के कारण महाप्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। फिर भी, निविदाएं आमंत्रित किए जाने का नोटिस नए सिरे से जारी किया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि स्पर्धा से कीमतें अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं के लाभ में वृद्धि होगी।

(ख) संसद सदस्यों से मिले पत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और प्रत्येक पत्र पर अलग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। फिर भी, ऐसे अधिकांश पत्रों में नीतिगत प्रभाव अन्तर्निहित हैं और इस विभाग के दिनांक 14.7.1981 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित नीति की समीक्षा की जा रही है। अत: ऐसे पत्रों का उत्तर भेजे जाने में पहले, कुछ विलम्ब हुआ।

(ग) जी, हां। एक प्रतिष्ठित ब्रैंड और आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय की दर-संविदा में शामिल, क्रॉम्पटन ग्रीव्ज, ने सीमित निविदा में भाग लेने का अनुरोध किया था। स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपर्युक्त फर्म को सीमित निविदा में भाग लेने दिया गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्ज के बिजली के बल्ब की तीन अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की दरों से तुलनात्मक दरें संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही हैं।

(घ) जी, नहीं। मामला, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। पंजीकृत और प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ताओं से सीमित निविदा के संदर्भ में दरों के अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

(च) केन्द्रीय भण्डार के महाप्रबन्धक ने मैसर्ज क्रॉम्पटन ग्रीव्ज को कोई तरजीह नहीं दी। क्रॉम्पटन ग्रीव्ज को उपर्युक्त निविदा में शामिल कर लिए जाने से स्पर्धा करने वाले ब्रैंडों की दरें अपेक्षाकृत कम हो गई और उपभोक्ताओं के लाभ में वृद्धि हुई।

विवरण

बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट की दरें दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का विवरण	फिलिप्स की दरें	ई.सी.ई. की दरें	विप्रो की दरें	क्रॉम्पटन की दरें
1.	100 वॉट का बल्ब	9.84 रुपए	7.34 रुपए	7.79 रुपए	7.89 रुपए
2.	60 वॉट का बल्ब	9.02 रुपए	7.17 रुपए	7.37 रुपए	7.67 रुपए
3.	40 वॉट का बल्ब	9.02 रुपए	7.17 रुपए	7.37 रुपए	7.67 रुपए
4.	4'' की ट्यूब लाइट	42.39 रुपए	32.75 रुपए	35.50 रुपए	36.84 रुपए
5.	2'' की ट्यूब लाइट	40.65 रुपए	32.75 रुपए	34.40 रुपए	33.11 रुपए

सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी

5585. श्री किरीट सोमैया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी (सीएआरए) ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र के सभी संबद्ध अनाथाश्रमों को अनुदान दिया था;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई के श्रद्धानन्द महिला आश्रम और वत्सालय ट्रस्ट को अनुदान नहीं मिला है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के समुचित और जायज अनुदानों को स्वीकृत नहीं किया गया और उनका आज तक भुगतान नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि विभाग में समन्वयन के अभाव के कारण इन अनाथालयों के बच्चों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 के लिए अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) की सहायता की योजना के अंतर्गत अनुदानों के संवितरण संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ख) वात्सल्य ट्रस्ट, मुम्बई को वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 के लिए सहायता अनुदान के रूप में 11,66,400 रु. निर्मुक्त किये गये हैं। श्रद्धानन्द महिला आश्रम के संबंध में उन्होंने इस योजना के अंतर्गत पिछली बार वर्ष 1995 में आवेदन किया तथा अनुदान हेतु आवेदन किया है जो विचाराधीन है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को उन्हें निधियां निर्मुक्त करने के संबंध में संगठनों से अभ्यावेदन तथा माननीय संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) पिछले वर्षों के लिए सहायता अनुदान सामान्य वित्त नियमों के नियम सं. 149 (4) द्वारा शासित होता है जिनमें मंजूरी जारी करने की तारीख के पहले एक वर्ष के भीतर पहले से हुए व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान की मंजूरी दी जा सकती है। इसलिए, पिछले एक वर्ष से अधिक समयावधि के लिए सहायता अनुदान काल-बाधित होगा। आवेदनों, राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट तथा इसकी सिफारिशों के देर से प्राप्त होने तथा अपूर्ण दस्तावेजों आदि के कारण सहायता अनुदान के संवितरण में विलम्ब होता है। मंत्रालय सभी राज्य सरकारों तथा अनुदानग्राही गैर-सरकारी संगठनों को समय पर अपना आवेदन पत्र भेजने के लिए अनुरोध करता रहा है। विलम्ब तथा परिणामी काल-बाधित मामलों से बचने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। वात्सल्य ट्रस्ट के मामले में पिछले वर्षों के लिए सहायता अनुदान संबंधी अनुरोध विचाराधीन है।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता (शिशु-गृह योजना के अन्तर्गत)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वित्त वर्ष	
		1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	आधार आश्रम, 491/6, घारपुरे घाट, नासिक-422005. दूरभाष : 580309	766800.00	600,000,00
2.	बाल विकास महिला मण्डल, द्वारा स्व-आधार महिला वस्तीगढ़, सुदर्शन कालोनी, इण्डिया नगर, लातूर-413531. दूरभाष : 44005	600,000.00	594,000.00
3.	पीपुल्स एजुकेशन सोसाईटी, श्री शिवाजी विद्यालय रोड, नवजीवन हास्पीटल के नजदीक, सुवर्ण नगर, बुलदाना-443001 दूरभाष: 07262-42007	712,800.00	243,600.00
4.	ध्यान गंगोत्री एजुकेशन सोसाईटी, उदगिर, लातूर-413 517. दूरभाषा: 54280.	600,000.00	594,000.00
5.	वात्सल्य ट्रस्ट, सी/32, श्री विजय कुंज कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक, कंजूर ग्राम (पूर्वी), मुम्बई-400042. दूरभाष: 5782958, 579498	-	1,166,400.00
6.	डिसट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केअर एसो., 1934/25, बाल कल्याण संकुल, मंगलवार पीठ कोल्हापुर-416012. दूरभाष: 0231-620456, 622978	138.186.00	-
7.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गांव, मुखेड़, जिला-नादेड़, पिन 431715. दूरभाष: 02461-46148	745,200.00	494,100.00

1	2	3	4
8.	पटेल बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, कोंडली, कटोल, जिला-नागपुर,	-	248,400.00
9.	श्रीमती नरसा बाई महिला मंडल, वड़गांव, मुखेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र-431 715	-	1, 020,600.00
10.	प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडल, शांति नगर मेन रोड, चन्द्रपुर,	606,750.00	410,400.00
11.	डिसट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केअर एसो., ऑबजर्वेशन होम, जारेकर गली अहमद नगर-414001. दूरभाष: 0241-345229, 342949	498.809.00	496.800.00
12.	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 7, वाडिया फैक्ट्री एरिया, शिवाजी नगर, नांदेड़-2. दूरभाष: 02462-35486	496,800, 00	518,400.00
13.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल प्रियदर्शनी चौक, खड़ गांव रोड, लातूर-413531. दूरभाष: 42089, 21542	-	1,004,400.00
14.	उन्नतिशील महिला मंडल, रवि भवन, क्रांति नगर, पंचशील स्कूल के नजदीक, नांदेड़ दूरभाष: 51356	297,900.00	-
15.	ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडल, यूनिक शिशु गृह, चमोरसी, सुमित निवास, हनुमान नगर, वार्ड नं.-1, जिला-गढ़चिरौली, पिन-442603. दूरभाष: 07135-35451	-	237.600.00
	कुल	5, 463,245,00	7,078,700.00

[हिन्दी]

44 करोड़ का हिसाब

5586. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 11 जुलाई, 2001 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में 'गैर-सरकारी संगठनों ने 44 करोड़ का हिसाब नहीं दिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के विषय में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तत्संबंधी तथ्यों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कितने गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार को अपना हिसाब-किताब नहीं दिया है;

(ङ) इन संगठनों के नाम क्या हैं और उनके कार्यालय कहां-कहां हैं; और

(च) इन संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सरकार को परिवार कल्याण विभाग की अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत कई गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए धन के लेखाओं का समाधान लम्बित होने की जानकारी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना तक परिवार कल्याण विभाग सीधे गैर-सरकारी संगठनों अथवा स्कोवा नामक राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार किया करता था। अनुभव यह था कि मंत्रालय के लिए बहुत सारे बिखरे हुए एककों के लेखों को मानीटर और जांच करना सदा सम्भव नहीं था। कई स्कोवा कार्य नहीं कर रहे थे। और राज्य स्तर पर मानीटरिंग अभिकरणों की भूमिका नहीं निभा सके।

इनमें से अधिकतर लम्बित मामले इस समय की स्वास्थ्य योजना हेतु निजी स्वास्थ्य संगठनों से संबंधित है जिनको धन यू.एस. एड द्वारा दिया गया। यह योजना अब नहीं चल रही है। लगभग 44 करोड़ रुपए की धनराशि वाले सहायतानुदान के पूरे समाधान के लिए 1000 से अधिक मामले लम्बित हैं। इन मामलों की सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उन गैर-सरकारी संगठनों के रिकार्डों से मिलाया जा रहा है जिनके विरुद्ध ऐसी धनराशियां बकाया के रूप में दिखाई गई हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सुधार किया है। अब मदर गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों के कार्य पर पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं। मदर गैर-सरकारी संगठन समय पर लेखे प्रस्तुत करने तथा उनसे और उनके क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित समुपयोजन प्रमाण-पत्रों के समाधान के लिए भी उत्तरदायी हैं।

परिवार कल्याण विभाग इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और संबंधित संगठनों से समुपयोजन प्रमाण-पत्रों को भिजवाने के लिए व्यवस्था करने हेतु लम्बित मामलों की सूची क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रदान की गई है और उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

[हिन्दी]

मांस पदार्थों की मिलावट

5587. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटलों, रेस्तराओं और अन्य खाद्य-प्रसंस्करणर्ताओं द्वारा निरामिष व्यंजनों में मांस-पदार्थों की मिलावट की जा रही है;

(ख) क्या इस प्रकार की मिलावट आवश्यक नहीं है अथवा इसकी अनुमति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों, जिनमें जन स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य निरापदता पर बल दिया गया है, शाकाहारी मिश्रणों में मांस पदार्थों को मिलावट से संबंधित कोई उपंबध नहीं हैं। तथापि, पैक किए गए खाद्य पदार्थों में 4.10.2001 से मांसाहारी अवयवों वाले सभी खाद्य उत्पादों के लेबलों पर भूरे रंग में सांविधिक प्रतीक देना अनिवार्य हो जाएगा। केवल शाकाहारी अवयवों वाले सभी उत्पादों के लेबल पर भी ऐसा ही प्रतीक हरे रंग में देने के लिए अंतिम अधिसूचना प्रारूप तैयार होने को है। इन अधिसूचनाओं का क्षेत्र, जिनमें उपभोक्ता को इस बारे में जानकारी मिलने की व्यवस्था है, होटलों और रेस्तराओं में बेचे जाने वाले पैक न किए गए उत्पादों पर लागू नहीं होगा।

गेज क्लाथ

5588. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'गेज क्लाथ' का व्यापार करने के लिए औषधि लाइसेंस लेना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ इंडिया लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को बिना किसी औषधि लाइसेंस के 'गेज क्लाथ' बेचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों के अन्तर्गत एबजॉर्बेंट गॉज सर्जिकल ड्रेसिंग है और औषध की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसलिए इस उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के लिए औषध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) औषध नियंत्रक, दिल्ली राज्य ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, भारत लिमिटेड को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ के शाखा प्रबन्धक और अध्यक्ष ने बताया है कि संबंधित कर्मचारियों की अनभिज्ञता के कारण गलती हुई और संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, भारत लिमिटेड ने औषध मदों, जिनमें एबजॉर्बेंट गॉज भी शामिल है, की बिक्री को बन्द करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई भी है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, भारत लिमिटेड द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आपूर्ति किए सर्जिकल ड्रेसिंग के नमूने सरकारी विश्लेषक द्वारा मानक गुणवत्ता के पाए गए। इसलिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, भारत, लिमिटेड के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

सी.जी.एच.एस. यूनानी औषधालय

5589. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आज तक कोलकाता में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने यूनानी औषधालय/इकाईयां खोली गई है;

(ख) ऐसे प्रत्येक औषधालय/इकाई को किस तारीख को खोला गया;

(ग) ऐसे प्रत्येक औषधालय/इकाई के लिए स्वीकृत चिकित्सकीय/अर्ध-चिकित्सकीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वास्तव में कितने तैनात किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वहां तैनात किए गए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को फार्मासिस्ट, लिपिक और यहां तक कि कभी-कभी चपरासी/जमादार का काम भी करना पड़ता है क्योंकि प्रशासन ने वहां इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) कोलकाता में केवल एक यूनानी औषधालय है और वह 1991 में खोला गया था।.

(ग) यूनानी औषधालयों के लिए दो यूनानी काय-चिकित्सकों, एक फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक (यूनानी) और एक उपचर्या परिचर की मंजूरी दी गई है। इस समय केवल एक यूनानी काय-चिकित्सक कार्य कर रहा है क्योंकि यूनानी काय-चिकित्सक के अन्य पद को 1.7.1999 से समाप्त कर दिया गया है। फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक का पद 1991 में यूनानी औषधालय के प्रारम्भ से रिक्त पड़ा हुआ है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अद्यतन अनुदेशों के अनुसार यह पद समाप्त हो गया है।

(घ) और (ङ) फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक की तैनाती न करने के अभाव में यूनानी काय-चिकित्सक यूनानी औषधालय से संबंधित कार्य कर रहा है और यूनानी काय-चिकित्सक की सहायता करने के लिए एक अन्य औषधालय से एक चपरासी प्रदान किया गया है।

(च) इस समय व्यय विभाग का कर्मचारी निरीक्षण एकक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत के.स.स्वा. योजना के औषधालयों के कार्यकरण के बारे में एक अध्ययन कर रहा है। जब भी सरकार को कर्मचारी निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, कोलकाता में के.स.स्वा. योजना के यूनानी औषधालय की कर्मचारी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जायेगी जो इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में अनियमितताएं

5590. श्री सुन्दरलाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में '45 मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में प्रवेश पर रोक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कालेजों में नियमानुसार संसाधन उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो उन चिकित्सा/दंतचिकित्सा कालेजों के नाम क्या हैं, जहां नियमानुसार अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं है; और

(घ) इन कालेजों को किन-किन तिथियों को मान्यता प्रदान की गई इस संबंध में क्या मापदंड अपनाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार को राष्ट्रीय सहारा में 1.7.2001 को प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

(ख) से (घ) नए मेडिकल और डेंटल कालेज खोलने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। इसका उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करने पर वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण किया जाता है। 4 मेडिकल कालेजों और 30 डेंटल कालेजों में आधारभूत ढांचे की सुविधाएं सम्बन्धित परिषदों द्वारा समुचित स्तर की नहीं पाई गई और इन कालेजों को 2001-2002 के लिए अब तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (विवरण-I इसके अतिरिक्त 2001-02 में अनुमति के नवीकरण के लिए 8 मेडिकल कालेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इन कालेजों के नाम विवरण-II में दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा उनके अन्तर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अन्तर्गत नए मेडिकल और डेंटल कालेज खोलने की अनुमति दे रही है।

विवरण-I

ऐसे मेडिकल और दन्त चिकित्सा कालेजों की सूची जहां पर पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण वर्ष 2001-2002 के दौरान छात्रों को दाखिले की अनुमति का नवीकरण नहीं किया गया है

क्र .सं.	कालेज का नाम	स्थापना की तारीख
1	2	3
	मेडिकल कालेज	
1.	गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, अनन्तपुर	27.11.2000
2.	ख्वाजा बंदा नवाज इन्स्टीट्यूट आप मेडिकल साईंस, गुलबर्ग	17.2.2000
3.	को-आपरेटिव मेडिकल कालेज, कोची	27.10.2000
4.	महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, तेलेगांव, दाभाडे, पुणे	30.11.1994
	डेन्टल कालेज	
1.	श्री बाबा मस्तनाथ डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, रोहतक	7.11.97
2.	महर्षि मारकन्डेश्वर कालेज आफ डेन्टल साइंसेज एंड रिसर्च, मुलाना, अम्बाला	26.12.2000

1	2	3
3.	एमएनडीएवी डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, सोलन-173212(हि.प्र.)	27.11.1999
4.	भोज डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल मनिमाजरा-160101	5.10.2000
5.	बंगलौर इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसेज एंड हास्पिटल, बंगलौर-61	1991-92
6.	मराठा मंडल्स डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, 590016	17.02.1998
7.	एनएसवीके श्री वेंकटेश्वर डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, बंगलौर-61	30.12.1998
8.	श्री हसनामलिया डेन्टल कालेज, हसन	1991-92
9.	के.जी.एफ. कालेज आफ डेन्टल साइंसेज, कोलार गोल्ड फील्ड	1991-92
10.	जमना लाल गोएन्का डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, अकोला	1989
11.	येरला मेडिकल डेन्टल कालेज, नवी मुम्बई	23.12.1999
12.	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल्स डेन्टल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर	8.10.1996
13.	वी.एम. लार्ड जगन्नाथ इन्स्टीट्यूट आफ डेन्टल साइंसेज एंड रिसर्च, भुवनेश्वर	26.11. 1997
14.	दसमेश इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च एंड डेन्टल साइंसेज, फरीदकोट, पंजाब	15.11.1996
15.	खाल्सा डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल वीपीओ नांगल कला, जिला-मानसा, पंजाब	19.08.1998
16.	देश भगत डेन्टल कालेज मुक्तसर-26, पंजाब	05.04.2000
17.	दर्शन डेन्टल कालेज, उदयपुर, राजस्थान	17.04.2000
18.	पैसीफिक डेन्टल कालेज, उदयपुर	27.11.2000
19.	जयपुर डेन्टल कालेज, जयपुर	9.11.2000
20.	एसआरएम डेन्टल कालेज, मद्रास	29.1.1998
21.	श्री राम कृष्ण डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, कोयमबटूर	30.11.2000
22.	वीएमएस इन्टरनेशनल डेन्टल कालेज, जिला-सीतापुर	10.7.1997
23.	चौ. मुल्तान सिंह रूरल डेन्टल कालेज, टूण्डला, उ.प्र.	18.1.99
24.	अवध इन्स्टी. आफ डेंटल साइंसेज	2.5.2000
25.	डेन्टल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	24.4.2000
26.	बी.जे. कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदी नगर, उ.प्र.	24.3.2000
27.	सरजुग डेन्टल कालेज, दरभंगा	1998
28.	डा. एस.एम. नकवी इमाम डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, बेहेड़ा, बिहार	1989-90
29.	दरभंगा डेंटल कालेज, दरभंगा	1990-91
30.	मिथिला माइनोरिटी डेन्टर कालेज एंड हास्पिटल, दरभंगा	1989-90

विवरण-II

ऐसे मेडिकल कालेजों का नाम जहां 2001-02 में निरीक्षण का कार्य चल रहा है।

क्र.सं.	कालेज का नाम	स्थापना की तारीख
1.	एएसआरएम मेडिकल कालेज, इलूरू	4.12.2000
2.	एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेज, पेरियारस, कन्नूर	17.7.1995
3.	आरडी गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन	27.2.2001
4.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, कराईकल, पांडिचेरी	7.2.97
5.	आरुपदै विडू मेडिकल कालेज, पांडिचेरी	11.5.2001
6.	न्यू मेडिकल कालेज, टूथुकुडी	25.4.2000
7.	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	23.1.2001
8.	ईरा मेडिकल कालेज, लखनऊ	23.3.2001

[अनुवाद]

कराची और मुम्बई में कौंसुलेट-कार्यालय

5591. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कराची में भारतीय कौंसुलेट जनरल का कार्यालय बंद हो जाने की वजह से पाकिस्तान में वीसा पाने के इच्छुक लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अधिकारिक रूप से यह अनुरोध किया है कि वह उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कराची में वीसा शिविर कार्यालय चलाने की अनुमति दे, जो भारत यात्रा का वीसा पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या मुम्बई में पाकिस्तान कौंसुलेट कार्यालय खोलने/पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। कराची और सिंध प्रांत के अन्य जगहों से वीजा की काफी मांग है। कराची में भारतीय कोंसलावास के बंद हो जाने के पश्चात् इस क्षेत्र के लोगों को वीजा के लिए इस्लामाबाद स्थिति हमारे उच्चायोग में आवेदन करना पड़ता है?

(ग) और (घ) जी, हां। कराची में आवधिक वीजा शिविर लगाये जाने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से संपर्क किया है। पाकिस्तान की सरकार ने इन शिविरों के संबंध में कतिपय ब्यौरा मांगे हैं जो उसे उपलब्ध करा दिये गये हैं। यह मामला पाकिस्तान की सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) इस विषय पर सरकार को विगत हाल में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

हृदय रोग

5592. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में लगभग 50 से 60 मिलियन व्यक्ति हृदय के विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं और उनमें से 15 मिलियन केवल कोरेनेरी आरटरी बीमारी से ग्रसित है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हृदय की इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मृत्यु और रूग्णता में हृदय वाहिनी रोगों का प्रमुख योगदान है। यह अनुमान है कि देश में विभिन्न हृदय विकारों से पीड़ित 55 मिलियन लोगों में से 18.6 मिलियन रोगी कौरोनरी हृदय रोगी हैं। कौरोनरी हृदय रोग व्यक्तियों को अधेड़ उम्र में प्रभावित करते है, तथापि, हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि 30-40 वर्ष की आयु के नवयुवक भी इस बीमारी से ज्यादा संख्या में प्रभावित होते हैं। जन्म-जात हृदय रोग मुख्यतया 0-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर तथा रिहयूमेटिक हृदय रोग मुख्यतया 5-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इस रोग के अन्य कारणों में व्यक्ति विशेष की जीवन शैली और खान पान की आदतें भी एक कारण हैं, अत: डाक्टर इन रोगों पर नियंत्रण के लिए लोगों में समुचित जीवन शैली और खान-पान की आदतें अपनाने के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं।

घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य बीमारियों पर नियंत्रण

5593. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु उस राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इन वर्षों के दौरान इस राज्य में आयोडिन की कमी से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में कितनी सफलता मिली है;

(घ) इस राज्य में आयोडीन युक्त नमक के विश्वव्यापी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कौन-सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है: और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां, कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2000-01 के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को आबंटित की गई निधियां नीचे दी गई हैं-

वर्ष	आबंटित निधियां
1998-99	4.30 लाख रुपए
1999-2000	5.80 लाख रुपए
2000-01	5.80 लाख रुपए

(ग) से (ङ) कर्नाटक में जहां पर गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोडीन अल्पताजन्य विकारों को नियंत्रित करने करने में निम्नलिखित उपलब्धियां रही है।

* आयोडीकृत नमक के उपभोग के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कारगर सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप किए गए हैं।
* कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए राज्य स्वास्थ्य निदेशालय में एक आयोडीन अल्पताजन्य विकास नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
* सभी जिलों में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की व्यापकता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं।
* राज्य स्वास्थ्य निदेशालय में आयोडीन अल्पताजन्य विकार मानीटरिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई।

[हिन्दी]

चिकित्सकों (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के रिक्त पद

5594. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ज्यादातर पदों, विशेषकर वरिष्ठ-कनिष्ठ चिकित्सकों के पदों और अन्य इसी प्रकार के पदों को या तो उचित रूप से विज्ञापित नही किया जाता है या फिर विभागीय नोटिस बोर्डों पर उसे प्रदर्शित करने की औपचारिकता भर पूरी कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्काधार हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सीधी भर्ती विधि के अंतर्गत भरे गए समूह (क) और (ख) के सभी रिक्त पदों को सभी अग्रणी

समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है तथा भर्ती नियमों के अनुसार इनकी जांच की जाती है। समूह "ग" और "घ" के सभी रिक्त पदों को रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किया जाता है तथा सूचना पट्ट पर लगाने के साथ-साथ विभागों में परिचालित किया जाता है। वरिष्ठ रेजीडेन्ट/कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टरों के पद निधारित प्रक्रिया/मानदंडों के अनुसार भरे जा रहे हैं। कनिष्ठ रेजीडेन्ट (शैक्षणिक) डाक्टरों के पद प्रत्येक सत्र अर्थात् जनवरी और जुलाई में विज्ञापित किए जाते हैं। उन पदों को प्रतियोगी-परीक्षा तथा काउंसलिंग द्वारा अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम के अनुसार भरा जाता है।

तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय में लम्बित पड़े मुकदमों के कारण अनिवार्य अस्पताली सेवाओं को चलाने के लिए जून, 1994 से वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टरों के पद तदर्थ आधार पर भरे जा रहे है और दिल्ली के विभिन्न मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में तदर्थ भर्ती के लिए पद अधिसूचित किए जाते हैं?

कनिष्ठ एवं वरिष्ठ रेजीडेंट अधिकारी की नियुक्ति

5595. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कितने इंटरनीज कनिष्ठ रेजीडेंट और वरिष्ठ रेजीडेंट चिकित्सकों को नियुक्त किया गया;

(ख) उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में मौजूदा नियम क्या हैं;

(ग) क्या चिकित्सा अधीक्षक और अन्य व्यक्तियों ने उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति में भेदभाव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से नियुक्त चिकित्सकों के संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में पिछले दो वर्षों के दौरान नियुक्त इन्टर्न, कनिष्ठ रेजीडेन्ट और वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है-

डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल

वर्ष	1999	2000
इन्टर्न	100	100
कनिष्ट रेजीडेन्ट डाक्टर	159	159
वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	46	58

सफदरजंग अस्पताल

वर्ष	1999	2000
इन्टर्न	200	209
कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	314	279
वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	118	114

चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक नियुक्त इन्टर्न, कनिष्ठ रेजीडेन्ट और वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है-

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

इन्टर्न	95
कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	101
वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	20

सफदरजंग अस्पताल

इन्टर्न	44
कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	223
वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर	33

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गई है-

1	इन्टर्न	154
2	कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर (गैर-शैक्षणिक)	379
3	कनिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर (गैर-शैक्षणिक)	378
4	वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर (शैक्षणिक)	110
5	वरिष्ठ रेजीडेन्ट डाक्टर वरिष्ठ प्रदर्शक (गैर-शैक्षणिक)	375

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इन्टर्न रेजीडेन्ट डाक्टरों की नियुक्ति के नियम इस प्रकार है-

(1) इन्टर्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सभी एम.बी.बी.एस. स्नातकों को एक वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप दी जाती है।

(2) कनिष्ठ रेजीडेंट (शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक) कनिष्ठ रेजीडेंट (शैक्षणिक) अर्थात विभिन्न विषयों में एम.डी./एम.एस. कोर्स के लिए भी प्रवेश दिया जाता है, उन्हें वर्ष में दो बार ली जाने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है। इन सीटों में संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान है।

कनिष्ठ रेजीडेंट (गैर-शैक्षणिक) की नौकरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बनाई गई अधोलिखित नीति के अनुसार दी जाती है।

* अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्नातकों की एम.बी.बी.एस. व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों से तैयार उनके वरीयता क्रम के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।

* बाहरी अभ्यार्थियों को नौकरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोर्सों में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के परिणाम से तैयार वरीयता क्रम के आधार पर दी जाती है।

* इन नौकरियों में भी संवैधानिक आरक्षण है।

(3) वरिष्ठ रेजीडेंट (शैक्षणिक) वरिष्ठ रेजीडेंट (शैक्षणिक) अर्थात जिन्हें विभिन्न विषयों में डी एम/एस सी एच कोर्स के लिए भी प्रवेश दिया जाता है उन्हें वर्ष में बार ली जाने वाली खुली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है।

(4) वरिष्ठ रेजीडेंट/वरिष्ठ प्रदर्शनकों (गैर-शैक्षणिक)

वरिष्ठ रेजीडेंट/वरिष्ठ प्रदर्शकों की नियुक्ति ऐसे विभागों में की जाती है जिनमें अति विशेषज्ञता कोर्स (डी एम/एम सी एच) नहीं होते। इनकी नियुक्ति चयन समिति जो सभी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन करती है, द्वारा तैयार उनके वरिष्ठता क्रम के आधार पर की जाती है।

ऐसे वरिष्ठ रेजीडेंट (गैर-शैक्षणिक) के पद दिल्ली के सभी चिकित्सा संस्थाओं में अधिसूचित एवं परिचालित किए जाते हैं तथा इनकी सूचना बोर्ड पर भी लगाई जाती है। ऐसे चयन में भी संवैधानिक आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। क्योंकि वरिष्ठ रेजीडेंट के आरक्षण मुद्दा न्यायाधीन है, इसलिए नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है।

सफदरजंग अस्पताल और डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

5596. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर के आस-पास के गांवों की भूमि को रक्षा प्रयोजनों हेतु अधिग्रहित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बीघा में कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ग) क्या कच्चे (सरकारी) रास्ते को भी अधिग्रहित भूमि के साथ अधिग्रहित कर लिया गया है, यदि हां, तो अधिग्रहित रास्तों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अधिग्रहित रास्ते को पुन: खोलने की मांग की गई है, यदि हां, तो पुन: खोलने की मांग किये गये उन रास्तों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या रास्ते खोल दिए गए है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) जी, हां। सेना और वायुसेना के लिए जोधपुर जिला के विभिन्न गांवों में 16 पगडंडियों के साथ 30510 बीघा 16 बिस्वा जमीन अर्जित की गई है।

(घ) से (च) दो पगडंडियों के संबंध में मांगें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक बनाड़, जाजीवाल और जाजीवाल समूह तथा दूसरी दिगड़ी गांव में है। सेना मुख्यालयों ने सुरक्षा कारणों की वजह से इन पगडंडियों को खोले जाने की सिफारिश नहीं की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार का कार्यकरण

5597. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भंडार का कार्यकरण के बारे में 22.11.2000 और 13.12.2000 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 588 और 3703 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि हां, तो क्या शिकायत की जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाण निकला;

(ग) इस मामले में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय भंडार द्वारा उन कम्प्यूटरों को संघटकों के साथ बेचे गए कम्प्यूटरों के ब्रांड क्या है;

(ङ) केन्द्रीय भंडार उनको किस मूल्य पर खरीदता रहा था और उन्हें संघटकों के साथ किस मूल्य पर बेचा जाता था;

(च) क्या केन्द्रीय भंडार के अधिकारियों की मिलीभगत थी परन्तु इसके लिए कम्प्यूटरों को अनुमोदित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर आपूर्ति नहीं की जा सकती थी; और

(छ) मूल्य निर्धारित करने, संशोधित करने से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे गए कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के कारणों का ब्यौरा क्या है और खरीददारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय भंडार द्वारा जारी किए गए बीजकों का ब्यौरा क्या है और क्या बीजकों में सभी बातों को स्पष्ट किया गया था?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागों में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) इस बार में विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भण्डार, पिछले दो वर्ष के दौरान विप्रो, कॉम्पैक, आई.बी.एम., एकर, एच.पी. और एच.सी.एल. नाम के विभिन्न ब्रैन्डों के अलग-अलग विन्यास के सैकड़ों कम्प्यूटर बेचता आ रहा है। कम्प्यूटरों की कीमत, उनके विन्यास (मॉडल) पर और उसमें जोड़े जाने वाले बाह्य उपकरणों, सहायक उपकरणों, वारन्टी इत्यादि पर निर्भर करती है। केन्द्रीय भण्डार अपनी खरीद-कीमत पर 3% तक का लाभ कमाकर उपभोक्ताओं को बेचता है।

(च) मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई जांच-पड़ताल में केन्द्रीय भण्डार द्वारा कोई अनियमितता अथवा सांठ-गांठ की गई नहीं दर्शाई गई है।

(छ) (च) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, जांच शुरू किए जाने के समय ही, संबंधित कर्मचारी कम्प्यूटर अनुभाग से बाहर स्थानान्तरित कर दिए गए ।

विवरण

60,509 रुपए की अनुमोदित दर की तुलना में 83000 से 85000 रुपए की उच्चतर दर पर कम्प्यूटरों की बिक्री के बारे में एक प्रतिनिधि की शिकायत की मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय भण्डार द्वारा जांच की गई।

यह पाया गया कि कम्प्यूटर की वास्तविक सुझाई गई खुदरा कीमत 64790 रुपए थी न कि अभिकथित 60509 रुपए और सुझाई गई कीमत तथा लगाई गई कीमत के बीच अन्तर निम्नानुसार रहा:

कम्प्यूटर की सुझाई गई खुदरा कीमत पैन्टियम III 450 एम.एच.जेड़/512 के.बी./ इन्टैल 440 बी. एक्स. चिपसैट/64 एम.बी./ 6.4 जी बी./मैट्रोक्स जी 2000 8 एम.बी./विन 98 और कॉम्पैक वी. 45 14'' कलर मॉनीटर सहायक उपकरण	64,790 रुपए
सी.डी. रोम की सुझाई गई कीमत 40 एक्स-सी.डी.-रोम फॉर ई.पी. एण्ड ई.एन. (एस.एफ.एफ. को छोड़कर)	4,860 रुपए
केयर पैक डैस्क टॉप ऐक्सटेन्डिड वारन्टी 3/1/1 से 3/3/3 चार घण्टे के रिसपॉन्स सहित (आई.आर.एस.)	8040 रुपए
कुल	77,690 रुपए
एल.एस.टी. किराया भाड़ा, बीमा 6% की दर पर	4661 रुपए
केबल, माउस पैड डस्ट कवर	350 रुपए
कुल योग	82,702 रुपए

उपर्युक्त के मद्देनजर, अभिकथित रूप से संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर की गई जांच से कोई ठोस सबूत प्रकाश में नहीं आया। संबंधित कर्मचारी पहले ही कम्प्यूटर अनुभाग से स्थानान्तरित कर दिए गए थे जब मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई थी।

ब्लड कैंसर के मामले में मनमाना आदेश

5598. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में वृक्क विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने उन रोगियों के रक्त नमूनों को लेने के आदेश जारी किये है जिन्होंने अपने गुर्दो का प्रत्यारोपण अन्य अस्पतालों से करवाया था, किन्तु वर्षों से वे अपना इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल में करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम/उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोषक और स्वस्थ आहार

5599. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराए गए अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि मांस खाने से होने वाली बीमारियों में कैड कैंसर आदि भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) रेशे से भरपूर तथा कम वसा (जैव शाकाहार) वाले आहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट और उपलब्ध सूचना के अनुसार लाल मास जिसे उच्च वसा मुख्यतया संतृप्त अम्ल तथा कोलेस्ट्रोल होने के रूप में जाना जाता है, का उपभोग कैंसर और कोरोनरी हृदय रोग के बढ़ते हुए खतरे से जुड़ा हो सकता है।

(ग) और (घ) हमारे देश में मांसाहारी खाद्य पदार्थों का उपभोग कम है। तथापि पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन, आहार से संबंधित चिरकारी रोगों के निवारण को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

एक्यूपंक्चर प्रणाली

5600. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 15.12.1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 2572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक्यूपंक्चर को एक रोग-उपचार प्रणाली के रूप में मान्यता देने का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इस मुद्दे की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की संरचना क्या है और इस समिति को कब गठित किया गया था;

(ङ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की है; और

(छ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) सरकार को एक्यूपंक्चर विधि को चिकित्सा उपचार की एक विधि के रूप में मान्यता देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न संस्थाओं के अन्य विशेषज्ञों को समिति के सदस्य के रूप में शामिल करके एक स्थायी विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। अगस्त 1999 में गठित इस समिति की संरचना संलग्न है। समिति ने हाल ही में एक्यूपंक्चर को उपचार की एक पद्धति सहित वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न धाराओं के विषय में अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के मार्गनिर्देश और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की विभिन्न धाराओं को मान्यता देने के लिए अनिवार्य/वांछित मानदण्ड रखने का विश्लेषण भी शामिल हैं।

विवरण

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के पहलुओं/दावों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

1.	डा. एन.के गंगोली महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अन्सारी नगर, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डा. वसन्त मुथ्थु स्वामी उप महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अन्सारी नगर, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
3.	डा. एस.पी. अग्रवाल स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अथवा नामित अधिकारी	सदस्य
4.	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अथवा नामित अधिकारी	सदस्य
5.	औषध महानियंत्रक (भारत) अथवा नामित अधिकारी	सदस्य
6.	प्रो. रंजीत राय चौधरी, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान अरुणा आसिफ अली मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
7.	प्रो. बी.एन. धवन (पूर्व निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ) 3 रामाकृष्ण मार्ग, लखनऊ-226007	सदस्य
8.	प्रो. एस.एस. हाडा निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, केनल रोड, जम्मू	सदस्य
9.	प्रो. वी.एन. पाण्डेय (पूर्व निदेशक, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद)	सदस्य
10.	डा. आर.एच. सिंह, प्रो. एवं प्रमुख संकाय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय	सदस्य
11.	हकीम एस. खालीफा तुल्ला 49-भारतीय सालाजी टेनोपलीकेन	सदस्य
12.	विभागाध्यक्ष यूनानी चिकित्सा, जामिया हमदर्द, दिल्ली	सदस्य
13.	डा. आर. कानन, अध्यक्ष सिद्ध भेषज संहिता समिति प्रिया नर्सिंग होम, थेन्नुर त्रिची, तमिलनाडु	सदस्य
14.	डा. लीना महेन्डेल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	सदस्य
15.	डा. प्रोमिला चेरी, प्रो. संवेदनाहरण विज्ञान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ	सदस्य
16.	डा. जे.एन. पांडेय, कायचिकित्सा विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सदस्य
17.	डा. बी. के. शर्मा, निदेशक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, संस्थान, चण्डीगढ	सदस्य

[हिन्दी]

दक्षिण पश्चिम वायु सेना कमान का स्थानांतरण

5601. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना के दक्षिण पश्चिम कमान को जोधपुर राजस्थान से गांधीधाम स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान को जोधपुर जिला पाकिस्तानी खतरे के मद्देनजर सुरक्षित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, हां। मुख्यालय दक्षिण पश्चिम वायुकमान को अपनी यूनिटों पर कारगर कमान तथा नियंत्रण के लिए जोधपुर से हटाकर गांधीनगर में स्थापित किया गया है। जोधपुर, जो कि मुख्यालय दक्षिण पश्चिम वायुकमान के कार्यक्षेत्र के उत्तरी सीमाओं की ओर स्थित है, की तुलना में गांधीनगर मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम वायुकमान के संक्रिया क्षेत्र के अधिक मध्य में स्थित है।

(ग) और (घ) जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम बिन्दु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मौजूद हैं।

[अनुवाद]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक

5602. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद संबधी विधेयक 17 दिसम्बर, 1968 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और संयुक्त संसदीय समिति ने चहुंमुखी विकास की दृष्टि से दो अलग स्वतंत्र परिषदों-एक परिषद तीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए और दूसरी होम्योपैथी के लिए-की सिफारिशें की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां।

तथ्यों की विस्तार से जांच करने के पश्चात संयुक्त संसदीय समिति का विचार था कि होम्योपैथी पद्धति तीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न है इसलिए सभी चार पद्धतियों के लिए सम्मिलित परिषद इनमें से किसी के भी विकास में सहायक नहीं होगी। सभी चार पद्धतियों की उचित प्रगति और उनके विकास के लिए अलग-अलग दो केन्द्रीय परिषदें होनी चाहिए, तीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक, और होमयोपैथी के लिए दूसरी।

इसलिए समिति ने सम्पूर्ण विकासात्मक दृष्टिकोण से दो अलग-अलग स्वतंत्र परिषदों, तीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक, और होम्योपैथी के लिए दूसरी परिषद की संस्तुति की/ परिणामस्वरूप, दो अलग-अलग अधिनियमों अर्थात, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 को अधिनियमित किया गया है और क्रमश: दो अलग-अलग परिषदें, अर्थात केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद स्थापित की गई है।

नाको/एड्स

5603. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाको और इसकी मुम्बई शाखा एड्स मुक्त मुम्बई अभियान में भाग ले रही है;

(ख) क्या मातृ शिशु एच आई वी उपचार मुम्बई में कार्यान्वयन किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या विभाग द्वारा ऐसा उपचार मुम्बई में सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभाग मुम्बई में एच आई वी से ग्रस्त माताओं का हाल ही में कोई सर्वेक्षण कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जी हां। एजैड टी (जिडोबुडिन चिकित्सा से) मां से बच्चें में एच आई वी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक सम्भाव्यता अध्ययन मुम्बई के 3 केन्द्रों नामत: सर जे.से. हास्पिटल, के.ई.एम. नायर हास्पिटल और बी.वाई.एल. हास्पिटल, मुम्बई में एक सम्भाव्यता अध्ययन मार्च-अप्रैल 2000 में आरम्भ किया गया था।

कुल 13561 गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था। जिनमें से 477 पॉजीटिव पाए गए मार्च 2001 तक 12 नवजात शिशुओं में एच आई वी पॉजीटिव होने की जांच 48 घंटे में और 8 की 2 महीनों में की गई थी।

सरकार मुम्बई के किसी अन्य अस्पतालों में यह कार्य करने से पहले मां से बच्चे में संचरण को रोकने में जिडोबुडिन के बजाए इसके लाभों का आकलन करने के लिए 6 माह की अल्प अवधि तक मां और नवजात शिशु, दोनों के लिए नेविरापिन की एकल खुराक के सेवन को आरम्भ करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन की योजना बना रही है।

(च) और (छ) एच आई वी की व्याप्तता का पता लगाने के लिए हर वर्ष अगस्त से अक्तूबर माह के दौरान वार्षिक प्रहरी निगरानी को जाती है। मुम्बई में प्रसवपूर्व क्लिनिकों के लिए प्रहरी स्थल और परिणाम संलग्न विवरण हैं।

(ज) भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ-साथ व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है-

* लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर और पीयर काउंसलिंग, कंडोम संवर्धन, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार आदि द्वारा उच्च जोखिम वाले समूहों में एच आई वी के फैलाव को कम करना।

* सूचना, शिक्षा व संचार और जागरुकता अभियान, स्वैच्छिक जांच और परामर्श, निरापद रक्तदान सेवाओं की व्यवस्था और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम द्वारा आम जनता के लिए निवारण उपाय करना।

* एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों को अवसरवादी संक्रमणों, घर और समुदाय आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

* राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय अविच्छिन्नता को सुदृढ़ करना।

* सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

विवरण

मुम्बई में 2000 में प्रसवपूर्व क्लिनिकों में एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी स्थल

		स्थल का नाम		एचआईवी व्याप्तता 1998	एचआईवी व्याप्तता 1999	एचआईवी व्याप्तता 2000
		1		2	3	4
मुम्बई	1.	एंटीनेटल क्लिनिक, केईएम अस्पताल, मुम्बई	एएनसी	2.75%	2.75%	2.75%
	2.	एंटीनेटल क्लिनिक जे जे अस्पताल, मुम्बई	एएनसी	2.5%	3.24%	6.50%
	3.	एंटीनेटल क्लिनिक एलटी मेडिकल कालेज, सियोन, मुम्बई	एएनसी	2.75%	2.75%	2.00%

1			2	3	4
4	एंटीनेटल क्लिनिक राजावाडी पेरीफेरल अस्पताल, राजावाडी मुम्बई	एएनसी	-	-	2.25%
5	एंटीनेटल क्लिनिक कुरला भाभा अस्पताल, मुम्बई	एएनसी	-	-	1.25%
6	एंटीनेटल क्लिनिक कुपर अस्पताल मुम्बई	एएनसी	-	-	0.50%

सरकारी विभागों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद

5604. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 जुलाई, 1981 को सरकार ने कार्यालय-ज्ञापन जारी किया था जिसमें सरकार के नियंत्रण वाली कतिपय उपभोक्ता सहकारी समितियों को सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य मदें बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया था और इस कार्यालय आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया था कि वे कोई भी मद डीजीजीएस एंड डी की दरों से ऊंची दरों पर नहीं बेचेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति, जहां भी उपलब्ध हो, केवल दर संविदा से करना अनिवार्य बना दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या प्राधिकृत एजेंसियां सरकारी विभागों को डी जी एस एंड डी की संविदा दरों से अधिक दरों पर मदों की आपूर्ति कर रही है और इस प्रकार डी जी एस एंड डी के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है कि प्राधिकृत एजेंसियां दर संविदा से ऊंची दरों पर किसी मद की बिक्री न करें ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागों में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) जुलाई 14, 1981 के कार्यालय ज्ञापन और उसमे किए गए संशोधनों की एक प्रति विवरण रूप में संलग्न है।

(ग) सरकारी विभाग सामान की खरीद के बारे में सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं में ढील के तौर पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप लेखन-सामग्री और समय-समय पर संशोधित अन्य वस्तुएं, 1981 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित तीन उपभोक्ता-स्टोरों में से किसी एक से खरीद सकते हैं।

(घ) जब कभी, आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय, संविदा-दर करार करता है जो, केन्द्रीय भण्डार आपूर्तिकर्त्ताओं से, उपर्युक्त संविदा दर के अनुसार ही कीमत लेने का आग्रह करता है और कार्यालय खर्च एवं कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय की भरपाई करने के लिए कीमत में थोड़ा-सा मुनाफा लेने दिया जाता है। जहां कहीं आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय-संविदा पर करार नहीं हो, वहां केन्द्रीय भण्डार निम्नलिखित द्वारा अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर खरीद के प्रयास करता है:-

(1) जहां कहीं संभव हो, निर्माता से सीधे खरीद करके

(2) पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से दरें आमंत्रित करके

(3) आपूर्तिकर्त्ता से कीमत की गारंटी का इस आशय का वचन पत्र लेकर की वह अपेक्षाकृत कम कीमत पर सामान नहीं बेचेगा।

(ङ) (घ) के उपर्युक्त उत्तर के मदेदनजर, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संख्या 14/14/80-वेलफेयर
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
(गृह मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली से स्टेशनरी एवं अन्य सामान की स्थानीय खरीद

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 20.6.80 के का. ज्ञा. सं. 14/14/80- वेलफेयर का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी आवश्यकता की स्टेशनरी, सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल और अन्य मदों की सारी स्थानीय खरीद निवेदित भाव/या दर सूची मांगने की व्यापक प्रक्रिया का पालन किए बिना केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाईटी, लि., नई दिल्ली से की जाए। तत्पश्चात् इस विभाग के दिनांक 16.5.81 के समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि 250/- रुपए तक की खरीद निविदा के बिना ही सहकारी सोसायटी से की जा सकती है और उससे ज्यादा की खरीद पर सामान्य वित्तीय नियम के उपबंध लागू होंगे और इसके लिए सामान्य वित्तीय नियम, 1963 के अध्याय 8 में निर्धारित किए गए अनुसार निविदा आमंत्रित की जानी होगी।

2. अब मामले की संवीक्षा की गई है उपभोक्ताओं को सर्वाधिक कम और प्रतियोगी मूल्यों पर सामान और सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना सहकारी आन्दोलन का स्पष्ट लक्ष्य है। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सहकारी विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 1968 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किए थे कि अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते समय सरकारी कार्यालयों को उपभोक्ता सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारी विभागों ने मार्च, 1972 में सभी राज्य सरकारों आदि को लिखे एक अन्य परिपत्र में इसे दोहराया था। उक्त पत्र में कहा गया है कि सहकारी उपभोक्ता सोसायटी विशेषकर वे विभागीय भंडार जिन्होंने सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त की है और जो रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज और राज्य सरकारों के सांविधिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन है, वे उचित एवं उपयुक्त मूल्य पर उपभोक्ता सामानों की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एजेन्सियां हैं और कि जब वे ईमानदारी पूर्ण एवं कुशल सेवा प्रदान करती है तो उनकी डीटिंग उस बेइमानी से मुक्त होती है जो निजी व्यापारी करते हैं जैसे कि मुनाफाखोरी, मिलावट, नकली एवं कम स्तरीय सामान की बिक्री, कम तोलना और कर अपवंचन। अत: इस विभाग ने महसूस किया कि कोई कारण नहीं है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जारी दिशानिर्देशों को केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा की गई खरीद के मामले में उन पर लागू न किया जाए।

3. सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर उनकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के ठोस उपाय के रूप में 1963 में स्थापित केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लि. नई दिल्ली कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। सोसायटी की शेयर पूंजी में पर्याप्त निवेश करने के अलावा सरकार उन्हें सब्सिडी, ऋण, उधार के मद्दे सेलाठेरेल गारन्टी आदि देकर समय-समय पर इनकी वित्तीय मदद भी करती रही है। सोसायटी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का एक संयुक्त सचिव होता है जो इसकी गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से नियंत्रित करता है।

4. उपरोक्त पैरा 2 एवं 3 में उल्लिखित पृष्ठभूमि को देखते हुए निर्माण एवं आवास मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग, जिनसे परामर्श किया गया था, इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय सरकार द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपनी जरूरत की स्टेशनरी और अन्य सामान की सारी स्थानीय खरीद केवल केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी, लि. नई दिल्ली से ही करें। यदि सोसायटी किसी सामान विशेष की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो केवल तभी उन्हें स्थानीय खरीद की जगह अन्य स्रोतों से खरीद की अनुमति दी जाए।

5. इस सोसायटी द्वारा बेचे जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमत कुल मिलाकर बाजार की कीमत से कम होती है। इस बात

के मद्देनजर वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, लि. की जाने वाली खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने संबधी सामान्य वित्तीय नियम के अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया से छूट देने पर सहमत हो गया है। तथापि गुणवत्ता और उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने के सुरक्षोपाय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सामान्यत: सरकारी विभागों, द्वारा इंडेन्ट किए जाने वाले सामानों को एक समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिससे पूर्ति विभाग, निर्माण एवं आवास विभाग तथा केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल होगा और उसके द्वारा और उसके द्वारा निर्धारित मूल्य 3 महीने तक लागू रहेंगे। सोसायटी का महाप्रबंधक इंडेंटिंग संगठनों को समय-समय पर सोसायटी के पास उपलब्ध वस्तुओं की विस्तृत सूची भेजेगा।

6. अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए और सरकारी विभागों आदि के द्वारा की जाने वाली स्थानीय खरीद के संबंध में उनका अनुपालन किया जाए। मंत्रालय/विभागों से भी अनुरोध है कि वे अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों को निदेश दें कि वे सोसायटी से अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी और अन्य मदों को खरीदने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें।

7. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 14.7.81 के यू.ओ. सं. 4747/जे एस. के तहत उनके द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किया जाता है

ह०
(टी. रामास्वामी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

संख्या 14/1/88-वेलफेयर (खण्ड-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)
लोकनायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 11.4.94

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद संबंधी अनुदेश

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 4.2.88 के का.ज्ञा.सं. 14/3/88-वेलफेयर और दिनांक 28.2.89 के का.ज्ञा.सं. 14/2/89-वेलफेयर का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार के विभाग, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, उनके द्वारा वित्तपोषित और/या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में या दिल्ली से बाहर स्थित है, अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी या अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार दिल्ली से करें तथा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालय ऐसी स्थानीय खरीद स्थानीय केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी सोसायटीज, उनमें स्थित केन्द्रीय भंडार से करें। यदि वे किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो केवल तभी वह वस्तु नियमानुसार उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अन्य स्रोतों से खरीदी जा सकती है।

2. उसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय आदि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उनकी यूनिटों में फाईल कवर अथवा सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार से के.वी.आई.सी. के उत्पादों की खरीद कर सकते हैं।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा स्टेशनरी की स्थानीय खरीद के प्रयोजनार्थ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ को शामिल करने संबंधी मामला कुछ समय से इस विभाग के विचाराधीन था। अब यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों की जरूरत की स्टेशनरी एवं अन्य मदों की आपूर्ति के लिए एन सी सी एफ को एक एजेन्सी के रूप में शामिल कर लिया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के सभी विभाग, उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और उनके द्वारा वित्त पोषित और/या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित है, 1.4.94 से अपनी जरूरत की स्टेशनरी एवं अन्य सामानों की स्थानीय खरीद एन सी सी एफ से भी कर सकते हैं।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें इन्हें अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि, जो उनके नियंत्रणाधीन हैं एवं दिल्ली/नई दिल्ली में या दिल्ली से बाहर स्थित है, के ध्यान में लाएं और इनका सख्त अनुपालन कराएं।

ह०

(एस.के. दास गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

संख्या 14/6/87-वेलफेयर
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
(गृह मंत्रालय)
नई दिल्ली, दिनांक 19.8.87

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली से स्टेशनरी एवं अन्य सामान की स्थानीय खरीद

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14.7.81 के का.ज्ञा.सं. 14/14/80-वेलफेयर का हवाला देने का निदेश हुआ है कि जिनमें यह कहा गया था कि सरकारी आवश्यकता की वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लि. नई दिल्ली के माध्यम से की जाए।

2. मामले की संवीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 14.7.81 के उपर्युक्त का.ज्ञा. में निहित अनुदेशों का पालन जारी रहेगा और केन्द्र सरकार के सभी विभाग, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और उनके द्वारा वित्त पोषित और/या सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन, जो दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित है, 1.1.88 से अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी एवं अन्य वस्तुओं की सारी स्थानीय खरीद केन्द्रीय भंडार या सुपर बाजार, दिल्ली से करेंगे। यदि सोसायटी या सुपर बाजार किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति करने में अक्षम है तो केवल तभी ऐसी वस्तुएं अन्य स्रोतों से खरीदी जा सकती है वह भी नियमानुसार उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चत करें और इन्हीं अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि, जो उनके नियंत्रणाधीन है एवं दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित है, के ध्यान में लावे।

ह०

(हर्षवर्धन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
सं. 14/6/87-वेलफेयर
दिनांक 19.8.87

केन्द्रीय भण्डार की क्रय-नीति

5605. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** क्रय-नीति के बारे में 18 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रांड-नाम वाली मदों के संबंध में निविदाएं आमंत्रित करने तथा पूर्व में पंजीकृत डीलरों से कोटेशन बुलाने की अनुमति देने वाली क्रय-नीति को सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ख) अब तक आमंत्रित सीमित निविदाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही तब की और अब की नई दरें क्या है;

(ग) क्या पूर्व में पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से आमंत्रित निविदाओं को निश्चित तिथि और समय पर नहीं खोला गया ताकि किसी अन्य आपूर्तिकर्ता को मंजूरी दी जा सके और उसकी सीमित निविदा को तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दरों जो प्रथम-दृष्टया ही वर्तमान दरों से कम दिखती हों- को शामिल किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो ऐसे किसी आपूर्तिकर्त्ता को निविदा में भाग लेने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मामले में सी.बी.आई./ सतर्कता जांच का आदेश देने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया को अवरूद्ध करने व किसी अन्य आपूर्तिकर्त्ता को मौका देने के लिए जिम्मेवार अधिकारी पर, जवाबदेही और जिम्मेवारी तय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) उस आपूर्तिकर्त्ता, जिसकी दरें निम्नतम पाई गई के अलावा कोई के अलावा अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं का नाम न हटाने के क्या कारण हैं और क्या अन्य सीमित निविदाओं के संबंध में भी यही कार्रवाई की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) क्रय-नीति की एक प्रति संलग्न है (विवरण-I)

(ख) इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है (विवरण-II)

(ग) और (घ) बल्ब और ट्यूब लाइट के लिए निविदा नीचे दर्शाए जा रहे तीन आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 14.6.2001 को आमंत्रित की गई थी।

मैसर्स तायल एजेन्सीज-ई.सी.ई. ब्रैन्ड, मैसर्स लक्ष्मी मार्केटिंग-विप्रो ब्रैन्ड, मैसर्स खट्टर इण्डस्ट्रीज-फिलिप्स ब्रैन्ड। निविदा शुरू में खोले जाने की तारीख 22.6.2001 निश्चित की गई थी, निविदाएं खोले जाने से पहले केन्द्रीय भण्डार के ध्यान में यह आया कि आपूर्त्ति और निपटान-महानिदेशालय ने हाल ही में एक दर-संविदा को अंतिम रूप दिया है जिसमें दशाई गई कीमतें कुछ आपूर्त्तिकर्त्ताओं की वर्तमान कीमतों से कम थी। अच्छी प्रतिस्पर्धा कायम करने की दृष्टि से, आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय द्वारा अन्तिम रूप से तय की गई दर-संविदा में शामिल, प्रतिष्ठित ब्रैंडों को भी उपर्युक्त सीमित निविदा में हिस्सा लेने दिया गया और तद्नुसार उपर्युक्त निविदा खोले जाने की तारीख बढ़ाकर 9.7.2001 तय कर दी गई। निविदाएं खोले जाने की तारीख आस्थगित किए जाने के बारे में केन्द्रीय भण्डार द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं को मौखिक रूप से दिनांक 22.6.2001 को सूचित कर दिया गया तथा उपर्युक्त निविदा दिनांक 9.7.2001 को खोले जाने के बारे में दिनांक 2.7.2001 के पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया।

बल्बों और ट्यूब लाइटों की दरें (विवरण III) दर्शाने वाले तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ फर्मों ने अब अपनी दरें कम कर दी हैं।

(ङ) जो ऊपर बताया गया है, उसके मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय भण्डार आमतौर पर एक ब्रैण्ड से ज्यादा ब्रैण्डों की वस्तुएं अपने स्टॉक में रखता है तथा उपभोक्ता के पसंद के ब्रैण्ड की आपूर्ति करता है। यदि उपभोक्ता अपनी कोई पसन्द नहीं बताता तो सबसे कम कीमत वाले ब्रैण्ड की आपूर्ति की जाती है। अत: अपने रेकॉर्ड में एक से ज्यादा आपूर्तिकर्त्ताओं को रखना केन्द्रीय भण्डार के लिए सामान्य बात है। केन्द्रीय भण्डार की अधिकांश निविदाओं में यह किया जाता है।

विवरण-I

25.8.2001 को हुई 72वें बोर्ड की बैठक के उद्धरण

कार्य सूचीय की मद संख्या 6 खरीद/अधिप्राप्ति नीति

उपभोक्ता डिवीजन, किराना डिवीजन तथा लेखन-सामग्री डिवीजन में विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद नीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि खरीद नीति मुख्यतया सोसाइटी के लिए सामान की अधिप्राप्ति को युक्तियुक्त बनाने तथा सोसाइटी में विभिन्न मदों के लिए सप्लायर का पंजीकरण करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने यह राय भी व्यक्त की कि यदि खरीद नीति सोसाइटी की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक नहीं पाई गई तो बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। बोर्ड द्वारा निदेशकों के विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से खरीद नीति का अनुमोदन कर दिया गया। बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित खरीद नीति की प्रति संलग्न है।

खरीद नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों से कोई विचलन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही किया जाएगा तथा उसकी जानकारी कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में दी जाएगी।

केन्द्रीय भण्डार

नई दिल्ली

विषय: खरीद/अधिप्राप्ति नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सामान्य नीति

(क) ब्रांड वाले उत्पाद सीधे उत्पादकों/निर्माताओं से खरीदे जाएंगे। जहां कहीं निर्माता इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे वहां खरीद उनके प्राधिकृत वितरकों से की जाएगी।

(ख) साधारणतया टेंडर उन मदों के लिए आमंत्रित किए जाएंगे जिनकी सामान्य स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार खरीद की जाती है और जिनके लिए ब्रांड नामों की सुसंगतता नहीं होगी।

(ग) तेजी से बदलती हुए मंदों की खरीद यदा-कदा करते रहना चाहिए ताकि उनमें पैसा फंसा न रहे और ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज की अदायगी न करनी पड़े। जिन वस्तुओं के भाव-बढ़ते न हों उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सोसाइटी सप्लायरों के साथ उचित अवधि तक के कान्ट्रेक्ट कर सकती है।

(घ) जहां तक संभव हो, अनुमोदित क्वालिटी की वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी जिन पर एग्मार्क, आई.एस.आई. मार्क लगा हो।

(ङ) कान्ट्रेक्ट की बाध्यताओं के संतोषजनक ढंग से निभाने की दृष्टि से सप्लायरों को एफिडेविट के साथ रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा, अन्य संगत दस्तावेजों के साथ 25,000/- रुपए की जमानत राशि (एक ग्रुप की वस्तुओं के लिए) भरनी होगी। एक से अधिक ग्रुप की वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रेशन चाहने वाले सप्लायरों को 50,000/- रुपए की जमानत राशि भरनी होगी। बहुराष्ट्रीय/प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों के मामले में यथा कल्याण संगठनों आदि के मामले में जमानत की राशि को जमा करने से छूट महाप्रबंधक की सिफारिश पर अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकेगी।

(च) इस नीति में शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ही खरीद की जानी चाहिए।

(छ) क्वालिटि तथा प्रतियोगी कीमत ही अपनायी जाने वाली इस नीति का मुख्य आधार होगी।

(ज) उपभोक्ताओं की पसंद की वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा सप्लायरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ 3 से 4 ब्रांडों या किस्मों की वस्तुएं खरीदी जाएंगी।

किराना, उपरोक्ता, राशन का सामान, स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए।

2. किराना का सामान

(क) दालों/चावल/मसालों जैसी आम स्पेसिफिकेशन वाली आम किस्म की वस्तुओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सहकारी समितियों तथा उन पंजीकृत सप्लायरों से वस्तुओं के नमूनों सहित पाक्षिक टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे जिनके पास दालों का लाइसेंस/अनाज का लाइसेंस/एग्मार्क लाइसेंस आदि होगा और जिनकी वस्तुएं केन्द्रीय भंडार के स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी तथा खाद्य सामग्री मिश्रण निवारण (पी.एफ.ए. स्पेसिफिकेशन)/एग्मार्क स्पेसिफिकेशन के तहत निर्धारित स्पेसिफिकेशन से बेहतर होगी। स्पेसिफिकेशन की समय-समय पर समीक्षा की जा सकेगी। सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत रेट और सेम्पलों तथा उनके पहले के कार्य-निष्पादन के आधार पर खरीद समिति की सिफारिश पर खरीद की जा सकेगी। इन वस्तुओं की खरीद करते समय इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित होने वाली कीमतों की घटत-बढ़त को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि समिति यह महसूस करती है कि रेट और क्वालिटी उचित नहीं है तो वह उचित कीमतों की जानकारी हासिल करने के लिए मार्किट का दौरा कर सकती है और फिर खरीद नीति के अनुरूप पंजीकृत सप्लायरों से खरीद की जा सकती है। खरीद समिति द्वारा चुने गए सैम्पलों को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्से में ए.जी.एम. पी.एण्ड.एस.ई. और सी.ए.ओ./ए.ओ.के विधिवत हस्ताक्षरों सहित सीलबंद लिफाफे में संबंधित गोदाम के सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सप्लायर से प्राप्त वस्तुएं सैम्पल के अनुरूप ही है। सैम्पल का दूसरा हिस्सा ए.जी.एम. की हिफाजत में रखा जा सकेगा। गोदाम के सुपरिन्टन्डेन्ट द्वारा अनुमोदित सैम्पलों के साथ वस्तुओं को मिलाकर देख लेने के बाद वस्तुओं को गोदाम में उतार लिया जायेगा। तत्पश्चात् क्वालिटी नियंत्रण विभाग द्वारा भारी मात्रा में वस्तुएं सप्लाई करने वाले सप्लायरों के सैम्पल भरे जाएंगी और अनुमोदित प्रयोगशाला में उनकी जांच की जाएगी। संतोषजनक रिपोर्ट मिलने के बाद वस्तुओं को पैक करने और केन्द्रीय भण्डार के बिक्री केन्द्रों से बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इन वस्तुओं को केन्द्रीय भंडार के गोदामों में पैक किया जाना चाहिए और इन पर लॉट संख्या, पैकिंग की तारीख तथा बिक्री मूल्य दिया जाना चहिए। इसी प्रकार खरीद समिति द्वारा सरकारी संस्थानों में आई.टी.डी.सी. होटलों, अस्पतालों, सरकारी स्कूलों तथा मारूति उद्योग लिमिटेड आदि जैसे अन्य एजेन्सियों के लिए बढ़िया किस्म की दालें/चावल/मसाले/ड्राइ-फ्रूट टेंडर के जरिए खरीदे जाएंगे।

(ख) स्टोरों को सीधे ही आपूर्तिकर्त्ता के पैक में चावल/दालों की आपूर्ति के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए कि किसी प्रकार की कमी के लिए आपूर्तिकर्त्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(ग) आटे और मैदे की खरीद उन ख्याति प्राप्त फर्मों के माध्यम से की जा सकती है जिन्हें ठेका दिया गया है और जिनकी अपनी पिसाई मिलें हैं तथा जिनकी दरें प्रत्येक सप्ताह में इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित चक्की गेहूं और बेसन की दरों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(घ) खाद्य तेल, वनस्पति शुद्ध घी आदि जैसी ग्रोसरी की वस्तुओं की खरीद या तो सीधे ही विनिर्माता से या उनके प्राधिकृत वितरक से थोक व्यापारी पर लागू दरों पर की जाएंगी, जहां तक संभव हो विनिर्माता की मूल पैकिंग में विनिर्दिष्ट पी.एफ.ए./आई.एस.आई. के अनुरूप उत्पादों को खरीदा जाए। सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध उत्पाद को वरीयता दी जाए।

(ङ) नहाने-धोने के साबुन के लिए विज्ञप्ति निविदा आमंत्रित की जाएंगी और उनकी दरों, ब्रांडों विगत के उनके कार्य निष्पादन तथा बिक्री की संभाव्यता आदि के आधार पर उसकी खरीद की जाएगी।

(च) दालों/चावल/चीनी और मसालों की पैकिंग के लिए पैकिंग का प्रावधान करने हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञापित निविदा मंगाई जाएगी। निविदाकर्ता की दरों, क्षमता तथा उसकी कार्य निष्पादन की क्षमता के आधार पर ठेका दिया जाएगा।

(छ) अगरबत्ती, दलिया, पापड़, बासमती चावल, फैंसी मसाले/मिसाले आदि जैसे अन्य उत्पादों को थोक बिक्री की दरों पर विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरक हो आपूर्तिकर्त्ता के पैक में ख्याति प्राप्त उत्पाद की खरीद की जा सकती है। किसी भी नए उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी दरों और लोकप्रियता के संबंध में बाजार का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसी बीच में इन उत्पादों के नमूने खरीदे जाएंगे और अनुमोदित प्रयोगशाला से उनका परीक्षण कराया जाएगा। इस प्रकार केवल उन्हीं उत्पादों को शुरू किया जाएगा जो बाजार में स्थापित हो और जिनकी गुणवत्ता स्वीकार्य हो।

(ज) जहां कहीं संस्थान, मासिक निविदा के आधार पर आई.एस.यू. द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में आहार से संबंधित

वस्तुओं की खरीद नहीं करता है और उनके लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियों से अलग से निविदा मांगी जाती है वहां केन्द्रीय भंडार, पंजीकृत और विगत के आपूर्तिकर्त्ताओं से कोटेशन प्राप्त कर निविदा में भाग ले सकता है। इसके लिए केन्द्रीय भंडार अधिकतम 30% तक का मार्जिन रख सकता है जो निविदा की प्रतियोगिता, आदेश के मूल्य पर निर्भर करेगा तथा मार्जिन कम किया जा सकता है ताकि केन्द्रीय भंडार को आदेश प्राप्त हो जाएं।

(झ) सामान्यतया आपूर्तिकर्त्ताओं को निम्नलिखित दिनों में भुगतान किया जाएगा।

(1) चावल, दाल आदि	-	10 दिन
(2) मसाले	-	30 दिन
(3) ब्रांडेड वस्तुएं	-	केन्द्रीय भंडार और विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच हुए समझौते के अनुसार

3. राशन की वस्तुएं

सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियों से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर इनकी खरीद की जाती है। इन वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने या बातचीत करने या खुले बाजार से इनकी खरीद का प्रश्न ही नहीं होता। अतः इनकी खरीद सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों से की जाती है।

4. उपभोक्ता वस्तुएं

उपभोक्ता प्रभाग का संबंध प्रसाधन साबुन, डिटरजेंट, सौंदर्य और स्वास्थ्य आदि से संबंधित वस्तुओं से है जो ब्रांडेड हैं और उनके लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(1) ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रीय/राष्ट्रीय उत्पादों को या तो सीधे ही विनिर्माता से या उनके प्राधिकृत वितरक से उनकी थोक बिक्री की दरों पर खरीदा जाएगा।

(2) तथापि एक्सरसाइज नोट बुकों, रजिस्टरों आदि को विज्ञापित निविदा के आधार पर खरीदा जाएगा।

(3) किसी भी नए उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी दरों, बिक्री की संभाव्यता आदि के संबंध में बाजार का सर्वेक्षण कराया जाएगा।

(4) गोदाम की आपूर्ति की स्थिति की विनिर्माता और उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच आपस हुए समझौते के अनुसार भुगतान की अवधि 7 दिन से 40 दिन तक होगी। वस्तुओं की सीधे ही आपूर्ति किए जाने की सूरत में सामान्यतया परेषण के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

5. लेखन सामग्री की वस्तुएं

निविदा

उन वस्तुओं की खरीद के लिए सामान्यता निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए जिनका प्रापण सामान्य विनिर्देशनों के अनुसार किया जाता है और जिनके लिए ब्रांड नाम की जरूरत नहीं है तथा आपूर्तिकर्त्ता से जिनके लिए बाजार का समर्थन न तो संभव है और न ही आवश्यक। उन वस्तुओं की सचित्र सूची परिशिष्ट-I में दी गई है जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। पंजीकरण और कीमतों के अनुमोदन के लिए नियमित अंतरालों पर निविदा आमंत्रित किए जाएंगे तथा वे दो वर्ष की अधिकतम अवधि तक वैध रहेंगे जो बाजार की स्थिति पर दरों में संशोधन के अध्यधीन होगी।

(क) निविदा की प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय नामक दो चरणों में की जाएगी। प्रत्येक निविदा के लिए तकनीकी और वित्तीय दोनों चरणों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन करते समय फर्म की क्षमता और सक्षमता, बाजार में उसकी ख्याति और उसकी स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता आदि सहित सभी तकनीकी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकर्त्ताओं से तकनीकी और वाणिज्यिक निविदा (बोली) एक साथ जमा करने लिए कहा जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के बाद छंटनी की जाएगी और छांटी गई फर्मों को अपनी वित्तीय बोलियों में अपनी दरों को, यदि कोई हो, कम करने का एक और अवसर दिया जाएगा। छांटी गई फर्मों से प्राप्त वित्तीय बोलियों को उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और न्यूनतम निविदा (एल 1) को स्वीकार किया जाएगा। यदि यह पाया गया कि न्यूनतम निविदाकर्ता (एल 1) की पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है तो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए (एल 2) को उसी कीमत और शर्तों तथा निबंधनों पर आपूर्ति करने के लिए कहा जाता है।

(ख) किसी वस्तु के मासिक उपभोग के आधार पर प्राप्त निविदा के उत्पादन को दर्शाया जाएगा। निविदाकर्ताओं से कहा जाएगा कि वे अपने प्रस्ताव के साथ लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत करें।

(ग) यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि निविदा के सामने आपूर्ति की गई वस्तुओं पर किसी भी ब्रांड के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय भंडार, अपने अधिकारों के अंदर, निविदा प्रणाली से बाहर, ब्रांडेड वस्तुएं प्राप्त करेगा।

6. ब्रांडेड उत्पाद

(क) ब्रांडेड उत्पादों को निविदा प्रणाली के क्षेत्राधिकारी से अलग रखा जाएगा। इन वस्तुओं के प्रापण के लिए केन्द्रीय भंडार, बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए लागू दरों पर सीधी आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं से कहेगा। यदि वे लिखित में केन्द्रीय भंडार से ऐसा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हैं तो उसे उनके प्राधिकृत वितरकों से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) जिन वस्तुओं की मासिक बिक्री 5 लाख रुपए तक है उनके लिए समान उत्पादों के अलग-अलग ब्रांडों के वास्ते अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को पांच तक सीमित किया जाएगा। जिन वस्तुओं की बिक्री इस सीमा से अधिक है उनके आपूर्तिकर्ताओं की संख्या, उदाहरणार्थ फोटोकापियर पेपर और मशीन, कम्प्यूटर आदि को 10 तक सीमित किया जाएगा। यह संख्या फर्नीचर के आपूर्तिकर्ता की संख्या को छोड़कर है जिनकी संख्या इस समय 20 है और जिसे 15 तक करने का लक्ष्य है। पंजीकरण के समय नए आपूर्तिकर्ता सहित सभी आपूर्तिकर्ताओं को बिक्री का एक लक्ष्य दिया जाएगा जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। (नए आपूर्तिकर्ताओं के लिए छः महीने में)

(ग) फर्नीचर के लिए किसी नए विनिर्माता का पंजीकरण करने से पहले उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उनकी श्रेणी का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों की एक टीम विनिर्माता की यूनिट का दौरा करेगी जो उनके आधारभूत ढांचे, प्लांट और उपकरणों, अनुभवों तथा ग्राहकों को उनके सामान की बिक्री के आधार पर जायजा करेंगी।

(घ) ऐसी वस्तुओं की और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कागजों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिनकी मांग का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। उनमें मैपलिथो पेपर, आर्ट कार्ड, आर्ट पेपर आदि जैसे पेपर आते हैं जिनके लिए सामान्यतया स्टॉक नहीं रखा जाता है, इसकी केन्द्रीय भंडार को आपूर्ति करने के लिए न तो विनिर्माता और न ही उनके प्राधिकृत वितरक इच्छुक होते हैं। उस सूरत में निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए जिसमें मिलों आदि के नाम बताए गए हो, इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से कहा जाए कि वे आपूर्ति आदि के स्रोत के बारे में बताएं और प्राधिकृत निविदाकर्ता से न्यूनतम दर का अनुमोदन किया जाए।

(ङ) आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण एक वर्ष के लिए वैध होगा और इसके बारे इसकी समीक्षा की जाएगी।

(च) उस मामले को छोड़कर जिसमें केन्द्रीय भंडार, निविदा के विरुद्ध अपनी कोटेशन प्रस्तुत करता है जिसमें उसका मार्जिन, सामान्य मार्जिन का 50% तक कम हो जाएगा, केन्द्रीय भंडार, किसी उत्पाद को लाभ के निर्धारित मार्जिन पर बेचेगा जो 3 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक होगा। कई वस्तुओं के सरकारी निविदाओं की कार्रवाई को सरल बनाने के उद्देश्य से जो आपूर्तिकर्ता 60 प्रतिशत से अधिक के मूल्य के आदेश के लिए केन्द्रीय भंडार में पंजीकृत है (निविदा में शामिल) उसे केन्द्रीय भंडार में अनुमोदित दरों से अनधिक दर पर यदि कोई हो, संपूर्ण आदेश निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी।

(छ) उत्कृष्ट, उपकरण, फर्नीचर आदि बेचने के उद्देश्य से केन्द्रीय भंडार ने उन आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत का समझौता किया जो केन्द्रीय भंडार की ओर से अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए अपेक्षित होंगे। चूंकि उत्कृष्ट वस्तुए महंगी हैं इसलिए केन्द्रीय भंडार द्वारा इनकी वस्तु सूची नहीं रखी जाएगी।

(ज) कुछ ऐसी वस्तुएं हैं (उदाहरणार्थ फोटोकापियर मशीनों) जिन पर अन्य राज्यों की तुलना में स्थानीय बिक्री कर बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार किसी स्थान विशेष पर स्थिति किसी विनिर्माता यूनिट को या तो बिक्री कर से पूरी तरह छूट दी गई है या उस पर बिक्री कर की कम दर लागू है। चूंकि केन्द्रीय भंडार का यह उद्देश्य है कि ग्राहकों को कम कीमत पर या बाजार में उपलब्ध समान की दर पर सामान उपलब्ध कराया जाए। ग्राहकों को ऐसे उत्पादों की बिक्री, एजेंसी बिक्री के आधार पर की जाए। ऐसे लेन-देनों में आपूर्तिकर्ता आपने बिल सीधे ही ग्राहकों को देंगे। अलबत्ता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता को चेक भेजने से पहले उसे, प्रविष्टि करने के लिए केन्द्रीय भंडार को भेजेंगे। केन्द्रीय भंडार ऐसे अंतरणों पर एजेंसी कमीशन प्राप्त करेगा।

नीति के अनुसार "एजेंसी बिक्री" को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और केवल आपवादित मामलों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

7. अलग-अलग मामलों का अनुमोदन

(क) जब कभी विशेष फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की मांग की जाती है तो केन्द्रीय पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित करेगा और कम से कम तीन निविदाओं में से न्यूनतम दर का अनुमोदन किया जाएगा।

8. लेखन सामग्री की वस्तुओं के भुगतान की शर्तें

(1) निविदा की वस्तुओं	-	40 दिन का उधार
(2) ब्रांडेड वस्तुएं	-	केन्द्रीय भंडार और विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच हुए पारस्परिक समझौते की शर्तों के अनुसार
(3) उत्कृष्ट उपकरण फर्नीचर आदि	-	ग्राहकों से राशि प्राप्त हो जाने के बाद

9. टेंडरों के संबंध में कार्रवाई

(1) विज्ञापित टेंडरों के लिए टेंडर नोटिस तैयार करना

इस दृष्टि से कि भावी टेंडरदाताओं को केन्द्रीय भंडार द्वारा खरीदे जाने वाले सामान का स्पष्ट अंदाज हो सके, अपेक्षित मदों के संबंध में संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

(2) टेंडर प्राप्त करने और खोलने का समय नीयत करना

टेंडर प्राप्त करने और खोलने की तारीख तथा समय टेंडर नोटिस और टेंडर इंक्वारी में दिया जाए। विज्ञापित टेंडरों के मामले में यह समय टेंडर नोटिस प्रकाशित होने की तारीख से 4 सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए तथा सीमित टेंडरों के मामले में यह समय दो सप्ताह से कम नहीं हो।

(3) निवेदों को स्वीकार करने के लिए मान्य रखने के लिए अनुमत्य समय

सामान्यत: टेंडरदाताओं को अपने निवेद टेंडर खोले जाने की तारीख से एक माह की अवधि के लिए मान्य रखने के लिए कहा जाए। परन्तु कठिनाई से मिलने वाली मदों, जिनके लिए टेंडर के नमूनों का परीक्षण किया जाना है या इसी प्रकार के अन्य मामलों में, टेंडर मान्य रखने के लिए टेंडरदाताओं के लिए अधिक अवधि नियत करनी होगी।

साधारणत: मूल वैधता अवधि से आगे समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अपवादात्मक मामले में उस अवधि तक समय बढ़ाने के लिए कहा जाए जिसमें मांग के लिए आदेश दिए जाने की आशा हो।

(4) टेंडर खोलने की तारीख को स्थगित करना

टेंडर खोलने की तारीख को आगे बढ़ाने के अनुरोध पर गुणवगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। किसी टेंडर को खोले जाने की तारीख स्थगित करने का निर्णय लिए जाने पर सभी संबंधित को आरंभ में निर्धारित तारीख से पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया जाए ताकि शिकायतें न हों।

(5) विज्ञापित टेंडरों की बिक्री

टेंडर सैट रोकड़ काऊंटर पर प्रति सैट 200/- रुपए ले कर बेचे जाएं। विज्ञापित टेंडर नोटिस की एक प्रति उस मद के पंजीकृत/संभावित पूर्तिकर्ताओं को डाक-प्रमाणित से भेजी जाएगी। सभी मामलों में एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(6) सीमित टेंडर इंक्वारी

इस प्रकार की इंक्वारी सभी पिछली/संभावित फर्मों को डाक प्रमाणित से भेजी जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए की इस सूची को काली सूची में डाल दी गई/निलम्बित कर दी गई/रोक लगा दी गई फर्मों के नाम हटा कर तथा नए पूर्तिकर्ताओं और पिछले पूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल कर अद्यतन रखा जाए।

(7) टेंडरों की प्राप्ति और अभिरक्षा तथा टेंडर खोलना

सभी टेंडर, टेंडर जमा करने के लिए रखे गए मुहरबंद टेंडर बॉक्स में जमा किए जाएं। टेंडर एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएं जो कि इस कार्य के लिए रखा गया है। टेंडर खोलने की समिति में निम्नलिखित अधिकारी होगे:

1. लेखा अधिकारी/सिस्टम एनेलिस्ट
2. क्रय और बिक्री एक्जीक्यूटिव

किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने पर प्रभागीय प्रधान किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

(8) टेंडर खोले जाना

टेंडर खोलने संबंधी समिति को यह सत्यापन कर लेना चाहिए कि टेंडर खोले जाने के समय इन्हीं फर्मों के केवल अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद हो, जिन्होंने वास्तव में टेंडर प्रस्तुत किए हैं। अधिकृत प्रतिनिधि या ऐसी फर्म, जिसने टेंडर प्रस्तुत नहीं किया हैं, के प्रतिनिधि को मौजूद रहने की अनुमति न दी जाए। टेंडर देने वाली फर्मों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने उस प्रतिनिधि के नाम और पते के बारे में सूचित कर दें जो उनकी ओर से टेंडर खोले जाने के समय मौजूदा रहेगा।

टेंडर खोलने संबंधी समिति, प्राप्त हुए कोटेशनों का तुलनात्मक विवरण तत्काल तैयार करें, जिसमें उनकी मुख्य बातें दी जाएं।

प्रत्येक टेंडर के पहले पृष्ठ पर गोले में क्रम संख्या दी जाए और आद्यक्षर किए जाएं। मूल्यों की अनुसूची में प्रत्येक पृष्ठ पर और सुपुर्दगी अवधि पर गोला लगाया जाए तथा आद्यक्षर किए जाएं। खाली टेंडर रद्द कर दिया जाए जिस पर टेंडर खोलने संबंधी समिति के सदस्यों द्वारा आद्यक्षर किए जाएं और तारीख डाली जाए। यदि फर्म द्वारा टेंडर में लिखे हुए पर लिखा गया हो/शुद्धि की गई हो तो उस पर टेंडर खोलने वाले अधिकारी द्वारा आद्यक्षर किए जाएं। टेंडर खोलने का कार्य शुरू हो जाने के बाद किसी भी कारण से टेंडर में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऐसे टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें दिए गए मूल्य संदिग्ध हों।

(9) देर से और विलंबित टेंडर

टेंडर खोलने के लिए निश्चित समय के बाद प्राप्त टेंडर या टेंडरों में आशोधनों को 'देर से' माना जाता है जब कि टेंडर खोले जाने के समय से पूर्व परन्तु टेंडर प्राप्ति की नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त टेंडरों और टेंडरों के आशोधनों को ''विलंबित'' टेंडर माना जाता है। देर से/विलंबित टेंडरों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रश्न हो सकता है कि यदि टेंडर खुलने के बाद बातचीत करने का निर्णय लिया जाता है तो दर से/विलंबित टेंडर प्रस्तुत करने वाली फर्म को क्या बातचीत के लिए बुलाया जाए। देर से/विलंबित टेंडर पर सामान्यत: विचार नहीं किया जाए तथा उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाए। यह प्रश्न हो सकता है कि क्या ऐसी फर्म को बातचीत के लिए बुलाया जाए जिसने आरम्भ में अपने निवेद समय पर प्रस्तुत किया परन्तु टेंडर खुलने के बाद उसमें संशोधन किया।

टेंडर खुलने के बाद उसमें संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि बातचीत ऐसे ठोस कारणों से होनी है, जो किसी भी प्रकार से किसी विशेष फर्म के टेंडर खुलने के बाद संशोधन से संबंधित या प्रभावित नहीं है तो उस फर्म को भी बातचीत के लिए बुलाया जाए। यदि टेंडर खुलने के बाद संशोधन से उनके निवेद की रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तथा केन्द्रीय भंडार को लाभ है तो केवल तभी टेंडर खुलने के बाद संशोधन स्वीकार किया जा सकता है।

(10) तुलनात्मक विवरण तैयार करना

टेंडर खुल जाने के पश्चात् तथा तैयार किए गए सार के आधार पर संबंधित पी. एण्ड एस.ई. तुलनात्मक विवरण तैयार करेगा जिसमें फर्म के निवेदन से संबंधित आवश्यक ब्यौरा जैसे दरें, सुपुर्दगी, मात्रा, दी गई छुट तथा अन्य संगत जानकारी दी जाएगी। पी. एण्ड एस.ई. तुलनात्मक विवरण की यथातथ्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी विशेष प्रकार की मांग के लिए टेंडरदाताओं से प्राप्त कोटेशनों की जांच क्रय और बिक्री एक्जीक्यूटिव द्वारा सावधानी से की जानी जाहिए। तुलनात्मक विवरण की जांच फर्म से प्राप्त टेंडर से पूरी तरह की जाए ताकि गलती की संभावना न रहे।

(11) दरों में संशोधन

दरों के निर्धारण/संशोधन पर विचार करते समय, क्रय समिति यह विचार करेगी कि क्या संशोधन निम्नलिखित के कारण आवश्यक है:

(क) कच्चे माल के मूल्य में आम वृद्धि;

(ख) सरकार द्वारा लेवी/करों की प्रमात्रा में वृद्धि तथा

(ग) कोई अन्य संगत कारक

10. मदों की अधिप्राप्ति के लिए क्रय समिति निम्नलिखित अनुसार होगी

(क) लेखन सामग्री के लिए क्रय समिति

1. डी.जी.एम (स्टेशनरी)/ए.जी.एम. (स्टेशनरी	-	अध्यक्ष
2. सी ए ओ/ए ओ	-	सदस्य
3. पी एण्ड एस ई (स्टेशनरी)	-	सदस्य-सचिव
4. अधीक्षक (स्टेशनरी गोदाम)	-	सदस्य
5. वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/स्टेशनरी काउंटर प्रभारी	-	सदस्य

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए क्रय समिति

1. ए जी एम (सी)	-	अध्यक्ष
2. सी ए ओ/ए ओ	-	सदस्य
3. पी एण्ड एस ई (सी)	-	सदस्य-सचिव
4. अधीक्षक, उपभोक्ता वस्तुओं का गोदाम	-	सदस्य

(ग) किराना-सामान के लिए क्रय समिति

1. ए जी एम (जी)	-	अध्यक्ष

2. सी ए ओ/ए ओ	-	सदस्य
3. पी एण्ड एस ई (जी)	-	सदस्य-सचिव
4. अधीक्षक, किराना सामान का गोदाम, महादेव रोड	-	सदस्य
5. अधीक्षक, किराना सामान का गोदाम, पुष्प भवन	-	सदस्य
6. प्रभारी, मसाला यूनिट	-	सदस्य (केवल मसाले खरीदने के लिए)

अध्यक्ष/महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार किसी अधिकारी को सहयोजित कर सकते हैं या क्रय समिति का पुनर्गठन कर सकते हैं।

11. गुणवत्ता नियंत्रण

(क) पूर्ववर्ती परीक्षण

टेंडरों के द्वारा खरीदी गई दालों, चावल और मसालों का, बिक्री के लिए दिए जाने से पहले पूर्ववर्ती परीक्षण किया जाए। गुणता नियंत्रण प्रभाग द्वारा थोक सप्लाई में से कही से भी नमूने लिए जाएं तथा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं। परीक्षण रिपोर्ट विनिर्देश के अनुसार प्राप्त होने पर, गोदाम बिक्री के लिए सामान जारी करेंगे।

(ख) उत्तरवर्ती परीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग संघ सेवा भंडार से कुछ भी सामान उठाकर प्रयोगशाला में उसके सेंपल का परीक्षण करवा सकता है। यदि सामान खरीद विनिर्देशन पर खरा नहीं उतरता है तो उसे लॉट/बैच की बिक्री को रोककर उसे बदलने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अचानक उत्तरवर्ती परीक्षण स्टेशनरी की वस्तुओं पर भी लागू होगा। केन्द्रीय भंडार में लाए जाने से पहले हर खाद्य वस्तु का परीक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) स्टेशनरी की मदें

यथासंभव सीमा तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मदों को संबंधित अधीक्षक (गोदाम) प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किए जाने के समय मूल विनिर्माता/मिल पैकिंग में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। सामान की गुणवत्ता का अनुमोदित सेंपल और अन्य मापदंडों के अनुसार परीक्षण किया जाना चाहिए जैसे कि भार आकार, पैकिंग लेवल आदि। एक नियमित अंतराल पर सेंपलों को लेकर उन्हें प्रयोगशाला में भेजा जाए। केन्द्रीय भंडार को नकली सामान की आपूर्ति का न होना सुनिश्चित करने के लिए उस सामान के कुछ सैंपल उसकी अधिकारिता प्रमाणित करने के लिए उसके मूल विनिर्माता के पास भेजे जाने चाहिए।

12. क्षतिपूर्ति

(क) आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के मद्दे केन्द्रीय भंडार और इसके ग्राहकों पर लागू शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

(ख) यदि केन्द्रीय भंडार या किसी संवैधानिक प्राधिकरण का कोई ग्राहक किसी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी उत्पाद के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करता है तो वह उस पर लागू होगी और उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय भंडार एवं उसके कर्मचारियों की होगी।

(ग) खाद्य वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ता को पी एफ ए में उल्लिखित के अनुसार वारंटी प्रमाण पत्र के साथ अपना बिल प्रस्तुत करना चाहिए।

13. शक्तियों का प्रत्यायोजन

खरीदने की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित होंगे:

(क) यदि आपूर्तियों को विनिर्माताओं या उनके अधिकृत वितरकों से प्राप्त करने/खरीदने का प्रस्ताव हो तो खरीद समिति विनिर्माता/वितरक तथा प्राप्त दरों को चिह्नित करेगी।

(ख) दालों, अन्य खाद्यानों, मसालों आदि जैसी वस्तुओं के मामले में खरीद समिति को राज्य सहकारी विपणन परिसंघ और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

(ग) महाप्रबंधक किसी भी समय 20 लाख रुपये मूल्य के सामान को खरीदने की स्वीकृति दे सकता है और सामान 20 लाख रुपए से अधिक का है तो अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(घ) नए आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण और नई मद का समावेश केवल अध्यक्ष के अनुमोदन से ही किया जाए।

(ङ) महाप्रबंधक विद्यमान उत्पादक मूल्य में संशोधन की स्वीकृति दे सकता है या उत्पाद के आधार पर संभागीय शीर्ष

अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वह संभागीय शीर्ष अधिकारियों को एक लाख रुपए तक की खरीद के लिए प्राधिकृ त कर सकता है।

(च) महाप्रबंधक एक लाख रुपए तक मूल्य के क्षतिग्रस्त सामान को बट्टे खाते में डाल सकता है और उससे अधिक मूल्य के सामान के लिए ऐसा करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

क्र.सं.	टेंडर मदों की सूची
1.	अभ्यास पुस्तिका
2.	नोटशीट पैड
3.	फाइल कवर
4.	फाइल बोर्ड, फ्लैप, डंडैक्स फाइल, डाक पैड
5.	रुल रजिस्टर
6.	डायरी
7.	फैक्स रोल, अमोनिया पेपर
8.	विभिन्न प्रकार के पेपर
9.	लिफाफे
10.	श्रुतलेखन नोट बुक/स्लिप पैड
स्टेशनरी काउंटर-II	
11.	टेबल ग्लास
12.	टैग, थ्रड बाल, पेपर वेट
13.	टाट, सुतली, रबर, बैंड, ऐस्ट्रे, ड्राइंग पिन, हैमर
14.	तौलिया
स्टेशनरी काउंटर-(IV)	
15.	ब्रश, झाड़ू, एम ओ पी आदि
16.	ब्लीचिंग पाउडर, जेमेक्साइन, सोडा ऐश
17.	डस्टर

कार्यकारिणी समिति की 21 अक्टूबर, 2000 को हुई बैठक के उद्धरण

कार्य सूची की मद संख्या 3 खरीद नीति के संबंध में निर्वाचित निदेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार

खरीद नीति के संबंध में निर्वाचित निदेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(क) यदि खरीद नीति के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों से हटकर वस्तुओं की खरीद की जानी हो तो उसके लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। तथापि, ऐसे मामलों को कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाना चाहिए।

(ख) यह भी निर्णय किया गया कि यदि टेंडर में दिए गए आर्डर के मूल्य की 60 प्रतिशत सप्लाई पंजीकृत सप्लायरों के जरिए की जानी हो तो उसी सप्लायर को शेष वस्तुओं की भी सप्लाई करने दी जानी चाहिए वह सप्लायर शेष वस्तुओं की सप्लाई के लिए केन्द्रीय भंडार के पास पंजीकृत न भी हो तो लेकिन यह सप्लाई केन्द्रीय भण्डार में अनुमोदित रेट से अधिक रेट पर नहीं होनी चाहिए।

(ग) यह निर्णय किया गया कि नई वस्तुएं जो केन्द्रीय भंडार की अनुमोदित सूची में न हो अध्यक्ष के अनुमोदित से शामिल कर ली जाएंगी और बाद में उन्हें कार्यकारिणी समिति की जानकारी के लिए उसके समक्ष लाया जाएगा।

(घ) यह निर्णय किया गया कि क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बट्टे खाते डाल दिए जाए जैसा कि खरीद नीति में शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिभाषित किया गया है। तथापि, ऐसे मामले कार्यकारिणी को जानकारी के लिए उसके सामने लाए जाएं। श्री एम.डी. पाण्डेय का यह विचार था कि स्टोर में क्षतिग्रस्त वस्तुओं का पता लगाया जाए और उन वस्तुओं के बट्टे खाते डालने के लिए विचार करने हेतु एक समिति बनाई जाए। उस पर सहमति व्यक्त की गई और अध्यक्ष के निर्देशों के तहत एक समिति बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया।

(ङ) यह निर्णय किया गया कि यदि 20 लाख रुपए से अधिक की कोई वस्तु स्थापित निर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेन्टों से इतर किसी अन्य स्रोत से खरीद करनी हो तो उसके लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाए और इसे कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाए।

विवरण II

यू.पी.एस.

के.वी. मार्जिन और लिमिटेड टेन्डर के मद्दे स्वीकृत दरों को शामिल करते हुए विद्यमान अनुमोदित दरों को दर्शाने वाले यू.पी.एस. का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का विवरण	विगत दर की रेंज (रुपए)		टेंडर के मद्दे अनुमोदित दर (रुपए)
		से	तक	
1	2	3	4	5
1.	150 वी ए	1505	1635	1417
2.	250 वी ए	2028	2384	1995
3.	400 वी ए	2512	2997	2520
4.	500 वी ए	3446	3962	3517
5.	1000 वी ए	6812	7442	6562
6.	1500 वी ए	9195	10361	8925
7.	2000 वी ए	10899	14225	11287
8.	3000 वी ए	17423	18785	17850
9.	5000 वी ए	23159	29031	26250
वोल्टेज स्टेबलाइजर (सिंगल फेज) सर्वो कन्ट्रोल स्टेबलाइजर				
1.	1 के.वी.ए.	4799	5654	4725
2.	2 के.वी.ए.	5314	6260	5355
3.	3 के.वी.ए.	6250	7363	5880
4.	5 के.वी.ए.	7446	8773	7560
5.	7.5 के.वी.ए.	11563	13623	11130
6.	10 के.वी.ए.	16189	19073	14700
7.	15 के.वी.ए.	24522	–	21315
8.	25 कि.वी.ए.	32096	–	32413
लाइन इन्टरएक्टिव ऑफ लाइन यू.पी. सिस्टम				
	300 वी.ए.	6812	–	4704
	500 वी.ए.	8855	–	5460

1	2	3	4	5
	625 वी.ए.	9877	–	6615
	1 के.वी.ए.	12261	–	11340
	1.5 के.वी.ए.	–	–	16695
	2.0 के.वी.ए.	–	–	22575
	3.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया
	4.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया
	5.0 के.वी.ए.	–	–	बताया नहीं गया
शील्ड मैंन्टीनेंस फ्री बैटरी				
1.	12 बोल्ट 7 ए.एच.	954	1132	735
		2044	2572	1732
2.	12 बोल्ट 15 ए.एच./	2725	3189	2362
	17 ए.एच.			
3.	12 बोल्ट 26 ए.एच.	4087	5343	3675
4.	12 बोल्ट 40 ए.एच.	6812	9261	5250
5.	12 बोल्ट 65 ए.एच.	10004	10898	7717
6.	12 बोल्ट 100 ए.एच.			
यू.पी.एस. ऑन लाइन				
बैटरी रहित				
	0.5 के.वी.ए.	16117	17029	16800
	1.0 के.वी.ए.	27454	32015	22579
	2.0 के.वी.ए.	39097	49097	33163
	3.0 के.वी.ए.	68117	72135	39513
	5.0 के.वी.ए. 10 से 10	95364	104630	66326
	7.5 के.वी.ए. 10 से 10	122611	138769	77616
	7.5 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	102900
	10.0 के.वी.ए. 10 से 10	149858	192122	98784
	10.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	139650

1	2	3	4	5
	10.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	159600
	15.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	183750
	15.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	215250
	20.0 के.वी.ए. 30 से 10	–	–	247800
	20.0 के.वी.ए. 30 से 30	–	–	294000
यू.पी.एस. ऑफ लाइन बैटरी रहित		**विगत दर की रेंज**	**टेंडर के मद्दे**	**अनुमोदित दरें**
300 वी.ए.	15 मिनट	5858	–	4525
	30 मिनट	5858	–	4525
	60 मिनट	5858	–	4525
	120 मिनट	5858	–	4525
500 वी.ए.	15 मिनट	6429	8960	4525
	30 मिनट	6429	8960	4525
	60 मिनट	6429	8960	5670
	120 मिनट	6429	8960	6090
625 वी.ए.	15 मिनट	8670	8970	5680
	30 मिनट	8670	8970	5680
	60 मिनट	8670	8970	6930
	120 मिनट	8670	8970	7455
1 के.वी.ए.	15 मिनट	10543	12971	9471
	30 मिनट	10543	12971	9471
	60 मिनट	10543	12971	11970
	120 मिनट	10543	12971	11995
1.25 के.वी.ए.	15 मिनट	13230	15728	11655
	30 मिनट	13230	15728	11655
	60 मिनट	13230	15728	13125
	120 मिनट	13230	15728	13125
1.5 के.वी.ए.	15 मिनट	20897	21323	13891

1	2	3	4	5
	30 मिनट	20897	21323	13891
	60 मिनट	20897	21323	17220
	120 मिनट	20897	21323	18270
2 के.वी.ए.	15 मिनट	27232	27788	19950
	30 मिनट	–	–	19950
	60 मिनट	–	–	19950
	120 मिनट	–	–	19950
3 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	32550
	30 मिनट	–	–	32550
	60 मिनट	–	–	32550
	120 मिनट	–	–	32550
4 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	37800.00
	30 मिनट	–	–	37800.00
	60 मिनट	–	–	37800.00
	120 मिनट	–	–	37800.00
5 के.वी.ए.	15 मिनट	–	–	44000.00
	30 मिनट	–	–	44000.00
	60 मिनट	–	–	44000.00
	120 मिनट	–	–	44000.00

	इनवरटर बैटरी रहित	टेंडर के मद्दे अनुमोदित दर
	1	2
500 वी.ए.	30 मिनट	5504.00
	60 मिनट	5504.00
	120 मिनट	5504.00
625 वी.ए.	30 मिनट	7056.00
	60 मिनट	7056.00
	120 मिनट	7056.00

1		2
1 के.वी.ए.	30 मिनट	9878.00
	60 मिनट	9878.00
	120 मिनट	9878.00
1.25 के.वी.ए.	30 मिनट	11995.00
	60 मिनट	11995.00
	120 मिनट	11995.00
2 के.वी.ए.	30 मिनट	16934.00
	60 मिनट	16934.00
	120 मिनट	16934.00
3 के.वी.ए.	30 मिनट	33516.00
	60 मिनट	33516.00
	120 मिनट	33516.00
4 के.वी.ए.	30 मिनट	39028.00
	60 मिनट	39028.00
	120 मिनट	39028.00
5 के.वी.ए.	30 मिनट	51156.00
	60 मिनट	51156.00
	120 मिनट	51156.00

बल्ब और ट्यूबलाइट

पूर्व दरों और अब 9.7.2001 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला बल्ब व ट्यूबलाइट का तुलनात्मक विवरण

मद	फिलिप्स		ई.सी.ई.		विप्रो		क्रॉम्प्टन ग्रिब्स		ओसराम		कोना		मैसूर	
	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100 वाट बल्ब	9.84	9.84	8.35	7.34	7.79	7.79	-	7.89	-	7.89	-	-	8.70	7.78
60 वाट बल्ब	9.02	9.02	8.35	7.17	7.37	7.37	-	7.67	-	7.67	-	-	8.50	7.78
40 वाट बल्ब	9.02	9.02	7.88	7.17	7.37	7.37	-	7.67	-	7.67	-	-	8.50	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ट्यूबलाइट 4''	42.39	42.39	36.87	32.75	35.50	35.50	-	36.84	-	36.84	-	-	40.00	35.08
ट्यूबलाइट 2''	40.65	40.65	36.87	32.75	34.73	34.40	-	36.84	-	36.84	-	-	38.70	35.90
फिटिंग 4''	-	161.50	-	159.12	144.05	144.05	-	-	-	-	149.04	162.50	168.25	154.00
फिटिंग 2''	-	148.75	-	-	144.05	144.05	-	-	-	-	-	158.91	114.40	154.00
चौक 40	140.25	140.25	106.46	106.46	117.25	117.25	-	-	-	-	91.80	111.74	-	105.00
चौक 20	137.95	131.75	106.46	106.46	70.35	70.35	-	-	-	-	-	111.74	-	105.00
स्टार 40 वाट	8.50	8.50	5.56	5.56	8.04	8.04	-	-	-	-	6.30	5.84	6.00	5.30
स्टार 20 वाट	-	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.84	-	10.50

पेन

विद्यमान दर और 23.7.01 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला पेनों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	मॉडल विवरण	विद्यमान दर	निविदा दर
1	2	3	4
	रीनोल्ड पेन		
1.	बाल पेन 040	4.33	4.23
2.	बाल पेन 045	5.32	5.09
3.	बाल पेन 045 डिजाइन	8.20	8.48
4.	बाल पेन 045 एक्वा	6.21	5.94
5.	डब्ल्यू.बी.एम.	17.17	17.17
6.	परमानेंट मार्कर	12.82	12.56
7.	परमानेंट मार्कर (जम्बो)	17.17	17.21
8.	जोटर	14.86	14.42
9.	जोटर वॉल पेन रोलर टैक	20.86	20.86
10.	जोटर-वॉल पेन रोलर टैंक पा.	33.38	33.38
11.	जोटर-वॉल पेन एरोलर	33.38	33.38
12.	हाइलाइटर	12.82	12.82
13.	स्कैच पेन (12 का सैट)	52.31	57.58
	सैलो		
1.	क्रिस्टल सैलो	4.45	3.25

1	2	3	4
2.	पाइटैक जेल	12.95	12.75
3.	ग्रिप्पर	5.96	5.00
	रोटोमैक		
1.	बाल पेन पाइन 07 टी.सी.	4.50	3.66
2.	मिरर	2.40	2.20
3.	स्पीड	13.00	11.90
4.	जोटर पेन फॉइटर	12.50	10.58
	एड जेल		
1.	पिंगल 300	21.28	21.25
2.	एल.एफ. 100	8.53	8.50
3.	पी.जी. 500	23.76	23.80
	लक्जर		
1.	पाइलट पेन वी-5 लक्सर (810)	30.04	30.04
2.	हाइटेक लेसर 810 पाइंट	19.23	19.23
3.	वीन्ड लक्सर 811	28.85	28.85
4.	हाइलाइटर 5 नं. सैट 886	57.70	57.70
5.	ओ.एच.पी. मार्किट 968	62.39	62.39
6.	प्लास्टिक के कवर में पैक 12 रंग बिरंगे फाइबर टिप सैट 920 के स्कैच पेन	40.38	40.38
	कोरस		
1.	बॉल पेन स्क्रिप्ट फाइन कोरस (काला, नीला, लाल रंग)	4.42 रुपए	4.53 रुपए
	फ्लेयर		
1.	बाल पेन हाफ स्टील	13.76	12.74
2.	फ्लैयर 210 हाइलाइटर	12.84	11.76
3.	जोटर रिफिल नीला लाल काल	6.42	5.39
	केजीका		
1.	बाल पेन होल्डर 906	3.39	3.39

1	2	3	4
2.	बाल पेन होल्डर 950 गोल्डन	9.70	9.70
3.	बाल पेन होल्डर 950	11.64	11.64
4.	बाल पेन होल्डर 930	5.88	5.88
5.	जोटर रिफिल	3.63	4.12

टिप्पणी : दरों को अंतिम रूप दिया जाना है।

फोटो कॉपियर पेपर

पहले की दर और 25.2.2001 को खुली सीमित निविदा के मद्दे दरों को दर्शाने वाला फोटोकॉपियर का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	केन्द्रीय भंडार में स्वीकृत ब्रेंड	विद्यमान दर	ब्रेंड ऑफर	25.5.01 की निविदा के मद्दे प्राप्त दर
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स गेटवे स्पै. पेपर लि.	–	–	एस्क्वायर	44.99/कि.
2.	मैसर्स गोयल सेल्स का.	एस्क्वायर	44.99/कि.	ईमेज	41.18/कि.
3.	मैसर्स पी.के. पेपर ई.	हाईब्राइट	49.43/कि.	हाईब्राइट	49.43/कि.
4.	मैसर्स एम.सी. पेपर प्रा.लि.	एक्जेक्ट	62.72/कि.	एक्जेक्ट	61.65/कि.
5.	मै. उषा फर्टिलाइजर	जे.के. ब्रेंड	47.70/कि.	जे.के. ब्रेंड इ.जी.	47.70/कि. 42.33/कि.
6.	मै. गेटवे पेपर प्रा. लि.	–	–	स्वस्तिक डायरेक्टर	44.50/कि.
7.	मै. राज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर	आन्ध्रा मि.	45.57/कि.	आन्ध्रा मि.	45.57/कि.
8.	मै. इंडिया पेपर कन्वरटर	–	–	रायल मेगनम	35.20/कि.
				सैन्चुरी	41.50/कि.
				आन्ध्रा	42.40/कि.
				बिल्ट पावर	43.30/कि.
				जे.के. ब्रेंड	46.00/कि.
9.	मै. प्रिय दर्शनी	इम्प्रेशन	55.05/कि.	इम्प्रेशन	44.21/कि.
10.	मै. स्वरूप पेपर एजे.	सेन्चुरी	44.02/कि.	सेन्चुरी	43.33/कि.

1	2	3	4	5	6
11.	मै. करम चन्द्र थापर	कॉपी पावर	44.13/कि.	कॉपी पावर	44.13/कि.
				इमेज कॉपीयर	38.32/कि.
				ग्लोबस मेगनम	53.15/कि.

विवरण III

बल्बों और ट्यूब लाइटों की दरें दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

कम्पनी की दरें (रुपए में)

क्र.सं.	मद	फिलिप्स		ई.सी.ई.		विप्रो		क्रॉम्पटन ग्रीव्स	
		पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब	पहले	अब
1.	100 वॉट का बल्ब	9.84	9.84	8.35	7.34	7.79	7.79	–	7.89
2.	60 वॉट का बल्ब	9.02	9.02	8.35	7.17	7.37	7.37	–	7.67
3.	40 वॉट का बल्ब	9.02	9.02	7.88	7.17	7.37	7.37	–	7.67
4.	ट्यूब लाइट 4''	42.39	42.39	36.87	32.75	35.50	35.50	–	36.84
5.	ट्यूब लाइट 2''	40.65	40.65	36.87	32.75	34.73	34.40	–	33.11

लेखन सामग्री हेतु निविदाएं

5606. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार ने लेखन सामग्री और अन्य मदों के लिए इस शर्त के साथ सीमित और खुली निविदाएं आमंत्रित की है कि केवल प्रतिष्ठित विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत वितरकों को ही वरीयता दी जाएगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे बोलीदाताओं की निविदाओं पर भी विचार किया गया था, जो विनिर्माताओं, विशेषत: मैसर्स बाम्बे डाइंग एंड मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, मुबंई के मामले में, से प्राधिकृत नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बोलियों को प्रथम दृष्टया ही क्यों अस्वीकृत नहीं किया गया;

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या बाम्बे डाइंग एंड मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के उत्पाद 'ब्रांड नाम' वाली मदों की श्रेणी में आते हैं;

(च) यदि हां, तो इन ब्रांड नाम वाले उत्पादों के लिए निविदा क्यों आमंत्रित की गई; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। केन्द्रीय भंडार ने तौलिए सहित, कई मदों की आपूर्ति की निविदाएं आमंत्रित की हैं। तौलिए की निविदा में यह अनुबंधित था कि प्रतिष्ठित निर्माता

अथवा उनके प्राधिकृत वितरक को तरजीह दी जाएगी। 'केवल' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) मिल में निर्मित बॉम्बे डाइंग अथवा समतुल्य ब्रैंड के सुविधाजनक तुर्की तौलियों के संबंध में निविदा आमंत्रित की गई। निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रयोजन ग्राहकों को एक ही ब्रैंड के विभिन्न वितरकों से स्पर्धात्मक दरें हासिल करने में समर्थ बनाना था और यदि संभव हो तो अन्य निर्माताओं से, समतुल्य उत्पादों की दरें हासिल करना था।

(छ) (च) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

5607. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 2001 के इंडियन एक्सप्रैस में ''देयर्ज़ गुड न्यूज फॉर दोज़ इन गवर्नमेंट हू हैव ए कंसाइंस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय भण्डार में बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में एम.ओ.एस. (पी.पी.) को पत्र लिख कर इनका भंडाफोड़ किया था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ;

(घ) एम.ओ.एस.(पी.पी.) के पास कार्रवाई/प्रत्युत्तर के लिए लंबित पड़े माननीय सदस्यों के पत्रों/शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इनका निपटान कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय भण्डार में की जा रही अनियमितताओं का भंडाफोड करने का प्रयास करने वाले कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं को तंग किया जा रहा है और उन्हें कोई क्रयादेश भी नहीं दिए जा रहे है; और

(च) यदि हां, तो लोक हित में अनियमितताओं का भंडाफोड करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। जब कभी संविधान-समीक्षा-आयोग की सिफ़ारिशें मिल जाएगा और सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगीं, उन पर, सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) जी, नहीं। संसद-सदस्यों से प्राप्त प्रत्येक पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और उनके प्रत्येक पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(घ) संसद-सदस्यों से बहुत से पत्र/शिकायतें मिली हैं। ऐसे सभी पत्रों के उत्तर शीघ्रता से भेजे जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) (ङ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों की सूची

5608. श्री विजय गोयल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली चिकित्सा परिषद पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सूची बनाने जा रही है और जरूरतमंद रोगी अपने क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों हेतु परिषद कार्यालय को फोन कर सकते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, और

(ग) पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों की सूची को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार यह दिनांक 2 जुलाई, 2001 से प्रारम्भ ''डेटा बैंक डेल डॉक'' के माध्यम से आम जनता को परिषद द्वारा पंजीकृत डाक्टरों के नाम, उनकी योग्यता, टेलीफोन नम्बर, कार्य करने के स्थान के बारे में सूचना प्रदान कर रहे है। इसके अलावा दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद, जब भी यह सूचना मांगी जाती है, टेलीफोन पर दे रही

है। परिषद इस सूचना को एक बेवसाइट पर लाने की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जनता को सूचना देने के लिए परिषद एक पुस्तिका भी निकालेगी।

एड्स रोगी

5609. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स रोगियों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और सफदरजंग अस्पताल द्वारा अवहेलनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) एड्स रोगियों के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया दिखाने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में अस्पतालों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में एच.आई.वी./एड्स के रोगियों का भेद-भाव किए बिना उपचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) जी हां। तो एच आई वी/एड्स के रोगियों के नैदानिक उपचार के बारे में ब्यौरा-वार दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय नागरिकों को मताधिकार

5610. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विदेश मंत्री** 15.7.96 के अतारांकित प्रश्न सं. 480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश के भारतीय अंत:क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों को मताधिकार के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन भारतीय नागरिकों को यह मताधिकार प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) सरकार को बंगलादेश में भारतीय एनक्लेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकार के मामले की जानकारी है। भारत का बंगलादेश में भारतीय एनक्लेवों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण या पहुंच नहीं है। उनका भारत बंगलादेश भू सीमा करार 1974 के अनुसार आदान-प्रदान किया जाना है। एनक्लेवों के आदान-प्रदान का मामला भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के संयुक्त सीमांकन के पूरा होने से सीधा जुड़ा है। भारत-बंगलादेश भू सीमा का लगभग 6.5 कि.मी. का संयुक्त सीमांकन अभी पूरा होना बाकी है। भारत सरकार सीमा से सम्बद्ध सभी मसलों के शीघ्र निपटान की इच्छुक है और दोनों सरकारों ने लम्बित मसलों पर बातचीत करने के लिए दो संयुक्त सीमा कार्यदलों की स्थापना की हैं जिनमें केन्द्रित और प्रणालीबद्ध तरीके से सीमांकन कार्य को पूरा किया जाना, और प्रति अधिकार वाले एनक्लेवों और क्षेत्रों का आदान-प्रदान शामिल है। इन दलों की पहली बैठक जुलाई 2001 में ढाका में सम्पन्न हुई।

सियाचीन संबंधी वार्ता

5611. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सियाचीन संबंधी वार्ता के लिए सेना के अधिकारियों को पाकिस्तान भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सियाचीन समस्या को सुलझाने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं। अच्छे पड़ोसीनुमा संबंधों की सारी चाहत को ध्यान में रखते हुए तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (14-16 जुलाई, 2001) से पूर्व अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 6 जुलाई, 2001 को सैन्य प्रचालन के महानिदेशक को पाकिस्तान के अपने समकक्ष के साथ बैठक करने का निर्देश

दिया ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक भू स्थित रेखा पर शांति प्रक्रिया को मजबूत एवं स्थिर किया जा सके। पाकिस्तान के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसीनुमा संबंध स्थापित करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत ने 1998 में संयुक्त वार्ता प्रारम्भ की थी। जिसके लिए विश्वास बनाने, सहयोग का स्थापी ढांचा तैयार करने तथा बकाया मसलों को हल करने की आवश्यकता है। संयुक्त वार्ता के अन्तर्गत सी बी एम, जम्मू और कश्मीर, तुलबुत नौवहन परियोजना, सरक्रीक, आतंकवाद और नशीले पदार्थों का व्यापार, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, और विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान सहित शांति और सुरक्षा के विषयों के अतिरिक्त सियाचिन विषय पर सीधी द्विपक्षीय वार्ता शामिल है।

बदले गए मानचित्र

5612. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 9 जुलाई, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक मानचित्र में अक्सई-चीन को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस मानचित्र में भारत की बाहरी सीमाओं का सही चित्रण नहीं है।

मिग के बारे में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निष्कर्ष

5613. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने मिग-21 के सौदे में संविदा का उल्लंघन किये जाने और पुराने हथियारों का हस्तांतरण किये जाने जैसे खराब निर्णयों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निर्णय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा लिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख है कि निर्माता ने संविदा के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भुगतान पर जोर दिया तथा यह कि निर्माता ने कतिपय हथियारों की पुरानी प्रणोदकों के साथ आपूर्ति की है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1992 में एक संयुक्त प्रौद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन किया गया था तथा मिग बिस विमान के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव को समग्र तथा किफायती पाया गया था जिसे सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

केन्द्रीय भण्डार

5614. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भण्डार में उच्च दरों के बारे में 18.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4719 के उत्तर के संबंध में, जिसके भाग (क) में कहा गया था कि केन्द्रीय भण्डार अपने आपूर्तिकर्त्ताओं से यह वचनबद्धता प्राप्त करेगा कि वह केन्द्रीय भण्डार को दिए गए कोटेशन से कम कीमत पर वस्तुओं की बिक्री नहीं करेंगे, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण इस आधार पर समाप्त करने के क्या कारण हैं कि उन्होंने बाजार दरों से अधिक दरें प्रभारित कीं जबकि आपूर्तिकर्त्ताओं ने वस्तुओं की आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार द्वारा अनुमोदित दरों पर की थी;

(ख) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर संविदा, 2000 की निर्देशिका के आमुख के उप पैरा 5 में सरकारी विभागों के लिए अपनी आवश्यकताओं को केवल दर संविदा के माध्यम से प्राप्त करने को अनिवार्य बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार फिलिप्स ब्राण्ड नाम की ट्यूब लाइटों और बल्बों को आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर संविदा से अधिक दरों पर क्यों खरीदता रहा है।

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय भण्डार द्वारा आपूर्ति की जा रही वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक दरें अनुमोदित करता है।

इसके साथ-साथ केन्द्रीय भण्डार द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से यह वचन-पत्र लिया जाता है कि वे किसी अन्य ग्राहक को केन्द्रीय भण्डार को प्रस्तावित दरों से कम दाम पर आपूर्ति नहीं करेंगे/कम दरें उद्धृत नहीं करेंगे। कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं ने उपर्युक्त वचन-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया और इसलिए उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) जहां-कहीं, आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय ने दर-संविदा-करार किया है, केन्द्रीय भण्डार आपूर्तिकर्त्ताओं से उसी दर के बराबर कीमत पर आपूर्ति करने का आग्रह करता है और उसमें केन्द्रीय भण्डार के कार्यालय खर्च और कर्मचारियों के वेतन आदि से बंधा खर्च उठाने के लिए थोड़ा सा मुनाफा जोड़ दिया जाता है, जो कि आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय के मामले में नहीं है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भण्डार आमतौर पर एक से अधिक ब्रैंड की वस्तुएं रखता है तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसन्द की ब्रैंड की आपूर्ति करता है। यदि उपभोक्ता अपनी कोई पसन्द नहीं दर्शाता तो अपेक्षाकृत कम कीमत की ब्रैंड की आपूर्ति कर दी जाती है।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय समिति

5615. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2001-2002 हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर अति पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत सरकार क्रीमी लेयर के अपवर्जन के अध्यधीन अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण पहले से ही प्रदान कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत सरकार क्रीमी लेयर की अवधारण को लागू करके तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए आय सीमा निर्धारित करके पहले ही सुनिश्चित कर रही है कि आरक्षण तथा विभिन्न विकास संबंधी योजना का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों के अत्यन्त जरूरतमंद व्यक्तियों को मिले ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्रतिभूति जमा किया जाना

5616. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार, जो एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है, में पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से बिक्री की एक मद के लिए 25,000 रुपए और दो या अधिक मदों के लिए 50,000 रुपए की दर से प्रतिभूति राशि जमा कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, जो कि सरकारी खरीद के मामले में नीति निर्माता और सलाहकार है, अपने पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से किसी प्रकार की प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है;

(ग) क्या आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तदर्थ निविदाओं में भाग लेने वाले अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से किसी प्रकार की प्रतिभूमि जमा राशि की मांग नहीं करता है जबकि केन्द्रीय भण्डार दर संविदाओं के निर्धारण के मामले में अपने पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से प्रतिभूति जमा राशि की मांग करता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय भण्डार मांगी गई प्रतिभूति राशि की शर्तों के अनुसार बिक्री की गारंटी उपलब्ध नहीं कराता है; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्रतिभूति राशि की मांग किए जाने के बारे में पूरे मामले की जांच के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्यीय सहकारी समितियां से आग्रह किए जाने का कोई विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। फिर भी, आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण की स्थिति पर गौर किए बिना सभी आपूर्तिकर्त्ताओं से तदर्थ संविदाओं के संबंध में संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि (निष्पादन-प्रतिभूति) ली जाती है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार, खुली निविदाओं के संबंध में सभी प्रतिभागियों से बयाना जमा राशि की अपेक्षा करता है। यह अपेक्षा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(घ) और (ङ) आपूर्तिकर्त्ताओं से बयाना-जमा राशि मांगने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्तिकर्त्ता निविदाएं खोले जाने के बाद अपने द्वारा की गई पेशकश वापस नहीं ले लें। इस जमा राशि का बिक्री-गारंटी से कोई संबंध नहीं है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार

5617. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी विभागों द्वारा केन्द्रीय भंडार लेखन सामग्री और अन्य मदों, जहां मदें अपने ब्रांड नाम से विनिर्दिष्ट न हो, के लिए प्रस्तुत किए गए मांग-पत्रों की तुलना में केन्द्रीय भंडार ब्रांड वाली वस्तुओं को प्रतियोगी मूल्यों पर जारी करने की बजाय अन्य मदों को जारी करता है जिसमें उनका अपना निहित स्वार्थ होता है;

(ख) क्या गत छ: महीनों के दौरान केन्द्रीय भंडार द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी मांग पत्रों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है कि ताकि केन्द्रीय भंडार द्वारा उसमें की गई हेराफेरी का पता लगाया जा सके;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकारी विभागों द्वारा मांगी गई मदों की दरों को कोट करने की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है; और उन मदों की दरें वहीं कोट की जाती हैं जहां केन्द्रीय भंडार का निहित स्वार्थ होता है;

(ङ) क्या कुछ सदस्यों ने इस संबंध में विशेष हवाले देते हुए मंत्री को पत्र लिखे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग-मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय भंडार, सरकारी विभागों के मांग-पत्र के अनुसार, मदों/ब्रैंडों की बिक्री करता है। जब किसी मांग-पत्र में किसी ब्रैंड विशेष का उल्लेख नहीं होता, तब भंडार में उपलब्ध, निम्नतम दर के मदों की आपूर्ति कर दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (क) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।

(घ) केन्द्रीय भंडार, अपने यहां उपलब्ध मदों की दरें, अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अनुमोदित दरों के अनुरूप उद्धृत करता है।

(ङ) और (च) इस बारे में संसद-सदस्यों को उपयुक्त उत्तर दे दिए गए हैं।

विकास केन्द्रों की स्थापना

5618. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अमेरिकी आधारित सी.एस.सी. शत प्रतिशत सहायक कम्पनी कम्प्यूटर साइन्स कॉर्पोरेशन इंडिया का विचार भारत में दो अपतटीय विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों की स्थापना कहां-कहां की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन नए केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) मैसर्स कम्प्यूटर साइंस कार्पोरेशन इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड जिसे पहले पालिसी मैनेजमेंट सिस्ट्म्स (आई) प्रा.लि. (पीएमएसआई) के नाम से जाना जाता था, जो पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्ट्म्स कार्पोरेशन (पीएमएससी), कोलम्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी है, ऑप्टेल सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इन्दौर में एसटीपी योजना के अंतर्गत एक अपतटीय विकास इकाई है। इस कम्पनी ने मई, 1997 से कार्य करना शुरू किया और इसमें इस समय लगभग 240 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इस मंत्रालय/औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग को इस कम्पनी से कोई अन्य प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

यू.पी.एस. इन्वर्टरों, बैटरियों और स्टैबलाइजरों की बिक्री

5619. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यू.पी.एस. इन्वर्टरों, बैटरियों, स्टैबलाइजरों इत्यादि के आपूर्तिकर्त्ताओं से केन्द्रीय भण्डार द्वारा सरकारी कार्यालयों में उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कहा जाता है और उनकी देय राशि का भुगतान सरकारी विभागों से भुगतान की वसूली किए जाने के पश्चात् ही किया जाता है और केन्द्रीय भण्डार इन मदों का अपने पास स्टॉक नहीं रखता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार आपूर्तिकर्त्ताओं से इन तथा अन्य मदों का उचित और तर्कसंगत मूल्य किस तरह प्राप्त करने की आशा करती है;

(ग) केन्द्रीय भण्डार द्वारा उन मदों की खरीद करने जिनकी आवश्यकता नहीं है, को रोकने और बेकार का सामान स्टॉक में रखने तथा स्वयं सामान की बिक्री करने और निर्धारित अवधि में आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय भण्डार को निदेश जारी न करने का क्या औचित्य है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) इन मदों के बारे में दर-संविदा, आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय के पैटर्न पर जारी की गई है। ये दरे, आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय की कीमतों से प्रतिस्पर्द्धापूर्ण हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय भण्डार, आपूर्तिकर्त्ताओं से, इस आशय का, कीमत की गारन्टी का वचन-पत्र भी लेता है कि वह किसी भी अन्य ग्राहक को अपेक्षाकृत कम कीमत पर सामान नहीं बेचेगा।

(ग) और (घ) जगह की कमी के कारण केन्द्रीय भण्डार द्वारा सभी मदों का रखा जाना संभव नहीं है। जहां तक आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने का संबंध है, ऐसा करना तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि वस्तुओं की बिक्री नहीं हो जाए और ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाए। फिर भी, शीघ्र भुगतान किया जाना प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार ने अग्रिम रूप से भुगतान अथवा माल दिए जाने पर ही भुगतान कर दिए जाने के मामले में ग्राहकों को 2% की विशेष छूट का प्रावधान किया है।

केन्द्रीय भण्डार

5620. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ने बैंक में एफ.डी.आर.एस. में करोड़ों रुपए जमा करवाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धन के स्रोत क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से सावधि जमा-रसीदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है।

विटामिन ए अनुपूरण

5621. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विटामिन ए अनुपूरण की नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विटामिन-ए अनुपूरण की दो खुराकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार ने स्कूल जाने की आयु से पूर्व आयु के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन-ए के सेवन के लाभों और निरापदता पर सितम्बर 2000 में विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था। इस परामर्श में अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकला कि देश में क्लिनिकल विटामिन-ए की कमी के परिमाण में कमी आई है, लेकिन छुट-पुट क्षेत्रों में यह मौजूद है। यह संस्तुति की गई थी कि 9 माह से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को विटामिन-ए की जांच खुराकों का सेवन जारी रहना चाहिए। यह भी संस्तुति की गई कि गर्भवती/स्तनपान कराने वाली ऐसी महिलाओं का इलाज विटामिन-ए की समुचित खुराकों से किया जाना चाहिए जिन्हें रतौंधी हो। विटामिन-ए की कमी को सतत रूप से समाप्त करने के लिए विटामिन-ए से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपभोग करने को लोगों, विशेषरूप से गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में जोरदार ढंग से बढ़ावा देना चाहिए। इस परामर्श में यह भी सिफारिश की गई कि विटामिन-ए के सेवन को पल्स पोलियो टीकाकरण जैसे अभियानों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाए विटामिन-ए कवरेज में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा पूर्व में किए गए गहन नैदानिक और क्षेत्र परीक्षणों से पता चलता है कि तेल में विटामिन-ए की 2,00,000 आई यू के मिश्रणीय रूप का जब 1-5 वर्ष की आयु के बच्चों को मुख से सेवन कराया गया तो उससे न केवल केरेटोमलेशिया की रोकथाम हुई बल्कि बिटॉट स्पॉट्स की व्याप्तता में 75 प्रतिशत की कमी आई। हैदराबाद और सिकन्दराबाद की मलिन बस्तियों में 60,000 से अधिक बच्चों में किए गए एक बड़े पांच वर्षीय देशान्तरीय क्षेत्र परीक्षण से पता चलता है कि विटामिन-ए की मुंह से ली गई छः माही खुराकों के सेवन से कार्नियल जीरोप्थलमिया की घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। आठ राज्यों के उन्हीं गांवों में किए गए राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो के फिर से किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि स्कूल जाने की आयु से पूर्व आयु के बच्चों में विटॉट स्पॉट्स की घटनाएं 1975-79 में 1.8 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 में 0.7 प्रतिशत हुई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए 17 अक्तूबर, 2000 की तारीख नियत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4067/2001]

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सूचना और प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) साइबर विनियम अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000 जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4068/2001]

(3) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 88 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790(अ) जो 17 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सदस्यों से मिलकर बनी साइबर विनियमन सलाहकार समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4069/2001]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अली यावर जंगल नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हीयरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंगल नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हीयरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4070/2001]

(3) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4071/2001]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर विजुअलि हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर विजुअलि हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4072/2001]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4073/2001]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेन्टली हैण्डीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेन्टली हैण्डीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4074/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूँ।

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 42-छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4075/2001]

2. विवरण संख्या 27-तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4076/2001]

ग्यारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 23—दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4077/2001]

4. विवरण संख्या 22—तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4078/2001]

5. विवरण संख्या 22—चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4079/2001]

6. विवरण संख्या 19—पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4080/2001]

बारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या 18—दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4081/2001]

8. विवरण संख्या 15—तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4082/2001]

तेरहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या 11—दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4083/2001]

10. विवरण संख्या 10—तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4084/2001]

11. विवरण संख्या 6—चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4085/2001]

12. विवरण संख्या 4—पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4086/2001]

13. विवरण संख्या 3—छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4087/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बठक में पारित किये गये संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 28 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 16 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति श्री एन. थलवी सुन्दरम, द्वारा राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति शेष अवधि के लिये सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और प्रस्ताव करती है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करे।"

मुझे आगे लोक सभा को सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री आर. कामराज, राज्य सभा सदस्य अक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित हुये हैं।

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नारायणदत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं ''संसदीय वित्त नियंत्रण को नजरअंदाज करना'' के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02½ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां से उन्नीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) औषधों/भेषजों का मूल्य निर्धारण और उनकी उपलब्धता संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(दो) ''कृषक भारती कोओपरेटिव लिमिटेड (कृभको)'' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के नौवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सोलहवां प्रतिवेदन।

(तीन) पोटाश/पोटाशीय उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और आयात के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(चार) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2000-01) के तेरहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अठारहवां प्रतिवेदन।

(पांच) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अुदानों की मांगों (2001-02) के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन सबंधी स्थायी समिति (2001) के चौदहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारतीय रेल हेतु व्यपगत न होने वाली एक विशेष रेल सुरक्षा निधि की स्थापना

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि रेलों पर यात्रा संबंधी संरक्षा लगातार चिंता का एक विषय रहा है और विभिन्न मंचों पर इस संबंध में विचार-विमर्श होता रहा है। रेलवे संरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए विगत में अनेक उच्च स्तरीय जांच समितियां, यथा, शाहनवाज समिति (1954), कुंजरू समिति (1962), वांचू समिति (1968), सीकरी समिति (1978) गठित की गई थीं। हाल ही में, न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति (1998) द्वारा भी इस संबंध में जांच की गई है। रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति ने अगस्त, 1999 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और फरवरी, 2001 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न तकनीकी उपायों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि यात्रियों की संरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रेलों को एक बारगी

अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि 5 से 7 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में महत्वपूर्ण संरक्षा उपस्करों के नवीकरण के बकाया कार्यों को पूरा किया जा सके। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव संबंधी बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रेलों को 15,000 करोड़ रुपए का एक बारगी अनुदान दिया जाए। मौजूदा मूल्य स्तर पर इन गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए पुन: आकलन करने पर अब 17,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

सरकार इस मुद्दे से अवगत रही है और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 27 अगस्त, 2001 को मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति खन्ना समिति द्वारा यथा संस्तुत निर्धारित समय-सीमा में रेलों पर परिसंपत्तियों के बदलाव संबंधी बकाया कार्यों के पूरा करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। इस विशेष रेलवे संरक्षा निधि के लिए धन की व्यवस्था दो स्रोतों अर्थात (1) यात्री यातायात पर संरक्षा अधिभार लगाकर रेलवे के अंशदान से और (2) वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता के माध्यम से की जाएगी।

यह आशा की जाती है कि संरक्षा अधिभार की वसूली से रेलें मौजूदा वित्त वर्ष सहित 6 वर्षों की अवधि में 5000 करोड़ रुपये जुटाने में सफल होंगी जिसे नव स्थापित व्यपगत न होने वाली विशेष रेलवे संरक्षा निधि में जमा कर दिया जाएगा। शेष 12000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय इस निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है। शेष राशि की व्यवस्था आगामी 5 वर्षों के दौरान की जाएगी।

संरक्षा अधिभार एक फ्लैट राशि के रूप में 500 कि.मी. तक की दूरी की यात्रा पर कतिपय अधिभार और 500 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा के लिए उच्चतर अधिभार के रूप में यात्रा के दर्जे के आधार पर वसूल किया जाएगा। दूसरा दर्जा (साधारण) और दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) के यात्रियों को क्रमश: एक रुपया और 2 रुपये की दर से भुगतान करना होगा, भले ही यात्रा की दूरी कितनी ही हो। शयनयान श्रेणी में यह अधिभार 500 कि.मी. तक की दूरी के लिए 10 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक तक की दूरी के लिए 20 रुपये होगा। वातानुकूल कुर्सीयान और पहले दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह अधिभार 500 कि.मी. तक के लिए 20 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 40 रुपये होगा। वातानुकूल 3-टीयर में यह अधिभार 500 कि.मी. तक के लिए 30 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये, वातानुकूल 2-टियर में 500 कि.मी. तक के लिए 40 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 80 रुपए तथा वातानुकूल प्रथम श्रेणी में 500 कि.मी. तक के लिए 50 रुपये और 500 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 100 रुपये होगा। जहां तक मासिक सीजन टिकटों का संबंध है, यह अधिभार पहले दर्जे के लिए 20 रुपये और दूसरे दर्जे की यात्रा के लिए 10 रुपए होगा। यह अधिभार 1 अक्टूबर, 2001 से लगाया जाएगा।

इस व्यपगत न होने वाली विशेष रेलवे संरक्षा निधि के सृजन से रेलें समयबद्ध तरीके से परिसंपत्तियों के बदलाव के अपने बकाया कार्यों को पूरा करने में सफल हो सकेंगी, जिसके परिणामस्वरूप रेल यात्रियों की संरक्षा में पर्याप्त सुधार होगा।

इन बकाया कार्यों की पहचान करने का काम अंतिम अवस्था में है। विस्तारित रेलवे बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बदलाव संबंधी ये बकाया कार्य ही इस निधि को प्रभारित होंगे और ग्रीन बुक नामक स्वीकृत परियोजनाओं की एक पृथक पुस्तक में समाविष्ट किए जाएंगे।

अपराह्न 12.06 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्य काल' के अंतर्गत चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, क्या आप माननीय रेल मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, हमारे अनेक राज्यों में अत्यंत गरीब लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और इस सत्र के दौरान अनेक लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं यह आश्चर्य की बात है कि वे ऐसी दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं जबकि हमारे अन्न भंडार खाद्यान्न से ठसाठस भरे हैं और सिर्फ यही नहीं वास्तव में भारी मात्रा में खाद्यान्न सड़ रहे हैं।

यह बिल्कुल दिल को दहला देने वाली घटना है कि आज भी भुखमरी के कारण मौतें हो रही हैं। यह और भी दर्दनाक बात है कि ये घटाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब हमारे गोदामों में लगभग साठ मिलियन टन का बफर स्टाक पड़ा है। हमें विश्वास है कि यह पूरी तरह से, गलत योजना, कुप्रबंधन और खराब वितरण प्रणाली के कारण हुआ है। युद्ध-स्तर पर संचालन के बजाय सरकार सुस्त रही है और शायद मूकदर्शक भी रही है। इस अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर जो कि दिनोंदिन बदतर होती जा रही है और जैसाकि हम खबरों में देखते हैं और प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं। हमारी मांग है कि सरकार को हमारे देश के विभिन्न राज्यों के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए तुरंत अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। बहुत पहले 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मुख्यमंत्रियों सहित विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिये गये हैं। मैं जानती हूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एक सुझाव दिया था कि सरकार को खाद्यान्न बैंक की स्थापना करनी चाहिए।

लेकिन स्पष्टतया यह सुझाव भी अनसुना रह गया। कई महीनों से संकट गहराता जा रहा है और कोई उपाय नहीं किये गये हैं। हम समझते हैं कि सरकार द्वारा खाद्यान्न को और बर्बाद करने से पहले भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु एक स्पष्ट और ठोस नीति तैयार करनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से मांग करती हूं कि सरकार इस ज्वलंत मुद्दे की ओर तत्काल और तुरंत ध्यान दे। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं इस संबंध में माननीय प्रतिपक्ष नेता का समर्थन करता हूँ। *...(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैंने इस विषय पर एक सूचना दी है और इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की तरफ से भी यह गम्भीर सवाल उठाया गया है। आज से नहीं, लगातार—उड़ीसा के बारे में आज का 'टाइम्स आफ इंडिया' अखबार पढ़ लिया होगा, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में भी *...(व्यवधान)* पूरे के पूरे देश में भुखमरी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर मामला है। कृपया इसे समझें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं पूरे देश की बात कह रहा हूं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, गुजरात में भी यही स्थिति है। गम्भीर मामला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अफसोसजनक बात यह है कि गोदाम गेहूं, चीनी, चावल और अन्य खाद्यान्नों से भरे पड़े हैं। इनके रखरखाव पर इनके द्वारा प्रतिदिन 30 से 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। पता चला है कि 35 फीसदी अनाज खराब हो गया है। क्या वजह है कि विदेशी धनी देशों के दबाव में यह फैसला कर लिया है कि हिन्दुस्तान के लोगों को भूखों मरने दो, पहले बजट घाटे को पूरा करो। इसी तरह से महाराष्ट्र के अन्दर आदिवासी बच्चे भूख के कारण एक साल के अन्दर 800 मर चुके हैं। एक महिला बिहार की कलकत्ता गई थी, अपनी एक साल की बच्ची को लेकर, कि शायद वहं मेरा और मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा, लेकिन भरा नहीं, तो चौराहे पर बच्चे को गोद में लेकर रोने लगी कि मेरे बच्चे को बचाओ। हमें मरने दो। बच्चा बेचना पड़ा है मात्र 300 रुपए में। आज उड़ीसा की हालत यह है कि एक-एक बच्चे को 3000 रुपए में पेट भरने के लिए बेचा जा रहा है, लड़कियों को 5-5 हजार में बेचा जा रहा है। मजदूर अपनी पत्नियों को बंदी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसमें अकेले उड़ीसा नहीं है, सब जगह ऐसा हो रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, वह उड़ीसा के संबंध में कैसे बात कर सकते हैं? वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

श्री खारबेल स्वाईः महोदय, हम उड़ीसा के सदस्यों ने नोटिस दिया है। कालाहांडी के माननीय सदस्य श्री बिक्रम केशरी देव ने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएँ। मैं उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जो नोटिस दे चुके हैं। कृपया इस बात को समझें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री खारबेल स्वाईं, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं उन सदस्यों के नाम बोल रहा हूँ जो 'शून्य काल' के लिए नोटिस दे चुके हैं। आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः महोदय, मैं आपसे कह रहा था, आज भूख के कारण बच्चे, बेटियां बेची जा रही हैं। पत्नियों को बन्दी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी बहनें पेट भरने के लिए अपनी आत्मा एवं देह बेचने को विवश हो रही हैं तथा आत्महत्याएं कर रही हैं। एक बात मैंने अभी बताई, एक बहन ने अपने बच्चे को जिन्दा रखने के लिए 300 रुपए में बेच दिया। यह हालत क्यों है? मैने कहा कि विदेशी कम्पनियां धनी देशों के दबाव में हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी तो हम लोगों को जनता में यह घोषणा करनी पड़ेगी कि आत्महत्याएं मत कीजिए, कायरता का काम मत कीजिए। इन गोदामों में भी खाद्यान्नों का ताला तोड़ने के लिए जनता को मजबूर करना पड़ेगा। इन्हें भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। यह स्थिति आने वाली है, सरकार को समझ लेना चाहिए। फिर हम जैसे लोग यही कहेंगे कि आत्महत्या मत करो, सरकार की, पुलिस की गोली से मरना ठीक है परन्तु आत्महत्या करना ठीक नहीं। आपने हरिद्वार और बागपत में मार दिए। निर्दोष जनता पर गोलियां चल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव जी, अन्य सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, ये मुझे समाप्त नहीं करने दे रहे हैं। हम हीं चाहते हैं कि यह स्थिति आए। गुजरात में भूकम्प की त्रासदी हुई और उसी गुजरात में अब भुखमरी है। यह बात सही है कि अनाज आपके पास न होता तो भी इंतजाम करना पड़ता, लेकिन क्या वजह है कि 35 फीसदी खाद्यान्न सड़ रहा है। क्या दबाव है, क्या मजबूरी है और कौन मजबूर कर रहा है? मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर पेट भरने की व्यवस्था नहीं की गई देश में भुखमरी फैल जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि देश में अनाज गोदामों में भरा पड़ा है तो फिर भुखमरी क्यों है? आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। जनता भूख से मरेगी, आत्महत्याएं करेंगी तो हम जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। हम इन्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। ताला तोड़ना पड़ेगा और इन्हें चीनी, चावल और गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न खाने के लिए देना पड़ेगा। हम इनका पेट भरवाएंगे, ताला तोड़कर भूखे और गरीबों में खाद्यान्न बांटा जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप यह स्थिति मत आने दीजिए। इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. खूंटे (सारंगढ़): महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री पी.आर. खूंटेः महोदय, मैं पिछले तीन दिनों से शून्यकाल के लिए नोटिस दे रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता।

अध्यक्ष महोदयः मैं सोमनाथ जी के बाद आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देवः महोदय, यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है, के.बी.के. ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसका संबंध अन्य क्षेत्रों से भी है। मैं आपका नाम भी बोलूँगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं अपने माननीय मित्र की इस मामले को उठाने की चिंता को समझ सकता हूँ जिसे किसी पक्ष विशेष का मामेला नहीं समझा जाना चाहिए। हम किसी पक्ष विशेष का मामला नहीं मान रहे हैं। यह हमारे देश के लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न है। दुर्भाग्यवश, महोदय, जो भी स्थिति है उसका असर संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पर पड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा है और न्यायपालिका ने इस मामले में निदेश जारी किये हैं।

महोदय, हम इस मामले को समय-समय पर उठाते रहे हैं। उस दिन जब हम विनिवेश के विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि वे विनिवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं लेकिन उन्हें देश की स्थिति पर भी नजर डालनी चाहिए। इसलिए, हमने कहा कि कतिपय निर्णय करने का यह अनुचित ढंग है क्योंकि गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन लोग मर रहे हैं। यह एक कालदोष है जो हमने प्रणाली में विकसित किया है कि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है जबकि भोजन उपलब्ध है।

महोदय, आयात किया जा रहा है। कल, हमें यह रिपोर्ट मिली कि थाइलैंड, इंडोनेशिया और बर्मा से चावल का सस्ते मूल्य पर आयात किया जा रहा है। अब, हमारे कृषकों को अपने उत्पाद बेचने में भी दिक्कत आ रही है। विश्व व्यापार संगठन और भूमंडलीकरण के नाम पर, सरकार किस तरह की नीति अपना रही है सस्ते मूल्य का चावल आ रहा है और हमारा चावल बिक नहीं रहा है। चावल गोदामों में भरा है लेकिन इसे जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

जहाँ तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध है, यह बहुत उपयोगी रहा है, विगत में इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा की है और इससे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। वर्ष 2001 में, अब हमें सभा के भीतर चिल्लाना भी पड़ेगा कि देश में अपने लोगों को भोजन दो।

यह लज्जाजनक स्थिति है। मैं राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि इससे राजनीति के कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस समय मैं उन मुद्दों की चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसे पूर्णतः पार्टी का मुद्दा न समझें।

मुझे खुशी है कि विपक्ष की नेता ने इस विषय को प्राथमिकता दी है। इसीलिए मैं तत्काल हस्तक्षेप करने और नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध कर रहा हूँ।

मैं आधा मिनट और लूंगा तथा अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभा के बीचोंबीच आने से ही व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। आप यह देखें कि कार्य का संचालन उचित रीति से किया जा रहा है। आज मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का किसी में समझबूझ उत्पन्न करने के प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, हरिद्वार का मामला बहुत गंभीर है *...(व्यवधान)* हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया है।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में आज यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भुखमरी से अथवा आम की गुठली अथवा कुपोषण से मरे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है और इस विषय पर मैं विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार से निश्चित रूप से सहमत हूं। फिर भी, सारा दोष सरकार पर ही नहीं मढ़ देना चाहिए क्योंकि लम्बे समय तक, कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में सत्ता में थी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): आपके सहयोगी दल उड़ीसा में सरकार चला रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, आप कृपया यह समझें कि उन्होंने उड़ीसा में सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। यह सब क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में पहली बार भुखमरी से हुई मौतों के मामले प्रकाश में आये थे। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): विपक्ष की नेता ने कई राज्यों में व्याप्त स्थिति के बारे में बात की और केवल उड़ीसा सरकार के बारे में बात नहीं की। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक गंभीर विषय है।

श्री बिक्रम केशरी देव: अत:, हमारी सरकार भी के.बी.के. जिलों में गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने इन क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि इसे तत्काल कार्यान्वित करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। मैं मार्क्सवादी पार्टी के नेता के विचार से सहमत हूँ कि इस मामले पर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक मानवीय विषय है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप यह समझें कि वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: अत:, मैं अध्यक्षपीठ से जहाँ भी विभीषिका देखी गयी है उन क्षेत्रों में तत्काल और आपाती कार्रवाई करने का विनिर्णय देने का भी अनुरोध करता हूँ। हमारी सरकार इन क्षेत्रों में भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए कार्यक्रम तैयार कर दिए गए हैं। तथापि, इसके साथ ही साथ, मुझे यह कहने में दु:ख होता है कि पिछली सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 80 प्रतिशत से भी अधिक लोगों वाले इन क्षेत्रों की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों ने, जिन्होंने उड़ीसा पर राज किया, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ कांग्रेस सरकार का नाम लूँगा, ने कुछ नहीं किया। जब उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी तो इसने एक निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने भी एक निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया गया कि तत्कालीन सरकार की अपेक्षा के कारण भुखमरी से मौतें हुईं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, हरिद्वार का मामला बहुत गंभीर है। उस पर हम बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। डा. विजय कुमार मलहोत्रा।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। इससे पहले कि संसद 31 तारीख को स्थगित हो, क्या हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको समय मिल सके, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया: हम प्रतिदिन सायं 8 बजे तक बैठते हैं। अत:, देश यह जान ले कि इस बारे में हम चिंतित हैं। यह एक बहुत बड़ा मामला है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें उड़ीसा में भुखमरी से हुई सबसे अधिक मौतों के संदर्भ में देश में संपूर्ण खाद्य स्थिति पर विचार विमर्श करना चाहिए। इससे पहले कि सत्रावसान हो, हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर लेनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इस पर चर्चा होनी चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा और कोई नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये आधे-घण्टे की चर्चा की मांग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कोई समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सब क्या है?

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, हमें इस पर चर्चा करानी ही चाहिए। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, हमें इसके लिए समय निकालना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर दो-तीन बार पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। कोई व्यक्ति भूख से मर जाये, इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात कुछ नहीं हो सकती है।

यह बात ठीक कही गई कि यदि गोदाम भरे हैं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं होनी चाहिए। बार-बार दोनों तरफ से कहा गया कि यह राजनीति का मामला नहीं है परन्तु उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। कहा गया कि सरकार यह नहीं कर रही है, सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय नेता-प्रतिपक्ष ने कहीं भी किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लिया। उड़ीसा के नाम का तो उल्लेख तक नहीं किया गया।

श्रीमती सोनिया गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लिया। मैंने सामान्य परिप्रेक्ष्य में बात की और भारत की उस गरीब जनता की बात को जो भूख से मर रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप भाषण निकालकर सोमनाथ चटर्जी साहब का भी देख लें और उनका भी देख लें। ...*(व्यवधान)* आप जब अपनी बात कह रहे थे तो मैं ऐसे खड़ा नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया। मैंने किसी पक्ष विशेष का मामला नहीं बनाया। मैंने किसी राज्य का उल्लेख नहीं किया। ...*(व्यवधान)* क्या सत्तापक्ष का यही रुख है? यदि आप इसे राजनैतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर देंगे। हमारे पास इस सरकार के बारे में काफी कुछ कहने को है। ...*(व्यवधान)* दूसरों पर आरोप लगाकर ये अपनी अक्षमता को छुपाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आप अखबार उठा कर देख लें। उसमें आया है कि उड़ीसा में भूख के कारण लोग मर गए। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यहां इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। ...*(व्यवधान)* यहां यह घोषणा की गई कि सभी प्रदेश सरकारें 'काम के बदले अनाज' देने के लिए मुफ्त अनाज ले जाएं। उन्हें मुफ्त अनाज देने की बात कही गई। जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं और जो पावर्टी लाइन से ऊपर हैं, उनको अनाज देने की बात कही गई। मुफ्त अनाज कोई भी राज्य ले जो लेकिन उन्हें पहुंचाना राज्य सरकारों का काम है। उनमें कांग्रेस की भी सरकार है, बी.जे.पी. की भी सरकार है और दूसरी सभी पार्टियों की भी सरकार है। उन सरकारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: भुखमरी से मौतें हो रही हैं और यही कारण है कि हम उनका उल्लेख कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इसका राजनीतिकरण न किया जाए। ...*(व्यवधान)* ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह मानवता का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए इसका राजनीतिकरण न किया जाए। किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वह उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं जो इसका उत्तर दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री प्रमोद महाजन कैबिनेट मंत्री हैं या डा. विजय कुमार मल्होत्रा? हर दिन वह उठ खड़े होते हैं और उत्तर देने लगते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं। यह प्रदेश सरकारों का काम है। इस बारे में सोनिया जी अपनी कांग्रेस सरकारों से कहें, मुलायम सिंह जी का जहां प्रभाव है, उनसे वह कहें, सोमनाथ जी पश्चिम बंगाल सरकार को कहें। वहाँ मुफ्त अनाज दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह सदन के बाहर प्रवक्ता होंगे, अंदर नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: केवल संसदीय कार्य मंत्री बोलें ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या हम यह मान कर चलें कि हम पक्षपातहीन ढंग से कोई मुद्दा नहीं उठा सकते; और उसका राजनीतिकरण करना ही पड़ेगा? ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये लोग कभी भी मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन हरेक बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप डिसइन्वैस्टमेंट को बीच में ले आए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि सरकार इसका राजनीतिकरण ही करना चाहती है, तो हम भी तैयार हैं। हमारे विरुद्ध ये जो

कह रहे हैं, हमारे पास उससे भी अधिक कहने को है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, बिहार में सबसे ज्यादा भूख से लोग मरे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): ये लोग गलत नीति अपना रहे हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, हमें वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि इस वर्ष हमारे पास बफर स्टाक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर हमने भारत सरकार पर दबाव डाला और भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष काफी मात्रा में चावल की खरीद की। इस वर्ष निर्यात नहीं किया गया। पिछले वर्ष, इस समय तक 35 लाख टन चावल का निर्यात किया गया था, किन्तु इस वर्ष हमने एक हजार मीट्रिक टन चावल का भी निर्यात नहीं किया। इस स्थिति में मुद्दों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। खाद्यान्न भण्डार के निपटान के विषय में चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को भी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए। एक तरफ तो हम सूखे और बाढ़ का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ खाद्य की कमी से, भुखमरी से मौतें हो रही हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देश दिया है। अत: इस स्थिति में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।

महोदय, एक बैठक का आयोजन करना बेहतर होगा। हमें मौजूद वास्तविकताओं के विषय में सूचना मिलेगी और उन्हें सरकार के सूचनार्थ ला सकेंगे। इस विषय में भारत सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, क्या कोई नियम या कायदा है, क्या हमें नहीं बोलने दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ जायें। सब को कैसे बुलाया जायेगा?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार घोषणायें करती रहती है—कभी अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और कभी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। आप उन्हें उत्तर देने ही नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता तथा अन्य सम्माननीय सदस्यों ने निश्चित रूप से ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड में नहीं है। आप बैठ जायें। आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, यह ठीक नहीं है। आप सदन में यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमें सुना जाये कि हम जनता का सवाल उठा रहे थे ...*(व्यवधान)* अगर इस तरह से कोई बाधा पहुंचाई जायेगी ...*(व्यवधान)* क्या हमें जनता का सवाल उठाने की इजाजत नहीं ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, कृपया अपनी सीट पर जाइये। हम यहां एक बहुत गम्भीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं सदस्यों का रुख समझ नहीं पाता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या जनता का सवाल उठाने से हमें रोका जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश बाबू, क्या आपकी इस मामले में सीरियसनैस नहीं है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सीरियस नैस के बारे में तो सरकार का ध्यान खींचा है।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विपक्ष की नेता तथा अन्य सम्मानित सदस्यों ने निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि वे आज इस विषय को उठाने वाली हैं। अगर पहले से पता होता तो मैं संबंधित मंत्री को उपस्थित रहने के लिए कहता *...(व्यवधान)* आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें क्या गलत कह दिया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी, आप हमेशा फिर वही व्यवहार करने लगते हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहने जा रहा था कि अगर वह शून्यकाल में बोलना चाहती थी और उसकी पूर्व सूचना होती तो मैं यह समझता हूं कि जब विपक्ष की नेता बोलें तो संबंधित मंत्री का यहां उपस्थित रहना आवश्यक है। मैं संसदीय परम्परा के अनुसार यह कह रहा था कि अगर वह बोलना चाहती थीं। तो उसकी पूर्व सूचना होती।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं सोमनाथ बाबू की इस बात से सहमत हूं कि इस विषय में किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी समाज के लिए यह शर्म की बात है कि एक तरफ अनाज के भंडार भरे हों और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति भूख के कारण मर रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि हमें एक-दूसरे पर दोषारोपण करना होगा तब करेंगे लेकिन भूख से मौत के विषय को हम दोषारोपण से परे करें क्योंकि ऐसा बहुत से राज्यों में हुआ है। देश के बहुत से राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं।

इसलिए जिन्होंने भी विचार व्यक्त किये, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि यह सच है कि केन्द्र के पास अनाज के भंडार भरे हैं। उसकी संख्या कितनी है, किस प्रदेश में कितना है, मैं उस पर नहीं जाता लेकिन भूख से मौत की खबर सुनते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इसका दुख होगा कि एक तरफ अनाज के भंडार भरे हों और दूसरी तरफ भूख से मौत होती हो। हम सबको मिलकर कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, शायद मुलायम सिंह जी का रास्ता एकदम क्रांति का रास्ता हो गया, उसके पहले कोई बिना क्रांति का रास्ता अगर हम ढूंढ़ सकते हैं कि अनाज के भंडारों में अनाज हो और वह ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो जरूरतमंद हो।

श्री मुलायम सिंह यादव: यही मैंने सवाल किया है कि ऐसे मजबूर मत करो। अगर भुखमरी रहेगी तो मजबूरी में ताले बोड़ने पड़ेंगे और तुड़वाएंगे।

श्री प्रमोद महाजन: इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कोई न कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। उसी व्यवस्था की दृष्टि से मैं दो टिप्पणी इसमें करना चाहूँगा।

अध्यक्ष जी, अनाज का भंडार स्वाभाविक दृष्टि से केन्द्र के पास ज्यादा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा केन्द्र अनाज खरीदता है। राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में नहीं खरीदती हैं तो उनके पास अनाज नहीं है। इसलिए केन्द्र की जरूर जिम्मेदारी है कि अपने पास का जो अनाज है वह इस भूखे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराए। लेकिन उसके साथ-साथ केन्द्र स्वयं जाकर किसको अनाज देगा, यह व्यवस्था हमारी शासन प्रणाली में नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अनाज का भंडार केन्द्र के पास है तो अनाज उपलब्ध कराना केन्द्र का कर्त्तव्य है। लेकिन आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का रास्ता राज्य सरकार के हाथ में होने के कारण वह काम राज्य सरकार का है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अनाज उस आदमी तक पहुँचे। मुझे लगता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि अपने आप से जो केन्द्र के पास अनाज है ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो भूख के कारण

या अन्न के अभाव के कारण मरणासन्न स्थिति में है। मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस बारे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एक सुझाव आया है कि सदन का सत्रावसान होने से पहले किसी प्रकार की चर्चा इस पर हो। सरकार को आपत्ति नहीं है, आप चर्चा का समय तय करिये, उस समय संबंधित मंत्री भी रहेंगे। किसी ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रधान मंत्री या कोई मंत्री–मैं प्रधान मंत्री जी को पूछे बिना समय नहीं दे सकता—लेकिन कोई मंत्री राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएं, उसमें भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष की नेत्री ने मुख्य मंत्रियों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी गंभीरता से विचार करने के लिए कहा है, उसमें भी आपत्ति नहीं है। इसलिए इसको किसी प्रकार का राजनीतिक रंग न देते हुए मैं सदन को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से हम पीछे नहीं हटेंगे और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, केन्द्र सरकार सस्ता आयात कर रही है। उससे भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। *...(व्यवधान)* लोग सस्ती दरों पर खाद्यान्न खरीद रहे हैं *...(व्यवधान)* इस बारे में कुछ कहिये।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आज 60 नोटिस की सूची मिली है। मैं एक-एक करके सदस्यों को पुकार रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्थिति को समझें। मेरे पास आज 60 नोटिस हैं। श्री रामजीलाल सुमन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास सभी नोटिस हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कलिअप्पन।

...(व्यवधान)

***श्री के.के. कलिअप्पन** (गोबिचेट्टिपालयम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वनों और वन्यजीवों को बचाना सुनिश्चित करने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास अलग मंत्रालय और उसके लिए केबिनेट मंत्री हैं। लेकिन अभी भी निगरानी तंत्र वन्यजीवों की सुरक्षा करने में असफल रहा है जो कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में जानवरों की खालों की जब्ती से सम्पूर्ण विश्व के पशु प्रेमियों को धक्का लगा है। उत्तर प्रदेश में काका में, सत्तर तेंदुए की खालें, 221 हिरण की खालें 18 हजार तेंदुएं के नाखून और 132 बाघों के नाखून जब्त किए गए थे। इतनी बड़ी जब्ती के बाद 185 कि.ग्रा. तेंदुए की हड्डियों की जब्ती की गई। कुल 1400 तेंदुओं, 60 बाघों के अंग तस्करों से जब्त किए गए। सारे विश्व में यह बहुत बड़ी जब्ती है। श्री बाल्मिक तोमर, प्रेसीडेंट आफ़ साउथ एशियन सेव वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ने बताया है कि 12 बिलियन डॉलर मूल्य के वन्यजीव उत्पादों को इस क्षेत्र से तस्करी की जा रही है। गत वर्ष, गाजियाबाद के नजदीक 50 तेंदुए की खालें और तीन बाघों की खालें जब्त की गई थी।

सम्पूर्ण देश में 25 बाघ अभयारण्य हैं। यहाँ एक ओर तो आप्रेशन टाइगर प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरी ओर इसी दौरान बाघों और तेंदुओं की निर्दयतापूर्वक शिकार किया गया। उनके अंगों की देश के बाहर तस्करी की जाती है। उड़ीसा में नन्दन कानन प्राणि उद्यान में गत वर्ष 13 बाघों की मौत हुई। जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उन्हें इन दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह एक विडम्बना है कि इनकी रक्षा करने वाले स्वयं इनका शिकार करते हैं। इससे हमारे देश में वन्यजीवों की सुरक्षा में कुप्रबंध का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं एक-एक करके पुकार रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री के.के. कलिअप्पन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप शून्यकाल में नहीं पढ़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की दो रेल लाइनों का जो अति महत्वपूर्ण काम है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और माननीय रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुडखेड-अदिलाबाद और मुडखेड-बोलराम, इन दो रेलवे लाइनों का काम *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए। केवल तभी आपको बोलने का अवसर मिल सकता है। अन्यथा आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको केवल एक या दो मिनट का समय मिल सकता है उससे अधिक नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: इन दो परियोजनाओं का काम 1996-97 में शुरू किया गया था। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो देश की पहली परियोजनाएं हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जाधव जी, यह डिबेट नहीं है। केवल एक या दो मिनट में समाप्त करिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: सर, इन परियोजनाओं को हुडको ने 100 करोड़ रुपए देने मंजूर किए थे, लेकिन अभी तक हुडको ने एक पैसा भी नहीं दिया है। इन रेलवे परियोजनाओं का अर्थ-वर्क पूर्ण हो चुका है। हमारे शिव सेना के सांसद, मराठवाड़ा रीजन के सांसद और टी.डी.पी. के सांसद, हम सब लोग हुडको के चेयरमैन से मिल चुके हैं, शहरी विकास मंत्री से मिल चुके हैं और रेल मंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये दोनों परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसलिए इनको पूरा करने के लिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम 120 करोड़ शीघ्र दिए जाएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मैं सभा का ध्यान गुजरात में ननों पर हुए हमले से संबंधित दुखदायी समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह हमला बिना किसी कारण के बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया गया था। कुछ समय से गुजरात इसाई मिशनरियों और उनकी संस्थाओं पर हमले करने के लिए बदनाम रहा है।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा ईसाई मिशनरियों और पादरियों के संबंध में की गई गैर-जरूरी और भड़काऊ टिप्पणी से इस कार्य को बढ़ावा मिला है।

महोदय, इस संबंध में, सरकार को सभा में स्वत: वक्तव्य देना चाहिए। यह सभा जानना चाहती है कि गुजरात में क्या हो रहा है। अब तक, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। गुजरात में ईसाई संस्थाओं, उनकी ननों और पादरियों पर हमले किए जा रहे हैं। सरकार को इस सबके बारे में बताना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री हन्नान मोल्लाह आप भी उनके कथन से सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, एक अन्य मामला भी है *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को सदन में रख रही हूं। मैंने इस बात को कई बार उठाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने भिन्न मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिया है न कि इसी विषय को उठाने के लिए।

श्री रमेश चेन्नितला: नहीं, महोदय, मैंने इसी मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप उनके कथन से सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, मैंने आपका नाम भी पुकारा है। आप भी उनके कथन से सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, श्री हन्नान मोल्लाह और श्री रमेश चेन्नितला, श्री सुरेश कुरुप के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि प्रत्येक माननीय सदस्य इसे उठाना चाहता है तो मैं सभी को बोलने के लिए कैसे समय दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: मेरे संसदीय क्षेत्र के कटिहार जिले के काढ़ागोला में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही है। वहां सरकारी तौर पर कोई उपाय नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)* लोग भूखे मर रहे हैं। *...(व्यवधान)* नवगछियानमंडल में भी बाढ़ आ गई है और वहां भी त्राहि-त्राहि मची हुई है। *...(व्यवधान)* लोग घर छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, श्री हन्नान मोल्लाह और श्री रमेश चेन्नितला—आप तीनों श्री सुरेश कुरूप के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह कोई व्यवस्था करे और भूखे लोगों को मरने से बचाए। *...(व्यवधान)* अगर वहां की सरकार अनाज नहीं लेना चाहती तो केन्द्र सरकार अनाज भिजवाने की व्यवस्था करे और वहां की निकम्मी सरकार को हटाने का काम करे। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां इस मुद्दे को उठाने के लिए अन्य माननीय सदस्य हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब, श्री अशोक अर्गल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरुप, माननीय मंत्री को तथ्यों का पता लगाना चाहिए। वे तुरंत उत्तर कैसे दे सकते हैं? कृपया इस बात को समझें। आपने मामला उठाया है और मंत्री तथ्यों का पता लगायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अशोक अर्गल के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप सभी एक-एक करके मामला उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाएं। आप अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। श्री जोस, बहुत हो गया। अब श्री अर्गल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अपनी सीट पर बैठ जाएं। पहले आप अपनी सीट पर बैठिए। यहाँ तक कि वरिष्ठ सदस्य भी वही कार्य कर रहे हैं। आप क्या-क्या कर रहे हैं? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अंदर जो कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है, मैं उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लॉ एंड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट है। आप इसे यहां कैसे रेज़ कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा केन्द्र का ध्यान आज जो बिजली की भयावह स्थिति है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्गल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री नारायण दत्त तिवारी को बुलाया है; और वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी: आज बिजली की जो हालत प्रदेशों में है और देश में जो भारी कमी हो रही है, उसकी ओर केन्द्र का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उनकी उम्र के हिसाब से भी उनका आदर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी: आप यमुना नदी के पार चले जाइये, 12-12, 14-14 घंटे बिजली की कटौती महीनों से हो रही है। हालत यह है कि आज 5000 मैगावाट की बिजली की कमी तो अकेले उत्तर प्रदेश में है और 600 मेगवाट की कमी उत्तरांचल में है। उसके ऊपर जो केन्द्रीय बिजलीघर हैं, वे यह धमकी दे रहे हैं और बिजली की कीमत की बात कर रहे हैं,जबकि पांच हजार करोड़ रुपये बिजलीघरों का एक प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश को देना है। अगर केन्द्र और राज्य मिलकर बिजली की स्थिति के संबंध में कोई एक कार्यक्रम नहीं बनाते तो उद्योग-धंधे बन्द हो रहे हैं, किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, रोजाना अखबारों में खबर भरी हैं कि कहीं गांवों में बन्द, कहीं हड़तालें, कहीं बिजलीघर पर हमला हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप क्या कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी: यह स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में तो है ही, इसके अलावा भी देश के अनेक हिस्सों में बिजली की भारी कमी है। एनरॉन का झगड़ा अभी तक केन्द्र ने तय करने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। जो विदेशी निवेश बिजली के सैक्टर में देश में हो रहा था, वह वापस जा रहे है। जहां-जहां भी यह वायदा किया गया था कि पावर सैक्टर में विदेशी निवेश होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, वे आज वापस जा रहे हैं तो इस महत्वपूर्ण और अत्यन्त गम्भीर स्थिति के संबंध में मैं केन्द्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा इम्मीटेशन ज्वैलरी के उत्पादन पर चार परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे इस पर पलने वाले तकरीबन सात लाख परिवारों के भरण-पोषण को खतरा उत्पन्न हो गया है। ये सभी लोग ज्यादातर पिछड़े और दलित वर्गों के लोग हैं तथा अशिक्षित हैं। बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं इसमें कार्य करती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार के जो प्रोडक्शन सैण्टर्स हैं, वे हिन्दुस्तान के अन्दर दूरदराज इलाकों में देहात तक भी फैले हुए हैं। सरकार ने तकरीबन दो करोड़ रुपये का सम्भावित रेवेन्यू इसमें एंटीसिपेट किया है, जिसको इकट्ठा करने के लिए भी इनको ज्यादा खर्च करना पड़ जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्साइज का जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक्साइज का जो पंजीकरण होता है, उसके लिए जो फोरमेलिटीज पूरी करनी होती हैं, उसके लिए उन गरीबों का शोषण बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इम्मीटेशन ज्वैलरी के काम में 80 परसेंट लेबर इन्वोल्व होती है और 20 परसेंट कास्ट उसके रॉ मैटीरियल की इन्वोल्व होती है। ब्रांडेड ज्वैलरी का 80 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट है, उसको शुल्क मुक्त रखा गया है और यह बहुत ही छोटा कारोबार है, इस पर चार परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का कष्ट करे, जिससे कि सात लाख परिवार, जो प्रत्यक्ष रूप से इस पर पल रहे हैं, उनका भरण-पोषण सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने यह मामला उठाया था। हरिद्वार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहां छः लोग मारे गये हैं और 100 लोग वहां घायल हुए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आपने क्वश्चन ऑवर में रेज किया था।

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने कहा था कि बाद में सुन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सदन का ध्यान क्वश्चन ऑवर में आकर्षित किया था। राजस्थान सबसे शान्तिप्रिय प्रदेश है, राजस्थान में पहले कहीं दंगे की बात नहीं उठती थी। इससे पहले प्रतिनिधिमण्डल भी गया था, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सी.पी.आई. और समाजवादी पार्टी के लोग गये थे, लेकिन उसके बाद भी वहां तनाव बना हुआ है। वहां भीलवाड़ा और जहाजपुर में मस्जिद तोड़ी गई, कुरान को जलाया गया और मजार को तोड़ा गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब वहां के मुसलमानों ने शान्तिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करने की कोशिश की, जब पूरे शहर में शान्ति हो, कोई दंगा न हो, तो उसको रोक दिया गया।

दूसरी तरफ जिन्होंने कुरान को जलाया, मस्जिद तोड़ी, उन सात हजार से दस हजार लोगों को छूट दी गई और वे वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते रहे। अभी तक वहां दंगा ग्रस्त क्षेत्र में कोई राहत कार्य नहीं हुआ है। वहां लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। जब हम वहां गए तो हमें काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए कि मुलायम सिंह वापस जाओ। यह तो अच्छा हुआ, क्योंकि मुलायम सिंह को भी अब लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। सब जानते हैं कि काले झंडे किसको दिखाते हैं, जो बड़ा आदमी होता है, जैसे पंडित नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थीं, उनको दिखाए जाते थे। वहां कांग्रेस पार्टी और बी.जे.पी. दोनों के लोग शामिल थे। जब हम लोग चाय पीने गए तो इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह वापस जओ। वहां के मुख्य मंत्री अभी तक मौके पर नहीं गए हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान में साम्प्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं है, लेकिन वे शक्तियां वहां जोरों पर हैं और दासमुंशी जी आपकी सरकार वहां साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की हुकूमत होते हुए भी इन साम्प्रदायिक शक्तियों को कुचलने का काम नहीं किया जा रहा है, जबकि आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप बुरा न मानें, मैं आपको सावधान कर रहा हूं।

अपराह्न 12.57 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आपकी सरकार के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था। जिस तरह से वहां हालात हैं, वे और खराब हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। लोग दंगा नहीं करना चाहते, लेकिन दंगाइयों को पूरा मौका दिया जा रहा है। अभी तक एक भी दंगाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मुसमानों के घरों पर बाकायदा पुलिस और जिला प्रशासन निगरानी कर रहा है और उन्हें आतंकवादी समझा जा रहा है। अभी तक एक भी दंगाई को गिरफ्तार न किया जाना, यह किसकी जिम्मेदारी है, यह आप समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार इस मामले पर अविलम्ब ध्यान दे। सरकार को इस मामले में दखलअंदाजी करनी चाहिए। अगर प्रधान मंत्री जी बयान दे देते हैं कि मंदिर बनेगा, तो क्या इससे लोगों की भावनाएं नहीं भड़केंगी। दासमुंशी जी आपकी कांग्रेस पार्टी के सभासद ने वहां इस्तीफा दिया और दंगे में कूद पड़ा। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि वहां दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहां की सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई न करते हुए उन्हें संरक्षण दे रही है, यह मेरा वहां की सरकार पर आरोप है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा हमारे मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का जोरदार ढंग से खंडन करता हूँ। बिना किसी उल्लेख के हमारे मुख्यमंत्री को इस विवाद में घसीटने का कोई मतलब नहीं है ...*(व्यवधान)* वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर सकते हैं। महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। श्री मुलायम सिंह यादव इस बात से अवगत नहीं हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। यह मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री की जानकारी में है कि पाकिस्तानी सीमा पार कर आने वाले कौन से तत्व हैं और यहां आश्रय ले रखा है। सब चीजों का पता है और गृह मंत्री की जानकारी में भी है। यह आरोप कि मुख्य मंत्री ने इसका आयोजन किया है, मैं इसका जोरदार ढंग से खंडन करता हूँ ...*(व्यवधान)* सरकार को उन्हें रोकने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। अंदर की कहानी और भी खतरनाक है। यदि श्री मुलायम सिंह यादव यह जानना चाहते हैं कि इसमें कौन शामिल हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला नोटिस है। यह इतना गंभीर मामला है और आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री पी.सी. थामस को बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोग धरने पर बैठे हैं, मारपीट हो रही है, पूरे बाजार बंद हैं, *...(व्यवधान)* इतना गंभीर मामला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मैं बोल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बारह साल के बच्चे, तेरह साल के बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। *...(व्यवधान)* आप बात तो सुनिए। *...(व्यवधान)* आपको सुनना तो चाहिए कि हरिद्वार की मांग क्या हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैने श्री पी.सी. थामस को बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आप अपने दल के नेता हैं। आप जो कहना चाहते थे, पहले ही कह दिया है। 'शून्य काल' में सिर्फ आप ही नहीं बोल सकते। दूसरों को भी मौका दीजिए। श्री पी.सी. थामस एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.02 बजे

संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, भारतीय संविधान संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्यों को जनतंत्र को बड़े स्तर पर लागू करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन यह सही है कि कई संघ राज्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों जिसका प्रतिनिधित्व श्री मोहन देलकर करते हैं, यद्यपि जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। यही समय है कि हमें, जहां तक विद्युत, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध है, प्रशासन का विकेन्द्रित तरीका अपनाना चाहिए। मैं यह सुझाव दूँगा कि प्रधान मंत्री को सभी संबंधित लोगों की बैठक बुलानी चाहिए, विशेष रूप से वे जिन्हें निचले स्तर पर जनतंत्र से वंचित रखा गया है। गृह राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। हम उनके साथ भी इस मामले को उठा चुके हैं। ऐसी स्थिति का सामना प्राय: सभी संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन देलकर, आप क्यों उनके भाषण के समय अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): मैंने आपको इस मुद्दे के संबंध में सूचना दी है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी बोलने का अवसर दूँगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि सरकार को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य से संबंधित सभी लोगों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए ताकि इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा सके। यदि संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसे भी लाया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रशासन संघीय होना चाहिए। राष्ट्र तभी संतुष्ट होगा, जब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संतुष्ट होंगे। इसलिए, हमें संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, यह 'शून्य काल' है। आपको सिर्फ मामले का उल्लेख करना है। आपको भाषण नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर: उपाध्यक्ष जी, एक तरफ तो हम बहुत खुशी और गर्व से कहते हैं कि हमारे भारत देश का लोक-तंत्रीय ढांचा विश्व में पहले नंबर पर है, दूसरी तरफ हमें दु:ख के साथ कहना पड़ता है, भारत देश में जितनी यूनियन टैरेटरीज हैं, वहां लोकतन्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप लक्षद्वीप को बिलोंग करते हैं, दमन और दीव तथा अंडमान निकोबार के भी सदस्य हैं। इन यूनियन टैरेटरीज में सारे अधिकार, सारी सत्ता ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है। चाहे वह डेवलपमेंट का काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, कहीं भी इलैक्टेड मैम्बर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बार-बार यह मांग की गई है कि यूनियन टैरेटरीज में सत्ता का अधिकार यूनियन टैरेटरीज को दिया जाए। इस संबंध में संविधान में संशोधन किया गया है। जब जिला परिषद् और जिला पंचायतें आईं, तो भारत सरकार ने सोचा कि जितनी भी यूनियन टैरेटरीज हैं, वहां पर ज्यादा अधिकार, ज्यादा सत्ता दी जाए, इसलिए उस संशोधन में चीफ काउन्सिलर की पोस्ट क्रिएट की गई। चीफ काउन्सिलर को ज्यादा अधिकार और सत्ता देने की बात हुई है। इस बात को छ: साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि चीफ काउन्सिलर और डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद् को अधिकार और सत्ता दी जाए। हम गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस दिशा में मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ कार्रवाई की गई है। हम मांग करते हैं कि जो कदम उठाए गए हैं, वे पूरे नहीं हैं, अभी और भी कदम उठाने चाहिए। जितना प्रावधान संविधान में किया गया है, उतना सत्ता का अधिकार जिला परिषद् और चीफ काउन्सिलर को देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह वही मामला है। यदि आप इस तरह चिल्लाएंगे, तो मैं आपको मौका नहीं दूँगा। हर चीज की सीमा होती है। सभी माननीय सदस्यों ने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन जी के वक्तव्य के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपका मामला राज्य का विषय है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर: महोदय, हम मांग करते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, श्री प्रमोद महाजन जी, सदन में उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि वे जवाब दें। *...(व्यवधान)* महोदय, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष ने इस तरफ के माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि वह पहले ही इस मामले में भाग ले चुके हैं। क्या किसी सदस्य को इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: इनका विषय राज्य के बंटवारे को लेकर हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस तरह से अपनी बात कहेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस मामले में पहले ही सूचना दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप अपना मामला खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इस मामले पर सूचना दी है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य भी यूनियन टैरेटरीज के बारे में बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको चांस नहीं मिलता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यूनियन टैरेटरीज का मामला नहीं आने देंगे। अंडमान-निकोबार और दमन व दीव के भी मैम्बर्स हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन एस. देलकर: महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि माननीय गृह मंत्री यूनियन टैरेटरीज के एमपीज को बुलायें, जिला परिषद् के जितने चेयरमैन हैं, उनको बुलायें और बातचीत व मशविरा करें। इस बात का जल्दी से जल्दी फैसला करें कि संविधान में जो जिला पंचायत तथा चीफ काउन्सिलर को सत्ता का अधिकार देने का प्रावधान है, उस पर तुरन्त निर्णय करें। मैं चाहता हूं कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद महाजन जी उपस्थित हैं, वे इस बात पर रिसपांड करें। यह बहुत गम्भीर मामला है। यूनियन टैरेटरीज के बारे में आज तक नहीं सोचा गया। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि प्रमोद महाजन जी इस बारे में जवाब दें।

श्री विष्णु पद राय: महोदय, 73वें और 74वें अमेंडमेंट के माध्यम से इस सदन ने पीआरआई और अरबन लोकल बॉडीस को संवैधानिक अधिकार दिया था। आर्टीकल 243जी रिलेटिंग टू द पीआरआईज डील्स विद 29 पावर्स।

[अनुवाद]

29 विभाग/विषय हैं और पी.आर.आई.एस. के कोष, कृत्य, कर्मचारी हैं।

[हिन्दी]

महोदय, 243 डब्ल्यू, लोकल अरबन बॉडीज को, 18 विभागों को, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज़ को देने का तय किया था, लेकिन यूनियन टेरेटरीज अंडमान-निकोबार द्वीप समूह लक्ष्यद्वीप, दादरा नगर हवेली आदि को यह अधिकार नहीं सौंपा गया और कुछ लोगों के माध्यम से इस अधिकार को मुट्ठीभर लोगों के हाथ में देकर जनता पर राज कर रहे हैं। यूनियन टेरेटरी में न असेम्बली है, न प्रदेश काउंसिल है। इसलिए पंचायती राज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस यूनियन टेरेटरी में जो अधिकार संविधान ने दिया है, वे 29 डिपार्टमेंट पीआरआई को और 18 डिपार्टमेंट म्युनिसिपल काउंसिल को दिए जाएं। अंडमान और लक्ष्यद्वीप समूह को लेकर एक संस्था बनाई है, जिसका नाम आईलैंड डेवलपमेंट आथोरिटी है। जिसके चेयरमैन माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं हैं। आईडीए की मीटिंग बहुत सालों से नहीं हुई। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आईडीए की मीटिंग बहुत जल्दी बुलाई जाए।

महोदय, द्वीपों के विकास हेतु दिल्ली में सरकार द्वारा टाइम टू टाइम उनकी तकलीफों और समस्याओं को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई जाए। उस मीटिंग में एमपीज, जिला परिषद के चेयरमैन, म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें ताकि उनकी तकलीफों और समस्याओं का समय पर निदान हो। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, यह केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो लोग केन्द्र शासित प्रदेशों से चुन कर आते हैं, उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। शायद आपके मन में भी इस प्रकार के मुद्दे हों। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हां है।

श्री प्रमोद महाजन: ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप समझ सकते हैं कि शून्य-काल में इस पर कुछ निर्णायक बोलना मेरे लिए मुश्किल है। मैं जरूर केन्द्रीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और आपका जो भी कहना है वह उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सुमन जी, मैं आपको हमेशा आपके नम्बर पर बुलाता हूं। आज अध्यक्ष महोदय ने एक मेम्बर को राज्य का सब्जैक्ट होने की वजह से एलाऊ नहीं किया तो मैं आपको इस पर कैसे मौका दे सकता हूं, आप बताइए। एक मेम्बर से दूसरे मेम्बर को कैसे डिसक्रिमिनेट कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, मुझे खेद है कि आपको समझा नहीं पा रहे हैं। हरिद्वार का मामला इसलिए उठा है क्योंकि केन्द्र सरकार ने बंटवारा किया है। उस बंटवारे को लेकर हरिद्वार में बातचीत हो रही है। *...(व्यवधान)* उनकी कुछ मांगें हैं, उन मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया और प्रदर्शन किया। *...(व्यवधान)* मुझे अफसोस है कि वह राज्य का बंटवारा नहीं है, यह केन्द्र सरकार की भूल है। *...(व्यवधान)* आप इस प्रकार गोली चलवाएंगे। नौ साल, 12 साल और 13 साल के विद्यार्थी को जेल भेजा जाएगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्टेट मेटर जो डिसाइड किया गया, आप उसे चैलेंज कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आज भी स्पीकर साहब ने एक मेम्बर को इजाजत नहीं दी है।

श्री प्रमोद महाजन: आप स्पीकर साहब से बात करके इजाजत ले लीजिए। ...*(व्यवधान)* आप इन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं, आप स्पीकर साहब से बात करके इजाजत ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सदस्यों के बीच भेद नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही मना कर दिया है, मैं कैसे उनको अनुमति दे सकता हूँ?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रतिदिन शोर मचाना शुरू कर देते हैं और सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आप बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, हत्याएं हो रही हैं। 12-13 साल के विद्यार्थियों को जेल भेजा जा रहा हैं। ...*(व्यवधान)* हम सब इन घटनाओं का विरोध करते हुए सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 1.14 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: आप शांत रहें। मैं सबको बोलने का चांस दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): महोदय, वह खड़े हो जाते हैं और जब चाहते हैं बोलना शुरू कर देते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आजाद, आप ऐसा न कहें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना दी है। उनका नाम यहां है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिश्नोई, मैं आपको अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष जी, हमसे पहले लोग बोलते जाएंगे जबकि नोटिस हमने पहले दिया है। ...*(व्यवधान)* हम आपका संरक्षण चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं कभी भी बिना सूचना दिये बोलने को खड़ा नहीं होता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष जी, बिहार के हज यात्रियों का सवाल है। आप हमें भी बोलने का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कभी भी सूचना दिये बगैर किसी को बोलने की अनुमति नहीं देता। कृपया इस बात को चुनौती मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, तीन दिन से हम पहले नम्बर पर नोटिस देते हैं लेकिन हम लोगों को समय आप नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)* हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वह केन्द्र से संबंधित मामला है राज्य से संबंधित मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको हल्ला कम करना चाहिए, आप तो योगी हैं।

योगी आदित्यनाथ: योगी ही नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि भी हैं। हमें जनता ने चुनकर भेजा है और अगर हम जनता की समस्याओं को यहां पर नहीं रखेंगे तो यहां आने का मतलब क्या है? हमने देखा है कि केवल उन्हीं लोगों को अवसर मिलता है जो बार-बार बोलते हैं और हर अवसर पर बोलते हैं। हमारा पहले नम्बर पर नोटिस है लेकिन हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रमोद महाजन, कृपया इन्हें नियंत्रित करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कैसे इस सभा को नियंत्रित कर सकता हूँ?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा और सरकार का ध्यान एक अति-महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि इस तरह की 31 तारीख को सभा स्थगित हो जाएगी। फिर यह मामला हमारी रक्षा तैयारियों से संबंधित भी है। मैंने संसद् के इसी सत्र के दौरान एक समाचार-पत्र में पढ़ा कि अमरीका में जार्ज बुश प्रशासन के आसीन होने के तुरन्त पश्चात् ही उन्होंने अपनी हवाई प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली विषयक नीति की घोषणा की है। इससे सभी विकासशील देशों के लिए, उनकी अपनी रक्षा-तैयारियों के सन्दर्भ में, एक चिंता उत्पन्न हुई है। इससे उन देशों को भी चिंता हुई है जिन्होंने पहले ही अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बना रखी है।

भारत को अब पाकिस्तान की ओर से भी नाभिकीय आक्रमण का खतरा है। भारत अनेक विद्वेषपूर्ण गतिविधियों का सामना कर रहा है। मुझे भारत की जनता और सशस्त्र बलों पर गर्व है। हमने अपनी प्रतिरक्षा-क्षमता, उपग्रह-क्षमता और अन्य क्षमताएं स्वयं ही तैयार की हैं।

ऐसी स्थिति में, जैसाकि मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा, हमारे माननीय रक्षा मंत्री अमरीकी हवाई प्रक्षेपास्त्र-प्रतिरक्षा प्रणाली की नीति का समर्थन कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यह न केवल इस उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित करने संबधी हितों के लिए हानिकर है, अपितु भारत और हमारी रक्षा तैयारियों के भी लिए भी यह अलाभकर है। अत:, मैं इस पर गहरा क्षोभ और चिंता व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार जनता में फैल रहे संभ्रम को दूर करे और हमें बताये कि अमरीकी हवाई प्रक्षेपास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली के विषय में सरकार का अधिकारिक दृष्टिकोण क्या है; चूंकि यह प्रणाली उन राष्ट्रों की संपूर्ण उपग्रह-व्यवस्था तथा परियोजनाओं को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखती है जो स्वयं के रक्षार्थ अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। हम भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं।

यह कोई सामान्य बात नहीं है। अतएव मैंने एक नोटिस दिया है और इसकी प्रतिलिपि भी रक्षामंत्री को दी है। यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। अत: सरकार तार्किकत: और स्पष्टत: बताये कि भारत का दृष्टिकोण क्या है। क्या अपना रवैया बदलने के लिए हम पर अमरीका की ओर से दबाव डाला जा रहा है? इस बात को भी कृपया स्पष्ट करें। क्या हम उपग्रह-प्रक्षेपण संबंधी अपनी तैयारियां रोकने जा रहे हैं? अमरीका द्वारा अपनी प्रणाली को ही सर्वोच्च रखने के प्रयासों के चलते, क्या हम अपने क्षेत्र की निगरानी करने अपने उपग्रह-कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए सक्षम हैं? वर्तमान में भारत और अमरीका के संबंधों के मद्देनजर यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतएव, यह समीचीन होगा कि भारत सरकार अपना दृष्टिकोण और नीति तय करे। उसे अपने दल, जनता और संसद् को विश्वास में लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यू.टी.आई. के मामले में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह मैटर अब जे.पी.सी. के पास है, इसलिए इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है।

श्री सईदुज्जमा: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसे जे.पी.सी. को रैफर कर दिया है इसलिए इसे अभी यहां उठाया नहीं जा सकता।

डॉ. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो वकालत करते हैं, उनमें से अधिवक्ता लिए जाते हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला न्यायालयों में भी वकालत करते हैं। वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत न करने के कारण हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। मेरा केन्द्र

सरकार से अनुरोध है कि जो जिला न्यायालयों में अधिवक्ता वकालत करते हैं, उनको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और उनका कोटा फिक्स किया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण मामला रखना चाहती हूँ। सरकार ने इस वर्ष, अर्थात् वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय किया है और अनेक अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्रियों ने जोर-शोर से यह कहा है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे महिलाओं और बच्चों को सामाजिक न्याय दिलाने के प्रति भी प्रतिबद्धता रखते हैं। किन्तु यह तो केवल मुँह हिलाने भर की ही बात हुई, क्योंकि दो दिनों बाद यह मानसून-सत्र समाप्त होने वाला है। सर्वोच्च विधायी निकाय भारत की संसद् सहित सभी विधायी निकायों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने संबंधी विधेयक 23 दिसम्बर 1999 को लाया गया था, किन्तु इसे अभी तक इस सभा में विचारार्थ तथा पारणार्थ नहीं रखा गया है।

यह वर्ष भी समाप्त होने को है; आठ महीने बीत चुके हैं और केवल चार महीने बचे हैं। और हम इस वर्ष को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि वह इस महत्वपूर्ण मसले पर क्या खास कदम उठा रही है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए, आपने सभा के समक्ष वह बात पहले ही रख दी है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम: महोदय, जहां तक मत-संख्या का प्रश्न है, सरकार ने घोषित किया है कि उनके पास बहुमत है और कांग्रेस तथा वाम दलों के सहयोग से इस विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत उपलब्ध है। अतएव, मैं इस सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कम से कम वह इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र में तो ले और यह सुनिश्चित करे कि यह विधेयक पारित हो तथा महिलाओं को न्याय मिले, जिनकी संख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यू.टी.आई. का मामला उठाने की इजाजत दी जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो मैटर जे.पी.सी. को रैफर कर दिए जाते हैं, उन्हें आप यहां उठा नहीं सकते हैं। दूसरा कोई मामला होता तो मैं आपको एलाऊ करता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)* मैं थोड़े समय में अपनी बात कह दूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैंने दो मुद्दों पर सूचना दी है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, मैंने अनुमति उन्हें दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजयन, मैंने श्री ई. अहमद का नाम पुकारा है, आप उनके बाद बोलिएगा। एक ही समय दो लोग बोलेंगे तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जा सकेगा।

श्री ई. अहमद: महोदय, हरेक राज्य या केन्द्रीय सरकार का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक, खासतौर पर उनको जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ई. अहमद]

मुझे यह कहते हुए खेद है कि अनेक राज्यों में आज यह स्थिति है कि अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष और कानून-व्यवस्था से चलने वाले नागरिकों को उत्पीड़ित किया गया है, उन पर हमला किया गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उन्हें पुलिस थानों तक में न्याय नहीं मिल रहा।

दो दिन पहले गुजरात में, नगर के पुरानी आबादी के इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हमला किया। जिसमें वे मारे गए। दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो ये घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार चुप्पी साधकर बैठी है, सो रही हैं।

विगत सोमवार को गुजरात के मोहद में बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही दो ईसाई साध्वियों की उत्पीड़ित किया गया। इन ईसाई साध्वियों के साथ पिकनिक पर पा रहे बच्चों के दल पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद् के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हमला किये जाने का आरोप है। पुलिस थाने में उनकी शिकायत दर्ज है नहीं की गई। एक खबर के अनुसार, उस स्थान से गुजर रहे एक पुलिस अधिकारी ने इस घटना की अनदेखी कर दी।

महोदय, भारत एक महान् देश है और यह सर्वाधिक प्राणवान प्रजातांत्रिक और पंथनिरपेक्ष देशों में से है। राष्ट्रकुल में भारत को एशिया के महत्वपूर्ण देशों में से एक माना गया है। इन सब बातों के बावजूद, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार, जो लोकतंत्र की रक्षा का दावा करती है, के शासन काल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रशासन और सांप्रदायिक तत्वों के हाथों उत्पीड़ित हो रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद है कि राजस्थान में क्या हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अल्पसंख्यक समुदायों के बहुतेरे लोगों पर अकारण ही हमला किया गया है। यद्यपि वहाँ अफसोसनाक घटनाएं हुई हैं, तथापि राजस्थान सरकार ने कहा है कि विवादास्पद मस्जिद मुस्लिम समुदाय के पास ही रहेगी। अदालत में यही उन्होंने कहा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, यह 'शून्य काल' है। आप इसमें भाषण नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण दिया गया है। संविधान के प्रावधानों में निहित भावना के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा की जानी चाहिए। यह घृण्य है कि फासिस्ट तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध द्वेष का वातावरण उत्पन्न कर देने के कारण अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है।

मुझे आशा है कि सरकार 'द हिन्दु' तथा अन्य समाचार-पत्रों में आज प्रकाशित उस सरकार पर ध्यान देगी जिसमें गुजरात में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जो की घटनाओं की खबर है। मैं सरकार से इन सब बातों पर ध्यान देने और समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र नागापट्टिनम (सुरक्षित) में लोगों के घरों को जलाये जाने की घटनाएं होने से वहां तनाव का वातावरण है। पिछले एक महीने से एक के बाद एक झुग्गियाँ जला दी गई हैं। इन छिटपुट आगजनी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। नागापट्टिनम एक ऐतिहासिक स्थान है जहां विभिन्न पंथों और जातियों के लोग सद्भावपूर्ण ढंग से रहते हैं। पर जलाये जाने की इन घटनाओं से यह आशंका बलवती हो गयी है कि इससे सांप्रदायिक और जातिगत संघर्ष हो सकता है। कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं और इससे तनाव बढ़ रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक अथवा जातिगत संघर्ष न हो। इस बात की आशंका है कि इन घटनाओं के पीछे कुछ शरारती तत्वों का दुष्ट प्रयास हो सकता है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग इन घटनाओं से तबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मेरे क्षेत्र के थावेरी डेल्टा-क्षेत्र के निवासी किसान कावेरी के सिंचाई-योग्य जल प्रवाह की आपूर्ति का अत्यंत अभाव पहले से ही झेल रहे हैं। कावेरी-जल पर निर्भर फसलें सूख रही हैं।

नागापट्टिनम जिले में कृषक समुदाय और तंजौर, पुदुकोट्टई और त्रिचनापल्ली जैसे निकटवर्ती जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। लोग महसूस करते हैं कि ये आग की घटनाएं कुछ लोगों का नियोजित षडयंत्र है ताकि लोगों का ध्यान कुरुवई की खेती के लिए पर्याप्त पानी न मिलने की समस्या से हटाया जा सके। एक के बाद एक सौ से अधिक झोपड़ियां जला दी गई हैं। लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव आना-जाना कम हो गया है। कोई भी शाम के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। लोगों पर हमला हो जाता है। एक ओर तो सम्पत्ति का नुकसान होता है तो दूसरी ओर आशा धूमिल होती है। भय और तनाव भी इस क्षेत्र में व्याप्त है।

चूंकि नागापट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र में हमारी समुद्री सीमा को जोड़ता है इसलिए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। चूंकि यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए गरीब लोगों विशेषकर दलितों की सुरक्षा खतरे में है। इसलिए इस अव्यवस्था के कारणों

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की जांच करने के लिए केन्द्र के लिए पर्याप्त कारण हैं। इस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना केन्द्र का कर्तव्य है और केन्द्र को भी इन डेल्टा और द्रोणी जिलों के किसानों को बचाने के लिए कावेरी नदी में अपेक्षित जल को कम से कम न्यूनतम स्तर पर छोड़ने को सुनिश्चित बनाना चाहिए। केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र निगरानी समिति की बैठक बुलाकर व्यवहार्य रास्ता निकलना चाहिए। लोगों और उनकी सम्पत्ति के साथ-साथ कुरुवई फसल को भी बचाएं जो कावेरी जल की कमी के कारण मुरझा रही है।

श्री तिरूनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): महोदय, जो कुछ उन्होंने कहा है, कृपया उससे सम्बद्ध होने की मुझे अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको उनके साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री तिरूनावकरसू: महोदय, मैं केवल एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ। कावेरी जल निगरानी समिति अपनी बैठक 6 सितम्बर को करने जा रही हैं। त्रिचि तंजौर और पुडुक्कोट्टई में किसानों को अत्यधिक कठिनाई होती हैं। इसलिए कावेरी जल निगरानी समिति की बैठक जो 6 सितम्बर को होने की संभावना है, शीघ्र बुलाई जानी चाहिए ताकि शीघ्र पानी छोड़ा जा सके *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान खेल, खिलाड़ियों, खेल संघ और खेल मंत्रालय की ओर दिलाना चाहता हूं। आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मामला मैं सदन में उठा रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह मैंने आपको बता दिया है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। यू.टी.आई. का मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद: यह मामला खेल मंत्रालय से संबंधित है। अभी लगभग एक साल नहीं हुआ है कि मैच फिक्सिंग प्रकरण से हम बाहर गए हैं लेकिन प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को लेकर पिछले एक महीने से अनेक विवाद खड़े हो चुके हैं। अभी कल हमने टेलीविजन में देखा और आज अखबारों में भी आया है जहां पर 12 ऐसे वेट लिफ्टर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वे पटियाला कैम्प छोड़कर भाग गए क्योंकि वहां पर डोप टैस्टिंग होनी थी। इससे एक दिन पहले कुंजू रानी जो वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने गोल्ड मैडल जीता था लेकिन उन्हें वह वापस करना पड़ा क्योंकि उनको डोप टैस्ट में पॉजिटिव पाया गया। लगभग तीन सप्ताह पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक लिस्ट अखबारों में निकली थी जिसमें 250 खलाड़ी हैं जो डोप टैस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। इसको लेकर खिलाड़ियों के बीच में काफी आक्रोश था। पी.टी. उषा ने कहा था कि मैं इसके खिलाफ केस करूंगी। मिल्खा सिंह जी ने कहा था कि ये खिलाड़ी बैन्ड ड्रग्ज लेकर प्रदर्शन करते हैं। शायद कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां बच्चे न हों, और खेल विषय युवाओं से जुड़ा हुआ है और उसको देखते हुए आवश्यक है कि इस पर तुरंत खेल मंत्रालय और सरकार की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैच फिक्सिंग को लेकर समस्याएं हुई थीं, आज वही डोप टैस्टिंग को लेकर हो रही हैं। अर्जुन अवार्ड को लेकर मिल्खा सिंह जी ने अनेक बातें की हैं और ऐफ्रो-एशियन गेम्स भी हमारे सिर पर हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार को क्या करना है? आप यह पूछें।

श्री कीर्ति झा आजाद: जी हां, मैं चाहता हूं कि वह उत्तर दें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यह अन्तर राष्ट्रीय प्रशासनों वाला एक राष्ट्रीय मामला है। खिलाड़ी सब कुछ समझते हैं।

[हिन्दी]

एक तरफ खिलाड़ी कहते हैं कि हम ड्रग्ज नहीं लेते हैं और दूसरी तरफ ये सूचियां निकलती हैं और टैस्ट पॉजिटिव होता है। कौन सही है, कौन गलत है, फैडरेशन सही है, मंत्रालय सही है या खिलाड़ी सही हैं यह जानना आवश्यक है। मैं खिलाड़ी हूं इसलिए यह सब अजीब लगता है। एक तरफ खिलाड़ी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते और दूसरी तरफ फैडरेशन कहता है कि इतने टैस्ट पॉजिटिव हैं। मैं सरकार से इसका जवाब चाहूँगा। सरकार को इस पर कुछ कहना चाहिए। 40 प्रतिशत लोग हमारे देश में युवा हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: शून्यकाल में आप सरकार को उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकते। मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद: आप सरकार को कम से कम निर्देश दीजिए, मंत्री जी इस पर कुछ कहें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर तीन मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए।]

सभापति महोदय: अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले के लिए जाएंगे।

अपराह्न 2.3$^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी नोट प्रेस का यथाशीघ्र विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस, देवास के विस्तार का प्रस्ताव पूर्व में किया गया था तथा एक लाइन नई डालने की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु पानी की कमी के कारण इस स्वीकृति को स्थगित रखा गया था। अब लखुन्दर नदी से पर्याप्त पानी लाने की योजना पूर्ण होने को है। अब स्वीकृत एक लाइन को चालू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नोट छापने की स्याही का निर्माण पहले देवास बैंक नोट प्रेस देवास में ही किया जाता था। उक्त काम अभी भी किया जा सकता है। अत: सरकार से मांग है कि उपरोक्त दोनों कार्यों को देवास बैंक नोट प्रेस, देवास के हित में अतिशीघ्र करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विद्या योग के महान् आचार्य गुरू गोरखनाथ जी की तपस्थली गोरखपुर, उ.प्र. का एक प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक नगर है। दक्षिणवर्ती नेपाल सीमा से सटे इस नगर की प्रसिद्धि, प्रसिद्ध गोरखपुर मंदिर, गीता प्रैस, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली तथा निर्वाण स्थली, भगवान महावीर तथा संत कबीर की निर्वाण स्थली, अमर शहीद विस्मिल की शहीद स्थली प्रेमचन्द्र की कर्मस्थली के साथ-साथ देश की स्वतंत्रता के लिए तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा, डोहरिया और विरशनपुर, गठुडवा आदि ऐसे स्थल हैं जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कुछ योजनाएं रामगढ़ ताल योजना, तारा मण्डल की स्थापना, प्रेक्षागृह की स्थापना, एयर पोर्ट की स्थापना, महानगर के बाजार तथा चार फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण आदि विकास योजनायें प्रस्तावित हुई किन्तु उनमें से कुछ योजनाएं ही प्रारंभ हो पाई।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर के महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त लम्बित योजनाओं को अविलम्ब प्रारंभ किया जाए तथा गोरखपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

(तीन) विजिंजम और पोन्नानी मत्स्य पत्तनों के विकास हेतु केरल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, विजिंजम और मत्स्य ग्रहण बंदरगाह और पोन्नानी जो कि एक प्राकृतिक मत्स्य ग्रहण बंदरगाह है, के विकास के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव लम्बित है। मैं केन्द्र सरकार से सरकार के समक्ष लम्बित

परियोजना रिपोर्ट को बिना विलम्ब मंजूरी देने के लिए अनुरोध करता हूँ ताकि कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जा सके।

(चार) महिलाओं को एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): महोदय, स्वास्थ्य के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के छब्बीसवें विशेष सत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि लिंग असमानता को एच आई वी/एड्स का मूल कारण माना गया। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि महिलाओं को एड्स के विरुद्ध संघर्ष के मोर्चे पर सबसे आगे होना चाहिए। एड्स से प्रभावित नए युवा रोगियों में छियालीस प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2000 में एड्स से होने वाली 1.3 मिलियन मौतों में से बावन प्रतिशत महिलाएं थीं। महिलाओं के निम्नस्तर उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन और एच आई वी संचरण के बीच प्रत्यक्ष सह संबंध है। महिलाओं में एड्स रोग में वृद्धि हुई है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता अभी भी व्याप्त है। अब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि महिलाएं न केवल सामाजिक रूप से बल्कि जैविक रूप से भी पुरुषों से दुर्बल होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के एड्स के लिए दस बिलियन डालर का ग्लोबल फंड खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र द्वारा सृजित प्रेरणा को आगे बढ़ाने और देश में महिलाओं में एड्स के विरुद्ध लड़ने के लिए नीति बनाने का अनुरोध करता हूँ।

(पांच) कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काली नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कन्नौज को काली नदी विभाजित करती हैं। दोनों नदी के कारण संसदीय क्षेत्र भी दो भागों में बंट गया है। नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल के अभाव में लगभग 35 कि.मी. से भी अधिक की दूरी तय कर जनता अपने गन्तव्य स्थानों पर जाती है। इसमें समय भी काफी बर्बाद होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हू कि काली नदी पर शीघ्र एक पुल का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराए जिससे क्षेत्र की तमाम जनता की वर्षों से चली आ रही आवागमन की इस विकट समस्या का समाधान हो सके।

(छह) तमिलनाडु में होसुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित होसुर टी.वी.एस., अशोक लेलेंड, हिन्दुस्तान मोटर्स आदि विभिन्न उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर स्थित है, जिससे यह इन दो राज्यों के बीच लोगों तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण पारागमन बिन्दु के रूप में काम करता है। रेलवे स्टेशन पर रेल परिवहन और सुविधाओं का स्तर बहुत खराब हैं। रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म है जहां शेल्टर (आश्रय) की व्यवस्था है जिसके नीचे तीन से चार रेल डिब्बे ही खड़े हो सकते हैं। कभी-कभी रेलगाड़ियां अन्य दो प्लेटफार्मों पर रुकती हैं जहां बिल्कुल कोई शेल्टर नहीं है। जिससे लोगों को वर्षा और धूप में कष्ट उठाना पड़ता है। और वहां कोई सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, टेलीविजन और कैंटीन सुविधा नहीं है। इस समय वहां मैनुअल आरक्षण प्रणाली है। इस प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के अन्य दक्षिणी भागों जहां से अधिकतर लोग आते हैं, के लिए यहां से कोई रेल सेवा नहीं है। अत: होसुर होते हुए सलेम से बैंगलूर तक रेलगाड़ी चलाना आवश्यक है।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से होसुर रेलवे स्टेशन को तत्काल उन्नत करने और ये सभी सुविधाएं प्रदान कराने का अनुरोध करता हूं।

(सात) तमिलनाडु मैग्नेसाईट लिमिटेड को बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के डेड बर्न्ट मैग्नेसाईट पर सीमा शुल्क और अधिभार को बजट पूर्व के 25 प्रतिशत के स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए डैड बर्न्ट मैग्ने साइट पर सीमा शुल्क में 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कमी और दस प्रतिशत अधिकार के समाप्त करने के कारण तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड, सेलम और सेलम मैग्नेसाइट बेल्ट, जो देश की कुल आवश्यकता की नब्बे प्रतिशत को पूरा करते हैं, की उत्तरजीविता खतरे में है। अब निमानिया के निर्माता अच्छी किस्म के आयातित जले हुए मेग्नेसाइट के साथ मिलाने के लिए कम मूल्य पर घटिया दर्जे का जला हुआ मैग्नेसाइट खरीद रहे हैं ताकि उसका उपयोग निमानिया ईंटों को बनाने में किया जा सके, जो सीमा शुल्क में कमी के कारण और सस्ता हो गया है, इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड के उत्पाद की मांग अत्यधिक कम हो गई है। यह स्थिति ऐसी

हो गई है जहां 4500 कामगार इस उद्योग पर निर्भर हैं, जो बहुत शीघ्र बेकार हो जाएंगे।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार अच्छी किस्म के जले हुए मैग्नेसाइट पर बजट से पूर्व के 25 प्रतिशत के सीमा शुल्क और दस प्रतिशत अधिभार को बहाल करे ताकि तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड का मार्ग प्रशस्त किया जा सके और इस परम्परागत, घरेलू और श्रम-प्रधान उद्योग को बचाया जा सके।

(आठ) तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में चर्मशालाओं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.टी. षणमुगम (वेल्लौर): महोदय, तमिलनाडु में वेल्लौर जिले के चमड़ा उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ निर्धारित सीमा से कहीं अधिक होता है। चमड़ा उद्योगों से निकलने वाला तरल अपशिष्ट विभिन्न जल निकायों जैसे पब्लिक सीवर और तालाब, नदी आदि जैसे अंत:भूजल में मिल जाता है। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले इस तरल अपशिष्ट के उपचार के लिए वेल्लौर जिले में रानीपेट और वनियमवाड़ी में एक सामान्य जल शोधन संयंत्र लगाया गया।

महोदय, यह समझने वाली बात है कि रानीपेट और वनियमबाड़ी में जल शोधन संयंत्र लगाये जाने के बावजूद पलार नदी का जल अभी भी प्रदूषित है और यह पीने तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रदूषित जल के कारण हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर राज्य सरकार चमड़ा उद्योगों से पैसा इकट्ठा करने और प्रभावित कृषकों को मुआवजा के रूप में इसे देने के लिए सहमत हो गई है। परन्तु उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और प्रभावित कृषकों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों को उचित परामर्श देने का निवेदन करता हूँ।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह पलार नदी में बढ़ते प्रदूषण का आकलन करने के लिए वहां एक केन्द्रीय विशेषज्ञ दल भेजे और पर्याप्त धनराशि प्रदान करे ताकि वेल्लौर जिले में चमड़ा उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण के लिए मौजूदा सामान्य जल शोधन संयंत्र के मानकों की जांच की जा सके।

(नौ) बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, आज पूरा बिहार बाढ़-सुखाड़ की चपेट में है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिला बन्द हो गया है। सभी उद्योग बन्द हो चुके हैं। मजदूरों की माली हालत दयनीय हो चुकी है। आज बिहार में विकास की जरूरत है।

अत: मैं चाहूंगा कि बिहार राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा निम्न मुद्दों पर दिया जाये:

1. बिहार में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु बाढ़-सुखाड़ के स्थाई निदान के लिए।
2. बन्द या रुग्ण सभी उद्योगों को चालू करने या नया उद्योग स्थापित करने के लिए।
3. बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारंटी या विशेष भत्ते के लिए।
4. यातायात और बिजली तथा अन्य के उत्पादन के लिए।
5. शिक्षा नीति को व्यापक बनाने के लिए।
6. निरीह पीड़ितों, बाल कल्याण, महिला कल्याण एवं विकलांगों की सुविधा के लिए।
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा बदलाव के लिए।
8. किसानों के गन्ने एवं मजदूरों के वेतन भुगतान के लिए।
9. डालमिया नगर फैक्ट्री, समूह सहरसा एवं दरभंगा के पेपर मिल, कटिहार जूट मिल, भागलपुर एवं गया के सिल्क मिल, बिहार के सभी चीनी मिलों को चालू करने के लिए।

(दस) कोलकाता, रांची और दिल्ली के बीच विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): झारखंड प्रदेश के गठन के बाद रांची इस प्रदेश की राजधानी बनी है। राजधानी बनने के बाद यहां पर स्थित व्यावसायिक केन्द्र और राज्य सरकार की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ चली हैं, जिसके कारण हवाई यातायात की मांग भी बढ़ी है। पूर्व में रांची कोलकाता के बीच हवाई सेवा कार्यरत थी, परंतु उसे बंद कर दिया गया। कई कारणों से कोलकाता एवम् रांची का घनिष्ठ साथ है। व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए कोलकाता-रांची-दिल्ली और दिल्ली-रांची-कोलकाता के बीच हवाई सेवा शुरू किए जाने की अति आवश्यकता है।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लोकहित में रोजाना कोलकाता-रांची-दिल्ली और दिल्ली-रांची-कोलकाता के बीच हवाई सेवा आरम्भ की जाए।

(ग्यारह) बिहार में और अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): इस समय प्रति लाख जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय मार्ग का औसत 211 कि.मी. है, जबकि बिहार में यह औसत केवल 120 कि.मी. है। प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों के राष्ट्रीय औसत 48 कि.मी. की तुलना में बिहार में यह केवल 37 कि.मी. है। विभाजन के बाद शेष बिहार के आंकड़े और भी निराशाजनक हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिला कर आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्र शेष बिहार में सड़क के बुनियादी ढांचे में विकास और सुधार कराने की कृपा की जाए।

अपराह्न 2.17 बजे

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988, में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्तावित मोटर यान (संशोधन) विधेयक के बारे में कुछ और शब्द कहना चाहूँगा। राज्य सभा ने इस विधेयक को 6 अगस्त को पारित किया।

माननीय सदस्य जानते हैं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 एक केन्द्रीय कानून है जिसके द्वारा पूरे देश में सड़क परिवहन को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। वर्ष 1989 में, मोटर यान अधिनियम, 1939 की जगह मोटर यान अधिनियम, 1988 लाया गया। तदनुसार, इस अधिनियम की धारा 66 और 67 में पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया था। उस संशोधन में, सी.एन.जी., सौर ऊर्जा और विद्युत से चलने वाले वाहनों को राज्य प्राधिकारियों से परमिट न प्राप्त करने की छूट दी गई थी, और उन्हें अपना यात्री किराया और माल भाड़ा निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। यह वास्तव में, पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।

गत दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से सी.एन.जी. का उपयोग बढ़ा है। दिल्ली में सी.एन.जी. का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकारों ने यह महसूस किया है कि इससे अब सड़कों पर अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होती और वाहन के मालिकों द्वारा ही यात्री किराया और माल भाड़ा तय किया जाना है। इसलिए राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि इस सुविधा को वापस लिया जाना चाहिए तथा सी.एन.जी. और अन्य प्रकार के ईंधनों का उपयोग करने वाले वाहनों का नियंत्रण राज्य के प्राधिकार के अंतर्गत होना चाहिए।

इसी उद्देश्य से इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह कदम सड़कों पर यातायात अनुशासन तथा सुरक्षा और संरक्षा के हित में है और राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों को नियंत्रित करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, यह एक ऐसा विधान है जिसका हमारे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आज, लोग अपना वाहन चलाने के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। यह सही है कि यह केन्द्रीय विधान हमारे देश में कुल मोटर परिवहन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पर्यावरण अनुकूल ईंधन के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु पहले ही धारा 66 और 67 में संशोधन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आ रहे हैं और इसलिए, सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए।

अब सरकार ने इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष इन गतिविधियों को विनियमित करने हेतु राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देने के लिए पूर्व संशोधन को बदलने के लिए कहा है। यह दोधारी तलवार जैसा है। कृपया दिल्ली पर नजर डालिए। इस सरकार ने राजधानी शहर, दिल्ली में पूरी तरह से अव्यवस्था पैदा कर दी है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने यह देखने के लिए कहा था कि दिल्ली में चलने वाले सभी

[श्री रमेश चेन्नितला]

बसें और वाहन पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग करें। इसी सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था कि ये यह देखेंगे कि 30 सितम्बर, तक सभी वाहन सी.एन.जी. का उपयोग करें।

राजधानी में, कल 'बंद' का आयोजन किया गया था और सभी विद्यालय बंद थे। जो लोग इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने ही बंद का आयोजन किया है और यह स्थिति की विडंबना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को कौन नियंत्रित कर रहा है? यह न तो दिल्ली सरकार है, न ही कोई राज्य सरकार, यह भारत सरकार है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर नियंत्रण रखती है। केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे देश में ईंधन के समुचित वितरण के लिए जवाबदेह हैं। पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किए बिना, स्थिति का आकलन किए बिना ही केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दे दिया कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, पर्याप्त गैस है यह प्रयास करेंगे कि दिल्ली में चलने वाले वाहन सी.एन.जी. का प्रयोग करें। 30 सितम्बर के बाद स्थिति और गंभीर हो जोगी। गरीब लोग अधिक परेशानी में हैं। यदि कहीं जाना हो तो राजधानी शहर, दिल्ली में उन्हें उचित परिवहन व्यवस्था का अभाव खटक रहा है। मैं यह नहीं समझ रहा हूँ कि राज्य सरकार पर क्यों दोष दिया जा रहा है। सभी समाचार-पत्र इस समाचार से पटे पड़े हैं।

कल, पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्री ने एक बैठक की थी। माननीय मंत्री इस सभा में उपस्थित हैं। उन्हें राजधानी शहर, दिल्ली में किये जा रहे वैकल्पिक उपायों के बारे में इस सभा और इस सभा के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। वे राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वे राज्य सरकार पर जवाबदेही को नहीं टाल सकते। दुर्भाग्यवश, वे पूरी तरह से स्थिति का राजनीतिकरण कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं किया है।

महोदय, यहां तक कि वे इस मुद्दे पर सुनने को भी तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कल तो जीवन जैसे पूरी तरह से ठहर गया था। सभी विद्यालय बंद थे। शहर में सामान्य जन-जीवन बाधित हुई थी। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इस सरकार का इस देश की जनता के प्रति प्राथमिक कर्त्तव्य है या नहीं।

महोदय, अब ऐसा लगता है कि यह संशोधनकारी विधेयक उन लोगों को दंडित करने का एक प्रयास है जिन्होंने अपने वाहन को सी.एन.जी. में बदलवा दिया है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपने वाहन को सी.एन.जी. में बदलने में भारी राशि का निवेश किया है। अब, उन्हें गैस नहीं मिल रही है। गैस भराई केन्द्रों पर लंबी कतार देखी जा सकती है और सरकार राजधानी में और अधिक गैस भराई केन्द्र खोलने हेतु लाइसेंस नहीं दे रही है। सरकार इस नई प्रणाली में उनको पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है। अब, इस संशोधनकारी विधेयक से हम उन्हें विनियमित करने एवं और अधिक दंडित करने जा रहे हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि उन लोगों को कुछ सुरक्षा दी जानी चाहिए जिन्होंने अपने वाहन को सी.एन.जी. में बदलने हेतु भारी राशि का निवेश किया है। दूसरी बात, उनको कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि वे परेशानी में फंस गए हैं। मैं समझता हूँ, इस संशोधनकारी विधेयक द्वारा हम लोगों को और अधिक दंडित करने जा रहे हैं। लोगों ने पर्यावरण अनुकूल ईंधन में अपने वाहनों को बदलवा दिया है क्योंकि उस समय किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप मोटर यान अधिनियम की धारा 66 और 67 के अंतर्गत उन्हें इस तरह की सुविधाएं मिल रही थीं। अब हम उनसे यह सुविधा वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे अधिनियम से उन्हें और अधिक सजा देने जैसा होगा।

महोदय, अब हम राज्य सरकार को यह प्राधिकार दे रहे हैं ताकि राज्य सरकार परमिट, माल-भाड़े इत्यादि के बारे में निर्णय कर सके; और, उन लोगों के लिए भी कोई प्रोत्साहनकारी उपाय नहीं किये जा रहे हैं जिन्होंने अपने वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल बना लिया है। मेरा अनुरोध यह है कि उन लोगों को, जो अपने वाहनों को पहले ही पर्यावरण अनुकूल बना चुके हैं। कुछ संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं। तब, और अधिक लोग इस प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए सामने आयेंगे और हम देश में पर्यावरण अनुकूल इंधन के प्रयोग को बढ़ावा दे सकेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या करने का विचार है। मैं नहीं जानता कि सरकार किसी प्रकार के वैकल्पिक ईंधन का चलन शुरू करना चाहती है या नहीं। आज के समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार हैं कि, "वैकल्पिक ईंधन की अनुमति देने हेतु अध्यादेश जारी करने के लिए भारी दबाव" और "गृह मंत्रालय आटो वाहनों में पेट्रोल तथा बसों में कम गंधक वाले डीजल के पक्ष में" इत्यादि।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह, खासकर दिल्ली की जनता को और सामान्यत: देश भर के लोगों को, इस बारे में आश्वस्त करे कि सरकार किसी प्रकार के वैकल्पिक ईंधन के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि, राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में अफरातफरी के वातावरण को शांत किया जा सके। अब सरकार देश में कम गंधक मात्रा वाले डीजल का उपयोग करने की बात कर रही है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या वह यह आश्वासन दे सकती है कि हमारे

देश में इसके पर्याप्त भण्डार हैं अथवा नहीं? इसके लिए क्या प्रबंध किये जायेंगे? क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ और अधिक फिलिंग-स्टेशनों को सुविधा मुहैया करायेगी? सरकार कम गंधकयुक्त डीजल की अधिकाधिक मात्रा कैसे उपलब्ध करा पाएगी? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

महोदय, आज, खासकर दिल्ली की जनता और सामान्यतौर पर देश के अन्य भागों की जनता भी, उच्चतम न्यायालय के फैसले और केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निर्णय के कारण परेशानी में पड़ गई है। सरकार इस स्थिति का व्यापक आकलन कर कोई नया प्रस्ताव लाये; अन्यथा स्थिति गंभीर हो जायेगी। हमें उन लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपने वाहनों में परिवर्तन करके उन्हें पर्यावरण अनुकूल बना लिया है।

महोदय, अंत में मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वह उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए विशिष्ट उपाय करे जो दिल्ली की सड़कों पर समस्या का सामना कर रहे हैं।

मुझे आशंका है कि यदि सरकार 30 सितम्बर तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करती तो स्थिति और गंभीर हो जायेगी। यह प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह जनता को परिवहन की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये। दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार इसमें असफल रही है। सरकार को आगे आकर लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली की परिवहन-व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): महोदय, मैं मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूँ।

मैंने श्री चेन्नितला का भाषण सुना। उनके भाषण का 80 प्रतिशत भाग तो दिल्ली और दिल्ली की सी.एन.जी.-विषयक समस्या पर ही केन्द्रित था। यह स्थिति बहुत कुछ कूपमण्डूक होने के जैसी है। एक बार जब वह मेढक कुएं में कूद जाता है, तो फिर बाहर नहीं आता; कुआँ ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। अत:, विधेयक के विस्तृत प्रभावों के बारे में विचार करने की अपेक्षा प्रतीत होता है कि-उन्होंने स्वयं को इस मुद्दे पर सिर्फ मंत्री जी पर प्रहार करने तक ही सीमित रखा।

[हिन्दी]

महोदय, मैं समझता हूं कि इसके आप जब कभी उद्देश्यों और कारणों का कथन देखें तो मैं अपने आपको सिर्फ सीएनजी के मामले को न लेता हुआ, जो अन्य बातें निकली हैं, उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले उद्देश्यों और कारणों के कथन में अगर आप देखें, उसमें लिखा है-उक्त संशोधन लाने का आशय ऐसे परिस्थितिक अनुकूल ईंधन से यानों के चलाए जाने को प्रोत्साहित करना था। वहीं दूसरे पैरे में लिखा है—सड़क पर ऐसे यानों की संख्या अत्यधिक हो गई है। इसी पैरा की अंतिम लाईन में लिखा है—ऐसे यानों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

महोदय, हम एक तरफ इको-फ्रेंडली व्हीकल्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमें डर भी लगता है कि ऐसे यानों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। तीसरे पैरे में लिखा है—उपर्युक्त स्थिति से सड़कों पर अनुशासनहीनता और परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ईंधन प्रयोग या सीएनजी से कर रहे हैं या दूसरे सौर ऊर्जा वाले कर रहे हैं, वे अनुपात में कितने हैं, जो दूसरे ईंधन से चलाए जाते हैं। चौथे पैरे में लिखा है—प्रस्तावित संशोधन, कुल मिलाकर सड़क सुरक्षा प्राप्त करने के हित में तथा स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है।

महोदय, 1994 में मंत्री जी ने कहा कि यह बिल इस उद्देश्य से आया था कि जो ऐसे नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स और ईंधन हैं, उसके साथ उन्हें चलाएं, जिससे पोल्यूशन कम हो। साथ-साथ उन्होंने यह बात भी रखी है कि इनके बढ़ने के कारण सुरक्षा के मामले में बड़ी समस्या हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा सीएनजी के वाहनों को काट देने से या कम कर देने से अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुझे याद है, आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व एक नियम पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लोग तेज हैड लाइट्स लेकर मुख्य मार्गों पर या हाई-वेज पर गाड़ी चलाते हैं या शहरों में चलाते हैं उससे सामने आने वाले वाहनों को काफी समस्याएं होती हैं। उसके लिए यह नियम बनाया गया था कि कम से कम हैड लाइट आधी काली पेंट कर दी जाए, जिससे सामने वाले किसी व्यक्ति को समस्या न हो। लेकिन आज भी कहीं उसका पालन नहीं होता। दिल्ली में कहीं घूम लें या दिल्ली से बाहर चले जाएं, आप देखेंगे कि इन नियमों का पालन नहीं होता है, कहीं भी हैड लाइट पेंट नहीं होती है।

कुछ साल पहले यह भी नियम था कि जिन गाड़ियों में काले शीशे लगे हैं, उसके कारण ड्राइवरों को समस्या होती है और ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए काले शीशे ज्यादा न रखे जाएं। उसका प्रतिशत इतना होना चाहिए जिससे सामने बैठे ड्राइवर को या पीछे बैठने वाले लोगों को दिखाई दे कि यातायात किधर से आ रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि

[श्री कीर्ति झा आजाद]

दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में काले शीशे लगी अनेकों गाड़ियां दिखाई देंगी।

मान्यवर, यह अवश्य कहा जा सकता है कि राज्य सरकारें यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को लगाती हैं लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि यातायात के नियम क्या हैं? आज लाइसेंस ऐसे बिकता है जैसे हलवाई की दुकान पर लड्डू। सांसद महोदय जब स्टेट या हाइवे पर सफर करते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि सड़कों के दोनों ओर एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं। ये क्यों होते हैं इस पर भी हमें विचार करना होगा? मंत्री महोदय को मैं एक बात के लिए अवश्य बधाई देना चाहूंगा कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर गोल्डन ट्रैंग्ल बना रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस खरीदा हुआ हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी न हो, शराब पीकर तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे हों, तो दुर्घटना के अलावा क्या हो सकता है। अनेकों दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें आगे की हैड-लाइट्स जली होना भी एक कारण होता है। सामने से आने वाले चालक को हैड-लाइट्स की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता है और दुर्घटना हो जाती है। माननीय राजेश पायलट जी की भी उसी कारण से दुर्घटना हुई थी जब वे अपने क्षेत्र से जयपुर जा रहे थे। आज ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नियम पहले ही बहुत हैं, हम और नियम ले आएं तो दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, कितनी कम हो जाएंगी—यह भी विचारणीय विषय है। मेरा मत है कि सबसे महत्वपूर्ण बात नियमों को सख्ती से लागू करने की है।

माननीय सांसद जब अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो देखते होंगे कि 10 मीटर पर या 10 मील पर स्पीड ब्रेकर बिना स्पैसिफिकेशन के बना दिये जाते हैं। ठीक हैं या नहीं हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, यह देखने वाला कोई नहीं है। आज नेशनल हाईवे पर पैट्रोलिंग की आवश्यकता है। हल्की सी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो गांव वाले जहां चाहते हैं वहां स्पीड ब्रेकर बना देते हैं और गलत स्पीड ब्रेकर बनने के कारण उनसे भी दुर्घटनाएं होती हैं।

आज सिर्फ सीएनजी या दूसरे किसी ईंधन की बात नहीं है, बात यह है कि हम किस प्रकार से इस समस्या को नियंत्रित करें जिससे दुर्घटनाएं न हों। विदेशों में यंत्र लगाकर रखते हैं कि किस गाड़ी की स्पीड कितनी है और क्या उसने स्पैसिफाइड स्पीड का उल्लंघन तो नहीं किया है और किया है तो उस पर जुर्माना होता है। शराब की जांच का यंत्र भी होता है। थोड़ा बहुत ही अगर यातायात के नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो वे चालक को तुरंत रोककर जांच करते हैं और जांच में पता लगते ही कि चालक ने शराब पी है तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह आवश्यक है कि सड़क पर यातायात को नियमित करने के लिए, सड़क के नियमों का कठोरता से पालन करवाना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, मैं बस समाप्त ही कर रहा हूँ। मेरे पास दो मुद्दे और हैं। फिर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री कीर्ति झा आजाद: धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, जिस प्रकार की आजकल तेज रफ्तार की गाड़ियां चल रही हैं बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और दूसरी भी और हम लोग रोज अखबारों में उनके द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इनके लिए कोई गति-सीमा भी निर्धारित कर देनी चाहिए।

[अनुवाद]

हमें इन वाहनों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

[हिन्दी]

जितने भी कार्मर्शियल व्हील्स या तेज रफ्तार. गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलती हैं उनकी गति की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए।

आजकल कोई भी चालक रेड-लाइट पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं दिखता है। चाहे उस व्यक्ति को घर जाकर कोई भी काम न हो। लेकिन फिर भी वह ट्रैफिक लाइट पर नहीं रुकना चाहता है। इस वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। कुछ समय पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि सड़क के नियम होते क्या हैं?

शायद बहुत से लोग सड़क के पास पूछते हैं कि राइट ऑफ दी वे क्या है? शायद इस बारे में किसी को पता नहीं है और कोई बता भी नहीं पाएगा। हर समय कहा जाता है कि जहां राइट हैंड ड्राइव हो वहां राइट हैंड साइड से सही रास्ता होता है लेकिन दिल्ली में और अच्छे बड़े शहरों में हमने देखा है कि यातायात

को राउंड एबाउट पर रोक दिया जाता है। पुलिस वहां खड़ी हो जाती है और दाहिनी तरफ से जो यातायात आता है उन्हें रोक देती है और मेन रोड से आने वाली गाड़ियों को जाने देती है। इससे ट्रैफिक जाम होता है।

मैं यहीं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा लेकिन इन सभी बिंदुओं पर चाहूंगा कि आप विचार करें और देखें कि दुर्घटनाएं केवल सी.एन.जी. और दूसरे ईंधन के कारण नहीं बल्कि दूसरे कई कारणों से हो रही हैं। इसे पूर्णरूपेण देखना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): धन्यवाद, सभापति महोदय।

इस विधेयक में यह इरादा किया गया है कि उन वाहन-मालिकों को मिली छूट को हटा लिया जाये, जिनके पास संपीड़ित प्राकृतिक गैस-चालित (सी.एन.जी.) वाहन हैं। सी.एन.जी. को देश में बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रणार्थ उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुपालन में लाया गया था। यह स्वाभाविक ही है कि दिल्ली चूंकि देश को राजधानी है, अतएव उसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। लेकिन प्रदूषण तो हर तरफ बढ़ रहा है; अकेले दिल्ली या मुम्बई में ही नहीं! अत:, विधि को संशोधित करते समय हमें इन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

इस विधेयक के संदर्भ में जो पहला उल्लेख मैं करना चाहूंगा, वह एक आशंका के रूप में है। दिल्ली में सी.एन.जी. का उपयोग अब सामान्य बात बन चुका है। जहां तक कोलकाता, चैन्नै आदि महानगरों और अन्य कई शहरों का प्रश्न है—तो मुझे पता लगा कि मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001 वहाँ पर भी लागू होता है, चूंकि यह एक केन्द्रीय विधान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह संपूर्ण देश पर लागू है। तब केवल दिल्ली में ही ऐसी रियायत या छूट देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? दूसरे शहरों के बारे में क्या होगा?

हमने अधिनियम की धारा 66 तथा 67 के तहत ये रियायतें दी थीं। ये रियायतें और छूट उन वाहनों को दी जा रही थीं जो सी.एन.जी. का उपयोग करते हैं ताकि पर्यावरण अनुकूल ईंधन के प्रयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाये। यही मूल अधिनियम की धारा 66 व 67 का मुख्य प्रयोजन है। अब अधिकांश वाहनों में सी.एन.जी. का प्रयोग होने लगा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद तो यह एक सामान्य सी बात बन गई है; तथा अब यह अनिवार्य भी है।

मेरा कहना यह है कि कोलकाता, चेन्नै और देश के अन्य शहरों के वाहन मालिक भी अपने वाहनों में डीजल की जगह सी.एन.जी. का उपयोग करना चाहेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें भी ऐसी ही रियायत प्रदान की जायेगी? मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूँगा। यदि 1988 के मोटर यान अधिनियम से धारा 66 और धारा 67 को हटा लिया जाये तो दिल्ली के अलावा अन्य शहरों के वाहन मालिकों की स्थिति क्या होगी?

यदि आप विश्व भर में प्रदूषण संबंधी स्थिति पर गौर करें तो पायेंगे कि भारत के नगरों को विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों के रूप में दर्शाया गया है। अतएव, हमें हमारे वर्तमान वाहनों और प्रणालियों का स्तर सुधारने की आवश्यकता है। जब सी.एन.जी. का ईंधन के रूप में प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया तो काफी कोलाहल मचा; लाठी-चार्ज हुए; लोगों ने वाहन जला दिए। यदि हम सी.एन.जी. को लाना ही चाहते हैं तो फिर समुचित सुविधा होनी चाहिए।

ऑटो रिक्शा चालकों को ईंधन भराने के लिए पेट्रोल-पम्पों पर चार-चार, पांच-पांच घण्टे इंतजार करना पड़ता है। लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। वे सवारियों से ज्यादा भाड़ा भी वसूल रहे हैं। कल, 28 अगस्त, 2001 को क्या हुआ? दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से काफी संख्या में बसें, ऑटो रिक्शा, टैक्सियां नहीं चलीं। परिणामस्वरूप, स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने-अपने स्थानों पर पहुँचने में काफी दिक्कत हुई।

महोदय, आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि एक उच्च-स्तरीय बैठक में, जिसमें केन्द्रीय मंत्री और दिल्ली के भा.ज.पा. संसद्-सदस्य उपस्थित थे और जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री ने की—माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध करने का निश्चय किया गया कि नये सी.एन.जी. चलित आटोरिक्शों और टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने और बसों के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में कम गंधक युक्त डीजल—जो कि एक अन्य पर्यावरण अनुकूल ईंधन है—के प्रयोग की अनुमति देने विषयक एक अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जाये।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सी.एन.जी.-चलित टैक्सयों और ऑटो-रिक्शों का भविष्य क्या होगा? पहले आपने पेट्रोल इंजिन को सी.एन.जी.-इंजन में बदलने को कहा। अब आप फिर से उन्हें सी.एन.जी.-इंजन को डीजल-इंजिन कर लेने को कहेंगे। कम आय वर्ग के लोगों के लिए यह एक बहुत दिक्कत वाली बात होगी। अत:, आपको दोनों सुविधायें देनी चाहिए।

जहाँ तक वाहन-दुर्घटनाओं का संबंध है। अधिकांश मामलों में, इनका शिकार वे लोग होते हैं जो पैदल या साइकिल पर चलते

[श्री सुनील खां]

हैं। सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए इन मामलों पर अधिक गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने राजमार्ग गश्ती व्यवस्था के बारे में कहा; इससे मैं भी सहमत हूँ। राजमार्ग पर यदि गश्ती-वाहन होगा तो दुर्घटनाएं कम होंगी। विदेशों में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के कई तरीके होते हैं। महोदय, इन्हें गति-नियंत्रकों के बारे में पता करना चाहिए। यदि गतिसीमन के लिए गति नियंत्रण प्रणाली शुरू की जाती है तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी और वाहन चालन सुरक्षित हो जाएगा।

महोदय, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अधिनियम के प्रावधानानुसार, वह धारा 158 और 160 के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है। वह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक दावा-आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यह अधिकार है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह अधिकार उसके परिजनों को मिलता है। दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को यह मुआवजा दिया जाता रहा है। धारा 140 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति उस वाहन के चालक की गलती की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ हो जिसमें वह सवार था; तो उसे अंतरिम राहत प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 140 के तहत दुर्घटना का शिकार व्यक्ति अथवा उसकी मृत्यु की दशा में उसके परिजन अथवा उसका विधिक प्रतिनिधि, दावा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। किन्तु उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद क्या स्थिति बनी है? यह एक कठिन स्थिति है।

सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को दावों का भुगतान तुरन्त रोकने के लिए कहा गया है। मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का कारण समझ नहीं पाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवल 5000 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में दी जाती है और शेष धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, किसी दुर्घटना का शिकार कोई व्यक्ति अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पिता या अन्य संबंधी उस दुर्घटना में मारा गया हो, केवल पांच वर्ष की अवधि-पश्चात् ही मुआवजा राशि प्राप्त कर सकता है।

उसे मानसिक पीड़ा से गुजरना होता है। फिर उसे चिकित्सा हेतु धन की आवश्यकता भी होती है। इस तरह विलम्ब करने का क्या कारण है? मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं और आशा करता हूँ कि वह एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ताकि इस तरह की स्थितियाँ फिर से न घटित हों।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मैं मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2001 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस समय संपीड़ित गैस वाहनों की समिति संचालनात्मक गतिशीलता के मद्देनजर मूल मोटरयान अधिनियम 1988, वर्ष 1994 में संशोधित किया गया था। अब, हाल के परिवर्तनों के रुझानों और उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के अंतर्गत कि किसी को भी सड़क और पर्यावरण प्रदूषत करने का अधिकार नहीं है, सी.एन.जी. को प्रचलित किया गया है और अनिवार्य बनाया गया है। अधिकांश सार्वजनिक वाहनों को 30 सितम्बर तक संपीड़ित प्राकृतिक गैस में बदलने का समय दिया गया है। मुझे डर है कि क्या सरकार सार्वजनिक उपक्रम की सभी बसों और सार्वजनिक मोटरवाहनों को सी.एन.जी. में बदलने में सफल होगी। माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना होगा। यदि हाँ, तो वे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं क्योंकि केवल एक महीना बचा है? कल हमने आम लोगों को कठिनाईयों का सामना करते देखा। सार्वजनिक वाहन न मिलने के कारण कार्यालयों में बहुत कम उपस्थिति रही और कई लोग कार्यालय नहीं आये। स्थिति काफी खराब थी जिससे क्षति हुई। यह एक पहलू है।

आज दूसरी बात यह है कि न्यायालय ने बसों और टैक्सियों को सी.एन.जी. में बदलने का ऐसा निर्देश क्यों दिया? कई राज्यों में ऐसे सरकारी वाहन हैं, जो 10 से 15 साल पुराने हैं। ये वाहन डीजल से चलते हैं और धुआं छोड़ते हैं। जब हम डीजल चालित वाहनों के पीछे हों तो हमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से रुकना पड़ेगा। माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक मुंबई में इस समस्या से अवगत होंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): हैदराबाद में भी ऐसा है। पूरे भारत में यही है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। लेकिन यह भेदभाव क्यों? मेरा सुझाव है कि आप निष्पक्ष रहें। यदि हमें कुछ ढील देनी ही है तो यह कमजोर तबकों यानि सार्वजनिक परिवहन को देनी चाहिए न कि सरकार चालित बसों को। लेकिन अधिकांश टैक्सियां मालिक चलाते हैं। लेकिन अब काफी दबाव है कि वे इन्हें सी.एन.जी. में बदलें, या नहीं। विकल्प के रूप में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल (एच.एस.डी.) का भी प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर भी विचार किया जा सकता है या नहीं। यह अल्ट्रा लो सल्फर डीजल वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि कठिनाईयां कम से कम हों।

अगर आप जल्दी में कोई सुधार लाना चाहें तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह नहीं चलेगा। सुधार अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से चलने चाहिए। आपको उन्हें समय सीमा देनी होगी और यह रातों-

रात नहीं हो जायेगा। हमारे देश में प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योग हैं और ऑटोमोबाइल परिवहन उनमें से एक है। लेकिन हम उन्हें समय दे रहे हैं। यदि जरूरत हो तो आपको उन्हें न्यायालय में यकीन दिलाना पड़ेगा, उन्हें उचित समय दीजिये और सुनिश्चित कीजिए कि आम आदमी और ऑपरेटरों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। जहां तक दिल्ली परिवहन का संबंध है, यह ठीक है। आप यह कर सकते हैं क्योंकि यह सरकारी उपक्रम है। सरकार सार्वजनिक वाहनों को सी.एन.जी. में बदल सकती है, अपना पेट्रोल पंप और सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन खोल सकती है। लेकिन यदि आप निजी आपरेटरों द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को इस तरह चलाना चाहते हैं इससे समस्यायें खड़ी होंगी। अत: कृपया इस पर विचार करें, उचित संशोधन करें, सुझाव दें और प्रक्रिया सुगम बनायें ताकि हमारा देश प्रदूषण मुक्त हो सके। हम सब प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य बड़े महानगरों में धुएं के बादल दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले केरल में लाल पानी बरसा है। यह इसलिए नहीं कि वहां कल तक लाल (साम्यवादी) सरकार थी और वह हार गई तथा हरित सरकार आ गई। यह सब प्रदूषण के कारण हुआ। विशाखापत्तनम में, जाड़े की अधिकांश सुबहों में धुएं के बादलों के कारण उड़ानों में देर होती है। आकाश 10 से 12 बजे दोपहर तक साफ नहीं होता है। यह सब प्रदूषण के कारण होता है। अत: मेरे कहने का अर्थ है कि यह विधेयक तो केवल एक शुरुआत है। यह एक अच्छा कदम है लेकिन साथ ही इसे निष्पक्ष होना चाहिए। यह सरकारी वाहनों समेत सभी वाहनों पर लागू होना चाहिए। सरकारी वाहनों को भारत-दो मानक के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। भारत-दो मानक के अंतर्गत कितने वाहन चलाये जा रहे हैं?

बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूरो-तीन मानक ला चुकी हैं और फिर वहां प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ भी भारत-दो मानक है। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे नये वाहन भारत-दो मानक के अंतर्गत निर्मित किए जाएं। सभी बसों, कारों और टैक्सियों हेतु भारत-दो मानक जरूरी बनाते समय सरकार को आदर्श स्थापित करना होगा। आप आदर्श स्थापित कीजिए और केवल तभी लोग इसका पालन करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, लोगों को लगेगा कि सरकार आम आदमी के प्रति कठोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटो या टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति घंटों लाईन में खड़ा होता है और नम्बर न आने पर एक दिन की आय से उसे हाथ धोना पड़ता है। कल्याणकारी समाज में हम आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक बना रहे हैं? आज ऐसी ही स्थिति व्याप्त है। कल का बंद हम सभी लोगों के लिए आंख खोलने वाला है। हमें स्थिति से भलीभांति निपटना चाहिए। साथ ही पहले ही आप जो कर चुके हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर्यावरण अनुकूल वाहनों हेतु पहले परमिट की जरूरत नहीं थी। टैक्सी मालिक खुद किराया निर्धारित कर सकते थे। आज आप उन्हें समान रूप से विनियमित कर रहे हैं। हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह समान अवसर उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सरकारी वाहन इससे बच रहे हैं। मैं बसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सरकारी कारों और टैक्सियों को भारत-दो मानक के अंतर्गत लाना चाहिये ताकि आप दूसरों को भी इस मानक के तहत लाने हेतु बाध्य कर सकें। इससे हम सब काफी हद तक देश में प्रदूषण के खतरे से बच सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, आजकल मोटर गाड़ियों में सी.एन.जी. का इस्तेमाल हो रहा है और अभी कुछ दिन पहले हमारे पेट्रोलियम मंत्री नाईक साहब ने एल.पी.जी. से भी कार चलाने की घोषणा की है। मैं सदन के माध्यम से देश की जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में सी.एन.जी. से वाहन चलते हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आए दिन अखबारों में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होने के समाचार हमें पढ़ने को मिल रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सी.एन.जी. बसों में आग लगी है और जहां से गैस भरी जाती है, वहां भी आग लगी है। उसी तरह से माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी ने एल.पी.जी. से भी वाहन चलाने की व्यवस्था की है। पैट्रोलियम मंत्री मौजूद हैं तथा हमारे परिवहन मंत्री भी हैं। मैं इनसे जाना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आज संसद में बैठे हुए लोग हैं या लाखों लोग जब गाड़ियां सड़कों पर सी.एन.जी. या एल.पी.जी. से चलाएंगे तो उसमें सुरक्षा का क्या इन्तजाम किया गया है? रास्ते में किसी बस में या गाड़ी में, चाहे मारुति हो या कोई दूसरी गाड़ी हो, यदि एक्सीडेंट होगा, गैस लीक करेगी, सी.एन.जी. लीक करेगी तो उस समय जो उसमें बैठे हुए यात्री होंगे, उनकी सुरक्षा का क्या इन्तजाम किया गया है? गाड़ी के अगल-बगल में जो सवारियां होंगी या उनका कोई सामान रहेगा, उसकी सुरक्षा का इसमें कुछ इन्तजाम किया गया है कि नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

रही बात सी.एन.जी. की शार्टेज की तो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी दिल्ली में शार्टेज लग रही है, इसलिए अब सी.एन.जी. की गाड़ियों को ज्यादा लाइसेंस नहीं देंगे। जब पूरे देश

[श्री धर्मराज सिंह पटेल]

में सी.एन.जी. या एल.पी.जी. की गाड़ियां चलेंगी तो हमारे देश में जो आम आदमी गांवों में रह रहा है, उसे गैस भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जब इतनी गाड़ियां चलेंगी तो सी.एन.जी. और एल.पी.जी. गैस लोगों को उपलब्ध हो जायेगी या जो गाड़ियां लेकर लोग चलेंगे, उनको भी लाइन लगानी पड़ेगी, मैं यह भी जानना चाहूंगा?

दूसरी तरफ कई माननीय सदस्यों ने सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। हमारे पूर्व सांसद राजेश पायलट जी और इस देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। आज जब ऐसी सुरक्षा में चलने वाले व्यक्तियों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है तो जो आम नागरिक सड़कों पर चल रहे हैं, गाड़ियों से उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए इस बिल में क्या प्रावधान किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा? आज प्रतिदिन कम से कम सैकड़ों व्यक्ति एक्सीडेंट से पूरे देश में मरते होंगे। जो लोग मरते हैं, जिनका इन्श्योरेंस नहीं है, जिनके पास कोई खाने-पीने का इन्तजाम नहीं है और जो सड़कों पर चल रहे हैं और वे मर रहे हैं तो उनके लिए क्या इस बिल में कोई ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मरने वाले के परिवार को जिसका बीमा नहीं है, इन्श्योरेंस नहीं है, उसके लिए भी क्या इसमें कोई प्रावधान किया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यदि इस बिल में प्रावधान नहीं किया गया हो तो ऐसी व्यवस्था करें। जब नई गाड़ियां आती हैं तो पंजीकरण करते वक्त इतना ध्यान रखा जाये कि वन टाइम थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस होना चाहिए, ताकि यदि कोई एक्सीडेंट हो तो उस गाड़ी के माध्यम से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आये दिन गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं, एक बार मेरी गाड़ी से भी एक्सीडेंट हुआ। हमने अपनी गाड़ी रोकने की कोशिश की, जब गाड़ी रुकने लगी तो हजारों की संख्या में पब्लिक ने घेर लिया तो मुझे मजबूरन अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि कोई सांसद जा रहा है, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाये और कोई आदमी मर जाये तो मैं जानना चाहूंगा कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए या मालिक के लिए सुरक्षा का कौन सा इन्तजाम किया गया है? ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, उस गाड़ी के ड्राइवर को या उसके मालिक को सुरक्षा प्रदान की जाये, नियमों में ऐसा कुछ संशोधन किया जाए।

जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसके ड्राइवर को सुरक्षा मिल जाए तो उसी गाड़ी में या दूसरी गाड़ी से घायल व्यक्ति को बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती। इसलिए ऐसा भी प्रावधान इसमें होना चाहिए। कोई व्यक्ति जानबूझ कर दूसरी गाड़ी को टक्कर नहीं मारता, लेकन यदि मारता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सड़कों पर लाखों की संख्या में ट्रक और बसें चलती हैं। हजारों-लाखों लोग ड्राइवर हैं। वे किसी तरीके से लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं और चलाते हैं। आज पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान, जिनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, लोन लेकर आटो रिक्शा या टैक्सी चला रहे हैं। परिवहन विभाग वाले और पुलिस वाले उनको बहुत परेशान करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि आजकल गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का बहुत चलन हो गया है। जिसको देखो वही ऐसा कर रहा है। मंत्री जी इस बारे में स्पष्ट करें कि लाल बत्ती का उपयोग कौन लोग अपने वाहन पर कर सकते हैं, क्या सांसद, विधायक या जिला परिषद के अध्यक्ष भी कर सकते हैं या नहीं? इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम नाईक: महोदय, मैं चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मुझे समय की कमी के बारे में जानकारी है। मुझे और शायद सभा को भी कठिनाईयों की जानकारी है...*(व्यवधान)*

उच्चतम न्यायालय भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। चूंकि यह मामला न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा। मैं सभा में केवल तथ्य रखूंगा ताकि इससे चर्चा में और सहायता मिले।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने उच्चतम न्यायालय को जो भी आश्वासन दिया है, उनका सम्मान किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो भी बसें और अन्य वाहन आने चाहिए, वे आयेंगे। यह काम किया जायेगा। उससे अधिक के लिए हमारे पास सी.एन.जी. उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय में हमने यही कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने 1998 में जब मूल आदेश दिया था, तो यह केवल बसों तक सीमित था। ऐसे वाहनों की संख्या करीब 10,000 या 12,000 होने की उम्मीद थी। लेकिन मार्च 2001 में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश का क्षेत्र बढ़ा दिया। आदेश में कहा गया कि इसके तहत आटो और टैक्सी भी आयेंगी। इसी कारण दिल्ली शहर में कुछ मुश्किलें आयी हैं। जब मैं लंबी कतारें देखता हूँ, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। मार्च के महीने में जब यह आदेश आया, उस समय दिल्ली में केवल 11,000 ऑटो थे। पिछले चार महीनों में यह संख्या बढ़कर 27000 हो गई है।

इस प्रकार ऑटो की संख्या में 16000 की वृद्धि हुई। इस कारण भी कुछ कठिनाई आ रही है। मैं उस पहलू को भी स्पष्ट करूंगा।

इसी प्रकार सी.एन.जी. टैक्सियों की संख्या केवल 4,000 थी। अब सड़कों पर ऐसी 11000 टैक्सियां हैं। इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। हम उससे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण हमने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख निवेदन किया है। उच्चतम न्यायालय ने भी इच्छा जताई है कि न्यायमित्र और महासालीसिटर श्री साल्वे इसे हल करने की कोशिश करें।

हमारे मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच दो बैठकें आयोजित हुई हैं? मैं दिल्ली की मुख्य मंत्री से भी मिला हूँ। हम न्यायमित्र के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने दो महत्वपूर्ण निवेदन किये हैं जो हम सभी से संबंधित है। 1998 के उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05 प्रतिशत होनी चाहिए। तब यह घटकर 0.25 प्रतिशत हुई। अब यह 0.05 प्रतिशत है। कतिपय परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। हमने उच्चतम न्यायालय को कहा है कि 0.05 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल एक शुद्ध ईंधन है।

मैं सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण विकसित देशों का आकड़ा बना रहा हूं। यह कनाडा में 0.05 प्रतिशत, सभी यूरोपीय देशों में 0.03 प्रतिशत, जापान में 0.05 प्रतिशत सिंगापुर में 0.03 प्रतिशत और अमेरिका में 0.05 प्रतिशत है। यह डीजल पूरे विश्व में प्रयोग में लाया जा रहा है। हमने अपने तेल भंडारों में सुधार किया है और 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 0.05 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल प्रदान कर रहे हैं। हमने उच्चतम न्यायालय में स्वीकार किया है कि इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में समझा जाए क्योंकि यह पूरे विश्व में बेचा जा रहा है।

दूसरी बात हमने अनुरोध किया है कि दो प्रकार के ईंधन होने चाहिए। सी एन जी ठीक है लेकिन सिर्फ सी एन जी वांछनीय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध और स्वीकार किया है कि दोयम ईंधन की अवधारणा सी एन जी, पेट्रोल और डीजल को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ बसों का अनुपात क्या है और कितनी बसें सी.एन.जी. की हैं। न्यूयार्क में बसों की कुछ संख्या 5,675 है और उनमें से सी एन जी बसों की संख्या 358 है जो कि मात्र 6 प्रतिशत है। टोरंटो, कनाडा जो पेट्रोल और गैस भंडार में समृद्ध हैं, 1500 बसों में मात्र 125 सी एन जी बसें, बर्लिन जर्मनी में 1700 बसों में मात्र 10 सी एन जी बसें, पेरिस में 4000 बसों में मात्र 53 सी एन जी बसें, और सिडनी आस्ट्रेलिया में 3900 बसों में मात्र 254 सी एन जी बसें हैं। इसलिए हम उच्चतम न्यायालय से विनम्रतापूर्वक विकसित विश्व के विभिन्न देशों पर ध्यान देने का अनुरोध कर रहे हैं। दिल्ली में एक ही प्रकार का ईंधन वांछनीय नहीं है। दूसरा अनुरोध मैंने यही किया है।

हम निकट भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ इस पर विचार व्यक्त करूँगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हमें सितम्बर के अंत तक 80 सी एन जी स्टेशनों की स्थापना करनी चाहिए लेकिन हम 87 करने जा रहे हैं जो कि सात सी एन जी अधिक है। हम 14 नये कम्प्रेशरों का आयात कर रहे हैं और उनमें से पांच पहले ही आ चुके हैं और हम नौ कम्प्रेशरों के आयात करने की प्रक्रिया में है। उनमें से सभी को सितम्बर माह के समाप्त होने तक स्थापित कर दिया जाएगा। उस समय तक सी एन जी के इंतजार में लगी सभी कतारें समाप्त हो जाएंगी। दिल्ली के लोगों को कम्प्रेशर आने तक और इसे स्थापित किये जाने तक एक महीना और बर्दाश्त करना होगा। दिल्ली सरकार ने 11 सी एन जी स्टेशनों को अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं की है। हम उन सी एन जी स्टेशनों में सिर्फ जेनरेटरों का उपयोग कर रहे हैं। मैंने दिल्ली की मुख्य मंत्री के साथ एक बैठक की थी। वे भी सहमत हुई हैं और कहा है कि जितना जल्दी संभव होगा विद्युत आपूर्ति कराने का प्रयास करेंगी। दिल्ली के लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा कि सभी समस्याएं सितम्बर तक सुलझा दी जाएं। दिल्ली सरकार ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके साथ मैं समझता हूँ कि लंबी कतारें सितम्बर के अंत तक बीती बातें रह जाएंगी। यही मैं कहना चाहता था। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): क्या 0.05 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल पूरे देश में उपलब्ध है?

श्री राम नायक: इस समय 0.05 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में पूरी मात्रा में उपलब्ध है। संभवत: अगले छह महीनों में 0.05 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल पूरे देश में उपलब्ध होगा।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): मंत्रीजी के वक्तव्य से हम सिडनी, कनाडा जैसे स्थानों और अन्य स्थानों के बारे में जान पाए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

श्री राम नायक: मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं।

अपराह्न 3.16 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए।]

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी): सभापति महोदय, मैं आपको यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं ए आई ए डी एम के की ओर से इस सभा में मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2001 के संबंध में इस चर्चा में भाग लेता हूँ। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ जो संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय संबंधी स्वीकृति के मद्देनजर राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।

चालकों की लापरवाही अथवा यांत्रिकी त्रुटियों के कारण बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं के बारे में प्रतिदिन अखबारों में खबरें आती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के कारण अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण हमारे देश के लोगों के बीच अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ये घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। इस संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से सरकार को इन गंभीर दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आगे आना चाहिए। 1994 के संशोधित अधिनियम की धारा 66 और 67 में यह प्रावधान है कि पर्यावरण के अनुकूल ईंधन वाहन परमिट की आवश्यकता से मुक्त है और ऐसे वाहनों के मालिकों को वस्तुओं की माल ढुलाई के साथ-साथ यात्रियों के किरायों का निर्धारण का अधिकार होगा। इसलिए अधिकांश वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं। इन वाहनों के ऊपर न तो राज्य प्राधिकार और न तो विधान मंडल द्वारा अधिकृत प्राधिकार का नियंत्रण है। राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु अनेक मांगें हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक निधियों का आवंटन नहीं कर रही है। यद्यपि केन्द्र और राज्य सरकारें सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही हैं लेकिन ये विगत में सफल नहीं रही हैं। अब सरकार दुर्घटनाओं और प्रदूषण दोनों को नियंत्रित करने के लिए यह नया विधान ला रही है। मैं सरकार से हमारे देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान विधान हेतु उपलब्धता की कामना करता हूं।

पिछले सप्ताह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुराची थैलेवी डा. जयललिता ने बजट सत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक उपचार केन्द्र मुहैया करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की थी।

तमिलनाडु में केन्द्र सरकार की ओर से ईंधन वाहनों के साथ इथेनाल की मिलावट के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाओं को भी शुरू करने की योजना थी। तमिलनाडु में बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ कारणवश इन्हें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उपरोक्त प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने का अनुरोध करता हूँ तथा जिसे विगत में प्रस्तावित किया गया है और जहां बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। संसद सदस्यों का एक दल माननीय मंत्री को पहले ही एक याचिका दे चुका है। इसलिए मैं उनसे मामले पर गौर करने और शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ।

मैं चालकों के लिए स्मार्ट कार्ड के प्रावधान के संबंध में एक और सुझाव देना चाहता हूँ। इसे पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जाए। सभी परिवहन प्राधिकारियों को साफ्टवेयर प्रणाली के जरिए जोड़ा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): सभापति महोदय, मैं मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूँ। मोटर यान अधिनियम की धाराएं 66 एवं 67 पर्यावरण अनुकूल ईंधन को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण अनुकूल ईंधन अर्थात् संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग केवल मुम्बई एवं दिल्ली में किया जा रहा है।

महोदय, मैं कहता हूं कि यह पक्षपात है। देश के अन्य भागों में, विशेषकर चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में ऐसे ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मैं सड़क दुर्घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर सरकार से ध्यान देने का आग्रह करना चाहता हूँ। यातायात नियमों और विनियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन हम पाते हैं कि देश में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं।

चालक लाइसेंसों को जारी करने के संबंध में, मैं कहता हूं कि चालक लाइसेंस जारी करने की प्रणाली में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। दूसरे देशों में, किसी व्यक्ति के लिए चालक लाइसेंस प्राप्त करना असंभव सा होता है। जब तक वह चालक के रूप में अभ्यस्त नहीं है, उसे लाइसेंस नहीं प्राप्त हो सकता है।

यहाँ, मैं कहना चाहता हूं कि हमें चालकों को शराब पीने से रोकना होगा। आजकल, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हम बड़ी संख्या में शराब की दुकानें पाते हैं। इसलिए, राजमार्गों पर पूरी तरह से मद्यनिषेध होना चाहिए। धारा 66 के अनुसार, 'सड़क पर चलायमान सभी वाहनों, चाहे वह स्टेट कैरज हो, कन्ट्रैक्ट कैरेज हो अथवा टैक्सी हो, के पास परमिट होना चाहिए।' यदि वाहनों को विद्युत,

बैटरी अथवा संपीड़ित प्राकृतिक गैस अथवा सौर ऊर्जा पर चलाने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें किसी प्रकार के परमिट का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सड़क सुरक्षा को लागू किया जाएगा और अव्यवस्थित रूप से वाहनों को चलाने की अनुमति देने के कारण अनगिनत संख्या में हो रही दुर्घटना को कम किया जा सकेगा।

जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं का संबंध है, पीड़ितों के लिए उपलब्ध लाभ क्षतिपूर्त ही है। दुर्घटना का पीड़ित व्यक्ति, अथवा दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने के मामले में उसका विधिक उत्तराधिकारी अथवा विधिक प्रतिनिधि दावे के लिए आवेदन दायर कर सकता है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सभी मोटर यान दावा न्यायाधिकरणों को धन का भुगतान करने से रोक दिया गया है। वे पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विचार से, यह अमानवीय और अन्याय है। हमारे देश में बड़ी संख्या में दुर्घटना से पीड़ित लोग हैं और कोई भी समय पर राहत और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस पहलू पर भी ध्यान देने का आग्रह करता हूँ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में कुड्डालोर-चित्तूर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित है। मैं माननीय मंत्री से इस पर ध्यान देने और इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह करता हूँ। साथ ही, तमिलनाडु में चेंगलपट्टु से मदुरई तक चार लेन वाली सड़क अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ और सड़क सुदृढ़ीकरण, चार लेन वाली सड़क का निर्माण और तमिलाडु में राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने से संबंधित कार्य को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक और तथ्य लाना चाहता हूँ कि ज्यादातर परिवहन बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियों को लादा जाता है। कई सारे क्षेत्रीय यातायात अधिकारी भ्रष्ट और अक्षम हैं। यह राज्य का विषय है फिर भी हमें मिल-जुलकर इसमें सुधार लाना होगा। सड़क सुरक्षा और हमारे देशवासियों की सुरक्षा के हित में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को इस सभा में रखा गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा लिया गया यह कदम स्वागतयोग्य है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मंत्री जी मोटर यान विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाए हैं। सन् 1988 के कानून में सन् 1994 में संशोधन हुआ था। नियम 66 और 67 में कहा गया था कि इको फ्रेंडली फ्यूअल, मतलब सीएनजी सोलर एनर्जी अथवा बेट्री से संचालित जो गाड़ियां होंगी, उन्हें परमिट की जरूरत नहीं होगी और वे सामान ढोने के लिए या भाड़ा तय करने के लिए आजाद होंगी। उन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा। हमें लगता है कि इको फ्रेंडली फ्युअल के प्रोत्साहन के लिए और प्रदूषण की मार, खासकर दिल्ली में सल्फर डाईआक्साइड और कौन-कौन सी गैस का नाम सुनते हैं जिससे बड़ी बीमारियां हो रही हैं और उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है। वैसे भी लाल बत्ती जलने से जब गाड़ियां रुकती हैं, उस जगह गाड़ी में बैठे-बैठे एहसास होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है और आंखों में भी अनईजीनेस, खुजलाहट और तकलीफ होती है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि दो-तीन हजार टन धुआं रोज निकल रहा है और प्रदूषण हो रहा है।

इसके लिए प्रोत्साहन देने वाला कानून उस समय बना था। लेकिन अब सीएनजी का बहुत प्रयोग हो रहा है। इसलिए परमिट में जो उनको पहले छूट दी गयी थी वह छूट अब न दी जाए और उस नियम 66 और 67 को समाप्त करने के लिए ये कानून लाए हैं। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सीएनजी का तो मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के कारण आपने उसको पॉपुलर बना दिया लेकिन सोलर एनर्जी जिसका इस्तेमाल होने से अनेक प्रकार की बचत देश की और समाज की है और दूसरी तरफ बैटरी और इलैक्ट्रिसिटी से संचालित होने वाले वाहन के लिए आप कह रहे हैं। सीएनजी के लिए जो आप कानून लाए हैं मेरे ख्याल में उसको रखना था लेकिन सोलर एनर्जी, बैटरी और इलैक्ट्रिसिटी को आपको अलग रखना चाहिए और उनको भी पॉपुलर होने दीजिए। एक साथ ये सब क्लॉज क्यों हटा रहे हैं। तीन-चार बातें उसमें लिखी हैं कि इको-फ्रैंडली फ्यूल, तो उसमें हमारा आग्रह होगा कि मंत्री जी उस पर पुनः विचार करें। संपूर्ण 66 क्लॉज को न हटाकर के उसमें से केवल सीएनजी को हटा लें और इलैक्ट्रिसिटी, बैटरी और सोलर एनर्जी को उसमें रहने दें—यह हमारा एक आपको सुझाव है।

दूसरा, सीएनजी को पॉपुलर करने के लिए आपने क्या केवल दिल्ली का आकलन किया है या यह कानून देश भर के लिए बन रहा है। देश के और हिस्सों में भी प्रदूषण की समस्या है। वहां की स्थिति पर भी आपको विचार करना चाहिए। नियम 66 को जो आप संपूर्ण हटाना चाहते हैं उसमें से केवल सीएनजी को

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हटाइये और सोलर एनर्जी, बैटरी और इलैक्ट्रिसिटी को और पॉपुलर होने दीजिए, फिर देखकर हटाइये।

माननीय सदस्यों ने एक्सीडेंट की बात की है। सीएनजी का प्रयोग जब से हुआ है तबसे एक्सीडेंट की शिकायतें ज्यादा हो रही हैं। उसके लिए भी कुछ उपाय होने चाहिए। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी बोल रहे थे कि दिल्ली में तीन लाख सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं और यूएसए में 85 हजार गाड़ियां चलती हैं लेकिन वहां पर एक्सीडेंट्स की शिकायत नहीं है। साल में केवल 1.7 प्रतिशत या 1.8 प्रतिशत शिकायत है। लेकिन यहां पर कहीं सीएनजी की गाड़ी में आग लग गयी और लोगों को जहां-तहां उससे खतरा हुआ।

आज सरकार सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक गाड़ी के विषय में कट ऑफ डेट उसने घोषित कर दिया। लेकिन इन्होंने सीएनजी की व्यवस्था नहीं की। गाड़ी चलाने वाले, टैम्पो चलाने वाले, बसें चलाने वाले दिल्ली में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। रात भर जागकर ये लोग सीएनजी अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं। मेरा कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं। आप न जाने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना कैसा पक्ष रखते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट आपको हड़का देता है और आर्डर निकाल देता है कि पाइंट फाइव वाला सल्फर वाला डीजल ठीक है। आप कोर्ट को अपना पक्ष बताइए, आप कोर्ट को संतुष्ट क्यों नहीं करते हैं? जज साहब शायद जब सड़क पर घूमते होंगे तो उनको धुआं केवल क्या सल्फर से लगता है? धुआं तो मिलावटी तेल के कारण, इंजन की खराबी के कारण भी हो सकता है। टैम्पो और बसें रेल के इंजन की तरह धुआं निकालती हैं और साथ ही आवाज का प्रदूषण भी करती हैं। लेकिन सरकार के पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। सीएनजी के अभाव के कारण दिल्ली के लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

इसके संबंध में माननीय पैट्रोलियम मंत्री केवल बयान दे रहे हैं। केवल बयान देने से क्या होगा? आप सी.एन.जी. की दिक्कत को देखते हुए दूसरा कोई उपाय करिए और सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़िये। हमें सिखा रहे हैं कि कम सल्फर वाले डीजल में यह होता है, वह होता है। पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में जो मिलावट हो रही है, उसे रोकिए। मिलावट होने से इंजन खराब होता है और धुआं भी ज्यादा आता है। इसका ठीक से इंतजाम होना चाहिए इतना ही मुझे कहना है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, सरकार की तरफ से मेजर जनरल खंडूड़ी साहब यह बिल लेकर आये हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बोलना चाहता हूं। कुल मिलाकर इस संशोधन विधेयक का मकसद यह है कि सड़क की सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवहन मंत्री जो सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं, उनके हाथों सड़कें सुरक्षित रहेंगी। यहां बैठे हमारे एक मंत्री सड़क सुरक्षा देख रहे हैं और दूसरे मंत्री राम नाईक जी स्वच्छ पर्यावरण देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि दोनों मंत्री अच्छे हैं और कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। यदि मेरे दो-तीन सुझावों की तरफ सरकार ध्यान देगी तो लोग सुरक्षित रहेंगे और उनके जान-माल की सुरक्षा ठीक तरह से होगी। क्या देश में सड़क व्यवस्था ठीक है? वह 70 परसैंट बिल्कुल ठीक नहीं है। 70 परसैंट सड़कें अच्छी हों ऐसी नई नीति बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

स्वच्छ पर्यावरण के लिए मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बोलना चाहता हूं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी वाहन हैं, पहले वे प्रदूषणमुक्त किए जाएं। दो-तीन दिन पहले मैंने मेन गेट से अपनी गाड़ी का एनाउंसमैंट करवाया लेकिन मेरी गाड़ी नहीं आई क्योंकि मेरा ड्राइवर सो रहा था। मैं कार पार्किंग में खुद चला गया। वहां मैंने देखा कि कुछ लोग एक गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। वह गाड़ी गृह मंत्रालय की थी। यह हकीकत है और मैंने अपनी आंखों से उस गाड़ी की हालत को देखा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारा गृह मंत्रालय गरीब है। यदि ऐसी हालत इस समय सरकारी गाड़ियों की है तो बाकी गाड़ियों का क्या हाल होगा? जैसे रेल धुआं छोड़ती है, वैसा धुआं उस गाड़ी से निकल रहा था। मैं सरकार से अपील और विनती करना चाहूंगा कि पहले जितने भी सरकारी वाहन हैं, वे प्रदूषण मुक्त किए जाएं और बाद में दूसरी गाड़ियों को लें।

सभापति महोदय, मैं 11वीं लोक सभा के दौरान नार्थ कोरिया गया था। वहां आम लोगों को वाहन रखना अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा राजनेता, सिनेमा में काम करने वाले लोग ही गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे यहां मियां की अलग गाड़ी है, बीवी की अलग और बच्चे की अलग गाड़ी है। मेरा सरकार को सुझाव है कि वाहन खरीदने के लिए कहीं-न-कहीं रोक लगनी चाहिए। क्या सरकार ऐसी नीति बनायेगी या कानून में ऐसा संशोधन लायेगी कि एक परिवार में एक गाड़ी हो।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 1994 को कांग्रेस सरकार

द्वारा संस्थापन आर्थिक सुधार के आधार पर लाया गया था जैसाकि आपने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के वक्तव्य में उल्लेखित किया है। आपने कहा है: 'ग्रह व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि पर्यावरण अनुकूल ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट होगी और ऐसे वाहनों के मालिकों को यात्री और माल के वहन का किराया-भाड़ा निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।' यह वस्तुत: आर्थिक सुधार की प्रक्रिया है। आज आवश्यकता लोगों को इसके संबंध में जागरूक करने की है। अतएव, आप वाहनों का निर्माण इन मानकों के अनुसार कर सकते हैं और आप वाहन चला सकते हैं जिससे कि लोग पर्यावरणानुकूल वाहनों का लाभ उठा सकें। इसी कारण से यह छूट दी गई थी।

मैं नहीं जानता कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए कितने वाहन सामने आए हैं। उद्देश्य और कारण वक्तव्य के अनुसार संपीड़ित प्राकृतिक गैस की जबरदस्त मांग है और बड़ी संख्या में वाहन सड़कों पर आए हैं जिससे हम उनका विनियमन करना चाहते हैं। मैं वर्तमान सरकार के हाइड्रोकार्बन विजन-2025 के एक अंश को पढ़ना चाहता हूं—पांच मुख्य बिन्दुओं में से एक के अनुसार: 'निवेशकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए।'

मैं सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि वाहनों के निर्माण के लिए कुछ उद्यमों में कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार का अवसर क्यों दिया गया है। यदि आप इस मांग की अनुमति देते हैं जिसका सृजन इस प्रकार के वाहनों को चलाने के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार किया गया था, फिर आपको उन्हें दिल्ली और मुम्बई की शहरी सीमा के अन्दर चलाना होगा। तमिलनाडु में भी करूर और कोयम्बटूर जैसे वाहन निर्माण केन्द्रों में वाहन उत्पादन काफी ज्यादा है। वे कोई भी आश्चर्य कर सकते हैं। वे किसी प्रकार का वाहन उत्पादित कर कते हैं। इस प्रकार की तकनीक तमिलनाडु में है। इसी प्रकार से आप इस प्रकार की तकनीक कहीं भी सृजित कर सकते हैं। आप नए वाहनों का निर्माण कर सकते हैं। हम उन्हें चलाने की अनुमति दे सकते हैं और संचालक अपने आप में यह तय कर सकते हैं किराया-भाड़ा क्या होगा। यदि आप इसे इसी तरह से अनुमति देते हैं, तो यह अच्छा होगा। यह तो नाहक का हो-हल्ला है। पर इसे भी केन्द्रीय सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सका। जब हम केवल दिल्ली और मुम्बई शहरों में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम उस परन्तुक को छोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं जिनसे आर्थिक सुधार होता है।

महोदय, दोनों शक्तिशाली और निष्ठावान मंत्री यहां मौजूद हैं। वे इस प्रावधान को जारी रखकर इसे बहुत अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं ताकि नये लोग आएं और नया उद्यम शुरू हो। साथ ही, दिल्ली और मुम्बई के शहरों में प्रदूषणमुक्त वातावरण भी हमें मिल सकता हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक ने यह आश्वासन दिया कि छ: माह के भीतर समूचे भारत में परा न्यून सल्फर डीजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा समाचार है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण से बचाव के लिए यू.एल.एस.डी. पहला है; दूसरा एल.पी.जी. है और तीसरा संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। भूमंडलीय तापमान में हो रही वृद्धि से संबंधित कुछ व्यक्तियों के अनुसार सी.एन.जी. वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोक्साईड ज्यादा हानिकर है। अतएव, यदि आप समूचे भारत में इस परा न्यून सल्फर डीजल उपलब्ध कराते हैं, तो सभी गांवों, शहर और नगरों में पर्यावरण अनुकूल वाहन चलेंगे।

इसलिए, ऐसे लक्ष्य का होना काफी सुखद है। यदि वे इस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो वे केवल दिल्ली में सी.एन.जी. लाने के उच्चतम न्यायालय को राजी करने में समर्थ क्यों नहीं हो सकते ताकि वे उन सभी मांगों को पूरा कर सकें जिनकी मांग छ: माह के अन्दर, 30 सितम्बर तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक की गई थी? मैं सुझाव दूंगा कि हम सभी उच्चतम न्यायालय को राजी कर सकते हैं जब हम उच्चतम न्यायालय को यह स्पष्ट रूप से बताएं कि हम इसे एक उद्यम के रूप में लेंगे और हम समूचे भारत में पर्यावरण अनुकूल वाहनों को ला रहे हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को नियमों को बदलने और माल-भाड़े को तय करने की नौकरशाही शक्ति देने से कई बस मालिक और वाहन मालिक अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के आगे-पीछे अपना कार्य करवाने के लिए घूमते रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पर कुछ विचार करना चाहिए।

महोदय, मेरा विचार है कि यदि पूरी सरकार सुधारों के प्रति वचनबद्ध है तो यह दर्शाने के लिए कि हम भारत में सुधार कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं और यह भी कि हम वास्तव में सक्षम हैं और हम अपने मार्ग में आने वाली छोटी बाधाओं से नहीं डरते, इस प्रकार की छोटी चीजों के नमूने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इसी प्रकार मैं कुछ विवरण प्राप्त करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितने सी.एन.जी. वाहन इस क्षेत्र में आए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली और मुम्बई के अलावा अन्य शहरों में भी कोई मांग है। यह किस प्रकार उपयोगी है? ये किस तरह से आशंकित हैं? क्या ये सोचते हैं कि मांग

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

और अधिक होगी और किराये और बढ़ेंगे? ये आजकल चलने वाले साधारण डीजल वाहनों के किराये से अधिक किराये निर्धारित करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी.एन.जी. वाहनों के किराये वर्तमान वाहनों के किराये के बराबर होंगे अथवा इनमें वृद्धि की जाएगी। किस आशंका के कारण सरकार को अधिनियम से इस परन्तुक को हटाने के लिए आगे आना पड़ा है?

इसी प्रकार मैं भूरेलाल समिति के प्रतिवेदन की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि उच्चतम न्यायालय को दी गई है जिसमें कहा गया है कि विद्युत अथवा बैटरी चालित वाहन भी स्वच्छ तथा पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 0.05 प्रतिशत सल्फर की मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति की जा सकती है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिमानों के अनुसार स्वीकार्य है और इसलिए इसका सम्पूर्ण भारत में उपयोग किया जा सकता है और यह लाभप्रद भी होगी।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाया है। इसी तरह, हम अवसंरचनात्मक प्रावधानों, सड़क रखरखाव की उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु इस उपकर से प्राप्त आय का किस प्रकार उपयोग करेंगे? माननीय मंत्री ने एक अन्य चर्चा में उल्लेख किया है कि 16,000 करोड़ रुपए भारत में सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। हर बार सड़कों के निर्माण हेतु आवंटन में वृद्धि होती है। हम सड़कों का रखरखाव कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं? सड़कों का निर्माण एक अलग बात है परन्तु उनका रखरखाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अत: उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अंत में, मेरा निवेदन है कि कुछ सड़क परियोजनाओं को निष्पादित नहीं किया गया है। तमिलनाडु में ईस्ट-कॉस्ट सड़क का भी कार्य-निष्पादन नहीं किया गया है। उस पर भी इस मौके पर विचार किया जा सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सुधार केवल विनिवेश ही नहीं है। सुधार प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक गांव में प्रारम्भ होने चाहिएं। केवल तभी हमें सुधारों का प्रभाव दिखाई देगा जिससे बेरोजगारी उन्मूलन में मदद मिलेगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव और टिप्पणियां देकर बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं श्री राम नाईक का भी आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में हस्तक्षेप करके सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों के कुछ पक्षों की व्याख्या की।

महोदय, मूलत: कई मुद्दे उठाये गए हैं। हम विधेयक का सीमित उद्देश्य 1994 के संशोधनों द्वारा सम्मिलित की गई कतिपय सुविधाओं अथवा कतिपय छूट को समाप्त करना था। वह सीमित उद्देश्य था। उस पर कई सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं। दो प्रकार के प्रश्न उठाये गए हैं। एक यह है कि हमने विद्युत और सौर ऊर्जा को इस विधेयक में क्यों सम्मिलित किया है। दूसरा प्रश्न उन सी.एन.जी. वाहनों की संख्या के विषय में है जो कि आएंगे और हम यह संशोधन क्यों करना चाहते थे।

महोदय, मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं जिससे लोगों को अपने सी.एन.जी. ईंधन वाले वाहन सड़कों पर चलाने की अनुमति मिली थी और इस संशोधन में उसी पर बल दिया गया है। प्रारम्भ में यह विचार किया गया था कि लोगों को आगे आने, निवेश करने तथा इसे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छा रहेगा। अब समय आ गया है जब राज्य सरकारें यह महसूस कर रही हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्रशासनिक समस्याएं हो रही हैं। यह समस्या विशेषकर दिल्ली में बहुत सुस्पष्ट हो गयी है। बजट सत्र के दौरान जब मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था तो दिल्ली सरकार ने मुझसे कई बार अनुरोध किया था कि क्योंकि वे कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं इसलिए किसी विशेष समय पर अर्थात् 1994 में दिये गये प्रोत्साहन की अब आवश्यकता नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि विशेषकर सौर और विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम वाहन मालिकों को अपनी इच्छानुसार वाहन चलाने और किराया तथा माल-भाड़ा तय करने की स्वतंत्रता देने के बजाय किसी और रूप में प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यद्यपि राज्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है तथापि उनकी पूरी जवाबदेही है। आज भी हम कई रियायतें और प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरे पास इसकी लम्बी सूची है परन्तु मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहता। हम वित्तीय प्रोत्साहन, उत्पाद एवं सीमा शुल्क में छूट दे रहे हैं और बैटरियों सौर-ऊर्जा तथा विभिन्न प्रकार के नवीनतम ईंधनों के प्रयोग चल रहे हैं। हम इन लोगों को इस प्रकार प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिससे कि यह अधिक उपयोगी हो और कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। इसी पर इस संशोधन में जोर दिया गया है। राज्य सरकारें कह रही हैं कि यह थोड़ा सा नियंत्रण से बाहर हो रहा है। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने दिल्ली में चलने वाले वाहनों के विषय में कुछ आंकड़े दिए हैं। इस संख्या में बहुत अधिक, संभवत: 60,000 अथवा 70,000 तक वृद्धि होने की संभावना है। इस समय 2,000-3,000 से अधिक बसें हैं। अत: हम प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य के लिए यह संशोधन लाये हैं न कि किसी को हतोत्साहित करने के लिए। हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम विद्युत, सौर और अन्य अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने वाले वाहनों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देंगे।

दुर्घटनाओं के बारे में कई प्रश्न उठाये गए थे। यह एक अलग मुद्दा है। हम शिक्षा, इंजीनियरिंग उपायों तथा अधिनिर्णयों के संबंध में विभिन्न कदम उठा रहे हैं। मेरे मंत्रालय ने इस संबंध में बहुत कुछ किया है। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय दबाव भी है। गत कुछ वर्षों से हम लोगों को एम्बुलेंस, क्रेन तथा प्रशिक्षण दे रहे हैं। बड़ी संख्या में चालकों को प्रशिक्षित किया गया है। उनके लिए दो दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये प्रोत्साहन साथ-साथ चल रहे हैं। इसी प्रकार राज्य भी कदम उठा रहे हैं। दुर्घटना एक प्रमुख समस्या है। प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता देने और सड़कों को चौड़ा करने के संबध में विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने सड़कों के रखरखाव तथा चौड़ाई में वृद्धि करने के बारे में बात की है। वह भी चल रहा है। पिछले वक्ता श्री नाच्चीयपन ने राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य बातों का जिक्र किया है। मैंने पहले ही सभा को बता दिया है कि इस सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता, चौड़ाई में वृद्धि करने के संबंध में और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में पहले ही एक बड़ी पहल की है। इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। 60,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं इस समय लागू की जा रही हैं और ये अगले छः या सात वर्षों में पूरी की जाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिणाम अगले दो वर्षों में आने प्रारम्भ हो जाएंगे अथवा दिखाई देने लगेंगे। उसके पश्चात् सड़कों में सुधार होगा।

कुछ सदस्यों ने अन्य विषयों के बारे में बात की है। श्री कीर्ति झा आजाद ने कई मुद्दे उठाये हैं यथा लाइसेंस दिया जाना, मद्यपान करने के बाद वाहन चलाने वाले लोग, इत्यादि। कुछ सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार चलाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

अधिक गति से वाहन चलाने के बारे में भी जिक्र किया गया है। कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहता कि यह राज्य का विशेषाधिकार हैं परन्तु कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम मूलतः राज्य द्वारा किया जाता है। हमने राज्यों के साथ कई बैठकें की हैं। हम जरीया और उपाय निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

कई सदस्यों ने लाइसेंस दिए जाने के बारे में प्रश्न उठाये थे। हम स्मार्ट कार्ड कार्यक्रम लेकर आए थे। सभी राज्यों को यह सुझाव पहले ही दिया जा चुका है। हम उन्हें यथासम्भव मदद देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य विभिन्न बातें शामिल हैं। अब हम केंद्रीय सड़क निधि में से कम्प्यूटरीकरण को विकसित करने की अनुमति दे रहे हैं और राज्यों को धन दिया जा रहा है वह 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। हमने दुर्घटनाओं, अधिक गति से वाहन चलाने, मद्यपान करके वाहन चलाने और खराब मार्गों इत्यादि को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार किया है; और इन सभी बातों के लिए एक पैकेज तैयार किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

परन्तु मुझे विश्वास है कि सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह हमारी सड़कों पर जिस प्रकार का यातायात है उसके बारे में है। हम अपने देश की तुलना अन्य देशों से कर रहे हैं। आपको विश्व में कहीं भी चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं मिलेगा जिसमें एक पैदल चलने वाले से लेकर साइकिल चालक तक बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे हों। परंतु ये सभी बातें हमारे देश में हैं। यदि आप चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग रखना चाहते हैं और फिर सड़क विभाजक पर कम कटाव रखते हैं तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर स्थान पर कटाव बना लेते हैं और इसे पार करना चाहते हैं। इसलिए, ये कुछ कारण हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बेहतर और चौड़ी सड़कों से लोग यह भी समझेंगे कि किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से नहीं जाना है और इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।

सी.एन.जी. वाहनों के लिए सुरक्षा मानदंडों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें जारी किया जा चुका है। इसे शुरू करने में कुछ समस्याएं हैं। यह देखने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इन मानदंडों का समुचित रूप से पालन हो। ये सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन शुरूआत में कुछ समस्या है।

मैंने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने का प्रयास किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बहुत ही सीमित है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): कृपया हमें बताएं कि क्या आप उन्हें कोई प्रोत्साहन देने जा रहे हैं जिन्होंने अपने वाहनों को सी.एन.जी. प्रणाली में परिवर्तित कराया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : श्री बंसल, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय कुछ प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हम और प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन कानून का उल्लंघन कर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना पंजीकरण के उन्हें चलाने की अनुमति प्रदान कर दें। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे वाहनों को चलाने के लिए उसके मार्ग को चुन लें। अधिकांश वाहन अच्छे मार्गों पर चल रहे हैं और कठिन तथा

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]

अलाभकारी मार्गों पर कम वाहन चल रहे हैं। अत: ये सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं।

जहां तक प्रोत्साहन दिये जाने का प्रश्न है तो हमें उन्हें वह प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए जो उपलब्ध हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमारे पक्ष से एक और वक्ता हैं। क्या आप कृपया उन्हें दो मिनट बोलने के लिए अनुमति देंगे?

सभापति महोदय : नहीं, मंत्री पहले ही चर्चा का जवाब दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले ही अपना भाषण दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : सभापति महोदय, मुझे लाईसेंसिंग के बारे में एक स्पष्टीकरण पूछना है। अब यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला है?

[हिन्दी]

मैंने यह बात कही थी कि लाइसेंस ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जिन्हें यह मालूम नहीं होता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। जिस तरह से मंत्री महोदय अभी बता रहे थे कि नेशनल हाईवे में बुलककार्ट भी चलती है, ट्रैक्टर भी चलता है और हाथी-घोड़े भी चलते हैं।

[अनुवाद]

एक राष्ट्रीय ड्राइविंग संस्थान भी इसी प्रकार का कुछ होना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : महोदय, आज यहां हमारे बीच दो माननीय मंत्री मौजूद हैं। आज प्रश्न यह है कि लोगों को ड्राईविंग कहां करनी चाहिए और उन्हें अपनी कार कहां खड़ी करनी चाहिए। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि 1950 में वाहनों की संख्या तीन लाख थी और अब यह तीन करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान यात्रियों के आवागमन में 70 गुना और वस्तुओं के यातायात में 88 गुना वृद्धि हुई है।

महोदय, 1947 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 21,440 किलोमीटर थी। अब नौवीं योजना की शुरुआत में यह बढ़कर 34,298 किलोमीटर हो गयी है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 17,712 किलोमीटर जोड़ा गया है। अब वाहनों की संख्या में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है जबकि सड़क नेटवर्क में चार प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है।

अत:, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य के लिए उनके पास कोई संदर्शी योजना है ताकि हम कारों को सही स्थान दे सकें ताकि वे सही ढंग से सड़कों पर सुरक्षित चल सकें। दूसरी बात माननीय वित्त मंत्री ने कल इस सभा में कहा था कि आपके विभाग द्वारा सड़कों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है।

जहां तक मुझे जानकारी है, विकसित देशों में एक किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। क्या आप भारत में सड़कों के निर्माण का स्तर बनाए हुए हैं?

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, क्या मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार दिल्ली में सी.एन.जी. की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है?

सभापति महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह पेट्रोलियम मंत्री के लिए है।

सभापति महोदय : अब आप पेट्रोलियम मंत्री से नहीं पूछ सकते।

श्री अधीर चौधरी : ऐसा पाया गया है कि सी.एन.जी. कार्सिनोजेनिक तत्वों के कारण प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त नहीं है.....

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : नेशनल हाइवेज पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर होने से प्रदूषण

भी बढ़ता है और एक्सीडेंट्स भी होते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी जवाब देंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: महोदय, श्री चौधरी ने दो मुद्दों को उठाया है। एक इससे संबंधित है कि क्या हमारे पास सड़कों के विस्तार और सुधार करने के संबंध में कोई संदर्शी योजना है। संक्षेप में जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह सरकार हमारी लगभग 14000 किलोमीटर लंबी सड़कों को बेहतर स्तर पर लाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

श्री अधीर चौधरी : लेकिन भारत में अभी भी सड़कों की कमी है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: आज हमारे पास 33 लाख किलोमीटर सड़कें हैं उनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र 58,000 किलोमीटर है। इसके बिल्कुल विपरीत 26.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें है। इस बीच राज्य स्तरीय राजमार्ग भी है। इसलिए इस सरकार ने सड़क विकास के लिए एक अत्यंत ही वृहत कार्यक्रम की शुरूआत की है। जैसाकि आप जानते है राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये मिल रहे है। हम यह धनराशि देते रहेंगे। पिछले वर्ष हमने 990 करोड़ रुपये दिये है। इस वर्ष राज्य स्तरीय राजमार्गों के लिए हम 1000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नेटवर्क के विस्तार हेतु ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। 1000 की जनसंख्या वाले सभी गांवों को पहले जोड़ा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, जो पिछड़ा राज्य है, बाढ़ प्रभावित राज्य है, उसमें हमारे इलाके में जो नेशनल हाईवे नम्बर 104 और दूसरे नम्बर का हाईवे स्वीकृत हुआ, उसे एक साल हो गया, उसमें क्या हो रहा है? उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: अभी सिर्फ मोटर व्हीकल्स एक्ट से जो संबंधित है, वह मैं बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ झा : उनको बता रहे हैं, हमें नहीं बताएंगे क्या?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: आपको हम अलग से चाय पर बता देंगे। सभापति जी, मैंने जवाब दे दिया है, मेरा सदन से आग्रह है कि इस बिल को पास किया जाये।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मुझे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है। कृपया अनुमति दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने आपको चांस दिया है, कृपया इस तरह से न करें।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नई दूरसंचार नीति, 1999

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 15–नियम 193 के अधीन चर्चा लेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं नियम 193 के अधीन चर्चा में दूरसंचार नीति 1999 और सामान्यत: सरकार की अनुज्ञप्तियों और राजस्व अर्जन एवं विशेषकर सीमित गतिशीलता पर इसके प्रभावों पर बोलने के लिए खड़ा हूं।

महोदय, इस सभा ने वाद-विवाद में हुए शोर शराबे और सभा की कार्यवाहियों का स्थगन देखा है। *...(व्यवधान)*

महोदय, क्या मुझे बोलना चाहिए अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्रीमती रेनू कुमारी (खगड़िया): महिलाओं पर अत्याचार न करें।

सभापति महोदय : रेनू जी, इस तरह बैठे-बैठे बोलकर हाऊस को डिस्टर्ब नहीं करते। सदन के सामने जो एजेंडा है, उसके अनुसार ही नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया, कृपया अभी बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जब सुखराम संचार मंत्री थे और जब दूरसंचार नीति, 1994 की घोषणा की गई थी तो इस सभा ने कोलाहलपूर्ण वाद-विवाद और सभा की कार्यवाहियों के स्थगन की प्रक्रिया को दस दिनों से ज्यादा तक देखा था। यह 1995 से लागू है।

मैं उन दिनों को लेकर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ संदर्भ के लिए, मैं सभा पक्ष और इस सभा के सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अनुज्ञप्ति जारी करने की सत्यता और दूरसंचार विभाग में उन दिनों व्याप्त भ्रष्टाचार का पता लगाने को लेकर क्या हुआ। सही या गलत, मेरे प्रिय मित्र श्री सुखराम अब हमारी तरफ नहीं बैठे हैं बल्कि अब वह सत्ता पक्ष में हैं। अब उनकी बारी है कि वह सरकार के लिए कहे गए अपने शब्दों को औचित्यपूर्ण ठहराएं और जिसके लिए मैं आग्रह या विरोध नहीं करूंगा।

महोदय, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वप्न के स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का प्रयास किया कि भारत के प्रत्येक गांव को दूरभाष से जोड़ा जाना चाहिए, और यदि संभव हो, तो निम्न आय वर्ग के साथ-साथ निर्धनों में निर्धनतम को इस आधुनिक संचार नेटवर्क का लाभ मिलना चाहिए। इस सपने की पहल सी-डॉट द्वारा की गई और उस समय के एक बहुत ही महान लोक सेवक सैम पैत्रोदा ने बिना वेतन लिए उसमें काफी हद तक योगदान करने का प्रयास किया।

मैं प्रसन्न हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस सरकार के साथ-साथ उत्तरवर्ती सरकारें इस देश में बहुत बड़े स्वर पर दूरसंचार घनत्व में वृद्धि करने हेतु इस स्वप्न को यथार्थ में साकार करने पर जोर देती रही हैं।

महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान जी की एक मंत्री अथवा एक व्यक्ति के रूप में उनकी क्षमता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं। वह हमारे देश के महान राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो कि संघर्ष से उभरे हैं। उन्होंने निर्धनों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए संघर्ष किया और दलितों के लिए संघर्ष किया। मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए बड़ी श्रद्धा है। जब वह संयुक्त मोर्चे की सरकार में थे और जब हमारे द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद श्री देवेगौड़ा की सरकार गिर गई थी, तो वह मैं ही था जो उनसे यह कहते हुए उनके पास गया था कि, "आप देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व क्यों नहीं संभालते? मैं आपका समर्थन सुनिश्चित करूंगा।" उनके लिए मेरे मन में ऐसा आदर है, और मैं इसी प्रकार से उनका आदर करता रहूंगा। मेरे और माननीय मंत्री के बीच कोई मनमुटाव नहीं है।

परन्तु जिस प्रकार दूरसंचार विभाग कार्य कर रहा है उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस प्रकार दूरसंचार विभाग द्वारा अपने मनमुताबिक अपारदर्शी तरीकों के अनुकूल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण पर असाधारण दबाव डाला जा रहा है उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं।

महोदय, सारा विश्व सांख्यवाहिनी परियोजना के इतिहास को जानता है। सभा इस पर गहराई से चर्चा नहीं कर पाई थी। जानबूझकर, इस पर चर्चा नहीं की गई थी, जबकि कई बार इसे सभा के ध्यान में लाया गया था। तथापि, मैं जानता हूं कि श्री राम विलास पासवान जी इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। यहां तक

कि इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि सांख्यवाहिनी परियोजना की संकल्पना कैसे की गई थी और इसे पूरा कैसे किया गया। यहां तक कि दूरसंचार सचिव भी प्रधानमंत्री कार्यालय की दया पर थे। अंततः, दूरसंचार सचिव के पास इस संबंध को अरुणाचलम को 6 अक्तूबर, 1998 को पत्र लिखने के सिवाए कोई चारा नहीं था कि, ''जैसा कि आप सभी इसे अच्छी तरह समझेंगे कि यद्यपि आईयू-नेट के प्रस्ताव को विभिन्न स्तरों पर सरकार की अनुकंपा प्राप्त है फिर भी हमें अभी भी निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता है।'' यह 1998 का पत्र था। ये 'विभिन्न स्तर' क्या हैं, केवल श्री रामविलास पासवान ही जानते हैं, मैं नहीं जानता क्योंकि उस समय यह प्रक्रिया में नहीं था। इसे बड़े ही काल्पनिक तरीके से किया गया था जिसके लिए उस समय केवल प्रधानमंत्री कार्यालय को ही राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है, दूरसंचार विभाग को नहीं।

इसलिए, मैं उसके लिए आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु सिर्फ संदर्भ के लिए, मैं इसे आपसे पूछ रहा हूं कि दूरसंचार विभाग में अपारदर्शिता की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री कार्यालय और दूरसंचार विभाग के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। अतएव, दुर्भाग्य से, मंत्री महोदय, चूंकि आप इस विभाग को संभाल रहे हैं, इसलिए मैं जो भी आरोप आप पर लगा रहा हूं, उनके जवाब आपको देने होंगे। सांख्यवाहिनी परियोजना की संकल्पना अपारदर्शी तरीके से की गई थी तथा दूरसंचार विभाग को अंधेरे में रखा गया था। श्री अनिल कुमार विज के दिनांक 6 अक्तूबर, 1998 के पत्र से यह बात सही साबित होती है। विभिन्न विभागों से होते हुए वह परियोजना आपकी मेज पर मात्र मुहर के लिए और यह कहने के लिए आयी थी कि 'महामहिम हम आपके साथ हैं।' इस प्रकार से सांख्यवाहिनी की संकल्पना की गई थी।

महोदय, नयी दूरसंचार नीति-99 (एन.टी.पी.-99) को बदले जाने के क्या कारण हैं। मैं अपनी पूरी जानकारी देता हूं। मैंने एन.टी.पी.-99 के पैराओं को पढ़ा है। इसका सुस्पष्ट लक्ष्य था (क) दूरसंचार नेटवर्क के घनत्व में वृद्धि करना, (ख) ज्यादा राजस्व अर्जित करना जिससे कि दूरसंचार विभाग अपने विस्तार कार्यक्रम और अपने नेटवर्क की परियोजनाओं पर स्वयं ध्यान दे सके, और (ग) हमारे देश की उदार अर्थव्यवस्था में, सभी तरीकों में पारदर्शिता बनाए रखना और समान अवसर पैदा करना, जहां बाजार की शक्तियां काम करें, जहां निजी घराने और विदेशी निवेशक आएं।

मैं पहले स्वतंत्रता को लेता हूं। मैं संचार संबंधी स्थायी समिति की सत्रहवीं रिपोर्ट से उद्धृत करूंगा। इस सभा में, सात दिन पूर्व जब हमने लब्धप्रतिष्ठ मानव संसाधन विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया तो वह श्री एस.बी. चव्हाण को स्थायी समिति के प्रतिवेदन के मूल्य आधारित शिक्षा के पैराग्राफ को असंख्य बार उद्धृत करते हुए वह अपनी शिक्षा नीति के प्रत्येक चरण को औचित्यपूर्ण ठहराने का प्रयास कर रहे थे। मैं जानता हूं कि श्री रामविलास पासवान डा. मुरली मनोहर जोशी की गिरफ्त में नहीं हैं बल्कि मंत्रिपरिषद की गिरफ्त में हैं। मैं संचार संबंधी स्थायी समिति की सत्रहवीं रिपोर्ट के पृष्ठ 21 की और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

> ''सी.ओ.ए.आई., ए.बी.टी.ओ., दूरसंचार विभाग और ट्राई के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद समिति यह महसूस करती है जब प्रौद्योगिकी में विकास से प्रयोक्ताओं को कम कीमत पर नई सुविधा प्राप्त हो सकती है तो प्रयोक्ताओं जिनमें ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के प्रयोक्ता भी शामिल हैं, को ऐसी सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। तथापि, पूरी प्रणाली के उपयुक्त संचालन और विशेषतः, जहां तक विद्यमान संचालकों का संबंध है, जो उचित अवसर प्रदान किये जाने का हकदार हैं, पर किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा जाये और इसे समाप्त करने के उपाय ढूंढ़ने चाहिए।''

यदि एम.टी.एन.एल., वी.एस.एन.एल., सरकारी क्षेत्र को अन्य घरानों की तुलना में समान अवसर प्रदान करने से इंकार किया गया हो तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पर यहां, मामला यह नहीं है। यहां यह इस देश के सकल राष्ट्रीय राजस्व अर्जन कार्यक्रम की लागत पर कुछ कारपोरेट घरानों के विरुद्ध कुछ कारपोरेट घरानों के लिए मामला है। उसी प्रतिवेदन के पृष्ठ 22 के अनुसार:

> ''परस्पर विरोधी हितों को देखते हुए समिति का विभाग से यह आग्रह है कि वह सुनिश्चित करने के लिए कि ''लिमिटेड मोबिलिटी'' के रूप में बी.एम.ओ. को दी गई सुविधाएं सेल्युलर संचालन के विस्तार में बाधा न बनें, ट्राई के साथ परामर्श करके हर संभव उपाय करे और प्रयोक्ताओं के हित में और वहनीय शुल्क पर दूरसंचार नेटवर्क के शीघ्र विस्तार हेतु लिये गये निर्णयों की निरंतर समीक्षा करे।''

उसके बाद, मैं स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 21, 22, 23, 27 और 28 से भी उद्धृत करूंगा। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें भी, पैराग्राफ 21 में समिति के अनुसार:

> ''समिति यह समझने में असमर्थ है कि अधूरे आवेदनों पर कैसे विचार किया गया था। दूरसंचार विभाग के सचिव का

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

> तर्क कि प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के समय उनकी छानबीन करना संभव नहीं था, से समिति सहमत नहीं है क्योंकि स्वच्छ प्रक्रिया के हित में आवेदनों की छानबीन के लिए थोड़ी समय सीमा निर्धारित की गई होगी। किन मानदंडों के आधार पर त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संशोधनों पर विचार किया जाएगा, पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है।''

इसके आगे:

> ''दूसरे, यह कि इसी खुली स्थिति और अप्रतिबंधित प्रवेश से उन आवेदनों की प्राप्ति और जांच के लिए अंतिम विधि के प्रावधान के अभाव का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है जिनसे अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई है, समिति ने पाया कि कितने उद्यमियों को अभ्यारोपित किया जाएगा, इसके बारे में कोई विनिर्धारण नहीं है और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है।''

यह मेरा प्रतिवेदन नहीं है। यह दूरसंचार विभाग के विरुद्ध स्थायी समिति का प्रतिवेदन है। स्थायी समिति का प्रतिवेदन संसद का प्रतिवेदन है। इसे दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी सदस्यों की सहमति से स्वीकृत किया गया था। यदि मैंने स्थायी समिति के प्रतिवेदन को उद्धृत किए बिना बोला होता, तो मुझे गलत समझने का पूरा खतरा होता। यह कहा गया है कि सदस्य 'क' कंपनी के विरुद्ध और 'ख' कंपनी के पक्ष में बोल रहे हैं। दुर्भाग्य से, माहौल इतना गर्म है कि यदि 'एक्स' कंपनी में कोई यह बताता है कि यहां भ्रष्टाचार व्याप्त है और फेरा के उल्लंघन में संलिप्त है, तो आसान सा जवाब यह होगा कि प्रतिद्वन्दी कंपनी की रक्षा की जा रही है। ऐसा नहीं है। श्री राम विलास पासवान और अन्य सदस्य यह जानते हैं कि हम किसी कारपोरेट घराने की कृपा से संसद में नहीं आए हैं। हम लोगों की इच्छा से इस सभा में आए हैं। जवाबदेह यह है कि यदि हम यह पाते हैं कि कुछ गलत है, तो हमें इसे मंत्री, सरकार और संसद के ध्यान में लाना चाहिए और यह पूछें कि इसे क्यों जारी रखा जा रहा है।

इन दो स्थायी समितियों की अनुशंसाएं यह स्पष्ट करती है कि गड़बड़ कैसे हुई। मेरे विचार से महाभारत में भीष्म को मारने के लिए शिखंडी का उपयोग किया गया था। यदि मैं गलत हूं तो कृपया कोई मेरी त्रुटि को दूर करें। शिखंडी के बगैर भीष्म को नहीं मारा जा सकता था। इस मंत्रालय में यदि आप किसी पर प्रहार करना चाहते हैं और किसी अन्य का पक्ष लेना चाहते हैं तो आपको शिखण्डी का प्रयोग करना होगा और शिखण्डी का नाम 'ट्राई' हैं। मैं 'ट्राई' का सहानुभूति के साथ आदर करता हूं। वाद-विवाद में भाग लेने से पहले, मैंने 'ट्राई' द्वारा की गई अनुशंसाओं का पूरा विवरण भेजने के लिए इसके अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था। उन्होंने बड़ी तत्परता से मुझे अनुशंसाएं भेजीं। वे बड़े कृपालु थे और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उसमें मैंने पाया कि उन्होंने न केवल 'ट्राई' की इच्छा पर कुछ अनुशंसाएं की थी, बल्कि कुछ अनुशंसाओं पर विचार करने हेतु दूरसंचार विभाग की इच्छा और अनुरोध पर भी कुछ अनुशंसाएं की थीं। एन.टी.पी. 1999 के अनुसार यह स्पष्ट है कि 'ट्राई' की सिफारिशें अपेक्षित हैं और वे हमेशा ही अनिवार्य नहीं होती है। सभा को उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने जवाब दिया था, ''हां, सिफारिशों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है, अनिवार्यत नहीं।''

मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। कृपया इसे दूरसंचार विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध आरोप के रूप में न लें। मेरे मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं है और न ही मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। परन्तु मुझे इससे आश्चर्य होता है कि 'ट्राई' ने एन.टी.पी. 1999 की घोषणा किए जाने से बहुत पहले अनुशंसाएं की थी। 'ट्राई' द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद दूरसंचार विभाग के सचिव ने दिनांक 9 अक्तूबर, 2000 को 'ट्राई' की अनुशंसाओं के अलावा अन्य मामलों पर पुनर्विचार करने हेतु 'ट्राई' को पुन: पत्र भेजा था। जब 'ट्राई' ने यह अनुशंसा की कि 'रॉल आऊट, दायित्व को इस तरीके से किया जाना चाहिए, सरकार ने जवाब दिया कि मुक्त बाजार के आर्थिक संकट में, ऐसा करना सेवा संचालकों के हित में होगा, परन्तु हम इच्छा करते हैं कि आपको अपने दृष्टिकोणों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। समय बहुत कम है।

महोदय, यदि निम्नलिखित बिन्दुओं: (क) दूरसंचार विभाग के सचिव का पत्र, (ख) 'ट्राई', से प्राप्त पहली अनुशंसा, (ग) कुछ क्षेत्रों पर पुनर्विचार करने हेतु दूरसंचार विभाग का अनुरोध, (घ) नीति संबंधी घोषणा, (ङ) 'पहले आयो पहले पाओ' (की नीति, और (च) आगे जारी किए गए दिशानिर्देशों, को जैसा आप चाहें, किसी संयुक्त संसदीय समिति अथवा किसी अन्य समिति के समक्ष रखा जाता है, वह एक ऐसा प्रतिवेदन पेश करेगी जिससे दूरसंचार विभाग का चेहरा काला होगा और यह यह दर्शाएगा कि कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के कारण सकल राजस्व के हित के लिए हानिकारक व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं।

महोदय, समय कम है और मैं सभी अनुशंसाओं और दूरसंचार विभाग द्वारा 'ट्राई' से मांगें गए जवाबों को नहीं पढ़ सकता हूं जैसाकि दूरसंचार विभाग ने उन पर इस तरीके से अथवा उस तरीके से पुनर्विचार करने के लिए कहा है। दूरसंचार विभाग ने 'ट्राई' से पूछा कि क्या उसके पास बैंक गारंटी है। परन्तु इसने इससे मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। कई प्रकार से, कठिनाईयां पैदा की गयीं। यह मेरा पहला आरोप है।

दूसरी बात जो मैं यह कह रहा हूं वह यह है कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए यहां मौजूद हैं। मैंने 'ट्राई' की सभी सिफारिशों को पढ़ा है। मैंने 'ट्राई' के अध्यक्ष को पत्र लिखा था। वह बड़े ही बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया था। उन्होंने मुझसे केवल सभी पैराग्राफों को पढ़ने के लिए कहा। मंत्री महोदय जी, क्या आपने यह अनुशंसा की थी कि सीमित गतिशीलता के मामले में, कोई निविदा नहीं होनी चाहिए? क्या आपने यह सिफारिश की थी कि मामले पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर निर्णय लिया जाएगा? क्या आपने इसी नीति की सिफारिश की थी? क्या आपने किसी 'स्पेक्ट्रम तकनीक नीति की सिफारिश की थी? स्पेक्ट्रम नीति के मामले में भी, 'ट्राई' के अध्यक्ष ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिसका मैं आदर करता हूं। कोई अनुशंसाएं नहीं की थी। दूसरी ओर, एन.टी.पी. 1999 ने स्पष्टत: कहा कि पारदर्शिता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निविदा होनी चाहिए। क्या आपने विश्व के किसी भी हिस्से में कभी ऐसा सुना है कि किसी प्रकार का व्यापार करने के लिए-चाहे वह एक रुपया या एक सौ रुपया हो, चाहे एक पाऊंड या एक सौ पाउंड हो, चाहे एक मिलियन अथवा एक बिलियन हो-सरकार किसी संचालक के माध्यम से व्यापार का संचालन कर सकती है जैसाकि किसी सिनेमा गृह में किया गया है? सिनेमा गृह में यह दर्शानेवाला एक बोर्ड लगा होगा कि सिनेमा गृह भरा हुआ है। यदि किसी को 'शोले' फिल्म देखनी है, तो जो सिनेमा के काऊंटर पर पहले जाता है, उसे टिकट मिलेगी। इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है। सरकार ने स्पष्ट रूप से दूरसंचार विभाग में दुकान खोल दी है। सीमित गतिशीलता के मामले में, अपनाया गया मानदण्ड पहले आओ पहले पाओ है।

26 जनवरी को इस देश और पूरे विश्व ने गुजरात में आए भीषण भूकंप को देखा था। प्रधानमंत्री उस समय राजपथ परेड ग्राऊंड में थे। पहली खबर 9.30 बजे प्रात: आई। क्या आप विश्वास करेंगे कि 21 जनवरी को नीति की घोषणा की गई थी। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए थे। इन सभी त्रुटियों के साथ दूरसंचार विभाग में आवेदन पत्र आने शुरु हो गए। 26 और 27 जनवरी को सारा देश भूकंप का सामना कर रहा था। दूरसंचार विभाग अपनी खुद की प्रक्रिया और व्यवस्था के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर छंटाई में व्यस्त था। यह बड़ी ही खेदजनक बात है। मुझे 'ट्राई' द्वारा की गई कोई अनुशंसा नहीं मिली कि इसमें पहले आओ पहले पाओ की नीति की व्यवस्था हो जिसके आधार पर इसका निर्णय किया जाये।

बेसिक सर्विस आपरेटर जोंन क्या है? फिक्सड़ सर्विस आपरेटर जोन क्या है। सीमित गतिशीलता प्रणाली क्या है। विश्व की कोई प्रौद्योगिकी यह नहीं कहती है कि ऐसी कोई गतिशीलता हो जो कि पूर्ण हो अथवा आंशिक हो अथवा इसी प्रकार की हो। यह साधारण है।

मैं कलकत्ता में सेल्यूलर फोन का उपयोग करता हूं। मैं इसे पटना और दिल्ली के समूचे शहर में भी इसका उपयोग कर सकता हूं। मैं सीमित क्षेत्र के लिए बेसिक सर्विस जोन अथवा फिक्सड़ सर्विस आपरेटर जोन से 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा मोबाईल हैंड सैट का उपयोग करूंगा। दोनों मोबाईल हैं। दोनों ही उपयोगी हैं। स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी के बिना मोबाईल बैंडसेट भी पांच किलोमीटर की परिधि में काम नहीं कर सकता है। स्पेक्ट्रम का शुल्क होता है। मैंने गणना की कि सेल्यूलर मोबाईल सेवा के आपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में उपयोग किया जाने वाला स्पेक्ट्रम शुल्क 7,400 करोड़ रुपए के बराबर है। इस मामले में स्पेक्ट्रम का उपयोग इससे ज्यादा नहीं रहा है। राष्ट्रीय राजस्व का सकल घाटा 14,000 करोड़ रुपए के बराबर है।

समय बहुत कम है। मैंने एक के बाद एक प्रति मेगाहर्ट्ज दर का विश्लेषण किया होता। उपलब्ध कुल मेगाहर्ट्ज कितना है? दूध की माप लीटर में की जाती है। सोने की माप ग्राम में की जाती है। विद्युत की माप वाट में की जाती है। स्पेक्ट्रम मूल्यांकन के मामले में, इसे हम मेगाहर्ट्ज से मापते हैं। इसलिए, प्रति मेगाहर्ट्ज दर में भिन्नता नहीं है। यह अवश्य ही कुछ कठिन क्षेत्रों में भिन्न होता है। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम का उपयोग थोड़ा कठिन हो सकता है। परन्तु, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मालदा टाऊन, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है, के संबंध में स्पेक्ट्रम का उपयोग और गुजरात के साबरकंठा और ग्रामीण दिल्ली में स्पेक्ट्रम का उपयोग समान है। अहमदाबाद शहर में स्पेक्ट्रम उपयोग कितना है? परन्तु वहां धन का अर्जन कौन करेगा? कोई विपक्षी दल या कोई राजनीतिक दल धन का अर्जन नहीं करेंगे। सरकार ही धन का अर्जन करेगी। सरकार धन के लिए परेशान है। यह लोगों से धन देने के लिए कह रही है क्योंकि यह सड़क बनाना, निर्धन लोगों किसानों आदि को सहायता पहुंचाना चाहती है। प्रधानमंत्री लाल किले से एक के बाद एक कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। परन्तु वह तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी अपनी सरकार का धन थोड़े से अभिकरणों के पक्ष के लिए उनके अपने विभाग द्वारा लूटा जा रहा है। इसे घोटाला कहते हैं।

मेरा मुद्दा व्यक्तिगत नहीं हैं। आपका विभाग इस मामले में गंभीर नहीं है। मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। फिक्सड् सर्विस प्रदाता जनसामान्य और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती सेवाओं के भेष में जो कर रहे हैं वह वास्तव में विस्मयकारी है। श्री रामविलास पासवान ने मुझसे

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

एक प्रश्न पूछा है। क्या आप डब्ल्यू.एल.एल. के विरोधी हैं? मैंने कहा, 'नहीं'। क्या आप 120 प्रति कॉल के दूरभाष शुल्क के विरोधी हैं? मैंने कहां, 'नहीं'। हमारे कई मुख्यमंत्रियों ने पूछा है कि ऐसी प्रौद्योगिकी को देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम प्रौद्योगिकी पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं; चाहे सी.डी.एम.ए. पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वरदहस्त हो अथवा चाहे जी.एस.एम. पर यूरोप का वरदहस्त हो, इस पर कोई बहस नहीं है। हमारी बहस पारदर्शिता के संबंध में है। जो सीमित गतिशीलता के लिए अपना मूल्य बताना चाहते थे, उनकी निविदा को खोले जाने से आपको किस बात ने रोका? यह दूरसंचार विभाग सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति द्वारा पूर्ण रूप से साबित हो गया है। इसमें आपके मंत्रिगण शामिल हैं। वे कहते हैं कि सीमित गतिशीलता की सम्पूर्ण बात केवल सीमित गतिशीलता ही नहीं है बल्कि यह सीमित क्षेत्र के विषय क्षेत्र से बाहर की अतिरिक्त मूल्य आधारित सेवा है। वहां आप शुल्क नहीं वसूल रहे हैं। मंत्री महोदय ऐसा सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं। जनसभाओं में यह सही है। परन्तु संसद में आपको इसका औचित्य देना होगा। जनसभाओं में वे कहते हैं कि

[हिन्दी]

हमारे मंत्री रामविलास पासवान जी ने पूरे हिन्दुस्तान के गरीबों को टेलीफोन बांट दिया - तालियां। अमीर लोगों को एक कॉल के चालीस रुपए और गरीबों को एक रुपए बीस पैसे देने पड़ते हैं।

[अनुवाद]

फिक्सड़ सेवा और हैंडसेट गतिशीलता का खर्च कौन वहन कर सकता है? निर्धनतम व्यक्ति भी फिक्सड़ सेवा और हैंडसेट गतिशीलता का खर्च वहन कर सकता है। मंत्री महोदय, कृपया क्या आप वर्णन करेंगे? आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र, हाजीपुर में भी निर्धनतम व्यक्ति भी आपको अपने भविष्य का नायक मानते हैं। निर्धनतम कौन है? निर्धनतम उर्वरक के लिए राज सहायता मांगने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष अनुनय करता हूं। श्री यशवंत सिन्हा कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। निर्धनतम मिट्टी के तेल के लिए राजसहायता मांगते हैं। श्री यशवंत सिन्हा कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। निर्धनतम पेट्रोलियम उत्पादों के लिए राजसहायता मांगते हैं। श्री राम नाईक जवाब देंगे कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेलपूल घाटा बढ़ रहा है। निर्धनतम चिल्ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसे निर्धनतम को दे रहे हैं।

मेरे घर पर नियत सेवा है। जब मैं कार्यालय जाता हूं तो अपने साथ हैंडसेट रखता हूं मेरी पत्नी नियत सेवा का उपयोग करती है। जब मैं अपनी कार में कार्यालय जा रहा होता हूं, उस दौरान में अपना एक अतिरिक्त हैंडसेट, जिसकी 10 किलोमीटर के क्षेत्र की सीमित गतिशीलता है, का उपयोग करता हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। वित्त मंत्री की भाषा में प्रत्येक दूरभाष उपभोक्ता करदाता है। क्या मंत्री यह कहना चाहते हैं कि निर्धनतम लोग भारतीय कर नेटवर्क का पोषण कर रहे हैं? आप कैसे निर्णय लेते हैं? आप कह सकते है कि आप मध्य वर्ग के बोझ को कम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। आप कहते हैं कि आप उनको काल प्रभार के बोझ को 1.20 प्रति काल तक कम कर रहे हैं जो अब 10 रुपए या 20 रुपए का काल प्रभार देते हैं। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु निर्धन लोगों का नाम मत लीजिए। देश की पूरी जनता का नाम मत लीजिए।

आप क्या दे रहे हैं? आप कहते हैं कि आप राजसहायता दे रहे हैं। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह किसानों को राजसहायता उपलब्ध कराने में असफल रही हैं, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह गांवों में साधारण जनता को राज सहायता उपलब्ध कराने में असफल रही है। परन्तु सरकार लंबी दूरी की प्रभारी दरों, जिसे कि विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा सीमित गतिशीलिता दर में घटा कर वसूला जाता है, की कीमत पर छोटे शहरों और छोटे क्षेत्रों में मध्य वर्ग, व्यापारियों के दूरभाष दरों को घटा रही है। यह सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी का जादू है कि हम 1.20 प्रति काल की दर से भुगतान करते हैं। यह कोई जादू नहीं है। सरकार को इसका श्रेय न दें।

[हिन्दी]

हमारी सरकार ने जादू दिखा दिया। यह हथियार इस्तेमाल करे तो एक रुपए बीस पैसे, यह हथियार इस्तेमाल करो तो चालीस रुपये लेकिन जो लोग लौंग डिस्टेंस काल अहमदाबाद टू कोलकाता या कहीं बाहर करते हैं और वहां से जो किराया मिलता है, उसे यहां पास ऑन करते हैं। इसमें एक काल फ्री की सुविधा होती है।

[अनुवाद]

यह सच्चाई है। मैं मांग करता हूं कि इस सरकार का यह दावा कि वे इसे घटा नहीं रहे हैं, की एक उचित समिति द्वारा जांच की जाए और समिति यह पता लगाये कि क्या मेरे आरोप सहीं हैं अथवा नहीं। दूरसंचार नीति का संचालन इसी तरह से अभी किया जा रहा है।

मैं अब आपको बताऊंगा कि आप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह बड़ा दु:खद है। विनिवेश पर बहस के दिन, मैंने एस.एन.एल., एयर इंडिया आदि के बारे में काफी बातें कहीं हैं।

परन्तु मैं माननीय मंत्री को सलाह देता हूं, ''कृपया अपने विभाग की देखभाल बहुत सावधानी से करें।''

किसी वर्ष के लिए सामान्यत: 5000 करोड़ रुपए मूल्य के आप्टिकल फाइबर की योजना की जाती है। स्टरलाइट कही जाने वाली एक ईकाई को एकबार एक विशिष्ट निविदा के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निंदा सहनी पड़ी थी। मैं सिर्फ निविदाओं के बारे में नहीं कह रहा हूं। निश्चय ही, आप बाल्को को प्राप्त करने के लिए काफी चिंतित हैं। आप 15 दिन के बाद बाल्को का भाग्य जानेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आने दीजिए।

क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? कुछ कंपनियां, क, ख, ग नाम से अपनी सहयोगी कंपनियों को शुरू कर रही हैं और उत्पादक संघ तैयार कर रही हैं। इस 'मिलीभगत' में वे 100 रुपए अथवा 1000 रुपए की थोड़ी भिन्नता के साथ उसी निविदा को उद्धृत करने का प्रयास कर रही हैं। वे उत्पादक संघ में शामिल होकर 50:50 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। आप्टिकल फाइबर मामले में, मेरे लिए इन सभी बातों को उद्धृत करना बड़ा खेदजनक है।

अधिकारिक टिप्पणियों से, मुझे यह जानने का विशेषाधिकार था कि दूरसंचार विभाग में क्या होता रहा था। यह वित्त विभाग और विधि विभाग की टिप्पणी है:

> ''मूल्य औचित्य का परीक्षण करने के दौरान यह पाया गया था कि वास्तविक रूप से उद्धृत मूल्य पिछली निविदा के मूल्य से 21.45 प्रतिशत ज्यादा था और सी.ई.टी. ने 7.17 प्रतिशत ज्यादा के प्रतिमूल्य की अनुशंसा की है। यह महसूस किया कि पिछली निविदा मूल्य से 21.45 प्रतिशत की ऐसी मूल्य वृद्धि के संभावित कारणों का पता लगाने हेतु अभियान चलाया जाए और इस प्रकार बोलियों की छानबीन की गई थी।''

छानबीन के दौरान हम पाते हैं:

> ''ऐसी स्थिति में, यह बड़ा ही संदेहपूर्ण है कि क्या विभाग प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने की स्थिति में होगी यदि एक या अधिक समूहों की कंपनियां अवसर का लाभ उठाती हैं और विभाग के मूल्यों पर नियंत्रण करती हैं।''

मैं वह भी उद्धृत करता हूं जो उन्होंने बाद में उल्लेख किया:

> ''आदेशों को रखे जाने से पहले चुने गए सभी बोलीकर्त्ताओं से हमारी सभी शर्तों की बिना किसी शर्त की स्वीकारोक्ति प्राप्त की जाए।''

यह टिप्पणी वित्त अनुभाग के ए.डी.जी. श्री वी. राजेन्द्रन की है। उन्होंने यह टिप्पणी 11 जुलाई, 2000 को की थी। उन्होंने बताया कि कैसे बातें गलत हो रहीं थीं। उन्होंने जुलाई, 2000 में विभाग को चेतावनी दी।

अगस्त 2000 में कुछ उत्पादक संघ हैं: एस.टी.एल., एस.टी.ओ.एल., ए.आर.एम.। आपके पास स्टरलाइट बंधु हैं: वी.टी.एल., बी.इ.ओ.एल.। ये बिरला हैं। विभाग ने विस्तृत टिप्पणी भेजी। इस टिप्पणी में क्या है? विभाग कहता है कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में इसे खेदजनक मानते हैं। घोटालें का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है? विभाग कहता है:

> ''हम निम्नलिखित बोलीकर्त्ताओं जोकि आप्टिकल फाइबर हेतु निविदा के कुल मूल्य का आधे से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, के संबंध में कुछ के बारे में बड़ी चिंतित है: समूह I-ए.आर.एम. लिमिटेड, स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज, स्टरलाइट, टेलिकेबल्स, स्टरलाइट टेलिलिंकस, और समूह II-विन्ध्या टेलीलिक्स् और बिरला इरिक्सन।''

वह आगे कहते है:

> ''यह देखा गया है कि इन सभी समूहों को एक ही निदेशक नाम पर, उसी पते, उसी स्थान पर पावर ऑफ अटार्नी जारी की जाती है। उसे 'नवीन अग्रवाल' के नाम से पुकारा जाता है। यही बात बिड़ला एरिक्सन के मामले में है: प्रियम्बदा बिड़ला, वी.डी. जैन, आर.जी. मुंडा और विंध्या टेलीलिंक्स के मामले में ये हैं: प्रियम्बदा बिड़ला, वी.डी. ज़ैन, आर.जी. मुंडा, श्रीमती राधिका बिड़ला, एम.पी. राजन।

अपराह्न 4.29 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

क्या आपको पता है कि उन्होंने उत्पादक संघ (कार्टेल) कैसे बनाया है? उत्पादक संघ इस प्रकार है। मैं उत्पादक संघ का संविधान पढ़ता हूं। सम्पूर्ण राष्ट्र को यह जानकर आघात लगेगा कि दूरसंचार विभाग कैसे कार्य कर रहा है। मुझे पता है कि आपने इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि चर्चा होने वाली है। निविदा 24 जुलाई, 2000 को खोला गया था। इसकी तिथि 24 जुलाई है और 10 अगस्त, 2001 को इसे खोला गया था। यहां एस.टी.एल. कार्टल है।

[हिन्दी]

मिलीभगत कैसे हुआ?

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[अनुवाद]

एस.टी.एल. ने '12-एफ-60,000' के आप्टिकल फाइबर का मूल्य 62,450 रुपए उद्धृत किया था:

> ''उनके भाई ने 62,500 रुपए उद्धृत किया है; उनकी बहन ने 62,700 उद्धृत किया है; सुदर्शन ने 63,000 रुपए उद्धृत किया है; यूनीफेक्स में 64,000 रुपए; बिरला जी.टी.एस. ने 66,500 रुपए; बी.यू.एल. ने 66,600 रुपए उद्धृत किया है।''

नियम यह है कि पहले आठ को मिलेगा। ये पहले आठ में आते हैं। कौन से पहले आठ हैं

[हिन्दी]

चार-चार बांट लें।

[अनुवाद]

ये वही हैं। सबसे कम क्या है? 57,000 रुपए है। यदि मैं यह कहता हूं कि यह 21 प्रतिशत वृद्धि नहीं है वहां 10 प्रतिशत की हेराफेरी 500 करोड़ रुपए है।

क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे? हमारी उनसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे एन.टी.पी. 1999 लागू करने में दूरसंचार विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें। वे चुप क्यों हैं? इनके विभाग (वित्त शाखा) द्वारा जुलाई, 2000 में ऐसी कानूनी टिप्पणी क्यों की गई थी? इन्होंने उनको पुन: बोली लगाने की अनुमति दे दी। विभाग के टिप्पण के बावजूद भी इन्होंने उत्पादक संघ को कार्य करने की इजाजत दी। वे आज की तारीख तक भी इस व्यवस्था को जारी रखे हुए हैं और माननीय मंत्री महसूस करते हैं कि विपक्ष को कोई अंगुली नहीं उठानी चाहिए। मैं जानता हूं कि सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्यों ने भी आपत्ति उठाई है।

माननीय मंत्री जी ने इस पर व्यक्तिगत तौर पर विचार किया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे इसे व्यक्तिगत तौर पर क्यों लेते हैं। उन्हें इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि ये क्या कह सकते हैं, इन्हें समय मिल सकता है अथवा नहीं, ये अपने सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यों में बहुत व्यस्त हैं और कभी-कभी ये कुछ बड़े स्वामियों के हाथों के शिकार होते हैं जिससे ये कुछ नहीं कर पाते। परन्तु राष्ट्र हित में इन्हें इसे उद्घाटित करना पड़ेगा। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो लोग इनकी सदाशयता पर संदेह करेंगे। लोग इनसे प्रश्न करेंगे।

गत तीन वर्षों से सम्पूर्ण आप्टिकल फाइबर निविदा प्रबंधन में दूरसंचार नीति कार्यान्वयन कार्यक्रम के नाम पर ये सब कार्य कौन कर रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं। ये जांच के लिए स्वयं एक समिति नियुक्त कर सकते हैं और हमें आमंत्रित कर सकते हैं। हम दस्तावेज तथा कागजात एकत्र करेंगे और अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो कि देश के पैसे को सैकड़ों करोड़ में नहीं बल्कि हजारों करोड़ में लूट रहे हैं। ये कोरापुट और बोलांगीर के उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उत्पादक संघ पैसा लूट रहा है।

महोदय, यहां तक कि एक संसद सदस्य भी यदि 10 बजे से पूर्व सूचना नहीं दे पाता है तो उसे सभा में कोई मामला उठाने का कोई हक नहीं है। यदि कोई मंत्री सभा में गलत वक्तव्य देने पर पकड़ा जाता है तो यह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है। परन्तु सीमित गतिशीलता के मामले में गतिशीलता सीमित है और लूटने की शक्ति असीमित है। लूटना असीमित है और क्षेत्र सीमित है। क्या हो रहा है।

मैं श्री प्रमोद महाजन का प्रतिनिधित्व करने हेतु आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वे दूरसंचार प्रौद्योगिकी में बहुत श्रेष्ठ हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके देश में 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर कोई नीति है। वे हंस रहे थे। हमारे क्षेत्र में 'पहले आओ पहले पाओ' है।

[हिन्दी]

फिल्म देखनी है तो सिनेमा का टिकट लेने के लिए सुबह लाइन में लगो और धक्के खाओ। पहले गए तो मिलेगा नहीं तो ब्लैक में मिलेगा।

[अनुवाद]

क्या कभी ऐसा हुआ है?

मैं किसी कम्पनी की नेकनीयती पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। कोई भी कम्पनी जो दूरसंचार नीति के क्षेत्र में आ रही है-वे सभी भारतीय कम्पनियां हैं उनके पास अच्छे इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ इत्यादि हैं-उसका स्वागत है। मेरी किसी कम्पनी के पक्ष में अथवा विपक्ष में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। परन्तु मैं नीति में पारदर्शिता की बात कर रहा हूं जहां वे असफल रहे हैं। यही है जो आप्टिकल फाइबर निविदा दस्तावेजों में हो रहा है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं यह सब जानकारी निश्चित तौर पर इन्हें दे सकता हूं। यह इनके पास है और इन्हें इसका पता भी है। परन्तु मैं समझता हूं कि कुछ दबावों के कारण ये कार्यवाही

नहीं कर सकते। जितना शीघ्र ये इस दबाव से बाहर आयेंगे, यह देश के लिए अच्छा है।

सभापति महोदय, संचार राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल के हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आम लोगों के ये बहुत हितैषी हैं। इस कम्पनी में वे अनुपयुक्त हैं परन्तु ये अच्छे आदमी हैं। इन्होंने टेलीफोन समस्या पर विचार करने हेतु कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सभी संसद सदस्यों को बुलाकर बड़ी कृपा की। मैं यह अवश्य कहूंगा कि छोटी समस्याओं के लिए मैं जब भी इनके पास जाता हूं तो ये उनका समाधान करते हैं। ये ऐसे मंत्री हैं जिनसे गरीब लोग, धनी लोग तथा प्रत्येक व्यक्ति आसानी से मिल सकता है।

महोदय, मैंने सिल्वर लाइसेंस के लिए सीमित गतिशीलता का मुद्दा उठाया था। समय बहुत कम था इसलिए इन्होंने कहा था कि हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। शायद 21 तारीख को, मुझे तारीख याद नहीं है, दि बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रकाशित किया था कि इस तथ्य के बावजूद कि सालीसिटर जनरल की राय नहीं ली गई थी, लाइसेंस जारी कर दिया गया।

मैंने राज्य मंत्री को एक पत्र लिखा और पूछा कि क्या यह सच है कि आपने 20 तारीख को कुछ लाइसेंस जारी किए थे जबकि मामला तमिलनाडु उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और क्या यह भी सच है कि अपने सालीसिटर जनरल की स्वीकृति नहीं ली थी। मैं समयाभाव के कारण पत्र नहीं पढ़ रहा हूं।

बहुत पहले अपर सालीसिटर जनरल श्री वेणुगोपाल ने एक सलाह दी है। उनकी सलाह मेरे पास है। इसमें कहा गया है कि 'देखिए, तमिलनाडु क्षेत्राधिकार के मामले पर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहां एक प्रक्रिया है। परन्तु अन्य सर्किलों के लिए आपको निर्णय लेना है।' उन्होंने कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं दी थी।

मंत्री महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं-यदि आप खंडन करते हैं तो मैं क्षमा मांग लूंगा कि लाइसेंस 20 अगस्त को जारी किया गया था और मेरे पत्र के पश्चात् जब पूछताछ चल रही थी तो यह पाया गया कि लाइसेंस 20 अगस्त को जारी किया गया था और सालीसिटर जनरल की अनौपचारिक राय 21 तारीख को मांगी गई थी। यदि मंत्री जी चाहें तो मैं टिप्पण भी प्रस्तुत कर सकता हूं परन्तु मैं मंत्री जी को अधिक उलझन में नहीं डालना चाहता। अन्यथा कोई पुन: इसे सी.बी.आई. को भेज देगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दूरसंचार विभाग कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

काम रात को हो जायेगा, सलाह बाद में ली जायेगी। इस तरह विभाग कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

इस तरह विभाग कार्य कर रहा है। राज्य मंत्री मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूं।

महोदया, जब हम सरकार में थे तो हम पर आरोप लगाया गया था कि हमने जो भी किया वह गलत था। हमारे समय में 42 बोलीदाताओं के द्वारा बोली प्रक्रिया में 22,000 करोड़ रुपए एकत्रित होने की प्रत्याशा की गई थी। अर्थव्यवस्था को तथाकथित रूप से खोले जाने तथा समस्त विदेशी निवेशकों और स्थानीय निवेशकों को प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा तथाकथित रूप से प्रेरित किए जाने के कारण चौथी सेल्यूलर लाइसेंस बोली प्रक्रिया हेतु कितने बोलीदाता आए? हमारे समय में 42 थे और आय 22,000 करोड़ रुपए का था। अब दूरसंचार विभाग में घोटाले और दूरसंचार क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं और पहली बार किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी ने बोली नहीं लगाई है। भारतीय कम्पनी के संबंध में भी दूरसंचार विभाग को स्पर्श करने के लिए बहुत अकर्मण्यता है और बोलीदाताओं की कुल संख्या छ: है और राजस्व की प्राप्ति 1,225 करोड़ रुपए अथवा कुछ अधिक है। इसलिए यह 22,000 करोड़ रुपए से गिरकर 1,200 करोड़ रुपए हो गई है। बेचारे वित्त मंत्री चीख रहे हैं कि

[हिन्दी]

हमारे पास पैसा कहां से आयेगा।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कह रहे हैं, 'कृपया मुझे पैसा दो।' नेताजी ने कहा था, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं, 'तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें सड़क दूंगा, यह दूंगा और वह दूंगा।'

[हिन्दी]

रामविलास जी कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, मेरा इंतजाम ऐसा है कि वह पैसा बाहर ही जायेगा, जाता ही जायेगा, अंदर नहीं आयेगा।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को लाभ कैसे होगा। क्या सभी रिपोर्टर – श्री कृष्णन, श्री सुनील देव और अन्य गलत थे? दूसरे दिन श्री अरूण शौरी बता रहे थे कि संभवत: मीडिया रिपोर्ट निगमित घरानों की उपज हैं। परवेज मुशर्रफ के दौरे के बारे में मीडिया पर देशभक्त न होने का आरोप लगाया गया था।

[हिन्दी]

डिसइनवैस्टमैन्ट के बारे में मीडिया लिखेगा। मीडिया के कागज हम यहां कोट करेंगे, यह प्लान्ट है। मीडिया टेलीकोम के बारे में बोलेगा, वह प्लान्ट है। मीडिया बोलेगा रामविलास जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वह सही है। ऐसा कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

मीडिया ने पांच बार भविष्यवाणी की थी कि दूरसंचार मामलों में अनिश्चितता बनी हुई है और बोली को कुछ समय के लिए आस्थगित करने के लिए और चौथी बोली के लिए और पैसा प्राप्त करने के लिए आपके विभाग को आक्रमक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

लेकिन क्या करेंगे, आगे से शादी तय हो चुकी है, दहेज भी ले चुके हैं, अभी दहेज भी ले लिया है, शादी भी तय है, डेट कैसे नहीं मानते हैं, वह चलता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आपकी अपनी सरकार की निष्पक्षता की बात कर रहा हूं। कृपया मुझे बाधा न पहुंचाएं। मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। श्री महेश्वर, श्री देवेन्द्र जी और श्री अनन्त गीते यहां हैं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

टोटल पॉलिसी को खत्म करके दो-चार लोगों को लूटने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान जब आप विपक्ष में थे तो कई बार आप चर्चा की अगुवाई करते रहते थे।

श्री राम विलास पासवान, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? जब हमारे जवान कारगिल के युद्धक्षेत्र में अपने प्राण गंवा रहे थे तो प्रधान मंत्री पैसे, युद्ध कोष, अनुदानों के लिए शोर कर रहे थे। देश के इन घरानों द्वारा दिया जाने वाला कुल देय एक लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए आंका गया था।

[हिन्दी]

1,28,000 करोड़ रुपया जबकि बिजनेस हाउसेज को सरकार को देना है, तब कारगिल के समय जब प्रधान मंत्री सबसे कह रहे थे कि पैसा दो

[अनुवाद]

आपने स्थानांतरण पैकेज प्रारम्भ कर दिया।

[हिन्दी]

माफ कर दो, तुम्हें पैसा नहीं देना चाहिए, तुम्हें दूसरा लूटने का इंतज़ाम 99 में करा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हमें कितनी हानि हुई? देश को 50,000 करोड़ रुपए की हानि हुई।

सभापति महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। हमें स्थानांतरण पैकेज में 50,000 करोड़ रुपए की हानि हुई। श्री राम विलास पासवान कृपया मुझे यह बतायें। यदि आप विपक्ष में होते और श्री वाजपेयी यहां होते तो क्या होता? आपने यह किया था। क्या आपने एक भी दिन संसद की कार्यवाही चलने दी थी? क्या आपने भारतीय रेल और सड़कों पर बस चलने दी थी?

[हिन्दी]

सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए खत्म कर दिया।

[अनुवाद]

आपने यह स्थानांतरण पैकेज क्यों सहन किया?

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी किसानों के हित में बोलते हैं। गरीब किसान के लिए 50,000 रुपया माफ नहीं करते हैं। निगमित घरानों के लिए

[अनुवाद]

आपने इस दलील पर कि वे न्यायालय में चले गए हैं और इससे विलम्ब होगा इस देश के एक लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए जाने दिए। आप कहते हैं कि हर चीज पारदर्शी है, हर चीज स्पष्ट है; और हर चीज बिल्कुल सही है। मैंने यह पहले भी कहा है और मैं यह पुन: कहता हूं।

सीमित गतिशीलता के नाम पर हमने विरोध नहीं किया। डब्ल्यू.एल.एल. के नाम पर हमने विरोध नहीं किया। हम आपकी चार चीजों का विरोध करते हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): यह बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वेरी गुड तो कह रहे हैं - वेरी गुड कहिये जो मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

पहले आपने 'पहले आओ, पहले पाओ' के नाम पर पक्षपात किया। आपने सरकार में कुछ प्राधिकारियों जिनका मुझे पता नहीं है के उद्देश्य को पूरा करने हेतु कुछ समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की। आप इनका नाम बता सकते हैं। दूसरे, आपने भारतीय टेलीफोन विनियामक प्राधिकरण पर दबाव डाला कि आपकी इच्छा पर पुनर्विचार करे जो कि देश के हितों के लिए हानिकारक है और उस पर पुन: सिफारिश करने हेतु दबाव डाला। अपनी इस कार्रवाई के द्वारा आपने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। तीसरे, ऑप्टिकल फाइबर निविदा के नाम पर, अपने विधि विभाग तथा वित्त विभाग की इस टिप्पणी के बावजूद कि वे लूट रहे हैं और संगठित उत्पादक संघ के माध्यम से लूट रहे हैं आपने उन्हें प्रोत्साहित किया और राष्ट्र के राजकोष की कीमत पर विभाग द्वारा जानबूझकर कुछ व्यवस्था करके उनको अनुमति दी। इसकी आपको जांच करने की आवश्यकता है और हम जांच की मांग करते हैं। अंत में, जो सीमित गतिशीलता में किया गया था उससे मध्यम वर्ग के व्यक्ति यथा प्रियरंजन दासमुंशी छोटे कस्बे तथा कस्बे में एक व्यापारी, दुकानदार, उपभोक्ता को लाभ होगा। यह आम आदमी के हित में नहीं है। तथाकथित एक रुपया पच्चीस पैसे प्रौद्योगिकी के अभिनव परिवर्तन का प्रभारी नहीं है बल्कि लम्बी दूरी की काल से एक राजसहायता है। इसलिए इन बातों को खोला जाना चाहिए और सबके सामने खोला जाना चाहिए।

अत: मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आपने देश के राजस्व को नष्ट किया है। केवल सीमित गतिशीलता पर इस प्रकार को लिए जाने की गलत गणना द्वारा लाभ 14,000 करोड़ रुपए था। आपके स्थानांतरण पैकेज के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के सरकार के राजस्व को नष्ट किया। आप सच को उद्घाटित न करके इस देश और राष्ट्र के साथ किए गए धोखे के लिए राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत दूर संचार संबंधी नीति के अत्यंत मत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाई है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदया, प्रियरंजन दासमुंशी जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। वह लगभग 45 मिनट बोले। यह सही है कि विपक्ष का यह दायित्व है कि सरकार की कमियां निकाले, अगर सरकार कहीं गलती कर रही है तो सरकार को सही राह दिखाए, लेकिन मैंने देखा कि सारे समय में आलोचना के सिवाय एक भी शब्द सरकार ने जो अच्छा काम किया, उसके बारे में नहीं कहा।

सभापति महोदय, जो सरकार अच्छा काम करती है, उसके बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ी तारीफ जरूर करनी चाहिए थी। माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने संसदीय स्थाई सामेति की रिपोर्ट के उदाहरण दिए, लेकिन वही पोरशन पढ़े, जहां सरकार की थोड़ी-बहुत आलोचना हुई है, लेकिन जो स्टेंडिंग कमेटी ने प्रंशसा की है, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह ठीक है कि मीठा-मीठा, वाह वाह और कड़वा-कड़वा थू। यह ठीक है कि कड़वे के लिए आपने थू-थू की, लेकिन मीठे के लिए भी तो आपको वाह-वाह करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और न कोई सुझाव दिया।

सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी चर्चा की, लेकिन वे भूल रहे है कि वर्तमान सरकार ने, मंत्रालय ने और मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्र में जो टेलीफोन लगता है उसकी सिक्योरिटी में बहुत कमी की है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टेलीफोन आज बड़े आदमी के उपभोग की चीज नहीं रही है, बल्कि आम आदमी की आवश्यकता बन गई है। आज टेलीफोन केवल शहरों में शोभा की वस्तु नहीं है बल्कि छोटे से छोटे गांव में बैठे आदमी की भी आवश्यकता बन गई है।

सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि विगत तीन वर्षों में लगातार तीव्र गति से गांवों की ओर दूरसंचार व्यवस्था बढ़ी है और गांव-गांव में आज आप्टीकल

[श्री महेश्वर सिंह]

केबल फाइबर बिछाया जा रहा है। सरकार ने सन् 2002 तक लक्ष्य रखा है और घोषणा की है कि सन् 2002 तक हर गांव और हर घर तक टेलीफोन की व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह संभव नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो काम की गति कैसे बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस बात को जानते है कि सन् 2002 तक हर घर तक टेलीफोन पहुंच जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि लक्ष्य रखने के बाद काम की गति में तीव्रता आई है और जगह-जगह अब टेलीफोन पहुंच रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर: यह तरीका नहीं है। हमें माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आपको माननीय सदस्य की बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि देश के घर-घर तक सन् 2002 तक टेलीफोन पहुंच जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इतना असंभव भी नहीं है कि जो वर्षों तक काम नहीं हो पाए, पं. सुखराम जी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता कि उनके समय में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह सारी दुनिया जानती है, सदन भी जानता है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को मंत्री जी ने आगे बढ़ाया और आज गांव-गांव में टेलीफोन पहुंच रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। आज दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह अहसास हो रहा है कि टेलीफोन अब उनसे दूर नहीं है। इस बात के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को मंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, महेश्वर सिंह जी, मैंने अपने भाषण में कहा था कि श्री राजीव गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य का मंत्री जी ने आगे विस्तार किया है। इसके लिए मैंने उन्हें बधाई भी दी है।

श्री महेश्वर सिंह: बधाई तो आपने इस बात के लिए दी है क्योंकि मंत्री जी आपके मित्र हैं। यह बहुत अच्छा तरीका बधाई देने का है, लेकिन आपने उनके द्वारा किए गए काम की बिलकुल तारीफ नहीं की। आपने एक शब्द भी उनके काम की तारीफ में नहीं कहा। आपने तो व्यक्तिगत रूप से बधाई दी है। आप भी मेरे मित्र हैं और आप यदि अच्छा करेंगे, तो मैं भी आपको बधाई दूंगा।

महोदय, जहां तक आप्टीकल केबल फाईबर का संबंध है, इस कार्य को दो एजेंसियां कर रही हैं। एक आपका विभाग कर रहा है जिसको आपने निगम बना दिया है और दूसरे प्रोजैक्ट साइट कर रहा हैं। पहले केवल प्रोजैक्ट साइट के लोग ही आप्टीकल केबल फाइबर के कार्य करते थे, लेकिन आपने उनसे थोड़ा कार्य लेकर विभाग को भी दे दिया। इस बारे में मेरा सुझाव है कि एक ही कार्य को दो विभागों द्वारा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। दो पैरेलल डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है कि पहले जब प्रोजैक्ट साइट के पास सारा काम था, तब आप्टीकल फाईबर ले करने का जो ठेका दिया जाता था, तो टारगेट एचीव करने के लिए विभाग का उत्तरदायित्व था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हिमाचल में एक डिप्टी जनरल मैनेजर बैठता है।

वहां 55 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसका जी.एम. अम्बाला में बैठता है और अम्बाला के नीचे हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर सारा एरिया आता है। उसका सी.जी.एम. दिल्ली में बैठता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि इस पैरलल पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि अगर कोई बहुत बड़ा सर्किल है तो प्रोजैक्ट साइट खत्म करके बड़े प्रान्तों में सर्किल और खोल देने चाहिए ताकि एक एजेंसी यह काम करे और इस बात के लिए भी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि पहले एक मोनोपोली थी कि सिर्फ बड़े टेंडर होते थे और एक लाइन लिखी हुई थी कि उन्हीं व्यक्तियों को ले करने का कार्य दिया जायेगा। जिनके पास इसका अनुभव है। आज आपने उसमें छूट देकर गांवों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको भी काम करने का अवसर दिया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के लोगों को जो काम दिये जाते हैं उसका प्रतिशत बढ़ाया जाये।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो प्रान्त के विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग और संचार विभाग में अधिक तालमेल की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह, मैं जानता हूं कि हो सकता है कि ठेकेदारों की गलती हो, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग प्रान्तों में काम रोकता है, लेकिन यह भी सत्यता है कि कई जगह अनावश्यक रूप से भी काम रोका जाता है। फलस्वरूप इसमें देर होती है, विलम्ब होता है और ऑप्टीकल फाइबर केबल ले करने में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरे उपकरणों की उपलब्धता के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो कहा है कि 2002 तक हर जगह टेलीफोन एक्सचेंज

की व्यवस्था कर दी जायेगी। लेकिन जब तक उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे दुर्गम क्षेत्र के लिए एम.सी.पी.सी. है, जब तक ये चीजें नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा और कई जगह ऐसी हैं, जहां कि वर्किंग सीजन बहुत कम है, विशेषकर पहाड़ी प्रान्तों में और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आप भलीभांति जानते हैं, उसमें लाहौर और पांगी जैसे जनजाति क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र भी पड़ते हैं, जहां वर्किंग सीजन केवल चार मास है और 15 सितम्बर के बाद आफिशियली रोहतांग पास बन्द हो जाता है, ऐसी जगह प्राथमिकता देकर अगर एम.सी.पी.सी. उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कैसे होगी मैं मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा कि पिछले साल के टार्गेट में लाहौल में जहां-जहां एम.सी.पी.सी. लगना था, वह नहीं लग पाया और इस साल भी 15 सितम्बर से पहले उपलब्ध नहीं करवाये गये तो वहां पर एक्सचेंज नहीं लग सकेगा। उदाहरण के लिए खोकसर एक स्थान आता है, जो रोहतांग दर्रे के दूसरी तरफ है, वहां की एक्सचेंज खड़ी है। इस प्रकार उदयपुर में एक खिरोट जगह में जो एक्सचेंज लगनी थी, एम.सी.पी.सी. के अभाव में वह खड़ी है।

जहां तक एम.ए.आर.आर. सिस्टम का सवाल है, इस सदन में कौन सा माननीय सदस्य नहीं जानता या आप नहीं जानते कि वह सिस्टम सारे देश में फैला हुआ है। यह एस.ए.आर.आर. लाखों की संख्या में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रान्त में भी पड़े हैं। मैं अभारी हूं, आपने कहा था कि हम सब को विल सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में अभी दो जगह ट्रायल बेसिस पर यह विल सिस्टम एक कसौली में और एक थानेधार में चल रहा है। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि जब इसमें सफलता मिलेगी तो फिर एम.ए.आर.आर. सिस्टम को विल से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसमें तीव्रता लाने की जरूरत है, क्योंकि जो एम.ए.आर.आर. सिस्टम है, वह कहीं काम नहीं कर रहा है और हजारों की संख्या में इसके उपकरण स्टोर में भी पड़े हैं और वह धीरे-धीरे खराब हो रहा है, जंक के रूप में खड़ा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जो स्टोर में इस किस्म से एम.ए.आर.आर. पड़े हुए हैं, उनको कहीं न कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया जाये, ताकि विभाग को कुछ न कुछ पैसा मिले और उसके बदले में अच्छे उपकरण लिये जायें, ताकि इस काम में तीव्रता लाई जाये।

दूसरे मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब जहां टेलीफोन एक्सचेंज लगता है, वहां हम कहते हैं कि यह स्वचालित है, घड़ी भी स्वचालित है, लेकिन हाथ 10 दफा न हिलाओं तो यह भी बन्द हो जाती है। जिस एक्सचेंज में चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, उसकी देख-रेख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, जब तक कैजुअल लेबर का प्रबन्ध नहीं होगा तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। कई जगह तो लोग बहुत अच्छे हैं, वे एक्सचेंज का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें भी आपके पास है कि लाइनमैन रात को एक्सचेंज ऑफ कर देता है, सारी रात टेलीफोन नहीं चल सकता, सुबह जब उसको सुविधा होती है तो उसको ऑन कर लेता है।

इस प्रकार की शिकायतें भी हैं- इसलिए कैजुअल लेबर की भर्ती, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में जहां छः-छः आठ-आठ किलोमीटर पर एक्सचेंज है, करने की व्यवस्था करें।

जहां तक इनमार सैट की बात है, मैं बधाई देना चहूंगा कि सरकार ने यह काम किया। पहले इसके रेट में अंतर था, लेकिन अब जो नार्मल रेट है, उस पर इनमार सैट लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में भी ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक केवल सरकारी नियंत्रण में ही इस प्रकार के इनमार सैट दिए जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह काफी महंगा उपकरण है इसलिए हर कहीं इसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे आशा है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां सरकारी कार्यालय नहीं हैं, वहां अगर कोई सोसाइटी आगे आती है और ठीक सिक्योरिटी देती है तो आपको वहां भी इनमार सेट देने चाहिए, ताकि वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जहां तक बिल के भुगतान की बात है, आज यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति का करीब 50-100 रुपए तक का बिल आता है, लेकिन उसके भुगतान के लिए उसे 50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में विलेज पोस्ट आफिस तो है, लेकिन वहां भुगतान का प्रावधान नहीं है। हमने सुझाव दिया था कि बैंकों में इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कुछ कदम इस बाबत उठाए गए हैं। इसके अलावा गांव में बैठा हुआ जो विलेज पोस्ट मास्टर है, वहां भी भुगतान की व्यवस्था कर देनी चाहिए। उसके लिए कारण बताया जाता है कि वहां पैसा सुरक्षित रखने का प्रबंध नहीं है, कभी-कभी इम्बैजलमेंट हो जाती है। मैं समझता हूं विलेज पोस्ट मास्टर भी जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया जाता है आप यह नियम बना दीजिए कि इतने दिन तक वह इतना पैसा निकटतम बैंक में जमा करा देगा और उसके बदले पोस्ट आफिस को कमीशन भी देना चाहिए, क्योंकि गांव में पोस्ट आफिस खुलवाना माननीय सदस्यों के लिए समस्या है। जब भी हम इसकी मांग करते हैं तो आपके विभाग से हमें स्टीरियों टाइप जवाब दिया जाता है कि "आपके अ.शा.पत्र सं. फलां, दिनांक फलां के संदर्भ में है, जिसमें गांव धार, डाकघर ओलवा, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हि.प्र. में नया डाकघर खोलने के बारे में लिखा गया है। इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उक्त गांव में शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई तथा पाया गया है कि प्रस्तावित गांव की दूरी

[श्री महेश्वर सिंह]

निकटतम शाखा डाकघर से छः किलो मीटर है तथा जनसंख्या भी कम है, और प्रस्तावित शाखा डाकघर आय-व्यय का केवल 4.28 प्रतिशत ही पूरा कर रहा है, जो विभाग द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत से बहुत कम है। अतः विभागीय मापदण्ड़ों को पूरा न करने के कारण उक्त गांव में वर्तमान में नया डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है।'' जब भी हम पत्र लिखते हैं तो इस तरह पहले से लिखित तौर पर तैयार किया हुआ जवाब हमें मिलता है। इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल कमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं है। लोगों को सुविधा भी देनी है इसलिए कम से कम ऐसी नीति बनाई जाए कि हरेक पंचायत में एक डाकघर हो। जहां तक दूरी की बात की जाती है, पहाड़ों में अगर छः किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए तो दम निकल जाता है। एक पत्र को छः किलोमीटर दूर डालने के लिए बहुत मुश्किल आती है इसलिए इस मापदंड में पहाड़ी एरिया के लिए छूट देनी चाहिए और हर पंचायत में एक डाकघर हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधा घर द्वार पर ही मिले।

सभापति महोदय: आपने तो इसे जनरल डिजेट बना दिया।

श्री महेश्वर सिंह: मुझे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए जहां मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं वहीं सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। विशेषकर जो विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी मुझे शांति का दान दिया, नहीं तो बार-बार टोका-टाकी होती है। आशा है कि बाकी सदस्यों को भी इसी तरह बोलने का मौका मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदया, हाल ही में 8 जनवरी, 2001 को माननीय संचार मंत्री ने दिल्ली में आयोजित अपनी पार्टी की विशाल रैली में यह घोषणा की थी कि देश के सभी गांवों में मार्च, 2002 तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि वे कहना क्या चाहते थे। संभवतः उनके कहने का अर्थ यह था कि जब तक यह सरकार चली जायेगी और इसलिए इस वायदे को पूरा करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं रह जायेगी।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): क्या आप 2002 या 2022 कह रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल : जब नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी तो इसी प्रकार का आश्वासन और घोषणा की गई थी कि वर्ष 2002 तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आप आज की स्थिति देखिये। हालांकि सेलुलर ऑपरेटरों और बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए 2 सर्किल खोले गये हैं फिर भी बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के संबंध में अब तक मात्र चार टेलीफोन ही कार्य कर रहे है और उनमें से कुछ तो बहुत ही सीमित ढंग से कार्य कर रहे हैं। यदि मेरी बात गलत हो तो आप इसमें सुधार कर दीजिये।

महोदय, यदि हम ठीक एक वर्ष पहले जब एन.टी.पी. अंगीकार की गई थी अर्थात् वर्ष 1998 की 'टेली-डेन्सिटी' से तुलना करें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि यह 1.5 थी। 1999-2000 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 2.86 हो गयी और सरकार यह उम्मीद करती है कि यह वर्ष 2001 तक 3.5 हो जाएगी। मैं इसकी शुभकामना करता हूं। इस अवधि के दौरान चीन की क्या उपलब्धि रही? सेलुलर फोन के संबंध में वे अमेरिका से भी आगे निकल गये हैं: यह 128 मिलियन है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या से ज्यादा है।

श्री रूपचंद पाल : तो क्या? वहां देश के अनेक भागों में कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। चीन को एक गरीब और विकासशील देश माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1978 में अपने ढंग से सुधार प्रक्रिया शुरू की थी केवल चीन ही नहीं बल्कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे अन्य दूसरे देशों ने भी अच्छा किया है। लेकिन यहां हम यह देख रहे हैं कि हम प्रौद्योगिकी को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं। हम लोग सेलुलर ऑपरेटरों तथा बेसिक ऑपरेटरों को क्या दिया जा सकता है अथवा क्या नहीं दिया जा सकता है के बीच उलझे हुए हैं। मैं अपने सम्माननीय साथी द्वारा उठाये गये मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात बाद में करूंगा। इससे पूर्व मैं प्रौद्योगिकी के प्रश्न पर आना चाहूंगा।

महोदय, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) बेशक एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके सहारे इस बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनता, दूरस्थ लोगों और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। जब यह स्पष्ट तौर पर बताने के लिए कहा गया कि क्या डब्ल्यू एल एल लिमिटेड मोबोलिटी के लाए जाने से देश की 'टेली डेन्सिटी' में सुधार होगा तो दूरसंचार विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि इससे नेटवर्क के विस्तार में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। मैं लिमिटेड मोबिलटी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। लेकिन लिमिटेड मोबिलटी कोई नई बात नहीं है। ऐसा

इसलिए कि डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी कुछ समय से कार्य कर रही है। समानान्तर पारेषण तकनीकी पर आधारित प्रथम पीढ़ी की सचल रेडियो प्रणाली को 1980 के शुरूआत में अमेरिका, जापान जैसे अन्य विकसित देशों और ऐसे अन्य देशों में शुरू किया गया था।

नब्बे के दशक की शुरूआत में सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क में शुरू की गई दूसरी पीढ़ी की सचल रेडियो प्रणाली अंकीय पारेषण तकनीक पर आधारित है। कई टेलीफोन के लिए तैयार की गई इन प्रणालियों को डब्ल्यू एल एल प्रयुक्ति के अनुकूल बनाया जा सकता है। इन प्रणालियों में 20 से 30 किलोमीटर की त्रिज्या वाला एक सेल है और एक स्टेशन से भारी संख्या में टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर सकता है।

कुछ ऐसी डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकियों का भारत में प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। उनमें से सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी थी। यह निर्णय दूरसंचार आयोग द्वारा लिया गया था उस समय डब्ल्यू.एल.एल. प्रयुक्ति सीटी-2 प्रौद्योगिकी थी। अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कवॉलकॉम द्वारा सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकी का दिल्ली में प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। मेसर्स डसॉल्ट ए/वी फ्रांस की सीवी-2 प्रौद्योगिकी का कोलकाता में परीक्षण किया गया था। तो दूसरी प्रौद्योगिकी भी है।

आई.आई.टी. मद्रास के एक प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने अपने टीम के साथ एक कॉरडेक्ट नामक प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया था। दुर्भाग्यवश स्पेक्ट्रम के आवंटन के मामले में गंभीर शिकायतें आई है। स्पेक्ट्रम के आवंटन का मामला बहुत गंभीर मामला है। यह विधेयक अपने आप में संदेह पैदा करने वाला क्षेत्र है। अब संचार अभिसारिता विधेयक को मंत्रिमंडल से मंजूरी प्रदान कर दी गई है और जहां तक पत्रों से जानकारी प्राप्त करने का सवाल है, विशेषकर इस भाग का तथा सुरक्षा पहलुओं का तथा उन सभी बातों का ख्याल रखना होगा जिन्हें हमने ऐसे समय में उठाया था जब सांख्यवाहिनी परियोजना का परीक्षण किया गया था। हमने इस समय कहा था। मैंने स्वयं कहा था कि पेंटागन के पास इकेलॉन नामक एक प्रौद्योगिकी थी जिसे उन्होंने आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ पर लागू करने का प्रयास किया था। यदि सांख्यवाहिनी को भारत में संचालन की अनुमति दी जाती तो मंत्रालयों और अन्य के बीच रक्षा क्षेत्र में अत्यंत संवेदनशील बातचीत ऐसी प्रौद्योगिकी द्वारा निगरानी हो जाती। आज भारत में भी हमारे सुरक्षाकर्मी कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे है जैसाकि क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले में विदेशी ऑपरेटरों का पता लगाने के मामले में हुआ था। यह इस प्रौद्योगिकी के द्वारा संपन्न हुआ। यह भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

मैं स्पेक्ट्रम आवंटन नीति पर चर्चा करने जा रहा है। यह नीति क्या है? क्या कोई कमी है? दो मत हैं। कोई अभाव नहीं है। स्पेक्ट्रम का उन क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित हो गया है जहां नयी प्रौद्योगिकी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस संबंध में की जा रही शिकायतों की चर्चा करने जा रहा हूं कि कॉरडेक्ट प्रौद्योगिकी को 1880 से 1900 मेगा हर्टज बैंडविड्थ की आवश्यकता है अर्थात् 20 मेगा हर्टज की आवश्यकता है लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है, यह कहा जा रहा है कि इस समय 800 से 900 मेगा हर्टज की अनुमति दी जाएगी और इसका पूर्ण रुपेण उपयोग कर लिये जाने के बाद ही 1880 से 1900 मेगा हर्टज की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा क्यों है? इसे हटाया जाना चाहिए। यदि इसे हटा दिया जाता है तो हमारी घरेलू प्रौद्योगिकी जो कि सस्ती भी है, उपलब्ध कराया जा सकता है। यह उपभोक्ता के हित में होगा। यदि आप कहते हैं कि आपको उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी है तो आप इसे क्यों नहीं हटा रहे हैं। यह घरेलू प्रौद्योगिकी है। इसके बहुत से फायदे है। बिना किसी अतिरिक्त लागत का वहन किये बिना इसे नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। इसमें विद्युत की कम खपत होगी और कोई वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं है। ये बातें नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी की तुलना में यह बहुत महत्वपूर्ण है जो क्वालकॉम जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूसरी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही है।

मेरा माननीय मंत्री से विशेष प्रश्न यह है कि यदि सब कुछ स्पष्ट है तो उन्हें 'देशी' प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन क्यों नहीं देना चाहिए? उन्हें 800-900 मेगा हर्टज स्पेक्ट्रम के आवंटन के बजाय 1880-1900 मेगा हर्टज से अलग क्यों नहीं कर देते। उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि 800-900 मेगा हर्टज का पूरी तरह उपयोग कर लिये जाने के बाद ही 1880-1900 मेगा हर्टज की अनुमति दी जाएगी। ऐसा क्यों? उन्हें इसे हटा देना चाहिए। यदि वे साफ सुधरे हैं, यदि उनके जेहन में कुछ गलत इरादा नहीं है और आरोप बिल्कुल गलत है तब उन्हें इसे हटाकर सिद्ध करना चाहिए और 'देशी' प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक मैं जानता हूं, माननीय राज्य मंत्री को उस समय तक ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यह मालूम हुआ कि दिल्ली में इस प्रौद्योगिकी कॉरडेक्ट के उपयोग के लिए उन्होंने एम.टी.एन.एल. और अन्य के माध्यम से कुछ करने का प्रयास किया है।

महोदय, भारत में दूरसंचार के निजीकरण की पूरी कहानी एक दुखद कहानी है। इस सरकार में भ्रष्टाचार आम बात हो चुकी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): बंगाल से कम है या ज्यादा?

सभापति महोदय : आप बीच में मत बोलिए।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हमने संदेहास्पद रक्षा सौदों की कहानी को देखा जिसने पूरे देश को झकझोर रख दिया है। हरेक आदमी इसको लेकर आन्दोलित है। लेकिन ऐसे सभी संदेहास्पद सौदों की जांच के लिए वे एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए तैयार नहीं है।

वित्तीय संस्थानों में अनियमितताओं के बारे में इस सभा में अगले ही दिन अनेक शिकायतें सामने आई थीं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के उच्च अधिकारी हमारे देशवासियों और छोटे निवेशकों को चूना लगा रहे थे।

अब यही बातें दूरसंचार विभाग में घटित हो रही है। सुखराम शैली वहां अभी भी व्याप्त है। उन्हें सुखराम जैसे व्यक्ति को अपनी ओर रखकर गर्व और गौरव हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब श्री सुखराम संचार मंत्री थे तो भाजपा और अन्य पार्टियों के महत्वपूर्ण नेताओं ने मॉर और अन्य मुद्दों पर किस प्रकार 13 दिन तक सभा के बीचोबीच आकर बाधा डाली थी।

सभा में बिल्कुल कार्य संचालन नहीं हो पाया था। लेकिन अब वही व्यक्ति, वही तर्क और इस प्रकार के संदेहास्पद सौदे तथा परिचालन आज भी ऑप्टिकल फाइबर, स्पेक्ट्रमों के आवंटन अन्य दूसरे अन्य क्षेत्रों में जारी है।

निजीकरण के बाद सरकार इस बात से बहुत खुश थी कि निविदा की धनराशि इतनी है कि उन्हें किसी अन्य स्रोतों से किसी भी प्रकार से कोई धन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अंततोगत्वा सच्चाई सामने आ ही गई। दूरसंचार क्षेत्र की समूह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी कहा है कि वे अचानक गरीब हो गई है। सरकार ने अत्यंत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। वे इतनी गरीब हो गई है इसने लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया है। मेरे सहयोगी आंकड़ों की गणना कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह धनराशि 50,000 करोड़ रुपये है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और सरकार ने इसे माफ कर दिया है। नामत: आव्रजन, राजस्व भागीदारी इत्यादि का नाम लिया गया था। लेकिन यह मात्र अपराधों और भ्रष्टाचार की लीपापोती थी जिसमें वे संलिप्त थे।

महोदय, अब मैं सेलुलर और लिमिटेड मोबिलिटी वायरलेस इन लोकल लूप विवाद पर चर्चा करूंगा। इनकी जांच सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा संचार मंत्रालय के बारे में अपने 17वें रिपोर्ट में की गई थी। इसमें कहा गया है कि ''सभी के बयान के आधार पर समिति नोट करती है कि वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नालॉजी जिसे निर्धारित सेवा प्रदाताओं में अनुमति प्रदान की गई थी, को एक नया आयाम प्रदान किया गया है।'' इसमें अनेक लोग शामिल है।

लेकिन दो प्रणालियां जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. एक समान नहीं है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? मंत्रीजी कह सकते है कि अभिसारिता खंड में एक प्रावधान है कि सेलुलर सेवा ऑपरेटरों बुनियादी सेवा प्रदान कर सकते हैं लेकिन बेसिक आपरेटरों दूसरी प्रौद्योगिकी नहीं अपना सकते। यदि सचमुच ऐसा है तो अभिसारिता खंड में कमी है। इस मसले पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

निजीकरण के नाम पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री और हिन्दुस्तान केबल्स जैसी हमारी कंपनियां महत्वपूर्ण दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन कर रही है, जिन्हें आपके द्वारा रुग्ण बना दिया गया है। अब आप उनके निजीकरण अथवा विनिवेश और ऐसी सभी बातों के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन यदि आप अन्य देशों को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां वायरलेस इन लोकल लूप में भी सभी तरह के उपस्कर ला रही हैं। जहां तक मुझे मिली रिपोर्ट का सवाल है, आप विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके फायदे के लिए उन उपस्करों का क्रयादेश दे रहे हैं जिनका हम खुद उत्पादन करने की स्थिति में है। हमारी अपनी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रुग्ण होती जा रही है क्योंकि कोई क्रयादेश नहीं है। हिन्दुस्तान केबल्स जो दूरसंचार विभाग की एक मानद सहायक कंपनी है को क्रयादेश नहीं मिल रहा है और वह रुग्ण होती जा रही हैं तथा आप विदेशी कंपनियों का हित साध रहे हैं।

मैं तीन अथवा चार प्रश्न पूछूंगा अभिसारिता विधेयक पहले ही आ चुका है। मेरे कहने का अर्थ है कि अप्रैल 2002 तक इंटरनेट टेलीफोन लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध हो जाएगा। इस सरकार की क्या नीति है? इस समय भी ऐसी रिपोर्टें है कि सरकार के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दूरसंचार विभाग के अधिकारी और अन्य कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। उस संबंध में क्या करना चाहिए? इंटरनेट टेलीफोन घाटे का सौदा है और यह इंटरनेट टेलीफोन, वायरलेस लूप, जी.एस.एम. प्रौद्योगिकी इन सभी बातों पर पूरा गौर फरमाया जाना चाहिए और अभिसारिता विधेयक अंततोगत्वा ऑप्टिकल फाइबर और केबल के जरिए हो जाएगा। आपकी रेलवे, रक्षा, राज्य विद्युत बोर्डों, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, ओ.एन.जी.सी., गेल और सेल के परिचालन के बारे में क्या राय है? क्या आप उनके साथ मामलों को किस प्रकार सुलझाने का

विचार रखते है ताकि आप्टिकल फाइबर नेटवर्क जल्द से जल्द उपलब्ध हो। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे देश में बैंडविड्थ की कमी है।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है स्पेक्ट्रम का आवंटन मंत्रालय के बेतार विभाग द्वारा किया जाता है। अब बदले परिवेश यानी अभिसारिता माहौल में क्या इस सरकार के पास एक पारदर्शी स्पेक्ट्रम नीति होगी जो दूरसंचार क्षेत्रों में निवेश के बिना और इन सभी क्षेत्रों में इस तरह विकास न हो जो तेजी से हो। किसी देश में तेजी गति से विकास का अर्थ यह है कि यथासंभव तेज गति से विकास कर सके और अपने विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर सके। आज, दूरसंचार और विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी हमारे विकास का एक प्रमुख कारक है। सरकार पारदर्शी स्पेक्ट्रम नीति बनाने का किस प्रकार विचार रखती है। मुझे विश्वास है कि सरकार ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में पहले आओ पहलो पाओ के बारे में हमारे आदरणीय सहयोगी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नई दूरसंचार नीति पर दुबारा विचार करे। निजीकरण हमारी अर्थव्यवस्था को घाटा पहुंचा रहा है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आपको नई दूरसंचार नीति पर दुबारा विचार करना चाहिए था।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, हम राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण निदेश पर चर्चा कर रहे हैं। इस नई दूरसंचार नीति 1999 का सामान्य में और विशेषकर लिमिटेड मोबोलिटी के संबंध में भारत सरकार के राजस्व अर्जन और लाईसेंस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप लिमिटेड मोबिलिटी मुद्दे पर चर्चा करते है तो संचार मंत्री पहले ही वादा कर चुके हैं कि मार्च 2002 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा यदि ऐसा है तो हम उनसे पुन: आश्वस्त होना चाहते हैं कि वे अपनी प्रतिबद्धता पर डटे रहे। इस ज्ञान पर आधारित समाज में दूरसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एन.टी.पी. 1999 प्रस्तुत किया गया।

उसके बाद सरकार गांवों को जोड़ने और टेली-डेन्सिटी को बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठा रही है। नगरों में टेलीफोन मांगने पर उपलब्ध हो जाता है। हम उन दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ पक्षपात करते थे। कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि हमने अच्छाई के लिए किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात करने का वह अवसर खो दिया है। नगरों में टेलीफोन मांगने पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह स्वागतपूर्ण संकेत है। यह एन.टी.पी. 1999 का एक भाग है। लेकिन इसका विस्तार गांवों तक भी करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक दूरदराज गांवों में लोग संचार सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि देश के विभिन्न भागों में और उनके राज्यों में भी हो रही विकास गतिविधियों के बारे में जान सकें। इससे उन्हें प्रगति का फल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए विस्तार कार्य शुरू किया गया है। न्यू जेनरेशन केबल्स और केबल फाइबर बिछाया जा रहा है। जब भी हम कतिपय सुविधाओं के सृजन के लिए कोई कदम उठाते है तो तुरंत हमारी मनोवृत्ति को यह कहकर हतोत्साहित किया जाता है कि वहां बहुत भ्रष्टाचार है और बहुत अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। बहुत सारी बातें कही जा रही है। मैं महसूस करता हूं हम कभी-कभी इन कारकों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दसवीं लोक सभा के दौरान हमने इस सभा में कुछ अत्यंत ही स्थितियां भी देखी हैं जब सुखराम यहां बैठे थे। लेकिन आज जहां तक संभव हुआ। हम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे है। साथ ही, हमें भी मानना चाहिये कि अन्य लोग भी पारदर्शिता की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चीजों को ठीक करने के लिये माननीय मंत्री महोदय कुछ और समय लेंगे ताकि विवादों से विकास कार्य की प्रगति धीमी न हो, उन्हें यह देखना है कि काम जितना संभव हो, उतनी तेजी से और कुशलता से शुरू हो ताकि सभी गांवों में टेलीफोन देने की उनकी प्रतिबद्धता की सफलता पर इस में खुशी मनाई जा सके। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि छोटी समस्यायें विकास कार्यों में अवरोध न बनें। विकास कार्य जारी रखे जाये अन्यथा देश में कुछ भी प्रगति नहीं होगी।

एक मिनट पहले, मेरे विद्वान सहयोगी, श्री रुपचंद पाल बता रहे थे कि चीन में काफी मोबाईल और सेल्यूलर फोन है। शायद चीन में मोबाइल फोन की संख्या अमरीका से भी ज्यादा है शायद यह संख्या यदि अमरीका और भारत दोनों की संख्या को मिला दिया जाये तो उससे भी ज्यादा है। चीनी लोगों के पास ऐसे फोन ज्यादा हैं। लेकिन वे कौन सी नीतियां अपना रहे हैं? दोस्तों, आप उसे अभी भूल रहे हैं। उनकी नीति एकीकृत नहीं है। उनकी नीति सदैव एकीकृत रहेगी। एक बार वे फैसला लेते हैं, तो वह नीति बुलेट ट्रेन की तेजी से लागू होता है हमारे यहां, हर जगह वह रुकता हैं। कभी-कभी यह पटरी से उतर जाता है। इस तरीके से हम प्रगति कैसे कर सकते हैं? हम फिर भी प्रगति कर सकते हैं बशर्ते जब हम कुछ निर्णय लें तो कतिपय चीजों को प्रक्रियात्मक ढंग से होना होगा। थोड़ी बहुत गलती होने की गुंजाइश रखकर, हमें काम होने देना चाहिये। हमें उन्हें काम करने देना चाहिये हम अपनी गलतियों से अच्छी चीजें सीखते हैं। छोटी-मोटी गलतियों से खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पूरी स्थिति देखनी है। हमें देखना है कि हम समयबद्ध कार्यक्रम लागू कर पा रहे हैं या नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों के कुछ वायदे किये हैं। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई हैं। जहां तक उनकी नीतियों का प्रश्न है, उन्हें चौकन्ना रहना है।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

उन्हें उनका वास्तविकता में बदलना होगा। अन्यथा लोग उन्हें देख रहे हैं। अगली बार जब जनता के पास जायेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, आप लगातार यह नहीं कहते रह सकते कि आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं और उस पर अगली बार अमल करेंगे। आपको कुछ करना होगा। आपको यह दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है।

दो दिन पहले बंगलौर में एक बैठक हुई थी जिसमें 9 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में ''बैंडविड्थ'', ''स्पेक्ट्रम'' इत्यादि पर चर्चा की गई। उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे देश में बैंडविथ का विस्तार किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बैंडविथ का विस्तार नहीं किया जाता और जब तक जहां आवश्यक हो, इसका सृजन नहीं किया जाता, तब तक प्रगति नहीं होगी। सूचना आधारित समाज में लोग शांत नहीं रह पायेंगे। सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संबंध में कर कम करना होगा। सरकार की भूमिका सुविधा देने वाले की होनी चाहिये। कई चीजों के मामले हमने अधिनियमों में संशोधन किया है। 'फेमा' का उदाहरण लीजिए। विनियमन से हम प्रबन्धन तक आये हैं। प्रबंधन समाज के मामले में, सरकार को प्रबन्धकीय विशेषज्ञ की भूमिका निभानी चाहिए तथा जरूरी कौशल और जरूरी सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसे विनियामक की बजाय सुविधा देने वाले की भूमिका निभानी चाहिए।

अपराह्न 5.30 बजे

[श्री श्रीनिवास प्रसाद *पीठासीन* हुए]

हमें सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक बार जब हम सूचना आधारित समाज का सृजन कर देंगे तो जनसंख्या और गरीबी की समस्या से हम उत्तर दे सकते हैं। सूचना को हर जगह पहुंचना है। हमारे ऊपर जनसंख्या और गरीबी जैसी दो प्रमुख समस्यायें हावी हैं। हम इन दो समस्याओं का सामना केवल सूचना आधारित समाज से ही कर सकते हैं। यदि आप सूचना आधारित समाज बनाना चाहते हैं, तो सामुदायिक विकास के लिये बैंडविथ को उदार बनाना होगा। वर्तमान में रेलवे, दूरसंचार और रक्षा विभाग द्वारा ही बैंडविथ का प्रयोग किया जाता है। अन्य विभागों को भी बैंडविथ अपनाना चाहिये। हमें ऐसी स्थिति तैयार करनी होगी।

उदाहरणार्थ पिछले दो वर्षों से आन्ध्र प्रदेश बैंडविथ की मांग करता रहा है। श्री चन्द्रबाबू नायडू सरकार से कुछ बैंडविथ के प्रयोग की अनुमति की मांग करते रहे हैं ताकि पूरे राज्य के गांवों में इस सूचना को ले जाया जा सके। वह प्रत्येक पाठाशाला में इंटरनेट टेलीफोन लगवाना चाहते हैं। यदि हम इन्टरनेट टेलीफोन लगाना चाहते हैं, तो यह कहां से आयेगी? दो साल बीत गये इसे लगाने हेतु सामग्री पड़ी हुई है, जो लोग श्री चन्द्रबाबू नायडू का साथ देना चाहते थे वे भी अभी हैं, लेकिन मंत्रालय प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। यह इस देश के लोगों की आशाओं पर खरा नहीं उतर रही है। इसे इस देश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरना है। इसे भविष्य की ओर देखना है। इसे एक दृष्टि का सृजन करना चाहिये। अन्य राज्य भी चाहते है कि बैंडविथ के साथ काम किया जाय और लोगों तक सूचना ले जाया जाय तथा विशेषज्ञता से लोगों को परिचित कराया जाय। इसे हर गांव के कोने में रहने वाले आम आदमी तक सूचना और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। आप इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को अनुमति देनी चाहिए।

इस संबंध में सरकार का कहना है कि वहां सुरक्षा समस्या है यदि ऐसा है, तो इसे हमें हल करना चाहिए। हम हमेशा वही कारण नहीं दे सकते। सुरक्षा समस्या का सामना करने के बहाने हम इससे किनारा नहीं कर सकते। सरकार को सुरक्षा समस्या पर गहराई से विचार करना चाहिए? इसे उनके साथ जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए। उन्हें बुलाना संबंधित पक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए या तो सरकार को उन्हें विश्वास में लेना चाहिये या तो स्वयं विश्वास होना चाहिए। हम दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। हम बार-बार इस बारे में नौकरशाही की आवाज सुनते हैं।

हमारे पास संचार मंत्री के रूप में लोगों का चैंपियन है। वह अनुभवी व्यक्ति हैं। माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि पैसा कहां है? बैंडविथ को स्वीकृति देने हेतु धन की जरूरत नहीं है। यदि हमारे पास मस्तिष्क और ज्ञान है, तो पैसा अपने आप ही आयेगा। हमें अपना ज्ञान संसाधन में बदलना चाहिये। यही कारण है कि हम विश्व में हर जगह काम कर रहे हैं। हमने अपने देश में औद्योगिक क्रांति खो दी है। सेवा क्षेत्र की क्रांति के युग में भारत अग्रणी देशों में एक है। यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री सोमनाथ चटर्जी हैं। हमारे देश आई.टी. क्षेत्र में पीछे नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान हर जगह करना चाहिये। भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के सृजन में किसी से कम नहीं है। हम सभी विकासशील देशों को अपनी सूचना जानकारी का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन इसका हम अपने देश में उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यदि भारत महाशक्ति बनना चाहता है, तो इसे ग्रामीण संचार को कारगर और वहनीय और सभी निर्धारित सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य बनाना होगा। मूल टेलीफोन सेवा सर्किलों अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं। वे पिछड़ रही हैं। वे वहीं काम करती हैं, जहां सुविधायें मौजूद हैं।

जहां कहीं सेल्यूलर फोन है, उनकी रुचि केवल विपणन में है। गांवों में मूलभूत सुविधाओं के सृजन में नहीं। आपने उन्हें भी कुछ लक्ष्य दिये है कि ये गांव हैं और इन गांवों में इस वर्ष तक टेलीफोन सुविधा मुहैया करानी है।

आपको उनके साथ बैठकर इन मुद्दों पर विचार करना चाहिये। जहां कहीं उनके लिये कठिनाई है, उनका निवारण करना चाहिये ताकि हमारी दूरसंचार नीति, 1999, व्यापक हो, गतिशील हो और माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लोगों तक पहुंच सके। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, हम नई टेलीकॉम पॉलिसी के गुण और दोषों के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। बेहतर होता यदि टेलीकॉम पॉलिसी को लाने से पहले इसे सम्मानित सदन में चर्चा हो जाती, सांसदों के सार्थक सुझावों को ले लिया जाता, मैं समझता हूं कि यह कहीं ज्यादा व्यावहारिक होता। आज टेलीफोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। विकास की प्रक्रिया में दूरसंचार सेवाओं का बड़ा हाथ है। टेलीफोन के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है। उस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर हमारे देश में जो नीतियां बनीं और हमने खुले बाजार के सिद्धान्त को अख्तियार किया, उसी का आधार मान कर 1994 में हमने अपनी संचार नीति बनाई जिसके अनुसार सम्पूर्ण देश में सैलुलर तथा बेसिक टेलीफोन या जो निजी क्षेत्र की सेवाएं थीं, उनको हमने स्वीकार किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि निजी क्षेत्रों से जो अपेक्षाएं थीं, वह भी उन अपेक्षाओं को पूरा करने में खरे नहीं उतरे। 1999 में हमने संचार नीति को और उदार बनाया और पहले जो लाइसैंस फीस दी जाती थी, उसकी जगह राजस्व का कुछ अंश वसूल करने का काम किया। लेकिन 1997 और 1998 के आंशिक कार्य का और 1998-99 वर्ष का आपरेटर्स पर 3700 करोड़ रुपये बकाया है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि सरकार इसमें क्या कर रही है? आज टेलीफोन सेवाओं की हमारे देश में जो स्थिति है, वह भी संतोषजनक नहीं है। टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या इस समय देश में 2.6 प्रतिशत है जबकि विश्व में इसका स्तर 15 फीसदी है। भारत के ग्रामीण अंचलों में दूरभाष सेवाओं का जो हाल है, वह एक हजार लोगों में से 0.427 है। हिन्दुस्तान जैसे देश में अगर ग्रामीण अंचलों की उपेक्षा होगी, तो यह ठीक नहीं है। 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गांवों पर आधारित है, इस देश में कोई नीति बने लेकिन यदि वह नीति गांव और गरीब लोगों की उपेक्षा करती है तो हिन्दुस्तान जैसे देश में कोई नीति का कोई अर्थ नहीं होता। वह सार्थक नीति नहीं है।

सरकार ने क्या किया? सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में निजी कम्पनियों को 30,000 गांवों में टेलीफोन लगाने का काम दिया लेकिन आज तक एक भी गांव में टेलीफोन नहीं लगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20,000 और 16,000 गांवों में टेलीफोन लगाने का लक्ष्य था, उसमें मध्य प्रदेश में 305 गावों में टेलीफोन लगे और राजस्थान में सिर्फ 51 गांवों में टेलीफोन लगे। मेरा कहना नहीं है भाजपा के सांसद श्री खारबेल स्वाइं ने कहा कि लाइसैंस फीस के स्थान पर राजस्व वसूली का जो काम किया गया, वह कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया गया था।

मैं नहीं जानता, उसमें कितनी वास्तविकता है। सरकारी क्षेत्र की जो टेलीफोन सेवाएं है, अगर हम देखें तो भारतीय संचार निगम लिमिटेड की प्रतीक्षा सूची का भी बुरा हाल है। 36 लाख लोगों की प्रतीक्षा सूची टेलीफोन चाहने वाले लोगों की है। राम विलास जी ने घोषणा कर दी है कि 2002 तक हिन्दुस्तान के सभी गांवों में टेलीफोन पहुंच जायेगा। मैं नहीं जानता कि इस घोषणा का क्या आधार है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में छः लाख सात हजार गांव है और दिसम्बर, 2000 तक तीन लाख 90 हजार गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और उसमें भी कहा गया है कि लगभग दो लाख गांवों में जो टेलीफोन लगे हैं, वह टेलीफोन लगाने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है और उस प्रणाली को हम दुरूस्त बनाएंगे, उसकी त्रुटि को दूर करेंगे। ऐसे दो लाख 11 हजार गांव हैं, इसलिए आवश्यक है कि वर्ष 2002 तक सभी गांवों में टेलीफोन पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास होने चाहिए, सिर्फ घोषणा करने से हर गांव में टेलीफोन नहीं पहुंच जायेगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के लाइसेंस के लिए जो आपका राजस्व भागीदारी का आधार है, वह क्या है। मुझे लगता है कि 18 महीने बीत जाने के बावजूद भी वह आधार तय नहीं किया गया है और उसके लिए कोई प्रमाणित प्रणाली तय नहीं की है। अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी निजी क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कितना कमाया है, उसका कोई निश्चित हिसाब-किताब नहीं है। जब कोई निश्चित हिसाब नहीं है और राजस्व वसूली का उन्हें 12 या 17 परसेंट आपको देना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे। जब आपके पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि वे कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं तो आप लेनदारी कैसे करेंगे। आप उनसे जो पैसा लेने वाले हैं, उस पैसे को आप लेंगे, यह निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय हैं। मैंने पहले भी कहा कि सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

अभी एम.टी.एन.एल. के सैल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या 2000 में 9593 रही है और सरकार ने कहा था कि मुम्बई और दिल्ली में एक-एक लाख सैल्यूलर कनैक्शन देंगे। लेकिन सरकार

[श्री रामजीलाल सुमन]

की जो घोषणा थी और जो कैनक्शन उपलब्ध हुए हैं, उन्हें देखा जाये तो वह कहीं भी व्यावहारिक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर यह कहे कि पैसे की कमी है तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की कमी है। 1990 से 2000 के अन्त तक संचार उद्योग में 4497 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी विनिवेश हुआ है, जिसमें से 2187 करोड़ रुपया सैल्यूलर व्यवस्था पर खर्च हुआ है और यह व्यवस्था सिर्फ 40 लाख लोगों तक सीमित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो नई संचार नीति है, उसका अर्थ चन्द लोगों, चन्द महानगरों तथा चन्द सरमायेदारों तक सिमटना है तो मैं नहीं समझता कि उस संचार नीति का कोई व्यावहारिक मतलब हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है, लेकिन अभी भारत संचार निगम लिमिटेड का कोई पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था। और उसमें संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर ने फरमाया था कि जो टेंडर होते हैं, निविदाएं होती हैं, उनमें पारदर्शिता नहीं है। रामविलास जी चले गये, राज्य मंत्री कोई दूसरी बात कहें और कैबिनेट मिनिस्टर कोई दूसरी बात कहें तो मैं नहीं समझता कि यह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक है। इन दोनों लोगों के काम करने के तौर-तरीके में फर्क है। संचार राज्य मंत्री ने काम करने के तौर-तरीके की आलोचना की है। निश्चित रूप से यह गम्भीर मामला है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो ग्रामीण अंचल की हालत है, वह अत्याधिक चिन्ताजनक है और मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे देश में तमाम हलके ऐसे हैं, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। सुदूर ग्रामीण अंचल में टेलीफोन सेवाएं नहीं हैं। वहां कोई बड़ी घटना हो जाये, कोई बड़ा हादसा हो जाये तो उसकी जानकारी भी जिला हैडक्वार्टर तक वहां के गांवों के लोग नहीं दे सकते।

यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। उसको जब तक आप दुरुस्त करने का काम नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसको धरातल पर लाया जाए। आपने कहा है कि इस देश के सभी गांवों में 2002 तक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब केबल ही नहीं डालेंगे तो उपलब्ध कैसे कराएंगे।

आप जो टेलीकॉम जिला बना रहे हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फिरोजाबाद एक राजस्व जिला है, वहां टेलीफोन उपभोक्ता पीलीभीत से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि एक मंत्री जी पीलीभीत से है इसलिए आप फिरोजाबाद को छोड़कर पीलीभीत को टेलीकॉम जिला बना दिया है। मैं तपन सिकदर जी से कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है और मुलायम सिंह जी का जन्म भी फिरोजाबाद के एक गांव में हुआ था। यह अलग बात है कि वह बाद में विधायक शिकोहाबाद से बने। वे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके टेलीफोन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जब तक ग्रामीण अंचल में दूरभाष सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सभी गांवों में टेलीफोन देना सम्भव नहीं होगा। इसलिए आप फिरोजाबाद को टेलीकॉम जिला बनाएं। जहां से बी.जे.पी. के बड़े नेता आते हैं। उन जिलों को भी आप टेलीकॉम जिला बना रहे हैं। आप लोग तिकड़मबाजी से सरकार में आ गए, करीब 25 दल इसमें हैं, इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष के इलाकों में काम न हो। आज जहां उपयोगिता है, जैसे फिरोजाबाद में है, वहां इसके उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत है, उसको टेलीकॉम जिला बनाएं। अगर आपको सही अर्थों में देश का विकास करना है, लोगों को टेलीफोन सेवाएं देनी है, तो उसका पहला हक ग्रामीण अंचल का बनता है। जब तक आप वहां टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आपकी दूरसंचार नीति सार्थक सिद्ध नहीं होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): पासवान जी आ गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं दो बार उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री रहा हूं। मैं शिकोहाबाद से विधायक था, लेकिन मेरा जन्म फिरोजाबाद के गांव में हुआ इसलिए फिरोजाबाद को टेलीकॉम जिला बनाएं।

डा. बलिराम (लालगंज): सभापति महोदय, 1994 तक दूरसंचार क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार था, उसमें बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा था। लेकिन उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करने के लिए राष्ट्रीय नीति 1994 में बनाई गई। इसी के साथ-साथ विश्व स्तर पर प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महसूस किया और 1999 में दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई नीति बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य रहा जैसा कि मंत्री ने कहा कि हम गांवों तक दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराएंगे और सस्ते दामों पर कराएंगे।

सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि मंत्री जी ने उसकी घोषणा तो जरूर की कि 2002 तक हम सभी गांवों में यह सेवा उपलब्ध कराएंगे और सस्ते दामों पर कराएंगे, लेकिन वहां पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो बिछाई जा रही हैं, दो-तीन साल हो गए, कहीं पर जब हम जाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होकर हमसे कहते हैं कि अभी भी हमारे यहां लाइनें नहीं बिछी हैं। जब हम इस बाबत अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सचमुच में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ तो पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन वह लाभ मिल नहीं रहा है।

एक तरफ जहां आप सस्ते दाम पर आप ग्रामीण अंचलों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की बात कहते थे, वहीं आपने यह भी

घोषणा की थी कि 500 रुपये जो लोग जमा कर देंगे, उनको जल्दी से जल्दी सन् 2002 तक लाइन मिल जाएगी लेकिन में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अफरा तफरी में लाखों लोगों ने 500 रुपया जमा करके रसीद प्राप्त की लेकिन अभी तक जिन्होंने 500 रुपया जमा किया है, ऐसे कितने लोगों को टेलीफोन की सुविधा मिल पाई है? जहां तक हमारे संसदीय क्षेत्र का मामला है, मैं कहना चाहूंगा कि उससे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जिन लोगों ने 1000 रुपया जमा किया था, उनको भी अभी तक टेलीफोन की सुविधा नहीं मिल पाई है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

दूसरी तरफ आपने एक और नयी दूरसंचार नीति के तहत 2000 कि.मी. की दूरी पर जो 95 की सुविधा उपलब्ध कराई है और जिस समय इसकी घोषणा की, इसे लागू कराया, आपने वाहवाही लूटी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हैं। 95 की सुविधा कौन लोग ले रहे हैं? यह भी हम जानना चाहेंगे। जो गरीब आदमी है, जो गांवों में टेलीफोन की सुविधा की मांग कर रहा है, आपने उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। उसकी पल्स रेट बढ़ा दी। इससे ग्रामीण लोगों के ऊपर बोझ पड़ा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो सांसद निधि कोटे का टेलीफोन देते हैं, लेकिन हम लोगों के कोटे का टेलीफोन भी नहीं लगा पाया है। अगर इसी तरह से आपका विस्तार रहा तो हमें नहीं लगता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। एक बात और देखने में आई है कि नयी दूरसंचार नीति जो है, उसमें टीएसी मैम्बर का मामला उठा है। हमें लगता है कि पूरा राजनैतिक लाभ लेने के लिए टीएसी मैम्बर्स बनाये जा रहे हैं। आजमगढ़ जनपद की बात मैं कर रहा हूं। वहां दो संसदीय क्षेत्र में दो एमपीज हैं लेकिन वहां 125 लोगों को टीएसी मैम्बर्स बनाया गया है जिसमें दो मैम्बर्स की कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है। वे कौन से कारण हैं कि कौड़ियों के मोल पर टीएसी मैंम्बर्स बनाये जा रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? हमें लगता है कि यह राजनैतिक लाभ लेने के लिए है और यह सरकार काम न करके निजी फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए टीएसी मैम्बर्स बनाये जा रहे हैं, इसको लेकर सरकारी पक्ष में भी और विपक्ष में भी अंसतोष हैं। अगर आपने इसे नयी दूरसंचार नीति का हिस्सा बनाया है तो इसे निकाल देना चाहिए और एक मानक तय करना चाहिए कि एमपी की सिफारिश पर कितने और किसको बना सकते हैं। इस बात को लेकर सभी में बहुत अंसतोष हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, मैंने भी सिफारिश की थी लेकिन हमारी सिफारिश से एक भी टीएसी मैम्बर नहीं बनाया गया है।

अंत में, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बारे में वे मानक जरूर बनायें। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की हालत बहुत खराब है। चार-चार दिनों तक एक्सचेंज से कर्मचारी नहीं आते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि मंत्री जी की मंशा सरकार की मंशा है कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले, वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इससे पूर्व कि मैं श्री मणि शंकर अय्यर का नाम उद्घोषित करूं, वह यह नोट कर लें कि उनके दल के लिए निर्धारित समय 49 मिनट था। और श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने 43 मिनट ले लिए हैं। अब केवल 6 मिनट का समय शेष है लेकिन वह 4 या 5 मिनट का समय और ले सकते हैं। श्री अय्यर, अब अपने दल के लिए निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए बोलना शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। आंकड़ों का सवाल है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया जरूर गौर फरमायें।

महोदय, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जब निजी क्षेत्रों को गांव तक टेलीफोन पहुंचाने के लिए शामिल किया है, तो उन्होंने इस दिशा में क्या काम किया है? जहां तक मेरी जानकारी है, छः निजी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पहले तीन साल के अन्दर गांवों में 11,14,668 लाइनें देनी थी, यानि लगभग 12 लाख। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले साल तक 12 लाख लाइनों को देने के बजाय कुल मिलाकर 12 लाइनें ही दी गई हैं। ये आंकड़े मेरे पिछले साल के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में इन 11,14,668 लाइनों में से कितनी लाइनें दी गई हैं?

मेरा दूसरा सवाल भी आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, आज की तारीख में टेलीफोन एक्सचेंज 100 बाशिन्दों के लिए 3.5 है और एन टी पी के अनुसार जो लक्ष्य बताया गया है, उसमें तकरीबन 15 करोड़ लाइनें देनी की बात है और 15 करोड़ लाइनों को देने के लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। यह पैसा कहां से आएगा कौन निवेश करेगा, यही एक सवाल है, जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं ताकि वे जवाब देते समय स्पष्टीकरण दें। जहां तक लाइसेंस का फीस का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले मोबाइल सर्कूलर आपरेटर्स का जिक्र करना चाहता हूं, पहले पांच

[श्री मणिशंकर अय्यर]

साल के अन्दर प्रतिवर्ष 1,915 करोड़ रुपए और पांच साल में 9,075 करोड़ रुपए वसूल करने थे। पहले दस साल में, जिसमें ये पांच वर्ष भी शमिल हैं, कुल मिलाकर 19,939 करोड़ रुपए वसूल करने थे,

सायं 6.00 बजे

तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये, जबकि आपने इन निजी संस्थानों को अनुमति दी कि वे लाइसेंस-फीस के बजाए रैवेन्यू शेयरिंग में जाएंगे तो उनके 10 साल के कंटैक्टर को बढ़ाकर आपने 20 साल का बनाया। इसलिए एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखने के लिए मजबूर हूं कि अगर 20 साल तक हम लाइसेंस फी वसूल करते तो 49 हजार 3 करोड़ रुपया वसूल करते। यह जो आंकड़ा मैंने मोबाइल ऑपरेटर्स फॉर द सर्कल आपके सामने रखा है क्या यह दुरुस्त है, अगर नहीं तो आपके क्या आंकड़े हैं?

लाइसेंस-फीस जो आपको बेसिक टेलीफोन ऑपरेटर्स से पहले पांच साल में वसूल करने की थी प्रतिवर्ष 814 करोड़ रुपये वसूल करके पांच साल में आपको वसूल करने का था। 4 हजार 70 करोड़ रुपये और आगे पांच साल में प्रतिवर्ष एक हजार चार सौ सत्ताइस करोड़ रुपये वसूल करते हुए पांच साल में आपको सात हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये वसूल करना था। जिसका मतलब बनता है कि पहले 10 साल में 11 हजार 205 करोड़ रुपये आपको वसूल करने का था और बीस साल में वह बढ़ कर बन जाता 65 हजार 734 करोड़ रुपया। तीसरी जो कैटेगरी है वह है मोबाइल ऑपरेटर्स इन मैट्रोज। वहां मेरे आंकड़ों के अनुसार पहले तीन साल में आपको 105 करोड़ रुपये वसूल करने का था और पहले दस साल में 5 हजार 495 करोड़ रुपये और पहले 20 साल में 42 हजार 434 करोड़ रुपये। इन आंकड़ो को आप जोड़कर देखें तो जिस दिन आपने तय किया कि लाइसेंस-फीस से आप रैवेन्यू शेयरिंग में जायेंगे तो आपने उनको माफी दी 1 लाख 58 हजार करोड़ रुपये की 20 साल के अंदर। पहले तीन साल के दौरान, फिर पांच साल, फिर 10 साल और फिर 20 साल के दौरान आपने उनको कितने रुपये माफ किये? लेकिन यह एक ग्रॉस आंकड़ा होगा। अब लाइसेंस-फीस से हटकर रैवेन्यू शेयरिंग तक पहुंचे तो पहले 15 प्रतिशत कहने के पश्चात आप 12 प्रतिशत पर आए और अब सुनने में आया है कि आप केवल 2 प्रतिशत वसूल करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी हो, जो आंकड़े मैने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं 1 लाख 98 हजार करोड़ रुपये के, तो मैं जानना चाहता हूं कि नेट-घाटा हमारा क्या है? आने वाले तीन साल के अंदर, पांच साल के अंदर, दस साल के अंदर और बीस साल के अंतर्गत रैवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आप कितना वसूल करेंगे। उसको आप ग्रॉस फिगर्स से निकाल दीजिए और हमें नेट फिगर्स दीजिएगा क्योंकि यही बनेगा घाटा जोकि आपकी तरफ से देश को भुगतना पड़ा है। जबकि आपने कारगिल का जंग छेड़ा हुआ था और कोई माता-पिता बच्चे के साथ इंडिया गेट पहुंचता था और बच्चा कहता था कि 10 रुपये वाली आईसक्रीम चाहिए तो पिता कहता था कि कारगिल में हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं इसलिए बेटा आईसक्रीम न खाकर इन 10 रुपयों को कारगिल फंड में डाल दे। आपके पहले जो मंत्री थे माननीय श्री जगमोहन जी, उन्होंने कहा कि यह माइग्रेशन की अनुमति वे नहीं देंगे तो प्रधान मंत्री जी ने खुद संचार मंत्री बनकर इसकी अनुमति दी जबकि उस दिन हमारे जवान कारगिल के शिखर पर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे। मेरे आंकड़े सही हों या नहीं, आपकी तरफ से इस देश को क्या घाटा हुआ है वह बताएं? आपने कारगिल जंग के दौरान यह तय किया था कि आप लाइसेंस-फीस से रैवेन्यू शेयरिंग तक पहुंचेंगे।

जहां तक सांख्यवाहिनी का सवाल है, मैं आपके दो-चार सवाल करना चाहता हूं। उनका कृपया आप जवाब दीजिए। क्या यह दुरूस्त है कि अमेरिका में कारनिगी मैलन यूनिवर्सिटी में पैंटागॉन का डिफेंस इंटैलिजेंस एजेंसी का अपना कम्प्यूटर डेटा नैटवर्क है? क्या यह भी दुरुस्त नहीं है कि सी.एन.यू. जो आई.यू. का मालिक है, उन्होंने ही जी.एन.यू. नैट को खरीदा है लेकिन जी.एन.यू. नैट में उनका भाग केवल 10 परसैंट है और बाकी 90 परसैंट उनके पास है। कोई नहीं जानता कि उसका कौन मालिक है? संभव है कि 90 प्रतिशत पैटागॉन का पैसा हो सकता है। इसे जानते हुए भी आपने कैसे अनुमति दी कि आपने एक एम.ओ.यू. साइन किए। मैं आपके बारे में निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं। आपके पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, उनकी मौजूदगी में डीओटी की तरफ से 16 अक्तूबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि जाइंट वैंचर बनेगा। क्या 16 अक्तूबर 1998 को आई.यू. नैट नाम की कम्पनी थी या नहीं? यदि नहीं थी तो आप कैसे उस समझौते में कह सकते थे कि यह यूनाइटिड स्टेट्स में बहुत अहम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। जो कम्पनी ही मौजूद नहीं है, वह कैसे एक अहम कम्पनी बन सकती है? क्या यह भी सच नहीं है कि कम्पनी का इनकारपोरेशन 6 जनवरी 1999 को जबकि आपका समझौता 16 अक्तूबर 1998 को ही हो चुका था। इसका भी आप कृपया जवाब देने का कष्ट करें।

मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या एन.आर.आई. नहीं है और जिसका नाम श्री राज रेड्डी है, जिस को श्री बिल क्लिंटन ने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी में लगाया। उसका काम था जासूसी करके हम कैसे विदेश में सैसटिव डेटा स्वीकार करें? एक और सवाल इससे जुड़ा है कि क्या यह दुरुस्त नहीं है कि पोखरण-2 के तत्पश्चात् जबकि सी.आई.ए. को पता नहीं लगा था कि हम पोखरण में बम विस्फोट करने वाले हैं, उसी

के तत्पश्चात् इस कमेटी का गठन व्हाइट हाउस में हुआ। प्रोफेसर राज रेड्डी जी को उस कमेटी में शामिल किया गया। प्रो. राज रेड्डी, जिन्होंने प्रोफेसर अरूणाचल को कारनिगी मैलन यूनिवर्सिटी में एक काम दिया था। इन दोनों ने श्री चन्द्रबाबू नायडू के साथ मिल कर इस जाइंट वैंचर का इंतजाम किया। श्रीमती सुषमा स्वराज वहां बैठी थीं। जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वे कम्पनियां जो जाइंट वैंचर में आईं, वे केवल तीन महीने पश्चात जनवरी 1999 में गठित की गईं। आगे सवाल मैं यह कर रहा हूं कि क्या यह दुरूस्त नहीं है कि श्री नरसिंहराव जी की सरकार के दौरान टेलीफोन किराए के दाम केवल 156 रुपए प्रति महीना थे। लेकिन आपकी सरकार ने इजाजत दी कि 156 रुपए प्रति महीने को बढ़ा कर 600 रुपए किया जा सकता है। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया, ट्राई से बात हुई, 156 रुपए तक नीचे लाने की, आपने इसका किराया 422 रुपए बनाया। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि निजी संस्थान को, गौर से सुनिए, प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। नतीजा यह है कि आज तक उन्होंने 422 रुपए का कुल मिला कर फायदा उठाया और तकरीबन दो हजार करोड़ रुपए कमाए हैं जो देश के गरीब लोगों से लिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी आवश्यकता है ढ़ाई हजार करोड़ रुपए की, 14-15 करोड़ लाइन देने की, जिससे आपका एन.टी.पी. 1999 का जो लक्ष्य है कि गांव-गांव तक पहुंचेगा, उसे कैसे पूरा करेंगे-जबकि आपने खास तौर पर आईएसडी और एसटीडी के रेट्स को इतना कम कर दिया है, और वी.एस.एन.एल. को कारपोरेटाईज करने के बाद आप कर वसूल करना शुरू कर चुके हैं, आपके पास पैसा कहां से आयेगा? सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा था, उसे आप भस्म कर चुके हैं और निजी क्षेत्र से जो सहायता मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी का लक्ष्य आप कैसे पूरा कर पायेंगे। हमारे देश के गांवों में रहने वाली 70-80 प्रतिशत गरीब जनता के लिए आपने जो वायदा किया था और जिस वायदे को हमारे मित्र श्री महेश्वर सिंह जी, जो पं. सुखराम के उत्तराधिकारी हैं, और उनके वारिस समझे जा सकते हैं, उसे आप कैसे पूरा करेंगे, इसका हमें जवाब चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, चूंकि मेरी अगली बात संचार मंत्री की अपेक्षा संचार राज्य मंत्री से संबंधित है, अतएव, मैं समझता हूं कि मेरे लिए उपयुक्त यह होगा कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेरी सरकार गिर गई है लेकिन मैं आपकी सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मेरी अगली और अंतिम बात अधिकांशतया संचार राज्य मंत्री से संबंधित है, अत: मैं अंग्रेजी भाषा में अपनी बात कहूंगा। मेरी बात 'मैनेज्ड लीज लाइन डाटा नेटवर्क' (एम.एल.डी.एन.) के विषय में है, जिसके लिए निविदाएं जमा करने की अवधि 31 जुलाई, 2000 को समाप्त हुई थी। उन निविदाओं को अगस्त में खोला गया था। उन्हें अगस्त में ही मूल्यांकित किया गया था। सितम्बर मास को शुरूआत में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने इसकी मंजूरी दी थी। इसी मास आशय-पत्र जारी किया गया था और 13 सितम्बर, 2000 तक बैंक-गारण्टी भी प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद की बातें दिलचस्प हैं।

स्वयं मंत्री नहीं बल्कि मंत्री जी के निजी सहायक मेरे विचार से वह व्यक्ति होगा जो उनसे आदेश इत्यादि लेता है या अधिक से अधिक कोई आई.ए.एस. बाबू होगा; मैं नहीं जानता कि वह कौन है; मैं उसका नाम नहीं लूंगा। 'वह एम.टी.एन.एल. से संपर्क करता है और उसे यह आदेश देता है कि पूरे मामले की फिर से जांच करने के लिए तकनीकी अभियांत्रिकी केन्द्र की नियुक्ति करे। यह घटना 4 अक्तूबर को घटित हुआ है। तकनीकी अभियांत्रिकी केन्द्र 27 अक्टूबर को अपनी रपट प्रस्तुत करता है और उसकी रपट से यह स्पष्ट है कि सब ठीक-ठाक है। उनके मंत्रालय के विधिक-सलाहकार निकाय-नई दिल्ली विधिक कार्यालय, अर्थात् एन.डी.एल.ओ., 14 नवम्बर-जो संयोग से पंडित नेहरू का जन्मदिवस है-को विधिक सलाह देता है तथा यह सच्चाई प्रकट करता है कि ऐसा एल-I, अर्थात् सबसे कम बोली लगाने वाली कम्पनी 'एल्काटेल', को अनुबंधित करने के लिये किया गया है और इस मामले पर तत्काल आगे कार्यवाही होनी चाहिए। किन्तु राज्य मंत्री हस्तक्षेप करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल की सलाह ली जानी चाहिए। कैसे? उसी एन.डी.एल.ओ. के द्वारा ही! उस एन.डी.एल.ओ. के जरिये अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल का अभिमत प्राप्त किया जाता है तथा स्पष्ट हो जाता है कि 14 नवम्बर को एन.डी.एल.ओ. ने जो सलाह दी थी तथा इसके लगभग एक माह पश्चात्-18 दिसम्बर को अतिरिक्त सॉलीसिटर-जनरल ने जो परामर्श दिया था-उसमें विरोधाभास है। अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि यदि एल-I द्वारा निम्नतम बोली देने की पुष्टि हो जाती है और यदि एल-II भी एल-I के बोली स्तर पर आ जाती है तथा यदि आप इन दोनों से अलग-अलग विमर्श करते हैं, और तब यदि यह जाहिर हो कि एल-I और एल-II दोनों ही बिलकुल समस्तरीय हैं-तब आप इसे एल-I को नहीं दे सकते, आपको इसे एल-II को देना चाहिये।'

[श्री मणिशंकर अय्यर]

और, यद्यपि मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल ने 18 नवम्बर के अपने एक निदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है–वह यहां मेरे पास है–कि निम्नतम बोली देने वाले व्यक्ति या संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य से कोई भी वार्ता नहीं की जानी चाहिये; किंतु मंत्री जी आदेश करते हैं कि द्वितीय उच्चतम बोलीकर्त्ता, अर्थात् एल-II, से भी परामर्श किया जाना चाहिये। इन अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है और 9 दिसम्बर, 2000 को.....

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह महत्वपूर्ण बात है। कृपया चिंतित न हों। हम यह कहानी ही समाप्त कर दें।

सभापति महोदय: कृपया बात को समझिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं जानता हूं कि वैधत: मुझे बात समाप्त कर देनी चाहिये थी; लेकिन हम अवैधताओं की चर्चा कर रहे हैं। मैं यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यदि आप मेरी बात में बाधा नहीं डालेंगे, तो मैं बहुत शीघ्र ही अपनी बात पूरी कर लूंगा।

29 सितम्बर, 2000 को मुख्य सतर्कता आयुक्त के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए एल-I और एल-II को बुलाया जाता है और उनसे वार्ता की जाती है; और इसके बावजूद भी मंत्रालय को सूचना मिलती है कि एल-II–यद्यपि उसने लगभग 139 करोड़ रु. से अपनी बोली घटाकर कुछ 106 करोड़ रु. कर ली है–अभी भी एल-I से लगभग 40 करोड़ रुपये अधिक ही है।

एल-I की बोली लगभग 63 करोड़ रुपये है; एल-II से अवैधानिक रूप से वार्ता की गई है और उनकी बोली कम होकर 106 करोड़ रुपये तक आ जाती है। अब, एम.टी.एन.एल. वही करने जा रहा है, जिसकी आवश्यकता है। 6 जनवरी, 2001 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक खरीद करने के आदेश को मंजूरी दे देता है। इस प्रकार की मंजूरी दो-दो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों ने दी थी–एक, जिसने इसे 7 सितम्बर को मंजूरी दी और जिसके साथ मंत्री जी ने इसीलिए अपमानपूर्ण व्यवहार रखा था क्योंकि उसने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की थी; तथा दूसरा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 6 जनवरी को ठीक उसी आदेश को मंजूरी दे देता है। इसके बाद, 9 जनवरी को सामग्री-विषयक एक विस्तृत बिल पेश किया जाता है और अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जिस चीज की भी तत्काल आवश्यकता है, एम.टी.एन.एल. तत्काल उसकी पूर्ति कर रहा है। फिर, एम.टी.एन.एल. के कार्पोरेट-कार्यालय में महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), श्री पी.के. अग्रवाल को संचार मंत्रालय बुलाया जाता है। क्या आपको मालूम है, किसके द्वारा–राज्य मंत्री के निजी सचिव द्वारा नहीं बल्कि अतिरिक्त निजी सचिव द्वारा! वास्तव में यह भौचक्का कर देने वाली बात है कि उस दिन–30 जनवरी, 2001 को–उसे दो बार बुलाकर बात की गई। यह मत भूलिये कि जिस दिन संचार मंत्रालय के अंदर यह 'हरकत' हुई, उस दिन महात्मा गांधी का बलिदान दिवस था।

बैठकें दो हुईं। पहली बैठक में–मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी अनुमति नहीं है–अतिरिक्त निजी सचिव, इस महाप्रबंधक से जिसका नाम श्री पी.के. अग्रवाल है, गुफ्तगू हुई। बाद में शाम को दो अन्य व्यक्तियों को बुलाया गया। अब कुल मिलाकर तीन आदमी हो गये। इनमें से दो 'टेल-लैब्स' से हैं जो उस सरकारी कम्पनी, अर्थात्, 'एल-II' से संबद्ध हैं; लेकिन तीसरा आदमी कोई सम्वेद दासगुप्ता है। वह 'इंडियन लैमिनेटिंग एण्ड पैकेजिंग लिमिटेड' कम्पनी का प्रबंध निदेशक है,जिसका कार्पोरेट कार्यालय तो नई दिल्ली में है, लेकिन पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। वह इस गोपनीय अधिकारिक चर्चा में वहां क्यों बैठा है–इसका उत्तर तो मंत्री जी ही देंगे। मैं और क्या कहूं, लेकिन सभा को इस तथ्य की जानकारी अवश्य दे दूं कि 30 जनवरी, 2001 के कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव वहां होने थे; और पश्चिम बंगाल माननीय संचार राज्य मंत्री जी का गृह राज्य है। इस बैठक में श्री राय को बड़े विस्तार से यह समझाया गया कि–मेरे पास यहां नोट है ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : मुझे कहते हुए खेद हैं। किन्तु यह पूरी तरह से चरित्र-हनन करने का प्रयास है। वह सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कृपया मुझे अलग से बोलने की अनुमति दें। इन्होंने आपको कोई सूचना भी नहीं दी और बिना किसी सूचना दिए, यह कितनी गलत बातें कह रहे हैं; जबकि सच्चाई कुछ और ही है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा में ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, इनकी बात सुनने में मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री तपन सिकदर : मैं स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं। यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं खुशी से इस बात की प्रतीक्षा करूंगा कि श्री तपन सिकदर बोलें और हमें स्पष्टीकरण दें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता ही होगी कि मेरा संदेह पूरी तरह गलत है; किन्तु मेरे पास यहां श्री पी.के. अग्रवाल द्वारा 31 जनवरी, 2001 को मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव से हुई उनकी बातचीत का रिकॉर्ड है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं कि, किन्तु थोड़ा समय तो दीजिये। यह वाकई बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय : आप पहले ही 25 मिनट ले चुके हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं आपसे अनुनय करता हूं। यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है; मैं क्या करूं?

सभापति महोदय : तो फिर आपके पूर्ववर्ती वक्ता को इतना समय नहीं लेना चाहिए था। वे 45 मिनट तक बोले; आप अब तक 25 मिनट ले चुके हैं–यह निर्धारित समय-सीमा से अधिक है।

श्री मणिशंकर अय्यर : हम लाखों करोड़ रुपये के गोलमाल की बात कर रहे हैं!

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मणिशंकर अय्यर : मेरे पास 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया जो नोट है, और जिसे मैं अध्यक्ष महोदय अथवा मंत्री जी को प्रस्तुत करना अथवा सभा की इच्छित कार्यवाही हेतु सभा-पटल पर रखना चाहूंगा–उससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र की रपट में खासतौर पर यह कहा गया था कि 'अल्काटेल' और 'आई.टी.आई.' दोनों ही सभी संबद्ध शर्तों को पूरा करती हैं और तकनीकी विनिर्दिष्टियों के मामले में भी उनमें कोई कमी नहीं है।

उसमें आगे कहा गया, 'दोनों ही बोलीकर्ता निविदा की विशेष शर्तों तथा निविदा उसके परवर्ती समय में एम.टी.एन.एल. द्वारा बिना शर्त दिये गये स्पष्टीकरणों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।' फिर, एम.टी.एन.एल. की समिति के संबंध में उसमें यह कहा गया है कि, 'यदि मे. 'एल्काटेल' मॉडल 3465 की आपूर्ति करे तो एम.टी.एन.एल. को लाभ होगा।' मे. 'एल्काटेल' मॉडल 3465 की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई और समिति ने मत दिया कि इस मामले में समिति की सारी अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं।

महोदय, मेरे साथ यह सारा ब्यौरा है। किन्तु आप मुझे उसे पढ़ने का समय नहीं दे रहे हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जब श्री पी.के. अग्रवाल ने पूरे तथ्यों सहित यह स्पष्ट कर दिया कि इस अनुबंध को एल-I अर्थात् निम्नतम बोलीकर्ता को ही क्यों दिया जाये तो 9 फरवरी को मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और एक नोट लिख भेजा कि इसका विकल्प देख लिया जाए। 19 मार्च, 2001 को एम.टी.एन.एल. की एक बोर्ड-बैठक बुलायी गयी। इस बैठक के लिए कम्पनी सचिव ने एक विस्तृत नोट तैयार किया था और बोर्ड के समक्ष तीन विकल्प रखे गये थे। बोर्ड ने अपनी 'आपातकालीन बैठक' में, अपनी 147वीं बैठक में, जो 19 मार्च, 2001 को हुई; मैं सीधे यहीं से पढ़ देता हूं, ''कल 19 मार्च, 2001 को बोर्ड ने अपनी आपातकालीन बैठक संख्या 147 में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, 'एल-I' बोलीकर्ता मे. 'एल्काटेल' को दिये आशय-पत्र को क्रयादेश में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।'' जब सभी तथ्यों पर पूरी तरह विचार करके यह निर्णय ले लिया गया तो संचार मंत्री ने एक असाधारण टिप्पण दिया। उन्होंने कहा–श्री रामविलास पासवान चूंकि संचार राज्य मंत्री, जिन्हें कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, ने 'एल-I' की तकनीकी अनुरूपता के संबंध में कतिपय शंकाएं व्यक्त की हैं–लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह एक दूरसंचार इंजीनियर हैं– अत: एम.टी.एन.एल. बोर्ड को इस मामले में उपयुक्त तिथि लेने के लिए निदेशित किया जाए! उन्होंने तकनीकी पक्षों की जांच कर ली; उन्होंने वित्तीय पक्षों का जायजा ले लिया और निर्णय भी ले लिया; लेकिन मंत्री जी ने स्वयं को, मैं कहूंगा कि, बड़ी सफाई से बचाया। उन्होंने विशेष रूप से कुछ करने का निदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि 'फिर बैठक करें; यह तब जबकि बैठक हो चुकी है और सर्वसम्मत राय दी जा चुकी है–'उपयुक्त निर्णय लिया जाए'–'उपयुक्त' का मतलब क्या होता है? हां, 20 तारीख को एक बैठक अवश्य हुई थी। उस बैठक में छह सदस्यों ने बहुमत से–कहा था कि इस मामले को महान्यायवादी को भेज देना चाहिए। जबकि चार ईमानदार निदेशकों, नामत: श्री जी.डी. गुहा, श्री आर.बी. गुप्ता, श्री एस.एन. मलिक और एन.पी. खोसला ने लिखित तौर पर कहा था कि हम अधोहस्ताक्षरी निदेशकों का यह सुविचारित मत है कि बोर्ड के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं लाई गई जिससे 'एल-I' बोलीकर्ता, मै० 'एल्काटेल' को दिये आशय-पत्र को क्रयादेश में परिवर्तित करने को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, ऐसा लग रहा है मानों पिछले 15 मिनट से यहां अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : महोदय, आप इस पर अलग से चर्चा की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है; माननीय मंत्री जी बैठ जायें ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, हम यहां नीतिगत मामलों की चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह माननीय मंत्री जी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : महोदय, सच्चाई कुछ और ही है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : चूंकि मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, अतएव, माननीय मंत्री जी अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मेरी आखिरी बात यह है कि मैं, पूरी जिम्मेवारी लेते हुए, संचार राज्य मंत्री पर इस प्रकरण में-जिसका अभी मैंने जिक्र किया-अनुचित व्यवहार करने का-जिसे संभवतया भ्रष्टाचार निरूपित किया जा सकता है-आरोप लगाता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच करवाई जाये...*(व्यवधान)* महोदय, मेरी मांग है कि ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, यह बिना कोई सूचना दिये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर : आप बैठिये। आप बाद में बात कीजिए लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, बिना सूचना दिए यह ऐसा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* यह नाम केन्द्रित करके बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अपनी बात समाप्त ही कर रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : श्री किरीट सोमैया, कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बड़ी सावधानी से कहा है-"अनुचित व्यवहार, जिसे संभवतया भ्रष्टाचार निरूपित किया जा सकता है।"

महोदय, मैं संचार मंत्री श्री रामविलास पासवान को उनका वह कथन याद करना चाहता हूं जो उन्होंने 19 दिसम्बर, 1995 में इस सभा में किया था।

यह वाद-विवाद के कार्यवाही-रिकार्ड के स्तम्भ 210 पर अंग्रेजी में अभिलिखित है और दूरसंचार सेवाओं के संबंध में निजी कम्पनियों को लाइसेंस दिये जाने के बारे में है। यह मेरे सामने रखा है। इसमें लिखा है कि श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) ने उठकर कहा था, "आप संयुक्त संसदीय समिति गठित कीजिए।"

[हिन्दी]

जो आपकी मांग है, उसको उठाकर मैं आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके राज्य मंत्री महोदय अपने को मासूम समझते हैं और मैं भी तैयार हूं, हम इंतजार करें कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से इसकी जांच करवाएं और फिर साबित करें कि वाकई राज्य मंत्री मासूम हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए और इस पूरे मामले पर, पूरी जांच की जाए। उसके बाद ही देश की जनता आश्वस्त हो सकती है कि एक नेक और ईमानदार सरकार है, नहीं तो हमारे मन में, इस देश के मन में जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, वे हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय, सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नयी दूरसंचार नीति, 1999 पर कुछेक सुझाव देने तथा लाइसेंस और भारत सरकार के राजस्व अर्जन पर सामान्य रूप से और लिमिटेड मोबिलिटी मुद्दे पर विशेष रूप से इसके प्रभावों के संबंध में बोलने की अनुमति प्रदान की।

बी.एस.एन.एल. के नाम पर, दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग को 1 अक्तूबर, 2000 से निगमित कर दिया गया है ताकि सभी ऑपरेटरों को समान अवसर मिल सके। यद्यपि दूरसंचार विभाग ने कई नयी योजनाएं लागू की हैं, तथापि इनमें कई त्रुटियां हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर हमें पुन: विचार करना होगा। समयाभाव के कारण मैं कुछ ही विषयों पर बोलूंगा। दूरसंचार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 2000-2001 में कहा गया है:

> "निर्धारित सेवा प्रदाताओं को "वायरलैस इन लोकल लूप" (डब्ल्यू.एल.एल.) के रूप में लिमिटेड मोबिलिटी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गयी है।"

इसमें आगे कहा गया है:

> ''अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने वालों की दो श्रेणियां, अर्थात् ''एंड टू एंड बैंडविड्थ'' प्रदान करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदाता-II और डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, टावर, डक्ट, स्पेस आदि प्रदान करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदाता श्रेणी-I को अनुमति प्रदान की गयी है।''

माननीय दूरसंचार मंत्री ने मार्च, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर में कहा है:

> ''ग्रामीण क्षेत्रों में वी.पी.टी. और दूरभाष उपलब्ध कराने के लिए डब्ल्यू.एल.एल. उपस्कर की छः लाख लाइनों की खरीद की जा रही है। मार्च, 2001 के बाद से इस उपस्कर के उपलब्ध होने की संभावना थी। एम.ए.आर.आर. प्रणाली पर वी.पी.टी. को प्रतिस्थापित करने की योजना है.....''

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सभा इस पंक्ति पर ध्यान दे।

> ''एम.ए.आर.आर. प्रणाली पर वी.पी.टी. को हटाकर इसके स्थान पर वर्ष 2002 तक चरणबद्ध तरीके से डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी और भूमिगत केबल लगाने की योजना है।''

इस संबंध में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दूरभाष के लिए प्रतीक्षा सूची में लगभग 8,000 नाम हैं। वर्तमान में, सलेम जिले के लिए सेल्यूलर केबल कनैक्शन उपस्करों की केवल 12,500 लाइनों की आपूर्ति की गयी है जो अट्टूर, गंगावल्ली और रासीपुरम जैसे सभी औद्योगिक क्षेत्रों वाले बड़े, तालुकों को भी लाभान्वित कर पाने में सक्षम नहीं रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली को इन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का निवेदन करूंगा।

महोदय, नये टेलीफोन कनैक्शनों के बारे में, माननीय दूरसंचार मंत्री ने यह कहा है कि चयनित क्षेत्रों, विशेष रूप से उप-संघटक योजना के ग्रामीण क्षेत्र तथा जनजातीय उपयोजना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सोम्मेडु की कोल्ली पहाड़ियों के जनजातीय क्षेत्रों में 20 लाख रुपये की लागत से एक नये दूरभाष केन्द्र का निर्माण हुआ है। यद्यपि इस भवन का निर्माण कार्य छह महीने पहले पूरा कर लिया गया था, तथापि अब तक कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। इसी तरह से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कालवारायण पहाड़ियों के कारूमंदुराई क्षेत्र में यद्यपि दूरभाष केन्द्र बन चुका है, फिर भी अभी कोई सेवा आरंभ नहीं की गयी है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ कदम उठाएं ताकि वहां पर यथाशीघ्र कार्य आरम्भ किया जा सके।

महोदय, 'वायरलैस इन लोकल लूप' और माननीय मंत्री जी द्वारा लागू की गयी नयी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का निवेदन कर सकता हूं? वहां केबल बिछाने में कई समस्याएं आ रही हैं। वन विभाग 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' नहीं दे रहा है। वहां के लोगों के पास सामान्य दूरभाष जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं।

महोदय, हमारे नेता डा. पुराची थाल्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को चेन्नई टेलीकॉम सर्किल को एम.टी.एन.एल. में शामिल करने के लिए पहले ही पत्र लिख चुकी हैं ताकि तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई के लोग, जहां पर कई इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां हैं, लाभान्वित हो सकें। इस संबंध में हमारा संसदीय शिष्टमंडल पहले ही प्रधानमंत्री जी से और संचार मंत्री जी से मिल चुका था।

महोदय, मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी मांग पूरी करेंगे और आज इस चर्चा में अपने उत्तर के दौरान कुछ घोषणा करेंगे।

एक अन्य बात समन्वयन के अभाव की है। विभिन्न विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है। यह एक व्यावहारिक समस्या है। माननीय मंत्री जी को विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के पहलू की जांच निश्चित रूप से करनी चाहिए। कुछ दिन पहले, जब मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था तो मैंने पाया कि दूरभाष विभाग किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के लोगों से भी परामर्श नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनके अपने विभागों में उचित समन्वयन नहीं है जिससे वहां की आम जनता को काफी समस्या हो रही है।

अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभी दूरसंचार जिलों का पुनर्गठन राजस्व जिलों के समकक्ष करने के लिए कदम उठाएं ताकि प्रशासनिक समस्याओं और निगरानी प्रणालियों पर उचित ध्यान दिया जा सकें।

[डा. वी. सरोजा]

इस संबंध में, मैं इस महान सभा को यह बताना चाहूंगा कि संबंधित संसद सदस्यों तक को दूरसंचार से संबंधित समस्याओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है। हमें, दूरभाष विभाग के महाप्रबंधक द्वारा कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हम जानकारी और विभिन्न अन्य विवरण जुट पाते हैं।

अत:, मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने यह आदेश दिये हैं कि संबंधित संसद सदस्यों की सहमति के बिना किसी भी योजना को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा, उसी प्रकार माननीय संचार मंत्री को दूरभाष विभाग के महाप्रबंधक को संबंधित संसद सदस्यों को विश्वास में लेने का निदेश देना चाहिए जिससे बेहतर निगरानी प्रणाली में सहायता मिलेगी।

महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि सेन्सिंग (संवेदी) नेटवर्क भली-भांति कार्य नहीं कर रहा है? उपभोक्ता निजी ऑपरेटरों की दया पर निर्भर हैं। अत:, मैं उनसे दिल्ली में इन्टरनेट उपकरणों में सुधार करने का अनुरोध करूंगा जो इस समस्या का बेहतर समाधान दे सकेगा। मोबाइल प्रचालन के लिए बी.एस.एन.एल. का प्रचालन क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र तक सीमित न होकर सम्पूर्ण राज्य के लिए होना चाहिए।

महोदय, मुझे इस सभा के समक्ष कुछ और अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे रखने की अनुमति प्रदान की जाये। अब, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 16 अगस्त, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस समाचार का शीर्षक है: "एम.एच.ए. फॉर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेन्ट ऑफ टेलीकॉम एफ.डी.आई.।" महोदय, मुझे इससे कुछ वाक्य उद्धृत करने की अनुमति प्रदान की जाए।

इसमें कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सेल्यूलर और मूलभूत टेलीफोनी जैसी दूरसंचार सेवाओं में निर्धारित सीमाओं के भीतर प्रभावी विदेशी इक्विटी शेयर धारिता को सीमित करने का निर्देश दिया है।
>
> गौरतलब है कि टिप्पण में यह भी कहा गया है कि चीन ने दूरसंचार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है जबकि कनाडा ने विदेशी स्वामित्व को 46.7 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।"

यह सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय ने भी निर्देश दिया है कि उन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बीमा नियामक प्राधिकरण के समतुल्य अर्थात् 26 प्रतिशत तक सीमित कर देना चाहिए।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2000 को एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने एक विशेष बात कही, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीचे सूचीबद्ध कुछ सेवाओं को छोड़कर जिनमें 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।"

इसी समाचार में यह भी कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा:

> "इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न उठता है और यह कि विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करेंगी। संवेदनशील कॉलों को सुनेंगी और इनकी पहुंच संवेदनशील प्रतिष्ठानों और उच्च सुरक्षा जोनों तक हो सकती है।"

इससे पहले कि माननीय मंत्री जी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में कुछ निर्णय अंतिम रूप से ले सकें, मैं उनसे एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का निवेदन करूंगा।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिनांक 17.8.2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित होने वाले समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं:

> "सरकार ने दूरसंचार शुल्क क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये और अनुप्रयोज्य आस्तियों में इससे भी अधिक राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।"

क्या यह सच है? हम केन्द्र सरकार के बकाया ऋण को लेकर चिंतित हैं जो 11,48,667 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी देय राशि वसूलने के लिए अपने अधिकारों, अपने अनुभव और अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करें। क्या वह तीन वर्षों से भी अधिक समय से देय पड़ी 40,000 करोड़ रुपये की राशि को वसूल करने के कार्य में आगे आयेंगे? क्या वह मामले के गुण-दोषों, विधिक उपचारों जैसे लोक अदालतों, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7(ख) के अन्तर्गत मध्यस्थों और न्यायालयों के जरिए देय राशि को पुन: प्राप्त कर सकेंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति जी, नियम 193 के अधीन प्रियरंजन दासमुंशी जी ने यहां पर मोबिलिटी के इश्यू पर चर्चा शुरू की है। इस इश्यू के ऊपर हाऊस में लगातार

चर्चा चल रही है। मंत्री महोदय और उनका विभाग निश्चित तौर पर जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। हमारा भारत देश, हमारा हिन्दुस्तान छोटे गांवों का देश है, देहात का देश है। 70 से 80 फीसदी लोग देहात में, छोटे गांवों में रहते हैं, लेकिन अभी तक हर पंचायत में टेलीफोन की सुविधा नहीं पहुंची है।

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में करीब 1500 गांव हैं, लेकिन वहां करीब 1200 विलेज पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे कब तक हरेक पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे?

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेलीफोन में खराबी बहुत होती है। करीब 100 टेलीफोन में 35 खराब होते हैं। यह खराबी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। इसके प्रति भी ध्यान देना जरूरी है। मोबाइल फोन सेवा शुरू की गई है। लेकिन यह सेवा अभी तक जिला स्तर तक ही सीमित है। जो निजी कम्पनीज हैं, जैसे बी.पी.एल. है या अन्य हैं, उन्होंने अभी तक तालुका स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और सर्कल स्तर पर इसे शुरू नहीं किया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रयास करें कि निजी कम्पनीज इन स्तरों पर भी अपनी मोबाइल सेवा शुरू करें। महाराष्ट्र में परभनी में जिला स्तर पर अभी तक मोबाइन फोन सेवा उपलब्ध नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बीड, हिंगोली, मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वहां पर जिला स्तर पर भी मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध नहीं है।

अभी डी.ओ.टी. के कार्य के बारे में और ऑप्टिकल फाइबर के टेंडर के बारे में बात की गई। हम लाइसेंस फीस से निकल कर रेवेन्यू में आए हैं। हमें करीब एक लाख अट्ठावन हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हमारा निगम संदेह के घेरे में है, हमारे मंत्री जी भी संदेह के घेरे में हैं। मुझे आशा है कि पासवान जी संदेह के घेरे से जरूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि वे जनशक्ति के नेता है। विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया है, उससे पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जनशक्ति को भी भ्रम हुआ है। इसलिए वे जरूर इस भ्रम को दूर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, नई दूर संचार नीति पर बहस हमारे पुराने और विद्वान सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने शुरू की है। बहस बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है। बहुत पहले यह विभाग सुखराम जी के पास होता है। अब इसके प्रभारी पासवान जी हैं। उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि 2002 तक सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन 23.4.2001 को सदन में एक प्रश्न संख्या 517 के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रति 100 व्यक्तियों के टेलीफोन घनत्व का देश भर में औसत 3.56 प्रतिशत है। बिहार में यह सबसे कम 0.93 प्रतिशत है, यानी प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे वहां एक भी टेलीफोन नहीं है। बाकी राज्यों में कहीं सात है, तो कहीं पांच है। लेकिन बिहार किस स्थिति में और कहां पर है, यह आंकड़ों से मालूम पड़ जाता है। इन्होंने दावा किया है कि देश में छः लाख साठ हजार गांव हैं।

जिसमें 3,97,000 में विलेज पब्लिक टेलीफोन दे दिया है और चालू वित्त वर्ष में 1,00,000 और लगा देंगे, 77,000 टेलीफोन आगामी वित्त वर्ष में लगा देंगे और 55,000 का किसी हिसाब से हो जाएगा - यह लक्ष्य है। लेकिन टेलीफोन जो लगा हुआ है, उसमें कितने लोग वेटिंग में हैं, लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। गांवों में घंटों लोग बैठे रहते हैं और टेलीफोन से बातें नहीं होती हैं। यह बिहार और देश का हाल है। जहां से मैं वैशाली जिले से आता हूं, 6 निर्वाचन क्षेत्र उनके हैं और दो हमारे हैं। जो मुजफ्फरपुर है, इनके निर्वाचन क्षेत्र से मैं शुरू करता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। 26 फरवरी, 2001 को एक प्रश्न पूछा गया था कि वैशाली जिले में 31.1.2001 तक 5417 प्रतीक्षा सूची में हैं। इसका मतलब है कि 5417 लोग पैसा जमा करके भी प्रतीक्षा सूची में हैं और ये बयान करेंगे कि डिमाण्ड पर हम टेलीफोन दे देंगे। 1997-98 में 937, 1998-99 में 1098, 1999-2000 में 2050, 1999-2001 में एक साल में लगभग 2000 फोन लगा देंगे और अगर यह रफ्तार जारी रहेगी फिर भी 5417 को लगाने में दो वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। गांवों में टेलीफोन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। गांवों में लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से टेलीफोन लग जाये। रोज आपके यहां भी 20-30 लोग पहुंचते होंगे कि एम.पी. कोटे से लिख दीजिए और माननीय सदस्यगण कहते होंगे कि कितने वर्ष हो गये हैं और लिखने के बाद भी नहीं लगता है और वेटिंग लिस्ट की यह स्थिति है। मुजफ्फरपुर में 7896 लोग 31.1.2001 तक वेटिंग लिस्ट में थे। इस बारे में विभाग की क्या स्थिति है, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि यह संख्या 7896 है। 1997-98 में 3273, 1998-99 में 2346, 1999-2000 में 3811 लगाये गये हैं। इसमें भी दो वर्ष से कम समय नहीं लगा रहे हैं। ऑन डिमाण्ड कैसे दे देंगे? इसी तरह से सीतामढ़ी जिले और बिहार के आंकड़े हैं कि वहां एक लाख लोग 31.1.2001 तक वेटिंग लिस्ट में थे। अब अगस्त का महीना चल रहा है, अब तक तो यह संख्या डेढ़ लाख हो गई होगी। लोग परेशान हैं और हमारे यहां और आपके यहां फोन लगवाने के लिए दौड़ते होंगे। यह तो हमने बिहार में इनकी कृपा से इनके क्षेत्र का

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हाल बता दिया। अब हमारे यहां दसवें महीने में दसई गांव के लोग मनाते हैं। गांवों के गरीब लोग इसमें भूत खिलाते हैं और ओझा लोग मंतर पढ़ते हैं। इसी तरह से एक गांव में लोग जुटे हुए थे और वे बोल बोल रहे थे और ओझा लोग मंतर पढ़ रहे थे:

> ''आसमान बानोह, पाताल बानोह, उत्तर बानोह, दक्षिण बानोह, पूर्व बानोह, पश्चिम बानोह, गंगा बानोह, जमुना बानोह।''

इस तरह से भगत बोल रहे थे। संयोग से यह सब उनकी पत्नी भी देख रही थी। समुदाय में शामिल थी। गांव में काली हांडी, मिट्टी का बर्तन, जिसमें भोजन बनता है, उससे मारना अपमान माना जाता है। ओझा की पत्नी ने आकर, जो खिलमिला कर मंत्र पढ़ रहे थे, दो हांडी मारी। इससे लोग बड़े नाराज हुए। भरी सभा में पति का पत्नी ने अपमान किया। इस पर पंचायत बैठी और पंचों ने पूछा कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया। पत्नी ने कहा-हमारे घर की ठाठ, घास का मकान, उसका बन्धन तो इनसे पार नहीं लगता है, बरसात में वह चूता रहता है, हमको कष्ट में रहना पड़ता है, लेकिन ये मंत्र पढ़ रहे हैं-''पूर्व बानोह, पश्चिम बानोह, उत्तर बानोह, दक्षिण बानोह, गंगा बानोह, जमुना बानोह।'' इन्होंने कहा कि ये 2002 तक सबको टेलीफोन दे देंगे और टेलीफोन लगाकर देश से गरीब मिटा देंगे। मैंने अभी इनके अपने क्षेत्र बिहार के बारे में बताया है कि वहां क्या स्थिति है। ओझे के बयान की तरह इनके अपने घर का छप्पर पार नहीं लग रहा है और टेलीफोन देने की बात ये कह रहे हैं। इससे साबित होता है कि इनकी बयानबाजी चल रही है और बिहार में सबसे नीचे की स्थिति है।

महोदय, हम लोगों के क्षेत्र में टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी (टीएसी) है। जैसे ये लोग चुनकर आए हैं, वैसे ही हम लोग चुनकर आए हैं। इस कमेटी में बिहार के 150 लोग सदस्य हैं और मनमोहक टेलीफोन देंगे। वहां का प्रशासन परेशान हैं। कहीं-कहीं दूर-दूर इलाकों में टेलीफोन लगा है और इसमें भी वहां बार-बार मारपीट, धक्का, केस होते रहते हैं। हम लोगों में से कोई भी टीएसी का सदस्य नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए, बयानबाजी कम और काम ज्यादा होना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग कहते हैं कि मंत्रीजी का बयान है और आप लोग लिखते नहीं हैं। मैं असम गया था, महनार और विद्दपुर में लोग चाहते हैं कि टेलीफोन पर बात करें। इसके लिए टावर वगैरह जो लगाए गए, सब भट्टे में चले गए। सारा काम गड़बड़ चल रहा है। अभी दासमुंशी जी और अय्यर जी आप्टिकल फाईबर घोटाले के बारे में बताया, मंत्री जी को इस बारे में साफ बताना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। बिहार की हालत बहुत खराब है, विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों को मैंने अभी पढ़ कर बताया है। समय कम है, अन्य बिन्दुओं को मैं दूसरे अवसर पर कह दूंगा। हमने फीगर के साथ इनको एक चिट्ठी लिखी, आन-डिमान्ड टेलीफोन आप दो बरस में कैसे देंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया है। सब कुछ अंधकार में चल रहा है। मंत्री जी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखकर निराशा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप जिस काम पर हैं, उस काम को चुस्त करिए और राजनीति भी करिए, लेकिन स्थिति में सुधार करिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): आरंभ में ही मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जब हम नियम 193 के अधीन दूरसंचार नीति और दूरसंचार विभाग की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वर्ष 1991 और 1995 की अवधि के बीच हुए टेलीकॉम घोटाले का जिक्र न करना उचित नहीं होगा जब दूरसंचार विभाग की वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया गया था। यह एक ऐसा मुद्दा बना जिसके आधार पर विपक्ष केन्द्र में सत्ता पर काबिज हो गया। कांग्रेस पार्टी सत्ताच्युत हो गई।

जैसाकि आप देख सकते हैं, इस दशक में दो दूरसंचार नीतियां आईं, पहली 1994 में और दूसरी 1999 में, जिनमें जनसाधारण को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था इनमें जनसाधारण को बेहतर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया है। इस नीति में वर्ष 2005 तक टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 7 किए जाने और वर्ष 2010 तक 15 किए जाने पर विचार किया गया है। इस प्रकार, मौजूदा प्रचलित नीति का आधार बहुत व्यापक है और यह नीति 21वीं सदी में हमें दूरसंचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। इससे आप जान सकते हैं कि 27,339 करोड़ रुपये के घरेलू निजी निवेश के लिए दूरसंचार विभाग ने 1,106 प्रस्तावों को मंजूरी दी; सरकार ने 36,108 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 561 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आज दूरसंचार विभाग ऊर्जा क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिए, हमारे जैसे विकासशील देश में इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नीति हमें सुदृढ़ स्थिति प्रदान करेगी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी। यह नीति 'सूचना राजमार्ग' की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाएगी। सरकार भी यह निश्चय कर चुकी है कि वर्ष 2002 तक भारत के अधिकांश गांवों में टेलीफोन कनेक्शन होगा। इस प्रकार दूरसंचार के सभी लाभ और सुविधाएं हमें उपलब्ध हो सकेंगी जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं।

मैं यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें दूरसंचार विभाग के अंतर्गत लाया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए, अनेक टेलीफोन एक्सचेंजों को खोले जाने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आप्टिकल फाइबर और दूसरे सहायक उपस्करों के अभाव में ये एक्सचेंज काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने लांगीगढ़ में एक जनजातीय क्षेत्र में एक टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा था। वहाँ एक्सचेंज खोला जा चुका है। उपभोक्ताओं ने भी टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपना पैसा जमा करा दिया है। लेकिन सात महीने का समय बीत चुका है और एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और कार्य शीघ्र शुरू कराएं।

सायं 6.59 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

आज सुबह शून्य काल के दौरान आपने देखा होगा कि सदस्यगण ने भूख से हुई मौतों का मुद्दा उठाया था। लोग कुपोषण से मर रहे हैं। दूरसंचार की सुविधाओं के अभाव के कारण मुख्यालय से संपर्क बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाएं और विकास संबंधी दूसरी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जहाँ तक संचार का प्रश्न है, दूरसंचार की भूमिका निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, जिन क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश भर में ऐसे कई जनजातीय खंड हैं। मैं उड़ीसा के उन जनजातीय खंडों पर विशेष बल देना चाहता हूँ जहाँ दूरसंचार सुविधा या टेलीफोन सुविधा अभी भी स्वप्न मात्र है।

सायं 7.00 बजे

विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है कि ऐसे निजी ऑपरेटर इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बकाया राशि और लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है। लेकिन लाइसेंस शुल्क को हटाकर भुगतान की दूसरी प्रक्रिया शुरु होने के कारण उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने में कुछ समय लगा। मैं विभिन्न समितियों की रिपोर्टें देख रहा था। मोदी को छोड़कर अधिकांश निजी ऑपरेटरों ने अपनी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है। उन्होंने 257 करोड़ रुपए या कुछ इतनी ही राशि का भुगतान नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि अब तक उन्होंने इस राशि का भुगतान कर दिया होगा। यदि न किया हो, तो सरकार को उनसे बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहूँगा कि जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मुख्य मुद्दे पर आने से पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जुलाई, 2001 में माननीय संचार राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर ने कोलकाता में एक बैठक आयोजित की थी। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2002 तक सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

हमारे देश में लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इनमें से अधिकांश को पर्याप्त भोजन, दवाएं और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। यह मखौल है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार टेलीफोन सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएगी।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मिदनापुर में दूरसंचार सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) की एक बैठक आयोजित की गई थी। मैंने उस बैठक में भाग लिया था। मैंने देखा कि जिले का कोई भी विधायक, पंचायत का सदस्य या सभापति इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। ये लोग टी.ए.सी. में शामिल नहीं हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि बैठक में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य डब्ल्यू.एल.एल. प्राप्त करने के लिए अधिक इच्छुक थे। वे स्वयं के लिए अधिक सुविधाएं पाने के लिए अधिक उत्सुक थे। मेरा मुद्दा यह है कि इनकी प्रक्रिया क्या है। जहाँ तक मिदनापुर जिले का संबंध है, इस जिले में करीब 11,000 गांव हैं। आपको वर्ष 2002 तक इन सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं।

यह संभव नहीं है। लेकिन यह ठीक है कि आप अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

अब मैं मुख्य मुद्दों पर आता हूँ। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में विभिन्न गैर-महानगरीय सर्किलों में सेल्यूलर फोन आपरेटरों के बीच द्वि-अधिकार की अनुमति दी गई थी। तदनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं और लाइसेंस जारी किए गए। नई सरकार ने वर्ष 1999 में नई दूरसंचार नीति शुरू की, और लाइसेंस शुल्क निर्धारित लाइसेंस शुल्क के स्थान पर सेल्यूलर ऑपरेटरों की आय के आधार पर तय किया गया। मेरा विचार है कि पारदर्शिता का प्रश्न यहीं से उठता है। मेरे मित्र श्री दासमुंशी

[श्री प्रबोध पण्डा]

ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे प्रासंगिक हैं लेकिन यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा विचार है कि इसकी जांच की जानी चाहिए।

टेलीकॉम घोटाले के बारे में पहले कई बातें कही गई हैं। यह सही है कि पहले टेलीकॉम घोटाला हो चुका है। इसकी याद लोगों के मन में ताजा है। इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसकी समुचित जांच की जाए।

जहाँ तक दूरसंचार नीति का संबंध है, आप कृपया 'कॉलिंग-पार्टी-पेमेंट नीति' को लागू करें ताकि सेल्यूलर फोन धारकों को इसका भुगतान न करना पड़े। इस पर विचार किया जाना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से टेलीफोनों को और अधिक उन्नत बनाया जाना चाहिए। जैसाकि इन लोगों ने घोषणा की है, वर्ष 2002 तक प्रत्येक गाँव को टेलीकॉम सुविधाएं उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो महत्वपूर्ण सुझाव दासमुंशी जी ने दिए, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने उनका साथ दिया, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सभी संसद सदस्यों और बड़े-बड़े अधिकारियों को बुलाया और नासिक जिले की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने नासिक को संचार सारथी बनाया। इससे नासिक का नाम पूरे भारत में फैला है। इसके लिए हम मंत्री महोदय, संचार विभाग के अधिकारियों और नासिक के ग्राहकों के मेहरबान हैं लेकिन मंत्री महोदय के पेट में दर्द हुआ क्योंकि उन्होंने नासिक के श्री भगीरथ प्रसाद को बिहार भेज दिया और श्री दात्तर जिन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें कोलकाता भेज दिया।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): जो अच्छा काम करेंगे उन्हें हम लेंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अमेरिका एक बड़ी शक्ति है। वहां टेलीकॉम का निजीकरण हुआ। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय ने टेलीकॉम का 30 परसैंट निजीकरण किया लेकिन यह शहरी क्षेत्रों में ही जाता है, ग्रामीण विभाग में अभी तक नहीं पहुंचा है जो ठीक नहीं है। फिर भी ऑप्टीकल फाइबर ज्यादा खरीदा गया लेकिन वह दूरसंचार विभाग को मिला नहीं। इस वजह से काम रुका हुआ है। मैं समझता हूं कि निजीकरण अच्छी बात है। नासिक जिला दो बार ग्रामीण विभाग में प्रथम आया लेकिन उसे अभी तक वे सुविधायें प्राप्त नहीं हुई हैं। नासिक जिले में 6 तहसील बिलकुल पहाड़ी हैं और मैंने अपने जिले की दूरसंचार सलाहकार समिति के लिये सदस्यों की सूची भेजी है। मेरा निवेदन है कि उसे मंजूर कर दिया जाये।

सभापति महोदय, राजहंस दूध और पानी में से पानी छोड़कर दूध पी जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी पानी छोड़कर दूध पीने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, श्री दासमुंशी एक महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिये लेकर आये हैं और वह हमेशा ऐसे ही विषय लेकर आते रहे हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, संचार 100 करोड़ मानव के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार नई नीति के द्वारा संचार क्षेत्र में नई क्रान्ति लाना चाहती है लेकिन जिस देश में अन्न होते हुये भी लोग भूखे हों और जिस पर आज बहस हो रही है, देश की आबादी 54 साल की आजादी के बाद भी शुद्ध पेयजल से वंचित हों, जिस देश के संविधान में दिये हुये पांच मूलाधिकारों से उन्हें दूर रखा गया हो, उस देश में संचार क्रान्ति कितनी आ सकती है, मुझे पता नहीं।

सभापति महोदय, जब हम शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाये, शुद्ध पानी की कमी न होते हुये भी, व्यवस्था नहीं कर पाये, गरीब और कॉमन लोगों को रहने की जगह नहीं दे पाये तो फिर इस नई संचार नीति का क्या तात्पर्य होगा। हम सदन में हर नई नीति की बात करते हैं बहस होकर बात खत्म हो जाती है लेकिन मंत्री महोदय वहीं अपनी चेयर पर बने रहेंगे, क्या होना है, क्या नहीं होना है।

यहां निजीकरण की बात बराबर आती है। कुछ दिनों के बाद इस देश में बचे-खुचे आदमी का भी निजीकरण हो जायेगा। निजीकरण किस परिस्थिति में किया जाता है? मेरा अनुमान है कि निजीकरण के वक्त यह देखा जाता है कि अब कोई विकल्प नहीं रहा, व्यवस्था चरमरा जाती हो। इन व्यवस्थाओं के बावजूद जब हम अपनी गाड़ी सही रूप से नहीं चला पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भार को टालने के लिये या कोई चीज देने के लिये निजीकरण के सवाल को ठेलते रहते हैं, जो देश की व्यवस्था पर खरे नहीं उतर पाते। उसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश की जितनी संस्थाएं हैं वे कमजोर होती चली जा रही हैं? अपनी संस्थाओं को निजी हाथों में देकर उन्हें समाप्त करके हम पूंजीपतियों की ताकत को बढ़ाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। निजीकरण के सवाल

पर आज कुछ मुट्ठी भर देश और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, जिनके कारण आज सदन और सदन के बाहर सवाल उठते हैं या जिस भी कारण से सवाल उठते हैं, वे सिर्फ 10-20 मुट्ठी भर लोगों के कारण उठते हैं और इन लोगों के कारण आज देश की सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। इन लोगों के हाथ में निजीकरण की व्यवस्था देकर हम यहां कौन सी चर्चा करना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, निजीकरण पर मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, चूंकि सभी वक्ताओं ने यहां अपनी बातें रख दी हैं। मैं तीन-चार महत्वपूर्ण सवालों को सुझावों के रूप में माननीय मंत्री जी के लिए यहां उठाना चाहता हूं। मंत्री जी गरीब परिवार से आते हैं। वह क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति लाये भी हैं और पता नहीं आगे कौन सी क्रांति लायेंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि निजीकरण करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा आवश्यक शेयर हैं, जो विनिवेश हम लोग करने जा रहें हैं, उसमें जो हमारा शेयर हैं, वह 51 या 52 परसेन्ट रहा हैं। आज भी वह 52 परसेन्ट हैं। लेकिन हम जिस निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हमारा शेयर 50 परसेन्ट से नीचे चला जाएगा तो भारत आर्थिक रूप से कभी सम्पन्न नहीं हो सकेगा। भारत खोखला हो जायेगा और देश में रहने वाले जिन गांवों के लोगों को हम सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, वे इन चीजों से वंचित रह जायेंगे। यह सुविधा उन तक कभी नहीं पहुंच पायेगी। गांवों में रहने वाले जिन लोगों की बात माननीय रामविलास पासवान जी बार-बार करते हैं, कहते हैं कि हम डब्ल्यू.एल.एल. के द्वारा गांवों में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था हैं, जो हमारे एक्सचेंजिज हैं, क्या वे व्यवस्थित हैं। शहरों के एक्सचेंजिज के बारे में अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां घंटी बजती है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता है। यदि मैं सुदूर गांवों की बात कहूं तो वहां आज हमारी 16 गुना आबादी बढ़ गई हैं लेकिन क्या 16 गुना हमारी कार्य-पद्धति बढ़ गई हैं, जबकि हमारे कर्मचारी जहां के तहां हैं। उनकी संख्या नहीं बढ़ी है। बिहार में इस विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की कितनी ही वेकन्सीज रिक्त पड़ी हैं, उस पर आपकी क्या सोच है। देश के पैमाने पर आप एक तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और

सायं 7.18 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

एक तरफ से हमारी कमजोर होती चली जा रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन रिक्त पदों को भरने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ 16 गुना बढ़ गये हैं और दूसरी तरफ हम कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों की सुदृढ़ व्यवस्था करके हम आगे बढ़ें। हम डब्ल्यू.एल.एल. के द्वारा गांवों में जाना चाहते हैं। डब्ल्यू.एल.एल. ऐसी चीज है जिससे निजीकरण के क्षेत्र में ठेकेदारों को मदद मिल सकती हैं। गांवों में हम पप्पू यादव जी जैसे लोगों को इसकी सुविधा दे देंगे। गांवों में पूंजीपतियों, व्यापारियों और जमींदारों के घर डब्ल्यू.एल.एल. लग जायेगा। लेकिन इस डब्ल्यू.एल.एल. से गांवों के गरीबों का क्या होगा। गांवों के गरीब इस तरफ कितना बढ़ पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, अब आप आ गये हैं, इसलिए अब मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश और बिहार का सवाल है। इन राज्यों में जो विस्तारीकरण होना चाहिए, मेरा मानना है कि वह नहीं हो रहा हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो आउट-गोइंग कालिंग चार्ज है, उससे ज्यादा हमारे बिहार में इन कमिंग कालिंग चार्ज हैं। पता नहीं हमारे माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं। देश में बिहार ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर आउट गोइंग कालिंग कम है और इन कमिंग ज्यादा है। श्री रामविलास पासवान जी को मंत्री बने हुए डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक एम.टी.एन.एल. और मोबाइल का सवाल है, मोबाइल आप कम पैसे में दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं इसे सारी दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एम.टी.एन.एल. और मोबाइल सही चल रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हैं, क्या उनसे हम लाभान्वित होंगे।

डब्ल्यू एल एल मोबाइल जो गांवों में लगेगा, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं होने से आप बैटरी दे देंगे। बैटरी समाप्त हो जाएगी और ठेकेदारों की चांदी होती रहेगी। जो मशीन सैट वहां जाता है, वह इतना घटिया दर्जे का होता है कि बार-बार उसके लिए टैन्डर करने पड़ेंगे, बार-बार उसके लिए ठेका निकालना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि डब्ल्यू एल एल की व्यवस्था जो आप निजी हाथों में देकर गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, यह ठीक व्यवस्था नहीं है। आप संचार लाइनों के माध्यम से जो टेलीफोन गांवों में देना चाहते हैं, क्या वे आप 2002 तक दे पाएंगे? हमारे जो भाई हैं, उनके क्षेत्र में एक गांव में डेढ़ किलोमीटर पर एक्सचेन्ज है। वह पानी में डूब गया और दूसरा नया खुल गया। वह मंत्री के भाई है, इसलिए दूसरा खुल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। मेरा

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

आपसे आग्रह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सवाल पर जहां गरीब सबसे ज्यादा है, आप ध्यान दें। अभी रघुवंश जी कह रहे थे कि हमारे यहां शून्य से कुछ ज्यादा प्रतिशत ही टेलीफोन हैं। सबसे पहले बिहार में आप संचार क्षेत्र में क्रांति लाइए तो देश में क्रांति आएगी।

अध्यक्ष महोदय का आदेश है तो मैं बैठता हूं लेकिन मेरी विनती इतनी है कि जो निजीकरण का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए। जो गांवों में गरीबों का सवाल है, वहां डब्ल्यू एल एल लाकर आप गरीबों को मुसीबत में मत डालिये। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सचेन्ज खोलें, उनमें कर्मचारियों की व्यवस्था हो और लोगों को वहां काम करने का मौका मिले। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था हो तो उस पर बहस होनी चाहिए। इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए गरीबों में क्रांति लाओ, पूंजीपतियों में क्रांति की आवश्यकता नहीं है। देश में दस लोगों के हित को हाथ में मत लीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप बिहार की ओर विशेष ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़): मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में ओ.एफ.सी. की केबल बिछाने के काम की गति धीमी हो गई है। वस्तुत: यह काम 2002 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे आशंका है कि काम धीमा पड़ जाने के कारण यह काम निर्धारित अवधि में पूरा हो पाएगा।

वहां कुछ स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं। जब कार्यकरण ठीक नहीं है। यहां तक कि जब शिकायत की जाती है तो वहां कोई उस शिकायत पर ध्यान नहीं देता। खराबी को ठीक करने वाला कोई नहीं होता।

मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग मुम्बई में कार्यरत हैं। वे मजदूर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वे अपने गांवों से सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं लेकिन कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों के काम न करने के कारण वे अपने परिवारों से, विशेषकर शाम के समय जब उनकी छुट्टी होती है, बात नहीं कर पाते।

कोयना झील एक जलाशय है जिसमें 100 टी.एम.सी. पानी रहता है। इस झील के किनारे पर लगभग 68 गांव बसे हुए हैं। पाटन, जावाली, शिराला के पहाड़ी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। वहां लोगों को जान और माल का खतरा रहता है। यहां संचार की प्रभावी व्यवस्था स्थापित किए बिना संचार और सम्पर्क बनाए रखना संभव नहीं है। यहां पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी, का टावर टेलीफोन सिस्टम, काम कर रहा है। इसलिए यहां लोगों से सम्पर्क नहीं होता। एक आदमी झील के इस तरफ होता है और दूसरा आदमी झील के दूसरी तरफ। उनमें आपस में सम्पर्क नहीं हो पाता। इसलिए, इस पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी को हटाकर इसके स्थान पर डब्ल्यू.एल.एल. जैसी नई प्रौद्योगिकी, जो कि एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है, को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए।

कराड़ एक प्रमुख कस्बा है। वहां सरकारी क्षेत्र की लगभग सात चीनी मिलें हैं जिनमें उत्पादन चल रहा है। दो में उत्पादन शुरु होने की संभावना है। जब तक वहां संचार की त्वरित प्रणाली स्थापित नहीं कर दी जाती तब तक वहां से चीनी का व्यापार होना संभव नहीं है। इस कस्बे में चिकित्सा महाविद्यालय और इंजीनियरी महाविद्यालय हैं और इनमें भारत भर से लगभग 10,000 छात्र पढ़ने आते हैं। वे पूरे भारत में अपने परिवार से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। कराड़ में इंटरनेट की सुविधा भी बहुत धीमी है। सम्पर्क गति भी बहुत धीमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सुविधा की ओर एक बार फिर से नजर डालें और सम्पर्क बढ़ाएं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और सम्मानित सभा के सम्मुख रखी गई सभी मांगों को स्वीकार कर लेंगे।

मैं अध्यक्षपीठ को मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

सायं 7.26 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि आज (29.8.2001) मेरे साथ पार्टियों के नेताओं की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के समक्ष आ रही गंभीर समस्याओं के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा गुरूवार, 30 अगस्त, 2001 को ली जाए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों के संबंध में चर्चा, जो कि 30 अगस्त, 2001 के लिए नियत थी, अब अगले सत्र के दौरान ली जाए।

सभा शुक्रवार, 31 अगस्त, 2001 को अपराह्न 1 बजे स्थगित की जाए।

उस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति अगले सत्र के दौरान की जाए।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

सायं 7.27 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नई दूरसंचार नीति, 1999

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे वरिष्ठ साथी निश्चित रूप से नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा का उत्तर देंगे लेकिन इस चर्चा के दौरान माननीय सांसद श्री मणिशंकर अय्यर ने मेरे विरुद्ध कुछ दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। मैं केवल उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर देने का इच्छुक हूं।

उन्होंने सभा को बताया कि एम.एल.डी.एन. निविदा के मामले में मैंने कुछ कंपनियों का पक्ष लिया था लेकिन यह गलत है। एलाक्टेल एल एक पर थी और आई.टी.आई.एल. दो पर। लेकिन एक संसद सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज कराने और आई.टी.आई. द्वारा आपत्ति किये जाने पर मैंने इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक और व्यावहारिक रूप से देखने का सुझाव दिया। एल एक के लिए आशय पत्र एलाक्टेल को 8 सितम्बर, 2000 को जारी किया गया और उन्होंने 30 सितम्बर, 2000 को उपकरणों की आपूर्ति की स्वीकृति और बैंक गारंटी दे दी। यह सही है लेकिन इस शिकायत के कारण एक उच्च स्तरीय समिति और टेलीकॉम इंजीनियरी सेंटर से भी इसकी जांच कराई गई।

माननीय संसद सदस्य ने कहा कि टी.ई.सी. ने व्यवहारिक रूप से एलाक्टेल यानि एल एक के पक्ष में राय दी थी। यह पूर्णतया आधारहीन, झूठ और दुर्भावनापूर्ण है। टी.ई.सी. ने वास्तव में एल एक के विरुद्ध राय दी थी क्योंकि एलाक्टेल निविदा की शर्तों का पालन नहीं करती थी और न ही सामानों के बिल की विशेषताओं को ही पूरा करती थी। दूसरे, अतिरिक्त सॉलीसिटर-जनरल ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की थी। इसके बाद इस मामले को अटार्नी-जनरल को अग्रेषित कर दिया गया। अटार्नी-जनरल का भी वही विचार था। इसके बाद इस मामले को उच्च न्यायालय ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने भी एल एक के विरुद्ध निर्णय दिया था। इसके पश्चात इस मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सम्मुख ले जाया गया। खंडपीठ ने भी बारी राय व्यक्त की।

मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को या तो किसी ने गुमराह किया है या कुछ स्वार्थी तत्वों ने इनका कान भरा है।

सायं 7.30 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

उन्होंने इस तरह का मामला यहां उठाया है। यह मामला पूर्ण रूप से अलग है। महोदय, आज यह संभव नहीं है; लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो कल मैं सभी समितियों द्वारा दी गई सारी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दूँगा-चाहे यह टी.ई.सी. हो, विशेष बोर्ड हो, ए.जी. हो या यह उच्च न्यायालय की दोनों पीठों का निर्णय हो। मैं नहीं जानता कि क्यों श्री मणिशंकर अय्यर ने अचानक मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है। महोदय, मैं समझता हूं, आपको इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। आपको दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह मणि शंकर अय्यर हों या तपन सिकदर ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं उन मंत्रियों में से एक हूँ जो देश के लिए देश की जनता के लिए और दूरसंचार विभाग के लिए सोचते हैं ...*(व्यवधान)*

मैं आपको चुनौती देता हूँ। यदि आप साबित कर दें कि जो कुछ आपने अभी कहा है वह सही है तो मैं मंत्रालय से इस्तीफा दे दूँगा ...*(व्यवधान)* मैं आपको कह रहा हूँ ...*(व्यवधान)* नहीं तो, महोदय मेरा इस प्रतिष्ठित सदन से नम्र निवेदन है कि वैसे सदस्य के विरुद्ध कठोर कदम उठाना चाहिए जो गलत, बदनीयती से, मनगढ़ंत, झूठी, जानबूझकर इस तरह के सारे आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूँ उनके विरुद्ध कुछ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा सभी दस्तावजों को सभा पटल पर रखने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। मैं उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ कि हमें साथ मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए और यदि उनके विरुद्ध जो मैंने आरोप लगाया है-जिस पर मैं कायम हूँ-जांच के बाद सही पाया गया जिसकी जांच या तो संयुक्त संसदीय समिति द्वारा ही की जा सकती है या विशेषाधिकार समिति द्वारा ...*(व्यवधान)* मैं इस पर कायम हूँ। मेरे द्वारा लगाए गए आरोप कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल

[श्री मणिशंकर अय्यर]

हैं, मैं उन पर कायम हूं और मांग करता हूं कि इस वाद-विवाद को सभा में जारी रखा जाए। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। ...*(व्यवधान)* जांच होने दीजिए। जांच में सब कुछ आ जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर: महोदय, मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर का यह आम व्यवहार है ...*(व्यवधान)*

सायं 7.33 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 अगस्त, 2001 को पारित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को राज्य सभा द्वारा 29 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 2001 को पारित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 29 अगस्त, 2001 को यथापारित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को सभा पटल पर रखता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, हम जे.पी.सी. की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर: महोदय, यदि जरूरत पड़ी तो मैं सी.बी.आई. से जांच के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : यह गंभीर विषय है, इसमें जे.पी.सी. बिठाइए। जांच होने दीजिए। ...*(व्यवधान)* आप भारत सरकार के मंत्री हैं, अपने शब्दों का चयन कीजिए ...*(व्यवधान)* क्या हम अपने साथी को सपोर्ट नहीं करेंगे?

श्री तपन सिकदर: आप ऐसी गलत बात करते हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह: माननीय मंत्री, कृपया ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें...*(व्यवधान)* आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? कृपया आप शांत रहे ...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: महोदय, उन्होंने किसी फर्जी दस्तावेज से उद्धृत किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपा कर आसन ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं, जांच होने दीजिए, इस पर जे.पी.सी. बिठाइये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब सरकार का, माननीय मंत्री जी का उत्तर होगा। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। उनके उत्तर में सब के सवालों का जवाब होगा। कृपया बैठ बैठे बोलना उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

सायं 7.36 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा – *जारी*

नई दूरसंचार नीति 1999

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, मैं माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी और हमारे तमाम सम्मानित सदस्यगण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को यहां उठाने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि आलोचना, क्रिटीसिज्म बारिश के पानी की तरह होती है। बारिश के पानी में यदि कच्चा घड़ा होता है तो गल जाता है और मैटल और चमकने लगता है, उसका अभी एक उदाहरण देखने को मिला। अभी हमारे साथी मणि शंकर अय्यर जी के जवाब में हमारे साथी तपन सिकदर जी ने बताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तो उस दिन स्वयं चाहता था, जब मैं प्रश्न का जवाब दे रहा था। हमारे जैसे लोग जानना भी चाहते हैं, ठीक है, मैं सरकार में हूं, लेकिन सरकार में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। यह एक व्यवस्था है और व्यवस्था चलती रहती है। उस व्यवस्था में कहीं कोई खामी हो, पॉलिसी में कहीं खामी हो तो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए और यदि कोई गलती हो, कोई कलप्रिट हो, कोई भी बड़े से बड़े पद पर आदमी बैठा हो, यदि उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है या होता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चूंकि में स्वयं चाहता था कि किसी न किसी रूप में यह बहस होती रहे। होता क्या है कि जब सरकार चलती है तो वह मोरल से चलती है। मिनिस्टर सरकार का एक अंग होता है, हम डिपार्टमेंट के हैड हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि गलत काम होगा तो डिपार्टमेंट के ऊपर टाल देंगे और वाहवाही होगी तो हम अपने ऊपर लेंगे। जब हमारा मोरल डाउन हो जायेगा तो हम डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।

मैं बार-बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी भी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में नीयत की कमी है, नीयत साफ होनी चाहिए। हमें तो आपसे जो विरासत में चीज मिली, हम उसी पौधे को सींच रहे हैं। हम लोग कब प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे, हम कब चाहते थे कि इस देश में निजीकरण आये, हम कब चाहते थे कि उदारीकरण आये। उदारीकरण का जब मामला आया तो हम लोग उस तरफ बैठे हुए थे, हम लोग कितना हंगामा करते थे, कितना कुछ करते थे, लेकिन जब एक बार आपने फ्लड गेट खोल दिया, बाढ़ को खोल दिया तो आप खिड़की को बन्द करके कैसे रह सकते हैं। सरकार सरकार होती है, यह सरकार कोई नरसिंह राव जी की सरकार है और न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, यह भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी एक बार पांच साल पहले बन गई, उसमें बाढ़ का पानी निकल गया। अब हम फिर से उस पानी को खींचकर, वहां से पीछे करके गंगोत्री में ले आएंगे तो वह अब आने वाला नहीं है। अब उसका जो फल होगा, वह देश को भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा और इसमें आपको लगता है कि कहीं खामी है तो आप उसे बताइये। हम लोग हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम इस बात को भी मानते हैं कि यदि चारों तरफ से परदा लगा दीजिए तो उस परदे में हर कुकर्म होने लगता है और यदि उसको शीशा बना दीजिए तो वे चांसेज खत्म हो जाते हैं।

आप यदि टेलीकॉम रिफार्म्स की बात कहेंगे, जितना बड़ा इस 193 का स्कोप है, मैं तो स्वयं चाहता था कि 193 के स्कोप में अधिक से अधिक समय लेकर हम लोगों को भी एकाध घंटा बोलते। यह तो इतना बड़ा सबजैक्ट है कि हम तीन घंटे तक भी बोलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे तो भी आप सब के प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। चूंकि एक-एक इश्यू ऐसा है, जिस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अभी मणिशंकर जी ने इतने प्रश्न किए हैं कि अगर मैं एक-एक प्रश्न पर बोलूं तो एक घंटा लग जाएगा। यहां टेलीकॉम रिफार्म की चर्चा हुई है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): मैंने जो सवाल उठाए, उनमें से जिनका जवाब अभी आप न दे सकें तो बाद में कृपया लिखित में दे दें।

श्री राम विलास पासवान: हमे चेयर एलाऊ करे तो सबके जवाब देर रात 12 बजे तक बैठकर भी दे सकता हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मणिशंकर अय्यर: समय लगेगा, यह बात आपकी सही है। यह बात भी सही है कि समय सीमित है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां तक हो सके जवाब दे दें, नहीं तो बाद में लिखित में दे दें।

श्री राम विलास पासवान: हम लोग विभाग को चलाते हैं, चाहे रेलवे हो, वेलफेयर हो या लेबर हो। अभी हम संचार में हैं, हम प्लेयर के रूप में काम करते हैं। यह नहीं कि दर्शक दीर्घा में बैठकर विभाग चलाते हों। जैसे मजदूर खटता है, वैसे ही हम काम करते हैं और प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने का काम भी करते हैं।

टेलीकॉम सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आया, सुधार हुआ, उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1980 से लेकर 1990 के बीच का है। दूसरा चरण 1990 से 1999 के बीच का है और तीसरा चरण 1999 के बाद का है। 1980 में टेलीकॉम सेक्टर को खोलने का काम शुरू हुआ। तब सबसे पहले उपभोक्ता के उपभोग हेतु उपकरणों को खोला गया। फिर पी.सी.ओ., एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सेवाओं को खोला गया। 1984 में सी-डॉट की स्थापना हुई। 1986 में एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. बना। 1989 में टेलीकॉम कमीशन बना।

दूसरा चरण शुरू हुआ 1990 से 1999 के बीच में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को निजीकरण के लिए खोला गया। तब चार मैट्रो शहरों में सैलुलर फोन सेवा खोली गई और फिर 27 शहरों में प्राइवेट सेक्टर के लिए पेजिंग सेवा शुरू की गई। 1992 में वेल्यूएडिड सर्विसेज को खोला गया। उसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इलैट्रॉनिक मेल हो, डाटा सर्विसेज हो या वीडियो टैक्स सर्विस हो या आडियो हो या वीडियो कांफ्रेंसिंग हो या रेडियो पेजिंग हो। सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम पालिसी 1994 में बनी, जिसको एन.टी.पी. भी कहते हैं। अब न्यू टेलीकॉम पालिसी है। 1994 में बेसिक टेलीफोन सेवा को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। प्रत्येक सर्कल में एक-एक आपरेटर हुआ। लेकिन सब जगह आपरेटर नहीं आए, केवल छ: आए। 1994 में सैललुर सेवा के लिए सभी सर्कल में दो-दो आपरेटर लेने का निर्णय लिया गया। 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया की स्थापना हुई। 1998 में इंटरनेट प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया।

इसके बाद 1999 से तीसरा चरण शुरू होता है। उस समय न्यू टेलीकॉम पालिसी बनाई गई। उसमें सबसे पहले माइग्रेशन पालिसी बनी। उसमें जो पहले होता था कि बिड के आधार पर फिक्स्ड लाइसेंस फीस थी, उसके बदले 1999 में नये आपरेटर्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का सिद्धांत रखा गया। जो पुराने आपरेटर्स थे, उनको नई पालसी में कैसे लाया जाए, कैसे वहां से माइग्रेट कराया जाए इसलिए उसको माइग्रेशन पालिसी भी कहते हैं। डुओ पोलि के बदले सैलुलर सेवा में मल्टी पोलि का सिद्धांत रखा गया। जो पुराने आपरेटर्स थे, उनको नई पालिसी में कैसे लाया जाए, कैसे वहां से माइग्रेट कराया जाए इसलिए उसको माइग्रेशन पालिसी भी कहते हैं। डुओ पोलि के बदले सैलुलर सेवा में मल्टी पोलि का सिद्धांत लागू किया गया। नेशनल लांग डिस्टेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। दो प्राइवेट आपरेटर सैलुलर सेवा में थे। पहले प्रत्येक सर्कल में दो थे, वी.एस.एन.एल. के अलावा, अत: 17 में 17 आए, एक अतिरिक्त आ गया। सभी को लैटर आफ इंडैंट जारी कर दिया है। लेकिन उसमें बिहार, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कोई आपरेटर नहीं आया। जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्ट और असम में भी कोई नहीं आया। बेसिक सेवा में अनलिमिटेड आपरेटर की व्यवस्था की गई। उसमें 147 आपरेटर्स आए। इनमें से 76 को एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया है। इनमें से 16 को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। ये जो लाइसेंस दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि उन्होंने सारी शर्तों को पूरा कर दिया था।

शर्त क्या थी कि एनट्री फ्री, पर्फोमेंस गारंटी, बैंक गारंटी, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट रोल आउट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बैंक गारंटी। इन सारी चीजों को पूरा करने के बाद इंटरनेशनल लौंग डिस्टेंस में एकाधिकार अप्रैल, 2002 को खत्म कर दिया जाएगा। डीटीएस को एक अक्टूबर, 2000 को कौरपोरेटाइज कर दिया जाएगा। टीआरआई के संबंध में अब नहीं है। टीआरआई को बार-बार कहा जाता है कि टीआरआई को शिखंडी कहा जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि टीआरआई किस रूप से शिखंडी है। बार-बार राष्ट्रपति जी ने जब सैंट्रल हॉल में दोनों सदनों को सम्बोधित किया था तो उस समय भी कहा था कि जो पुरानी टीआरआई थी, उसे मजबूत किया जाये। हम लोगों ने नये तरीके से टीआरआई को मजूबत करने का, उसको गठन करने का काम किया। पहली टीआरआई अलग थी, वह वकील का भी काम करती थी और जज का भी काम करती थी और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, उनके मन में इस बात को लेकर संदेह था क्योंकि जो फॉरेन इंवेस्टर्स होते हैं, आप जानते हैं कि फॉरेन इंवेस्टर वहीं जाना चाहता है जहां उसे मालूम होता है कि रेगुलेटर निष्पक्ष हो। रेगुलेटर सरकार की हां में हां भरने का काम नहीं करे और उस दृष्टिकोण को देखकर हमने दो चीज का एक रेगुलेटर बनाया। टीआरआई का गठन किया और दूसरा काम टीआरआई के साथ हमने एपीलेट ट्राईब्यूनल का गठन किया। एपीलेट ट्राईब्यूनल का जो चेयरमैन होता है, वह सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय से रखा जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से, पूरी सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि हमने राय ही नहीं ली, हम चीफ जस्टिस के यहां गये और हमने कहा

कि पूरे संसार में हम सिगनल देना चाहते हैं कि एपीलेट ट्राईब्यूनल हो। वहां अंतिम फैसला होने वाला है और वह फैसला हाई-कोर्ट के समान का ज्यूरिसडिक्शन होगा और वहां के बाद यदि उसमें किसी को भी शिकायत होगी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में वह जाएगा और बीच में कोई कोर्ट देखने का काम नहीं करेगा। इसलिए आप जिसको चाहते हैं, जो भी आपकी नजर में सक्षम जस्टिस हो, उसको लगाने का काम कीजिए और उन्होंने चेयरमैन के पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाया।

उसके बाद ट्राईब्यूनल का गठन किया गया। आपने कहा कि एनटीपी-1999, अब इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि उसमें लक्ष्य रखा गया कि टेलीफोन 2002 तक ऑन डिमाण्ड पर हो जाएगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पहले लोगों ने इसमें संदेह व्यक्त किया। मैं जानता हूं कि पाल साहब ने उदाहरण दे दिया। चीन का उदाहरण दे दिया। लेकिन में पाल साहब को बता दूं कि चीन में टोटल प्लान का एक तिहाई पैसा टेलीकॉम के ऊपर खर्च होता है। यहां भारत सरकार की ओर से एक नया पैसा हमें बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है और बजटरी सपोर्ट ही नहीं मिलता है बल्कि लाइसेंस का जो पैसा जाता है, वह भी हमें कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना पड़ता है। हम नहीं मान सकते हैं कि भारत सरकार के सामने एक टेलीफोन ही प्रयोरिटी है, और भी बहुत सी प्रायोरिटी हैं। हम लड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा और ठीक कहा कि हमारे साथी मूर्ति जी ने कहा कि चीन में यह फैसला हो जाता है। चीन का जब फैसला होता है तो बुलेट के माफिक होता है और हमारे यहां फैसला होगा तो अभी यहां कोई आदमी कह देगा कि पौने आठ बजे है, लेकिन यदि चर्चा शुरू हो जाये तो मणि शंकर अय्यर जी उस पर एक घंटा बोल देंगे। फिर पौने आठ बज रहा है कि नहीं बज रहा है, कुछ नहीं है। पाल साहब भी दो घंटा बोलेंगे और कहेंगे कि अमेरिका में इतना बजता होगा, चीन में इतना बजता होगा, आस्ट्रेलिया में इतना बजता होगा और हिन्दुस्तान तक आते-आते सुबह के आठ बज जाएंगे। यह हालत है। अब डैमोक्रेसी है, हम डैमोक्रेसी में जी रहे हैं। डैमोक्रेसी की कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खामियां भी हैं लेकिन चलना पड़ता सांख्यवाहिनी के संबध में लम्बा भाषण दे दिया। सांख्यवाहिनी को बस्ते में डाल दिया लेकिन चाइना ने एडॉप्ट कर लिया। आप लड़ते रहिए। राज रेड्डी हमारे देश का आदमी विदेश में हैं। हिन्दुस्तान का नौजवान है और एक नहीं, दो नहीं, क्योंकि कल तक यह माना जाता था कि भारत सांप पकड़ने वाला देश है, चुहिया पकड़ने वाला देश है, चूहा मारने वाला देश है...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: इस बात की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाये।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: मैं फिर कहूंगा कि किसी के ऊपर आरोप लगा कि वह जासूस है, वह फलां है, यह आरोप लगा देना आसान काम है और मैं फिर कहूं कि एक भी सबूत आप दे दीजिए कि वह जासूस है। आप कहां से सबूत दीजिएगा कि वह जासूस है।...*(व्यवधान)* क्या आपके पास कोई सबूत है कि राज रेड्डी जासूस है?

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैंने विशेषरूप से यह कहा था कि प्रो. राज रेड्डी अमरीकी खुफिया नेटवर्क में कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा गठित समिति के सदस्य हैं। मैं यह दोहराता हूं कि वे इसमें संलिप्त हैं। मैंने कोई भाषण नहीं दिया है। मैंने अनेक प्रश्न पूछे हैं और मुझे इन प्रश्नों के उतरों की प्रतीक्षा है, यदि मंत्री जी यहां उत्तर नहीं देते है। तो मैं उनसे लिखित में उत्तर भेजने की आशा करता हूं।

श्री राम विलास पासवान: मैं एक-एक करके उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें।

[हिन्दी]

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम मैम्बर आफ पार्लियामेंट है और हम राष्ट्रीय भक्ति का तगमा लगाकर घूमते हैं। भारत के आदमी, हिन्दुस्तान के आदमी लाखों की संख्या में विदेशों में हैं, जिनका दिल भारत में है, बाहर लोग नौकरी करने के लिए आते हैं या दूसरे काम के लिए जाते हैं और वे भारत के विषय में नई टैक्नोलाजी के विषय में कुछ सोचते हैं, तो हम एक लाइन में डिसमिस कर दें। जो हमारे लिए सोचता है, वह अमरीका का जासूस हो गया या चीन का जासूस हो गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की टैंडेंसी से न हम अपना भला कर रहे हैं और न हम देश का भला कर रहे हैं। मैं यह बात केवल राजरेड्डी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं और लोगों के लिए भी कह रहा हूं, बाहर बहुत से लोग कोई न कोई किसी न किसी को जानते होंगे। आप विदेशों में बहुत जाते हैं, सब लोग कुछ न कुछ एडवाइस करते हैं कि आप अपने देश में यह कीजिए, यहां से हम यह करने को तैयार हैं और वहां से वह करने को तैयार हैं। कोई आदमी सहयोग करना चाहे और हम एक लाइन में कह दें कि वह तो जासूस है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

जहां तक टेलीफोन आन डिमान्ड की बात है, अभी महाले जी नासिक में रूरल टेलीफोन के संबंध में जिक्र कर रहे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, पक्ष और विपक्ष, एक मन से एक निर्णय ले लें, आपको पूरा अधिकार है कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो सही काम है, कम से कम उसमें तो मदद देने का काम कीजिए। यह लक्ष्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जो लक्ष्य

[श्री रामविलास पासवान]

है, हम उसके मुताबिक बढ़ रहे हैं। हमने सन् 2002 का लक्ष्य रखा है और 6 लाख 7 हजार गांवों में से 4 लाख 10 हजार गांवों में वी.पी.टी. टेलीफोन की व्यवस्था हुई है। हमारे साथी कह रहे थे कि 2 लाख 11 हजार गांवों में एम.ए.आर.आर. (मार) टैक्नोलाजी है। एम.ए.आर.आर. टैक्नोलाजी कांग्रेस के जमाने में आई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टैक्नोलाजी गलत थी। हो सकता है, उस समय की टैक्नोलाजी सबसे बैस्ट टैक्नोलोजी हो। लेकिन उसमें एक गलती हुई कि मेंटिनेंनस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेंटिनेंनस को नहीं रखा गया। आज की स्थिति में हमारी सरकार के आफिसर कहते हैं कि 20-25 परसेंट टेलीफोन खराब हैं, लेकिन मैं, राम विलास पासवान एक मंत्री की हैसियत से कहता हूं कि 80 परसेंट खराब हैं, 90 परसेंट खराब हैं। मैंने कहा है कि उन सबको बदलने का काम करेंगे। इसलिए हमने 6 लाख डब्ल्यू.एल.एल. की व्यवस्था की। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बिलुकल भिन्न है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे, एमपी कोटे से टेलीफोन दो-दो साल में भी नहीं लगता है। आप पूरे देश से चुनकर आते हैं। पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक रेगिस्तानी इलाका और 40 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, वहां आम आदमी आपसे कहता हैं उसने पैसा जमा करा दिया है, हर किसी को अधिकार है कि वह पैसा जमा कराए, उसको यह नहीं कहा जाता है कि तुम पैसे मत जमा कराओ आप कोटे से टेलीफोन दे दीजिए। आप लिखकर दे देते हैं कि टेलीफोन दिया जाए। आपने लिखकर दे दिया, लेकिन रेगिस्तान में 40 किलोमीटर दूर क्या केबल ले जाना एक या दो आदमियों के लिए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चे होने हैं, आसान है, जबकि हमारे पास साधन नहीं है। इसी के लिए हमने नई टैक्नोलोजी लाने का काम किया। इसलिए सबसे बैस्ट डब्ल्यू.एल.एल टैक्नोलोजी लाने का काम किया। कुछ दिन तक बहुत हल्ला हुआ कि सी.डी.एम.ए. आ गई है, जी.एस.एम. आ गई है। हमें चिट्ठी लिखी गई कि 6 लाख की बात थी, दो लाख का ही आर्डर क्यों दिया गया। इसलिए कि हम डरते रहते हैं, हम जानते है कि मिनिस्ट्री चलाना कोई मामूली चीज नहीं है। कालिख के घर में रहने से कोई आदमी साफ निकल आए, तो बहुत बड़ी चीज होती है। जी.एस.एम. बहुत सस्ती टैक्नोलोजी है, लेकिन डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलोजी ले ली, तो डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलोजी क्यों ले ली?

हम लोगों ने कहा कि पहले जांच करो। जब जांच करते-करते आया कि अन्तर बहुत नेरो है और नेरो में भी जहां जी.एस.एम. का टैक्नोलॉजी है, टेलीफोन का डेंसिटी ज्यादा है, वहां के लिए जी.एस.एम. टैक्नोलॉजी अच्छी है और जहां दूर का, देहात का इलाका है वहां डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलॉजी अच्छी है। जब उस प्वाइंट पर पहुंचे तो हमने कहा कि दो लाख टैंडर थे, दो लाख टैंडर करो। फिर उसके बाद जब मामला आया तो सामने आ गया कि दाम में भी कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हमने कहा कि दोनों टैक्नोलॉजी चलाओ। जहां घनत्व है वहां जी.एस.एम. टैक्नोलॉजी चलेगी और जहां नहीं है वहां डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलॉजी चलेगी। अब डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलॉजी में छः लाख लिया गया और छः लाख में, जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास कितने गांव बचे हैं- करीब-करीब सवा दो लाख गांव बचे हैं और सवा दो लाख गांवों के अलावा दस लाख ग्यारह हजार गांव में बदलने है। उसमें भी हमने कहा है कि दो साल के अंदर मार टैक्नोलॉजी को भी बदलेंगे। अब दोनों मिला कर हमें करीब-करीब साढ़े चार लाख गांवों को चेंज करना है और हमारे पास डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलॉजी छः लाख है। अब छः लाख में हमारे सामने दिक्कत यह है कि एक बेस स्टेशन डब्ल्यू.एल.एल. में होता है, एक बेस स्टेशन टावर बनाया जाता है। वहां से 25 किलोमीटर के ऐरिया में आपको तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तार कोई काट भी नहीं सकता है और 25 किलोमीटर के ऐरिया में आपको तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तार कोई काट भी नहीं सकता है और 25 किलोमीटर के ऐरिया में जितने को भी आपके गांव आएंगे उन गांवों को आप टेलीफोन दे सकते हैं। उसमें 500 लाईन हैं और 500 कनैक्शन हैं, लेकिन 500 कनैशन तो आएगा नहीं गांव तो कम ही होंगे लेकिन वह टैक्नोलॉजी हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मामले को मुंशी जी बार-बार उठा रहे हैं उसमें मैं बता रहा हूं कि डब्ल्यू.एल.एल. में एक मामला आया कि इसमें एक हैंड सेट भी है। इसका मतलब एस.डी.सी.ए. (शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया) है। मान लीजिए उस एस.डी.सी.ए. ऐरिया की लम्बाई-चौड़ाई कुल मिला कर 25 किलोमीटर है। अब उस 25 किलोमीटर की दूरी में उसे हमने फिक्सड में रख दिया। हमने डब्ल्यू.एल.एल. को फिक्सड में इसलिए रखा है जिससे कि प्राइवेट ऑपरेटर, जिस प्राइवेट ऑपरेटर के संबंध में आप कहते हैं कि कितने प्राइवेट ऑपरेटर गांव में गए। आपका कहना सही है कि जितने गांवों का टारगेट दिया गया था, उतने गांवों में हम नहीं गए हैं। 500 गांवों में भी नहीं गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: 11 लाख में जाना था।

श्री राम विलास पासवान: उसमें तो तीन लाख में गए हैं। ...*(व्यवधान)* मैं जनरली बोल रहा हूं, पूरे एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। यदि आप फीगर्स में जाएंगे तो हमारे पास एक-एक फीगर है लेकिन मैं एक-एक फीगर बोलना शुरू कर दूं और वह अगर इधर से ऊधर हो जाएगी तो कल को हमें उस पर क्लेरीफिकेशन देना पड़ेगा। मैं आपको पालिसी की बात बता रहा हूं। यदि आप चाहेंगे तो मेरे पास पूरी इन्फोरमेशन है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: आप वे आंकड़े मुझे बाद में भेज दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा। मैं यह कह रहा था कि डब्ल्यू.एल.एल. में जो लिमिटेड मोबिलिटी है, इसका मतलब है कि 25 किलोमीटर के ऐरिया में चले जाएं, हैंड सेट आपके पास रहेगा। वहां से हमने और आपने देखा है कि 200 किलोमीटर तक लोकल कॉल कर दिया। पहले हम लोग जहां जाते थे- जैसे मेरठ जाते थे तो लोग कहते थे कि मंत्री जी लोकल कर दीजिए तो लोकल कर दिया। तब डिपार्टमेंट भी विरोध करता था। हापुड़ गए तो वहां भी यह कहा। फिर हमने एक ही बार फैसला लिया कि 200 किलोमीटर तक लोकल करेंगे। यह ठीक है कि जो गरीब लोग हैं वे 100 कि.मी. में दो मिनट ही बात करेगा और जो 200 कि.मी. में है वह आधा मिनट ही बात करेगा। आपमें से किसी ने इस बात को नहीं उठाया लेकिन मैं इस बात को भी रिएलाइज़ करता हूं कि जो आधा मिनट का है, उसमें पहले रात और दिन में चार्ज में अंतर होता था। मैं इस पर सोचा करता हूं कि जो आधा मिनट का है, उसमें पहले रात और दिन में चार्ज में अंतर होता था। मैं इस पर सोच रहा हूं कि जो रात का पीरियड है, ऑफ पीरियड है, उसमें हम और ज्यादा सहूलियतें देंगे। पहले फार्म में दस रुपए लगते थे। आज फार्म में कितना लगता है, हमने कहा कि फ्री करो। पहले आठ पेज़ फार्म भरने में लगते थे। हमने कहा कि क्या यह कोई सी.आई.डी. का पुलिस स्टेशन है। इसमें इनवेस्टीगेशन की क्या जरूरत है, वह पैसा दे और वहीं जाकर अपना फार्म ले ले। हमने फार्म फ्री कर दिया- सिम्पल एक पेज़ का फार्म रखने का काम किया। हमने नियम बना दिया। अब रघुवंश जी अध्यक्ष जी की कुर्सी पर बैठ गए हैं तो हम इन्हें कैसे बोलें। अब हमें इनकी रैस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में क्या चल रहा है- खाता न बही, जो लालू जी कहें वही यह चल रहा है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।

रात्रि 8.00 बजे

न वहां कोई कानून व्यवस्था है न कुछ और। रात में अगर कोई जाकर एक्सचेंज में सो जाए तो जिंदा भी रहेगा यह कहना मुश्किल है। सभी जगह पर पावर नहीं है और यह जो एक्सचेंज चलता है ऐसे थोड़े ही चलता है, यह पावर से चलता है। हम अब तक पूरे देश में दो साल के अंदर 2 लाख 40 हजार किलोमीटर ऑप्टीकल फाइबर डाल चुके हैं और 1 लाख 26 हजार किलोमीटर में इस साल डालेंगे। साल भर के बाद 25-50 हजार किलोमीटर और डाला जाएगा जिससे पूरा का पूरा हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। पिछले साल जो रेट ऑप्टीकल फाइबर का मैन्यूफेक्चरर ने भरा और विदेश में दाम जब बढ़ा तो उसने कहा कि दाम बढ़ाओं। इस पर डिपार्टमेंट ने कहा कि पहले ही आपने इतना रेट भरा है तो दाम कैसे बढ़ाएं। मैन्यूफैक्चरर नहीं माने। लेकिन इस साल 50 प्रतिशत दाम कम हो गया तो उसी तरह से मैंने कहा कि डब्ल्यू.एल.एल. लिमिटिड मोबिलिटी है। उससे आप 25 किलोमीटर तक एस.डी.सी.ए. के एरिया में जाइये और वहां से 200 किलोमीटर तक फोन कीजिए तो उसका चार्ज एक रुपया बीस पैसे लगेगा। अभी कितना लगता है, मोबाइल में एयरचार्ज दिल्ली के अलावा 3 रुपये से कम नहीं है। साथ में सुनने वाले को भी पैसा देना पड़ता है। टी.आर.आई. से हम कह रहे हैं कि सुनने वाले को माफ कर दो। बहुत सारी चीजें टी.आर.आई. के जिम्मे हैं। टैरिफ के मामले में टी.आर.आई. को मैनडेटरी पावर है। लेकिन आपने गिना दिया कि 4 सौ या 6 सौ रुपये लगता है। अगर हम लोग अपने मन से करेंगे तो हल्ला होगा कि डिस्क्रीमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए टी.आर.आई. सारी की सारी चीजों को देखती है और अपना फैसला लेती है। मान लीजिए कि एक आदमी फोन करता है और एयरचार्ज मान लीजिए कि तीन रुपये है। उसके बाद एसटीडी कॉल खर्चा, लोकल कॉल का खर्चा और फिर सुनने वाले को मिलाकर कुल 6 रुपये हुआ। अगर तीन मिनट बात की तो यह 18 रुपये हो गया लेकिन हम उसी तीन मिनट का 1.20 पैसे ले रहे हैं तो माननीय प्रियरंजन दास जी को क्यों गुस्सा आ रहा है। हमारे को 40 एमपीज ने सपोर्ट किया है। हां, 18 एमपीज ने जरूर खिलाफ में लिखा है। राजस्थान के सीएम कांग्रेस के है उन्होनें कहा कि डब्ल्यू.एल.एल. दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जल्दी दीजिए। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस के हैं उन्होंने भी कहा है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है कि जल्दी दीजिए। तमिलनाडु के सीएम कांग्रेस के नहीं है, लेकिन वे भी कहते हैं कि जल्दी कीजिए। अभी के चीफ मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूं माननीय करूणानिधि जी ने कहा था कि जल्दी दीजिए। नये चीफ मिनिस्टर भी भेजेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: इसलिए ही श्री प्रियरंजन दाशमुंशी जी ने कहा था, हम डब्ल्यू.एल.एल. के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस तरह से आप वितरण कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। आपके वितरण में पारदर्शिता नहीं है। आप उनके शब्दों का जवाब मत दीजिए, अपने शब्दों का जवाब दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: पहले मैं जो जनरल बात है वह बता देता हूं। आपने टैली-डैंसिटी की बात कहीं। टैली-डैंसिटी पिछले दो साल में जो डैवलप हुई है तो में चाहता हूं कि हमारे पास तीन करोड़ तीस लाख बैसिक टैलीफोन्स है। जब हम आए थे तब दो करोड़ थे, अभी 3 करोड़ 30 लाख हो गए हैं और मोबाइल बढ़ कर 45 लाख हो गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को देखते हुए टेली डैनसिटी बहुत कम है।

[श्री रामविलास पासवान]

हमारा टारगेट बहुत एम्बीशियस है। हमारा टारगेट 2005 तक हम साढ़े सात करोड़ लाइन्स देने का है। ऐसे में टेली डैनसिटी बढ़ कर 15 पर हन्ड्रैड हो जाएगी। अभी वर्ल्ड की टेली डैनसिटी 15 पर हन्ड्रेड है। किसी देश में तो 80 परसैंट 90 परसैंट और कहीं-कहीं तो घर में टेलीफोन अलग है, एक-एक परिवार में दो-दो टेलीफोन हैं, मोबाइल अलग है, जैसा मैंने कहा कि हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। हम चीन की भी तुलना नहीं कर सकते। चीन ने टारगेट बनाया है कि 2010 तक 50 करोड़ लाइन्स लगाएंगे। यदि हम 50 करोड़ लाइन्स लगाएं तो सारा बजट का पैसा केवल टेलीफोनों में चला जाएगा। जो हमारा टारगेट है, उसमें 37 बिलियन अमेरिकी डालर 2005 तक चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर: वह कहां से आएगा?

श्री राम विलास पासवान: इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग दिया गया है। 2010 तक 87 बिलियन अमेरिकी डालर चाहिए। 87 बिलियन डालर अकेले भारत सरकार के बलबूते की चीज नहीं है।

दाशमुंशी जी ने टीआरएआई पर चार्जेस लगा दिए। उनके वे चार्जेस सही नहीं हैं। उन्होंने पार्लियामैंटरी स्टैंडिंग कमेटी के संबंध मे कहा। हमें खुशी है कि माननीय सदस्य ने स्टैंडिंग कमेटी में कही गई पूरी बात पढ़ कर सुना दी। स्टैंडिंग कमेटी ने डब्ल्यूएलएल की सराहना की है। उन्होंने लिमिटिड मोबिलिटी के संबंध में इतना ही कहा है कि इसमें लैवल प्लेइंग फील्ड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने जहां लाइसेंस फीस बेसिक और सेल्यूलर के लिए समान रखी है, स्पैक्ट्रम फीस समान रखी है, लिमिटेड मोबिलिटी रेवेन्यू शेयरिंग लौंग डिस्टेंस के लिए 5:95 किया है, 60: 40 नहीं किया है। 5:95 कर दिया है और सेल्यूलर वालों को पी.सी.ओ. लगाने की अनुमति दी गई। सेल्यूलर ऑपरेटर चाहें तो फिक्स्ड सर्विस दे सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा इस बात से चिंतित हूं कि आपके कांग्रेस बैंच में कॉन्ट्राडिक्शन्स है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं लेकिन जब आपकी बात समझने की कोशिश करता हूं तो मैं आपकी बात समझ नहीं पाता हूं। आप एक तरफ चार्ज लगा रहे हो कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स को रेवेन्यू शेयरिंग में ले जाकर पचास हजार करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिया और उनका चार्ज भी यही है कि हमने डब्ल्यूएलएल लाकर सेल्यूलर ऑपरेटर्स को घाटे में डालने का काम किया।

श्री मणिशंकर अय्यर: मंत्री जी को बात समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करें? हमारे मंत्री महोदय यह न समझें कि डब्ल्यूएलएल क्या है और माइग्रेशन क्या है? हमें बड़ी दिक्कत होती है।

श्री राम विलास पासवान: उन्होंने कहा कि पहले आओ, पहले पाओ। जैसे रेबड़ी बंट रही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है कि पहले करो और फिर पाओ। फर्स्ट परफॉर्म का मतलब है कि किसी आदमी ने दिया और देने के बाद नहीं मिलता है पहले कभी-कभी मिल जाता था लेकिन अभी हमने नियम बना दिया है कि सारी की सारी फॉरमैलिटीज को पूरा करने के बाद पीओपी लगाना पड़ेगा। वह उसे वहां जाकर लगाएंगे। एस.डी.सी.ए. हमने बना दिया है। कोई भी डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नॉलोजी लगाएगा तो जो एस.डी.सी.ए. का एरिया है, वहां हमने कहा कि तीन भाग में बांटो एक रूरल, दूसरा सैमी अरबन और तीसरा अरबन, और तीनों को वहां लगाना पड़ेगा अर्थात् एक तिहाई सेमी अरबन में और बाकी जगहों पर भी एक तिहाई के हिसाब से लगाना पड़ेगा। पी.ओ.पी. लगाने के बाद उन लोगों को स्पैक्ट्रम का एलोकेशन होगा। पहले स्पेक्टम एलोकेशन एक ही बार में 4.4. एम.एच.जैड. दिया जाता था। लेकिन अब हमने कहा है कि इसे एक बार में नहीं देंगे। पहले 2.5 देंगे। जब लगाया जायेगा तो फिर 1.25 देंगे। इसके पश्चात् जब काम आगे बढ़ेगा तब 1.25 देंगे। इस तरह कुल मिलाकर 5 एम.एच.जैड. + 5 एम.एच.जैड. दिया जायेगा। उसके लिए ये अलग से चार्ज लिया गया है लेकिन यह कहना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, हमने कहा कि पहले प्रीवियस ड्यूज़ जमा करना होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वर्ड यहां का नहीं है। यह इंटरनेशनल टर्मोनौलोजी है जिसमें कहा गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्पैक्ट्रम का चार्ज पहले से लिया जाता था लेकिन अब यह अलग से लिया जायेगा। चार्जेज़ फॉर फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम बेसिक तौर पर सैलुलर वालों के लिये समान होंगे जिसका लाइसेंस फीस से कोई संबंध नहीं है। यह कहना भी गलत है कि स्पैक्ट्रम फ्री दिया गया है, स्पैक्ट्रम का बिड नहीं हुआ है। फिर यहां 13 हजार करोड़ रुपए का जिक्र किया गया। माननीय सदस्य यहां बैठे नहीं, मैं उनसे पूछता कि 13 हजार करोड़ रुपये की बात का ख्याल उनके दिमाग में कहां से आया? सारी इंडस्ट्रीज ठप्प पड़ गई थी। सब लोगों ने हाई-फाई में इतना बिड भर दिया जिसे आप सब लोग जानते हैं। मैं गरीब परिवार से आता हूं लेकिन आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी है क्योंकि कांग्रेस वाले उनसे ज्यादा मिले जुले हुये हैं। इन लोगों को मालूम है कि सारी इंडस्ट्रीज ठप्प पड़ी थी और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर थी। इसलिए उनको रेवेन्यू शेयरिंग दिया गया और ये लोग कह रहे हैं कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपये का घपला किया गया है। जैसा आपने कहा शायद इस पॉलिसी को बनाने के बाद आपको घाटा लगा लेकिन उस पॉलिसी के तहत मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने देखा कि पॉलिसी के पहले कितना पैसा आ रहा था और पॉलिसी बनने के बाद कितना आया। यह पैकेज इसलिए किया गया था क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर थी; सैलुलर आपरेटर्स ने अति उत्साह में लाइसेंस की बोली लगा दी। परिणामस्वरूप प्रति सैलुलर आपरेटर को 4-4 मेगाहर्ट्ज़ दिया गया। बाद में 1.8 और दे दिया गया।

सभापति महोदय, यहां ट्रांसपीरेंसी की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा ट्रांसपीरेंसी क्या हो सकती है जब मेरे पास डेटवाइज़ सब कुछ लिखा हुआ है। दिनांक 13.4.99 को टी.आर.ए.आई. से आपरेटर्स को लाइसेंस देने के लिये क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स हों, इसके लिये डिपार्टमेंट ने अनुशंसा मांगी। 16.6.2000 को टी.आर.ए.आई. ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया। तत्पश्चात् 30/6, 4/7, 6/7 और 30/7 को कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली में ओपन हाउस डिसकशन कराया गया। उसके बाद 31.8.2000 को टी.आर.ए.आई. की अनुशंसा डी.ओ.टी. को प्राप्त हुई। 21 सितम्बर को इस मामले में टेलीकॉम कमीशन की फुल बैठक हुई। उसमें जिन गाइडलाइन्स का जिक्र किया गया, उन पर विचार किया गया। टी.आर.ए.आई. द्वारा 9 अक्टूबर को कुछ मुद्दों पर दुबारा ओपीनियन मांगी गई। उसके बाद डब्लयू.एल.एल. में हैंड सेट का मामला ही नहीं था, इसमें 3 फेडरेशनों की सिफारिश थीं। इस संबध में प्राइवेट आपरेटर्स ने सुझाव रखे थे। उन पर विचार करने के बाद जब डब्लयू.एल.एल. दिया गया तो हम लोगों ने उनसे विचार मांगे और आप कह रहे हैं कि इसमें डब्लयू.एल.एल. का हैंड सेट शामिल है या नहीं? दिनांक 31.10.2000 को डब्लयू.एल.एल. को छोड़कर टी.आर.ए.आई. को बाकी सभी मुद्दों पर अपनी राय दी थी। इसके बाद 3.11.2000 को टी.आर.ए.आई. द्वारा कंसल्टेंशन पेपर जारी किया गया जिसमें उन्होंने यह पाइंट रखा था कि डब्लयू.एल.एल. को हैंडसेट दिया जाये या नहीं, एंट्री फीस कितनी हो, स्पैक्ट्रम चार्जेस क्या हों तथा ऐरियाज़ क्या हों? इसके बाद टी.आर.ए.आई. द्वारा एक बात फिर ओपन हाउस कंडक्ट किया गया। यह ओपन हाउस 13.11.2000 को मुम्बई में, 14.11.2001 को चैन्नई में तथा 15.11.2001 को कोलकता में किया गया। यहां 24 नवम्बर, 2000 को दिल्ली में हुआ। 25 तारीख को टी.आर.ए.आई. की लिमिटेड मोबिलिटी के संबंध में एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हुई। 8 जनवरी, 2001 को टी.आर.ए.आई. ने अपनी अनुशंसा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डब्ल्यू.एल.एल. हैन्डसैट बेसिक सर्विस का हिस्सा है।

[अनुवाद]

यह बेसिक सर्विस का हिस्सा है।

[हिन्दी]

यह फास्टर रोल आउट में सहायक होगा। यह कॉस्ट इफैक्टिव भी है उसके बाद 22.1.2000 को सेलुलर ऑपरेटर्स को जब यह मालूम हुआ कि अब विभाग इसके ऊपर फैसला लेने जा रहा है तो वे कोर्ट में ले गये। जो हमारी अपीलेट ट्रिब्युनल बनी है, वे उसमें चले गये। अपीलेट ट्रिब्युनल ने उनकी सरकार द्वारा निर्णय लेने पर रोक लगाने की बात नहीं मानी और बाद में 29 को कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूलन का फैसला होगा, उसे बाद में मानना पड़ेगा। लेकिन अभी हम काम को नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों ने उसके आधार पर गाइडलाइंस जारी करने का सोचा। उन्होंने कई चीजें कहीं मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। 23 मार्च को हम लोगों ने स्पैक्ट्रम अलोकेशन प्रोसिजर जारी कर दिया। 25.1.2000 को गाइडलाईस इश्यु कर दी गई। उसमें हम लोगों ने कहा कि हैन्डसैट एस.डी.सी.ए. एरिया में दिया गया है। जो स्पैक्ट्रम अलोकेशन सेलुलर के लिए हैं, उसमें से डब्ल्यू.एल.एल. को नहीं दिया जायेगा। स्पैक्ट्रम चार्जेज रेवेन्यू शेयरिंग का दो परसेन्ट होगा। यह दो परसेन्ट सेलुलर और बेसिक दोनों के लिए हैं। ऑप्टीकल फाइबर को लेकर जो ये ट्रान्सपेरेन्सी की बात कह रहे हैं, इसमें क्या ट्रान्सपेरेन्सी नहीं है। श्री महेश्वर सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि ऑप्टीकल फाइबर की एक ही एजेन्सी रहे, निश्चित रूप से हम उसके बारे में विचार करेंगे। दाम के लिए आपने 'मार' के संबंध में कहा। *...(व्यवधान)* यह श्री मणिशंकर अय्यर जी ने पूछा है, मैं इन्हें भी बताता हूं, इन्हें भी संतुष्टि हो जायेगी। इन्होंने हर चीज के बारे में विवरण मांगा है, वह मेरे पास है। जो नम्बर ऑफ कमिटेड डी.ई.एल. इन फर्स्ट थ्री ईयर्स जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए था, वह बीस लाख था। यह बात सही है कि पहले 20,17,809 था, लेकिन उन्होंने जो डी.एल. प्रोवाइड किया है वह 3,13,346 किया है। *...(व्यवधान)* केवल मैं स्वीकार करता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर: 20 लाख की जगह तीन लाख हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : केवल मैं स्वीकार करता हूं। फिर वी.पी.टी. उन्हें 97806 लगाने थे, लेकिन 562 लगाये।

श्री मणिशंकर अय्यर: शेम, गांवों को नहीं पहुंचा रहे हैं, *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: आप शेम किसे कह रहे हैं। हमने नियम बनाया है, उस नियम के तहत यदि वह वी.पी.टी. नहीं लगायेगा तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: कितना देना पड़ेगा।

श्री राम विलास पासवान: 53 करोड़ रुपये जुर्माना वे दे चुके हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: उन्हें हजारों करोड़ मिल रहा है।

श्री राम विलास पासवान: कहां मिल रहा है। अभी गांवों में लगाया ही नहीं है फिर कहां से मिलेगा। इसलिए मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब बहुत जगह है। ऑप्टेल वाली कम्पनी है। ऑप्टेल वाले यहां बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करें, ऑप्टेल सरकारी कम्पनी है। कहीं हमारी आई.टी.आई. है। हमें ट्रान्सपेरेन्सी में जाना पड़ता है। आपने ट्रान्सपेरेन्सी कहा,

[श्री राम विलास पासवान]

हम उसे एक तिहाई रखते हैं। जो हमारी अपनी आई.टी.आई. या दूसरी है, उनके लिए हम एक तिहाई रिजर्व रखते हैं। लेकिन कभी-कभी जब हम कहते हैं कि एल.-1 को देंगे, एल.-1 में जो हमारे लोग हैं। जनरल में भी उन्हें देते हैं। लेकिन जब कम्पीट नहीं करते हैं तो कभी-कभी दिक्कत होती है और उस दिक्कत को मैं समझता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर: ऑप्टेल एक सार्वजनिक कम्पनी है, हम निजी कम्पनियों के बारे में बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम निजी कम्पनियों की बात कर रहे है। और वह सार्वजनिक कम्पनियों की बात कर रहे हैं। ऑप्टेल बन्द होने के कगार पर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह अलग मुद्दा है वे सभी को एक साथ मिला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अब जब कि कम्पनी बन गई है, अब यह मामला डिपार्टमैन्ट का नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: प्राइवेट कम्पनी ने 12 लाख लाइनें देने को कहा है और केवल 12 दे चुके हैं और आप एक और उदाहरण दे रहे हैं, जिस पर हम सहमत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: जब ये लोग बोल रहे थे तो हमने जुबान नहीं खोली थी।

मैं कह रहा हूं कि भारत संचार निगम अब एक कंपनी है और इसको जहां से पैसा आएगा वहां काम करेगी। हमने तीन चीजें कहीं हैं। हमने कहा है कि रूरल टेलीफोनी को बढ़ावा देंगे, हमने कहा है कि वर्ल्ड क्लास टैक्नोलॉजी को लाएंगे, हमने कहा है कि जहां कम से कम कीमत में मिलेगा, वहां से लेंगे। जो भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के लोग हैं उनको भी समय से सामान को देना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं दिया जाएगा। मैंने यह कहा है कि एक तिहाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के लिए रिज़र्व कर रखा है। उसी तरह से माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं सबका नाम ही ले दूंगा। रामजी लाल सुमन, के. बलिराम, और मणि शंकर अय्यर जी ने काफी बातें कहीं, लाइसेन्स फी से लेकर बेसिक ऑपरेटर्स से लेकर 49000 करोड़ रुपये वसूल हो जाते और एक करोड़ रुपया सबके बारे में इन्होंने कहा है, मैं लिखकर इनको जवाब भेज दूंगा। फिर सरोजा देवी जी ने कहा कि एमटीएनएल चेन्नई में भी होना चाहिए। अब तो सभी कार्पोरेशन बन गए। अब चेन्नई में क्या होगा। सुरेश रामराव जाधव जी ने भी कहा। फिर रघुवंश जी ने बिहार के बारे में कहा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे बिहार में हल्ला हो रहा है कि राम विलास पासवान खेतों को खुदवा रहा है और जानवर उसमें मर रहे हैं। एक दिन हमने पढ़ा कि एक पार्टी के नेता वहां कह रहे हैं कि मोबाइल टेलीफोन गांवों में शुरू करने से वहां क्रिमिनल लोग बढ़ रहे हैं। यदि इस तरह की सोच स्टेट के चीफ मिनिस्टर की पार्टी के हैड की होगी तो उस स्टेट में 1 परसेंट से कम नहीं लगेगा तो उससे बढ़कर क्या लगेगा। हम लोग काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कोआपरेशन से करते हैं लेकिन जो सरकार विकास की ही दुश्मन हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमने कहा कि कानून व्यवस्था से लेकर सब चीजों की व्यवस्था ठीक कराए। बी.के. देव जी ने रूरल एक्सचेन्ज के बारे में कहा। पण्डा जी ने कालिंग पार्टी पे के संबंध में कहा। महाले जी ने नासिक जिले के संबंध में कहा। पप्पू यादव जी ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम है और पिछले छः सालों से बहाली नहीं कर रहे थे। अब जेटीओ और डीटीओ की बहाली हम कर रहे हैं। श्रीनिवास पाटील जी ने ओ.एफ.सी. की कमी के संबंध में कहा। अंत में माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं और हम बार-बार ऐसे डिसकशन्स का वेलकम करेंगे और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो किसी माननीय सदस्य ने कहा कि औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारत पीछे रह गया था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार का कमिटमेंट है कि जो संचार क्रांति का क्षेत्र है उसमें हम देश को पीछे नहीं रहने देंगे। इसमें दोनों पक्षों का सहयोग हम चाहते हैं। आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय: अब सभा की कार्यवाही 30 अगस्त के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 8.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 30 अगस्त, 2001/8 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.19.27/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।